

THE FREE INDOLOGICAL COLLECTION

WWW.SANSKRITDOCUMENTS.ORG/TFIC

FAIR USE DECLARATION

This book is sourced from another online repository and provided to you at this site under the TFIC collection. It is provided under commonly held Fair Use guidelines for individual educational or research use. We believe that the book is in the public domain and public dissemination was the intent of the original repository. We applaud and support their work wholeheartedly and only provide this version of this book at this site to make it available to even more readers. We believe that cataloging plays a big part in finding valuable books and try to facilitate that, through our TFIC group efforts. In some cases, the original sources are no longer online or are very hard to access, or marked up in or provided in Indian languages, rather than the more widely used English language. TFIC tries to address these needs too. Our intent is to aid all these repositories and digitization projects and is in no way to undercut them. For more information about our mission and our fair use guidelines, please visit our website.

Note that we provide this book and others because, to the best of our knowledge, they are in the public domain, in our jurisdiction. However, before downloading and using it, you must verify that it is legal for you, in your jurisdiction, to access and use this copy of the book. Please do not download this book in error. We may not be held responsible for any copyright or other legal violations. Placing this notice in the front of every book, serves to both alert you, and to relieve us of any responsibility.

If you are the intellectual property owner of this or any other book in our collection, please email us, if you have any objections to how we present or provide this book here, or to our providing this book at all. We shall work with you immediately.

-The TFIC Team.

जैन तर्कशास्त्रमें ग्रनुमान-विचारः ऐतिहासिक एवं समीक्षात्मक ग्रध्ययन

डा. दरबारीलाल जैन कोठिया

न्यायतीर्थ, सिद्धान्तशास्त्री, न्यायाचार्य, शास्त्राचार्य एम० ए०, पी-एच० डी० [सम्पादक—न्यायदीपिका, आप्तपरीक्षा, स्याद्वादसिद्धि, प्रमाणप्रमेयकलिका, अघ्यात्मकमलमार्त्तण्ड, शासनचतृस्त्रिशका, श्रीपुर-पार्श्वनाथ, प्राकृतपद्यानुक्रमणी आदि] प्राध्यापक, काशी हिन्दू विद्वविद्यालय

वीर सेवा मन्दिर-ट्रस्ट प्रकाशन

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० उपाधिके लिए स्वीकृत

Treatment of Inference in Jaina Logic: A Historical and Critical Study जैन तर्कशास्त्रमें अनुमान-विचार: ऐतिहासिक एवं समीक्षात्मक अध्ययन

by Dr. Darbari lal Jain Kothia, M. A. Ph. D.

प्रकाशक मंत्री, बीर सेवा मन्दिर-ट्रस्ट ट्रस्ट-संस्थापक आo जगलकिशोर मख्तार 'यगवोर'

प्राप्तिस्थान
१. मंत्री, वीरसेवामिन्दर-ट्रस्ट
चमेली कुटीर,
१/१२८, ड्रुमराव वाग, अस्सी, वाराणसी—'५
२. डा० श्रीचन्द जैन मंगल
कोपाध्यक्ष, वीर सेवा मन्दिर-ट्रस्ट
जी० टी० रोड, एटा (उ० प्र०)

प्रथम संस्करण : ५०० प्रति ज्येष्ठ वी० नि० २४९५ मई १९६९ मूल्य : सोलक्कुस्पर्फ नि — ()

मुद्रक बाबूलाल जैन फागुल्ल महावीर प्रेस, भेलूपुर, वाराणसी–१



आचार्य जुगलिकशोर मुख्तार 'युगवीर' संस्थापक व प्रवर्त्तक-बीर सेवा मन्दिर व ट्रस्ट

राष्ट्र और समाजसेवी जैन साहित्य, इतिहास और पुरात्स्वविद् श्रद्धेय ग्नाचार्घ जुगलिकशोरजी मुख्तार खुगवीर को उनकी ६२वीं वर्षगांठपर सादर समीपत

> श्रद्धावनत **दरबारीलाल कोठिया**



प्राक्कथन

प्रस्तृत पुस्तक या शोधप्रवन्धके लेखक डा॰ दरबारीलाल कोठिया जैन दर्शनके जाने-माने विदान हैं, उनका भारतके दूसरे दर्शनोंसे भी अच्छा परिचय है। अब तक वे मरुयतया जैनदर्शन एवं धर्म सम्बन्धी अनेक ग्रन्थोंका सम्पादन एवं अनु-वाद कर चके है। प्रस्तृत पुस्तकका विषय तर्कशास्त्रसे सम्बन्ध रखता है। भारतीय दर्शनमें ज्ञानमीमांसाका, और उसके अन्तर्गत प्रमाणमीमांसाका, विशेष स्थान रहा है। प्रमाणविचारके अन्तर्गत यहाँ अन्वेषण-पद्धतियोंपर उतना विचार नहीं हुआ जितना कि प्रमा अथवा यथार्थज्ञानके स्रोतोंपर । इन स्रोतोंको प्रमाणसंज्ञा ही गयी। प्रमाणींने भी प्रत्यक्ष और अनुमान सर्वस्वीकृत हैं और उनपर विभिन्न सम्प्रदायोंके दार्शनिकोंने विशेष विमर्श किया है। कुछ विद्वानोंने भारतीय अनुमान और अरस्तुके सिलासिजममें समानता देखनेका प्रयास किया है, किन्तु वस्तुत: इन दोनोंमं बहुत अंतर है। 'भारतीय न्याय' अथवा 'पंचावयववाक्य' बाहरसे अरस्तुके सिलासिजमके समान दिखता है; यह सही है, किन्तु अपनी अन्तरंग प्रक्रियामें दोनोंके आधार भिन्न हैं। भारतीय अनुमानकी मुलभित्ति हेन् और साध्यका सम्बन्ध है, जिसे व्याप्ति कहते हैं। हमारे तर्कशास्त्रियोंने हेत्के त्रिविध रूपोंपर विस्तत विचार किया है। इसके विपरीत अरस्तूके अनुमानकी मृल भित्ति वर्गसमावेशका सिद्धान्त है । अरस्तूने सिलासिजमके १९ प्रामाणिक रूप (मृड) माने हैं, और ४ अवयवसंस्थान, जिनमें विभिन्न अनुमानरूपोंको व्यवस्थित किया जाता है । इन सबको देखते हुए भारतीय अनुमानका स्वरूप बहुत संक्षिप्त एवं सरल जान पड़ता है। भारतीय तर्कशा-स्त्रियोंने अपना घ्यान मुख्यतः हेतुके स्वरूप एवं विविधतापर संसक्त किया । चुंकि भारतीय दार्शनिकोंके सामने चिन्तन और अन्वेषणके वे अनेक तरीके उपस्थित नहीं थे. जिनसे विविध विज्ञानोंने हमें परिचित बनाया है, इसलिए वे अनुमान-प्रक्रियापर वडे मनोयोगसे विचार कर सके। हमारे देशके अनेक विचारक कई दूसरे प्रमाणोंको भी मानते हैं, जैसे अर्थापत्ति और अनुपलन्धि । बौद्ध तर्कशास्त्री धर्मकोर्तिन बडी चतुराईसे शेप प्रमाणोंका अन्तर्भाव अनुमानमें करनेकी कोशिश की है। भारतीय तर्कशास्त्रमें जिस चीजका अभाव सबसे ज्यादा खटकता है वह है-प्राक्कल्पना (हाइपाथेसिस) की धारणाकी अनवगति या अपर्याप्त अवगति । यों व्याप्तिग्रहके साधनोंपर विचार करते हुए वे आगमनात्मक चिन्तनके अनेक तत्त्वों-पर प्रकाश डाल सके थे। योरोपीय तर्कशास्त्रमें प्राक्कल्पनाका महत्त्व धीरे-धीरे ही स्वीकृत हुआ है। न्यूटन प्राक्कल्पनाओं को कांकाकी दृष्टिसे देखता था। किन्तु

६ : जैन तर्कशास्त्रमें अनुमान-विचार

आजका गणितमूलक—भौतिक विज्ञान प्राक्कल्पनाओंके विना एक कदम भी आ नहीं बढ़ सकता।

आलोच्य पुस्तकमें सामान्यतः भारतीय तर्कशास्त्रके और विशेषतः जैन तर्व शास्त्रके अनुपान-सम्बन्धी विचारोंका विशद आकलम हुआ है। संभवतः हिन्दी कोई दूसरा ऐसा ग्रन्थ नहीं है जिसमें एक जगह अनुमानसे सम्बन्धित विचार णाओंका इतना सूक्ष्म और सटीक प्रतिपादन हुआ हो। जो दो चार पुस्तकों में नजरमें आयी हैं उनमें प्रायः न्यायके तर्कसंग्रह जैसे संग्रहग्रन्थोंपर आधारि नैयायिकोंके तर्कसिद्धान्तका छात्रोपकारी संकलन रहता है। इसके विपरीत प्रस्त् ग्रन्थ भारतीय दर्शनके समग्र तर्क-साहित्यके आलोडन-विलोडनका परिणाम है लेखकने निष्पक्षभावसे वात्स्यायन, उद्योतकर आदि हिन्दू तार्किकोंके और धर्मकी धर्मोत्तर, अर्चट आदि बौद्ध तार्किकोंके मतोंका विवेचन उतनी ही सहानुभूि किया है जितना कि जैनाचार्योंके मन्तव्योंका। विद्वान् लेखकने सूच्य-से-स्था समस्यायोंको उठाया और उनका समाधान किया है। विभिन्न अध्यायोंके अर्गत संस्कृतके लेखकों और ग्रन्थोंके प्रचुर संकेत समाविष्ट हुए हैं, जिससे भारतं तर्कशास्त्रमें शोध करनेवाले विद्यार्थी विशेष लाभान्वित होंगे। अपनी इस परिश्रालखी गयी विद्वत्तापूर्ण कृतिके लिए लेखक दर्शन-प्रेमियों और हिन्दी जगत बधाईके पात्र हैं।

२५ अप्रैल, १९६९ } हिन्दू विश्वविद्यालय

—देवर

पुरोवाक,

भारतीय चिन्तकोंने सही तर्क करनेके नियमोंको न्यायशास्त्र कहा है। सही ज्ञान या तत्त्वज्ञानके लिए ज्ञानका स्वरूप, ज्ञानके साधन, ज्ञानकी प्रक्रिया, ज्ञानकी कसौटी, ज्ञानका विस्तार प्रभृति ज्ञानसम्बन्धी प्रश्नोंका विधिवत् अध्ययन अपेक्षित है। भारतीय न्यायशास्त्रमें तर्क, अनुमान आदि प्रमाणविषयक प्रश्नोंका सविस्तर अध्ययन किया जाता है। अतः न्यायशास्त्र ज्ञानके सही साधनों हारा वस्तुकी सम्यक् परीक्षा प्रस्तुत करता है। पर्याप्त बौद्धिक विश्लेषणके अनन्तर जो चरम सत्य सिद्ध होता है, वही सिद्धान्तरूपमें ग्राह्य है।

तर्कका कार्य ज्ञानकी सत्यता और असत्यताका परीक्षण करना है। मनुष्य तर्कद्वारा ज्ञानका चहुत वड़ा अंश अजित करता है। नया अनुभव नये हेतुके मिलनेपर ही स्वीकृत होता है। अतएव यह स्पष्ट है कि तर्ककी सहायतासे मनुष्य अपने ज्ञानका संवर्द्धन एवं सत्यापन करता है। तर्कजन्य ज्ञान ही उसे असत्यसे सत्यकी ओर ले जाता है।

न्यायशास्त्रमें तर्क और अनुमान दो भिन्न ज्ञानिबन्दु हैं। अनुमानमें किसी लिङ्ग या हेतुके ज्ञानके आधारपर किसी दूसरी वस्तुका ज्ञान प्राप्त किया जाता है; क्योंकि उस वस्तु तथा लिङ्गके बीच एक प्रकारका सम्बन्ध है, जो व्याप्ति हारा अभिहित किया जाता है। आशय यह है कि अनुमानके पक्षधर्मता और व्याप्ति ये दो आधार हैं। पक्षधर्मताका ज्ञान हुए विना अनुमानकी उत्पत्ति सम्भव नहीं है। पक्षधर्मता अनुमानकी प्रथम आवश्यकता है; किन्तु पक्षधर्मताके रहनेपर भी व्याप्तिज्ञानके विना अनुमान हो नहीं सकता। अतएव अनुमानके लिए पक्षधर्मता और व्याप्ति दोनोंके संयुक्त ज्ञानकी आवश्यकता है। यथा—''पर्वतो विह्नमान् धूमवक्त्वात्' इस उदाहरणमें पर्वत पक्ष है, यतः पर्वतके सम्बन्ध या पक्षमें ही अग्निका अनुमान होता है। 'अग्नि' साध्य है, क्योंकि इसीको पर्वतके सम्बन्धमें सिद्ध करना है। 'धूम' साधन है, क्योंकि इसीके हारा पर्वतमें अग्निकी सिद्धि की जाती है। इस प्रकार अनुमानमें पक्ष, साधन और साध्य ये तीन पद रहते हैं।

अन्वय और व्यतिरेकके निमित्तसे होनेवाले व्याप्तिके ज्ञानको तर्क कहा जाता हैं । किसी भो अनुमानमें हेतूकी गमकता अविनाभावपर निर्भर करती है और

१ उपलम्मानुपलम्मानामत्तं ज्याप्तिज्ञानमूहः—परोक्षामुख ३।७। तर्के न्याप्यस्य न्यापकस्य च बार्धानश्चयः कारणमिति—न्यायबोधिनी, पूना, पृष्ठ २१। तर्के आपाद्यन्यतिरेकनिश्चयः आपाद्यापादक्यान्याप्तिनश्चयश्च क्रारणमिति—नीलकण्ठो। पृष्ठ ३८।

इस अविनाभावका ज्ञान तर्कके द्वारा होता है। अतएव स्पष्ट है कि अनु-मानको सत्यताका निर्णय तर्क द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार भारतीय न्यायशास्त्रमं तर्क और अनुमानके मध्यमें विभेदक सीमारेखा विद्यमान है । दूसरे शब्दोंमें यों कहा जा सकता है कि तर्कका क्षेत्र अनुमानसे आगे है। अनुमानके दोषों-का निराकरण कर उसके अध्ययनको व्यवस्थित रूप प्रदान करना तर्कका कार्य है। अतः "तर्कशास्त्र वह विज्ञान है, जो अनुमानके व्यापक नियमों तथा अन्य सहायक मानसिक क्रियाओंका अध्ययन इस ध्येयसे करता है कि उनके व्यवहारसे सत्यताकी प्राप्ति हो" । इस परिभाषाके विश्लेषणसे दो तथ्य प्रस्फृटित होते हैं-

- १. अनुमानके दोषोंका विश्लेषण तर्क द्वारा होता है तथा उसकी अविसंवा-दिताकी पृष्टि भी तर्कसे होती है।
- २. तर्कट्टारा अनुमानमें सहायक मानसिक क्रियाओंका भी अध्ययन किया जाता है।

आशय यह है कि गलत अनुमानसे बचनेका उपाय तर्कका आश्रय ग्रहण करना है। यतः तर्कशास्त्रका सम्बन्ध विशेषतः अनुमानसे है। अनुमानको तर्कशास्त्रसे हटा देनेपर तर्कशास्त्रका अस्तित्व ही खतरेमें पड़ जायगा। भूत और भविष्यको मानवके सम्पर्कमें लानेका कार्य अनुमान ही करता है। अनुमानके सहारे ही भविष्यकी खोज और भूतकी परीक्षा की जाती है। यहाँ यह स्मरणीय है कि अनुमानजन्य ज्ञानका क्षेत्र प्रत्यक्ष ज्ञानके क्षेत्रसे बहुत बड़ा है। अल्प ज्ञानसे महत् अज्ञानकी जानकारी अनुमान द्वारा होती है। प्रत्यक्षकी प्रमाणतामें सन्देह होनेपर अनुमान ही उक्त सन्देहका निराकरण कर प्रामाण्यकी प्रतिष्ठा करता है। प्रत्यक्ष जहाँ अनुमानके मूलमें रहता है, वहाँ प्रत्यक्षकी प्रामाणिकता कभी-कभी अनुमानपर अवलम्बित देखी जाती है। जहाँ युक्ति द्वारा प्रत्यक्षके किसी विषयका समर्थन किया जाता है वहाँ आपाततः अनुमान आ जाता है।

अनुमानके महत्त्वका निरूपण करते हुए श्री गङ्गेश उपाध्यायने लिखा है— "प्रत्यक्षपरिकल्तिमप्यर्थमनुमानेन बुभुत्सन्ते तर्करसिका: र अर्थात विचारशील तार्किक प्रत्यक्षद्वारा अवगत भी अर्थको अनुमानसे जाननेकी इच्छा करते हैं। अतएव असम्बद्ध और अवर्त्तमान-अतीत, अनागत, दूरवर्ती और सूक्ष्म-व्यवहित भर्योंका ज्ञान अनुमानसे होता है। इस प्रकार भारतीय चिन्तकोंने वस्तुज्ञान और व्यवस्थाके लिए अनुमानकी आवश्यकता एवं उपयोगितापर प्रकाश डाला है। पाश्चात्य तर्कशास्त्रमें विणित 'काज एण्ड इफैक्ट्स' (Cause and effects) को अन्वेषणविधियाँ भो भारतीय अनुमानमें समाविष्ट हैं। अतः स्पष्ट है कि भारतीय तर्कशास्त्रमें अनुमानका महत्त्व अन्य प्रमाणोंसे कम नहीं है।

१ तर्कात्तन्त्रिर्णयः--परीक्षामुखसूत्र ३।१५ । २ तत्त्वचिन्तार्माण पृष्ठ ४२४ ।

डॉ॰ प्रो॰ दरबारीलाल कोठियाने जैन अनुमानके अध्ययनके सन्दर्भमें भारतीय तर्कशास्त्रमें अनुमानका तुलनात्मक एवं समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत कर भारतीय न्यायशास्त्रको एक मौलिक कृति प्रदान की है। उनका यह अध्ययन तथ्योंके प्रस्तुतीकरणकी दृष्टिसे तो महत्त्वपूर्ण है ही, पर तथ्योंकी पृष्टिके लिए ग्रन्थान्तरोंसे उपस्थित किये गये प्रमाणोंकी दृष्टिसे भी समृद्ध है। विषय-सामग्रीकी मौलिकता एवं विषय-प्रतिपादनकी स्वच्छ और विशद शैली नवीन शोध-कत्तांओंके लिए अनुकरणीय है।

इसकी सामग्री शोध-खोजकी दिशामें एक नया चरणचिन्ह है। व्याप्ति और हेतुस्वरूपके सम्बन्धमें इतनी विचारपूर्ण सामग्री अन्य किसी ग्रन्थमें उपलब्ध नहीं है। व्याप्तिग्रहके साधनोंकी तटस्थ वृक्तिसे आलोचना करते हुए जैन नैयायिकोंके व्याप्तिग्रहके तर्कका विशेषरूपसे निरूपण किया है। डॉ० कोठियाने तर्कके क्षेत्रकी व्यापकता बतलाते हुए प्रभाचन्द्रके आधार पर लिखा है—"प्रत्यक्ष जहाँ सिन्निहितको, अनुमान नियत देश-कालमें विद्यमान अनुमेयको, उपमान सादृश्यको और आगम शब्दसंकेतादिपर निर्भारतको जानते हैं, वहाँ तर्क सिन्निहित-असिन्निहित, नियत-अनियत देश-कालमें विद्यमान साध्य-साधनगत अविनाभावको विषय करता है।" इस प्रकार अनेक प्रमाण और युक्तियोंके आधार पर व्याप्ति-सम्बन्धग्राही तर्ककी प्रमाणिकता सिद्ध की है।

जल्लेखनीय है कि डाँ० कोठियाने इसमें जैन दृष्टिसे अनुमानके लिए साध्य, साधन और उनके व्याप्तिसम्बन्धको आवश्यक तथा पक्ष और पक्षधमंताको अना-वश्यक बतलाकर भारतीय चिन्तकोंके समक्ष एक नये विचारका और उद्घाटन किया है। साथ ही अनुमानके समस्त घटकोंका विस्तारपूर्वक समालोचनात्मक अध्ययन कर केवल जैन परम्पराके अनुमानका वैशिष्ट्य ही प्रविध्त नहीं किया है, अपितु भारतीय तर्कशास्त्रमें अनुमानकी सर्वाङ्गीण अर्हता स्थापित की है।

निस्सन्देह अनुमानपर इतना अच्छा शोधपूर्ण ग्रन्थ हिन्दी भाषामें सर्वप्रथम लिखा गया है। इसके अध्ययनसे न्यायशास्त्रमें रुचि रखनेवाले प्रत्येक जिज्ञासुका ज्ञान-वर्द्धन होगा। डॉ० कोठिया अपने विषयके मर्मज्ञ एवं प्रतिभासम्पन्न मनीषी हैं, उन्होंने विषयके प्रामाणिक विश्लेषणात्मक अध्ययनके साथ प्रत्येक मान्यताके सम्बन्धमें अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है। उनकी प्रतिक्रिया एक ऐसे विद्वान्की प्रतिक्रिया है, जिसने मूलग्रन्थ, भाष्य और टीकाओंके गम्भीर अध्ययनके साथ सूक्ष्मतम समस्याओंका भी अनुचिन्तन किया है।

विषय-प्रतिपादनकी शैली चित्ताकर्षक और सुबोध है तथा विषयके साथ भाषापर भी अच्छा अधिकार है। तर्कशास्त्रकी गहन और दुरूह सामग्रीको सरल एवं स्पष्टरूपमें प्रस्तुत कर देना इस ग्रन्थका अपना मूल्य है। मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि प्रस्तुत ग्रन्थने न्यायशास्त्रकी श्रीवृद्धि की है। मैं डॉ० कोठियाको हृदयसे वधाई देता हूँ और आशा व्यक्त करता हूँ कि उनकी लेखनीसे इस प्रकारकी समालोचनात्मक महत्त्वपूर्ण तर्कशास्त्र सम्बन्धी अन्य कृतियाँ भी निबद्ध होंगी। हिन्दी भाषा और साहित्यकी यह अभिवृद्धि तकनीकी वाड्मयके निर्माणकी दृष्टिसे विशेष श्लाध्य है।

मरस्वती श्रुतमहतो न हीयताम्

नेमिचन्द्र शास्त्री,

ह० दा० जैन कॉलेज, आरा मगघ विश्वविद्यालय वैशाखी पूर्णिमा, वि०सं० २०२६ एम० ए०, पी-एच० डी०, डी० लिट्० ज्योतिषाचार्य न्याय-काव्यतीर्थ अध्यक्ष—संस्कृत-प्राकृत-विभाग

प्रकाशकीय

प्राक्तनिवद्यामहार्णव, प्रसिद्ध साहित्यकार आचार्य जुगलिकशोर मुस्तार 'युगवीर' द्वारा संस्थापित एवं प्रवित्तित वीर सेवा मन्दिर-ट्रस्टसे मार्च १९६३ में उनके निबन्धोंका प्रथम संग्रह—युगवीर-निबन्धावली प्रथम भाग, दिसम्बर १९६३ में उन्हींके द्वारा सम्पादित-अनूदित तस्वानुशासन, सितम्बर १९६४ में पण्डित हीरालालजी शास्त्री द्वारा अनुवादित तथा मेरे द्वारा सम्पादित एवं लिखी प्रस्तावना सहित समाधिमरणोत्त्साहदीपक, जून १९६७ में मुस्तारसाहबद्वारा अनूदित-सम्पादित और मेरी प्रस्तावना युक्त देवागम (आप्तमीमांसा) और दिसम्बर १९६७ में उनके हो निबन्धोंका द्वितीय संग्रह—युगवीर निबन्धावली द्विताय भाग ये पाँच महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं।

आज उसी टूस्टसे 'जैन तर्कशास्त्रमें अनुमान-विचार: ऐतिहासिक एवं समी-क्षात्मक अध्ययन' नामकी कृति, जो मेरा शोध-प्रबन्ध (thesis) है, 'युगवीर-समन्तभद्र-ग्रन्थमालाके' अन्तर्गत उसके प्रथम ग्रन्थाङ्कके रूपमें प्रकट हो रही है। खेद है कि इसे ट्रस्टसे प्रकाशित करनेकी जिनकी प्रेरणा, योजना और स्वीकृति रही उन ट्रस्ट-संस्थापक श्रद्धेय आ० जुगलिकशोर मुख्तार 'युगवीरका' गत २२ दिस-म्बर १९६८ को निधन हो गया। वे होते तो उन्हें इसके प्रकाशनसे बड़ी प्रस-न्नता होती।

प्रस्तुत सन्दर्भमें इतना ही प्रकट कर देना पर्याप्त होगा कि इसके प्रकाशमें आनेपर जैन अनुमानके विषयमें ही नहीं, अन्य भारतीय दर्शनोंके अनुमान-सम्बन्ध में भी अघ्येताओं को कितनी ही महत्त्वपूर्ण एवं नयी जानकारी प्राप्त होगी। अत एव विश्वास है जिज्ञासु विद्वानों और अनुसन्धित्सु छात्रों द्वारा यह अवश्य समादृत होगी तथा राष्ट्रभाषा हिन्दीके दार्शनिक साहित्य-भण्डारकी अभिवृद्धिमें योगदान करेगी।

१६ अप्रेल १९६९ अक्षयतृतीया, वि० सं० २०२६ वाराणसी

दरबारीलाल जैन कोठिया मंत्रो, वीर सेवा मन्दिर-ट्रस्ट

प्रस्तुत कृति

जैन वाङ्मय इतना विशाल और अगाध है कि उसके अनेक प्रमेय कितने ही विद्वानोंके लिए अज्ञात एवं अपिरिचित हैं और जिनका सूक्ष्म तथा गहरा अध्ययन अपिक्षित है। जीवसिद्धान्त, कर्मवाद, स्याद्वाद, अनेकान्तवाद, नयवाद, निक्षेपवाद, सप्तभाङ्गी, गुणस्थान, मार्गणा, जीवसमास प्रभृति ऐसे महत्त्वपूर्ण विषय हैं जिनकी चर्चा और विवेचन जैन श्रुतमें ही उपलब्ध है। परन्तु यह भारतीय ज्ञानराशिकी बहुमूल्य एवं असामान्य ज्ञान-सम्पदा होने पर भी अध्येताओंका उसके अध्ययन, मनन और शोधकी ओर वहत ही कम ध्यान गया है।

ऐसा ही एक विषय 'जैन तर्कशास्त्रमें अनुमान-विचार' है, जिसपर शोधा-त्मक विमर्श प्रायः नहीं हुआ है। जहाँ तक हमें ज्ञात है, जैन अनुमानपर अभी-तक किसीने शोध-प्रबन्ध उपस्थित नहीं किया। अतएव हमने जनवरी १९६४ में डा० नन्दिकशोर देवराजके परामर्शसे उन्हींके निर्देशनमें उसपर शोध-कार्य करनेका निश्चय किया और काशी हिन्दूविश्वविद्यालयसे उसकी विधिवत् अनुमित प्राप्त की। फलतः तीन वर्ष और तीन माह बाद ६ मई १९६० को उक्त विषयपर अपना शोध-प्रबन्ध विश्वविद्यालयको प्रस्तुत किया, जिसे विश्वविद्यालयने स्वीकृत कर गत ३० मार्च १९६६ को अपने दीक्षान्त-समारोहमें 'डॉक्टर आफ फिलॉसाफ़ां' की उपाधि प्रदान की। प्रसन्नता है कि वही प्रबन्ध प्रस्तुत कृतिके रूपमें मनीिषयोंके समक्ष है।

स्मरणीय है कि इस प्रबन्धमें जैन तर्कशास्त्रमें उपलब्ध अनुमान-विचारका ऐतिहासिक एवं समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत करते समय भारतीय तर्कशास्त्रकी सभी शाखाओं में विहित अनुमान-विचारका भी सर्वेक्षण किया गया है, क्योंकि उनका घनिष्ठ सम्बन्ध है और परस्परमें वे कई विपयों में एक-दूसरेके ऋणी हैं। इससे तुलनात्मक अध्ययन करनेवालोंको एक जगह भारतीय अनुमानकी प्रायः पूरी सामग्री मिल सकेगी।

इसमें पाँच अघ्याय और बारह परिच्छेद हैं। प्रथम अघ्यायमें, जो प्रास्ताविक-रूप है, चार परिच्छेद हैं। प्रथम परिच्छेदमें भारतीय वाङ्मयके आधारसे अनु-मानके प्राचीन मूल रूप और न्याय, वैशेषिक, बौद्ध, मीमांसा, वेदान्त एवं सांख्य दर्शनगत अनुमान-विकासको दिखाया है। द्वितीयमें जैन परम्पराका अनुमान-विकास प्रदर्शित है। तृतीयमें अनुमानका स्वरूप, अनुमानाङ्ग (पक्षधर्मता और व्याप्ति तथा जैन दृष्टिसे केवल व्याप्ति), अनुमानभेद, अनुमानावयव और अनुमानदोष इन सभी अनुमानीय उपादानोंका संक्षिप्त चिन्तन अङ्कित है। चतुर्थ परिच्छेदमें भार-तीय अनुमान और पाश्चात्य तर्कशास्त्रपर दिङ्मात्र तुलनात्मक अध्ययन निबद्ध है। द्वितीय अध्यायमें दो परिच्छेद हैं। प्रथममें जैन प्रमाणवादका विवेचन करते हुए उसमें अनुमानका क्या स्थान है, इसे बतलाकर प्रमाणके प्रत्यक्ष और परोक्ष दो भेदोंकी मीमांसा, परोक्षप्रमाणमें अनुमानका अन्तर्भाव, स्मृति आदि परोक्ष प्रमाणोंका संक्षिप्त विवेचन किया गया है। द्वितीय परिच्छेदमें जैनागमके आलोक-में अनुमानका प्राचीन रूप, अनुमानका महत्त्व एवं अनिवार्यता, जैन दृष्टिसे अनुमान-परिभाषा एवं क्षेत्र-विस्तार इन सवपर प्रकाश डाला गया है।

तृतीय अघ्यायमें भी दो परिच्छेद हैं। पहलेमें अनुमानके विविध भेदोंपर भारतीय दर्शनोंमें किया गया विचार प्रथित है तथा अकलक्क, विद्यानन्द, वादिराज, प्रभाचन्द्र आदि जैन तार्किकोंकी तत्सम्बन्धो मीमांसा एवं विमर्श निबद्ध है। प्रत्यक्षको अमुमानकी तरह परार्थ माननेवाले सिद्धरोन और देवसूरिका मत तथा उसकी समीचा प्रदर्शित है। स्वार्थ और परार्थ अनुमानोंकी मुलकल्पना, उद्गमस्थान एवं पृष्ठभूमि, उनके अङ्ग एवं अवयवोंका चिन्तन भी इसमें अङ्कित है। दितीय परिच्छेदमें व्याप्तिका स्वरूप, उपाधिमीमांसा, उपाधि-विमर्श-प्रयोजन, व्याप्तिस्वरूपके सम्बन्धमें जैन तार्किकोंका नया दृष्टिकोण, व्याप्तिग्रहण-समीक्षा, व्याप्तिग्रहरूपमें एकमात्र तर्कको स्वीकार करनेवाले जैन विचारकोंका अभिनव चिन्तन तथा व्याप्तिभेद (समव्याप्ति-विपमव्याप्ति, अन्वयव्याप्ति-व्यतिरेकव्याप्ति, बहिव्याप्ति, सकलव्याप्ति, अन्तर्वाप्ति, साधम्य-वैत्रम्यंत्र्याप्ति, तथोपपत्ति-अन्यथानु-पपत्ति) इन सबका विमर्श है।

चतुर्थ अध्यायमें दो परिच्छेद हैं। प्रथममें सामान्य तथा व्युत्पन्न और अव्युत्पन्न प्रतिपाद्योंकी अपेक्षासे अवयवोंका विचार, प्रतिज्ञा, हेतु आदि प्रत्येक अवयवका विशिष्ट स्वरूप-चिन्तन और भद्रबाहु प्रतिपादित पंचशुद्धियों सहित दशावयवोंके सम्बन्धमें दिगम्बर और स्वेताम्बर तार्किकोंका विचारभेद विवेचित है। द्वितीयमें हेतु-के विभिन्न दार्शनिकलक्षणों (द्विलक्षण, विलक्षण, चतुर्लक्षण, पंचलक्षण, पड्लक्षण, और सप्तलक्षण) की समीक्षा तथा एकलक्षण (अन्यथानुपपन्नत्व) की जैन मान्य-ताका विमर्श है। परिच्छेदके अन्तमें हेतुके विभिन्न प्रकारों—भेदोंका चिन्तन है।

पञ्चम अध्यायके अन्तर्गत दो परिच्छेद हैं। आद्य परिच्छेदमें समन्तभद्र, सिद्धसेन, अकलञ्क, माणिक्यनित्व, देवसूरि और हेमचन्द्र हारा प्रतिपादित पक्षा-भासादि अनुमानाभासोंका विवेचन है। धर्मभूषण, चारुकीर्ति और यशोविजयने अनुमानदोषोंपर जो चिन्तन किया है वह भी इसमें संक्षेपमें निवद्ध है। माणिक्य-नित्व हारा अभिहित चतुर्विध वालप्रयोगाभास भी इसीमें विवेचित है जो सर्वथा नया है और अन्य भारतीय तर्कग्रन्थोंमें अनुपलब्ध है। दूसरे परिच्छेदमें वैशेषिक, न्याय और बौद्ध परम्पराओंमें चींचत एवं विकसित अनुमानदोषोंका विचार अिक्कृत है, जो तुलनात्मक अध्ययनकी दृष्टिसे उपादेय एवं ज्ञातव्य है।

१० : जैन तर्कशास्त्रमें अनुमान-विचार

उपसंहारमें जैन अनुमानकी कतिपय उपलब्धियोंका निर्देश है जो जैन तार्कि-कोंके स्वतन्त्र चिन्तनका फल कही जा सकती हैं।

ऊपर कहा गया है कि यह शोध-प्रबन्ध माननीय डा. नन्दिकशोर देवराज एम. ए., डी. फिल., डी. लिट्., अध्यक्ष दर्शन-विभाग तथा निर्देशक उच्चानुशीलन दर्शन-संस्थान और डीन आर्टस् फैकल्टी काशी हिन्दू विश्वविद्यालयके निर्देशनमें तैयार किया। डा. देवराजसे समय-समयपर वहुमूल्य निर्देशन और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। सम्प्रति उन्होंने प्राक्कथन भी लिख देनेकी कृपा की है। इसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ।

सुहृदर डा. नेमिचन्द्र शास्त्री एम. ए. (संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी), पी-एच. डी., डी. लिट्., ज्योतिपाचार्य, अध्यक्ष प्राकृत-संस्कृत विभाग जैन कालेज आराको नहीं भूल सकता, जिन्होंने निरन्तर प्रेरणा, परामर्थ और प्रवर्त्तन तो किया ही है अपना पुरोवाक् भी लिखा है। वे मुझे अग्रज मानते हैं, पर विशिष्ट और बहुमुखी मेधाकी अपेक्षा मैं उन्हें ज्ञानाग्रजके रूपमें देखता व मानता हूँ। अतएव मैं उन्हें घन्यवाद दूँ तो उचित ही है।

जिन साहित्य-तपस्वी श्रद्धेय आ० जुगलिकशोर मुख्तारने सत्तर वर्ष तक निर-न्तर साहित्य-साधना और समाज-सेवा की तथा साधना और सेवाका कभी प्रतिदान या पुरस्कार नहीं चाहा, आज उनका अभाव अखर रहा है। आशा है इस प्रवन्ध-कृतिसे, जिसे मैंने उनके ६२ वें जन्मदिनपर उन्हें एक मुद्रित फर्मा द्वारा समर्पण किया था और जिसका प्रकाशन उनकी सदिच्छानुसार उन्हींके ट्रस्टसे हो रहा है, उनकी उस सदिच्छाकी अवश्य पूर्णता होगी। मेरा उन्हें परोक्ष नमन है।

स्याद्वाद महाविद्यालय वाराणीके अकलंक सरस्वतीभवनसे शतशः ग्रन्थोंका उपयोग किया और जिन्हें अधिक काल तक अपने पास रखा। काशी हिन्दू विश्वविद्यालयके गायकवाड़ ग्रन्थागार, जैन सिद्धान्त भवन आरा और पार्श्वनाथ जैन विद्याश्रम वाराणसीसे भी कुछ ग्रन्थ प्राप्त हुए। हमारे कालेजके सहयोगी प्राध्याप्त मित्रवर डा. गजानन मुशलगांवकरने मीमांसादर्शनके और श्री मूलशंकर व्यासने वेदान्तके दुर्लभ ग्रन्थ देकर सहायता की। अनेक ग्रन्थकारों और ग्रन्थ-सम्पादकोंके ग्रन्थोंसे उद्धरण लिए। प्रिय धर्मचन्द्र जैन एम. ए. ने विषय-सूची और परिशिष्ट बनाये। इन सबका हृदयसे धन्यवाद करता हूँ। साथ ही अपनी गृहिणी सौ० चमेलीबाई 'हिन्दीरत्न' को भी उसकी सतत प्रेरणा, सहायता, परिचर्या और अनुरूप सुबिधा प्रदानके लिए धन्यवाद है।

अन्तमें महावीर प्रेसके संचालक श्री बाबूलालजी फागुल्लको भी धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता, जिन्होंने ग्रन्थका सुन्दर मुद्रण किया और मुद्रण-सम्बन्धी परामर्श दिये। —दरबारीलाल कोठिया

विषय-सूची

प्रथम-अध्याय

त्रयम-अष्याय	
प्रास्ताविक	
प्रथम परिच्छेद	१—२३
भारतीय वाङ्मय और अनुमान	8
अनुमानका विकास-क्रम	6
(क) न्याय-परम्परामें अनुमान-विकास	C
(ख) वैशेषिक-परम्परामें अनुमानका विकास	१७
(ग) बौद्ध-परम्परामें अनुमानका विकास	१९
(घ) मीमांसक-परम्परामें अनुमानका विकास	२२
(ङ) वेदान्त और सांख्य-परम्परामें अनुमान-विकास	२२
द्वितीय परिच्छेद	२३- ३२
जैन परम्परामें अनुमान-विकास	२२
(क) पट्खण्डागममें हेतुवादका उल्लेख	२३
(ख) स्थानाङ्गसूत्रमें हेतु-निरूपण	२३
(ग) भगवतीसूत्रमें अनुमानका निर्देश	२५
(घ) अनुयोगसूत्रमें अनुमान-निरूपण	२५
१—अनुमान भेद	२५
१. पुन्ववं	२५
२. सेसवं	२५
३. दिट्टसाहम्मवं	२५
१पुन्ववं	२५
२—सेसवं	२५
(१) कार्यानुमान	२६
(२) कारणा नुमान	२६
(३) गुणानुमान	२६
(४) अवयवानुमान	२६
(५) आश्रयी-अनुमान	२७
३—-द्विट्टसाहम्मवं	
(१) सामन्नदिट्ठ	२७
(२) विसेसदिट्ट	२७

१२ : जैन तर्कशास्त्रमें अनुमान-विचार

१र : जन तकशास्त्रम जेशुमान-१५ पार		
२—कालभेदसे अनुमानका त्रैविध्य	२७	
१. अतीतकालग्रहण	२७	
२. प्रत्युत्पन्नकालग्रहण	२८	
३. अनागतकालग्रहण	२८	
(ङ) अवयव-चर्चा	२ ६	
(च) अनुमानका मूल रूप	₹ •	
(छ) अनुमानका तार्किक-विकास	३ १	
तृतीय परिच्छेद	३३-५२	
संक्षिप्त अनुमान-विवेचन	३३	
अनुमानका स्वरूप	३३	
अनुमानके अंग	₹ <i>&</i>	
(क) पक्षधर्मता	३५	
(ख) व्याप्ति	३७	
अनुमानभेद	४१	
अनुमानावयव	४४	
अ नु मानदोष	85	
चतुर्थ परिच्छेद	५३–५७	
भारतीय अनुमान और पाश्चात्य तर्कशास्त्र	५३	
अन्वयविधि	५३	
संयुक्त अन्वय-व्यतिरेकविधि	५४	
व्यतिरेकविधि	५४	
सहचारी वैविघ्यविधि	४५	
अवशेषविधि	५ ,६	
द्वितीय अध्याय		
प्रथम परिच्छेद	42-64	
जैन प्रमाणवाद और उसमें अनुमानका स्थान	46	
(क) तत्त्व	 ሂሪ	
(ख) प्रमाणका प्रयोजन	५९	
(ग) अन्य तार्किकों द्वारा अभिहित प्रमाणका स्वरूप	६०	
(घ) जैन चिन्तकों द्वारा प्रमाणका स्वरूप-विमर्श	६२	

विषय-सूची : १३

समन्तभद्र और सिद्धसेन	६२	
पूज्यपाद	६३	
अकल <i>ङ्क</i>	६५	
विद्यानन्द	६६	
माणिक्यनन्दि	६७	
देवसूरि	६७	
हेमचन्द्र	६७	
धर्मभूषण	६८	
निष्कर्ष	६८	
(घ) प्रमाण-भेद	६९	
(ङ) जैनन्यायमें प्रमाण-भेद	७०	
(च) परोक्ष-प्रमाणका दिग्दर्शन	७४	
द्वितीय परिच्छेद	७६–१०७	
अनुमान-समीक्षा	७६	
(क) अनुमानका मूल रूप : जैनागमके आलोकमें	७६	
(ख) अनुमानका महत्त्व एवं आवश्यकता	८५	
(ग) अनुमानको परिभाषा	63	
(घ) अनुमानका क्षेत्रविस्तार : अर्थापित्त और अभावका अ न	तर्भाव ६८	
अर्थापत्ति और अभाव अनुमानसे पृथक् नहीं हैं	१०१	
सम्भवका अनुमानमें अन्तर्भाव	१०४	
प्रातिभका अनुमानमें समावेश	१०५	
ततीय अध्याय		

तृतीय अध्याय

प्रथम परिच्छेद	१०८– १ २९
अनुमानभेद-विमर्श	१०८
वै शेषिक	१०८
मीमांसा	१*९
न्याय	१०९
सांख्य	१११
बौद्ध	११ २
जैन तार्किकों द्वारा अनुमानभेद-समीक्षा	११२
(क) अकलङ्कोक्त अनुमानभेद-समीक्षा	११३
(ख) विद्यानन्दकृत अनुमानभेद-मीमांसा	११५

१४: जैन तर्कशास्त्रमें अनुमान-विचार

(ग) वादिराज द्वारा अभिहित अनुमानभेद-समीक्षण	११७
(घ) प्रभाचन्द्र प्रतिपादित अनुमानभेद-आलोचना	११८
अनुमानभेद-समीक्षाका उपसंहार	११E
अपुनागम्बन्दनायाया उपसहार स्वार्थ और परार्थ	११९
वादिराजकृत मुख्य और गौण अनुमानभेद ११-१२	१२१
प्रत्यक्ष परार्थ है : सिद्धसेन और देवसूरिका मत : उसकी मीमांसा	१२४
स्वार्थानुमानके अङ्ग	१२६
धर्मोकी प्रसिद्धता	१२६
परार्थानुमानके अङ्ग और अवयव	१२९
द्वितीय परिच्छेद	१३०-१५८
व्याप्ति-विमर्श	१३०
(क) व्याप्तिस्वरूप	१३०
ृ (ख) उपाधि	१३२
(ग) उपाधिनिरूपणका प्रयोजन	१ ३३
(घ) जैन दृष्टिकोण	१३५
(ङ) व्याप्ति-ग्रहण	१३७
(१) बौद्ध व्याप्ति-प्रहण	१३८
(२) वेदान्त व्याप्ति-स्थापना	१३९
(३) सांख्य व्याप्ति-ग्रहण	१४०
(४) मीमांसा व्याप्ति-ग्रह	१४०
(५) वैशेषिक व्याप्ति-ग्रह	१४१
(६) न्याय व्याप्ति-ग्रह	१४२
(च) जैन विचारकोंका मत : तर्क द्वारा व्याप्तिग्रहण	१४६
निष्कर्ष	१५३
(छ) व्याप्ति-भेद	१५५
समव्याप्ति-विषमब्याप्ति	१५५
अन्वयव्याप्ति-व्यतिरेकव्याप्ति	१५५
साघर्म्यव्याप्ति-वैधर्म्यव्याप्ति	१५६
तथोपपत्ति-अन्यथानुपत्ति	१५६
बहिर्ग्याप्ति, सकलन्याप्ति, अन्तर्ग्याप्ति	१५७
चतुर्थ-अध्याय	-
प्रथम परिच्छेद	१५९-१८८
अययव-विमर्श	१५९
	• • •

विषय-सूची : १५

अवयर्वो का विकासक्रम	१५९
प्रतिपाद्योंकी दृष्टिसे अवयवप्रयोग	१६३
तुलना त्मक अवयव-विचार	१६६
🕻 १) प्रतिज्ञा	१६९
(२) हेतु	१७३
(३) दृष्टान्त	१ ७६
(४) उपनय	१८१
(५)निगमन	१८३
(६-१०) पंच शुद्धियाँ	१८६
द्वितीय परिच्छेद	१८९-२२५
हेतु-विमर्श	१८९
१ —हेतुस्वरूप	१८९
दिलक्षण	१९०
त्रिलक्षण	१९०
चतुर्लक्षण	१९२
पंचलक्षण	१९२
पड्लक्षण	१९३
सप्तलक्षण	१९४
जैन तार्किकों द्वारा स्वीकृत हेतुका एकलक्षण : अन्य—	
लक्षणसमीक्षा—	१९४
२—हेतु-भेद	२०४
हेतुभेदोंका सर्वेक्षण	२०४
जैन परम्परामं हेतुभेद	२०६
स्थानांगसूत्रनिर्दिष्ट हेतुभेद	२०७
अकलङ्कप्रतिपादित हेतुभेद	२०८
विद्यानन्दोक्त हेतुभेद	२११
(१) विधिसाधक विधिसाधन (भूत-भूत) हेतु	२१ २
(१) कार्य	282
(२) कारण	२१ २
(३) अकार्यकारण	२१२
१. व्याप्य	२१२
२. सहचर	२१२
३. पूर्वेचर	२१२
४. उत्तरचर	२१२

१६: जैन तकशास्त्रमें अनुमान-विचार

(२) प्रतिषेघसाघक विधिसाघन (अभूत-भूत)	२१२
(क) साक्षात्हेतु	२१२
(१) विरुद्धकार्य	२१३
(२) विरुद्धकारण	२१३
(३) विरुद्धाकार्यकारण	२१३
१. विरुद्धव्याप्य	२१३
२. विरुद्धसहचर	२१३
३. विरुद्धपूर्वचर	२१३
४. विरुद्धउत्तरचर	२१३
(ख) परग्पराहेतु	२१३
(१) कारणविरुद्धकार्य	२१४
(२) व्यापकविरुद्धकार्य	२१४
(३) कारणव्यापकविरुद्धकार्य	२१४
(४) व्यापककारणविरुद्धकार्य	२१४
(५) कारणविरुद्धकारण	२१४
(६) व्यापकविरुद्धकारण	२१४
(७) कारणव्यापकविरुद्धकारण	२१४
(८) व्यापककारणविरुद्धकारण	२१४
(९) कारणविरुद्धव्याप्य	२१४
(१०) व्यापकविरुद्धव्याप्य	२१५
(११) कारणव्यापकविरुद्धव्याप्य	२१५
(१२) व्यापककारणविरुद्धव्याप्य	२१५
(१३) कारणविरुद्धसहचर	२१५
(१४) व्यापकविरुद्धसहचर	२१५
(१५) कारणव्यापकविरुद्धसहचर	२१५
(१६) व्यापककारणविरुद्धसहचर	२१५
(३) विधिसाधक प्रतिषेधसाधन (भूत-अभूत)	२१६
१. विरुद्धकार्यानुपलिब्ध	२१६
२. विरुद्धकारणानुपलब्धि	२१६
३. विरुद्धस्वभावानु पलब्धि	२१६
४. विरुद्धसहचरानुपलब्धि	२१६
(४) विधिप्रतिषेधक प्रतिषेधसाधन (अभूत-अभूत)	२१७
(१) अविरुद्धकार्यानुपलब्धि	२१७
, . /	• •

विषय-सूची : १७

(२) अविरुद्धकारणानुपलब्धि	२१७
(३) अविरुद्धव्यापकानुपलन्धि	२१७
(४) अविरुद्धसहचरानुपलिब्ध	२१७
(५) अविरुद्धपूर्वचरानुपलब्धि	२१७
(६) अविरुद्धउत्तरचरानुपलब्धि	२१७

पंचम अध्याय

प्रथम परिच्छेद	२२६-२४६
जैन परम्परामें अनुमानाभास-विमर्श	२२६
समन्तभद्रद्वारा निर्दिष्ट अनुमानदोष	२ २६
सिद्धसेननिरूपित अनुमानाभास	२२७
अकलङ्कीय अनुमानदोपनिरूपण	२२८
१. साघ्याभास	२२९
२. साधनाभास	२३०
(१) असिद्ध	२३३
(२) विरुद्ध	२३३
(३) सन्दिग्ध	२३४
(४) अकिञ्चित्कर	२३४
३. दृष्टान्ताभास	२३४
(१) साधर्म्यदृष्टान्ताभ।स	२३५
(१) साघ्यविकल	२३५
(२) साधनविकल	२३५
(३) उभयविकल	२३५
(४) सन्दिग्धसाध्या <mark>न्व</mark> य	२३५
(५) सन्दिग्धसाधनान्वय	२३५
(६) सन्दिग्घोभयान्वय	२३६
(७) अनन्वय	२३६
(८) अप्रदर्शितान्वय	२३६
(९) विपरीतान्वय	२३६
(२) वैधर्म्यदृष्टान्ताभास	२३६
(१) साध्याच्यावृत्त	२३६
(२) साधनाव्यावृत्त	२३६

१८ : जैन तर्कशास्त्रमें अनुमान-विचार

(३) उभयाव्यावृत्त	२३६
(४) संदिग्धसाध्यव्यतिरेक	२३६
(५) संदिग्धसाधनव्यतिरेक	२३६
(६) संदिग्घोभयव्यतिरेक	२३७
(७) अव्यतिरेक	२३७
(८) अप्रदर्शितव्यतिरेक	२३७
(९) विपरीतव्यतिरेक	२३७
माणिक्यनन्दिद्वारा अनुमानाभास-प्रतिपादन	२ ३७
(१) त्रिविघ पक्षाभास	२३८
१. बाघित	२३८
२. अनिष्ट	२ ३८
३. सिद्धवाधित	२३८
(१) प्रत्यक्षबाघित	२३८
(२) अनुमानबाधित	२ ३८
(३) आगगबाधित	२३९
(४) लोकबाधित	२३९
(५) स्ववचनवाधित	२३९
(२) चतुर्विघ हेत्वाभास	२४०
(३) द्विविध दृष्टान्ताभास	२४०
(१) अन्वयदृष्टान्ताभास	२४०
(२) व्यतिरेकदृष्टान्ताभास	२४०
(४) चर्तुर्विध बालप्रयोगाभास	२४०
(१) द्वि-अवयवप्रयोगाभास	२४१
(२) त्रि-अवयवप्रयोगाभास	२४१
(३) चतुरवयवप्रयोगाभास	२४१
(४) विपरीतावयवप्रयोगाभास	२४१
देवसूरि-प्रतिपादित अनुमानाभास	२४२
हेमचन्द्रोक्त अनुमानाभास	२४४
अन्य जैन तार्किकोंका मन्तव्य	२४४
(१) धर्मभूषण	२४४
(२) चारुकीर्त्ति	२४५
(३) यशोविजय	२४६

विषय-सूची : १९

द्वितीय परिच्खेद	<i>२४७–</i> २५४
इतरपरम्पराओंमें अनुमानाभास-विमर्श	ই ४७
वै शेषिकपरम्परा	२४७
न्यायपरम्परा	२४८
बौद्धपरम्परा	२५०
उपसंहार	२५५-२६३
अनुमानका परोक्ष प्रमाणमें अन्तर्भाव	२५७
अर्थापत्ति अनुमानसे पृथक् नहीं	२५७
अनुमानका विशिष्ट स्वरूप	२५६
हेतुका एकलच्चण (अन्यथानुपपन्नत्व) स्वरूप	२५९
अनुमानका अंग एकमात्र व्याप्ति	२५९
पूर्वचर, उत्तरचर और सहचर हेतुओंकी परिकल्पना	२५९
प्रतिपाद्योंकी अपेचा अनुमानप्रयोग	२६०
व्याप्तिका ग्राहक एकमात्र तर्क	२५०
तथोपपत्ति और अन्यथानुपपत्ति	२६१
साध्याभास	२६१
अकिञ्चित्कर हेत्वाभास	२६१
बालप्रयोगाभास	२६२
अनुमानमें अभिनिबोष-मतिज्ञानरूपता और श्रुतरूपता	२६२



जैन तर्कशास्त्रमें ग्रनुमान-विचार :
ऐतिहासिक एवं समीक्षात्मक
ग्रध्ययन

प्रथम परिच्छेद प्रास्ताविक

मारतीय वाङ्मय और अनुमान

भारतीय तर्कशास्त्रमें अनुमानका महत्त्वपूर्ण स्थान है। चार्वाक (लोका-यत) दर्शनके अतिरिक्त शेष सभी भारतीय दर्शनोंने अनुमानको प्रमाणरूपमें स्वीकार किया है और उसे परोक्ष पदार्थोंकी व्यवस्था एवं तत्त्वज्ञानका अन्यतम साधन माना है।

विचारणीय है कि भारतीय वाङ्मयके तर्कग्रन्थों भे सर्वाधिक विवेचित एवं प्रतिपादित इस महत्त्वपूर्ण और अधिक उपयोगी प्रमाणका संब्यवहार कबसे आरम्भ हुआ ? दूसरे, ज्ञात सुदूरकालमें उसे अनुमान ही कहा जाता था या किसी अन्य नामसे वह व्यवहृत होता था ? जहाँ तक हमारा अध्ययन है भारतीय वाङ्मयके निबद्धरूपमें उपलब्ध ऋग्वेद आदि संहिता-ग्रन्थों मे अनुमान या उसका पर्याय शब्द उपलब्ध नहीं होता । हाँ, उपनिपद्-साहित्यमें एक शब्द ऐसा अवश्य आता है जिसे अनुमानका पूर्व संस्करण कहा जा सकता है और वह शब्द है 'वाकोवाक्यम्' । छान्दोग्योपनिषद्के इस शब्दके अतिरिक्त ब्रह्मबिन्दूपनिषद्-

१. गौतम अक्षपाद, न्यायस्० १।१।३; भारतीय निवा प्रकाशन, नाराणसी ।

२. ऋग्वेदं भगवोऽध्येमिः वाकोवाक्यमेकायनं ः अध्येमि । ---छान्दो० ७।१।२; निर्णयसागर प्रेस बम्बई; सन् १९३२ ।

२ : जैन तकशास्त्रमें अनुमान-विचार

में अनुमानके अङ्ग हेतु और दृष्टान्त तथा मैत्रायणी-उपनिषदमें अनुमानसूचक 'अनुमायते' क्रियाशब्द मिलते हैं। इसी तरह सुबालोपनिषद्में 'न्याय' शब्दका निर्देश है। इन उल्लेखोंके अध्ययनसे हम यह तथ्य निकाल सकते हैं कि उपनिषद् कालमें अध्यात्म-विवेचनके लिये क्रमशः अनुमानका स्वरूप उपस्थित होने लगा था।

शाङ्कर-भाष्यमें 'वाकोवाक्यम्'का अर्थ 'तर्कशास्त्र' दिया है। डा॰ भगवान-दासने भाष्यके इस अर्थको अपनाते हुए उसका तर्कशास्त्र, उत्तर-प्रत्युत्तरशास्त्र, युक्ति-प्रतियुक्तिशास्त्र व्याख्यान किया है। इन (अर्थ और व्याख्यान)के आधारपर अनुभवगम्य अध्यात्मज्ञानको अभिव्यक्त करनेके लिए छान्दोग्योयनिषद्में व्यवहृत 'वाकोवाक्यम्'को तर्कशास्त्रका वोधक मान लेनेमें कोई विप्रतिपत्ति नहीं है। ज्ञानोत्पत्तिकी प्रक्रियाका अध्ययन करनेसे अवगत होता है कि आदिम मानवको अपने प्रत्यक्ष (अनुभव) ज्ञानके अविसंवादित्वकी सिद्धि अथवा उसकी सम्पृष्टिके लिए किसी तर्क, हेतु या युक्तिकी आवश्यकता पड़ी होगी।

प्राचीन बौद्ध पाली-प्रन्थ ब्रह्मजालमुक्तमें तर्की और तर्क शब्द प्रयुक्त हुए हैं, जो कमशः तर्कशास्त्री तथा तर्कविद्याके अर्थमें आये हैं। यद्यपि यहाँ तर्कका अध्ययन आत्मज्ञानके लिए अनुपयोगे बताया गया है, किन्तु तर्क और तर्की शब्दोंका प्रयोग यहाँ क्रमशः कुतर्क (वितण्डावाद या व्यर्थके विवाद) और कुतर्की (वितण्डावादी) के अर्थमें हुआ ज्ञात होता है। अथवा ब्रह्मजालमुक्तका उक्त कथन उस युगका प्रदर्शक है, जब तर्कका दुरुपयोग होने लगा था। और इसीसे सम्भवतः ब्रह्मजालमुक्तकारको आत्मज्ञानके लिए तर्कविद्याके अध्ययनका निषेध करना पड़ा। जो हो, इतना तो उससे स्पष्ट है कि उसमें तर्क और तर्की शब्द प्रयुक्त हैं और

- १. 'हेत्दृष्टान्तवजितम्'।
 - —ब्रह्मबिन्दू० व्ह क ६; निर्णयसागर प्रेस बम्बई; १९३२।
- २. ' वहरात्मा गत्यन्तरात्मनानुमोयते । ।
 - --मैत्रायणी० ५।१; निर्णयसागर प्रस बम्बई, १६३२।
- ३ 'शिक्षा कल्पो...न्याया मोमांसा...।
 - —सुबालापानप० खण्ड २; प्रकाशन स्थान व समय वही।
- ४. वाकोवाक्यं तकशास्त्रम्।
 - —आ० शङ्कर, छान्दोग्यो० भाष्य ७११२, गीतामेस गोरखपुर ।
- ५. हा. भगवानदास, दर्शनका प्रयोजन पृ. १।
- ६. 'इथ, ।भक्खवे, एकच्चो समणो वा ब्राह्मणो वा तक्को होति वीमंसी । सो तक्कपरियाहतं वोमंसानुचरितं ''।
 - 🛶 राथ देविह (सम्पादक), ब्रह्मजालसु० १।३२।

भारतीय वाङ्मय और अनुमान : ३

तर्कविद्याका अध्ययन आत्मज्ञान के लिए न सही, वस्तु-व्यवस्थाके लिए आव-इयक था।

न्यायसूत्र³ और उसकी व्याख्याओं मं³ तर्क और अनुमानमें यद्यपि भेद किया है—तर्कको अनुमान नहीं, अनुमानका अनुप्राहक कहा है। पर यह।भेद बहुत उत्तरकालीन है। किसो समय हेतु, तर्क, न्याय और अन्वोक्षा ये सभी अनुमानार्थक माने जाते थे। उद्योतकरके उल्लेखसे यह स्पष्ट जान पड़ता है। न्यायकोशकारने क् तर्कशब्दके अनेक अर्थ प्रस्तुत किये हैं। उनमें आन्वीक्षिको विद्या और अनुमान अर्थ भी दिया है।

बाल्मीकि रामायणमें अान्वीक्षिकी शब्दका प्रयोग है जो हेतुविद्या या तर्कशास्त्रके अर्थमें हुआ है। यहाँ उन लोगोंको 'अनर्थकुशल', 'बाल', 'पण्डित-मानी' और 'दुर्बुध' कहा है जो प्रमुख धर्मशास्त्रोंके होते हुए भी व्यर्थ आन्वीक्षिकी विद्याका सहारा लेकर कथन करते या उसकी पुष्टि करते हैं।

महाभारतमें आन्वीक्षिकीके अतिरिक्त हेतु, हेतुक, तर्कविद्या जैसे शब्दोंका भी प्रयोग पाया जाता है। तर्कविद्याको तो आन्वीक्षिकीका पर्याय ही बतलाया है। एक स्थानपर याज्ञवल्क्यने विश्वावसुके प्रश्नोंका उत्तर आन्वीक्षिकीके माध्यमसे दिया और उसे परा (उच्च विद्या कहा है। दूसरे स्थलपर याज्ञवल्क्य राजिष जनकको आन्वीक्षिकीका उपदेग देते हुए उसे चतुर्थी विद्या तथा मोक्षके लिए त्रयी, वार्ता और दण्डनीति तीनों विद्याओंसे अधिक उपयोगी बतलाते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य जगह शास्त्रश्रवणके अनिधकारियोंके लिए हेतुदुष्ट शब्द आया है, जो असत्य हेतु प्रयोग करनेवालोंके ग्रहणका बोधक प्रतीत होता है। ध्यातच्य है कि जो व्यर्थ तर्कविद्या (आन्वीक्षिकी) पर अनुरक्त हैं उन्हें महाभारतकारने पर

१. अक्षपाट गीतम, न्यायस्० १।१।३,१।१।४० ।

२. वात्स्यायनः न्यायभाष्य १।१।३, १।१।४०; उद्योतकर, न्यायत्रा. १।१।३, १।१।४० ।

३. अपरे त्वनुमानं तर्क इत्याहुः । हेतुस्तकां न्यायाऽन्वाक्षा दत्यनुमानमाख्यायत इति । — उद्योतकर, न्यायत्रा, १।१।४०; त्वौत्यन्या विद्याभवन, सन् १९१६ ।

४. भामाचार्य (सम्पादक), न्यायकेश. 'तर्क' शब्द, पृ० ३२१, प्राच्यविद्यासंशोधन मन्द्रिर, बम्बई, सन् १६२८।

ष. बाल्मीकि, रामायण अयो० का. १००।३८,३९, गीतांप्रस गोरखपुर, वि. सं. २०१७।

६. व्यास, महाभारत शान्तिपर्व २१०।२२; १८०।४७; गीताप्रेस गोरखपुर, वि. सं. २०१७।

७. वहीं, शा० प० ३१८।३४ ।

८. वही, शा० प० ३१८।३५।

वही, अनुशा० प० १३४।१७ त

१०. वही, शा० प० १८०।४७ ।

ध : जैन तर्कशास्त्रमें अनुमान-विचार

वाल्मीकि रामायणकी तरह पण्डितक, हेतुक और वेदनिन्दक कहकर उनकी भर्त्स्यना भी की है। तात्पर्य यह कि तर्कविद्याके सदुपयोग और दुरुपयोगकी ओर उन्होंने संकेत किया है। एक अन्य प्रकरणमें नारदको पंचावयवयुक्त वाक्यके गुणदोषोंका वेत्ता और 'अनुमानविभागबित्' बतलाया है। इन समस्त उल्लेखोंसे अवगत होता है कि महाभारतमें अनुमानके उपादानों और उसके व्यवहारकी चर्चा है।

आन्वीक्षिकी शब्द अनुमानका बोधक है। इसका यौगिक अर्थ है अनु—
पश्चात् + ईक्षा— देखना अर्थात् फिर जाँच करना। वात्स्यायनके अनुसार
प्रत्यक्ष और आगमसे देखे-जाने पदार्थको विशेष रूपसे जाननेका नाम 'अन्वीक्षा'
है और यह अन्वीक्षा ही अनुमान है। अन्वीक्षापूर्वक प्रवृत्ति करनेवाली विद्या
आन्वीक्षिको—न्यायविद्या—न्यायशास्त्र है। तात्वर्य यह कि जिस शास्त्रमें वस्तुसिद्धिके लिए अनुमानका विशेष व्यवहार होता है उसे वात्स्यायनने अनुमानशास्त्र,
न्यायशास्त्र, न्यायविद्या और आन्वोधिको बतलाया है। इस प्रकार आन्वोक्षिकी
न्यायशास्त्रको संज्ञाको घारण करती हुई अनुमानके रूपको प्राप्त हुई है। डा॰
सतीशचन्द्र विद्याभूषणने अनविक्षिकीमें आत्मा और हेतु दोनों विद्याओंका
समावेश किया है। अनका मत है कि सांख्य, योग और लौकायत आत्माके
अस्तित्वकी सिद्धि और असिद्धिमें प्राचीन कालसे ही हेतुवाद या आन्वीक्षिकीका
व्यवहार करते आ रहे हैं।

कौटिल्यके अर्थशास्त्रमें ४ आन्वीक्षिकीके समर्थनमें कहा गया हैं कि विभिन्न युक्तियों द्वारा विषयोंका बलाबल इसी विद्याके आश्रयसे ज्ञात होता है। यह

१. व्यास, महाभा० सभा पर्व ५,५,=।

२. प्रत्यक्षागमाध्रितमनुमानं साडन्योक्षा । प्रत्यक्षागमाभ्यामीक्षितस्यान्बोक्षणमन्बोक्षा । तया प्रवर्तत इत्यान्बीक्षिको न्यायविद्या न्यायशास्त्रम् । — बात्स्यायन्, न्यायमा० १।१।१; पृ० ७ ।

^{3.} Ānvīksikī deald in fact with two subjects, viz Ātmā, Soul, and Hetu, theory of reasons Vātsyāyana obscrves that Ānvīksikī without the theory of reasons would have like the upanisad been a mere Ātma-vidyā or Adhyātma-vidyā. It is the theory of reasons which distinguished it from the same the Sāmkhya, yoga & Lokāyata, in so far as they treated of reasons affirming of denying the existence of Soul, were included by Kovtilya in the Ānvīksikī.

[—]A History of Indian Logice, Calcutta University 1921, page 5.

४. कौटिल्य, अर्थज्ञास्त्र विद्यासमुद्देश १।१, ५०१०, ११।

लोकका उपकार करती है, दुःख-सुखमें बुद्धिको स्थैर्य प्रदान करती है, प्रज्ञा, वचन और क्रियामें कुशलता लाती है। जिस प्रकार दीपक समस्त पदार्थोंका प्रकाशक है उसी प्रकार यह विद्या भी सब विद्याओं, समस्त कार्यों और समस्त धर्मोंकी प्रकाशिका है। कौटिल्यके इस विवेचन और उपर्युक्त वर्णनसे आन्वी-क्षिकी विद्याको अनुमानका पूर्वरूप कहा जा सकता है।

मनुस्मृतिमे व जहाँ तर्क और तर्की शब्दोंका प्रयोग मिलता है वहाँ हेतुक, आन्वोक्षिकी और हेतुशास्त्र शब्द भी उपलब्ध होते हैं। एक स्थानपर तो धर्मत्तत्त्वके जिज्ञासुके लिए प्रत्यक्ष और विविध आगमरूप शास्त्रके अतिरिक्त अनुमानको भी जाननेका स्पष्ट निर्देश किया है। इससे प्रतीत होता है कि मनुस्मृतिकारके समयमें हेतुशास्त्र और आन्वोक्षिकी शब्दोंके साथ अनुमान शब्द भी व्यवहृत होने लगा था और उसे असिद्ध या विवादापन्न वस्तुओंकी सिद्धिके लिए उपयोगी माना जाता था।

षट्खण्डागममें ''हेतुवाद', स्थानाङ्गसूत्रमें ''हेतुं, भगवतीसूत्रमें 'अनुमान' और अनुयोगसूत्रमें अनुमानके भेद-प्रभेदोंकी चर्चा समाहित है। अतः जैनागमोंमें भी अनुमानका पूर्वरूप और अनुमान प्रतिपादित हैं।

इस प्रकार भारतीय वाङ्मयके अनुशीलनसे अवगत होता है कि भारतीय तर्कशास्त्र आरम्भमें 'वाकोवाक्यमृ', उसके पश्चात् आन्वीक्षिकी, हेनुशास्त्र, तर्क-विद्या और न्यायशास्त्र या प्रमाणशास्त्रके रूपोंमें व्यवहृत हुआ। उत्तरकालमें प्रमाणमीमांसाका विकास होनेपर हेनुविद्यापर अधिक बल दिया गया। फलतः आन्वीक्षिकीमें अर्थसंकोच होकर वह हेनुपूर्वक होनेवाले अनुमानकी बोधक हो गयी। अतः 'वाकोवाक्यम्' आन्वीक्षिकोका और आन्वीक्षिकी अनुमानका प्राचीन मूल रूप ज्ञात होता हैं।

- १. विशेषके लिए देखिए, बा॰ सतीशचन्द्र विद्याभूषण, ए हिस्टरी आफ इण्डियन लॉजिक पु॰ ४०।
- २. मनुस्मृति १२।१०६, १२।१११, ७।४३, २।११; चोखम्बा सं० सी० वाराणसी।
- इ. प्रत्यक्षं चानुमानं च शास्त्रं च विविधागमम् ।त्रयं सुविदितं कार्यं धर्मशुद्धिमभोष्मता ॥
 - —बही, १२।१०५।
- ४. भूतबळी-पुष्पदन्त, षट्ख० ५।५।५१, सोलापुर संस्करण, सन् १६६५ ई० ।
- ५. मुनि कन्हैयालाल; स्था० सू० पृ० ३०९, ३१०; व्यावर संस्करण, वि० सं० २०१०।
- ६. मुनि कन्हैयालालः, भ० सू० ५।३।१६१-६२; धनपतसिंह कलकत्ता ।
- ७. मुनि कन्हैयालाल, अनु० सू० मूलसुत्ताणि, पृ० ५३९; व्यावर संस्करण, वि० सं० २०१०।

त्रमुमानका विकास-क्रम

अनुमानका विकास निबद्धरूपमें अक्षपादके न्यायसूत्रसे आरम्भ होता है। न्यायसूत्रके व्याख्याकारों-वात्स्यायन, उद्योतकर, वाचस्पति, जयन्त भट्ट, उदयन, श्रीकण्ठ, गंगेश, वर्द्धमानउपाथ्याय, विश्वनाथ प्रभृति—ने अनुमानके स्वरूप, आधार, भेदोपभेद, व्याप्ति, पक्षधर्मता, व्याप्तिग्रहण, अवयव आदिका विस्तारपर्वक विवेचन किया है। इसके विकासमें प्रशस्तपाद, माठर, कुमारिल जैसे वैदिक दार्शनिकोंके अतिरिक्त वसुबन्धु, दिड्नाग, धर्मकीर्ति, धर्मोत्तर, प्रज्ञाकर, शान्तरक्षित, अर्चट आदि बौद्ध नैयायिकों तथा समन्तभद्र, सिद्धसेन, पात्रल्वामी, अकलंक, विद्यानन्द, माणिक्यनन्दि, प्रभाचन्द्र, देवसूरि, हेमचन्द्र प्रमुख जैन तार्किकोंने भी योगदान किया है। निःसन्देह अनुमानका क्रमिक विकास तर्कशास्त्रकी दृष्टिसे जितना मह-त्त्वपूर्ण एवं रोचक है उससे कहीं अधिक भारतीय धर्म और दर्शनके इतिहासकी दृष्टिसे भी । यत: भारतीय अनुमान केवल कार्यकारणरूप बौद्धिक ब्यायाम ही नहीं हैं, बल्कि नि:श्रेयस-उपलब्धिके साधनोंमें परिगणित है । यही कारण है कि भारतीय अनुमान-परम्पराका जितना विचार तर्कग्रन्थोंमें उपलब्ध होता है उतना या उससे कुछ कम धर्मशास्त्र, दर्शनशास्त्र और पुराणग्रग्थोंमें भी पाया जाता है। पर हमारा उद्देश्य स्वतन्त्र दृष्टिसे भारतीय तर्कग्रन्थोंमें अनुमानपर जो चिन्तन उपलब्ध होता है उसीके विकासपर यहाँ समीक्षात्मक विचार प्रस्तुत करना है।

(क) न्याय-परम्परामें अनुमान-विकास

गौतमने अनुमानकी परिभाषा केवल "तत्पूर्वकम्" पद द्वारा ही उपस्थित की है। इस परिभाषामें "तत्" शब्द केवल स्पष्ट है, जो पूर्वलक्षित प्रत्यक्षके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह बतलाता है कि प्रत्यक्ष-पूर्वक अनुमान होता है, किन्तु वह अनुमान है क्या? यह जिज्ञासा अतृप्त हो रह जाती है। सूत्रके अग्रांशमें अनुमानके पूर्ववत्, शेषवत् और सामान्यतोदृष्ट ये तीन भेद उपलब्ध होते हैं। इनमें प्रथमके दो भेदोंमें आगत 'वत्' शब्द भी विचारणीय है। शब्दार्थकी दृष्टिसे 'पूर्वके समान' और 'शेषके समान' यही अर्थ उससे उपलब्ध होता है तथा 'सामान्यतोदृष्ट' से 'सामान्यतः दर्शन' अर्थ ज्ञात होता है। इसके अतिरिक्त

१. प्रदोषः सर्वविद्यानां प्राप्टहाः त्वध्याल्मविद्यायामात्मादितत्त्वज्ञानं प्राप्ट —वात्स्यायन न्यायमा० १।१।१. पृष्ठ ११ ।

२. गौतम अक्षपाद न्यायस्० १।१।५,।

उनके स्वरूपका कोई प्रदर्शन नहीं होता।

सोलह पदार्थोमें एक अवयव पदार्थ परिगणित है। उसके प्रतिज्ञा, हेतु, उदा-हरण, उपनय और निगमन इन पाँच भेदोंका परिभाषासहित निर्देश किया है। अनुमान इन पांचसे सम्पन्न एवं सम्पूर्ण होता है। उनके बिना अनुमानका आत्म-लाभ नहीं होता। अतः अनुमानके लिए उनकी आवश्यकता असन्दिग्ध है। 'हेतु' शब्दका प्रयोग अनुमानके लक्षणमें, जो मात्र कारणसामग्रीको ही प्रदिश्ति करता हैं, हमें नहीं मिलता, किन्तु उक्त पंचावयवोंके मध्य द्वितीय अवयवके रूपमें 'हेतु'का और हेत्वाभासके विवेचन-सन्दर्भमें 'हेत्वाभासोंका' स्वरूप अवश्य प्राप्त होता है।

अनुमान-परीक्षाके प्रकरणमें रोघ, उपवात और सादृश्यसे अनुमानके मिथ्या होनेको आशंका व्यक्त को है। इस परीक्षासे विदित है कि गौतमके समयमें अनुमानकी परम्परा पर्याप्त विकसित रूपमें-विद्यमान थो— 'वर्तमानाभावे सर्वाग्रहणम्, प्रस्यक्षानुपपत्तः'' सूत्रमें 'अनुपपत्ति' शब्दका प्रयोग हेतुके रूपमें किया है। वास्तव में 'अनुपपत्ति' हेतु पंचम्यन्तको अपेक्षा अधिक गमक है। इसीसे अनुमानके स्वरूपको भी निर्धारित किया जा सकता है। एक बात और स्मरणोय है कि 'ब्याहत-स्वात् अहेतुः' सूत्रमें 'अहेतु' शब्दका प्रयोग सामान्यार्थक मान लिया जाए तो गौतमकी अनुमान-सरणिमें हेतु, अहेतु और हेत्वाभास शब्द भी उपलब्ध हो जाते हैं। अतएव निष्कर्प निकाला जा सकता है कि गौतम अनुमानके मूलभूत प्रतिज्ञा, साध्य और हेतु इन तोनों ही अंगोंके स्वरूप और उनके प्रयोगसे सुपरिचित थे। वास्तवमें अनुमानकी प्रमुख आधार-शिला गम्य-गमक (साध्य-साधन) भाव योजना ही है। इस योजनाका प्रयोगात्मक रूप साधम्य और वैधम्य दृष्टान्तोंन पाया जाता है। पंचावयववावयको साधम्य और वैधम्य रूपालीके मूललेखक गौतम अक्षपाद जान पड़ते हैं। इनके पूर्व कणादके वैशेपिकमूत्रमें अनुमानप्रमाणका निर्देश 'लैंगिक' शब्दद्वारा किया गया है, पर उसका विवचन न्यायसूत्रमें ही प्रथमतः दृष्टिगोचर शब्दद्वारा किया गया है, पर उसका विवचन न्यायसूत्रमें ही प्रथमतः दृष्टिगोचर

- १. न्यायसू० शाशाप्ता
- २. वहीं, १।१।३२-३९ ।
- ३. वहां, शशफ-६।
- ४. बहो, २।१।३८।
- ५. वही, २।१।४३।
- ६. वही, २।१।२५।
- ७. साध्यसाम्योत्तद्धर्मभावी दृष्टान्त उदाहरणम् । तिद्वपर्ययाद्वा विपरीतम् । —वही १।१।३६,३७ ।
- ८. तथोनिष्पत्तिः प्रत्यक्षलैंगिकाभ्याम् । अस्येदं कार्यं कारणं संयोगि विरोधि समवायि चेति लैंगिकम् ।
 - -वैशेषिकस्० १०।१।३, ९।२।१।

होता है। अतः अनुमानका निबद्धक्ष्पमें ऐतिहासिक विकासक्रम गौतमसे आरम्भकर रुद्रनारायण पर्यन्त अंकित किया जा सकता है। रुद्रनारायणने अपनी तत्त्वरौद्रीमें गंगेश उपाध्याय द्वारा स्थापित अनुमानको नन्यन्यायपरम्परामें प्रयुक्त नवीन पदावलीका विशेष विश्लेषण किया है। यद्यपि मूलभूत सिद्धान्त तत्त्वचिन्तामणिके ही हैं, पर भाषाका रूप अधुनातन है और अवच्छेदकाविच्छन्न, प्रतियोगिताकाभाव आदिको नवीन लक्षणावलीमें स्पष्ट किया है।

गौतमका न्यायसूत्र अनुमानका स्वरूप, उसकी परीक्षा, हेत्वाभास, अवयव एवं उसके भेदोंको ज्ञात करनेके लिए महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। यद्यपि यह सत्य है कि अनुमानके निर्धारक तथ्य पक्षधर्मता, व्याप्ति और परामर्शका उल्लेख इसमें नहीं पाया जाता, तो भी अनुमानकी प्रस्तुत की गयो समीक्षासे अनुमानका पूरा रूप खड़ा हो जाता है। गौतमके समयमें अनुमान-सम्बन्धी जिन विशेष बातोंमें विवाद या उनका उन्होंने स्वरूप विवेचन अवश्य किया है। यथा—प्रतिज्ञाके स्वरूप-निर्धारणके सम्बन्धमें विवाद या—कोई साध्यको प्रतिज्ञा मानता था, तो कोई केवल धर्मीको प्रतिज्ञा कहता था। उन्होंने साध्यके निर्देशको प्रतिज्ञा कहकर उस विवादका निरसन किया। उन्होंने साध्यके निर्देशको प्रतिज्ञा कहकर उस विवादका निरसन किया। उन्होंने साध्यके निर्देशको हत्वाभासों एवं अनुमान-प्रकारोंके सम्बन्धमें वर्तमान विप्रतिपत्तियोंका भी उन्होंने समाधान प्रस्तुत किया और एक सुदृढ़ परम्परा स्थापित की।

न्यायसूत्रके भाष्यकार वात्स्यायनने सूत्रोंमें निर्दिष्ट अनुमान सम्बन्धी सभी उपादानोंकी परिभाषाएँ अंकित की और अनुमानको पृष्ट और सम्बद्ध रूप प्रदान किया है। यथार्थमें वात्स्यायनने गौतमको अमर वना दिया है। व्याकरणके क्षेत्रमें जो स्थान भाष्यकार पतंजिलका है, न्यायके क्षेत्रमें वही स्थान वात्स्यायनका है। वात्स्यायनने सर्वप्रथम 'तत्पूर्वकम्' पदका विस्तार कर 'लिंगलिंगिनोः सम्बन्धदर्शनपूर्वकमनुमानम् अ' परिभाषा अंकित की। और लिंग-लिंगीके सम्बन्धदर्शनको अनुमानका कारण बतलाया।

गौतमने अनुमानके त्रिविध भेदोंका मात्र उल्लेख किया था। पर वात्स्यायनने उनकी सोदाहरण परिभाषाएँ भी निबद्ध की है। वे एक प्रकारका परिष्कार देकर ही संतुष्ट नहीं हुए, अपितु प्रकारान्तरसे दूसरे परिष्कार भी ग्रथित किये हैं। वे इन व्याख्यामूलक परिष्कारोंके अध्ययन बिना गौतमके अनुमानरूपोंको अवगत करना असम्भव हं। अतः अनुमानके स्वरूप और उसकी भेदव्यवस्थाके स्पष्टीकरणका श्रेय बहुत कुछ वात्स्यायनको है।

१. साध्यनिर्देशः प्रांतज्ञा।—न्यायसू० १।१।३३।

२. न्यायमा० १।१।५, पृष्ठ २१ ।

३,४,५. वहीं, शशाप, पृष्ठ २१, २२।

अपने समयमें प्रचलित दशावयवकी समीक्षा करके न्यायमुत्रकार द्वारा स्थापित पंचावयव-मान्यताका युक्तिपुरस्सर समर्थन करना भी उनका उल्लेखनीय वैशि-ष्टच है। विन्यायमाष्यमें विसम्य और वैधम्य प्रयक्त हेतूरूपोंकी व्याख्या भी कम महत्त्वकी नहीं है। द्विविध उदाहरणका विवेचन भी वहत सुन्दर और विशद है। घ्यातन्य है कि वात्स्यायनने 'पूर्वीस्मन् दृष्टान्ते यो तो धर्मो साध्यसाधनभूतो पश्यति, साघ्येऽपि तयोः साध्यसाधनभावमनुमिनोति।' कहकर साधर्म्यदृष्टान्तको अन्वयदृष्टान्त कहने और अन्वय एवं अन्वयव्याप्ति दिखानेका संकेत किया जान पडता है। इसी प्रकार 'उत्तरिमन दृष्टान्ते तयोर्धर्मयोरेकस्याभावादितरस्याभावं पश्यित, तयोरेकस्याभावादितःस्याभावं साध्येऽन्मिनोर्ताति । ४ शब्दों द्वारा उन्होंने वैधम्यंद्रष्टान्तको व्यतिरेकद्रष्टान्त प्रतिपादन करने तथा व्यतिरेक एवं व्यतिरेक-व्याप्ति प्रदर्शित करनेकी ओर भी इंगित किया है। यदि यह ठीक हो तो यह वात्स्ययान की एक नयी उपलब्धि है। मूत्रकारने हेतुका सामान्यलक्षण ही वत-लाया है। पर वह इतना अपर्याप्त है कि उससे हेतूके सम्बन्धमें स्पष्टत: जानकारी नहीं हो पाती। भाष्यकारने हेत्-लक्षणको उदाहरणद्वारा^६ स्पष्ट करने-का सफल प्रयास किया है। उनका अभिमत है कि 'साध्यसाधनं हेतः' तभी स्पष्ट हो सकता है जब साध्य (पक्ष) तथा उदाहरणमें धर्म (पक्षधर्म हेत्) का प्रतिसन्धान कर उसमें साधनता बतलायी जाए। हेत् समान और असमान दोनों ही प्रकारके उदाहरण बतलाने पर साध्यका साधक होता है। यथा-न्यायसूत्र-कारके प्रतिज्ञालक्षण ⁹को स्पष्ट करनेके लिए उदाहरणस्वरूप कहे गये 'शब्दोर्ऽानत्यः' को 'उत्पत्तिधर्मकत्वात्' हेत्का प्रयोग करके सिद्ध किया गया है। तात्पर्य यह कि भाष्यकारने हेत्स्वरूपबोधक सूत्रकी उदाहरणद्वारा विशद व्याख्या तो की ही है, पर 'साध्ये प्रतिसन्धाय धर्मसुद्राहणे च प्रतियन्धाय तस्य साधनतावचनं हेतुः' कथन द्वारा साध्यके साथ नियत सम्बन्धीको हेत् कहा है। अतः जिस प्रकार उदाहरणके क्षेत्रमें उनकी देन है उसी प्रकार हेतुके क्षेत्रमें भी।

१. न्यायभाव १।१।३२, पृष्ठ ४७।

२. वही, १॥१।३४, ३५, १७४ ४८ ।

३. वही, १।१।३७, पृष्ठ ५०।

४. वही, १।१।३७, पृष्ठ ५०।

५. न्यायस्० १।१।३४,३५ ।

६. 'उत्पत्तिधर्मकत्वात्' इति। उत्पत्तिधर्मकर्मानत्यं दृष्टमिति। —न्यायमा० १।१।३४, ३५, १७८ ४८, ४९।

७. साध्यनिर्देशः प्रतिज्ञा—न्यायस्० १।१।३३ ।

न्यायमा० १।१।३३, ३५, पृष्ठ ४८, ४६ ।

९. वहो, १।१।३४, ३४, ५४ ४८, ४६ ।

अनुमानकी प्रामाणिकता या सत्यता लिंग-लिंगीके सम्बन्धपर आश्रित है। वह सम्बन्ध नियत साहचर्यरूप है। सूत्रकार गौतम उसके विषयमें मौन हैं। पर भाष्यकारने उसका स्पष्ट निर्देश किया है। उन्होंने लिगदर्शन और लिगस्मृतिके अतिरिक्त लिंग (हेत्) और लिंगी (हेतुमान्-साध्य) के सम्बन्ध दर्शनको भी अनुमितिमें आवश्यक वतला कर उस सम्बन्धके मर्मका उदघाटन किया है। उनका मत है कि सम्बद्ध हेतू तथा हेत्मानुके मिलनेसे हेत्स्मृतिका अभि-सम्बन्ध होता है और स्मित एवं लिंगदर्शनसे अप्रत्यक्ष (अनुमेय , अर्थका अनु-मान होता है। भाष्यकारके इस प्रतिपादनसे प्रतीत होता है कि उन्होंने 'सम्बन्ध' शब्दसे व्याप्ति-सम्बन्धका और 'लिंगलिंगनाः सम्बद्धयोर्दर्शनम्' पदोंसे उस व्याप्ति सम्बन्धके ग्राहक भयोदर्शन या सहचारदर्शनका संकेत किया है जिसका उत्तरवर्ती आचार्योंने स्पष्ट कथन किया तथा उसे महत्त्व दिया है। र ्रस्तुतः लिंग लिंगीको सम्बद्ध देखनेका नाम ही सहचारदर्शन या भ्योदर्शन है, जिसे व्याप्तिग्रहणमे प्रयोजक माना गया है। अतः वात्स्यायनके मतसे अनुमानकी कारण-सामग्री केवल प्रत्यक्ष (लिंगदर्शन) ही नहीं है, किन्तू लिंग-दर्शन, लिंग-लिंगोसम्बन्धदर्शन और तत्सम्बन्धस्मृति ये तीनों हैं। तथा सम्बन्ध (व्याप्ति) का ज्ञान उन्होंने प्रत्यक्ष द्वारा प्रतिपादन किया है, जिसका अनुसरण उत्तरवर्ती तार्किकोंने भी किया है।

वात्स्यायनकी एक महत्त्वपूर्ण उपलबधि और उल्लेख्य है। उन्होंने अनुमान-परीक्षा प्रकरणमें त्रिविध अनुमानोंके मिथ्यात्वकी आशंका प्रस्तुत कर उनकी सत्यताकी सिद्धिकेलिए कई प्रकारसे विचार किया है। आपित्तकार कहता है कि 'ऊपरके प्रदेशमें वर्षा हुई है, क्योंकि नदीमें वाढ़ आयी है;" वर्षा होगी, क्योंकि चींटियाँ अण्डे लेकर जा रही हैं ये दोनों अनुमान सदोष हैं, क्योंकि कहीं नदीकी धारामें हका-बट होनेपर भी नदीमें वाढ़ आ सकती है। इसी प्रकार चींटिओंका अण्डों सहित संचार चींटियोंके बिलके नष्ट होनेपर भी हो सकता है। इसी तरह सामान्यतो-

हिंगलिंगनोः सम्बन्धदर्शनं लिगदर्शनं चामिसम्बद्धयते । लिगलिंगनोः सम्बद्धयोर्दर्शनेन लिगस्मृतिरिमसम्बद्धयते । स्मृत्या लिगदर्शनेन चामत्यक्षोऽयोऽनुमीयते ।

⁻⁻⁻न्यायमा० १।१।५, पृष्ठ २१ ।

२. "यथास्वं भूयोदर्शनसहायानि स्वामाविकसम्बन्धग्रहणे प्रमाणान्युन्नेतन्यानि...। —वाचस्पति, न्यायवा० ता० टो० १।१।५, पृष्ठ १६७।

इ. उद्योतकर, न्यायवा० १।१।५, पृष्ठ ४४। न्यायवा० ता० टी० १।१।५, पृष्ठ १६७। उदयन, न्यायवा० ता० टी० परिद्यु० १।१।५, पृष्ठ ७०१। गंगेश, तत्त्विन्तामणि, जागदी० पृष्ठ ३७८, आदि।

४, ५; ६. न्यायमा० २।१।३८, पृष्ट ११४।

द्वष्ट अनुमानका उदाहरण—'मोर बोल रहे हैं, अतः वर्षा होगी'—भी मिथ्यानु-मान है, वर्योक पुरुष भी परिहास या आजीविकाकेलिए मोरकी बोली बोल सकता है। इतना हो नहीं मोरके वोलने पर भी वर्षा नहीं हो सकती; वर्योकि वर्षा और मोरके वोलनेमें कोई कार्य-कारणसम्बन्ध नहीं है। वात्स्यायन इन समस्त आपित्तयों (व्यभिचार-शंकाओं) का निराकरण करते हुए कहते हैं कि उक्त आपित्तयों ठीक नहीं हैं, क्योंकि उक्त अनुमान अनुमान नहीं हैं, अनुमानाभास हैं और अमुमानाभासोंको अनुमान समझ लिया गया है। तथ्य यह है कि विशिष्ट हेतु ही विशिष्ट साध्यका अनुमापक होता है । अतः अनुमानकी सत्यताका आधार निशिष्ट (साध्याविनाभात्री) हेन ही है, जो कोई नहीं। यहाँ वात्स्यायनके प्रतिपादन और उनके 'विशिष्ट हेतु' पदसे अव्यभिचारी हेतु अभिप्रेत हैं जो नियमसे साध्यका गमक होता है। वे कहते हैं कि यह अनुमाताका हो अपराध माना जाएगा कि वह अर्थविशेषवाले अनुमेय अर्थको सामान्य अर्थसे जाननेकी इच्छा करता है, अनुमानका नहीं।

इस प्रकार वात्स्यायनने अनुमानके उपादानोंके परिष्कार एवं व्याख्यामूलक विशदोकरणके साथ कितना ही नया चिन्तन प्रस्तुत किया है।

अनुमानके क्षेत्रमें वात्स्यायनसे भी अधिक महत्त्वपूर्ण कार्य उद्योतकर का है। उन्होंने लिंगपरामर्शको अनुमान कहा है। अब तक अनुमानकी परिभाषा कारणसामग्रीपर निर्भर थी। किन्तु उन्होंने उसका स्वतन्त्र स्वरूप देकर नयी परम्परा स्थिर की। व्याप्तिविधिष्ट पक्षधर्मताका ज्ञान ही परामर्श है। उद्योत-करको वृद्धिमें लिंगलिंगसम्बन्धस्मृतिसे यक्त लिंगपरामर्श अभीष्टार्थ (अनुमेवार्थ) का अनुमापक है। वे कहते हैं कि अनुमान वस्तुतः उसे कहना चाहिए, जिसके अनन्तर उत्तरकालमें द्येषार्थ (अनुमेयार्थ) प्रतिपत्ति (अनुमित) हो और ऐसा केवल मिगपरामर्थ ही है, क्योंकि उसके अनन्तर नियमतः अनुमिति उत्पन्न होती है। लिंगलिंगसम्बन्धस्मृति आदि लिंगपरामर्थसे व्यवहित हो जानेसे अनुमान नहीं हैं। उद्योतकरकी यह अनुमान-परिभाषा इतनी दृढ़ एवं बढ़मूल हुई कि

१. न्यायमा० २।१।३=,५४ ११४ ।

२ बही, २११।३६, पृष्ठ ११४, ११५।

३,४. वहीं० २११,३९, पृष्ठ ११५ ।

न्यायवा० १/१/५, पृष्ठ ४५ आदि ।

६. बहो १।१.५, पृष्ठ ४५ ।

७. 'तस्मात् स्मृत्यनुगृहीना लिगपरामगोऽभाष्टयं प्रतिपादकः' — वहां, १।१।५, पृष्ट ४५ ।

८. यरमाल्छिगपरामजांदनन्तरं ज्ञेपार्थप्रतिपतिरिति । तस्माल्छिगपरामज्ञों न्याय्य इति । स्मृतिनं प्रधानम् । क्षि कारणम् ? स्मृत्यनन्तरमप्रतिपतेः ः । —वही, १।१।४, पृ० ४ ।

उत्तरवर्ती प्रायः सभी व्याख्याकारोंने अपने व्याख्या-प्रन्थोंमें उसे अपनाया है। नव्य-नैयायिकोंने तो उसमें प्रभूत परिष्कार भी उपस्थित किये हैं, जिससे तर्क-शास्त्रके क्षेत्रमें अनुमानने व्यापकता प्राप्त की है और नया मोड़ लिया है।

न्यायवार्तिककारने ³ गौतमोक्त पूर्ववत्, शेषवत् और सामान्यतोदृष्ट इन तीनों अनुमान-भेदोंकी व्याख्या करनेके अतिरिक्त अन्वयो, व्यितरेकी और अन्वयव्य-तिरेकी इन तीन नये अनुमान-भेदोंकी भी सृष्टि की है, जो उनसे पूर्व न्यायपर-म्परामें नहीं थे। 'त्रिविधम्' सूत्रके इन्होंने कई व्याख्यान प्रस्तुत किये हैं। विश्चयतः उनका यह सव निरूपण उनकी मौलिक देन है। परवर्ती नैयायिकोंने उनके द्वारा रचित व्याख्याओंका ही स्पष्टोकरण किया है।

उद्योतकरहारा बौद्धसन्दर्भमं की गयी हेतुलक्षणसमीक्षा भी महत्त्वकी है। बौद्ध' हेतुका लक्षण त्रिरूप मानते हैं। पर उद्योतकर न केवल उसकी ही आलो-चना करते हैं, अपितु हिलक्षणकी भी मीमांसा करते हैं। किन्तु सूत्रकारोक्त एवं भाष्यकार समिष्यत हिलक्षण, त्रिलक्षणके साथ चतुर्लक्षण और पंचलक्षण हेतु उन्हें इष्ट' है। अन्वयन्यतिरेकीमें पंचलक्षण और केवलान्वयी तथा केवलन्यतिरेकीमें चतुर्लक्षण घटित होता है। यहाँ उद्योतकरकी विशेषता यह है कि वे न्यायभाष्यकारकी आलोचना करनेसे भी नहीं चूकते। वात्स्यायनने 'तथा वैध-धर्मत् 'उद्यक्ति अस्तुक्त हेतुलक्षणका उदाहरण साधम्यं प्रयुक्त हेतुलक्षणके उदाहरण 'उत्यक्तिश्वमंकत्वात्' को ही प्रस्तुत किया है। इसे वे विशेषता न मानते

१. वाचस्पति, न्यायवा० ता० टी० १।१।५, पृष्ठ १६९ । तथा उदयन, ता० टी० परिद्यु० १।१।५, पृष्ठ ७०७, ।

२. गंगेश उपाध्याय, तत्त्वचिन्तामणि, जागरीशी, ५० १३, ७१ । विश्वनाथ, सिद्धान्तमु० पृष्ठ ५० । आदि

३. न्यायवा० १।१।५, पृष्ठ ४६।

४. वही, १।१।५, पृष्ठ ४६-४६ ।

५. न्यायप्रवेश, पृष्ठ १।

६. 'त्रिलक्षणं च हेतुं बुव।णेन—अहेतुत्विमिति प्राप्तम् ।…तादृर्गावनाभाविधमोपदर्शनं हेतुरित्यपरे…तादृशा विना न भवतीत्यनेन ह्यं लभ्यते—।'—न्यायवा० १।१।३५, पृ० १३१।

७. च शब्दात् प्रत्यक्षागमाविरुद्धं चेत्येवं चतुर्रुक्षणं पंचलक्षणमनुमानिमिति ।
—वही, १।१।५, पृष्ठ ४६ ।

न्यायभा० १।१।५, पृष्ठ ४९ ।

ह. न्यायसू० शशाइ५ ।

१०. एतत्तु न समंजसिति पश्यामः प्रयोगमात्रमेदात् । । उदाहरणमात्रमेदाच्च । । तस्मा-न्नेदं उदाहरणं न्याययमिति । उदाहरणं तु 'नेदं निरात्मकं जीवच्छरीरं अप्राणादिमत्व-प्रसंगादिति । '।—न्यायवा० १।१।३५, पृष्ठ १२३ ।

हुए कहते हैं कि यह तो मात्र प्रयोगभेद है और प्रयोगभेदसे वस्तु (हेतु) भेद नहीं हो सकता। अथवा वह केवल उदाहरणभेद है—आत्मा और घट। यदि उदाहरण-भेदसे भेद हो तो 'तथा वैधम्यांन्' यह सूत्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि उदाहरणके भेदसे ही हेनुभेद अवगत हो जाता है और भेदक उदाहरणसूत्र 'तद्वि-पर्ययाद्वा विपरीतम्' सूत्रकारने कहा ही है। अतः 'उत्पत्तिधर्मकत्वात्' यह वैधम्यप्रयुक्त हेहुका उदाहरण ठीक नहीं है। किन्तु 'नेदं निरात्मकं जीवच्छरीरं अधिमांसा सूत्रकारहारा प्रतिपादन हेनुहयकी पृष्टिमं हो को गयी है। अतएव उद्योतकर अन्तिम निष्कर्ष निकालते हुए लिखते हैं कि परोक्त हेनुलक्षण सम्भव नहीं है, यही आर्ष (सूत्रकारोक्त) हेनुलक्षण संगत है।

न्यायभाष्यकारके र समय तक अनुमानावयवोंकी मान्यता दो रूपोंमें उपलब्ध होती है – (१) पंचावयव और (२) दशावयव । वात्स्यायनने दशावयवमान्यताकी मीमांसा करके गूत्रकार प्रतिपादित पंचावयवमान्यताकी संपृष्टि की है। पर उद्योत-करने व्यवयनमान्यताकी भी समीक्षा की है। यह मान्यता बौद्ध तार्किक दिङ्-नागकी है, क्योंकि दिङ्नागने ही अधिक-से-अधिक तीन अवयव स्वीकार किये हैं। सांस्य विद्वान् माठरने भी अनुमानक तीन अवयव प्रतिपादित किये हैं। यदि माठर दिङ्नागसे पूर्ववर्ती हैं तो व्यवयवमान्यता उनकी समझना चाहिए। इस प्रकार कितनी ही स्थापनाओं और समीक्षाओंके रूपमें उद्योतकरकी उपलब्धियाँ हम उनके न्यायवार्तिकमें पाते हैं।

वाचस्पतिकी भी अनुमानके लिए महत्त्वपूर्ण देन है। व्याप्तिग्रहकी सामग्रीमें तकका प्रवेश उनकी एसी देन है जिसका अनुसरण उत्तरवर्ती सभी नैयायिकोंने किया है। उद्योतकरदारा प्रतिपादित 'लिगपरामर्शस्प' अनुमान-परिभाषाका सगर्थन करके उसे पृष्ट किया है। दो अवयवकी मान्यताका भी उल्लेख करके उसकी समीक्षा प्रस्तुत की है। यह दो अवयवकी मान्यता धर्मकीर्तिकी है।

१. न्यायवा०, शशाइप, प्रष्ठ १३४।

२. न्यायमा० १।१।३२, पृष्ठ ४७।

३. न्यायवा० १।१।३२, पृष्ठ १०८।

४. न्यायप्रवेश पृष्ठ १, २।

५. पक्षहेतुद्रष्टान्ता इति ज्यवयवम् ---माठर वृ० का० ५।

६. न्यायवा० ता० टो० १।१।५, पृष्ठ १६७, १७०, १७८, १६५ तथा १।१।३२, पृष्ठ २६७।

७. 'अथवा तस्यैव साधनस्य यन्नांगं प्रतिज्ञापनयनिगमनादिः "

[—]नादन्याय ० पृष्ठ ६१: किन्तु धर्मकीर्ति, न्यायिनन्दु (पृष्ठ ९१) में दृष्टान्तको हेतुसे पृथक् नहीं मानते और हेतुका ही साधनावयत्र बतलाते हैं। प्रमाणवार्तिक (१-१२८) में भी 'हेतुरेव हि केवलः' कहते हैं।

न्यायदर्शनमें अविनाभावका सर्वप्रथम स्वीकार या पक्षधर्मत्वादि पाँच रूपोंके अविनाभावद्वारा संग्रहका विचार उन्होंके द्वारा प्रविष्ट हुआ है। लिंग-लिंगीके सम्बन्धको स्वाभाविक प्रतिपादन करना और उसे निरूपाधि अंगीकार करना उन्होंको सूझ है।

जयन्तभट्टका भी अनुमानके लिए कम महत्त्वपूर्ण योगदान नहीं है। उन्होंने न्यायमंजरी और न्यायकिलकामें अनुमानका सागोपांग निरूपण किया है। वे स्व-तन्त्र चिन्तक भी रहै हैं। यहाँ हम उनके स्वतन्त्र विचारका एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। न्यायमंजरीमें हैत्वाभासोंके प्रकरणमें उन्होंने अन्यथासिद्धत्व नामके एक छठे हेन्वाभासकी चर्चा की है। सूत्रकारके उल्लंघनकी वात उठनेपर वे कहते हैं कि सूत्रकारका उल्लंघन होता है तो होने दो, सुस्पष्ट दृष्ट अप्रयोजक हेत्वाभासका अपह्नव नहीं किया जा सकता। पर अन्तमें वे उसे उद्योतकरकी तरह असिद्धवर्गमें अन्तर्मूत कर लेते हैं। 'अथवा' के साथ यह भी कहा है कि अप्रयोजकत्व (अन्यथासिद्धत्व) सभी हेन्वाभासवृत्ति अनुगत सामान्यरूप है। न्यायकिलकामें भी यही मत स्थिर किया है। समव्याप्ति और विषमव्याप्तिका निर्देश भी उल्लेखनीय है। अवयव-समीक्षा, हेतुसमीक्षा आदि अनुमान-सम्बन्धी विचार भी महत्त्वपूर्ण हैं।

उदयनका³ चिन्तन सामान्यतया पूर्वपरम्पराका समर्थक है, किन्तु अनेक स्थलोंपर उनकी स्वस्थ और सूक्ष्म विचार-धारा उनकी मौलिकताका स्पष्ट प्रकाशन करती है। उपाधि और व्याप्तिकी जो परिभाषाएँ उन्होंने प्रस्तुत कीं, उत्तरकाल-में उन्होंको केन्द्र बनाकर पुष्कल विचार हुआ है।

अनुमानके विकासमें अभिनव क्रान्ति उदयनसे आरम्भ होती है। सूत्र और व्याख्यापद्धतिके स्थानमें प्रकरण-पद्धतिका जन्म होता है और स्वतन्त्र प्रकरणों द्वारा अनुमानके स्वरूप, आधार, अवयव, परामर्श, व्याप्ति, उपाधि, हेतु एवं पक्ष-सम्बन्धो दोषोंका इस कालमें सूक्ष्म विवार किया गया है।

गंगेशने तस्विचिन्तामिणमें अनुमानकी परिभाषा तो वही दी है जो उद्योतकर ने न्यायवास्तिकमें उपस्थित की है, पर उनका वैशिष्ट्रच यह है कि उन्होंने अनुमिति की ऐसी परिभाषा है प्रस्तुत की है जो न्यायपरम्परामें अब तक प्रचलित नहीं थी।

- १. न्यायमंजरी पृष्ठ १३१, १६३-१६६ ।
- २. अप्रयोजकत्वं च सर्वहेत्वाभासानामनुगतं रूपम् ।
 - —न्यायकः पृष्ठ १५
- ३. किरणावली० पृष्ठ २६७।
- ४. तत्र व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मताज्ञानजन्यं ज्ञानमनुमितिः, तत्करणमनुमानम् ।
 - —त० चि० अनुमानलक्षण, पृष्ठ १३।

उसमें प्रयुक्त व्याप्ति और पक्षधर्मता पदोंका उन्होंने सर्वथा अभिनव तथा विस्तृत स्वरूप प्रदिश्ति किया है। व्याप्तिग्रहके साधनोंमें सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्तिपर उन्होंने सर्वाधिक बल दिया है। उनका अभिमत है कि यदि सामान्यलक्षणा न हो तो अनुकूल तर्कादिकके बिना धूमादिमें आशंकित व्यभिचार नहीं बन सकेगा, क्योंकि प्रसिद्ध धूममें विह्नसम्बन्धका ज्ञान हो जानेसे कालान्तरीय एवं देशान्तरीय धूमके सद्भावका साधक प्रमाण न होनेसे उसका ज्ञान नहीं होता। सामान्यलक्षणा द्वारा तो समस्त घूमोंको उपस्थिति हो जाने और धूमान्तरका विशेष दर्शन न होने से व्यभिचारकी आशंका। सम्भव है। तात्पर्य यह कि व्यभिचारशंकाके लिए सामान्यलक्षणाका मानना आवश्यक है और व्यभिचारशंकाके हाने पर ही तर्कादिकी उपयोगिता प्रगाणित होती है। इसी प्रकार गंगेशने अनुमानके सम्बन्धमें मौलिक विवेचन नव्यन्यायके आलोकमें कर नये सिद्धान्त प्रस्तुत किये हैं।

विश्वनाथ, जगदीश तर्कालंकार, मथुरानाथ तर्कवागीश, गदाधर आदि नव्य-नैयायिकोंने भी अनुमानपर बहुत ही सूक्ष्म विचार करके उसे समृद्ध किया है। केशव मिश्रकी तर्कभाषा और अन्नम्भट्टकी तर्करंग्रह प्राचीन और तवीन न्य।यकी प्रतिनिधि तर्ककृतियाँ हैं जिनमें अनुमानका सुबोध और सरल भाषामें विवेचन उपलब्ध है।

(ख) वैशेषिक-परम्परामें अनुमानका विकास

वैशेषिकदर्शनसूत्रप्रणेता कणादने स्वतन्त्र दर्शनका प्रणयन करके उसमें पदार्थी-को सिद्धि (व्यवस्था) प्रत्यक्षके अतिरिक्त लैंगिक द्वारों भी प्रतिपादित की हूँ और हेतु, अपदेश, लिंग, प्रमाण जैसे हेतुवाची पर्याय-शब्दोंका प्रयोग तथा कार्य, कारण, संयोगि, विरोधि एवं समवायि इन पांच लैंगिकप्रकारों और त्रिविध हेत्वाभासोंका निर्देश किया है। उनके इस संक्षिप्त अनुमान-निल्पणमें अनुमानका सूत्रपात मात्र दिखता है, विकसित रूप कम मिलता है। पर उनके भाष्यकार प्रशस्तपादके भाष्यमें अनुमान-समीक्षा विशेष रूपमें उपलब्ध होती है। अनुमानका

१. नन्बनुमितिहेतुच्याप्तिशाने का च्याप्तिः । न तावदच्यभिचरितस्यम् । "मापि "। अत्री-च्यते । प्रतियोग्यसमानाधिकरण्ययस्समानाधिकरणात्यन्ताभावप्रतियागितावच्छदकाव-च्छित्रं यत्र भवति तेन समं तस्य सामानाधिकरण्यं व्याप्तिः ।

[—]त० चि० अनुमान रुक्षणं, पृष्ठ ७७, ६६, १७१, १७८, १८१, १८६-२०६।

२. वही, पृष्ठ ६३१

व्याप्तिग्रहरूच सामान्यलक्षणामत्यासत्या सक्लध्रमादिविषयकः
। यदि सामान्यलक्षणा
नास्ति तदा...।

⁻⁻ वही, एष्ठ ४३३, ४५३।

४. वैशेषि० द० १०।१।३, तथा हारा१,४ ।

लक्षण प्रशस्तपादने इस प्रकार दिया है—'छिंगदर्शनां संजायमानं छैंगिकम्'' अर्थात् लिंगदर्शनसे होनेवाले ज्ञानको लैंगिक कहते हैं। इसी सन्दर्भमें उन्होंने रिंगका स्वरूप बतलानेके लिए काश्यपकी दो कारिकाएँ उद्भूत की हैं जिनका आशय प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि जो अनुमेय अर्थके साथ किसी देशविशेष या कालविशेषमें सहचरित हो, अनुमेयधर्मसे समन्वित किसी दूसरे सभी अथवा एक स्थानमें प्रसिद्ध (विद्यमान) हो और अनुमेयसे विपरोत सभी स्थानोंमें प्रमाणसे असत् (व्यावृत्त) हो वह अप्रसिद्ध अर्थका अनुमापक लिंग है। किन्तु जो ऐसा नहीं वह अनुमेयके ज्ञानमें लिंग नहीं है—लिंगाभास है। इस प्रकार प्रशस्तपादने सर्वप्रथम लिंगको जिल्ला किया है। बौद्ध तार्किक दिङ्नागने भी हेतुको जिल्ला बतलाया है। सम्भवतः वह प्रशस्तपादका अनुसरण है।

क्यासिग्रहणके प्रकारका निरूपण भी हम प्रशस्तपादके भाष्यमें "सर्वप्रथम देखते हैं। उन्होंने उसे बतलाते हुए लिखा है कि 'जहाँ घूम होता है वहाँ अग्नि होती है और अग्नि न होने पर धूम भी नहीं होता, इस प्रकारसे व्याप्तिको ग्रहण करने वाले व्यक्तिको असन्दिग्ध घूमको देखने और धूम तथा विह्निके साहचर्यका स्मरण होनेके अनन्तर अग्निका ज्ञान होता है। इसी तरह सभी अनुमानों ने व्याप्तिका निश्चय अन्वय-व्यतिरेकपूर्वक होता है। अतः समस्त देश तथा कालमें साध्या-विनाभूत लिंग साध्यका अनुमापक होता है। व्याप्तिग्रहणके प्रकारका इस तरहका स्पष्ट निरूपण प्रशस्तपादसे पूर्व उपलब्ध नहीं होता।

प्रशस्तपादने ऐसे कितपय हेतुओं के उदाहरण प्रस्तुत किये हैं जिनका अन्तर्भाव सूत्रकार कणादके उक्त कार्यादि पंचिवध हेतुओं में नहीं होता । यथा—चन्द्रोदयसे समुद्रवृद्धि और कुमुदिवकासका, शरद्में जलप्रसादसे अगस्त्योदयका अनुमान करना। अतएव वे सूत्रकारके हेतुकथनको अवधारणार्थक न मानकर 'अस्येदम्'

- १. प्रश्न भा० पृष्ठ ६६।
- २,३. बही, ५६४ १००, १०१।
- ४. हेतुस्त्रिरूपः। किं पुनस्त्रैरूप्यम् । पक्षक्षधर्मत्वं सपक्षे सत्वं विपक्षे चासत्विमिति । —-न्यायम् १ पृ० १ ।
- प. विधिरतु यत्र घूमस्तत्राग्निरग्न्याभावे घूमोऽपि न भवतीति । एवं प्रसिद्धसमयस्यासन्दिग्ब-घूमदर्शनात् साहचर्यानुस्मरणात् तदनन्तरमग्न्यध्यवसायो भवतीति । एवं सर्वत्र देशकालाविनाभूतमितरस्य लिंगम् ।
 - --- मज्ञ भा० पृष्ठ १०२, १०३
- ६. शास्त्रे कार्यादिमहणं निदर्शनार्थं कृतं नावधारणार्थम् । कस्मात् ? व्यतिरेकदर्शनात् । तथया—व्यवहितस्य हेतुलिङ्गम्, चन्द्रोदयः समुद्रवृद्धेः कुमुद्रविकाशस्य च' · · · · · । वही, पृष्ठ १०४ ।

इस सम्बन्धमात्रके सूचक वचनसे चन्द्रोदयादि हेतुओंका, जो कार्यादिरूप नहों हैं, संग्रह कर लेते हैं। यह प्रतिपादन भी प्रशस्तपादकी अनुमानके क्षेत्रमें एक देन है।

अनुमानके दृष्ट और सामान्यतोद्रष्टके भेदसे दो भेदों तथा स्विनिध्वतार्थानुमान और परार्थानुमानके भेदसे भी दो भेदों का वर्णन, शब्द, चेष्टा, उपमान, अर्थापत्ति, सम्भव, अभाव और ऐतिह्यका अनुमानमें अन्तर्भाव-प्रतिपादन, परार्थानुमानवाक्यके प्रतिज्ञा, अपदेश, निदर्शन, अनुसन्धान, प्रत्याम्नाय इन पाँच अवयवोंकी परिकल्पना, हे हेत्वाभासोंका अपने ढंगका चिन्तन, अनुष्यवसितनामके हेत्वाभासकी कल्पना और फिर उसे असिद्धके भेदों में ही अन्तर्भूत करना तथा निदर्शनके विवेचनप्रसंगमें निदर्शनाभासोंका कथन, जो न्यायदर्शनमें उपलब्ध नहीं होता, केवल जैन और बौद्ध तर्कग्रन्थों वह गिलता है, आदि अनुमान-सम्बन्धी सामग्री प्रशस्तपादभाष्यमें पर्याप्त विद्यमान है।

व्योमशिव, श्रीघर आदि वैशेषिक तार्किकोंने भी अनुमानपर विचार किया है और उसे समृद्ध बनाया है।

(ग) बौद्ध परम्परामें अनुमानका विकास

बौद्ध तार्किकोंने तो भारतीय तर्कशास्त्रको इतना प्रभाबित किया है कि अनु-मानपर उनके द्वारा संख्याबद्ध ग्रन्थ लिखे गये हैं। उपलब्ध बौद्ध तर्कग्रन्थोंमें सबसे प्राचीन तर्कशास्त्र और उपायहृदय नामक दो ग्रन्थ माने जाते हैं। तर्क-शास्त्रमें तीन प्रकरण हैं। प्रथममें परस्पर दोषापादन, खण्डनप्रक्रिया, प्रत्यक्ष-विरुद्ध, अनुमानविरुद्ध, लोकविरुद्ध तीन विरुद्धोंका कथन, हेतुफलन्याय, सापेक्ष-न्याय, साधनन्याय, तथतान्याय चार न्यायोंका प्रतिपादन आदि है। द्वितीयमें खण्डनभेदों और तृतीयमें उन्हीं बाइस निग्रहस्थानोंका अभिधान है, जिनका गौतमके न्यायसूत्रमें हैं। किन्तु गौतमको तरह हेत्वाभास पाँच विणत नहों हैं,

- १. प्रश० भा० पृष्ठ १०४।
- २. वहो, पृष्ठ १०६, ११३।
- ३. वही, पृष्ठ १०६-११२।
- ४. वही, पृष्ठ ११४-१२७।
- ५. वही, पृष्ठ ११६-१२१।
- ६. वही, पृष्ठ ११६ तथा १२०।
- ७. वही, पृष्ठ १२२।
- जौरियंटल इंस्टोट्यूट वडौदा द्वारा मकाशित Pre-Dinnaga Buddhist texts on Logic From Chinese Sources के अन्तर्गत ।
- ९. वही।

अपितु असिद्ध, विरुद्ध और अनैकान्तिक तीन अभिहित हैं। जैसी युक्तियाँ और प्रतियुक्तियाँ इसमें प्रदर्शित हैं उनसे अनुमानका उपहास ज्ञात होता है। पर^२ इतना स्पष्ट है कि शास्त्रार्थमें विजय पाने और विरोधीका मुँह बन्द करनेके लिए सद्-असद् तर्क उपस्थित करना उस समयको प्रवृत्ति रही जान पड़ती है।

उपायहृदयः चार प्रकरण है। प्रथममें वादके गुण-दोषोंका वर्णन करते हुए कहा गया है कि वाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे वाद करनेवालोंको विपुल क्रोध और अहंकार उत्पन्न हो जाता है चित्त विभ्रान्त, मन कठोर, पर-पाप प्रकाशक और स्वकीय पाण्डित्यका अनुमोदक बन जाता है। इसके उत्तरमें कहा गया है कि तिरस्कार, लाभ और स्यातिके लिए वाद नहीं, अपितु सुलक्षण और दुर्लक्षण उपदेशको इच्छासे वह किया जाना चाहिए। यदि लोकमें वाद न हो तो मूर्खोंका बाहुत्य हो जाएगा और उससे मिथ्याज्ञानादिका साम्राज्य जम जाएगा। फलतः संसारको दुर्गति तथा उत्तम कार्योंको क्षति होगी। इस प्रकरणमें न्यायसूत्रकी तरह प्रत्यक्षादि चार प्रमाण और पूर्ववदादि तीन अनुमान विणत हैं। आठ प्रकारके हेत्वाभासों आदिका भी निरूपण है। द्वितीयमें वादधमों आदि का, तृतीयमें दूपणों आदिका और चतुर्थमें बीस प्रकारके प्रक्तोत्तर धर्मों, जिनका न्यायसूत्रमें जातियोंके रूपमें कथन है, आदिका वर्णन है। ४ उल्लेख्य है कि इसमें पूर्ववत्, शेपवत् और सामान्यतोदृष्ट इन अनुमानोंके जो उदाहरण दिये गये है वे न्यायभाष्यगत उदाहरणोंसे भिन्न तथा अनुयोगसूत्र और युक्तिदीपिकासे अभिन्न है। इससे प्रतीत होता है कि इसमें किसी प्राचीन परम्पराका अनुसरण है।

यहाँ इन दोनों ग्रन्थोंके संक्षिप्त परिचयका प्रयोजन केवल अनुमानके प्राचीन स्रोतको दिखाना है । परन्तु उत्तरकालमें इन ग्रन्थोंकी परम्परा नहीं अपनायी गयी । न्यायप्रवेश^क में अनुमानसम्बन्धी अभिनव परम्पराएँ स्थापित की गयी हैं ।

१. यथापूर्वमृत्रतास्त्रिविधाः । असिखोऽमैकान्तिको विरुद्धश्चेति हेत्वामासाः ।
 —तर्कशास्त्र पृथ्ठ ४० ।

२. वही, पृष्ठ ३ ।

३. उपायहृदय पृष्ठ ३।

४. वही पृष्ठ ६-१७, १८--२१, २२-२५, २६-३२।

५. यथा पहेंगुलि सपिडकमूर्थानं बालं दृष्ट्वा पश्चाहृद्धं बहुश्रुतं देवदत्तं दृष्ट्वा षडंगुलिस्म-रणात सोऽयमिति पूर्ववत् । शेषवत् यथा, सागरसलिलं पीत्वा तल्लवणं समनुभूय शेष-मिप सिललं तुल्यमेव लवणिमिति । ।—वही, पृष्ठ १३ ।

६. सं॰ मुनिश्रो कन्हैयालाल, मृलसुत्ताणि, अ॰ स्॰ पृष्ठ ५३६।

७. यु० दी० का० ५, पृष्ठ ४५।

८. न्या० प्र० पुष्ठ १-८ ।

साधन (परार्थानुमान) के पक्ष, हेतु और दृष्टान्त तीन अवयव, हेतुके पक्षधर्मत्व, सपक्षसत्व और विपक्षासत्व तीन रूप, पक्ष, सपक्ष और विपक्षके लक्षण तथा पक्ष-लक्षणमें प्रत्यक्षाद्यविरुद्ध विशेषणका प्रवेश, जो प्रशस्तपादके अनुसरणका सूचक है, नवविध पक्षाभास, तीन हेत्वाभास और उनके प्रभेद, द्विविध दृष्टान्ताभास और प्रत्येकके पाँच-पाँच भेद, प्रत्यक्ष और अनुमानके भेदसे द्विविध प्रमाण, लिंगसे होने बाले अर्थ (अनुमेय) दर्शनको अनुमान; हेत्वाभासपूर्वक होनेवाले ज्ञानको अनुमानाभास, दूषण और दूषणाभास आदि अनुमानोपयोगी तत्त्वोंका स्पष्ट निरूपण करके बौद्ध तर्कशास्त्रको अत्यधिक पृष्ट तथा पल्लवित किया गया है। इसी प्रयोजनको पृष्ट और बढ़ावा देनेके लिए दिङन।गने न्यायद्वार, प्रमाणसमुच्चय सवृत्ति, हेतुचक्रसमर्थन आदि ग्रन्थोंकी रचना करके उनमें प्रमाणका विशेषतथा अनुमानका विचार किया है।

धर्मकीर्तिने प्रयाणसमुच्चयपर अपना प्रमाणवार्तिक लिखा है, जो उद्योतकरके न्यायवार्तिककी तरह व्याख्येय ग्रन्थसे भी अधिक महत्त्वपूर्ण और यशस्वी हुआ। इन्होंने हेतुबिन्दु, न्यायबिन्दु आदि स्वतन्त्र प्रकरण-ग्रन्थोंकी भी रचना को हैं और जिनसे बौद्ध तर्कशास्त्र न केवल समृद्ध हुआ, अपितु अनेक उपलब्धियाँ भी उसे प्राप्त हुई हैं। न्यायबिन्दुमें अनुमानका लक्षण और उसके दिविध भेद तो न्यायप्रवेश प्रतिपादित ही हैं। पर अनुमानके अवयव धर्मकीर्तिने तीन न मानकर हेतु और दृष्टान्त ये दो अथवा केवल एक हेतु ही माना है। हेतुके तीन भेद (स्वभाव, कार्य और अनुपलब्धि), अविनाभावनियामक तादात्म्य और तदुत्पत्तिसम्बन्धद्य, ग्यारह अनुपलब्धि आदि चिन्तन धर्मकीर्तिकी देन हैं। इन्होंने जहाँ दिङ्नागके विचारोंका समर्थन किया है वहाँ उनकी कई मान्यताओंकी आलोचना भी की है। दिङ्नागने विरुद्ध हेन्वाभासके भेदोंमें इष्टिघातकृत् नामक तृतीय विरुद्ध हेत्वाभास, अनेकान्तिकभेदोंमें विरुद्धान्यभिचारी और साधनावयवोंमें दृष्टान्तको स्वीकार किया है। धर्मकीतिने न्यायाबिन्दुमें इन तीनोंकी समीक्षा की है। दिइनकी विचार-धाराको

१. पं० दलसुखभाई मालवाणया, घर्मोत्तर-प्रदीप, प्रस्ताव० पृष्ठ ४१।

२ धर्मोत्तरमदोष, मस्तावना, पृष्ठ ४४ ।

४. धमकोति, न्यायबिन्दु तृतीय परि० पृष्ठ ९१।

५. (क) तत्र च तृतोयोऽपीष्टविधातकृद्धिरुद्धः। ...स इह कस्मान्नोक्तः। अनयोरेवान्तर्भावात् ।

⁽ख) विरुद्धान्यांभाचार्योप संशयहेतु रुक्तः । स इह कस्मान्नोक्तः । अनुमानविषयेऽ-सम्भवात् ।

⁽ग) त्रिरूपो हेतुरुक्तः । तावतैवार्यप्रतीतिरिति न पृथग्दृष्टान्तो नाम साधनावथवः कञ्चित्।

⁻न्यायवि० पृष्ठ ७१-८०, ८६, ९१।

उनकी शिष्यपरम्परामें होने वाले देवेन्द्रबुद्धि, शान्तभद्र, विनीतदेव, अर्चट, घर्मी-त्तर, प्रज्ञाकर आदिने पृष्ट किया और अपनी व्याख्याओं-टोकाओं आदि द्वारा प्रवृद्ध किया है। इस प्रकार बौद्धतर्कशास्त्रके विकासने भी भारतीय अनुमानको अनेक रूपोंमें समृद्ध किया है।

(घ) मोमांसक-परम्परामें अनुमानका विकास

बौढों और नैयायिकोंके न्यायशास्त्रके विकासका अवश्यम्भावी परिणाम यह हुआ कि मीमांसक जैसे दर्शनोंमें, जहाँ प्रमाणकी चर्चा गौण थी, कुमारिलने श्लोक-वार्तिक, प्रभाकरने बृहती, शालिकानाथने बृहतीपर पंचिका और पार्थसारिथने शास्त्रदीपिकान्तर्गत तर्कपाद जैसे ग्रन्थ लिखकर तर्कशास्त्रको मीमांसक दृष्टिसे प्रतिष्ठित किया। श्लोकवार्तिकमें तो कुमारिलने एक स्वतन्त्र अनुमान-परिच्छेदको रचना करके अनुमानका विशिष्ट चिन्तन किया है और व्याप्य ही क्यों गमक होता है इसका सूक्ष्म विचार करते हुए उन्होंने व्याप्य एवं व्याप्तिके सम और विषम दो रूप बतलाकर अनुमानको समृद्धि की है।

(ङ) वेदान्त और सांख्यपरम्परामें अनुमान-विकास

वेदान्तमें भी प्रमाणशास्त्रकी दृष्टिसे वेदान्तपरिभाषा जैसे ग्रन्थ लिखे गये हैं। सांख्य विद्वान् भी पीछे नहीं रहे। ईश्वरकृष्णने अनुमानका प्रामाण्य स्वीकार करते हुए उसे त्रिविध प्रतिपादित किया है। माठर, युक्तिदीपिकाकार, विज्ञानिभक्षु और वाचस्पति आदिने अपनी व्याख्याओं द्वारा उसे सम्पृष्ट और विस्तृत किया है।

१. मी० श्लो० अनुमा० परि० श्लोक ४-७ तथा ८-१७१।

द्वितीय परिच्छेद

जैन-परम्परामें अनुमान-विकास

सम्प्रति विचारणीय है कि जैन वाड्मयमें अनुमानका विकास किस प्रकार हुआ और आरम्भमें उसका क्या रूप था ?

(क) षट्खण्डागममें हेतुवादका उल्लेख

जैन श्रुतका आलोडन करनेपर ज्ञात होता है कि षट्खण्डागममें श्रुतके पर्याय-नामोंमें एक 'हेतुवाद' नाम भी परिगणित है, जिसका व्याख्यान आचार्य वीर-सेनने हेतुद्वारा तत्सम्बद्ध अन्य वस्तुका ज्ञान करना किया है और जिसपरसे उसे स्पष्टतया अनुमानार्थक माना जा सकता है, क्योंकि अनुमानका भी हेतुसे साध्यका ज्ञान करना अर्थ है। अतएव हेतुवादका व्याख्यान हेतुविद्या, तर्कशास्त्र, युक्ति-शास्त्र और अनुमानशास्त्र किया जाता है। स्वामी समन्तभद्र ने सम्भवतः ऐसे ही शास्त्रको 'युक्त्यनुशासन' कहा है और जिसे उन्होंने दृष्ट (प्रत्यक्ष) और आगमसे अविरुद्ध अर्थका प्ररूपक बतलाया है।

(ख) स्नानांगसूत्रमें हेतु-निरूपण

स्थानांगसूत्र में 'हेतु' शब्द प्रयुक्त है और उसका प्रयोग प्रामाणसामान्य किया अनुमानके प्रमुख अंग हेतु (साधन) दोनोंके अर्थमें हुआ है। प्रमाणसामान्य-के अर्थमें उसका प्रयोग इस प्रकार है—

- १. ः हेदुवादो णयवादो पवरवादो मग्गवादो सुदवादोः। —मूतबली-पुष्पदन्त, षट्खण्डा० पापापशः सोलापुर संस्करण १६६५।
- २. दृष्टागमाभ्यामविरुद्धमर्थप्ररूपणं युक्स्यनुशासनं ते । —समन्तमद्र, युक्स्यनुशा । का० ४८; वीरसेवामन्दिर दिल्छी ।
- इ. अथवा हेक चउन्तिहे पन्नते तं जहा—पच्चक्खे अनुमाने उत्रमे आगमे । अथवा हेक चउन्तिहे पन्नते तं जहा—अतिथ तं अतिथ सो हेक, अतिथ तं पित्थ सो हेक, णित्थ तं अतिथ सो हेक, णित्थ तं णित्थ सो हेक ।
 - -स्यानांगसू० पृष्ठ ३०९-३१०।
- ४. हिनोति परिच्छिन्नस्पर्थमिति हेतुः।

- १. हेत् चार प्रकारका है--
 - (१) प्रत्यक्ष
 - (२) अनुमान
 - (३) उपमान
 - (४) आगम

गौतमके न्यायसूत्रमें भी ये चार भेद अभिहित हैं। पर वहाँ इन्हें प्रमाणके भेद कहा है।

हेतुके अर्थमें हेतु शब्द निम्न-प्रकार व्यवहृत हुआ है-

- २. हेत्के चार भेद हैं---
- (१) विधि विधि—(साध्य और साधन दोनों सद्भावरूप हों)
- (२) विधि-निषेध—(साध्य विधिरूप और साधन निषेधरूप)
- (३) निषेध-विधि-(साध्य निषेधरूप और हेत् विधिरूप)
- (४) निषेध-निषेध--(साध्य और साधन दोनों निषेध रूप हों)

इन्हें हम क्रमशः निम्न नामोंसे व्यवहृत कर सकते हैं-

(१) विधिसाधक विधिरूपी

अविरुद्धोपलन्धि^र

(२) विधिसाधक निषेधरूप

विरुद्धानुपलन्धि

(३) निषेधसाधक विधिरूप

विरुद्धोपलब्धि

(४) प्रतिषेधसाधक प्रतिषेधरूप

अविरुद्धानुलन्धि ^३

इनके उदाहरण निम्न प्रकार दिये जा सकते हैं-

- (१) अग्नि है, क्यों कि धूम है।
- (२) इस प्राणीमें व्याधिविशेष है, क्योंकि निरामय चेष्टा नहीं है।
- (३) यहाँ शीतस्पर्श नहीं है, क्योंकि उष्णता है।
- (४) यहाँ धूम नहीं है, क्योंकि अग्नि का अभाव है।
- १. धर्मभूषण, न्यायदी० पृ० ९५-९९ ।
- २. माणित्रयनन्दि, परोक्षामु० ३।५७-५८।
- ३. तुलना कीजिए---
 - १. पत्रतोऽयमग्निमान् धूमत्वान्यथानुपपत्तेः-धर्मभूषण, न्यायदी० पृ० ६५।
 - २. यथाऽस्मिन् प्राणिनि न्याधिविशेषोऽस्ति निरामयचेष्टानुपळच्ये:।
 - ३. नास्त्यत्र शीतस्पर्श औष्ण्यात् ।
 - ४. नास्त्यत्र धूमोऽन्नेः।
 - ---माणिक्यनन्दि, परीक्षामु० ३।८७, ७६, ८२।

जैन-परम्परामें अनुमान-विकास : २५

(ग) भगवतीसूत्रमें अनुमानका निर्देश

भगवतीसूत्रमें भगवान् महावीर और उनके प्रधान शिष्य गौतम (इन्द्रभूति) गणधरके संवादमें प्रमाणके पूर्वोक्त चार भेदोंका उल्लेख आया है, जिनमें अनुमान भी सम्मिलित है।

(घ) अनुयोगसूत्रमें अनुमान-निरूपण

अनुमानकी कुछ अधिक विस्तृत चर्चा अनुयोगसूत्रमें उपलब्ध होती है। इसमें अनुमानके भेदोंका निर्देश करके उनका सोदाहरण निरूपण किया गया है।

१. अनुमान-भेद:

इसमें र अनुमानके तीन भेद बताए हैं। यथा--

- (१) पुब्ववं (पूर्ववत्)
- (२) सेसवं (शेषषत्)
- (३) दिहसाहम्मवं (दृष्टसाधम्यंवत्)
- १. पुब्ववं 3—जो वस्तु पहले देखी गयी थी, कालान्तरमें किंचित् परिवर्तन होनेपर भी उसे प्रत्यिभज्ञाद्वारा पूर्विलगदर्शनसे अवगत करना 'पुब्ववं' अनुमान है। जैसे बचपनमें देखे गये बच्चेको युवावस्थामें किंचित् परिवर्तनके साथ देखने पर भी पूर्व चिन्हों द्वारा ज्ञात करना कि 'वही शिशु' है। यह 'पुब्ववं' अनुमान क्षेत्र, वर्ण, लांछन, मस्सा और तिल प्रभृति चिन्होंसे सम्पादित किया जाता है।
 - २. सेसवं ४. इसके हेतुभेदसे पाँच भेद हैं ---
 - (१) कार्यानुमान
 - (२) कारणानुमान
 - (३) गुणानुमान
 - गोथमा णा तिषाहे समहे ।.. से कि तं पमाणं ? पमाणे चडिन्बहे पण्णत्ते । तं जहा-पच्चमखे अणुमाणे आवस्मे जहा अणुयोगदारे तहा णेयन्वं पमाणं ।
 - ---भगवती० ५,३,१६१-९२।
 - २, ३, ४. अणुमाणं तित्रिहे पण्णत्ते । तं जहा—१. पुन्वत्रं, २. सेसवं, ३. दिट्ठसाहम्मवं । से कि पुन्वत्रं १ पुन्वत्रं—

माया पुत्तं जहा नट्टं जुताणं पुणरागयं। काई पच्चभिजाणेज्जा पुन्वलिंगेण केणई॥

तं जहा—खेतेण वा, वण्णेण वा, लंडणेणं वा, मसेण वा, तिलएण वा। से तं पुन्वनं । से किं तं सेसवं ? सेसवं पंचिवहं पण्णतं । तं जहा—१. कज्जेणं, २. कारणेणं, ३. गुणेणं, ४. अवयवेणं, ५ आसएणं ।

--मुनि श्रीकन्हैयालाल, अनुयोगद्वारस्त्र, मूलसुत्ताणि, पृष्ठ ५३६।

- (४) अवयवानुमान
- (५) आश्रयो-अनुमान
- (१) कार्यानुमान—कार्यसे कारणको अवगत करना कार्यानुमान है। जैसे— शब्दसे शंखको, ताडनसे भेरोको, ढाडनेसे वृपभको, केकारवसे मयूरको, हिन-हिनाने (ह्रेषित) से अश्वको, गुलगुलायित (चिंघाडने) से हाथीको और घणाघणायित (घनघनाने) से रथको अनुमित करना।
- (२) कारणानुमान कारणसे कार्यका अनुमान करना कारणानुमान है। जैसे तन्तुसे पटका, वीरणसे कटका, मृत्पिण्डसे घड़ेका अनुमान करना। तात्पर्य यह कि जिन कारणोंसे कार्योंकी उत्पत्ति होती है, उनके द्वारा उन कार्योंका अवग्म प्राप्त करना 'कारण' नामका 'सेसवं' अनुमान है। र
- (३) गुणानुमान—गुणसे गुणीका अनुमान करना गुणानुमान है। यथा— गन्धसे पुष्पका, रससे लवणका, स्पर्शसे वस्त्रका और निकषसे सुवर्णका अनुमान करना।
- (४) अवयवानुमान—अवयवसे अवयवोका अनुमान करना अवयवानुमान है। यथा—सींगसे महिषका, शिखासे कुक्कुटका, शुण्डादण्डसे हाथोका, दाढ़से वराहका, पिच्छसे मयूरका, लांगूलसे वानरका, खुरासे अश्वका, नखसे व्याघ्रका, बालाग्रसे चमरीगायका, दो पैरसे मनुष्यका, चार पैरसे गौ आदिका, बहुपादसे कनगोजर (पटार) का, केसरसे सिंहका, ककुभसे वृषभका, चूडीसिंहत बाहुसे महिलाका, बद्धपरिकरतासे योद्धाका, वस्त्रसे महिलाका, धान्यके एक कणसे द्रोण पाकका और एक गाथासे कविका अनुमान करना। ४

१. कडजेणं- —संखं सद्देणं, मेरिं ताडिएणं, वसमं ढिक्किएणं, मोरं किंकाइएणं, हयं हेसिएणं, गयं गुलगुलाइएणं, रहं षणवणाइएणं, से तं कडजेणं।

⁻⁻⁻अनुयोग० उपक्रमाधिकार प्रमाणद्वार, पृष्ठ ५३९ ।

२. कारणेणं—तंत्रता पडस्स कारणं ण पडा तंतुकारणं, बीरणा कडस्स कारणंण कडो बीरणाकारणं, मिप्पिंडो घडस्स कारणंण घडो मिप्पिंडकारणं, से तं कारणेणं।

[—]वही, पृष्ठ ५४०।

गुणेंण—सुवण्णं निकसेणं, पुष्फं गंधेणं, छवणं रसेणं, महरं आसायएणं, वत्यं फासेणं, से तं गुणेंणं।

⁻⁻वही, पृष्ठ ५४०।

४. अवयवेणं — महिसं सिंगेणं, कुक्कुडं सिहाएणं, हित्थं विसासेणं, वराहं दाढाएणं, मोरं पिच्छेणं, आसं खुरेणं, वग्धं नहेणं, चमिरं बाल्रग्गेणं, वाणरं लंगुलेणं, दुपयं मणुस्सादि, चल्पयं गवमादि, क्हुपयं गोमि आदि, सीहं केसरेणं, वसहं ककुहेणं, महिलं वल्य-बाह्यए, गाहा-परिअरबंधेण भडं जाणिज्ञा महिलियं निवसणणं, सित्थेण दोणपागं, कवि च एक्काए गाह्यए, से तं अवयवेणं।

⁻⁻⁻वही, पृष्ठ ५४०।

जैन-परम्परामें अनुमान-विकास : २७

(५) आश्रयी-अनुमान—आश्रयीसे आश्रयका अनुमान करना आश्रयी-अनुमान है। यथा—धूमसे अग्निका, बलाकासे जलका, विशिष्ट मेघोंसे वृष्टिका और शील-समाचारसे कुलपुत्रका अनुमान करना।

शेषवत्के इन पाँचों भेदोंमें अविनाभावी एकसे शेष (अवशेष) का अनुमान होनेसे उन्हें शेषवत् कहा है।

- ३. दिट्टसाहम्मवं इस अनुमानके दो भेद हैं। यथा --
 - (१) सामन्नदिट्ठ (सामान्य-दृष्ट)
 - (२) विसेसदिटु (विशेषदृष्ट)
- (१) किसी एक वस्तुको देखकर तत्सजातीय सभी वस्तुऔधा साधम्यं ज्ञात करना या बहुत वस्तुओंको एक-सा देखकर किसी विशेष (एक) में तत्साधम्यंका ज्ञान करना सामान्यदृष्ट है। यथा—जैसा एक मनुष्य है, वैसे बहुतसे मनुष्य हैं। जैसे बहुतसे मनुष्य हैं वैसे बहुतसे मनुष्य हैं । जैसा एक करिशावक हैं वैसे बहुतसे करिशावक हैं, जैसे बहुतसे करिशावक हैं वैसा एक करिशावक हैं। जैसा एक कार्षापण हैं वैसे अनेक कार्षापण हैं, जैसे अनेक कार्षापण हैं, वैसा एक कार्षापण हैं। इस प्रकार सामान्यवर्ष्ट अनुमानका प्रयोजन हैं।
- (२) जो अनेक वस्तुओंमेंसे किसी एकको पृथक् करके उसके वैशिष्टचका प्रत्यिभिज्ञान कराता है वह विशेषदृष्ट हैं। यथा—कोई एक पुरुष बहुतसे पुरुषोंके बीचमेंसे पूर्वदृष्ट पुरुषका प्रत्यिभिज्ञान करता है कि यह वही पुरुष है। या बहुतसे कार्षापणोंके मध्यमें पूर्वदृष्ट कार्षापणको देखकर प्रत्यिभिज्ञा करना कि यह वही कार्षापण है। इस प्रकारका ज्ञान विशेषदृष्ट द्वष्टसाधर्म्यवत् अनुमान है।
- २. कालभेदसे अनुमानका त्रैविध्य^ड :

कालकी दृष्टिमे भी अनुयोग-हारमें अनुमानके तीन प्रकारोंका प्रतिपादन उप-लब्ध है। यथा—१. अतीतकालग्रहण, २. प्रत्युत्पन्नकालग्रहण और ः अनागत-कालग्रहण।

- श. आसएणं—अग्गि घृमेणं, सिललं बलागेणं, बुद्धि अक्सिक्कारेणं, बुलपुत्तं सीलसमाया-रेणं । से तं आसएणं । से त्तं सेसवं ।
 - --अनुयोग० उपक्रमाधिकार प्रमाणद्वार, पृष्ठ ५४०-४१
- २. से किं तं दिटुसाहम्मत्रं ? दिटुसाहम्मत्रं दुविहं पण्णत्तं। जहा—सामन्नदिटुं च विसेसिदिटुं च। —वही, पृष्ठ ५४१-४२
- ३. तस्स समासओ तिविहं गहणं भवई। तं जहा—१. अतीतकालगहणं, २. पडुष्पण्य-कालगहणं, ३. अणागयकालगहणं। '''। —वही, पृष्ठ ५४१-५४२।

- १. अर्तातकालग्रहण—उत्तृण वन, निष्पन्नशस्या पृथ्वो, जलपूर्ण कुण्ड-सर-नदी-दीर्घिका-तडाग आदि देखकर अनुमान करना कि सुवृद्धि हुई है, यह अतीतकाल-ग्रहण है।
- २. प्रत्युत्पन्नकालप्रहण भिक्षाचर्यामें प्रचुर भिक्षा मिलती देख अनुमान करना कि सुभिक्ष है, यह प्रत्युत्पन्नकालग्रहण है।
- ३. अनागतकालग्रहण—बादलको निर्मलता, कृष्ण पहाड़, सिवद्युत् मेघ, मेगगर्जन, वातोद्श्रम, रक्त और प्रस्निग्ध सन्ध्या, वारुण या माहेन्द्रसम्बन्धी या और कोई प्रशस्त उत्पात इनको देख कर अनुमान करना कि सुवृष्टि होगी, यह अनागतकालग्रहण अनुमान है।

उक्त लक्षणोंका विपर्यय देखने पर तीनों कालोंके ग्रहणमें विपर्यय भी हो जाता है। अर्थात् मूखी जमीन, शुष्क तालाब आदि देखने पर वृष्टिके अभाव-का, भिक्षा कम मिलने पर वर्तमान दुर्भिक्षका और प्रसन्न दिशाओं आदिके होने पर अनागत कुवृष्टिका अनुमान होता है, यह भी अनुयोगद्वारमें सोदाहरण अभि-हित है। उल्लेखनीय है कि कालभेदसे तीन प्रकारके अनुमानोंका निर्देश चरक-सूत्रस्थान (अ० ११।२१,२२) में भी मिलता है।

न्यायस् त्री, उपायहृदय अौर सांख्यकारिका अमें भी पूर्ववत् आदि अनुमानके तीन भेदोंका प्रतिपादन है। उनमें प्रथमके दो वही हैं जो ऊपर अनुयोगद्वारमें निर्दिष्ट हैं। किन्तु तीसरे भेदका नाम अनुयोगकी तरह दृष्टसाधम्यवत् न हो कर सामान्यतोद्वष्ट है। अनुयोगद्वारगत पूर्ववत् जैसा उदाहरण उपायहृदय (पृ०१३) में भी आया है।

इन अनुमानभेद-प्रभेदों और उनके उदाहरणोंके विवेचनसे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गौतमके न्यायसूत्रमे जिन तीन अनुमानभेदोंका निर्देश है वे उस समयको अनुमान-चर्चामें वर्तमान थे। अनुयोगद्वारके अनुमानोंकी व्याख्या अभिधामूलक है। पूर्ववत्का शाब्दिक अर्थ है पूर्वके समान किसी वस्तुको वर्तमानमें देखकर उसका ज्ञान प्राप्त करना। स्मरणीय है कि दृष्टव्य वस्तु पूर्वोत्तरकालमें मूलतः एक हो है और जिसे देखा गया है उसके सामान्य धर्म पूर्वकालमें भी विद्यमान रहते हैं तथा उत्तरकालमें मी वे पाये जाते हैं। अतः पूर्वदृष्टके आधारपर उत्तरकालमें देखी वस्तुकी जानकारी प्राप्त करना पूर्ववत् अनुमान है। इस प्रक्रियामें पूर्वाश अज्ञात है और उत्तरांश ज्ञात। अतः ज्ञातसे अज्ञात (अतीत) अंशको जानकारी (प्रत्यिभज्ञा)की जाती है। जैसा कि अनुयोग

१. अक्षपाद, न्यायस्० १।१।५।

२. उपायह्० ५० १३।

३. ईश्वरकृष्ण, सां० का० ५, ६।

जैन-परम्परामें अनुमान-विकास : २९

और उपायहृदयमें दिये गये उदाहरणसे प्रकट है। शेशवत्में कार्य-कारण, गुण-गुणो, अवयव-अवयवी एवं आश्रय-आश्रयोमेंसे अविनाभावी एक अंशको ज्ञातकर शेष (अविशिष्ट) अंशको जाना जाता है। शेषवत् शब्दका अभिधेयार्थ भी यही है। साधम्यको देखकर तत्तुल्यका ज्ञान प्राप्त करना दृष्टसाधम्यंवत् अनुमान है। यह भी वाच्यार्थमूलक है। यद्यपि इसके अधिकांश उदाहरण सादृश्यप्रत्यभिज्ञानके तुल्य हैं। पर शब्दार्थके अनुसार यह अनुमान सामान्यदर्शनपर आश्रित है। दूसरे, प्राचीन कालमें प्रत्यभिज्ञानको अनुमान ही माना जाता था। उसे पृथक् माननेकी परम्परा दार्शनिकों में बहुत पीछे आयी है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि अनुयोगसूत्रमें उक्त अनुमानोंको विवेचना पारि-भाषिक न होकर अभिधामूळक है।

पर न्यायमूत्रके व्याख्याकार वात्स्यायनने उक्त तीनों अनुमान-भेदोंकी व्याख्या वाच्यार्थके आधारपर नहीं की। उन्होंने उनका स्वरूप पारिभाषिक शब्दावलीमें ग्रिथित किया है। इससे यदि यह निष्कर्ष निकाला जाय कि पारिभाषिक शब्दोंमें प्रतिपादित स्वरूपको अपेक्षा अवयवार्थ द्वारा विवेचित स्वरूप अधिक मौलिक एवं प्राचीन होता है तो अयुक्त न होगा, क्योंकि अभिधाके अनन्तर ही लक्षणा या व्यंजना या रूढ़ शब्दावलो द्वारा स्वरूप-निर्धारण किया जाता है। दूसरे, वात्स्या-यनकी त्रिवित्र अनुमान-व्याख्या अनुयोगद्वारसूत्रकी अपेक्षा अधिक पृष्ट एवं विकसित है। अनुयोगद्वारसूत्रमें जिस तथ्यको अनेक उदाहरणों द्वारा उपस्थित किया है उसे वात्स्यायनने संक्षेपमें एक-दो पंक्योंमें ही निबद्ध किया है। अतः भाषाविज्ञान और विकास-सिद्धान्तको दृष्टिसे अनुयोगद्वारका अनुमान-निरूपण वात्स्यायनके अनुमान-व्याख्यानसे प्राचीन प्रतीत होता है।

(ङ) अवयव-चर्चा :

अनुमानके अवयवोंके विषयमें आगमोंमें तो कोई कथन उपलब्ध नहीं होता। किन्तु उनके आधारसे रचित तत्त्वार्थसूत्रमें तत्त्वार्थसूत्रकारने अवश्य अवयवोंक का नामोल्लेख किये विना पक्ष (प्रतिज्ञा), हेतु और दृष्टान्त इन तोनके द्वारा मुक्तजीवका ऊद्ध्वंगमन सिद्ध किया है, जिससे ज्ञात होता है कि आरम्भमें जैन परम्परामें अनुमानके उक्त तीन अवयव मान्य रहे हैं। समन्तभद्र, पूज्यपाद विशेष सिद्धसेनने भो इन्हीं तीन अवयवोंका निर्देश किया है। भद्रबाहुने विश्वविकालिक

१. त० सू० १०,५, ६, ७।

२. आप्तमी० ५, १७, १८ तथा युक्त्यनु० ५३।

३. स० सि० १०।५, ६, ७।

४. न्यायाव० १३, १४, १७, १८, १८।

प. दशवै० नि० गा०४९-१३७।

निर्युक्तिमें अनुमानवाक्यके दो, तीन, पाँच, दश और दश इस प्रकार पाँच तरहसे अवयवोंकी चर्चा की है। प्रतीत होता है कि अवयवोंकी यह विभिन्न संख्या विभिन्न प्रतिपाद्योंकी अपेक्षा बतलायी है।

घ्यातव्य है कि वास्स्यायन द्वारा समालोचित तथा युक्तिदोपिकाकार द्वारा विवेचित जिज्ञासादि दशावयत्र भद्रवाहके दशावयवोंसे भिन्न हैं।

उल्लेखनीय है कि भद्रवाहुने मात्र उदाहरणसे भी साघ्य-सिद्धि होनेकी बात कहीं है जो किसी प्राचीन परम्पराका प्रदर्शक है। ^२

इस प्रकार जैनागमोंमें हमें अनुमान-मीसांसाके पुष्कल बीज उपलब्ध होते हैं। यह सही है कि उनका प्रतिपादन केवल निःश्रेयसाधिगम और उसमें उपयोगी तत्त्वोंके ज्ञान एवं व्यवस्थाके लिए ही किया गया है। यही कारण है कि उनमें न्यायदशंनकी तरह बाद, जल्प और वितण्डापूर्वक प्रवृत्त कथाओं, जातियों, निग्रहस्थानों, छलों तथा हैत्वाभासोंका कोई उल्लेख नहीं है।

(च) अनुमानका मूल-रूप

अगमांत्तर कालमें जब ज्ञानमोमांसा और प्रमाणमोमांसाका विकास आरम्भ हुआ ता उनके विकासके साथ अनुमानका भी विकास होता गया। आगम-विणत मित, श्रुत आदि पाँच ज्ञानोंको प्रमाण कहने और उन्हें प्रत्यक्ष तथा परोक्ष दो भेदोंमें विभक्त करने वाले सर्वप्रथम आचार्य गृद्धिपच्छ है। उन्होंने शास्त्र और लोकमें व्यवहृत स्मृति, संज्ञा, विन्ता और अभिभिनोध इन चार ज्ञानोंको भी एक सूत्र द्वारा पराक्ष-प्रमाणके अन्तर्गत समाविष्ट करके प्रमाणशास्त्रके विकासका सूत्रपात किया तथा उन्हें परोक्ष प्रमाणके आद्य प्रकार मित्जानका पर्याय प्रतिपादन किया। इन पर्यायों भे अभिनिबोधका जिस क्रमसे और जिस स्थान पर निर्देश हुआ है उससे ज्ञात होता है कि सूत्रकारने उसे अनुमानके अर्थमें प्रयुक्त किया है। स्पष्ट है कि पूर्व-पूर्वको प्रमाण और उत्तर-उत्तरको प्रमाण-फल

- १. प्रयोगपरिपाटी तु प्रतिपाद्यानुरोवतः ।
 - प्रव पराव पृष्ठ ७२ में उद्भृत कुमारनिन्दका वात्र्य ।
- २. श्रीदलसुखभाई मालवणिया, आगमयुगका जैन दर्शन, प्रमाणखण्ड, पृ० १५७।
- मतिश्रुतात्रियनः प्ययकेत्रलानि ज्ञानम्; तत्प्रमाणं; आखे पराक्षम्; प्रत्यक्षमन्यत्
 —तत्त्वा० स्० १।९, १०, ११, १२।
- ४. मितः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताऽभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम् ।
 - —वही, १।१३.।
- ५. गृद्धपिच्छ, त० सू० १।१३।

जैन-परम्परामें अनुमान-विकास : ३१

बतलाना उन्हें अभीष्ठ है। मित (अनुभव-घारणा) पूर्वक स्मृति, स्मृतिपूर्वक संज्ञा, संज्ञा-पूर्वक चिन्ता और चिन्तापूर्वक अभिनिबोध ज्ञान होता है, ऐसा सूत्रसे घ्वनित है। यह चिन्तापूर्वक होनेवाला अभिनिबोध अनुमानके अतिरिक्त अन्य नहीं है। अतएव जैन परम्परामें अनुमानका मूलरूप 'अभिनिबोध' और पूर्वोक्त 'हेतुवाद' में उसी प्रकार समाहित है जिस प्रकार वह वैदिक परम्परामें 'वाको-वाक्यम्' और 'आन्वोक्षिकी' में निविष्ठ है।

उपर्युक्त मीमांसासे दो तथ्य प्रकट होते हैं। एक तो यह कि जैन परम्परामें ईस्वी पूर्व शताब्दियोंसे हो अनुमानके प्रयोग, स्वरूप और भेद-प्रभेदोंकी समीक्षा की जाने लगी थी तथा उसका व्यवहार हेतुजन्य ज्ञानके अर्थमें होने लगा था। दूसरा यह कि अनुमानका क्षेत्र बहुत विस्तृत और व्यापक था। स्मृति, संज्ञा और चिन्ता, जिन्हें परवर्ती जैन तार्किकोंने परोक्ष प्रमाणके अन्तर्गत स्वतन्त्र प्रमाणोंका रूप प्रदान किया है, अनुमान (अभिनिबोध) में ही सम्मिलत थे। वादिराजने प्रमाणनिर्णयमें सम्भवतः ऐसी ही परम्पराका निर्देश किया है जो उन्हें अनुमानके अन्तर्गत स्वीकार करती थी। अर्थापित, सम्भव, अभाव जैसे परोक्ष ज्ञानोंका भी इसीमें समावेश किया गया है। रे

(छ) अनुमानका तार्किक विकास

अनुमानका तार्किक विकास स्वामी समन्तभद्रसे आरम्भ होता है। आप्तमी-मांसा, युक्त्यनुशासन और स्वयम्भूस्तोत्रमें उन्होंने अनुमानके अनेकों प्रयोग प्रस्तुत किये हैं, जिनमें उसके उपादानों—साध्य, साधन, पक्ष, उदाहरण, अविनाभाव आदिका निर्देश है। सिद्धसेनका न्यायावतार न्याय (अनुमान) का अवतार ही है। इसमें अनुमानका स्वरूप, उसके स्वार्थ-परार्थ द्विविध भेद, उनके लक्षण, पक्ष-का स्वरूप, पक्षप्रयोगपर वल, हेतुके तथोपपित्त और अन्यथानुपपत्ति द्विविध प्रयोगोंका निर्देश, साधम्य-वैधम्य दृष्टान्तद्वय, अन्तर्व्याप्तिके द्वारा ही साध्यसिद्धि होने पर भार, हेतुका अन्यथानुपपन्नत्वलक्षण, हेत्वाभास और दृष्टान्ताभास जैसे अनुमानोपकरणोंका प्रतिपादन किया गया है। अकलंकके न्याय-विवेचनने तो उन्हें 'अकलंक न्याय' का संस्थापक एवं प्रवर्त्तक ही बना दिया है। उनके विशाल न्याय-प्रकरणोंमें न्यायविनिश्चय, प्रमाणसंग्रह, लघीयस्त्रय और सिद्धिविनिश्चय जैन

शनुमानमि द्विविधं गौणमुख्यविकल्पात् । तत्र गौणमनुमानं त्रिविधं स्मरणं प्रत्यभिज्ञा तकश्चेति । —।

⁻⁻वादिराज, प० नि० पृष्ठ ३३; माणिकचन्द्र यन्यमाला ।

२. अक्लंकदेव, त० वा० १।२०, पृष्ठ ७८;भारतीय शानपीठ काशी।

प्रमाणशास्त्रके मूर्धन्य ग्रन्थोंमें परिगणित हैं। हरिभद्रके शास्त्रवार्तासमुच्चय, अने-कान्त-जयपताका आदि ग्रन्थोंमें अनुमान-चर्चा निहित है। विद्यानन्दने अष्टसहस्री, तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक, प्रमाणपरीक्षा, पत्रपरीक्षा जैसे दर्शन एवं न्याय-प्रवन्धोंको रचकर जैन न्यायवाङ्मयको समृद्ध किया है। माणिक्यनन्दिका परीक्षामुख, प्रभा-चन्द्रका प्रमेयकमलमार्त्तण्ड-न्यायकुमुदचन्द्र-युगल, अभयदेवको सन्मतितर्कटीका, देव-सूरिका प्रमाणनयतत्त्वालोकालंकार, अनन्तवीर्यकी सिद्धिविनिश्चयटीका, वादिराज-का न्यायविनिश्चयवित्ररण, लघु अनन्तवीर्यकी प्रमेयरत्नमाला, हेमचन्द्रकी प्रमाण-मीमांसा, धर्मभूषणको न्यायदीपिका और यशोविजयको जैन तर्कभाषा जैन अनु-मानके विवेचक प्रमाणग्रन्थ हैं।

वृतीय परिच्छेद

संक्षिप्त अनुमान-विवेचन

अनुमानका स्वरूप

व्याकरणके अनुसार 'अनुमान' शब्दकी निष्पत्ति अनु + √मा + ल्युट् से होती है। अनुका अर्थ है पश्चात् और मानका अर्थ है ज्ञान। अतः अनुमानका शाब्दिक अर्थ है पश्चाद्वर्ती ज्ञान। अर्थात् एक ज्ञानके बाद होने वाला उत्तरवर्ती ज्ञान अनुमान है। यहाँ 'एक ज्ञान' से क्या ताल्पर्य है? मनोपियोंका अभिमत है कि प्रत्यक्ष ज्ञान ही एक ज्ञान है जिसके अनन्तर अनुमानको उत्पत्ति या प्रवृत्ति पायो जाती है। गौतमने इसी कारण अनुमानको 'तत्त्पूर्वकम्' — प्रत्यक्षपूर्वकम्' कहा है। वात्स्यायनका भी अभिमत है कि प्रत्यक्षके विना कोई अनुमान सम्भव नहीं। अतः अनुमानके स्वरूप-लाभमें प्रत्यक्षका सहकार पूर्वकारणके रूपमें अपेक्षित होता है। अत्यव तर्कशास्त्री ज्ञात—प्रत्यक्षप्रतिपन्न अर्थसे अज्ञात— परोक्ष वस्तुको जानकारी अनुमान द्वारा करते हैं।

कभी-कभी अनुमानका आधार प्रत्यक्ष न रहने पर आगम भी होता है। उदाहरणार्थ शास्त्रों द्वारा आत्माकी सत्ताका ज्ञान होने पर हम यह अनुमान करते हैं कि 'आत्मा शाश्वत है, क्योंकि वह सत् हैं'। इसी कारण वात्स्यायनने 'प्रत्यक्षागमाश्रितमनुमानम्' अनुमानको प्रत्यक्ष या आगमपर आश्रित कहा है। अनुमानका पर्यायशब्द अन्वोक्षा भी है, जिसका शाब्दिक अर्थ एक वस्तुज्ञानकी प्राप्तिके पश्चात् दूसरी वस्तुका ज्ञान प्राप्त करना है। यथा—धूमका ज्ञान प्राप्त करनेके वाद अग्निका ज्ञान करना।

- अय तत्पूर्वकं त्रिविधमनुमानम् ।
 —न्यायस् ० १।१।५ ।
- २. अथवा पूर्वविति--यत्र यथापूर्वं प्रत्यक्षभूत्योरन्यतरदर्शनेनान्यतरस्यापत्यक्षस्यानुमा-नम् । यथा धूमेनाग्निरित ।
 - --- त्यायभाव शशाप, पृष्ठ २२।
- यथा वूमेन प्रत्यक्षेणाप्रत्यक्षस्य वहुर्प्रहणमनुमानम् ।
 —वही, २।१।४७, एष्ठ १२० ।
- ४. वही, शशाशापुष्ठ ७।
- ५. वही, १।१।१, पृष्ठ ७।

उपर्युक्त उदाहरणमें धूमद्वारा बिह्नका ज्ञान इसी कारण होता है कि धूम बिह्नका साधन है। धूमको अग्निका साधन या हेतुं माननेका भी कारण यह है कि धूमका अग्निके साथ नियत साहचर्य सम्बन्ध—अविनाभाव है। जहाँ धूम रहता है वहाँ अग्नि अवश्य रहती है। इसका कोई अपवाद नहीं पाया जाता। तात्पर्य यह कि एक अविनाभावी वस्तुके ज्ञान द्वारा तत्सम्बद्ध इतर वस्तुका निश्चय करना अनुमान है। र

अनुमानके अंग:

अनुमानके उपर्युक्त स्वरूपका विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि धूमसे अग्निका ज्ञान करनेके लिए दो तत्त्व आवश्यक हैं--१. पर्वतमें धूमका रहना और २. धूमका अग्निके साथ नियत साहचर्य सम्बन्ध होना । प्रथमको पक्षधर्मता और द्वितीयको व्याप्ति कहा गया है। यही दो अनुमानके आधार अथवा अंग हैं ³। जिस वस्तुसे जहाँ सिद्धि करना है उसका वहाँ अनिवार्य रूपसे पाया जाना पक्ष-धर्मता है। जैसे धूमसे पर्वतमें अग्निकी सिद्धि करना है तो धूमका पर्वतमें अनि-वार्य रूपसे पाया जाना आवश्यक है। अर्थात् व्याप्यका पक्षमें रहना पक्षधर्मता है। ४ तथा साधनरूप वस्तुका साध्यरूप वस्तुके साथ ही सर्वदा पाया जाना व्याप्ति है। जैसे धूम अग्निक होने पर ही पाया जाता है-उसके अभावमें नहीं, अतः धूमकी विह्नके साथ व्याप्ति है। पक्षधर्मता और व्याप्ति दोनों अनुमानके आघार हैं। पक्षचर्मताका ज्ञान हुए बिना अनुमानका उद्भव सम्भव नहीं है। उदाहरणार्थ --पर्वतमें धूमकी वृत्तिताका ज्ञान न होने पर वहाँ उससे अग्निका अनु-मान नहीं किया जा सकता। अतः पक्षधर्मताका ज्ञान आवश्यक है। इसी प्रकार व्याप्तिका ज्ञान भी अनुमानके लिए परमावश्यक है। यत: पर्वतमें धूमदर्शनके अनन्तर भी तब तक अनुमानकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती, जब तक धूमका अग्निके साथ अनिवार्य सम्बन्ध स्थापित न हो जाए । इस अनिवार्य सम्बन्धका नाम ही

- १. साध्याविनाभावित्वेन निश्चितो हेतुः।
 - —माणिक्यनन्दि, परीक्षामु० ३।१५ ।
- २ व्याप्यस्य ज्ञानेन व्यापकस्य निश्चयः, यथा विह्यपूर्मस्य व्यापक इति घूनस्तस्य व्याप्त इत्येवं तयोभूयः सहचारं पाकस्थानादौ दृष्ट्वा पश्चात्पर्वतादौ उद्यमानशिखस्य धूमस्य दर्शने तत्र विद्वरस्तीति निश्चीयते।
 - वाचस्पत्यम्, अनुमानशन्द, प्रथम जिल्द पृष्ठ १८१, चौखम्बा, वाराणसी, सन् १६६२ ई०।
- ३. अनुमानस्य द्वे अंगे न्याप्तिः पक्षधर्मता च ।
 - —केशत्रमिश्र, तर्कभाषा, अनु० निरू० पृष्ठ ८८, ८९ ।
- ४. व्याप्यस्य पर्वतादिवृत्तिस्त्रं पक्षधमेता ।
 - —अन्नम्भट्ट, तर्कसं० अनु० वि०, पृष्ठ ५७।

संक्षिप्त अनुमान-विवेचन : ३५

नियत साहचर्य सम्बन्ध या व्याप्ति है। विस्तु व्याप्तिज्ञानको अगुमानकी उत्पत्तिमें भूमज्ञानका कुछ भी महत्त्व नहीं है। किन्तु व्याप्तिज्ञानके होने पर अनुमानके लिए उक्त धूमज्ञान महत्त्वपूर्ण बन जाता है और वह अग्निज्ञानको उत्पन्न कर देता है। अतः अनुमानके लिए पक्षधर्मता और व्याप्ति इन दोनोंके संयुक्त ज्ञानकी आवश्यकता है। स्मरण रहे कि जैन तार्किकोंने व्याप्तिज्ञानको ही अनुमानके लिए आवश्यक माना है, पक्षधर्मताके ज्ञानको नहीं; क्योंकि अपक्षधर्म कृत्तिकोदय आदि हेतुओंसे भी अनुमान होता है।

(क) पक्षधर्मताः

जिस पक्षधर्मताका अनुमानके आवश्यक अंगके रूपमें ऊपर निर्देश किया गया है उसका व्यवहार न्यायशास्त्रमें कबसे आरम्भ हुआ, इसका यहाँ ऐतिहासिक विमर्श किया जाता है।

कणादके वैशेषिकसूत्र और अक्षपादके न्यायसूत्रमें न पक्ष शब्द मिलता है और न पक्षधर्मता शब्द। न्यायसूत्रमें अगर प्रतिज्ञा शब्दोंका प्रयोग पायाजाता है, जिनका न्यायभाष्यकारने अप्रज्ञापनीय धर्मसे विशिष्ट धर्मी अर्थ प्रस्तुत किया है और जिसे पक्षका प्रतिनिधि कहा जा सकता है, पर पक्षशब्द प्रयुक्त नहीं है। प्रशस्तपादभाष्यमें यद्यपि न्यायभाष्यकारकी तरह धर्मी और न्यायसूत्रकी तरह प्रतिज्ञा दोनों शब्द एकत्र उपलब्ध हैं। तथा लिंगको त्रिष्टप बतलाकर उन तीनों रूपोंका प्रतिपादन काश्यपके नामसे दो कारिकाएँ उद्धृत करके किया है। किन्तु

- १. यत्र यत्र घूमस्तत्र तत्राग्निरिति साहचर्यनियमा व्याप्तिः।
 - —तर्कसं०, पृष्ट ५४ । तथा केशविमश्र, तर्कमा० पृष्ट ७२ ।
- २. पक्षधमत्वहीनोऽपि गमकः कृत्तिकोदयः। अन्तर्व्यातेरतः सैव गमकत्वप्रमाधनी ॥
 - --वादीर्भासह, स्या० सि० ४।८३-८४।
- ३. साध्यनिदेश: प्रतिशा ।
 - ---अक्षपाद, न्यायस्० १११।३३ ।
- ४. महापनीयेन धर्मेण धर्माणो विशिष्टस्य परिग्रहवचनं प्रतिशा साध्यनिर्देशः अनित्यः शब्द इति ।
 - —वात्स्यायन, न्यायभा० १।१।३३ तथा १।१।३४।
- ५. अनुमेयोदेशाऽत्रिरोधो प्रतिज्ञा। प्रतिविपादांयषितथर्मावशिष्टस्य धमिणाऽपदेशः विषय-मापादयितुमुदेशमात्रं प्रतिज्ञा। !!!।
 - मशस्तपाद, वैशि० भाष्य पृष्ठ ११४।
- ६. यदनुमेथेन सम्बद्धं प्रसिद्धं च तदन्विते । तदभावे च नास्त्येब तिल्लंगमनुमापकम् ।।
 - -- बहो, पृष्ठ १००।

उन तीन रूपोंमें भी पक्ष और पक्षधर्मता शब्दोंका प्रयोग नहीं है। हैं, 'अनुमेय सम्बद्धिलंग' शब्द अवश्य पक्षधर्मका बोधक है। पर 'पक्षधर्म' शब्द स्वयं उप-लब्ध नहीं है।

पक्ष और पक्षधर्मता शब्दोंका स्पष्ट प्रयोग सर्वप्रथम सम्भवतः बौद्ध तार्किक शंकरस्वामीके न्यायप्रवेशमें २ हुआ है। इसमें पक्ष, सपक्ष, विपक्ष, पक्षवचन, पक्ष-धर्म, पक्षधर्मवचन और पक्षधर्मत्व ये सभी शब्द प्रयक्त हए हैं। साथमें उनका स्वरूप-विवेचन भी किया है। जो धर्मीके रूपमें प्रसिद्ध है वह पक्ष है। 'शब्द अनित्य है' ऐसा प्रयोग पक्षवचन है। 'क्योंकि वह कृतक है' ऐसा वचन पक्षधर्म (हेतु) वचन है। 'जो कृतक होता है वह अनित्य होता है, यथा घटादि' इस प्रकारका वचन सपक्षानुगम (सपक्षसत्त्व) वचन है। 'जो नित्य होता है वह अकृ-तक देखा गया है, यथा आकाश' यह व्यतिरेक (विपक्षासत्त्व) वचन है। इस प्रकार हेत्को त्रिरूप प्रतिपादन करके उसके तीनों रूपोंका भी स्पष्टीकरण किया है। वे तीन रूप हैं - १ पक्षधर्मत्व. २ सपक्षसत्त्व और ३ विपक्षासत्त्व । घ्यान रहे. यहाँ 'पक्षधमंत्व' पक्षधमंताके लिए ही आया है। प्रशस्तपादने जिस तथ्यको 'अनु मेयसम्बद्धत्व' शब्दसे प्रकट किया है उसे न्यायप्रवेशकारने 'पक्षधर्मत्व' शब्द द्वारा बतलाया है। तात्पयं यह कि प्रशस्तपादके मतसे हेतूके तीन रूपोंमें परि-गणित प्रथम रूप 'अनमेयसम्बद्धत्व' है और त्यायप्रवेशके अनसार 'पक्षधर्मत्त्व'। दोनोंमें केवल शब्दभेद है, अर्थभेद नहीं। उत्तरकालमें तो प्रायः सभी भारतीय तार्किकोंक द्वारा तीन रूपों अथवा पाँच रूपोंके अन्तर्गत पक्षधर्मत्वका बोधक पक्षधर्मत्व या पक्षधर्मता पद हो अभिप्रेत हुआ है। उद्योतकर³, वाचस्पति ४. उदयन'े, गंगेश. केशव प्रभित वैदिक नैयायिकों तथा धर्मकीर्ति, धर्मोत्तर . अर्चट^{3°} आदि बौद्ध तार्किकोंने अपने ग्रन्थोंमें उसका प्रतिपादन किया

१. प्रव भा । पृष्ठ १००।

२. पक्षः मित्रद्धो धर्माः । हेतुस्त्रिरूपः । कि पुनस्त्रैरूप्यम् १ पक्षयर्मत्त्रं सपक्षे सत्त्वं विपक्षे चासत्विमिति ।...तद्यथा । अनित्यः शब्द इति पक्षवचनम् । कृतक्रत्वादिति पक्षथर्मवचनम् । यन्नित्यं तदकृतकं तद्दित्यं दृष्टं यथा घटादिशितं सपक्षानुगमवचनम् । यन्नित्यं तदकृतकं दृष्टं यथाऽऽकाशर्मित व्यतिरेकवचनम् ।

⁻⁻शंकरस्वामी, न्यायप्र० पृष्ठ १-२।

उद्यातकर, न्यायबा० १।१।३५, ५ष्ठ १२६, १३१।

४. वाचस्पति, न्यायत्रा० ता० टी० १।१५, पृष्ठ १७१ ।

प. उदयन, किरणा० पृष्ठ २६०, २६४।

६. त० चि० जागदी० टो० पृ० १३, ७१।

७. केशव मिश्र. तर्कमा० अनु० निरू० पृष्ठ ८८, ८६।

द-ह. धर्मकोतिं, न्यायबि०, द्वि० परि० पृष्ठ २२।

१०. अर्चट, हेतुबि० टो० पृष्ठ २४।

है। पर जैन नैयायिकोंने पक्षधर्मतापर उतना बल नहीं दिया, जितना व्याप्ति-पर दिया है। सिद्धसेन , अकलंक , विद्यानन्द , वादीभसिंह आदिने तो उसे अनावश्यक एवं व्यर्थ भी बतलाया है। उनका मन्तव्य है कि 'कल सूर्यका उदय होगा, क्योंकि वह आज उदय हो रहा है, 'कल शनिवार होगा, क्योंकि आज शुक्रवार है', 'ऊपर देशमें वृष्टि हुई है, क्योंकि अधोदेशमें प्रवाह दृष्टिगोचर हो रहा है', 'अहैतवादीको भी प्रमाण इष्ट हैं, क्योंकि इष्टका साधन और अनिष्टका दृषण अन्यथा नहीं हो सकता' जैसे प्रचुर हेतु पक्षधर्मताके अभावमें भी मात्र अन्तर्व्याप्तिके बलपर साध्यके अनुमापक हैं।

(ख) व्याप्तिः

अनुमानका सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण और अनिवार्य अंग व्याप्ति है। इसके होनेपर ही साधन साध्यका गमक होता है, उसके अभावमें नहीं। अतएव इसका दूसरा नाम 'अविनाभाव' भी है। देखना है कि इन दोनों शब्दोंका प्रयोग कबसे आरम्भ हुआ है।

अक्षपाद के न्यायमूत्र और वात्स्यायन के न्यायभाष्यमें न व्याप्ति शब्द उप-लब्ध होता है और न अविनाभाव । न्यायभाष्यमें मात्र इतना मिलता है कि लिंग और लिंगीमें सम्बन्ध होता है अथवा वे सम्बद्ध होते हैं। पर वह सम्बन्ध व्याप्ति अथवा अविनाभाव है, इसका वहाँ कोई निर्देश नहीं है। गौतमके हेतुलक्षण-प्रदर्शक सूत्रों से भो केवल यही ज्ञात होता है कि हेतु वह है जो उदाहरणके साधम्य अथवा वैयम्यंसे साध्यका साधन करे। तात्प्य यह कि हेतुको पक्षमें रहने के अतिरिक्त सपक्षमें विध्यान और विषक्षमे व्यावृत्त होना चाहिए, इतना ही अर्थ हेतुलक्षणसूत्रोंसे ध्वनित होता है, हेतुको व्याप्त (व्याप्तिविशिष्ट या अविना-

१. न्यायवि० २।१७६ ।

२. सिद्धसेन, न्यायात्र० का० २०।

३. न्यायति० २।२२१ ।

४. प्रमाणपरी० पृष्ठ ७२।

५. वादीमसिंह, स्या० सि० ४।=७।

६. अकलंक, लघोय० १।३।१४।

७. न्यायस्० १।१।५, ३४, ३५ ।

व्यायमा० १।१।५, ३४, ३५ ।

हिंगलिंगिनोः सम्बन्धदर्शनं लिंगदर्शनं चामिसम्बध्यते । लिंगलिंगिनोः सम्बद्धयोदेर्शनेन लिंगस्मृतिरिमसम्बध्यते ।

⁻⁻ न्यायमा० शश्राप्त ।

१०. उदाहरणसाधर्म्यात् साध्यसाधनं हेतुः । तथा वैधर्म्यात् ।

⁻⁻⁻न्यायस० १।१।३४, ३५ ।

मावी) मी होना चाहिए, इसका उनसे कोई संकेत नहीं मिलता। उद्योतकर के न्यायवार्तिक में अविनाभाव और व्याप्ति दोनों शब्द प्राप्त हैं। पर उद्योतकर ने उन्हें परमतके रूपमें प्रस्तुत किया है तथा उनकी आलोचना भी की है। इससे प्रतीत होता है कि न्यायवार्तिक कारको भी न्यायमूत्रकार और न्यायभाष्यकारको तरह अविनाभाव और व्याप्ति दोनों अमान्य है। उल्लेख्य है कि उद्योतकर अविनाभाव और व्याप्तिको आलोचना (न्यायवा० १।१।५, पृष्ट ५४, ५५) कर तो गये। पर स्वकीय सिद्धान्तको व्यवस्थामें उनका उपयोग उन्होंने असन्दिग्ध रूपमें किया है। उनके परवर्ती वाचस्पति मिश्रने अविनाभावको हेतुके पाँच रूपोंमें समाप्त कहकर उसके द्वारा ही समस्त हेतु रूपोंका संग्रह किया है। किन्तु उन्होंने भी अपने कथनको परम्परा-विरोधी समझकर अविनाभावका परित्याग कर दिया है और उद्योतकर के अभिप्रायानुसार पक्षधर्मत्वादि पाँच हेतु रूपोंको ही महत्त्व दिया है, अविनाभावको नहीं। जयन्त भट्टने अविनाभावको स्वीकार करते हुए भी उसे पक्षधर्मत्वादि पाँच रूपोंमें समाप्त वतलाया है।

इस प्रकार वाचस्पति और जयन्त भट्टके द्वारा जब स्पष्टतया अविनाभाव और व्याप्तिका प्रवेश न्यायपरम्परामें हो गया तो उत्तरवर्ती न्यायग्रन्थकारोंने उन्हें अपना लिया और उनकी व्याख्याएं आरम्भ कर दीं। यही कारण है कि बौद्ध

- १. (क) अविनामावेन शितपादयतीति चेत् । अथापीदं स्यात् अविनामावार्ऽाग्नधूमयोरतो धूमदर्शनादिग्नं प्रतिपद्यत इति । तन्न । विकल्पानुपपत्तेः । अग्निधूमयोरिवनामाव इति कोऽर्थः? किं कार्यकारणमावः उतैकार्थसमवायः तत्सम्बन्धमात्रं वा ।...ः
 - उद्योतकर, न्यायवा० १।१।५, पृष्ठ ५०, चौखम्मा, काशी, १९१६ ई०।
 - (ख) अयोत्तरमवधारणमवगम्यते तस्य व्याप्तिरर्थः तथाय्यनुमेयमवधारितं व्याप्त्या न धर्मो, यत एव करणं ततोऽन्यत्रावधारणमिति । सम्भवव्याप्त्या चानमेथं नियतं...।
 - —वही, १।१।५, ५^६ठ ५५,५६ ।
- २. (क) सामान्यतोदृष्टं नाम अकार्याकारणोभूतेन यत्राविनाभाविना विशेषणेन विशेष्यमाणो धर्मा गम्यते तत् सामान्यतोदृष्टं यथा बलाक्या सलिलानुमानम् ।
 - —न्यायवा० १!१।५, पृष्ठ ४७।
 - (ख) प्रसिद्धमिति पक्षे व्यापकं, सदिति सजातीयेऽस्ति, असन्दिग्वमिति सजातीया-विनामावि। — वही, १।१।१५, पृष्ठ ४९।
- ३. यद्यप्यविनाभावः पं चसु चतुर्षु वा रूपेषु लिंगस्य समाप्यते इत्यविनाभावेनैव सर्वाणि लिंगरूपाणि संगृद्धन्ते, तथापीह प्रसिद्धसच्छब्दाभ्या द्वयोः संगृहे गोवलाबर्दन्यायेन तत्परित्यज्य विपक्षव्यांतरेकासत्प्रातपक्षत्वाबाधितविषयत्वानि संगृहुणाति ।
 - --- रयायता o ताo टीo १।१।५, पृष्ठ १७८, चौखम्भा, १९२५ ईo ।
- ४. एतेषु पंचलक्षणेषु अविनाभावः समाप्यते ।

⁻न्यायकलिका १^६ठ २ ।

संक्षिप्त अनुमान-विवेचन : ३५

तार्किकों द्वारा मुख्यतया प्रयुक्त अनन्तरीयक (या नान्तरीयक) तथा प्रतिबन्ध और जैन तर्कग्रन्थकारों द्वारा प्रधानतया प्रयोगमें आने वाले अविनाभाव एवं व्याप्ति जैसे शब्द उद्योतकरके वाद न्यायदर्शनमें समाविष्ट हो गये एवं उन्हें एक-दूसरेका पर्याय माना जाने लगा। जयन्त भट्टने अविनाभावका स्पष्टीकरण करनेके लिए व्याप्ति. नियम. प्रतिबन्ध और साध्याविनाभावित्वको उसीका पर्याय बत-लाया है। वाचस्पति मिश्र^२ कहते हैं कि हेत्का कोई भी सम्बन्ध हो उसे स्वाभा-विक एवं नियत होना चाहिये और स्वाभाविकका अर्थ वे उपाधिरहित बतलाते हैं। इस प्रकारका हेत् हो गमक होता है और दूसरा सम्बन्धी (साध्य) गम्य। तात्पर्य यह कि उनका अविनाभाव या व्याप्तिशब्दोंपर जो नहीं है। पर उदयन र केशव मिश्र[ः], अन्तम्भट्ट^भ, विश्वनाथ पंचानन^६ प्रभति नैयायिकोंने व्याप्ति श**ब्दको** अपनाकर उसीका विशेष व्याख्यान किया है तथा पक्षधर्माताके साथ उसे अनु-मानका प्रमुख अंग वतलाया हैं। गंगेश और उनके अनुवर्ती वर्द्धमान उपाध्याय, पक्षघरमिश्र, वासुदेव मिश्र, रघुनाथ शिरोमणि, मथुरानाथ तर्कवगीश, जगदीश तकलिकार, गदाधर भट्टाचार्य आदि नव्य नैयायिकोंने व्याप्तिपर सर्वाधिक चिन्तन और निवन्धन किया है। गङ्कोशने तत्त्वचिन्तामणिमें अनमानलक्षण प्रस्तुत करके उसके व्याप्ति[े] और पक्षधमंता[्] दोनों अंगोंका नव्यपद्धतिसे विवेचन किया है।

प्रशस्तपाद-भाष्यमें भी अविनाभावका प्रयोग उपलब्ध होता **है। उन्होंने** अविनाभूत लिगको लिगीका गमक वतलाया है। पर वह उन्हें विलक्षण<mark>रूप ही</mark> अभिप्रेत है। ^{पर} यही कारण है कि टिप्पणकारने ¹³ अविनाभावका अ**र्थ 'ब्याप्ति' एवं**

- १. अविनाभावो व्यासिनियमः श्रीतवन्धः साध्याविनाभावित्वामत्यर्थः । —न्यायकाळ० पृष्ठ २ ।
- तस्माबो वा स वाऽस्तु, सम्बन्धः, कंवलं यस्यासी स्वामाविको नियतः स एव गमको गम्य-श्चेतरः सम्बन्धाति युज्यते । तथा हि धूमादीनां बह्ववादिसम्बन्धः स्वामाविकः, न तु बह्ववादीनां धूमादिभिः । तस्मादुषाधि अथलेनान्विष्यन्तोऽनुपलभमाना नास्तीत्यवगम्य स्वामाविकत्वं सम्बन्धस्य निश्चिनुमः ।
 - -- त्यायवा० ता० टी० १।१।५, पृष्ठ १६५ ।
- ३. किरणा० पृष्ठ २९०, २५४, २९५-३०२।
- ४. तर्कमाः पृष्ठ ७२, ७८, ८२, ८३, ८८।
- तकसं० पृष्ठ ५२-५७।
- ६. सि० मु० का० ६८, पृष्ठ ५१-५५।
- ७. इनके ग्रम्थोद्धरण विस्तारभयसे यहाँ अपस्तुत हैं।
- ८. त० चि० अनु० खण्ड, ए० १३।
- ९. वही, पृ० ७७-८२, ८६-८९, १७१-२०८,२०६-४३२।
- **१०. वही, अन्० ख० पृ**ष्ट ६२३-**६**३१ ।
- ११-१२. प्र० भा० पृ० १०३ तथा १००। १३. वही, दुण्ढिराज शास्त्री, टिप्प० पृ० १०३।

'अन्यभिचरित सम्बन्ध' दे करके भी शंकरिमश्र द्वारा किये गये अविनाभावके खण्डनसे सहमित प्रकट को है और 'वस्तुतस्वनौपाधिकसम्बन्ध एव ज्याप्तिः' इस उदयनोक्त वयाप्तिलक्षणको ही मान्य किया है। इससे प्रतीत होता है कि अविनाभावको मान्यता वैशेषिकदर्शनको भी स्वोपज्ञ एवं मौलिक नहीं है।

कुमारिलके मोमांसाश्लोकवार्तिकमें व्याप्ति और अविनाभाव दोनों शब्द मिलते हैं। पर उनके पूर्व न जैमिनिसूत्रमें वे हैं और न शावर-भाष्यमें।

बौद्ध तार्किक शंकरस्वामीके न्यायप्रवेशमें भी अविनाभाव और व्याप्ति शब्द नहीं हैं। पर उनके अर्थका बोधक नान्तरीयक (अनन्तरीयक) शब्द पाया जाता है। धर्मकोर्ति , धर्मोत्तर^६, अर्चट आदि बौद्ध नैयायिकोंने अवश्य प्रतिबन्ध और नान्तरीयक शब्दोंके साथ इन दोनोंका भी प्रयोग किया है। इनके पश्चात् तो उक्त शब्द बौद्ध तर्कग्रन्थोंमें बहुलतया उपलब्ध हैं।

तब प्रश्न है कि अविनाभाव और व्याप्तिका मूल स्थान क्या है ? अनुसन्धान करने पर ज्ञात होता है कि प्रशस्तपाद और कुमारिलसे पूर्व जैन तार्किक समन्त-भद्रने , जिनका समय विक्रमकी २री, ३री शती माना जाता है, अस्तित्वको नास्तित्वका और नास्तित्वको अस्तित्वका अविनाभावी बतलाते हुए आवनाभाव-का व्यवहार किया है। एक दूसरे स्थल पर थे भी उन्होंने उसे स्पष्ट स्वीकार किया है। और इस प्रकार अविनाभावका निर्देश मान्यताके रूपमें सर्वप्रथम समन्तभद्रने किया जाना पड़ता है। प्रशस्तपादको तरह उन्होंने उसे त्रिलक्षणरूप स्वीकार नहीं किया। उनके पश्चात् तो वह जैन परम्परामें हेतुलक्षणरूपमें ही प्रतिष्ठित हो गया। पूज्यपादने भी, जिनका अस्तित्व-समय ईसाकी पाँचवीं शताब्दी है, अवि-

- १. प्र० भा० टिप्प० पृष्ठ १०३।
- २. किरणा० पृ० २६७ ।
- ३. मी० रलोक अन० खं० रलो० ४, १२, ४३ तथा १६१।
- ४. न्या० म**०** पृष्ठ ४, ५ ।
- प. प्रमाणवा० १।३, १।३२ तथा न्यायिक पृ० ३०, ९३ । हेतुिक पृ० ५४ ।
- ६. न्यायबि० टो० पृष्ठ ३०।
- ७. हेतु बि० टी० पृष्ठ ७,८,१०,११ आदि ।
- ८. श्री जुगलिकशोर मुस्तार, स्वामी समन्तभद्र पृष्ठ १९६ ।
- अस्तित्वं प्रतिषेध्येनाविनाभाव्येकधर्माण ।
 नास्तित्वं प्रतिषेध्येनाविनाभाव्येकधर्मिण ।
 - ---आप्तमी० का १७,१८।
- १०. धर्मधर्म्योवनाभावः सिद्धयत्यन्योन्यवीक्षया ।
 - ---वही, का० ७५।
- .११. स० सि० पा१८, १०।४।

संक्षिप्त अनुमान-विवेचन : ४१

नाभाव और ब्यासि दोनों शब्दोंका प्रयोग किया है। सिद्धसेन, पात्रस्वामी, कुमारनिंद अकलंक माणिक्यनिंद अादि जैन तर्कग्रन्थकारोंने अविनाभाव, व्याप्ति और अन्यथानुपपत्ति या अन्यथानुपपत्तत्व तीनोंका व्यवहार पर्यायशब्दोंके रूपमें किया है। जो (साधन) जिस (साध्य) के बिना उपपन्न न हो उसे अन्यथानुपपन्न कहा गया है। असम्भव नहों कि शाबरभाष्यगत अर्थापत्यु-त्थापक अन्यथानुपपद्यमान और प्रभाकरकी बृहतीमें उसके लिए प्रयुक्त अन्यथानुपपत्ति शब्द अर्थापत्ति और अनुमानको अभिन्न मानने वाले जैन तार्किकोंसे अपनाये गये हों, क्योंकि ये शब्द जैन न्यायग्रन्थोंमें अधिक प्रचलित एवं प्रयुक्त मिलते हैं और शान्तरक्षित अदि प्राचीन तार्किकोंने उन्हें पात्रस्वामीका मत कह कर उद्धृत तथा समालोचित किया है। अतः उनका उद्गम जैन तर्कग्रन्थोंसे बहुत कुछ सम्भव है।

प्रस्तुत अनुशीलनसे हम इस निष्कर्षपर पहुँचते हैं कि न्याय वैशेषिक और बौद्ध दर्शनोंमें आरम्भमें पक्षधर्मता (सपक्षसत्त्व और विपक्षज्यावृत्ति सहित) को तथा मध्यकाल और नव्ययुगमें पक्षधर्मता और व्याप्ति दोनोंको अनुमानका आधार माना गया है। पर जैन तार्किकोंने आरम्भसे अन्त तक पक्षधमंता (अन्य दोनों रूपों सहित) को अनावश्यक तथा एकमात्र व्याप्ति (अतिनाभाव, अन्यथानुप-पन्नत्त्व) को अनुमानका अपरिहार्य अंग बतलाया है।

अनुमान-भेद :

प्रश्न है कि यह अनुमान कितने प्रकारका माना गया है ? अध्ययन करनेपर प्रतीत होता है कि सर्वप्रथम कणादने के अनुमानके प्रकारोंका निर्देश किया है। उन्होंने उसको कण्ठतः संख्याका तो उल्लेख नहीं किया, किन्तु उसके प्रकारोंको

```
१. न्यायाव० १३, १८, २०, २२।
```

२. तत्त्वसं० पृ० ४०६ पर उद्धृत 'अन्ययानुपपन्नत्वं' आदि का० ।

ম০ प० पृ० ७२ में उद्धृत 'अन्यथानुवपस्येकलक्षणं' आदि कारि०।

४. न्या० वि० २।१८७, ३२३, ३२७, ३२६।

प्र. परो० मु० ३।११, १५, १६, ९४, ९५, ६६ ।

६. साधनं प्रकृताभावेऽनुपपन्नं—। —न्यायवि० २।६६, तथा प्रमाणसं० २१।

अर्थापत्तिरपि दृष्टः अतो नार्थोऽन्यथा नोपपचते इत्यर्थकल्पना ।
 —शाबरभा० १११।५, बहती, पृष्ठ ११० ।

क्रयमन्यद्यानुपपत्तिर्नाम १ ः न हि अन्यद्यानुपपत्तिः प्रत्यक्षसमधिगम्या ।
 —बृहतो ए० ११०, १११ ।

६. तत्त्वसं० पृ० ४०५-४०८।

१०. वैशे स्० हाराश।

गिनाया है। उनके परिगणित प्रकार निम्न हैं—(१) कार्य, (२) कारण, (३) संयोगो, (४) विरोधि और (४) समवायि। यतः हेतुके पाँच भेद हैं, अतः उनसे उत्पन्न अनुमान भी पाँच हैं।

ज्यायसूत्र^१, उपायहृदय^२, चरक³' सांख्यकारिका^४ और अनुयोगद्वारसूत्रमें ' अनुमानके पूर्वोत्लिखत पूर्वंवत् आदि तीन भेद बताये हैं। विशेष यह कि चरकमें त्रित्वसंख्याका उल्लेख है, उनके नाम नहीं दिये। सांख्यकारिकामें भी त्रिविधत्वका निर्देश है और केवल तीसरे सामान्यतोदृष्टका नाम है। ि किन्तु माठर' तथा युक्तिदीपिकाकार ने तीनोंके नाम दिये हैं और वे उपर्युक्त ही हैं। अनुयोगद्वारमें प्रथम दो भेद तो वही हैं, पर तीसरेका नाम सामान्यतोदृष्ट न होकर दृष्टसा-धर्म्यवत् नाम हैं।

इस विवेचनसे ज्ञात होता है कि तार्किकोंने उस प्राचीन कालमें कणादकी पंचिवध अनुमान-परम्पराको नहीं अपनाया, किन्तु पूर्ववदादि त्रिविध अनुमानकी परम्पराको स्वोकार किया है। इस परम्पराका मूल वया है? न्यायसूत्र है या अनुयोगसूत्र आदिमेंसे कोई एक? इस सम्बन्धमें निर्णयपूर्वक कहना कठिन है। पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि उस समय पूर्वागत त्रिविध अनुमानको कोई सामान्य परम्परा रही है जो अनुमान-चर्चामें वर्तमान थो और जिसके स्वी-कारमें किसीको सम्भवतः विवाद नहीं था।

पर उत्तरकालमें यह त्रिविध अनुमान-परम्परा भी सर्वमान्य नहीं रह सकी । प्रशस्तपादने दो तरहसे अनुमान-भेद बतलाये हैं — १ दृष्ट और २ सामान्यतो-दृष्ट । अथवा १. स्वनिश्चितार्थानुमान और २. परार्थानुमान । मीमांसादर्शनमें शबरने प्रशस्तपादके प्रथमोक्त अनुमानद्वैविष्यको ही कुछ परिवर्तनके साथ स्वीकार किया है — १ प्रत्यक्षतोदृष्टसम्बन्ध और २ सामान्यतोदृष्टसम्बन्ध ।

१. न्ययायस्० १।१।५।

२. उपायहर० पृ० १३।

३. चरकस्त्रस्थान ११।२१, २२।

४. सां० का० का० ५।

मुनि कन्हैयालाल, अनुयो० स्० पृ० ५३६ ।

६. सां० का० का० ६।

७. माठरवृ० का० ४।

युक्तिदी० का० ५, पृष्ठ ४३, ४४।

९. मञा० भा० पृ० १०४, १०६, ११३।

१०. शाबरभा० १।१।५, पृष्ठ ३६।

सांख्यदर्शनमें वाचस्पतिके अनुसार वीत और अवीत ये दो भेद भी मान लिये हैं। वीतानुमानको उन्होंने पूर्ववत् और सामान्यतोदृष्ट द्विविधक्ष्प और अवीता-नुमानको शेषवत् रूप मानकर उक्त अनुमान त्रैविध्यके साथ समन्वय भी किया है। ध्यातव्य है कि सांख्योंकी सप्तविध अनुमान-मान्यताका भी उल्लेख उद्योतकर दे, वाचस्पति अौर प्रभाचन्द्रने किया है। पर वह हमें सांख्यदर्शनके उपलब्ध ग्रन्थोंमें प्राप्त नहीं हो सकी। प्रभाचन्द्रने तो प्रत्येकका स्वरूप और उदाहरण देकर उन्हें स्पष्ट भी किया है।

आगे चलकर जो सर्वाधिक अनुमानभेद-गरम्परा प्रतिष्ठित हुई वह है प्रशस्त-पादकी उक्त-१ स्वार्थ और २ परार्थभेदवाली परम्परा । उद्योतकरने पूर्वव-दादि अनुमानत्रैविध्यकी तरह वेवलान्त्रयी, केवलब्यतिरेकी और अन्त्रयब्यतिरेकी इन तीन नये अनुमान-भेदोंका भी प्रदर्शन किया है । किन्तु उन्होंने और उनके उत्तरवर्ती वाचस्पति तकके नैयायिकोंने प्रशस्तपादिनिर्दिष्ट उक्त स्वार्थ-परार्थके अनुमानद्वैविध्यको अंगोकार नहीं किया । पर जयन्त्तभट्ट और उनके पादचात्-वर्ती केशव मिश्र आदिने उक्त अनुमानद्वेविध्यक। मान लिया है ।

बौद्ध दर्शनमें दिङ्नागसे पूर्व उक्त हैं विध्यकी परम्परा नहीं देखी जाती। परन्तु दिङ्नागने उसका प्रतिपादन किया है। उनके पश्चात् तो धर्मकिर्ति अविने इसीका निरूपण एवं विशेष व्याख्यान किया है।

जैन तार्किकोंने ⁹ इसी स्वार्थ-परार्थ अनुमानहैविष्यको अंगीकार किया है और अनुयोगढ़ारादिपतिपादित अनुमानत्रैविष्यको स्थान नहीं दिया, प्रत्युत उसकी समीक्षा की है। ⁹⁹

- १. सां० त० कौ० का० ५, ५० ३०-३२।
- २. न्यायवा० १।१।५, पृष्ठ ५७ ।
- ३. न्यायत्रा० ता० टी० १।१।५, पृष्ठ १६५ ।
- ४. न्यायकु० च० ३।१४, पृष्ठ ४६२।
- ५. न्यायबा० १.१।५, पृष्ठ ४६ ।
- ६. न्यायमं० पृष्ठ १३०, १३१।
- ७. तर्कभा० ५० ७९ ।
- **८. ममाणसमु**०२।१।
- ह. न्यायांब० पृ० २१, द्वि० परि०।
- १०. सिद्धसेन, न्यायाव० का०१०। अकल्लंक, सि० वि०६।२, पृष्ठ ३७३,। विद्यानन्द, प्र० प० पृ० ७६। माणिक्यनिन्द, परी० मु० ३।५०, ५३। देवस्रि, प० न०त० ३।६,१०,। हेमचन्द्र, प्रमाणमी० १।२।८, पृष्ठ ३९ आदि।
- ११. अकलंक, न्यायविनि० २४१,३४२, । स्याद्वादर० पृष्ठ ५२७ । आदि ।

इस प्रकार अनुमान-भेदोंके विषयमें भारतीय तार्किकोंकी विभिन्न मान्यताएँ तर्कग्रन्थोंमें उपलब्ध होती हैं। तथ्य यह कि कणाद जहाँ साधनभेदसे अनुमानभेदका निरूपण करते हैं वहाँ न्यायमूत्र आदिमें विषयभेद तथा प्रशस्तपादभाष्य आदिमें प्रतिपत्ताभेदसे अनुमान-भेदका प्रतिपादन ज्ञात होता है। साधन अनेक हो सकते हैं, जैसा कि प्रशस्तपादने कहा है, अतः अनुमानके भेदोंकी संख्या पाँचसे अधिक भी हो सकती है। न्यायसूत्रकार आदिकी दृष्टिमें चूँकि अनुभय या तो कार्य होगा, या कारण या अकार्यकारण। अतः अनुमेयके त्रैविध्यसे अनुमान त्रिविध है। प्रशस्तपाद दिविध प्रतिपत्ताओंकी दिविध प्रतिपत्तियोंकी दृष्टिसे अनुमानके स्वार्थ और परार्थ दो ही भेद मानते हैं, जो बुद्धिको लगता है, क्योंकि अनुमान एक प्रकारकी प्रतिपत्ति है और वह स्व तथा पर दोके द्वारा की जाती है। सम्भवतः इसीसे उत्तरकालमें अनुमानका स्वार्थ-परार्थ दैविध्य सर्वाधिक प्रतिष्ठित और लोकप्रिय हुआ। अनुमानावयव:

अनुमानके तीन उपादान हैं, रे जिनसे वह निष्पन्न होता है—१. साघन, २. साघ्य और ३. धर्मी । अथवा रे १. पक्ष और २. हेतु ये दो उसके अंग हैं, क्योंकि साघ्यधर्म विशिष्ट धर्मीको पक्ष कहा गया है; अतः पक्षको कहनेसे धर्म और धर्मी दोनोंका ग्रहण हो जाता है। साधन गमकरूपसे उपादान है, साघ्य गम्यरूप-से और धर्मी साघ्यधर्मके आधाररूपसे, क्योंकि किसी आधार-विशेषमें साघ्यकी सिद्धि करना अनुमानका प्रयोजन है। सच यह है कि केवल धर्मकी सिद्धि करना अनुमानका घ्येय नहीं है, क्योंकि वह व्याप्ति-निश्चयकालमें ही अवगत हो जाता और न केवल धर्मोंकी सिद्धि अनुमानके लिए अपेक्षित है, क्योंकि वह सिद्ध रहता है। किन्तु 'पर्वत अग्निवाला है' इस प्रकार पर्वतमें रहने वाली अग्निका ज्ञान करना अनुमानका लक्ष्य है। अतः धर्मी भी साध्यधर्मके आधार रूपसे अनुमानका अंग है। इस तरह साधन, साघ्य और धर्मी ये तीन अथवा पक्ष और हेतु ये दो स्वर्णानुमान तथा परार्थानुमान दोनोंके अंग हैं। कृष्ट अनुमान ऐसे भी होते हैं जहाँ धर्मी नहीं होता। जैसे—सोमवारसे मंगलका अनुमान आदि। ऐसे अनुमानोंमें साधन और साध्य दो हो अंग हैं।

उपर्युक्त अंग स्वार्थानुमान और ज्ञानात्मक परार्थानुमानके कहे गये हैं। किन्तु वचनप्रयोग द्वारा प्रतिवादियों या प्रतिपाद्योंको अभिधेय-प्रतिपत्ति कराना जब अभिप्रेत होता है तब वह वचनप्रयोग परार्थानुमान-वाक्यके नामसे अभिहित

१. प्रश् भा० पृ० १०४।

२. धर्मभूषण, न्यायदी० तृ० प्रकाश ए० ७२।

३. वही, पृष्ठ ७२-७३।

होता है और उसके निष्पादक अंगोंको अवयव कहा गया है। परार्थानुमानवाक्य-के कितने अवयव होने चाहिए, इस सम्बन्धमें तार्किकोंके विभिन्न मत हैं। न्याय-सूत्रकारका मत है कि परार्थानुमान वाक्यके पाँच अवयव हैं—१ प्रतिज्ञा, २. हेतु, ३. उदाहरण, ४. उपनय और ५. निगमन। भाष्यकारने सूत्रकारके इस मतका न केवल समर्थन हो किया है, अपितु अपने कालमें प्रचलित दशावयव-मान्यताका निरास भो किया है। वे दशावयव हैं—उक्त ५ तथा ६. जिज्ञासा, ७. संशय, ८. शक्यप्राप्ति, ९. प्रयोजन और १०. संशयव्युदास।

यहाँ प्रश्न है कि ये दश अवयव किनके द्वारा माने गये हैं ? भाष्यकारने उन्हें 'दशावयवानेके नैयायिका वाक्ये संचक्षते³' शब्दों द्वारा 'किन्हीं नैयायिकों'की मान्यता बतलाई है। पर मूल प्रश्न असमाधेय ही रहता है।

हमारा अनुमान है कि भाष्यकारको 'एके नैयायिका:' पदसे प्राचीन सांख्य-विद्वान् युक्तिदोपिकाकार अभिप्रेत हैं, क्योंकि युक्तिदीपिकामें उक्त दशावयवोंका न केवल निर्देश हैं किन्तु स्वमतरूपमें उनका विश्वद एवं विस्तृत व्याख्यान भी है। युक्तिदीपिकाकार उन अवयवोंको बतलाते हुए पितपादन करते हैं कि 'जिज्ञासा, संश्य, प्रयोजन, शक्यप्राप्ति और संशयव्युदास ये पाँच अवयव व्याख्यांग हैं तथा प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टान्त, उपसंहार और निगमन ये पाँच परप्रतिपादनांग। तात्पर्य यह कि अभिध्येका प्रतिपादन दूसरोंके लिए प्रतिज्ञादि द्वारा होता है और व्याख्या जिज्ञासादि द्वारा। पुनक्षित, वैयर्थ्य आदि दोषोंका निरास करते हुए युक्तिदीपिकामें कहा गया है कि विद्वान् सबके अनुग्रहके लिए जिज्ञासादिका अभिधान करते हैं। यतः व्युत्पाद्य अनेक तरहके होते हैं—सन्दिग्ध, विपर्यस्त और अव्युत्पन्न। अतः इन सभीके लिए सन्तोंका प्रयास होता है। दूसरे, यदि प्रतिवादी प्रश्न करे कि क्या जानना चाहते हो? तो उसके लिए जिज्ञासादि अवयवोंका वजन आवश्यक है। किन्तु प्रश्न न करे तो उसके लिए वे नहीं भी कहे जाएँ।

१. न्यायसू १।१/३२।

२-३. न्यायमा० १।१।३२, पृष्ठ ४७ ।

४-५. तस्य पुनरवयवाः —िज्ञासा-संश्य-य-प्रयाजन-शवयप्राप्ति-संशयन्युदासलक्षणाश्च व्या-ख्यांगम्, प्रतिज्ञा-हेतु-दृष्टाम्तोपसंहार-निगमना।न परप्रतिपादनागामति ।

⁻⁻⁻युक्तदो० का० ६, पृष्ठ ४७।

६. अत्र त्रूमः—न, उक्तस्वात् । उक्तमेतत् पुरस्तात् व्याख्यांगं जिज्ञासादयः। सर्वस्य चातु-यहः कर्त्तव्य इत्येवमर्थं च ज्ञास्त्रव्याख्यानं विपश्चिद्भिः प्रत्याय्यते, न स्वार्थं सस्बद्धः-बुद्धवर्थं वा ।

⁻⁻ वही० का० ६, पृष्ठ ४९।

अन्तमें निष्कर्ष निकालते हुए युक्तिदीपिकाकार कहते हैं कि इसीसे हमने जो वीतानुमानके दशावयव कहे वे सर्वथा उचित हैं। आचार्य (ईश्वरकृष्ण) उनके प्रयोगको न्याय-संगत मानते हैं। इससे अवगत होता है कि दशावयवकी मान्यता युक्तिदीपिकाकारकी रही है। यह भी सम्भव है कि ईश्वरकृष्ण या उनसे पूर्व किसी सांख्य विद्वान्ने दशावयवोंको माना हो और युक्तिदीपिकाकारने उनका समर्थन किया हो।

जैन विद्वान् भद्रबाहुने ³ भी दशावयवोंका उल्लेख किया है। जैसा कि पूर्वमें लिखा गया है। किन्तु उनके वे दशावयव उपर्युक्त दशावयवोंसे कुछ भिन्न हैं।

प्रशस्तपादने पाँच अवयव माने हैं। पर उनके अवयवनामों और न्याय-सूत्रकारके अवयवनामों में कुछ अन्तर है। प्रतिज्ञाके स्थानमें तो प्रतिज्ञा नाम ही है। किन्तु हेतुके लिए अपदेश, दृष्टान्तके लिए निदर्शन, उपनयके स्थानमें अनु-सन्धान और निगमनकी जगह प्रत्याम्नाय नाम दिये हैं। यहाँ प्रशस्तपादकी एक विशेषता उल्लेखनीय है। न्यायसूत्रकारने जहाँ प्रतिज्ञाका लक्षण 'साध्यिनदेशः प्रतिज्ञा' यह किया है वहाँ प्रशस्तपादने 'अनुमयोद्देशोऽविरोधो प्रतिज्ञा' यह कहकर उसमें 'अविरोधो' पदके द्वारा प्रत्यक्ष-धिरुद्ध आदि पाँच विरुद्धसाध्यों (साध्या-मासों) का भी निरास किया है। न्यायप्रवेशकारने भी प्रशस्तपादका अनुसरण करते हुए स्वकीय पक्षलक्षणमें 'अविरोधि' जैसा हो 'प्रत्यक्षाद्यविरुद्ध' विशेषण दिया है और उसके द्वारा प्रत्यक्षविरुद्धादि साध्याभासोंका परिहार किया है।

न्यायप्रवेश^७ और माठरवृत्तिमें⁻ पक्ष, हेतु और दृष्टान्त ये तीन अवयव स्वीकार

- १. 'तस्मात् स्कं दशात्रयवो वीतः। तस्य पुरस्तात् प्रयोगं न्याय्यमाचायां मन्यन्ते।'
 - --- यु० दी० का० ६, पृष्ठ ५१।

'अत्रयवाः पुनर्जिद्यासादयः प्रतिद्यादयश्च । तत्र जिद्यासादयो व्याख्यांगम्, प्रतिद्यादयः परप्रत्यायनांगम् । तातुत्तरत्र वक्ष्यामः ।'

- ⊶ वही० का०१ की भूमिका पृष्ठ३।
- शुक्तिदीपिकाकारने इसी बातको आचार्य (ईश्वरकृष्ण) की कारिकाओं—१,१५, १६,३५ और ५७ के प्रतीकों द्वारा समिथित किया है।
 - —यु. दी. का०१ की मूमिका पृष्ठ ३।
- ३. दज्ञवै० नि० गा० ४९-१३७।
- ४. अवयवाः पुनः प्रतिज्ञापदेशनिदर्शनानुसन्धानप्रत्याम्नायाः ।
 —प्रशः भाः पृ० ११४।
- वही, पृष्ठ ११४, ११५।
- ६. न्शयम० पृ० १।
- ७. वही, पृ०१, २।
- ८. माठरवृ० का० ५।

संक्षिप्त अनुमान-विवेचन : ४७

किये हैं। धर्मकीर्तिने[ी] उक्त तीन अवयवोंमेंसे पक्षको निकाल दिया है और **हे**तु तथा दृष्टान्त ये दो अवयव माने हैं। न्यायबिन्दु और प्रमाणवार्तिकमें उन्होंने केवल हेतुको ही अनुमानावयव माना है। ^२

मीमांसक विद्वान् शालिकानाथने उपकरणपंचिकामें, नारायण भट्टने मान-मेयोदयमें और पार्थसारिथने न्यायरत्नाकरमें प्रतिज्ञा, हेतु और दृष्टान्त इन तीन अवयवोंके प्रयोगको प्रतिपादित किया है।

जैन तार्किक समन्तभद्रका संकेत तत्त्वार्थसूत्रकारके अभिप्रायानुसार पक्ष, हेतु और दृष्टान्त इन तीन अवयवोंको माननेकी ओर प्रतीत होता है। उन्होंने आप्त-मीमांसा (का० ६, १७, १८, २७ आदि) में उक्त तीन अवयवोंसे साध्य-सिद्धि प्रस्तुत की है। सिद्धसेननं भी उक्त तीन अवयवोंका प्रतिपादन किया है। पर अकलंक और उनके अनुवर्ती विद्यानन्द , माणिक्यनन्दि , देवसूरि , हेमचन्द्र , हमचन्द्र , धर्मभूषण , यशोविजय विद्यान विद्यान विद्यान किया है। अवयव स्वीकार किये हैं और दृष्टान्तादि अन्य अवयवोंका निरास किया है। देवसूरि अत्यन्त ब्युत्पन्नकी अपेक्षा मात्र हेतुके प्रयोगको भी मान्य किया है। पर साथ ही वे यह भी बतलाते हैं कि बहुलतासे एकमात्र हेतुका प्रयोग न होनेसे उसे सूत्रमें प्रथित नहीं किया। स्मरण रहे कि जैन न्यायमें उक्त दो अवयवोंका प्रयोग व्युत्पन्न प्रतिपाद्यकी दृष्टिसे अभिहित है। किन्तु अव्युत्पन्न प्रतिपाद्योंकी अपेक्षासे तो दृष्टान्तादि अन्य अवयवोंका भी प्रयोग स्वीकृत है। किन्तु अव्युत्पन्न प्रतिपाद्योंकी अपेक्षासे तो दृष्टान्तादि अन्य अवयवोंका भी प्रयोग स्वीकृत है। किन्तु अव्युत्पन्न प्रतिपाद्योंकी अपेक्षासे तो दृष्टान्तादि अन्य अवयवोंका भी प्रयोग स्वीकृत है। किन्तु अव्युत्पन्न प्रतिपाद्योंकी अपेक्षासे तो दृष्टान्तादि अन्य अवयवोंका भी प्रयोग स्वीकृत है।

```
१. वादन्या० ए० ६१। प्रमाणवा० १।१२८। न्यायंबि० पृष्ठ ९१।
```

२. प्रमाणवा / १/१२८ । न्यायबि० पृष्ठ ६१ ।

३. प्र० पं० पृ० २२०।

४. मा० मे० पृ० ६४।

प. न्यायरत्ना० पृष्ठ ३६१ (मी० क्लोक अनु० परि० क्लोक ५३) ।

६. न्यायाव० १३-१६।

७ न्या० त्रि० का० ३८१।

८. पत्रपरो० पृ० ६ ।

ह. परीक्षामु० ३,३७।

१०. प्र० न० त० ३।२८, २३।

११. प्र० मी० राश ९।

१२. न्याय० दो० पृष्ठ ७६।

१३. जैनत० पृ० १६।

१४. प्रव नव तव शार्श, पृष्ट ४४८।

१५. परी० मु० ३।४६। प० न० त० ३।४२ । प० मी० २।१।१०।

१६. प्रव नव तव शाहर, पृव पहला।

१७. प्रव मीव राशाश्व, पृष्ठ ५२ । १८. जैनतव भाव पृष्ठ १६ ।

भद्रबाहुकथित पक्षादि पाँच शुद्धियोंके भी वाक्यमें समावेशका कथन किया और भद्रबाहुके दशावयवोंका समर्थन किया है।

अनुमान-दोष :

अनुमान-निरूपणके सन्दर्भ में भारतीय ताकिकोंने अनुमानके सम्भव दोषोंपर भी विचार किया है। यह विचार इसिलए आवश्यक रहा है कि उससे यह जानना शक्य है कि प्रयुक्त अनुमान सदोष है या निर्दोष ? क्योंकि जब तक किसी ज्ञानके प्रामाण्य या अप्रामाण्यका निश्चय नहीं होता तब तक वह ज्ञान अभिप्रेत अर्थकी सिद्धि या असिद्धि नहीं कर सकता। इसीसे यह कहा गया है कि प्रमाणसे अर्थसंसिद्धि होती है और प्रमाणभाससे नहीं। और यह प्रकट है कि प्रामाण्यका कारण गुण हैं और अप्रामाण्यका कारण दोष। अतएव अनुमानप्रामाण्यके हेतु उसकी निर्दोषताका पता लगाना बहुत आवश्यक है। यही कारण है कि तर्क-ग्रन्थोंमें प्रमाण-निरूपणके परिप्रेक्ष्यमें प्रमाणाभास-निरूपण भी पाया जाता है। व्यायसूत्रमें प्रमाणपरीक्षा प्रकरणमें अनुमानकी परीक्षा करते हुए उसमें दोषाशंका और उसका निरास किया यया है। वात्स्यायनने अननुमान (अनुमानाभास) को अनुमान समझनेकी चर्चा द्वारा स्पष्ट बतलाया है कि दूषितानुमान भी सम्भव है।

अब देखना है कि अनुमानमें क्या दोष हो सकते हैं और वे कितने प्रकारके सम्भव हैं? स्पष्ट है कि अनुमानका गठन मुख्यतया दो अङ्गों पर निर्भर है—? साधन और २ साध्य (पक्ष)। अतएव दोष भी साधनगत और साध्यगत दो ही प्रकारके हो सकते हैं और उन्हें क्रमशः साधनाभास तथा साध्याभास (पक्षाभास) नाम दिया जा सकता हैं। साधन अनुमान-प्रासादका वह प्रधान एवं महत्त्वपूर्ण स्तम्भ हैं जिसपर उसका भव्य भवन निर्मित होता है। यदि प्रधान स्तम्भ निर्बल हो तो प्रासाद किसी भी क्षण क्षतिग्रस्त एवं घराशायी हो सकता है। सम्भवतः इसीसे गौतमने साध्यगत दोषोंका विचार न कर मात्र साधनगत दोषोंका विचार किया और उन्हें अवयवोंको तरह सोलह पदार्थोंके अन्तर्गत स्वतन्त्र पदार्थका स्थान प्रदान

१. प्रमाणादर्थसंसिद्धिस्तदाभासाद्विपर्ययः ।

 माणिक्यनन्दि परी० मु० मंगलश्लो० १ ।

२. न्यायस्० २।१।३८, ३९।

३. न्यायमा० २।१।३९।

४. न्यायस्० १।२।४-९।

किया है। इससे गौतमकी दृष्टिमें उनकी अनुमानमें प्रमुख प्रतिबन्धकता प्रकट होती है। उन्होंने उन साधनगत दोषोंको, जिन्हें हेत्वाभासके नामसे उल्लिखत किया गया है, पाँच बतलाया है। वे हैं — १. सन्यभिचार, २. विरुद्ध, ३. प्रक-रणसम, ४. साध्यसमय और ५. कालातीत । हेत्वाभासोंकी पाँच संख्या सम्भवतः हेत्के पाँच रूपोंके अभावपर आधारित जान पड़ती है। यद्यपि हेत्के पाँच रूपों-का निर्देश न्यायसूत्रमें उपलब्ध नहीं है। पर उसके व्याख्याकार उद्योतकर प्रमति-ने उनका उल्लेख किया है। उद्योतकरने हेत्का प्रयोजक समस्तरूपसम्पत्तिको और हेत्वाभासका प्रयोजक असमस्तरूपसम्पत्तिको बतला कर उन रूपोंका संकेत किया है। वाचस्पतिने उनको स्पष्ट परिगणना भी कर दी है। वे पाँच रूप हैं-पक्षधर्मत्व, सपक्षसत्त्व, विपक्षासत्त्व, अबाधितविषयत्व और असत्प्रनिपक्षत्त्व। इनके अभावसे हेत्वाभास पाँच ही सम्भव हैं। जयन्तभट्टने हें तो स्पष्ट लिखा है कि एक-एक रूपके अभावमें पाँच हेत्त्वाभास होते हैं। न्यायसूत्रकारने एक-एक पृथक सूत्र द्वारा उनका निरूपण किया है। वात्स्यायनन पहित्वाभासका स्वरूप देते हुए लिखा है कि जो हेतूलक्षण (पंचरूप) रहित हैं परन्तू कतिपय रूपोंके रहनेके कारण हेतू-सादश्यसे हेतूकी तरह आभासित होते हैं उन्हें अहेतू अर्थात हेत्वाभास कहा गया है। सर्वदेवने^६ भी हेत्वाभासका यही लक्षण दिया है।

कणादने अप्रसिद्ध, विरुद्ध और सन्दिग्ध ये तीन हेत्वाभास प्रतिपादित किये हैं। उनके भाष्यकार प्रशस्तपादने उनका समर्थन किया है। विशेष यह कि उन्होंने काश्यपको दो कारिकाएँ उद्धृत करके पहली द्वारा हेतुको त्रिरूप और दूसरी द्वारा उन तीन रूपोंके अभावसे निष्पन्न होने वाले उक्त विरुद्ध, असिद्ध और

- सन्यभिचारिवरुद्धपकरणसमसाध्यसमकाळातीता हेत्वामासाः ।
 - --न्यायस्० शशारा ।
- २. समस्तलक्षणोपपत्तिरसमस्तलक्षणोपपत्ति श्च ।
 - —न्यायवा० १।२।४, पृष्ठ १६३ ।
- ३. न्यायवा० ता० टो० १।२।४, पृष्ठ ३३० ।
- ४. हेतोः पंचलक्षणानि पक्षधर्मत्त्रादोनि उक्तानि । तेषामेकैकापाये पंच हेत्वामासा भवन्ति असिद्ध-विरुद्ध-अनैकान्तिक-कालात्ययापदिष्ट-प्रकरणसमाः ।
 - —न्यायक्तिका पृ० १४ । न्यायमं ० पृ० १०१ ।
- ५. हेतुलक्षणाभावादहेतवी हेतुसामान्याद्धेतु वदाभासमानाः ।
 - —न्यायमा० १।२।४ को उत्यानिका, पृ० ६३ ।
- ६. प्रमाणमं ० पृष्ठ ९ ।
- ७. वै० स० ३।१।१५।
- द. प्रश्च भाव पृव १००-१०१ ।
- ९. प्रशा० भा० पृ० १००।

सन्दिग्ध तीन हेत्वाभासोंको बताया है। प्रशस्तपादका एक वैशिष्टच और उल्लेख्य है। उन्होंने निदर्शनके निरूपण-सन्दर्भमें बारह निदर्शनाभासोंका भी प्रतिपादन किया है, जबिक न्यायसूत्र और न्यायभाष्यमें उनका कोई निर्देश प्राप्त नहीं है। पाँच प्रतिज्ञाभासों (पक्षाभासों) का भी कथन प्रशस्तपादने किया है, जो बिलकुल नया है। सम्भव है न्यायसूत्रमें हेत्त्वाभासोंके अन्तर्गत जिस कालातीत (बाबितविषय—कालात्ययापिदष्ट) का निर्देश है उसके द्वारा इन प्रतिज्ञाभासोंका संग्रह न्यानसूत्रकारको अभोष्ट हो। सर्वदेवने उसह है त्वाभास बताये है।

उपायहृदयमें अगठ हेत्वाभासोंका निरूपण है। इनमें चार (कालातीत, प्रकरणसम, सम्यभिचार और विरुद्ध) हेत्वाभास न्यायसूत्र जैसे ही हैं तथा शेष चार (वाक्छल, सामान्यछल, संशयसम और वर्ण्यसम) नये हैं। इनके अति-रिक्त इसमें अन्य दोषोंका प्रतिपादन नहीं है। पर न्यायप्रवेशमें पक्षाभास, हेत्वा-भास और दृष्टान्ताभास इन तीन प्रकारके अनुमान-दोषोंका कथन है। पक्षाभासके नो हेत्वाभासके तीन और दृष्टान्ताभासके दश भेदोंका सोदाहरण निरूपण है। विशेष यह कि अनैकान्तिक हेत्वाभासके छह भेदोंमे एक विरुद्धान्यभिचारोका भी कथन उपलब्ध होता है, जो तार्किकों द्वारा अधिक चिंचत एवं समालोचित हुआ है। न्यायप्रवेशकारने दश दृष्टान्ताभासोंके अन्तर्गत उभयासिद्ध दृष्टान्ताभासको द्विविध विणत किया है और जिससे प्रशस्तपाद जैसी ही उनके दृष्टान्ताभासोंको संख्या द्वादश हो जाती है। पर प्रशस्तपादोक्त द्विविध आश्रयासिद्ध उन्हें अभीष्ट नहीं है।

कुमारिल १९ और उनके व्याख्याकार पार्थसारिथने । मीमांसक दृष्टिसे छह प्रतिज्ञाभासों, तीन हेत्वाभासों और दृष्टान्तदोषोंका प्रतिपादन किया है । प्रतिज्ञा-भासोंमें प्रत्यक्षविरोध, अनुमानिवरोध और शब्दिवरोध ये तीन प्रायः प्रशस्तपाद तथा न्ययप्रवेशकारकी तरह ही हैं । हाँ, शब्दिवरोधके प्रतिज्ञातिवरोध, लोक-

१. प्रा०, प्र० १२२, १२३।

२. वही, पृ० ११५।

३. प्रमाणमं० पृष्ठ ९।

४. उ० ह० ५० १४।

प्षां पक्षहेतुदृष्टान्ताभासानां वचनानि साधनाभासम् ।
 —स्या० प्र० पृ० २-७ ।

६, ७, ८. वही, २,३-७।

५. वहो, पृ० ४।

१०. न्यायप्र० पृ० ७।

११. मी० क्लोक अनु० क्लोक० ५ =-६१, १०८।

१२. न्यायरत्ना० मी० क्लोक० अनु० ५८-६६, १०८।

प्रसिद्धिविरोध और पूर्वसंजल्पिवरोध ये तीन भेद किये हैं। तथा अर्थापित्तिविरोध, उपमानिवरोध और अभाविरोध ये तीन भेद सर्वथा नये हैं, जो उनके मतानुरूप हैं। विशेष यह कि इन विरोधोंको धर्म, धर्मी और उभयके सामान्य तथा विशेष स्वरूपगत बतलाया गया है। त्रिविध हैत्वाभासोंके अवान्तर भेदोंका भी प्रदर्शन किया है और न्यायप्रवेशको भाँति कुमारिलने विरुद्धाव्यभिचारी भी माना है।

सांख्यदर्शनमें युक्तिदीपिका आदिमें तो अनुमानदोषों का प्रतिपादन नहीं मिलता। किन्तु माठरने असिद्धादि चउदह हेत्वाभासों तथा साध्यविकलादि दश साधम्य-वैधम्य निदर्शनाभासों का निरूपण किया है। निदर्शनाभासों का प्रतिपादन उन्होंने प्रशस्तपादके अनुसार किया है। अन्तर इतना ही है कि माठरने प्रशस्तपादके बारह निदर्शनाभासों दशको स्वीकार किया है और आश्रयासिद्ध नामक दो साधम्य-वैधम्य निदर्शनाभासों को छोड़ दिया है। प्रशामास भो उन्होंने नो निर्दिष्ट किये हैं।

जैन परम्गराके उपलब्ध न्यायप्रन्थों सर्वप्रयम न्यायावतारमें अनुमान-दोषों-का स्पष्ट कथन प्राप्त होता है। इसमें पक्षादि तीनके वचनको परार्थानुमान कहकर उसके दोष भी तीन प्रकारके बतलाए हैं — १. पक्षाभास, २. हेत्वाभास और ३. दृष्टान्ताभास। पक्षाभासके सिद्ध और बाधित ये दो भे भेद दिखाकर बाधितके प्रत्यक्षवाधित, अनुमानवाधित, लोकवाधित और स्ववचनबाधित—ये चार भेदे गिनाये हैं। असिद्ध, विरुद्ध और अनैकान्तिक तीन हेत्त्वाभासों तथा छह साधम्यं और छह वैधम्यं कुल बारह दृष्टान्ताभासोंका भी कथन किया है। ध्यातब्य है कि साध्यविकल, साधनविकल और उभयविकल ये तीन साधम्यं-दृष्टान्ताभास तथा साध्याव्यावृत्त साधनाव्यावृत्त और उभयाव्यावृत्त ये तीन वैधम्यं दृष्टान्ताभास तो प्रशस्तपादभाष्य और न्यायप्रवेश जैसे हो हैं किन्तु सन्दिग्धसाध्यव्यावृत्ति, सन्दिग्धसाधनव्यावृत्ति और सन्दिग्धोभयव्यावृत्ति ये तीन वैधम्यं दृष्टान्ताभास न प्रशस्तपादभाष्यमें हैं और न न्यायप्रवेशमें। भे श्रशस्तपादभाष्यमें आश्रयासिद्ध,

१. मी० वलो०, अनु० परि० वलोक ७०, तथा व्याख्या

२. वही, अनु० परि० श्लोक ९२ तथा व्याख्या।

३. माठरवृ० का०५।

४. न्यायाव० का० १३, २१-२५।

५-६. वही, का० २१।

७. वही, का० २२, २३।

^{⊏,} ६. वहों, का० २४, २५ **।**

६. प्रश् भा । पृ० १२३।

१०. न्यायप्र० पृ० ५-७।

अननुगत और विपरोतानुगत ये तीन साधम्यं तथा आश्रयसिद्ध, अन्यावृत्त और विपरीतन्यावृत्त ये तीन वैधम्यंनिदर्शनाभास हैं। और न्यायश्रवेशमें अनन्वय तथा विपरीतन्वय ये दो साधम्यं और अन्यतिरेक तथा विपरीतन्वयतिरेक ये दो वैधम्यं दृष्टान्ताभास उपलब्ध हैं। पर हाँ, धर्मकोर्तिके न्यायिबन्दुमें उनका प्रतिपादन मिलता है। धर्मकोर्तिने सन्दिग्धसाध्यादि उवत तीन साधम्यं दृष्टान्ताभासों और सन्दिग्धन्यतिरेकादि तान वैधम्यं दृष्टान्ताभासोंका स्पष्ट निरूपण किया है। इसके अतिरिक्त धर्मकोर्तिने न्यायश्रवेशगत अनन्वय, विपरीतान्वय, अन्यतिरेक और विपरीतन्वयतिरेक इन चार साधम्यं-वैधम्यं दृष्टान्ताभासोंको अपनाते हुए अश्रदर्शितान्वय और अश्रदर्शितन्व्यतिरेक इन दो नये दृष्टान्ताभासोंको और सम्मिलित करके नव-नव साधम्यं-वैधम्यं दृष्टान्ताभास श्रतिपादित किये हैं।

अंकलंकने पक्षाभासके उक्त सिद्ध और बाधित दो भेदोंके अतिरिक्त अनिष्ट नामक तीसरा पक्षाभास भी विगत किया है। जब साध्य शक्य (अबाधित), अभिप्रेत (इष्ट) और असिद्ध होता है तो उसके दोष भी बाधित, अनिष्ट और सिद्ध ये तीन कहे जाएँगे। हेत्वाभासोंके सम्बन्धमें उनका मत है कि जैन न्यायमें हेतु न त्रिरूप है और न पाँच-रूप, किन्तु एकमात्र अन्यथानुपपन्नस्व (अविना-भाव) रूप है। अतः उसके अभावमें हेत्वाभास एक ही है और वह है अकि-चित्कर। असिद्ध, विषद्ध और अनैकान्तिक ये उसीका विस्तार हैं। दृष्टान्तके विषयमें उनको मान्यता है कि वह सर्वत्र आवश्यक नहीं है। जहाँ वह आवश्यक है वहाँ उसका और उसके साध्यविकलादि दोषोंका कथन किया जाना योग्य है।

म:णिक्यनःन्द³, देवसूरि , हेमचन्द्र¹ आदि जैन तार्किकोंन प्रायः सिद्धसेन और अकलंकका ही अनुसरण किया है।

इस प्रकार भारतीय तर्कग्रन्थोंमें अनुमानस्वरूप, अनुमानभेदों, अनुमानागों, अनुमानावयनों और अनुमानदोषोंपर पर्याप्त ।चेन्तन उपलब्ध है।

१. न्या० बि० तृ० परि० पृष्ठ ९४-१०२।

२. न्यायविनि० का० १७२, २९१, ३६५, ३६६, ३७०, ३८१।

३. परीक्षामु० ६।१२-५०।

४. प्रमाणन० ६।३८-८२ ।

५. प्रमाणमी० १।२।१४, २।१।१६-२७।

चतुर्थ परिच्छेद

भारतीय अनुमान और पाइचात्य तर्कशास्त्र

यहाँ भारतीय अनुमानका पाश्चात्य तर्कशास्त्रके साथ तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करना प्रकृत विषयके अनुरूप एवं उपयोगी होगा।

विश्वमें घटित होनेवाली घटनाएँ प्राय: मिश्रित और अनेक स्थितियों में सम्पन्न होती हैं। इन अनेक स्थितियों या परिघटकों (Factors) मेंसे कुछ अनावश्यक और कुछ आवश्यक परिस्थितियाँ रहती हैं। अतएव जब तक व्यर्थ या अनावश्यक परिस्थितियोंका परिहार न किया जाय तब तक हम घटनाके वास्तविक कारणको अवगत नहीं कर सकते और न कार्यकारण-श्रृह्खलाकी निश्चित जानकारी हो प्राप्त की जा सकती है। मिल (Mill ने भारतीय कार्यकारणपरम्पराके अनुसार हो काँज एण्ड इफैक्टस् (Cause and Effects) के अन्वेषणको पाँच विधियों द्वारा प्रदर्शित किया है—

- (१) अन्वयविधि (Method of agreement).
- (२) व्यतिरेकविधि (Method of Difference).
- (३) संयुक्त अन्वय-व्यतिरेकविधि (Joint Method).
- (४) सहभावो वैविध्यविधि (Method of Concomitant Variations).
- (५) अवशेपविधि (Method of residues).

इन विधियोंमें दो प्रकारकी प्रक्रियाएँ उपयोगमें लायी जाती हैं—भावात्मक और अभावात्मक।

अन्वयविधि:

यदि किसी घटनाके दो-तीन उदाहरणोंमें एक ही सामान्य घटक (Common circumstance) पाया जाय तो वह परिघटक, जिसमें समस्त उदाहरणोंकी समानता व्याप्त है, उस घटनाका कार्य या कारण मालूम होता है। इस विधिमें कारण मालूम होने पर कार्य और कार्य मालूम होने पर कारण ज्ञात किया जाता है। यह विधि 'यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र विद्धः' वाली भारतीय प्रक्रियाके प्रायः समान है। भारतीय अन्वय-विधिमें साधनके सद्भावमें साध्यका सद्भाव दिखलाया जाता है और इस प्रक्रियामें कारणों द्वारा कार्योंका अथवा

कार्यों द्वारा कारणोंका ज्ञान प्राप्त किया जाता है। मिल (Mill) ने निरीक्षण और प्रयोगात्मक दोनों ही विधियोंसे उदाहरणोंका संकलन कर कार्य-कारण-श्रृह्खलाका विवेचन किया है।°

संयुक्त-अन्वयव्यतिरेकविधि:

यदि जाँज को जानेवाली घटनाओं के दो तीन उदाहरणों में कोई एक ही परि-घटक सामान्य हो और ऐसे दो अन्य दो-तोन उदाहरणों में यह घटना या घटनाएँ घटित न हुई हों, पूर्व सामान्य परिघटक के अभाव या अनुपस्थितिके अतिरिक्त कुछ भी सामान्य न हो तो इस प्रकारके उदाहरणों में व्यतिरेक (Differing) परिघटक कारण या कार्यके कारणका अवश्य अङ्ग होगा। इस विधिमें भावात्मक (Positive) और अभावात्मक (Negative) दोनों प्रकारकी घटनाएँ उदाहरण के रूपमें ग्रहण की जा सकती हैं। भावात्मक उदाहरण अन्वयविधिक हैं और कारणकार्यको स्थापना निधारित करते हैं। अभावात्मक उदाहरण व्यतिरेकविधि-के हैं, जो उक्त कारणकार्यकी स्थापनाको निश्चित रूप देते हैं। इस संयुक्त विधिको द्वचन्वयविधि भी कहा जाता है।

इस संयुक्त अन्वय-व्यतिरेकिविधिकी तुलना हम भारतीय अन्वय-व्यतिरेक-व्याप्तिसे कर सकते हैं। प्रायः इस विधिमें वे ही परिणाम निकलते हैं जो परिणाम भारतीय अन्वय-व्यतिरेकव्याप्तिमें निकाले जाते हैं। व्यत्तिरेकिविधि:

अन्वय तथा अन्वय-व्यतिरेकविधियोंमें कार्यकारणकी सम्भावना ही निर्धारित को जा सकती है, पर उसके 'निश्चयोकरण' या सत्यताके लिए व्यतिरेक विधिकी आवश्यकता होतो है। दूसरे शब्दोंमें हम यों कह सकते हैं कि अन्वय तथा अन्वय-

^{1.} If two or more instances of the phenomenon under investigation have only one circumstance in common, the circumstance in which alone all the instances agree is the cause (or effect) of the given phenomenon.

[—]System of Logic; By John Stuart Mill, Longmans green and Co. London, 1898, Page, 255.

भारतीय अनुमान और पाइचात्य तकेशास्त्र : ५५

व्यतिरेकविधियौँ निरीक्षणको हो व्यवहारमें लानेके कारण केवल कारणकार्यको सूचित कर सकती हैं, पर प्रमाणीकरणके लिए व्यतिरेकविधिकी आवश्यकता है। यह प्रयोगविधि है। अतः प्रयोगात्मकरूपसे घटनाओं का विश्लेषण कर कार्यकारणसम्बन्धका परिज्ञान किया जाता है। इसी कारण इस विधिको सर्वश्रेष्ठ विधि कहा गया है।

इस विधिकी परिभाषामें बताया है—''यदि किसी एक भावात्मक उदाहरणमें एक परिघटक उपस्थित हो और फिर किसी एक अभावात्मक उदाहरणमें वह परिघटक न हो तथा इस एक परिघटक के अतिरिक्त दोनों उदाहरण सभी प्रकारसे एक समान हों तो वह परिघटक, जिसमें भावात्मक और अभावात्मक उदाहरण भेद हैं, कार्य या कारण अथवा आवश्यक कारणांश होता है। ''' स्पृथीकरण के लिए यों माना जा सकता है कि दो पात्र हैं, जो एक हो समान शोशेसे निर्मित हैं, क्षेत्र और वजन भी दोनोंका समान है, दोनोंमें एक ही प्रकारकी विद्युत्घंटिकाएँ भी लगी हैं, पर दोनोंमें अन्तर इतना हो है कि प्रथम पात्रमें वायु है और दितीयमें नहीं। अब हम देखते हैं कि उक्त अन्तरका परिणाम यह है कि प्रथम पात्रमें घण्टिकाकी ध्वनि सुनाई पड़ती है पर दितीयमें नहीं। इससे यह निष्कर्ष निकालना सहज है कि वायु शब्द-संचारका विशेष कारणांश या आसन्त कारण है।

इस व्यतिरेकिविधिकी तुलना भारतीय अनुमानके अङ्ग व्यतिरेकव्याप्तिसे की जा सकती है। वास्तवमें व्यतिरेकव्याप्ति ही, जिसे जैन तार्किकोंने अन्तर्व्याप्ति या अन्ययानुपपत्ति कहा है और जिसपर हो सर्वाधिक भार दिया है, अविनाभाव सम्बन्धकी प्रतिरूप है। मिल (Mill) ने अपने उक्त सिद्धान्तमें अविनाभाव सम्बन्धका ही विदलेषण किया है।

सहचारो वैविध्यविधि :

कुछ ऐसे स्थायो कारण हैं जिनका अभावात्मक उदाहरण प्राप्त नहीं होता,

1. If two or more instances in which the phenomenon occurs have only one circumstance in common, while two or more instances in which it does not occur have nothing in common save the absence of that circumstance, the circumstance in which alone the two sets of instances differ is the effect or the cause, or an indispensable part of the cause of the phenomenon.

—System of logic, Longmans green and co. 1898, page 259.

पर ये स्थायी कारण भिन्न-भिन्न परिमाणमें उपलब्ध होते हैं। अतः इनमें सह-चारी वैविध्यविधिका प्रयोग किया जाता है। मिल (Mill) ने इसकी परिभाषा बतलाते हुए लिखा है—"यदि किसी एक घटनामें परिवर्तन होनेसे दूसरी घटना-में विशेष प्रकारसे परिवर्तन हो तो उन घटनाओं में कार्यकारणका सम्बन्ध होता है।"" घटनाओं के अनुपाती क्रममें घटने-बढ़नेका प्रकार चार तरहका हो सकता है—

- (१) दोनों कारण और कार्य एक-दूसरेके अनुपातसे बढ़ें; यथा जितना गुड़ उतनी मिठास ।
- (२) दोनों कारण और कार्य एक-दूसरेके अनुपातसे घटें; यथा-गुड़के घटने-से मिठासका घटना।
- (३) कारण तो बढ़े, पर कार्य घटे; यथा जैसे-जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं वैसे-वैसे वायुका दबाव कम होता जाता है।
- (४) कारण घटें तो कार्य बढ़े; यथा—िकसी कामको करनेके लिए मज-दूरोंकी संख्या जितनी घटती जाती है, कार्य करनेकी अविध उतनी बढ़ती जाती है।

यों तो सहचारी वैविध्यविधि कहीं अन्वयन्याप्तिका रूप ग्रहण करती है, तो कहीं न्यतिरेकन्याप्तिका। पर यह विधि शुद्ध अन्वयविधि या शुद्ध न्यतिरेक-विधिसे भिन्न है; क्योंकि इसके परिणाम अधिक स्वस्थ और निर्णयात्मक होते हैं।

अवशेष विधि (Method of residues)

इस विधिमें पूर्व ज्ञानकी विशेष आवश्यकता होती है। जब हमें एक मिश्रित घटनाके कारणका अन्वेषण करना होता है और बहुतसे कार्यफलके कारणांशोंको अवगत कर लेते हैं तो अवशेष कार्यफलके कारणको जाननेके लिए इस विधिकी आवश्यकता होती है। इसकी परिभाषमें बताया है—''यदि पूर्व आगमनके द्वारा यह निर्धारित हो कि किसी घटनाके कार्यफलका एक भाग कुछ पूर्ववर्ती परि-घटकोंके द्वारा उत्पन्न होता है तो उस कार्यफलका शेष भाग पूर्ववर्ती परिघटकों-

- Subduct from any phenomenon such part as is known by previous induction to be the effect of certain anteceder.ts and the residue of the phenomenon is the effect of the remaining antecedents.
 - —System of Logic, by Mill, Longmans green and Co. 1898, page 260,

भारतीय अनुमान और पाइचात्य तर्कशास्त्र : ५७

के द्वारा उत्पन्न होगा ।" उदाहरणार्थ यों समझा जा सकता है कि गाड़ो और ऊखका वजन तीस मन है और गाड़ीका वजन दश मन हैं तो हम अवशेषिविधि द्वारा ऊखका वजन निकाल सकते हैं। अर्थात् तीस मन वजनमेंसे दश मन गाड़ी-का वजन निकाल देनेपर ऊखका वजन बीस मन रह जायगा।

तात्पर्य यह है कि सम्पूर्ण कारणसंयोग मालूम होने पर और एक ज्ञात कारणांशसे दूसरे अज्ञात कारणांशको अवगत कर लेना अवशेषविधिका कार्य है।

यह अवशेषिविधि भारतीय अन्वय-व्यितरेकिविधिसे विशेष भिन्न नहीं है। जिस श्रेणीके कार्यकारणभावको अन्वय-व्यितरेकिविधि द्वारा अवगत किया जाता है प्रायः उसी श्रेणीके कार्यकारणाभावको उक्त अवशेषिविधि द्वारा ज्ञात किया जाता है।

अतएव भारतीय अनुमानप्रणाली और पाश्चात्य तर्कप्रणाली कार्यकारण-सम्बन्धकी दृष्टिसे समान हैं। पर यह स्मरणीय है कि भारतीय अनुमान पाश्चात्य तर्ककी अपेक्षा अधिक व्यापक है। इसमें ऐसे सम्बन्ध भी सम्मिलत हैं, जिनका ग्रहण पाश्चात्य तर्कशास्त्रमें न तो तादात्म्यसम्बन्ध द्वारा होता है और न कार्य-कारणसम्बन्ध द्वारा ही। यथा—'एक मुहूर्त बाद शकटका उदय होगा, क्योंकि कृत्तिकाका उदय है' में उक्त दोनों प्रकारके सम्बन्धोंमेंसे कोई भी सम्बन्ध नहीं है फिर भी यह अनुमान समीचीन है; क्योंकि इसमें हेतुका साध्यके साथ अन्यथानुप-पन्नत्व (अविनाभाव) विद्यमान हैं। अतएव भारतीय अनुमानका क्षेत्र पाश्चात्य तर्ककी अपेक्षा अधिक है। अतः अनुमानमें तो पाश्चात्य तर्कका अन्तर्भाव सम्भव है पर पाश्चात्य तर्कमें अनुमानका नहीं।

whatever phenomenon varies in any manner whenever another phenomenon varies in Some particular manner, is either causes or an effect of what phenomenon, or is connected with it through some fact of causation.

[—]System of Logic, by mill, Longmans, green and Co. 1898, 263.

अध्याय : १

प्रथम परिच्छेद

जैन प्रमाणवाद और उसमें अनुमान का स्थान

अनुमानका विस्तृत विचार करनेसे पूर्व यह आवश्यक है कि प्रमाणके प्रयो-जन, स्वरूप, भेद एवं परोक्ष-प्रमाणपर भी विमर्श किया जाय, क्योंकि प्रमाणकी चर्चाके बिना अनुमानके स्वरूप आदिका स्पष्टीकरण सम्भव नहीं है। अतएव यहाँ प्रथमतः प्रमाणपर विचार किया जाता है।

(क) तत्त्व:

तत्त्व, अर्थ, वस्तु और सत् ये चारों शब्द पर्यायवाची हैं। जो अस्तित्व स्वभाववाला है वह सत् है तथा तत्त्व, अर्थ और वस्तु ये तीनों अस्तित्व स्वभावसे बाहर नहीं हैं। इसलिए सत्का जो अर्थ है वही तत्त्व, अर्थ और वस्तुका है और जो अर्थ इन तीनोंका है वही सत्का है। निष्कर्ष यह कि ये चारों शब्द एकार्थक हैं। तत्त्व दो समूहोंमें विभक्त है—१. उपायतत्त्व और २. उपेयतत्त्व। उपायतत्त्व दो प्रकारका हैं—१. ज्ञापक और २. कारक। ज्ञापक भी दो तरहका है—१. प्रमाण और २. प्रमाणभास।

प्रमाण और प्रमाणाभासमें यह अन्तर है कि प्रमाण द्वारा यथार्थ जानकारी

 'उपायतत्त्वं शापकं कारकं चेति द्विविधम् । तत्र शापकं प्रकाशकमुपायत्त्वं शानं कारकं तूपायतत्त्वमुद्योगदैवादि ।'

--अष्टस॰ टिप्प० पृ० २५६।

होती है, पर प्रमाणाभाससे नहीं। यही कारण है कि जब प्रमाणका विचार किया जाता है तो प्रमाणाभासकी भी मीमांसा की जाती है।

कारकतत्त्व वह है जो कार्यकी उत्पत्तिमें व्यापृत होता है। अर्थात् कार्यके उत्पादक कारणोंका नाम कारक है। प्रत्येक कार्यकी निष्पत्ति दो कारणोंसे होती है— १. उपादान और २. निमत्त (सहकारी)। उपादान वह है जो स्वयं कार्य-रूप परिणत होता है और निमित्त वह है जो उसमें सहायक होता है। उदाहरणार्थ घड़ेकी उत्पत्तिमें मृत्पिण्ड उपादान है और दण्ड, चक्र, चोवर, कुम्भकार प्रभृति निमित्त हैं। न्यायदर्शनमें इन दो कारणोंके अतिरिक्त एक तीसरा कारण भी स्वीकृत है। वह है असमवायि। पर समवायिकारणगतरूपादि और संयोग-रूप होनेसे उसे अन्य सभी दर्शनोंने उक्त दोनों कारणोंसे भिन्न नहीं माना।

उपेयतत्त्वके भी दो भेद हैं— १. ज्ञाप्य (ज्ञेय) और २. कार्य। जो ज्ञानका विषय होता है उसे ज्ञाप्य कहा जाता है और जो कारणों द्वारा निष्पाद्य या निष्पन्न है उसे कार्य:

(ख) प्रमाणका प्रयोजन:

प्रस्तुतमें हमारा प्रयोजन ज्ञापक-उपायतत्त्व-प्रमाणसे है ।

जहाँ तक प्रमाणके विचारका प्रश्न है, इस तथ्यको कोई अस्वीकार नहीं कर सकता कि विश्वके प्राणियोंकी, चाहे वे पशु-पक्षी हों, कीड़े-मकोड़े हों या मनुष्य, इष्टानिष्ट वस्तुओंके ज्ञानके लिए उसी प्रकार प्रवृत्ति (जिज्ञासा) पायी जाती है जिस प्रकार खाने-पीने और भोगनेकी वस्तुओंको प्राप्त करनेकी। इससे स्पष्ट है कि प्राणियोंमें जाननेकी प्रवृत्ति (जिज्ञासा) स्वाभाविक है। मनुष्य इतर प्राणियोंकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान और विचारशील है। अतः उसके लिए आवश्यक है कि उसे इष्टानिष्ट अथवा ज्ञातव्य वस्तुओंका ज्ञान अभान्त हो। प्रमाणकी जिज्ञासा मनुष्यमें सम्भवतः इसीसे जागृत हुई होगी। यही कारण है कि प्रमाणको मीमांसा न केवल अध्यात्मप्रधान भारतके मनीषियों द्वारा ही की गया है, अपितु विश्वके सभी विचारकों एवं दार्शनिकोंने भी की है। आचार्य माणिक्य-नन्दि प्रमाणका प्रयोजन बतलाते हुए स्पष्ट लिखते हैं कि प्रमाणसे पदार्थोंका

प्रमाणादर्थंसंसिद्धिरतदाभासाद्विपर्ययः ।
 इति वक्ष्ये तयोर्छक्म सिद्धमल्पं छन्नीयसः ॥
 मान्यिनन्दि, परी० सु०, प्रतिज्ञाञ्जाक १

२. वहो, प्रतिशाश्लोक १।

सम्यक् ज्ञान और सम्यक् प्राप्ति होती है, पर प्रमाणाभाससे नहीं। आचार्य विद्यानन्दने भी इसी तथ्यको व्यक्त किया है।

(ग) अन्य तार्किकों द्वारा अभिहित प्रमाणका स्वरूप:

'प्रमीयते येन तत्प्रमाणम्' इस व्युत्पत्तिके अनुसार प्रमाण वह है जिसके द्वारा वस्तु प्रमित हो, अर्थात् सही रूपमें जानी जाए। प्रश्न है कि सही जानकारी किसके द्वारा होती है? इस प्रश्नपर प्रायः सभी प्रमाणशास्त्रियोंने विचार किया हैं। कणादने विवार किया हैं। कणादने विवार है कि प्रमाण (विद्या) वह है जो निर्दोष ज्ञान है। गौतम के न्यायमूत्रमें प्रमाणका लक्षण उपलब्ध नहीं होना, पर उनके भाष्यकार वात्स्या-यनने अवश्य 'प्रमाण' शब्दसे फलित होनेवाले उपलब्धिसाधन (प्रमाकरण) को प्रमाण सूचित किया है। उद्योतकर रे, जयन्तभट्ट आदि नैयायिकोंने वात्स्या-यनके द्वारा सूचित उपलब्धि-साधनरूप प्रमाकरणको ही प्रमाणलक्षण स्वीकृत किया है।

यद्यपि उदयनने यथार्थानुभवको प्रमा कहा है। पर वह उन्हें ईश्वर-प्रमाका हो लक्षण अभिप्रेत है। ज्ञात होता है कि अनुभूतिको प्रमाण माननेवाले मीमांसक प्रभाकरका यह उनपर प्रभाव है, क्योंकि उदयनके पूर्व न्यायपरम्परा-में प्रमाणसामान्यके लक्षणमें 'अनुभव' पदका प्रवेश उपलब्ध नहीं होता। उनके पश्चात् तो विश्वनाथ, केशव मिश्च, अन्नम्भट्ट प्रभृति नैयायिकोंने अनुभवघटित हो प्रमाणका लक्षण किया है।

- १. प्रमाणादिष्टसंसिद्धिरन्यथातिप्रसंगतः ।
 - --विद्यानन्द, प्र० प० पृष्ट ६३।
- २. 'अदष्टं विद्या' । —वैशे० सू० ९।२।१२ ।
- ३. न्यायभा० १।१।३, पृ० १६।
- ४. न्यायवा० १।१।३, ५० ५ ।
- ५. प्रमीयते येन तत्प्रमाणिमिति करणार्थाभिषयिनः प्रमाणशब्दात् प्रमाकरणं प्रमाणमव-गम्यते ।
 - ---न्यायमं० पृष्ठ २५ ।
- ६. यथार्थानुभवा मानमनपेक्षयतेष्यते ।
 - --- उदयन, न्यायकुसु० ४।१।
- ७. ः बुद्धिस्तु द्विविधा मता । अनुभूतिः स्मृतिश्च स्यादनुभूतिश्चतुर्विधा ॥
 - —विश्वनाथ, सिद्धान्तमु० का० ५१।
- का चुन: प्रमा, यस्या: करणं प्रमाणम् ? उच्यते— यथार्थानुभवः प्रमा ।
 - -- केशविमश्र, तर्कमा० ५० १४।
- **६. अन्नम्भट्ट, तर्कसं० पृष्ठ ३२**।

मीमांसक-मनीषी कुमारिल भट्टने प्रमाणका लक्षण बतलाते हुए कहा है कि जो अपूर्वार्थविषयक, निश्चित, बाधाओं से रहित, निर्दोष कारणोंसे उत्पन्न और लोकसम्मत है वह प्रमाण है। इस प्रकार उन्होंने प्रमाणलक्षणमें पाँच विशेषणोंका निवेश किया है। यथा—

तत्रापूर्वार्थविज्ञानं निश्चतं बाधवर्जितम् । अदुष्टकारणारब्धं प्रमाणं लोकसम्मतम् ॥

पिछले सभी भाट्ट मीमांसकोंने इसी लक्षणको मान्यता दी है। दूसरे दार्श-निकोंकी अलोचनाका विषय भी यही लक्षण रहा है।

मीमांसकपरम्पराके दूसरे सम्प्रदायके प्रभाकरने अनुभूतिको प्रमाण कहा है और शालिकानाथ आदिने उसका समर्थन किया है।

सांख्यदर्शनमें ईश्वरकृष्ण 8 आदि विद्वानों द्वारा इन्द्रियवृत्तिको प्रमाण बतलाया गया है ।

बौद्ध-दर्शनमें अज्ञातार्थके प्रकाशक ज्ञानको प्रमाण माना गया है।" दिङ्नागने विषयाकार अर्थीनश्चय और स्वसंवितिको प्रमाणका फल कहकर उन्हें ही प्रमाण कहा है, क्योंकि इस दर्शनमें प्रमाण और फलको अभिन्न स्वीकार किया गया है।

- १. यह ब्लांक अन्यकारोंने कुमारिलकर्तृक माना है। पर वह उनके वर्तमान मामांसा-श्लोकवार्तिकमें उपलब्ध नहीं है। हो सकता है वह मितिलिपिकारों हारा छूट गया हो या उनके किसी अन्य अन्यका हो, जो आज अनुपलब्ध है। —ले०।
- २. विद्यानन्द्र, त० स्रोक० १।१०।७१।
- ३. अनुभूतिश्च नः प्रमाणम् ।
 - -- प्रभाकर, बृहती १।१।५ ।
- ४. (क) रूपादिषु पंचानामालोचनमात्रमिष्यते वृत्तिः।
 - --सांख्यका ०२८।
 - (ख) बृद्धिरहंकारो मनः चक्षुः इत्येतानि चत्त्रारि युगपद् रूपं पश्यन्ति, अयं स्थाणुः अयं पुरुषः इति एवमेषां युगपचचतुष्टयस्य वृत्तिः "कमशश्चा"।
 - --- माठर वृ ४७।
 - (ग) इन्द्रियमणालिकया अर्थसन्निकरेण लिगज्ञानादिना वा आदौ बुद्धेः अर्थाकारा वृत्तिः जायते ।
 - नांख्यप्रव माव पृत ४७ । योगद्दव व्यासमाध्य पृत २७ एवं योगवाव पृत ३० ।
- ५. अज्ञातार्थज्ञापकं ममाणमिति ममाणसामान्यलक्षणम् । म० स० का० ३, पृष्ठ ११ ।
- ६. स्वसंत्रित्तिः फलं चात्र तद्रूपादर्थानश्चयः । विषयाकार एवास्य प्रमाणं तेन मीयते ॥ —त्रहो, १।१०।

षर्मकीर्ति ने 'अविसंवादि' पद और जोड़कर दिङ्नागके प्रमाणलक्षणको प्रायः परिष्कृत किया है। तत्त्वसंग्रहकार शान्तरिक्षतने सारूप्य—तदाकारता और योग्यताको प्रमाणका लक्षण बतलाया है, जो एक प्रकारसे दिङ्नाग और धर्मकीर्तिके प्रमाण-सामान्यलक्षणका ही फिलतार्थ है। इस तरह बौद्ध-दर्शनमें स्वसंवेदी अज्ञातार्थज्ञापक अविसंवादि ज्ञानको प्रमाण स्वीकार किया है।

(घ) जैन चिन्तकों द्वारा प्रमाणस्वरूप-विमर्शः

जैन परम्परामें प्रमाणका क्या लक्षण है ? आरम्भमें उसका क्या रूप रहा और उत्तरकालमें उसका किस तरह विकास हुआ ? इत्यादि प्रश्नोंपर यहाँ विचार प्रस्तृत है।

१. समन्तभद्र और मिद्धसेन :

सर्वप्रयम स्वामो समन्तभद्रने प्रमाणका लक्षण निबद्ध किया है, जो इस प्रकार है—

स्वपरावभासकं यथा प्रमाणं भुवि बुद्धिलक्षणम् ।³

जो ज्ञान अपना और परका अवभास कराये वह प्रमाण है। जो केवल अपना या केवल परका अवभास कराता है वह ज्ञान प्रमाणकोटिमें सम्मिलित नहीं है। प्रमाणकोटिमें वहीं ज्ञान समाविष्ट हो सकता है जो अपनेको जाननेके साथ परको और परको जाननेके साथ अपनेको भी अवभासित करता है। और तभी उसमें सम्पूर्णता आती है।

सिद्धसेनने समन्तभद्रके उक्त लक्षणको अपनाते हुए उसमें एक विशेषण और दिया है। वह है 'बाधविवर्जितम्' ।

यद्यपि 'स्वरूपस्य स्वतो गतेः"', 'स्वरूपाधिगतेः परम्ः' आदि प्रतिपादनों द्वारा विज्ञानाद्वैतवादो बौद्ध प्रमाणको स्वसंवेदो स्वीकार करते हैं तथा 'अज्ञातार्थ-

प्रमाणमित्रस्यादि ज्ञानम्, अर्थाकेयास्थितिः । अविस्वादनं,॥

⁻⁻⁻धर्मकीति प्रमाणवा० २-१, पृष्ठ २९ ।

२. विषयाधिगतिश्चात्र प्रमाणफल्लिमध्यते । स्वितित्तर्भा प्रमाणं तु सारूप्यं योग्यतापि वा । —-शान्तरक्षित, तत्त्वसं० का० १३४४ ।

३. स्वय० स्तो० का० ६३।

४. प्रमाणं स्वपराभासि ज्ञानं बाधविविजितम्।

[—]न्यायात्र०, का० १।

५. धर्मकीत्ति, प्रमाणवा० २।४।

६. वही, रापा

स्वापकं प्रमाणम् ', 'अज्ञानार्थप्रकाशो वा'', 'प्रमाणमिवसंवादि ज्ञानमर्थिकयास्थितिः अ' आदि कथनों द्वारा सौत्रान्तिक (बहिरथिंद्वैतवादी) बौद्ध उसे केवल
परसंवेदी मानते हैं। पर किसी भी तार्किकने प्रमाणको स्व और पर दोनोंका एक
साथ प्रकाशक नहीं माना। जैन तार्किकोंने ही प्रमाणको स्व और पर दोनोंका एक
साथ ज्ञापक स्वीकार किया है। उनका मन्तव्य है कि ज्ञान चमचमाता हीरा अथवा
ज्योतिपुञ्ज दीपक है जो अपनेको प्रकाशित करता हुआ उसी कालमें योग्य बाह्य
पदार्थोंको भी प्रकाशित करता है। और यह स्वपरप्रकाशक यथार्थ ज्ञान ही प्रमाण
है। प्रमाणकी व्युत्पत्ति द्वारा हम देख चुके है कि 'प्रमीयतेंडनंन प्रमाणम्'—
जिसके द्वाराप्रमा—अज्ञानिवृत्ति हो वह प्रमाण है। वैशेषिकोंका भी यही मत
है। सांस्य इन्द्रियवृत्तिसे; मीमांसक इन्द्रियसे, बौद्ध सारूप्य एवं योग्यतासे प्रमिति
स्वीकार करते हैं, अतः उनके यहाँ क्रमशः इन्द्रियवृत्ति, इन्द्रिय और सारूप्य एवं
योग्यताको प्रमाण माना गया है। समन्तभद्रने स्वपरावभासक ज्ञानको प्रमाण
प्रतिपादन करके उक्त मतोंको अस्वीकार किया है।

पुज्यपाद :

पूज्यपादने समन्तभद्रका अनुसरण तो किया ही। साथमें सिन्नकर्ष और इन्द्रियप्रमाण सम्बन्धी मान्यताओंकी समीक्षा भी प्रस्तुत की है। उनका कहना है कि सिन्नकर्प या इन्द्रियको प्रयाण माननेपर सूक्ष्म, व्यवहित और विप्रकृष्ट पदार्थोंके साथ इन्द्रियोंका सिन्नकर्प सम्भव न होनेसे उनका ज्ञान असम्भव हैं। फलत सर्वज्ञताका अभाव हो जाएगा। दूसरे, इन्द्रियों अल्प — केवल मात्र स्थूल, और वर्तमान एवं आसन्न विषयक हैं और ज्ञेय (सूक्ष्म, व्यवहितादि ए) अपरिमित हैं। ऐसी स्थितिमें इन्द्रियोंसे समस्त ज्ञेयों (अतीत-अनागतों) का ज्ञान कभी नहीं हो सकता। तीसरे, चक्षु और मन ये दोनों अप्राप्यकारी होनेके कारण सभी इन्द्रियोंका पदार्थोंके साथ सिन्नकर्ष भी सम्भव नहीं है। चक्षु स्पृष्टका ग्रहण न करने और योग्य दूर स्थितका ग्रहण करनेसे अप्राप्यकारी है। याद चक्षु अप्रा-

१. दिङ्नाग, प्र० समु० (स्वोपज्ञवृ०) १।

२. प्रमाणवा० २।५।

३. वही, २।१।

४. पूज्यपाद, सर्वा० सि० १।१०।

५. (क) अमाध्यकारि चक्षुः स्पृष्टानवग्रहात् । यदि माप्यकारि स्यात् त्विगिन्द्रियवत् स्पृष्ट-मंजनं गृह्णोयात् न तु गृह्णात्यतो मनोबदपाप्यकारीति ।

⁻स० सि० १।१९, पृष्ठ ११६।

⁽ख) अकलंक, त० वा० १।११, ५० ६७, ६८, ।

⁽ग) डा॰ महेन्द्रकुमार जैन, जैन दर्शन पृष्ठ २७०।

प्यकारी न हो — प्राप्यकारी हो तो उसे स्वयं में लगे अंजनको देख लेना चाहिए। दूसरे, स्पर्शनादि इन्द्रियोंकी तरह वह समीपवर्ती वृक्षकी शाखा और दूरवर्ती चन्द्रमाको एक साथ नहीं देख सकती। तोसरे, चक्षु अश्वक, काँच और स्फटिक आदिसे आच्छादित पदार्थोंको भी देख लेती है, जब कि प्राप्यकारी स्पर्शनादि इन्द्रियाँ उन्हें नहीं जान पातीं। चौथे, यह आवश्यक नहीं कि जो कारण हो वह पदार्थसे संयुक्त होकर ही अपना काम करे। चुम्बक दूरसे ही लोहेको खींच लेता है। पाँचवें, चक्षुको प्राप्यकारी माननेपर पदार्थमें दूर और निकटका व्यवहार नहीं हो सकता। इसो तरह संशय और विपर्यय ज्ञान भी नहीं हो सकते। इन सब कारणोंसे जैन दर्शनमें चक्षुको अप्राप्यकारी माना गया है।

पूज्यापादने ने ज्ञानको प्रमाण माननेपर सिन्नकर्ष और इन्द्रियप्रमाणवादियों द्वारा उठायो गयो आपित्तका भी परिहार किया है। आपित्तकारका कहना है कि ज्ञानको प्रमाण स्वीकार करनेपर फलका अभाव हो जाएगा, क्योंकि प्रमाणका फल 'अर्थज्ञान' है और उसे प्रमाण मान लेनेपर उसका कोई फल शेप नहीं रहता। सिन्नकर्ष या इन्द्रियको प्रमाण स्वीकार करनेपर तो स्पष्टतया उसका 'अर्थज्ञान' फल बन जाता है? इस आपित्तका परिहार करते हुए पूज्यपाद कहते हैं कि सिन्नकर्ष या इन्द्रियको प्रमाण माननेपर उसके फलको भी सिन्नकर्पकी तरह दोमें रहनेवाला मानना पड़ेगा, फलतः घट, पट आदि अचेतन पदार्थों भी ज्ञानके सद्भावका प्रसङ्ग आयेगा। यह नहीं कहा जा सकता कि ज्ञानका समवाय चेतन आत्मामें है, घटादि अचेतन पदार्थों नहीं, क्योंकि आत्माको ज्ञस्वभाव न माननेसे अन्य अचेतनोंको तरह उसमें भी ज्ञानका समवाय सम्भव नहीं है और आत्माको ज्ञस्वभाव स्वीकार करनेपर सिद्धान्त-विरोध आता है।

ज्ञानको प्रमाण माननेपर फलके अभावका प्रसंग उपस्थित नहीं होता, क्योंकि पदार्थका ज्ञान होनेके उपरान्त प्रोति देखी जाती है। पर प्रीति ही उसका फल है। अथवा उपेक्षा या अज्ञाननिवृत्ति प्रमाणका फल है। राग या द्वेषका न होना उपेक्षा है और अन्वकारतुल्य अज्ञानका दूर हो जाना अज्ञाननाश है।

१. स० सि० १।१०, १ व्ह ९७।

२. नतु चोवतं द्याने प्रमाणे सित फलाभाव इति, नैष दोषः, अर्थाधिगमे प्रीतिदर्शनात्। इस्वभावस्यात्मनः कर्ममलीमसस्य करणालम्बनादर्थनिश्चये प्रीतिरुपजायते। सा फल्ट-मित्युच्यते। उपेक्षा अज्ञाननाशो वा फल्टम्। रागद्वेषयोरप्रणिधानमुपेक्षा। अन्धकार-कल्पाञ्चाननाशो था फल्टमित्युच्यते।

⁻वहो, १-१०, पृष्ठ ९७, ६८।

इ. (क) उपेक्षा फलमायस्य शेषस्यादानहानमाः। पूर्वा बाऽज्ञाननाशो वा सर्वस्यास्य स्वगोचरे॥

[—]समन्तभद्र आप्तमी० का० १०२,।

⁽ ख) अज्ञाननिदृत्तिः हानोपादानोपेक्षाश्च फलम् । —माणिक्यनन्दि, परीक्षामु० ५।१ ।

स्मरणीय है कि वात्स्यायन और जयन्तभट्टने भी ज्ञानको प्रमाण स्वीकार किया है तथा उसका फल हान, उपादान और उपेक्षाबुद्धि बतलाया है। पर यह सत्य है कि न्यायदर्शनमें मुख्यतया उपलब्धिसाधनरूपमें सन्निकर्षया कारकसाकल्यको ही प्रमाण माना गया है और ज्ञानको सभीने एक मतसे अस्वसंवेदी प्रतिपादन किया है।

अकलङ्कः :

अकलंकने समन्तभद्रोपज्ञ उक्त प्रमाणलक्षण और पूज्यपादकी प्रमाणमीमांसाको मान्य किया है। पर सिद्धसेन द्वारा प्रमाणलक्षणमें दिया गया 'बाधिवर्वजित'
विशेषण उन्हें स्वीकार्य नहीं है। उसके स्थानपर उन्होंने एक दूसरा हो विशेषण
दिया है जो न्यायदर्शनके प्रत्यक्षलक्षणमें निहित है, पर प्रमाणसामान्यलक्षणवादियों और जैन तार्किकोंके लिए वह नया है। वह विशेषण है—व्यवसायात्मक । अकलंकका मत है कि चाहे प्रत्यक्ष हो और चाहे अन्य प्रमाण। प्रमाणमात्रको व्यवसायात्मक होना चाहिए। कोई भी ज्ञान हो वह निर्विकल्पक, कल्पनापोढ
या अव्यपदेश्य नहीं हो सकता। यह सम्भव ही नहीं कि अर्थका ज्ञान हो और
विकल्प न उठे। ज्ञान तो विकल्पात्मक ही होता है। इस प्रकार इस विशेषण द्वारा
अकलंकने जहाँ वौद्धदर्शनके निर्विकल्पक प्रत्यक्षकी मीमांसा की है वहाँ न्यायदर्शनमें मान्य अव्यपदेश्य (अविकल्पक प्रत्यक्षज्ञानकी भी समीक्षा की है।
अकलंकने समन्तभद्रके प्रमाणलक्षणगत 'स्व' और 'पर' पदके स्थानमें क्रमशः
'आत्मा' और 'अर्थ' पदोंका समावेश किया है तथा 'अवभासक' पदकी जगह
'प्राहक' पद रखा है। पर वास्तवमें अर्थको दृष्टिस इस परिवर्तनमें कोई अन्तर
नहीं—मात्र शब्दोंका भेद है। अकलंकदेवने प्रमाणके अन्य लक्षण भी भिन्न-भिन्न

१. यदा सन्निकर्षस्तदा धानं प्रमितिः यदा धानं तदा हानोपादानोपेक्षाबुद्धयः फल्रम् ।
—न्यायमा० १।१।३ ।

२. प्रमाणतायां सामग्र्यास्तज्ज्ञानं फर्लाभष्यते । तस्य प्रमाणभावे तु फर्ल हानादिबुद्धयः ॥ —न्यायमं ० एष्ठ ६२ ।

३. इन्द्रियार्थसन्निकषांत्पन्नं ज्ञानमन्यपदेश्यमन्यभिचारि न्यत्रसायात्मकं प्रत्यक्षम् । —अक्षपाद, न्यायस्० १।१।४।

४. यद्यपि स्थानांगसूत्र (१८५) में 'न्यवसाय' पद आया है पर तर्कग्रन्थोंके लिए वह नया ही था।

५. प्रत्यक्षं कल्पनापोढं नामजात्यद्यसंयुतम् ।

[—]दिङ्नाग, प्र० स० (प्र० परि०) का० ३।

६. इह हि द्वयो प्रत्यक्षजातिरिवकल्पिका सिवकल्पिका चेति । —बाचस्पति, न्यायवा० ता० टी १।१।४, पृष्ठ १२५ ।

स्थलोंपर दिये हैं। इन लक्षणोंमें मूल आधार तो आत्मार्थग्राहकत्व एवं व्यव-सायात्मकत्व ही है, पर उनमें अर्थके विशेषण हपसे कहीं उन्होंने 'अनिधात', और कहीं 'अनिर्णीतं' पदको दिया हैं। तथा कहीं ज्ञानके विशेषण हपसे 'अविसंवादि' पदको भी रखा हैं। ये पद कुमारिल तथा धर्मकीर्तिसे लिये गये हों तो कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि उनके प्रमाणलक्षणोंमें ये पद पहलेसे निहित हैं। अविसंवादि' पद तो धर्मकीर्तिसे पूर्व जैन चिन्तक पूज्यपादने भी सर्वार्थ-सिद्धि (१-१२) में दिया है।

विद्यानन्द :

- १,२, प्रमाणमांवसंवादि ज्ञानम्, अनिधगतार्थाधिगमलक्षणत्वात् ।
 - ---अष्टश० आ० मी० का० ३६, पृष्ठ २२ । तथा देखिए 'अनिश्चित' और 'अनि-णीत' पदों के लिए इसी ग्रन्थकी १००वीं का० की अ० श० ।
- ३. (क) तत्रापुर्वार्थावज्ञानं '''।—कुमारिल ।
 - (ख) प्रमाणमिवसंवादि ज्ञानम् ः।--धर्मकोर्ति, प्र० वा० २।१ ।
- ४. सम्यग्शानं प्रमाणम् ।
 - --- प० प० पृष्ठ ५१।
- ५. त० सू० १।९, १०।
- कि पुनः सम्यग्धानम् ? अभिधीयते—स्वार्थव्यवसायात्मकं सम्यग्धानं सम्यग्धानत्वात् ।
 प्र० प० पृष्ठ ५३ ।
- ७. (क) 'सकळंदेशकाळन्याप्तसाध्यसाधनसम्बद्धोहापोहळक्षणो हि तर्कः प्रमाणयितन्यः, तस्य कथंचिदपूर्वार्थत्वात् ।'
 - স০ ৭০ দৃষ্ট ৩০।
 - (ख) स्मृतिः प्रमाणान्तरमुक्तंः न चासावप्रमाणमेव संवादकत्वात् कथंचिदपूर्वार्थ-प्राहित्वात्।
 - মৃত ৭০ গুল্ফ ६७।
 - (ग) गृहीतयहणात्तकोंऽममाणमिति चेन्न वै । तस्यापूर्वार्थवेदित्वादुपयोगविशोषतः॥
 - -- त० श्लोक० १।१३।६२, पृष्ठ १६५।

वर्षि' या 'अनिघगत' विशेषणका निवेश नहीं किया उसका इतना ही तात्पयं है कि प्रत्यक्ष तो अपूर्वार्थग्राही होता ही है और अनुमानादि भी प्रत्यक्षादिसे अगृहोत देशकालादिविशिष्ट वस्तुको विषय करनेसे अपूर्वार्थ-ग्राहक सिद्ध हो जाते हैं। विद्यानन्दने जिस अपूर्वार्थको समीक्षा को है वह कुमारिलका अभिप्रेत सर्वथा अपूर्वार्थ है, क्यंचिद् अपूर्वार्थ नहीं। क्यंचिद् अपूर्वार्थ तो उन्हें इष्ट है। माणिक्यनन्दि:

विद्यानन्दके परवर्ती माणिक्यनिन्दने अकलंक तथा विद्यानन्द द्वारा स्वोकृत और समियत समन्तभद्रोक्त लक्षणको ही अपनाया है। उन्होंने समन्तभद्रका 'स्व' पद ज्यों-का-त्यों रहने दिया और 'अर्थ' तथा 'व्यवसायात्मक' पदोंको लेकर एवं अर्थके विशेषण रूपसे 'अर्प्व' पदको उसमें जोड़कर 'स्वापूर्वार्थव्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणलक्षण सृजित किया है। यद्यपि 'अप्वर्थ' विशेषण कुमारिल के प्रमाणलक्षणमें हम देख चुके हैं तथापि वह अकलंक और विद्यानन्द द्वारा 'कर्थ-चिद् अपूर्वार्थ' के रूपमें जैन परम्परामें भी प्रतिष्ठित हो चुका था। माणिक्यनिन्द ने उसे ही अनुसृत किया है। माणिक्यनिन्दका यह प्रमाणलक्षण इतना लोकप्रिय हुआ कि उत्तरवर्ती अनेक जैन तार्किकोंने उसे ही कुछ आंशिक परिवर्तनके साथ अपने तर्कग्रन्थोंमें मूर्धन्य स्थान दिया है।

देवसूरि:

देवसूरिने ³ अपना प्रमाणलक्षण प्रायः माणिक्यानन्दिके प्रमाणलक्षणके आघारपर लिखा है ।

हेमचन्द्र :

हेमचन्द्रने ⁴ उक्त लक्षणोंसे भिन्न प्रमाणलक्षण अंकित किया है । इसमें उन्होंने 'स्व' पदका समावेश नहीं किया । उसका कारण बतलाते हुए वे कहते हैं के

- १. त० स्रोक० १।१०।७७, ७=, ७६।
- २. स्वापूर्वार्थव्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणम् ।
 - -प॰ मु०, शश।
- ३. स्वपरव्यत्रसायिशानं प्रमाणमिति ।
 - --- प्र० न० त० १।२ ।
- ४. सम्यगर्थनिर्णयः प्रमाणम् ।
 - ---प्र० मी०, शशार ।
- ५. स्विन्णियः सन्नप्यलक्षणम्, अप्रमाणेऽपि भावात्। । । न हि काचित् शानमात्रा सास्ति या न स्वसंविदिता नाम । ततो न स्विन्णियो लक्षणमुक्तोऽस्मामिः, वृद्धेस्तु परी-क्षायंमुपक्षिप्तः ।
 - प्रव मीव, शशास, एव ४।

६८ : जैन तकशासमें अनुमान-विचार

'स्विनिण्य' होता अवश्य है किन्तु वह प्रमाण-अप्रमाण सभी ज्ञानोंका सामान्य धर्म है। अतः उसे प्रमाण-लक्षणमें निविष्ट नहीं किया जा सकता। कोई ज्ञान ऐसा नहीं जो स्वसंवेदी न हो। अतएव हमने उसे प्रमाणका लक्षण नहीं कहा। वृद्धोंने जो उसे प्रमाणलक्षण माना है वह केवल परीक्षा अथवा स्वरूप प्रदर्शनके लिए हो। हेमचन्द्रने प्रमाणलक्षणमें 'अपूर्व' पदको भी अनावश्यक बतलाया है। गृहीष्यमाण अर्थके ग्राहक ज्ञानको तरह गृहोत अर्थके ग्राही ज्ञानको भी प्रमाण माननेमें वे कोई बाधा नहीं देखते। यह ध्यान देने योग्य है कि श्वेताम्बर परम्पराके जैन तार्किकोंन प्रमाणलक्षणमें 'अपूर्व' विशेषण स्वीकार नहीं किया। धर्मभूषण:

अभिनव धर्मभूषणने विद्यानन्दकी तरह सम्यग्ज्ञानको ही प्रमाणका लक्षण प्रितिपादन किया है। पर उन्होंने उसका समर्थन एवं दोष-परिहार माणिक्यनित्वके 'स्वापूर्वार्थव्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणम्' इस प्रमाणलक्षणके आलोकमें ही किया है। तथ्य यह हं कि वे समन्तभद्रके लक्षणको भी स्मरण रखते हैं। इस तरह धर्मभूषणने प्रमाणके लक्षणको सविकल्पक, अग्रहीतग्राही एवं स्वार्थव्यवसायात्मक सिद्ध किया है तथा धर्मकोर्ति, प्रभाकर, भाट्ट और नैयायिकोंके प्रमाणलक्ष्मणोंकी समालोचना की है।

निष्कर्षः :

उपर्युक्त विवेचनसे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जैन परम्परामें सम्यक् ज्ञानको प्रमाण माना है और उसे स्वपरव्यवसायात्मक बतलाया गया है। कुछ ग्रन्थकार उसमें 'अपूवं' विशेषणका भी निवेश करके उसे अग्रहीतग्राही प्रकट करते हैं। उनका मत है कि जितने भी प्रमाण हैं वे सब नये (अनिश्चित एवं समारोपित) विषयको ग्रहण करके अपनी विशेषता स्थापित करते हैं। स्मृति, प्रत्यभिज्ञा, तर्क, अनुमान और आगम ये वस्तुके उन अंशोंको ग्रहण करते हैं जो पूर्वज्ञानोंसे अग्रहीत रहते हैं। उदाहरणार्थ अनुभवके पश्चात् होने वाली स्मृति भूत, भविष्यत् और वर्तमान कालोंमें व्याप्त वस्तुके अतीत अंशको विषय करती है जब कि अनुभव वर्तमान वस्त्वंशको। स्मरण रहे कि अंशके साथ अंशी अनुस्यूत रहता है। यही प्रत्यभिज्ञा आदिकी स्थिति है। अत: ये

- १. गृहीष्यमाणमाहिण इव गृहोतमाहिणोऽपि नामामाण्यम् ।
 - —प्र० मी०, १।१।४, ५० ४।
- २. सम्यग्ज्ञानं प्रमाणम् ।
 - --- न्या० दी० पृष्ठ १।
- ३. शानं तु स्वपरावभासकं प्रदीपादिवत्प्रतीतम् ।
 - ---वही. पृष्ठ १२, १।१३।
- ४. वहाँ, पृष्ठ १४-२२।

ग्रन्थकार प्रमाणलक्षणमें 'अपूर्व', 'अनिधगत', 'अनिधिचत', 'अनिणींत' और 'अज्ञात' जैसा विशेषण आवश्यक समझते हैं। इस श्रेणीमें अकलंक, विद्यानन्द, माणिक्यनिद्द, प्रभाचन्द्र और धर्मभूषण प्रभृति विद्वान हैं। पर कितप्य ग्रन्थ-लेखक उक्त पदको आवश्यक नहीं समझते। इनका मन्तन्य है कि प्रमाण गृहीत-ग्राही भी रहे तो उससे उसका प्रामाण्य समाप्त नहीं होता। यह विचार देवसूरि, हेमचन्द्र प्रभृति तार्किकोंका है। इतना तथ्य है कि प्रमाणको 'स्वार्थन्यवसाया-रमक' सभीने स्वीकार किया है।

(घ) प्रमाण-भेद:

उक्त प्रमाण कितने प्रकारका है और उसके भेदोंका सर्वप्रथम प्रतिपादन करनेवाली परम्परा क्या है? दार्शनिक ग्रन्थोंका आलोडन करनेपर ज्ञात होता है कि प्रमाणके प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द इन चार भेदोंकी परिगणना करनेवाले न्यायसूत्रकार गौतमसे भी पूर्व प्रमाणके अनेक भेदोंकी मान्यता रही है, क्योंकि उन्होंने ऐतिह्य, अर्थापत्ति, सम्भव और अभाव इन चारका स्पष्ट स्पमें उल्लेख करके उनकी अतिरिक्त प्रमाणताकी समीक्षा की है तथा शब्दमें ऐतिह्यका और अनुमानमें शेष तीनका अन्तर्भाव प्रदर्शित किया है। प्रशस्तपादने प्रत्यक्ष और अनुमान इन दो प्रमाणोंका ही समर्थन करते हुए उल्लिखत शब्द आदि प्रमाणोंका इन्हों दोमें समावेश किया है। तथा चेष्टा, निर्णय, आर्ष (प्रातिभ) और सिद्धदर्शनको भी इन्होंके अन्तर्गत सिद्ध किया है।

प्रशस्तपादसे पूर्व कणादने प्रत्यक्ष और लैंज्जिकके अतिरिक्त अन्य प्रमाणोंको कोई सम्भावना या गौतमकी तरह उनके समावेशादिकी चर्चा नहीं की । इससे प्रतीत होता है कि प्रमाणके उक्त दो भेदोंकी मान्यता प्राचीन है । चार्वाकके मात्र अनुमान-समीक्षण और केवल एक प्रत्यक्षके समर्थनसे भी यही अवगत होता है । जो हो, इतना तथ्य है कि प्रत्यक्ष और अनुमान इन दोको वैशेपिकों और

- १. गृहोष्यमाणयाहिण इव गृहीत्याहिणोऽपि नामामाण्यम्।
 - ---प्र० मो०, १:१।४, पृष्ठ ४।
- २. न चतुष्ट्वम्, ऐतिह्यार्थापत्तिसम्भवाभावप्रामाण्यात् । शब्द ऐतिह्यानर्थान्तरभावादनुमा-नेऽर्थापत्तिसम्भवाभावानर्थान्तरभावाच्चामतिषेधः ।
 - -- न्या० सू० रारा१, र 1
- ३. शब्दादीनामप्यनुमानेऽन्तर्भावः समानविधित्वात् ।...।
 - ---- म्रज्ञ । भा० पृष्ठ १०६-१११।
- ४. बही, पृष्ठ १२७-१२९।
- प्र. माधवाचार्य, सर्वद० सै० (चाविकदर्शन), पृष्ठ ३।
- ६. तयोनिष्पत्तिः प्रत्यक्षर्छैगिक।भ्याम् ।
 - --कणाद, वै० स्० १०।१।३ ।

बौद्धोंने हैं प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द इन तीनको सांस्योंने हैं उपमान सहित चारको नैयायिकोंने और अर्थापत्ति तथा अभाव सहित छह प्रयाणोंको जैमिनीयों (मीमांसकों) ने हें स्वीकार किया है। आगे चलकर जैमिनीय दो सम्प्रदायों में विभक्त हो गये— हैं भाट्ट और २ प्राभाकर । भाट्टोंने तो छहो प्रमाणोंको मान्य किया । पर प्राभाकरोंने अभावको छोड़ दिया तथा शेष पाँच प्रमाणोंको स्वीकार किया । इसीसे भाट्ट मीमांसक छह प्रमाणवादी और प्राभाकर पाँच प्रमाणवादोंके रूपमें विश्रुत हैं। इस तरह विभिन्न दर्शनों प्रमाणभेदको मान्यताएँ उपलब्ध होती हैं। भ

(ङ) जैन न्यायमें प्रमाणके भेद :

जैन न्यायमें प्रमाणके सम्भाव्य भेदोंपर विस्तृत ऊहापोह उपलब्ध है। इवेता-म्बर परम्पराके भगवतीसूत्रमें चार प्रमाणोंका उल्लेख है है प्रत्यक्ष, २ अनुमान, ३ उपमान और ४ आगम। इसी प्रकार स्थानांग्सूत्रमें प्रमाणशब्दके स्थानम हेतु शब्दका प्रयोग करके उसके उपर्युक्त प्रत्यक्षादि चार भेदोंका निर्देश किया गया है। प्राचीन कालमें हेतुशब्द प्रमाणके अर्थमें भी प्रयुक्त होता था। चरकमें हेतुशब्द-से प्रमाणोंका निर्देश हुआ है। इसके अतिरिक्त उपायहृदयमें भी 'एवं चत्वारो

त्रिविधं प्रमाणमिष्टं प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि ॥

१. प्रत्यक्षमनुमानं च प्रमाणं हि दिलक्षणम् ।
 प्रमेयं तत्प्रयोगार्थं न प्रमाणान्तरं भवेत् ॥
 — दिङ्नाग, प्र० स० (प्र० परि०) का० २, पृ० ४ ।

⁻⁻⁻ईश्वरकृष्ण, सांख्यका० ४।

३. प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानि ।

[—]गौतम अक्षपाद, न्यायसू० १।१।३।

४. शाबरमा० शशप ।

५. जैमिने: षट् प्रमाणानि चत्वारि न्यायवादिन: । सांख्यस्य त्रीणि वाच्यानि द्वे वैशेषिकवौद्धयो: ॥ —अनन्तवीर्थ, भमेयरत्न० २।२ के टिप्पणमें उद्धत पद्य, पृष्ठ ४३ ।

६. 'अहवा हेक चंडिन्बहे पण्णत्ते, तं जहा-पच्चक्खें अणुमाणे ओवम्मे आगमे।' -स्था० स्० ३३८।

 ^{&#}x27;गोयमा—से कि तं पमाणं ? पमाणे चडिक्वहे पण्णात्ते—तं जहा पच्चक्खे अणुमाणे अविम्मे आगमे जहा अणुओगदारे तहा णेयव्वं पमाणं ।
 म० स० पाश्र१६१-१९२ ।

अथ हेतुर्नाम उपलब्धिकारणं तत् प्रत्यक्षमनुमानमैतिश्वमौपम्यमिति ।
 चरक० विमानस्थान अ० ८, स्० ३३ ।

९. उपायहृदय पृ० १४ ।

हेतवः' कह कर प्रमाणोंको हेतु कहा है। स्थानांगसूत्रमें ै एक दूसरी जगह व्यव-सायके तीन भेदों द्वारा प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम इन तीन प्रमाणोंका भी कण्न किया है। सम्भव है सिद्धसेन बीर हिरभद्रके तीन प्रमाणोंकी मान्यता-का आधार यही स्थानांग हो। श्री दलसुख मालविणयाका मन्तव्य है कि उप-युक्त चार प्रमाण नैयायिकादिसम्मत और तीन प्रमाण सांख्यादिस्वीकृत परम्परा-मूलक हों तो आश्चर्य नहीं। इस प्रकार भगवतीसूत्र और स्थानाङ्गमे चार और तीन प्रमाणोंका उल्लेख है, जो लोकानुसरणका सुचक है।

पर आगमों में मूलतः ज्ञान-मीमांसा ही प्रस्तुत है। पट्खण्डःगममें विस्तृत ज्ञान-मीमांसा दी गयी है। वहाँ तीन प्रकारके मिथ्याज्ञानों और पाँच प्रकारके सम्यग्ज्ञानोंका निरूपण किया गया है तथा उन्हें वस्तुपरिच्छेदक बताया गया है। यद्यपि वहाँ प्रमाण और प्रमाणाभास शब्द अथवा उस रूपमें विभाजन दृष्टिगोचर नहीं होता। पर एक वर्गके ज्ञानोंको सम्यक् और दूसरे वर्गके ज्ञानोंको मिथ्या प्रतिपादित करनेसे अवगत होता है कि जो ज्ञान सम्यक् कहे गये हैं वे सम्यक् परिच्छित्ति करानेसे प्रमाण तथा जिन्हें मिथ्या बताया गया है वे मिथ्या ज्ञान कराने से अप्रमाण (प्रमाणाभास) इष्ट हैं। हमारे इस कथनकी संपुष्टि तत्त्वार्थमूत्रकारके निम्न प्रतिपादनसे भी होतो हैं—

मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलानि ज्ञानम् । ह तत्प्रमाणे । ७

मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवल ये पाँच ज्ञान सम्यक्जान हैं और वे प्रमाण हैं।

आशय यह कि षट्खण्डागममें प्रमाण और प्रमाणाभासरूपसे ज्ञानोंका

- 'तिविहे ववसार पण्णत्ते—तं जहा पच्चक्खे पच्चितते आणुगमिर ।'
 —स्था० स्० १८५ ।
- २. न्यायाब० का० ८।
- ३. अने० ज० दो० ए० १४२, २१५।
- ४. आगमयुगका जैनदर्शन पृ० १३६-१३८।
- प. णाणाणुनादेण अत्थि मदि-अण्णाणी सुद-अण्णाणी निमंग-णाणी आर्मिणनाहिय-णाणी सुदणाणी ओहि-णाणी मणपजनव-णाणी केन्नळणाणी चेदि । (ज्ञानकी अपेक्षा मित-अज्ञान, क्षुत-अञ्चान, निमंगज्ञान, आर्मिनिनोधिकज्ञान, श्रुतज्ञान, अन्विध्वान, मनःपर्य-यज्ञान और केन्ळज्ञान ये आठ ज्ञान हैं । इनमें आदिके तीन ज्ञान मिथ्याज्ञान और अन्तिम पांच ज्ञान सम्यग्जान हैं ।)
 - ---भूतबली-पुष्पदन्त, षट्ख० १।१।१५।
- ६, ७. गृद्धपिच्छ, त० स्० १।९,१०।

विवेचन न होनेपर भी उस समयकी प्रतिपादनशैलीके अनुसार जो उसमें पाँच ज्ञानोंको सम्यग्ज्ञान और तीन ज्ञानोंको मिथ्याज्ञान कहा गया है वह प्रमाण तथा प्रमाणाभासका अवबोधक है। राजप्रश्नीय, नन्दीसूत्र और भगवतीसूत्रमें भी ज्ञान-मीमांसा पायी जाती है। इस प्रकार सम्यग्ज्ञान या प्रमाणके मित, श्रुत आदि पाँच भेदोंकी परम्परा आगममें उपलब्ध होती है।

पर इतर दर्शनोंके लिए वह अज्ञात एवं अलौकिक जैसी रही, क्योंकि अन्य दर्शनोंके प्रमाण-निरूपणके साथ उसका मेल नहीं खाता । अतः ऐसे प्रयत्नकी आव-श्यकता थी कि आगमका समन्वय भी हो जाए और अन्य दर्शनोंके प्रमाण-निरूपण-के साथ उसका मेल भी बैठ जाए । इस दिशामें सर्वप्रथम दार्शनिक रूपसे तत्त्वा-र्थसत्रकारने समाधान प्रस्तुत किया। र उन्होंने तत्त्वार्थसूत्रमें ज्ञानमीमांसाको निबद्ध करते हए स्पष्ट कहा 3 कि जो मित आदि पाँच ज्ञानरूप सम्यज्ञान वाणित है वह प्रमाण है और मलमें वह दो भेदरूप है-- १. प्रत्यक्ष और २. परोक्ष । अर्थात आगममें जिन पाँच ज्ञानोंकी सम्यग्ज्ञान कहा गया है वे प्रमाण है तथा उनमें मित और श्रत ये दो ज्ञान परसापेक्ष होनेसे परोक्ष तथा अविध, मनःपर्यय और केवल ये तीन परसापेक्ष न होने एवं आत्ममात्रकी अपेक्षासे होनेके कारण प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। आचार्य गृद्ध-पिच्छको यह प्रमाणद्वययोजना इतनी त्रिचारयक्त तथा कौशल्यपण हुई कि प्रमाणों-का आनन्त्य भी इन्हीं दोमें समाविष्ट हो जाता है। उन्होंने अतिसंक्षेपमें मति. स्मति. संज्ञा (प्रत्यभिज्ञान), चिन्ता (तर्क) और अभिनिबोध (अनुमान को र भी प्रमाणान्तर होनेका संकेत करके और उन्हें मतिज्ञान कहकर 'आद्ये परोक्षम' सत्रद्वारा उनका परोक्ष प्रमाणमें समावेश किया, क्योंकि ये सभी ज्ञान परसा-पेक्ष हैं। वैशेषिकों और बौद्धोंने भी प्रमाणद्वय स्वीकार किया है पर उनका प्रमाण-

- १. वैशेषिकदर्शनके प्रवतंक कणादने भी इसी शंछीसे बुद्धिके अविद्या और विद्या ये दो मेद बतलाकर अविद्याके संशय आदि चार तथा विद्याके प्रत्यक्षादि चार मेद कहे हैं तथा दूषित ज्ञान (मिथ्याज्ञान) को अविद्या और निर्दोष ज्ञान (सम्यग्ज्ञान)- को विद्याका लक्ष्मण प्रतिपादन किया है ।
 - —देखिए, वैशे० स्० ९।२।७,८,१० से १३ तथा १०।१।३।
- २. यद्यपि स्थानांग (२, पृ० ४६, ए) और भगवती (५, उ. ६, भाग २, पृष्ठ २११) में भी प्रत्यक्ष-पराक्षरूप प्रमाणडयका विभाग निर्देष्ट है, पर उसे एं० सुखलालजी संघवी निर्युक्तिकार भद्रवाहुके बादका मानते हैं जिनका समय विकमकी छठी काताब्दी है। देखिए—प्रमाणमी० टि० पृष्ठ २०।
- ३. 'मितिश्रुताविधमनःपर्ययकेवलानि ज्ञानम् ।' 'तत्प्रमाणे, 'आचे परोक्षम्', प्रत्यक्षमन्यत् ।'
 —वही० १।९, १०,११,१२।
- ४. वही, १।१४।

द्वय प्रत्यक्ष और अनुमानरूप है और अनुमानमें स्मृति, प्रत्यिभज्ञान और तर्कका समावेश सम्भव नहीं है। अतः आ॰ गृद्धिपच्छने उसे स्वीकार न कर प्रत्यक्ष और परोक्षरूप प्रमाणद्वयका व्यापक विभाग प्रतिष्ठित किया। उत्तरवर्ती जैन तार्किकों के लिए उनका यह विभाग आधार सिद्ध हुआ। प्रायः सभीने अपनी कृतियों में उसीके अनुसार ज्ञानमीमांसा और प्रमाणमीमांसा उपस्थित की है। पूज्यपादने न्यायदर्शन आदि दर्शनों में पृथक् प्रमाणके रूपमें स्वीकृत उपमान, अर्थापत्ति और आगम आदि प्रमाणोंको परसापेक्ष होनेसे परोक्षमें अन्तर्भाव किया और तत्त्वार्थ-सृत्रकारके प्रमाणद्वयका समर्थन किया है। अकलंकने ने भी इस प्रमाणद्वयका सम्पृष्टि की, साथ ही नये आलोकमें प्रत्यक्ष-परोक्षकी परिभाषाओं और उनके भेदोंका भी बहुत स्पष्टताके साथ प्रतिपादन किया है। परोक्षको स्पष्ट संख्या हमें सर्वप्रथम उनके ग्रन्थोंमें ही उपलब्ध होती है अौर प्रत्येकके लक्षण भी वहीं मिलते हैं। लगता है कि गृद्धिपच्छ और अकलंकने जो प्रमाण-निरूपणको दिशा प्रदर्शित की उसीपर उत्तरवर्ती जैन तार्किक चले हैं। विद्यानन्द भे, माणिक्यनन्दि ने, हेमचन्द्र और धर्मभूषण प्रभृति तार्किकोंने उनका अनुगमन किया और उनके कथनको पल्लवित किया है।

स्मरणीय है कि आ० गृद्धिपिच्छके इस प्रत्यक्ष-परोक्ष प्रमाणद्वय विभागसे कुछ भिन्न प्रमाणद्वयका प्रतिपादन भी हमें जैन दर्शनमें उपलब्ध होता है। वह प्रति-पादन है स्वामी समन्तभद्रका। स्वामी समन्तभद्रने प्रमाण (केवलज्ञान)का

- १. अत उपमानागम।दीनामत्रैवान्तर्भावः ।
 - --पूज्यपाद, स० सि० १।११ ।
- प्रत्यक्षं विशदं शानं मुख्यसंव्यवहारतः ।
 परोक्षं शेषविशानं प्रमाणे इति संग्रहः ॥
 - --अकलंक, लघीय० १।३।

ज्ञानस्यैव विशादनिर्भासिनः प्रत्यक्षत्वम्, इतरस्य परोक्षता ।

- --- छघीय० स्वो० वृ० शां३।
- ज्ञानमाध मितः संज्ञा चिन्ता चाभिनिवाधिकम् ।
 प्राह् नामयोजनात् शेषं श्रुतं शब्दानुयोजनात् ॥
 - ---लघोय० १।११, तथा ३।६१ ।
- ४. विद्यानन्द, म० प०, पृ० ६६ ।
- प्र. माणिक्यनिन्द, प० गु० १।१, २ तथा ३।१, २ ।
- ६. प्रव मी० शशाह, १० तथा शशाह,र।
- ७, न्या वो व प्रत्यक्ष प्रकाश, पृ० २३ तथा परोक्षप्रकाश पृ० ५३।
- ८. तत्त्वज्ञानं प्रमाणं ते युगपत्सर्वभासनम् । क्रमभावि च यज्ज्ञानं स्याद्वादनयसंस्कृतम् ॥
 —समन्तमद्र, आ० मी० का० १०१।

स्वरूप युगपत्सर्वभासी तत्त्वज्ञान बतलाकर ऐसे ज्ञानको अक्रमभावो और क्रमशंः अल्पपरिच्छेदी ज्ञानको क्रमभावी कहकर प्रमाणको दो भागोंमें विभक्त किया है। समन्तभद्रके इन दो भेदोंमें जहाँ अक्रमभावि मात्र केवल है और क्रमभावि मिति, श्रुत, अविध और मनःपर्यय ये चार ज्ञान अभिमत हैं वहाँ गृद्धपिच्छके प्रत्यक्ष और परोक्ष इन दो प्रमाणभेदोंमें प्रत्यक्ष तो अविध, मनःपर्यय और केवल ये तीन ज्ञान हैं तथा परोक्ष मित और श्रुत ये दो ज्ञान इष्ट हैं। प्रमाणभेदोंकी इन दोनों विचारधारओं में वस्तुभूत कोई अन्तर नहीं है। गृद्धपिच्छका निरूपण जहाँ ज्ञानकारणोंकी सापेक्षता और निरपेक्षतापर आधृत है वहाँ समन्तभद्रका प्रतिपादन विषयाधिगमके क्रम और अक्रमपर निर्भर है। पदार्थों — ज्ञेयोंका क्रमसे होनेवाला ज्ञान क्रमभावि और युगपत् होने वाला अक्रमभावि प्रमाण है। पर इस विभागकी अपेक्षा गृद्धपिच्छका प्रमाणद्वय विभाग अधिक प्रसिद्ध और तार्किकों द्वारा अनुसृत हुआ है।

(च) परोक्ष-प्रमाणका दिग्दर्शन:

प्रमाणके प्रथम भेद प्रत्यक्षके स्वरूप और उसके भेद-प्रभेदोंकी यहाँ चर्चा न कर प्रकृत अनुमानसे सम्बद्ध उसके दूसरे भेद परोक्षकी परिभाषा और उसके भेदों पर संक्षेपमें प्रकाश डाला जाता है। पूज्यपादने परोक्षकी परिभाषा निम्न प्रकार प्रस्तुत की है—

पराणीनिद्रयाणि मनइच प्रकाशोपदेशादि च बाह्यनिमित्तं प्रतीत्य तदावरण-कमक्षयोपशमापेक्षस्यात्मनो मतिश्र्तं उत्पद्यमानं परोक्षमित्याख्यायते ।

'परोक्ष' पदमें स्थित 'पर' शब्दसे आत्मातिरिक्त इन्द्रियों, मन तथा प्रकाश और उपदेश आदि बाह्य निमित्तोंका ग्रहण विविक्षित है। उनकी सहायता तथा मितज्ञानावरण और श्रुतज्ञानावरणकर्मके क्षयोपशम (ईषद् अभाव)की अपेक्षासे आत्मामें जो मितज्ञान और श्रुतज्ञान उत्पन्न होते हैं वे परोक्ष कहे जाते हैं। तात्पर्य यह कि पराधीन ज्ञानोंको परोक्ष' कहते हैं। इस परिभाषाके अनुसार इन्द्रियजन्य और मनोजन्य ज्ञान, जिन्हें इतरदर्शनोंमें इन्द्रियज्ञत्यक्ष और मानसप्रत्यक्ष कहा गया है, परोक्ष हैं। स्मृति, प्रत्यभिज्ञा, तर्क, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति और आगम ये ज्ञान भी परसापेक्ष होनेसे परोक्षमें परिगणित हैं। परसापेक्ष

१. स० सि० १।११, पृ० १०१।

२. कुतोऽस्य परोक्षत्वम् ? परायतत्वात् । —वहो, १।११, पृ० १०१ ।

३. तच्चतुर्विथम् । इन्द्रियज्ञानम् । स्विवषयानन्तरिवषयसहकारिणेन्द्रियज्ञानेन समनन्तर-प्रत्ययेन जनितं तन्मनोविज्ञानम् । —धर्मकोर्ति, न्या० वि० प्र० परि० पृष्ठ १२,१३ ।

४. पंचिवधस्याप्यस्य परोक्षस्य प्रत्ययान्तरसापेक्षत्वेनैवोत्पत्तिः ।

⁻धर्मभूषण, न्या० दो० पू० ५३।

होने वाले यदि और भी ज्ञान हों तो वे सब परोक्षान्तर्गत ही हैं। इस प्रकार परोक्षका क्षेत्र बहुत विस्तृत और व्यापक है।

इसके मुख्यतया पाँच भेद माने गये हैं --- १ स्मृति, २ प्रत्यभिज्ञान, ३ तर्क ४ अनुमान और ५ आगम।

पूर्वानुभूत वस्तुके स्मरणको स्मृति कहते हैं। यथा 'वह' इस प्रकारसे उल्लिखित होने वाला ज्ञान । अनुभव तथा स्मरणपर्वक होने वाला जोड्रूप ज्ञान प्रत्यभिज्ञा या प्रत्यभिज्ञान या संज्ञा है। है जैसे — 'यह वही देवदत्त है' अथवा 'गौके समान गवय होता है' या 'गौसे भिन्न महिष होता है' आदि । उपमान प्रमाण इसीका एक भेद-साद्श्यप्रत्यिमज्ञान है। अन्वय और व्यतिरेकपूर्वक होने वाला व्यप्तिका ज्ञान तर्क है। ४ इसीको ऊह अथवा चिन्ता भी कहा गया है। इसका उदाहरण है-इसके होने पर ही यह होता है और नहीं होने पर नहीं हो होता । जैसे ---अग्निके होने पर ही धुम होता है और अग्निके अभावमें धम नहीं होता । निश्चित साध्याविनाभावी साधनसे होने वाला साध्यका ज्ञान अनुमान कहलाहा है। " यथा-धुमसे अग्निका ज्ञान करना । शब्द, संकेत आदि पूर्वक जो ज्ञान होता है वह आगम^६ है। जैसे—'मेरु आदिक है' शब्दोंको सून कर सुमेरु पर्वत आदिका बोध होता है। ये सभी ज्ञान ज्ञानान्तरापेक्ष हैं। हैं स्मरणमें अन-भवः प्रत्यभिज्ञानमें अनुभव तथा स्मरणः तर्कमे अनुभव, स्मरण और प्रत्यभिज्ञानः अनमानमें लिंगदर्शन, व्याप्तिस्मरण और आगममें शब्द एवं संकेतादि अपेक्षित हैं. उनके बिना उनकी उत्पत्ति सम्भव नहीं है। अतएव ये और इस जातिके अन्य सापेक्ष ज्ञान परोक्ष प्रमाण माने गये हैं। इस प्रकार अनुमानको जैनदर्शनमें परोक्ष प्रमाणका एक भेद स्वीक(र किया है।

- श्. प्रत्यक्षादिनिमित्तं रमृतिप्रत्यभिद्यानतकोनुमानागमभेदम् ।
 —माणिक्यनिद्, प० मु० ३।२ ।
- २. वही, ३।३,४।
- ३. वही, ३१४,६ ।
- ४. वही, ३।७, ८, ६।
- ५. वही, ३।१०, ११।
- ६. वही, ३।६५, ९६, ९७।
- ७. अक्लंक, लघीय० स्वो० वृ० का० १०।
- द्र. 'अर्थापत्तिरनुमानात् प्रमाणान्तरं नवेति किन्नश्चिन्तया सर्वस्य परोक्षेऽन्तर्मावात्।'
 ---अकलंक, लघीय० स्वो० वृ० का० २१।

द्वितीय परिच्छेद

अनुमान-समीक्षा

प्रमाणसामान्यके अनुचिन्तन और परोक्ष-भेदोंके दिग्दर्शनके उपरान्त अब हम अनुमानके मूलरूप, उसकी आवश्यकता एवं महत्त्व, उसकी परिभाषा और क्षेत्र-विस्तारपर विचार प्रस्तुत करेंगे।

(क) अनुमानका मूलरूप: जैनागमके आलोकमें:

यह लिखा गया है कि आचार्य गृद्धिपच्छने आगममें विणित मित, श्रुत आदि पांच ज्ञानों को दो वर्गों में विभक्त किया है—१. प्रत्यक्ष और २. परोक्ष । मित और श्रुत इन दोको उन्होंने परोक्ष तथा अविध, मनःपर्यय और केवल इन तीन ज्ञानों को प्रत्यक्ष प्रमाण बतलाया है । गृद्धिपच्छने यह भी कहा है कि मित (अवग्रहादिरूप अनुभव) रे, स्मृति, संज्ञा (प्रत्यिभिज्ञान), चिन्ता (तर्क) और अभिनिबोध ये पांच ज्ञान इन्द्रियों तथा मनकी सहायतासे उत्पन्न होने के कारण मित्ज्ञानके पर्याय हैं ।

इनमें आग चार ज्ञान तो अन्य दर्शनोंमें भी प्रसिद्ध हैं—भले हो उन्हें उन दर्शनोंमें प्रमाण या अप्रमाण माना गया हो। परन्तु 'अभिनिबोध' संज्ञक ज्ञान उन दर्शनोंमें प्राप्त नहीं है तथा चार्वाक के अतिरिक्त शेष सभी दर्शनोंमें स्वीकृत और सबसे अधिक प्रसिद्ध अनुमान उक्त मित आदि पांच ज्ञानोंके मध्यमें दृष्टिगोचर नहीं होता। अतः विचारणीय है कि पुरातन जैन परम्परामें अनुमानको माना गया है या नहीं? यदि माना गया है तो आ० गृद्धिपच्छने तत्त्वार्थसूत्रमें स्मृति आदि ज्ञानोंका निरूपण करते समय उसका निर्देश क्यों नहीं किया? इन महत्त्व-पूर्ण प्रक्नोंपर चिन्तन एवं अन्वेषण करनेके उपरान्त जो तथ्य उपलब्ध हुए हैं उन्हें हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं —

- १. गृद्धपिच्छ, त० स० १।१४।
- २. अवग्रेहावायधारणाः।
 - ---बही, १।१५।
- ३. तदिद्रियानिन्द्रियनिमित्तम् ।
 - —बही, १।१४।
- ४. बौढादि दशनोंमें अनुभवको तो प्रमाण स्वीकार किया है, पर स्मृत्यादिको अप्रमाण माना है।

- (१) प्राचीन जैन परम्परामें अनुमान प्रमाणको स्वीकार किया गया है। तत्त्वार्थसूत्रमें यद्यपि 'अनुमान' शब्द उपलब्ध नहीं होता, पर उसका निर्देश 'अभिनिबोध' शब्दके द्वारा किया गया है। यह 'अभिनिबोध' ही अनुमानका प्राचीन मूल रूप है और उसे परोक्ष प्रमाणके अन्तर्गत परिगणित किया गया है।
- (२) 'अभिनिबोध' अनुमानका प्राचीन रूप है, इस कथनकी पृष्टि अक-लंक, विद्यानन्द और श्रुतसागर प्रभृति व्याख्याकारोंकी व्याख्याओंसे होती है। अकलंकने लघीयस्त्रयमें एक कारिकाकी व्याख्याके प्रसंगमें 'अभिनिबोध'का व्याख्यान 'अनुमान' किया है—

'अविसंवादस्मृतेः फलस्य हेतुत्वात् प्रमाणं धारणा स्मृतिः संज्ञायाः प्रत्यव-मर्शस्य । संज्ञा चिन्तायाः तकस्य । चिन्ता अभिनिबोधस्य अनुमानादेःः ।'

यहाँ अकलंकने अभिनिबोधका अर्थ 'अनुमान' दिया है।

विद्यानन्द तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकमें अभिनिबोधशब्दकी ब्युत्पत्ति द्वारा उसका अनुमान अर्थ फलित करते हैं और आगममें 'अभिनिबोध' शब्द मितज्ञान-सामान्यके अर्थमें प्रयुक्त होनेसे उत्पन्न सिद्धान्त-विरोधका वे परिहार भी करते हैं। यथा—

तत्साध्यामिमुखो बोधो नियतः साधनेन यः। कृतोऽनिन्द्रिययुक्तेनाभिनिबोधः स लक्षितः॥^२

इस वार्तिककी व्याख्यामें उन्होंने लिखा है कि साध्याविनाभावी साधनसे जो शक्य, अभिप्रेत और असिद्धरूप साध्यका ज्ञान होता है वह अनुमान है। और यह अनुमान हो अभिनिबोधका लक्षण (स्वरूप) है, क्योंकि साध्यकोटिमें प्रविष्ट और नियमित अर्थके मनसहित साधन द्वारा होने वाले अभिवोध (ज्ञान को अभिनिबोध कहा जाता है। यद्यपि आगममें अभिनिबोध शब्द मितज्ञानसामान्यके अर्थमें आया है, स्वार्थानुमानरूप मितज्ञानिवशेषके अर्थमें नहीं, तथापि प्रकरण-विशेष और शब्दान्तरके संनिधान आदिसे सामान्यश्वदकी प्रवृत्ति विशेषमें भी देखी जाती है। जैसे 'गो' शब्द श्यामा, कृष्णा आदि गोविशेषके अर्थमें प्रयुक्त होता हुआ देखा जाता है। तात्पर्य यह कि अभिनिबोध शब्द मितज्ञानसामान्य-वाची होते हुए भी प्रकरणवश स्वार्थानुमानरूप मितज्ञानिवशेषका बोधक है।

विद्यानन्द इसी ग्रन्थमें आगे और स्पष्ट करते हुए कहते हैं-

१. लघोय० स्वो० वृ० का० १०।

२. त० व्लो० १।१३।१२२, पृष्ठ १९७, १९८।

३. षट्ख० १।१।११५, तथा १।९-१।१४ और ५।५।२१ आदि ।

यः साध्यामिमुखो बोधः साघनेनानिन्द्रियसहकारिणा नियमितः सोऽभिनि-बोधः स्वार्थानुमानमिति ।

मन सहकृत साधन द्वारा जो साध्याभिमुख एवं नियमित बोध होता है वह अभिनबोध है और यह स्वार्थानुमान है।

यहाँ विद्यानन्द द्वारा एक महत्त्वपूर्ण शंका-समाधान भी प्रस्तुत किया गया है ।

शंकाकार शंका करता है कि इन्द्रिय और मन दोनोंसे होनेवाला नियमित और स्विविपयाभिमुख बोध ही अभिनिवोध प्रसिद्ध है न कि केवल मन सहकृत लिंगसे होनेवाला लिंगीका नियमित बोध। अन्यथा स्मृति, प्रत्यभिज्ञान और तर्क ये अभिनिवोध नहीं हो सर्केंगे। ऐसी स्थितिमें अपिरहार्य सिद्धान्तिवरोध आता है?

इसका समाधान उपस्थित करते हुए विद्यानन्द कहते हैं कि हम अभिनिबोध-का यह व्याख्यान नहीं कर रहे कि लिंगजन्य ही बौध अभिनिबोध है, अपितु यह कह रहे हैं कि शब्दयोजनास रहित लिंगजन्य बोध अभिनिबोध हो है। इस प्रकार-के कथनसे लिंगजन्य बोधको अलग प्रमाण नहीं मानना पड़ेगा और सिद्धान्तका संग्रह भी हो जाएगा। इन्द्रिय और मन दोनोंसे हो होने वाला स्वविषयाभिमुख एवं नियमित बोध अभिनिबोध है, ऐसा सिद्धान्त नहीं है, अन्यथा स्मृति आदि अभिनिबोध नहीं माने जा सकेंगे, क्योंकि वे मनस ही उत्पन्न होते हैं। अतः मन-से भी उत्पन्न होने वाला बोध अभिनिबोध सिद्धान्तसम्मत है।

विद्यानन्दके इस विस्तृत एवं विशद विवेचनसे स्पष्ट है कि तत्त्वार्थसूत्रमें मित-ज्ञानके पर्यायनामों में पठित अभिनिबोधसे स्वार्थानुमानका ग्रहण अभिन्नेत हैं। विद्यानन्द बलपूर्वक यह भी कहते हैं कि यदि लिंगज बोध — स्वार्थानुमानको अभि-निबोध नहीं माना जाएगा तो उसका स्मृति, प्रत्यभिज्ञा और तर्कम अन्तर्भाव न होनेसे उसे अलग प्रमाणस्वीकार करना पड़ेगा। अतः हमने लिंगज बोधको अभि-

१. इन्द्रियानिन्द्रियाभ्यां नियमितः कृतः स्विषयाभिमुखो बाघाऽभिनिगेधः प्रसिद्धो न पुनर-निन्द्रियसहकारिणा लिंगेन लिंगिनियमितः केवल एवः ।

सत्यं स्वार्थानुमानं तु विना यच्छब्दयोजनात् ।

तन्मानान्तरतां मागादिति व्याख्यायते तथा ॥

न हि छिंगज एव बोधोऽमिनिबोध इति न्याचक्ष्यहै। कि तर्हि। छिंगजो बांघः शब्दयो-जनरहितोऽमिनिबोध एवेति तस्य प्रमाणान्तरत्वनिवृत्तिः कृता भवति सिद्धान्तश्च संगृ-हीतः स्यात।

- त० क्लो० भा० १।१३।३८७, ३८८, प्रo २१६ ।
- १. अकलंकदेव भी स्मृति, पत्यमिक्षा, तर्क और अभिनिबोध इन चारों ज्ञानोंको मनोजन्य

निबोधका व्याख्यान किया है । इससे प्रमाणान्तर नहीं मानना पड़ेगा और इसमें सिद्धान्तका कोई विरोध भी नहीं है ।

विद्यानन्दने यही प्रतिपादन अतिसंक्षेपमें प्रमाणपरीक्षामें भी किया है। कि इतना विशेष है कि वहाँ परार्थ अनुमानको श्रोत्रमितज्ञान-पूर्वक होनेके कारण श्रुत-ज्ञान (अक्षर और अनक्षर दोनों) बतलाया है। तथा वचनात्मक परार्थ अनुमानको मोमांसा करते हुए उसे उपचारसे परार्थ अनुमान कहा है।

श्रुतसागरसूरिने र भी अभिनिबोधका अर्थ अनुमान किया है।

इन व्याख्याकारोंके अनुसार स्पष्ट है कि तत्त्वार्थसूत्रमें अभिनिबोघ शब्द स्वार्था-नुमानका बोधक है।

(३) धवलाकार वीरसेनने अभिनिबोधको दो विभिन्न स्थानोंपर व्याख्याएँ प्रस्तुत की हैं। हम दोनों स्थानोंकी व्याख्याएँ यहाँ दे रहे हैं।

अहिसुह-णियमिय-अत्थावबोहां आभिणिबोहो। थूळवट्टमाण-अणंतारद-अत्था अहिसुहा। चिक्तिंदए रूवं णियमिदं, सोदिंदिए सहो, घाणिदिए गंधो, जि-बिभिदिए रमो, फासिंदिए फासो, णोइंदिए दिट्र-सुदाणुभूदत्था णियमिदा। अहि-सुहणियमिद्ट्ठेसु जो बोधो सो अहिणिबोधो। है

अभिमुख और नियमित अर्थके अवबोधको अभिनिबोध कहते हैं। स्यूल, वर्त-मान और अनन्तरित अर्थात् व्यवधानरिहत अर्थोंको अभिमुख कहते हैं। चक्षु-रिन्द्रियमें रूप नियमित है, श्रोत्रेन्द्रियमें शब्द, घ्राणेन्द्रियमें गन्ध, जिह्वेन्द्रियमें रस स्पर्शनेन्द्रियमें स्पर्श और नोइन्द्रिय अर्थात् मनमें दृष्ट, श्रुत और अनुभूत पदार्थ

प्रतिपादन करते है--

⁽क) अनिन्द्रियपत्यक्षं स्मृतिसंद्याचिन्ताभिनिबाधात्मकम् ।

⁻⁻ लघोय० स्वो० वृ० का० ६१,।

⁽ख) मनामतेरपि स्मृतिप्रत्यभिद्यानचिन्ताऽभिनिबोधात्मिकायाः कारणमितपरिच्छिन्नार्थं-विषयत्वात् ।

⁻⁻ वही०, का० ६६।

तदेतत्सावनात् साध्यविद्यानमनुमानं स्वार्थमिनिवोषळक्षणं विशिष्टमितिश्वानम्, साध्यं प्रत्यिममुखान्नियमितात्साधनादुवजातवोषस्य तर्कपळस्यामिनिवोष इति संशाप्रति-पादनात् परायमनुमानमनक्षरश्रुतशानं अक्षरश्रुतशानं च, तस्य श्रोत्रमितपूर्वकस्य च नयात्वापपत्ते :।

⁻⁻⁻प्र० प० पृ० ७६।

२. धूमादिदर्शनाद्रन्यादिपतीतिरनुमानमभिनिनेष अभिधीयते ।

[—]तत्त्वा० वृ० १।१३, पृ० ६१।

३. ४० टो०, १।६।१।१४।

नियमित हैं। इस प्रकारके अभिमुख और नियमित पदार्थों में जो बोध होता है वह अभिनिबोध है।

दूसरे स्थानपर अभिनिबोधकी व्याख्या इस प्रकार उपलब्ध होती है-

तत्थ अहिमुह-णियमिद्रथस्स बोहणमाभिणिबोहियं णाम णाणं । को अहि-मुहरथो ? इंदिय-जोइंदियाणं गहणपाओग्गो । कुदो तस्स णियमो ? अण्णत्थ अप्पवत्तीदो । अर्थिदियालोगुवजोगेहिंतो चेव माणुसेसु रूवणाणुप्पत्ती । अर्थि-दियउवजोगेहिंतो चेव रस-गंध-सद्द-फासणाणुप्पत्ती । दिह-सुदाणुभूदट्ट-मणेहिंतो णोइंदियणाणुष्पत्ती । एसो एत्थ णियमो । एदेण णियमेण अभिमुहत्थेसु जमु-प्पज्जिद णाणं तमाभिणिबाहियणाणं णाम ।

इसका तात्पर्य यह है कि अभिमुख और नियमित अर्थका जो ज्ञान होता है उसे आभिनिबोधिकज्ञान कहते हैं। अभिमुखका अर्थ है इन्द्रिय और गोइन्द्रियके द्वारा प्रहण करने योग्य अर्थ और नियमितका आश्य है अभिमुखको छोड़ कर अन्यत्र इन्द्रिय और नोइन्द्रियको प्रवृत्ति न होना। अर्थात् अर्थ, इन्द्रिय, आलोक और उपयोगके द्वारा मनुष्योंको रूपज्ञान होता है। अर्थ, इन्द्रिय और उपयोगके द्वारा मनुष्योंको रूपज्ञान होता है। अर्थ, इन्द्रिय और उपयोगके द्वारा रस, गन्ध, शब्द और स्पर्शज्ञानको उत्पत्ति होतो है। दृष्ट, श्रुत और अनुभूत अर्थ तथा मनके द्वारा नोइन्द्रियज्ञान उत्पन्न होता है, यह यहाँ नियम है——नियमितका अर्थ है। इस नियमके अनुसार अभिमुख अर्थोंका जो ज्ञान होता है वह आभिनिबोधिक ज्ञान है।

अभिनिबोधकी इन दोनों व्याख्याओं यद्यपि स्वार्थानुमान अर्थ परिलक्षित नहीं होता तथापि यह स्पष्ट है कि दृष्ट, श्रुत और अनुभूत अर्थका मन द्वारा जो ज्ञान होता है वह भी अभिनिबोध है। स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमान (स्वार्थ) ये चारों ज्ञान यतः दृष्ट, श्रुत और अनुभूत अर्थमें ही मन द्वारा होते हैं, अतः इन सब ज्ञानोंको अभिनिबोध कहा जा सकता है। अकलंकदेवने इन ज्ञानोंको मनोमित्ज्ञान अथवा अनिन्द्रिय प्रत्यक्ष कहा है। तथ्य यह है कि उन्होंने ज्ञानिवशेषके अर्थमें अभिनिबोधको दिया है। और इसीसे उन्होंने स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क इनके स्वतन्त्र निर्देशके साथ अभिनिबोधका भी स्वतन्त्र उल्लेख करके उन सभीको अनिन्द्रियप्रत्यक्ष अथवा मनोमित प्रतिपादित किया है। उनका अभिप्रेत वह ज्ञानिवशेष स्वार्थानुमान हो सम्भव है। वीरसेन द्वारा अभिनिबोधका मित्ज्ञानसामान्य अर्थ किया जाना स्वाभाविक है, क्योंकि वे जिस षट्खण्डागमके व्याख्याकार हैं उसमें सर्वत्र अभिनिबोध (आभिनिबोधका) शब्द मित्ज्ञान

१. ४० टो०, प्रापा२१, ५० २०६, २१०।

२. लघी व्यो वृ का ६१ तथा ६६।

सामान्यके अर्थमें प्रयुक्त हुआ है। निष्कर्ष यह कि अकलंक, विद्यानन्द और श्रुत-सागरकी व्याख्याओं के आधारपर मितज्ञानिवशेष—अभिनिबोधिवशेष (स्वार्धा-नुमान) भी अभिनिबोध सामान्यका अर्थ लिया जा सकता है। जैसे गोशब्दसे स्यामा आदि गोविशेष अर्थ ग्रहण किया जाता है।

- (४) वीरसेनने इसी धवला-टीकामें श्रुतज्ञानका भी व्याख्यान दो स्थलोंपर किया है। वह भी द्रष्टव्य है——
- (क) तत्थ सुदणाणं णाम इंदिएहि गहिदत्थादो तदो पुषम्दूत्थग्गहणं, जहा---सद्दादो घडादीणसुवलंमो, धूमादो अग्गिस्सवलंमो वा।

इन्द्रियोंसे ग्रहण किये गये पदार्थसे, उससे पृथक्भूत पदार्थका ग्रहण करना श्रुतज्ञान है। ^२ जैसे — शब्दसे घट आदि पदार्थीका जानना, अथवा धूमसे अग्निका ग्रहण करना।

(ख) मदिणाणेण गहिदस्थादो जमुष्यज्जिदि अण्णेसु अध्येसु णाणं तं सुद-णाणं णाम । घूमादो उप्यज्जमाणअग्गिणाणं, णदीपूर्जिणिद्उवश्विद्ठि-विण्णाणं, देसंतरसंपत्तीए जिणद-दिणयरगमणविसयविण्णाणं, सद्दादो सद्दश्युप्पणणाणं च सुद्रणाणीमिदि भणिदं होदि । 3

अर्थात् मितज्ञानके द्वारा ग्रहण किये गये अर्थके निमित्तसे जो अन्य अर्थोका ज्ञान होता है वह श्रुतज्ञान है। धूमके निमित्तसे उत्पन्न हुआ अग्निका ज्ञान, नदीपूरके निमित्तसे उत्पन्न हुआ ऊपरी भागमें वृष्टिका ज्ञान, देशान्तरकी प्राप्तिके निमित्तसे उत्पन्न हुआ मूर्यका गमनविषयक विज्ञान और शब्दके निमित्तसे उत्पन्न हुआ शब्दार्थका ज्ञान श्रुतज्ञान है।

श्रुतज्ञानकी इन दोनों व्याख्याओं में जो उसके उदाहरण दिये गये हैं वे ही सब अनुमानका स्वरूप समझाने के लिए भी दिये जाते हैं। धूमसे अग्निका ज्ञान, नदीपूरसे ऊपरी भागमें वर्षाका ज्ञान, देशान्तर-प्राप्तिसे सूर्यमें गतिका ज्ञान अनुमानसे किया जाता है, यह प्रसिद्ध है। अतएव श्रुतज्ञानकी इन व्याख्याओं से अनुमान श्रुतज्ञानके अन्तर्गत सिद्ध होता है। यही कारण है कि वीरसेनकी अभिनिबोध-सम्बन्धी व्याख्याओं अनुमान या स्वाधीनुमान अर्थ उपलब्ध नहीं होता।

१. धवला १।९।१।१४, पृ० २१।

अत्यादो अत्यंतरमुवलंमंतं मणंति सुदणाणं ।
 आभिणिबोहियपुव्वं णियमेणिह सद्दां पमुहं ॥
 —आ० नेमिचन्द्र, गो० जी० ३१४ ।

३. धवला प्राप्रा२१, पृ० २१०।

(५) षट्खण्डागममें श्रुतज्ञानके इकतालीस पर्यायशब्द दिये गये हैं। उनमें एक 'हेतुबाद' है। इस हेतुबाद' का व्याख्यान वीरसेनने निम्न प्रकार किया है—

हेतुः साध्याविनाभावि लिंगं अन्यथानुपपत्येकलक्षणोपलक्षितः । स हेतु-द्विविधः साधनदृषणभेदेन । तत्र स्वपक्षसिद्धयं प्रयुक्तः साधनहेतुः । प्रतिपक्ष-निर्लोद्दनाय प्रयुक्तो दूषणहेतुः । हिनोति गमयसि परिच्छिनत्यर्थमात्मानं चेति प्रमाणपंचकं वा हेतुः । स उच्यते कथ्यते अनेनेति हेतुवादः श्रृतज्ञानम् । र

साध्यके अभावमें न होने वाले लिंगको हेतु कहते हैं। और वह अन्यथानुपपत्तिरूप एक लक्षणसे युक्त होता है। वह दो प्रकारका है—-१. साधनहेतु और २. दूषण हेतु। इनमें स्वपक्षकी सिद्धिके लिए प्रयुक्त हेतुको साधन
हेतु और प्रतिपक्षका खण्डन करनेके लिए प्रयुक्त हेतुको दूषणहेतु कहते हैं। अथवा
हेतुशब्दकी व्युत्पत्तिके अनुसार जो अर्थ (वस्तु)काऔर अपना ज्ञान कराता है उस
प्रमाणपंचकको हेतु कहा जाता है। यहाँ प्रमाणपंचकसे वीरसेनको मित, श्रुत आदि
पाँच ज्ञान अभिप्रेत प्रतीत होते हैं। उक्त प्रमाणपंचकरूप हेतु जिसके द्वारा अभिहित हो वह हेतुवादरूप श्रुतज्ञान है।

वीरसेनके इस हेनुवाद-व्याख्यानसे असन्दिग्ध है कि यहाँ हेनुवादके अन्तर्गत वह हेनु विवक्षित हैं जो साध्याविनाभावि लिंगसे होने वाले साध्यज्ञान (अनुमान)में प्रयुक्त होता है और जिसके बलपर अनुमानको लिंगज या लैंगिक कहा जाता है। हेनुवादशब्दका प्रयोग अनुमानके अर्थमें हमें अन्य दर्शनोंमें भी मिलता है। निष्कर्ष यह कि वीरसेन अनुमानको श्रुतज्ञान मानते हैं, उसे मितज्ञान माननेकी ओर उनका इङ्गित प्रतीत नहीं होता।

यहाँ हम उनका एक महत्त्वपूर्ण उद्धरण और दे देना आवश्यक समझते हैं। इस उद्धरणसे स्पष्ट हो जाएगा कि वीरसेन अनुमानको श्रुतज्ञानके अन्तर्गत स्वी-कार करते हैं। यथा---

"सुद्गाणं दुविहं—सद्द् लिगजं असद्िंगजं चेदि । धूमलिंगादो जलणाव-गमो असद्द् लिंगजो । अवरो सद्द् लिंगजो । किंलक्स्तणं लिंगं ? अण्णहाणुववित्त-कक्स्तण । पक्षधर्मत्वं सपक्षे सत्त्वं विपक्षे चासत्त्वमित्येतेस्त्रिभिर्लक्षणैरुपलक्षितं वस्तु किं न लिंगमिति चेत्, न, व्यभिचारात् । तद्यथा--पक्वान्याम्रफलान्ये-

१. पावयणं पवयणीयं पवयणहो...हेदुवादो णयवादो पवरवारो मग्गवादो सुदवादो पर-वादो लोइयवादो लागुत्तरीयवादो...चेदि ।

⁻⁻⁻ भूतवली-पुष्पदन्त, षट्ख०, पापाप०, पृ० २८०।

२. घवला ५.५.५०, ५० २८०।

कशासाप्रभवत्वादुपयुक्ताम्रफलवत्, स श्यामः तत्पुत्रत्वादितरपुत्रवत्,....इत्या-दीनि साधनानि त्रिलक्षणान्यपि न साध्य-सिद्धये मवन्ति । विश्वमनेकान्तात्मकं सत्त्वात्....इत्यादीनि साधनानि अत्रिलक्षणान्यपि साध्यसिद्धये प्रभवन्ति । ततः इदमन्तरेण इदमनुषपन्नमितीदमेव लक्षणं लिंगस्येति प्रत्येतव्यम् ।

यहाँ श्रुतज्ञानके वर्णन-प्रसंगमें उसके दो भेद बतलाये हैं—-(१) शब्द-लिंगज और (२) अशब्दिलिंगज। अशब्दिलिंगज श्रुतज्ञानका उदाहरण है—-धूम-के निमित्तसे अग्निका ज्ञान करना। आगे लिंगका लक्षण वही दिया है जो अनु-मान-निरूपणमें कहा जाता है। इससे वीरसेनका स्पष्ट मत है कि अनुमान अशब्द-लिंगज श्रुतज्ञान है।

६. वीरसेनका यह मत षट्खण्डागमपर आधृत है। षट्खण्डागममें आचार्य भूतवली-पुष्पदन्तने ज्ञानमार्गणाकी अपेक्षा जिन पांच सम्यग्ज्ञानों और तीन मिथ्याज्ञानोंका निरूपण किया है उनमें प्रथम सम्यग्ज्ञानका नाम 'आभिनिबो- धिक' है, मितज्ञान नहीं है, मित तो उसके चार पर्यायोंमें परिगणित तीसरे ज्ञानका नाम है। यथा—

सण्णा सदी मदी चिंता चेदि। र

संज्ञा, स्मृति, मित और चिन्ता ये आभिनिबोधिक ज्ञानके पर्याय हैं।
पट्खण्डागमके इस सूत्रमें आभिनिबोधिक ज्ञानके पर्यायनामोंको गिनाते हुए
जहाँ अनुमानके पूर्वमें आवश्यक रूपसे रहने वाले चिन्ता आदि ज्ञानोंका निर्देश है
वहाँ अनुमानका अनुमानशब्दसे या उसके बोधक किसी पर्यायशब्दसे कोई उल्लेख
नहीं है। इससे अवगत होता है कि पट्खण्डागममें अनुमानको आभिनिबोधिक ज्ञान
नहीं माना। इसका कारण यह ज्ञात होता है कि आभिनिबोधिक ज्ञान इन्द्रियन्यापार या मनोव्यापार-पूर्वक उत्पन्न होते हैं। चाक्षुप आदि इन्द्रियज्ञान इन्द्रियव्यापारसे और स्मृति, संज्ञा और चिन्ता ये तीनों अनिन्द्रियज्ञान मनोव्यापारसे
पैदा होते हैं। अतः ये ज्ञान तो 'इन्द्रियानिन्द्रियनिम्प्त्रम्' के अनुसार आभिनिबोधिक हैं। पर अनुमान सीधे मनोव्यापार या इन्द्रिय-व्यापारसे उत्पन्न न होकर
साघ्याविनाभावी साधनसे उत्पन्न होता है। जैसे धूमसे अग्निका ज्ञान होता है।
यह सत्य है कि साधनमें इन्द्रिय और मन सहायक हैं, क्योंकि उनके बिना साधनका दर्शन और व्याप्तिका स्मरण नहीं हो सकता। पर वे साध्यज्ञानके उत्पादक
नहीं हैं—उसका उत्पादक तो अविनाभावि साधनका ज्ञान है। ऐसी स्थितिमें अनुमान आभिनिबोधिक ज्ञान न होकर श्रुतज्ञान होगा, क्योंकि एक अर्थसे दूसरे अर्थ

१. धवला पापा४३, पृ० २४५।

२. षट्खण्ड० प्रापा४१, पु० २४४।

का बोध कराने वाला ज्ञान श्रुतज्ञान कहा गया है। धूमके निमित्तसे अग्निका ज्ञान करना. नदीपूरसे ऊपरी भागमें वर्षाका ज्ञान करना, देशान्तर प्राप्तिसे सूर्य-में गतिका ज्ञान करना, ये सब श्रुतज्ञानके उदाहरण हैं और अनुमानके भी यही उदाहरण हैं। ज्ञात होता है कि इसीसे षट्खण्डागममें अनुमानको आभिनिबोधिक ज्ञानके पर्यायनामों वर्णित नहीं किया। किन्तु श्रुतज्ञानके एकार्थवाची इकतालोस नामों चें दत्त 'हेतुवाद' द्वारा उसका श्रुतज्ञानमें संग्रह अथवा अन्तर्भाव किया है। अतः षट्खण्डागमके व्याख्याकार वीरसेनका उपर्युक्त मत (व्याख्यान) पट्खण्डागमके अनुरूप है।

(७) प्रश्न है कि आगमकी जब ऐसी प्ररूपणा (ब्यवस्था) है तो आचार्य गृद्धिपच्छने तत्त्वार्थसूत्रमें आगमोक्त आभिनिबोधिक ज्ञानके स्थानमें मितज्ञान नाम और उसके पर्यायनामोंमें पहलेसे अनुपलब्ध अभिनिबोध शब्द कैसे रखा? और उनके इस परिवर्तनका कारण क्या है?

हमारा विचार है कि तत्त्वार्थसूत्रकार उस दर्शनयुगमें हुए हैं जब प्रमाणशास्त्र की चर्चा बहलतासे होने लगी थी और प्रत्येक दर्शनके लिए आवश्यक था कि वह अपने अभिमत प्रमाणोंका निर्धारण करे। चार्वाकके अतिरिक्त अन्य सभी भार-तीय दर्शनोंने अनुमानको स्वतन्त्र प्रमाणके रूपमें मान लिया था और उसका मल रूप 'वाकोवाक्यम्' एवं 'आन्वीक्षिकी' विद्यामें खोज निकाला था। आईत दर्शन को अपनी विशिष्ट परम्परा रही है। वह ऐसे समयपर मौन नहीं रह सकता था। उसे भी अपनी ओरसे यह निर्णय करना आवश्यक था कि वह कितने प्रमाण मानता है और वे कौन-कौन-से हैं तथा वह अनुमानको स्वीकार करता है या नहीं ? यद्यपि षटखण्डागमः प्रवचनसार, अनुयोगद्वार, स्थानांग, भगवती आदि थागम ग्रन्थोंमें ज्ञानमीमांसा तथा प्रमाण-मीमांसा विस्तृत रूपमें निरूपित एवं चर्चित थी। विषयनिरूपणमें हेत्व।दका भी आश्रय लिया जाता था। पर ये सभी ग्रन्थ प्राकृतमे निबद्ध थे और युग था संस्कृतके माध्यमसे दार्शनिक विषयोंके निरूपणका। अतः तत्त्वार्थसूत्रकारने संस्कृतके माध्यमसे आर्हतदर्शनके प्रायः सभी विषयोंका प्रतिपादन करनेके लिए तत्त्वार्थसूत्रकी रचना की । यह उपलब्ध जैन संस्कृत-सूत्र-ग्रंथोंमें आद्य संस्कृत-सुत्रग्रन्थ है। इसमें धर्म और दर्शन दोनोंका निरूपण है। उनका गहन कार्य था आगमिक प्रमेयोंको दर्शन द्वारा प्रस्तुत करना । इस कार्यमें उन्हें निःसन्देह अभूतपूर्व सफलता मिली । अन्य दर्शनोंकी तरह उन्होंने भी निः-श्रेयस और नि:श्रेयस मार्गका ज्ञान इस ग्रन्थमें निरूपित किया। आगमानुसार ज्ञान-मीमांसाको प्रस्तुत करते हए उसमें प्रतिपादित पांच ज्ञानोंमें दत्त आभिनिवो- धिकशब्द मतिशब्दकी अपेक्षा, जो उसीका एक पर्याय है, उन्हें कुछ जटिल लगा। अतएव उसके स्थानमें मितको रखकर उसे सरल बना दिया तथा उसके पर्यायोंमें अभानबोधको भी सम्मिलित कर लिया। यह अभिनिबोधशब्द भी आभिनिबोधिकको अपेक्षा अधिक सुगम है, अतः उसके द्वारा उन्होंने चिन्ता (तर्क) पूर्वक होने वाले लिंगजबोध—अनुमानके संग्रहकी ओर संकेत किया । इस परि-वर्तनमें कोई मौलिक सिद्धान्त-भेद या सिद्धान्त-विपरीतता नहीं है। फलत: अकलंक, विद्यानन्द जैसे मुर्धन्य मनीषी विचारक उनके इस परिवर्तनसे प्रभावित हुए और उससे प्रकाश पाकर उन्होंने अभिनिबोधकी व्याख्या अनुमानपरक प्रस्तृत की । सिद्धान्त-विरोधकी बात उठने पर विद्यानन्दने सामान्य शब्दको विशेष-वाची बतलाकर इस विरोधका परिहार किया। साथ ही अकलंकका आशय^२ ग्रहण करके यह भी कह दिया³िक अभिनिवोधात्मक ज्ञान शब्दयोजनासे पूर्व अर्थात् शब्दयोजनासे रहित दशामें स्वार्थानुमान है। पर शब्दयोजनासे विशिष्ट होने पर वह अभिगिबोधपूर्वक होने वाला श्रुतज्ञान है, जिसे परार्थानुमान कहा जाता है। ४ तात्पर्य यह कि मतिज्ञानके पर्यायनामोंमें पठित 'अभिनिबोध' से स्वार्था-नुमानका और आगममें आये हेतुवादसे, जो श्रुतज्ञानके पर्याययनामोंमें सामहित है. परार्थानुमानका ग्रहण विवक्षित है। निष्कर्ष यह कि स्वार्थानुमानका प्राचीन मुल रूप अभिनिबोध है और परार्थानुमानका मूल रूप हेतुबाद है। इस तरह जैन अनुमान अभिनिबोध (मितज्ञान) और श्रुत दोनोंका प्रतिनिधि है। इसमें तत्त्वार्थ-सूत्रकार और उनके व्याख्याकारों तथा षट्खण्डागम और घवलाके व्याख्यानों एवं निरूपणोंमें कोई विरोध या असंगति नहीं है।

(ख) अनुमानका महत्त्व एवं आवश्यकता :

प्रत्यक्षकी तरह अनुमान भी अर्थासिद्धिका महत्त्वपूर्ण साधन है। सम्बद्ध और वर्तमान, आसन्न और स्थूल पदार्थोंका ज्ञान इन्द्रियप्रत्यक्षसे किया जा सकता है। पर असम्बद्ध और अवर्तमान—अतीत-अनागत तथा दूर और सूक्ष्म अर्थोंका ज्ञान उससे सम्भव नहीं है, क्योंकि उक्त प्रकारके पदार्थोंको जाननेकी क्षमता इन्द्रियोंमें

१. त० क्षो० १।१३।३=६-३८८, पृष्ठ २१६ ।

२. लघोय० का० १०,११।

३. प्र० प० पृष्ठ ७६, तथा त० व्लो० १।१३। ३८८, पृष्ठ २१६ ।

४. तदेतत्साघनात् साध्यविद्यानमनुमानं स्वायेमाभिनिबोधलक्षणं विशिष्टगतिद्यानम्, साध्यं प्रत्यभिमुखान्नियमितात्साधनादुपजातबोधस्य तर्कफलस्यामिनिबोध इति संद्याप्रतिपाद-नात् । परार्थमनुमानमनक्षरश्रुतद्यानं अक्षरश्रुतद्यानं च तस्य श्रोत्रमितपूर्वकस्य च तथा-त्वोपपत्तेः ।

⁻⁻⁻विद्यानन्द, प्र० प० पृष्ठ ७६।

नहीं है। अतः ऐसे पदार्थीका ज्ञान अनुमान द्वारा किया जाता है। इसे चार्वाक दर्शनको छोड़कर शेष सभी दर्शनोंने स्वीकार किया है और उसे प्रत्यक्षकी ही तरह प्रमाण एवं अर्थसिद्धिका सबल साधन माना है। चार्वाक इसे न माननेके निम्न कारण प्रस्तुत करते हैं—

- (१) यतः अनुमान प्रत्यक्षपूर्वक होता है। अतः वह प्रत्यक्षसे भिन्न नहीं है। 'कारणसद्दर्शा हि लोकं कार्यं दृष्टम्' इस सिद्धान्तके अनुसार अनुमान जब प्रत्यक्षका कार्य है तो उसे अपने कारण—प्रत्यक्षसदृश हो होना चाहिए, विसदृश नहीं।
- (२) सबसे पहले प्रत्यक्ष होता है, उसके बाद अनुमान । अतः प्रत्यक्ष मुख्य है और अनुमान गौण । अतएव अनुमान गौण होनेसे प्रमाण नहीं है । २
- (३) अनुमानमें विसंवाद देखा जाता है। कभी-कभी शक्रमूर्धा (बांबी) और गोपालघटिकामें धूमका भ्रम हो जानेसे वहां भी अग्निका अनुमान होने लगता है। इसके अतिरिक्त वृक्षका जब शिशपासे अनुमान किया जाता है तो शिशपा वृक्ष ही हो, ऐसा तो नहीं है, कहीं शिशपा लता भी होती है। ऐसी स्थितिमें शिशपा हैतु व्यभिचारी (वृक्षके अभावमें भी रहने वाली) होनेसे वृक्षका यथार्थ अनुमापक नहीं हो सकता। अनुपलब्धिसे अभावकी सिद्धि करना भी दोषपूर्ण है। परमाणु, पिशाचादि उपलब्ध नहीं होते, फिर भी उनका सद्भाव बना रहसकता है— अनुपलब्धिसे उनका अभाव सिद्ध नहीं किया जा सकता। इस तरह अनुमानके जनक सभी प्रमुख हेतु व्यभिचारी होनेसे वह अविसंवादी सम्भव नहीं है। अतः प्रत्यक्ष तो प्रमाण है, पर अनुमान प्रमाण नहीं है। उ

ये तीन कारण हैं जिनसे चार्वाक अनुमानको प्रमाण नहीं मानता । यहाँ इन तीनों कारणों पर विचार किया जाता है—

(१) प्रत्यक्षपूर्वक होनेसे यदि अनुमान प्रत्यक्षसे भिन्न नहीं है तो कहीं (पर्व-तादिकमें अग्निका) प्रत्यक्ष भी अनुमानपूर्वक होनेसे अनुमानसे भिन्न सिद्ध नहीं होगा। जैसे पर्वतमें अनुमानसे अग्निका निश्चय करके उसे प्रत्यक्षसे भी जाननेके लिए प्रवृत्त पुरुषको अग्निका जो प्रत्यक्ष होता है वह अनुमानपूर्वक होने-

१. प्र० प० पृष्ठ ६४।

२. प्रमेयरत्नमाला २।२, पृष्ठ ४६ । तथा प्र० प० पृष्ठ ६४ ।

३. ममेयरत्नमाला २।२, पृष्ट ४४।

से अनुमान कहा जाएगा । अतः अनुमानप्रामाण्यके निषेधका प्रथम कारण युक्त नहीं है, वह अतिप्रसंग दोष-सहित है । १

- (२) यह सच है कि कभी अनुमानसे पहले प्रत्यक्ष होता है, पर यह सार्व-दिक एवं सार्वित्रक नियम नहीं है। कहीं और कभी प्रत्यक्षसे पूर्व अनुमान भी होता है। जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं कि कोई पुरुष अग्निका अनुमान करके बादको वह उसका प्रत्यक्ष साक्षात्कार) करता है। ऐसी दशामें अनु-मान प्रत्यक्षसे पूववर्ती होनेके कारण मुख्य माना जाएगा और प्रत्यक्ष गौण। तब प्रत्यक्ष गौण होनेसे अप्रमाण और अनुमान मुख्य होनेसे प्रमाण सिद्ध होगा। अतः दूसरा कारण भी अनुमानके प्रामाण्यका प्रतिषेषक सिद्ध नहीं होता। र
- (३) तीसरा कारण भी युक्त नहीं है, क्योंकि अनुमानमें विसंवादित्व बतानेके लिए जो उदाहरण दिये गये हैं वे सब अनुमानाभासके उदाहरण हैं। जो हेत् साध्यका व्यभिचारो है वह हेतु ही नहीं है - वह तो हेत्वाभास है। शक्रमुर्घा और गोपालबटिकामें जो धूमसे अग्निके अनुमानकी बात कही गयी है उस पर हमारा प्रश्न है कि शक्रमूर्घा और गोपालघटिका अग्निस्वभाव है या नहीं? यदि अग्निस्वभाव हैं तो अग्निसे उत्पन्न धूम अग्निका व्यभिचारी कैसे हो सकता है ? और यदि वे अग्निस्वभाव नहीं हैं तो उनसे उत्पन्न होने वाला पदार्थ घम कैसे कहा जा सकता है ? लोकमें अन्निसे पैदा होने वाले अविच्छिन्न पदार्थको ही धूम कहा जाता है। साध्य-साधनके सम्यक् अविनाभावका ज्ञाता उक्त प्रकारकी भूल नहीं कर सकता । वह अविनाभावी साधनसे ही साध्यका ज्ञान --- अनुमान करेगा, अविनाभावरहित हेतुसे नहीं । वह भले ही ऊपरसे हेतु जैसा प्रतीत हो. पर हेतुलक्षण (अविनाभाव) रहित होनेके कारण वह हेत्वाभास है और हेत्वा-भासोंसे उत्पन्न साध्यज्ञान दोषपूर्ण अर्थात् अनुमानाभास समझा जाएगा । अतः शक्रमूर्घा और गोपालघटिकामें दृष्ट धूम धूम नहीं है, धूमाभास है-उसे भ्रमसे धूम समझ लिया है। और इसलिए उसके द्वारा उत्पन्न अग्निका ज्ञान अनुमान नहीं, अनुमानाभास है। ४

१. प्र० परी० पृष्ठ ६४।

२. वही, पृष्ठ ६४।

अग्निस्वभावः शक्रस्य मूर्डा चेदग्निरेव सः।
 अथानग्निस्वभावोऽसो धूमस्तत्र कथं भवेत्॥
 भर्मकीर्ति, प० वा० १।३८, तथा प्रमेयर० मा० २।२, १० ४६।

४. यादृशो हि धूमो ज्वलनकार्यं मूधरनितम्बादावतिवहलधवलतया प्रसर्पन्नुपलम्यते न तादृशो गोपालघटिकादाविति ।

⁻⁻ प्रमेयर० मा० २।२, पृष्ठ ४६।

इसी प्रकार स्वाभावहेतुमें जो व्यभिचार दिखाया गया है वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि केवल स्वभावको हेतु स्वीकार नहीं किया है, अपितु व्याप्य-रूप स्वभावको ही व्यापकके प्रति गमक माना गया है। और यह तथ्य है कि व्याप्य कभी भी व्यापकका व्यभिचारी नहीं होता, अन्यथा वह व्याप्य ही नहीं रहेगा। दूसरी बात यह है कि अविनाभावी स्वभाव-हेतुको व्यभिचारी मानने पर चार्वाक प्रत्यक्षमें अविसंवादित्व और अगौणत्वरूप स्वभावहेतुओंसे प्रामाण्य निश्चय नहीं कर सकता। अनुपलब्धिहेतुमें व्यभिचारप्रदर्शन भी विचारशूच्य है। यथार्थमें अविनाभावी अनुपलब्धिहेतु अभावका साधक माना गया है। जो साध्याविनाभावी नहीं है वह हेतु हो नहीं है—हेत्वाभास है, यह हम ऊपर कह आये हैं। अतः चाहे दृश्यानुपलब्धि हो और चाहे अदृश्यानुपलब्धि, दोनों अविनाभावविशिष्ट हो कर हो अभावसाधिका है, अन्यथा नहीं।

इस प्रकार अनुमानप्रामाण्यके निषेधमें दिये गये तीनों ही कारण युक्ति-युक्त नहीं हैं। अब ऐसे तथ्य उपस्थित किये जाते हैं, जिनसे चार्वाक दर्शनको भी अगत्या अनुमान मानना पड़ता है। यथा—

- (१) जब चार्वाकसे पूछा जाता है कि प्रत्यक्ष ही प्रमाण क्यों है और अनुमान प्रमाण क्यों नहीं? तो इसका उत्तर वह यही देता है कि प्रत्यक्ष अगोण और अविसंवादी होनेसे प्रमाण है, पर अनुमान गोण तथा विसंवादी होनेसे प्रमाण नहीं है। इस प्रकारका कथन करके वह स्वभावहेतु-जनित अनुमानको स्वयमेव स्वीकार कर लेता है। अगोणत्व और अविसंवादित्व प्रमाणका स्वभाव हैं। और उन्हें हेतु बनाकर प्रत्यक्षके प्रमाण्यको सिद्ध करना निश्चय ही अनुमान है तथा गोणत्व एवं विसंवादित्वको हेतुरूपमें प्रस्तुत करके अनुमानको अप्रमाण सिद्ध करना भी अनुमान है। अगोणत्व एवं अविसंवादित्वकी प्रामाण्यके साथ और गोणत्व तथा विसंवादित्वको अप्रमाण्यके साथ व्याप्ति है और व्याप्तिज्ञानपूर्वक जो ज्ञान होता है वह अनुमान कहा जाता है। अतः चार्वाकको प्रत्यक्षमें प्रामाण्य सिद्ध करने और अनुमानमें अप्रमाण्य स्थापित करनेके लिए उक्त प्रकारका अनुमान मानना पड़ेगा।
- (२) इस (शिष्य)में बुद्धि है क्योंिक बोल रहा है अथवा चेष्टादि कर रहा है, इस प्रकार चार्वाकको शिष्यादिमें बुद्धिका अस्तित्त्व स्वीकार करना पड़ेगा, क्यों-
 - थदपि स्वभावहेतोव्येमिचारसम्भावनमुक्तम्, तदप्यनुचितमेव, स्वभावमात्रस्याहेतुत्वात् ।
 व्याप्यरूपस्यैव स्वभावस्य व्यापकं प्रति गमकृत्वाभ्युपगमात् । न च व्याप्यस्य व्यापक-व्यभिचारित्वम्, व्याप्यत्वविरोधप्रसंगात् ।

⁻प्रमेयर० मा०, २।२, १ षठ ४५।

कि परबुद्धि प्रत्यक्षसे अगम्य है। और इस तरह उसे कार्य-हेतु-जनित अनुमान स्वीकार करना पड़ता है।

(३) यदि चार्वाकसे प्रश्न किया जाए कि आप परलोक (स्वर्गनरकादि या जन्मान्तर), क्यों नहीं मानते? तो वह यही उत्तर देगा कि परलोक उपलब्ध न होनेसे नहीं है। जिसकी उपलब्ध होती है उसका अस्तित्व माना जाता है। जैसे पृथिव्यादि भूततत्त्व। उसके इस उत्तरसे स्पष्ट है कि उसे परलोकादिका अभाव सिद्ध करनेके लिए अनुपलब्धि-लिंग-जिनत अनुमान भी स्वीकार करना पड़ता है।

इस विवेचनसे हम इस निष्कर्षपर पहुँचते हैं कि चार्वाकके लिए भी अनुमान प्रमाण मानना आवश्यक है। भले ही वह लोकव्यवहारमें उसे मान्यता प्रदान करे और परलोकादि अतीन्द्रिय पदार्थों ने उसका प्रामाण्य निराकरण करे। र पर उसकी उपयोगिता और आवश्यकताको वह टाल नहीं सकता। जब प्रत्यक्षके प्रामाण्यमें सन्देह बद्धमुल हो जाता है तो अनुमानकी कसौटीपर कसे जानेपर ही उसकी प्रमाणताका निखार होता है। इससे अनुमानकी उपयोगिता दिनकर-प्रकाशकी तरह प्रकट है। वास्तवमें ये दोनों उपजीव्य-उपजीवक हैं। वस्तुसिद्धिमें अनुमान-का प्रत्यक्षसे कम मूल्य नहीं है। यह सच है कि प्रत्यक्ष अनुमानक मुलमें विद्यमान रहता है, उसके बिना उसकी उत्पत्ति सम्भव नहीं है, पर हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि प्रत्यक्षकी प्रतिष्ठा अनुमानपर निर्भर है। सम्भवतः इसीसे 'युक्त्या यन्न घटामुपैति तदहं दृष्ट्वाऽपि न श्रद्दधे³', 'प्रत्यक्षपरिकालतमप्यथ-मनुमानेन बुभुत्सन्ते तर्करिसकाः उत्तेसे अनुमानके मूल्यवर्दक वान्य उपलब्ध होते हैं और यही कारण है कि अनुमानपर जितना चिन्तन हुआ है—स्वतन्त्र एवं संस्याबद्ध ग्रन्थोंका निर्माण हुआ है--उतना किसी अन्य प्रमाणपर नहीं । व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष, आयुर्वेद, गणित, विज्ञान प्रभृति सभी पर प्रायः अनुमानका प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। लोकव्यवहारमें अल्पज्ञ भी कार्यकारणभावकी श्रृंखला जोडते हैं। बिना पानीके प्यास नहीं बुझती, बिना भोजनके क्षुधा शान्त नहीं

१. प्रमाणेतरसामान्यस्थितेरन्यिथयो गतेः । प्रमाणान्तरसद्मावः प्रांतपेथाच्च कस्यांचत् ॥
 —उद्भत—प्र० प० पृष्ठ ६४ ।

यह कारिका जैन अन्योंमें धमेकोर्तिके नामसे उद्भुत पाथी जाती है। पर वह उनके अमाणवार्तिकमें उपलब्ध नहीं है।

२. 'यदि पुनलोंकव्यवहाराय प्रतिपथत प्वानुमानं लौकार्यातकैः, परलाकादावेवानुमानस्य निराकरपात्, तस्याभावोदिति मत्म, तदापि कुतः परलोकाद्यभावप्रतिपत्तः ? —विद्यानन्द, प्र० प्र० पृष्ठ ६४।

इ. अक्लंकदेव, अष्टश० अष्टस० पृष्ठ २३४, उद्धृत ।

४. गंगेश, त० चिन्ता० पृष्ठ ४२४।

होती, यह सब कार्यकारणको अविच्छिन्न श्रृंखला ही तो है। इस तरह हमं अनुमानके महत्त्व, उपयोगिता, आवश्यकता और अनिवार्यताको अनायास आंक सकते हैं।

(ग) अनुमानकी परिभाषा:

अनुमानशब्दकी निरुक्ति (अनु + मान)के अनुसार पश्चाद्वर्ती ज्ञानकी अनु-मानसंज्ञा है।

प्रश्न उठता है कि प्रत्यक्षको छोड़कर शेष सभी (स्मृति, प्रत्यभिज्ञा आदि) ज्ञान प्रत्यक्षके पश्चात् ही होते हैं। ऐसी स्थितिमें ये सब ज्ञान भी अनुमान कहें जायेंगे। अतः अनुमानसे पूर्व वह कौन-सा ज्ञान विवक्षित है जिसके पश्चात् होने वाले ज्ञानको अनुमान कहा है?

इसका उत्तर यह है कि अनुमानका अध्यविह्त पूर्ववर्ती वह ज्ञानिविशेष है, जिसके अध्यविह्त उत्तरकालमें अनुमान उत्पन्न होता है। वह ज्ञानिविशेष हैं व्याप्ति-निर्णय तर्क-ऊह-चिन्ता)। उसके अनन्तर नियमसे अनुमान होता है। लिंगदर्शन, व्याप्तिस्मरण और पक्षधर्मताज्ञान इनमेंसे कोई भी अनुमानके अध्यविद्य पूर्ववर्ती नहीं है। लिंगदर्शन व्याप्तिस्मरणसे, व्याप्तिस्मरण पक्षधर्मताज्ञानसे और पक्षधर्मताज्ञान व्याप्ति-निश्चयसे व्यविह्त है। अतः लिंगदर्शन, व्याप्तिस्मरण और पक्षधर्मताज्ञान व्याप्ति-निश्चयसे व्यविह्त होनेसे अनुमानके साक्षात् पूर्ववर्ती नहीं हैं। यद्यपि पारम्पर्यसे उन्हें भी अनुमानका जनक माना जा सकता है। पर अनुमानका अव्यवहित पूर्ववर्ती ज्ञान व्याप्ति-निश्चय ही है, क्योंकि उसके अव्यवहित उत्तरकालमें नियमसे अनुमान आत्मलाभ करता है। अतः व्याप्तिनिश्चय ही अनुमानका पूर्ववर्ती ज्ञान है। आ० वादिराज भी यही लिखते हैं—

अनु ब्याप्तिनिर्णयस्य पश्चाद्भावि मानमनुमानम् ।

व्याप्ति-निर्णयके पश्चात् होने वाले मान--प्रमाणको अनुमान कहते हैं।

वात्स्यायन अनुमानशब्दकी निरुक्ति इस प्रकार बतलाते हैं—'मितेन लिंगेन लिंगिनोऽर्थस्य पदचान्मानमनुमानम्' — प्रत्यक्षप्रमाणसे ज्ञात लिंग द्वारा लिंगी—अर्थके अनु—पश्चात् उत्पन्न होने वाले ज्ञानको अनुमान कहते हैं। तात्पर्य यह कि लिंगज्ञानके पश्चात् जो लिंगी—साध्यका ज्ञान होता है वह अनुमान है। वे एक दूसरे स्थलपर और कहते हैं कि—'स्मृत्या लिंगदर्शनेन चान

१. व्याप्तिविशिष्टपक्षजर्मताज्ञानजन्यं ज्ञानमनुमितिः । तत्करणमनुमानम् ।
—-गंगेश, त० चि० अन० जागदी० पृष्ठ १३ ।

१. न्या० वि० वि० द्वि० मा० २।१।

२. न्यायमा० शशह ।

प्रस्यक्षोऽथों उनुमीयते'। े — लिंगलिंगोसम्बन्धस्मृति और लिंगदर्शन द्वारा अप्रत्यक्ष अर्थका अनुमान किया जाता है। इस प्रकार वात्स्यायनका अभिप्राय
'अनु' शब्दसे 'सम्बन्धस्मरण और लिंगदर्शनके पश्चात् अर्थको ग्रहण करनेका
प्रतीत होता है। न्यायवार्तिककारका मत है कि 'यस्माह्लिंगपरामर्शादनन्तरं शेषार्थप्रतिपत्तिरिति। तस्माह्लिंगपरामर्शो न्याय्य इति, े —यतः लिङ्गपरामर्शके
अनन्तर शेषार्थ (अनुमेयार्थ का ज्ञान होता है, अतः लिंगपरामर्शको अनुमान
मानना न्याययुक्त है। इस तरह उद्योतकरके मतानुसार लिंगपरामर्श वह ज्ञान
है जिसके पश्चात् अनुमिति उत्पन्न होती है। न्यायावतारके संस्कृतटीकाकार सिद्धिष
गणि वात्स्यायनका अनुसरण करते हैं। ³ किन्तु तथ्य यह है कि लिङ्गदर्शन आदि
व्याप्तिनिश्चयसे व्यवहित हैं। अतः व्याप्तिज्ञान हो अनुमानसे अव्यवहित पूर्ववर्ती है।

अनुमानशब्दकी निरुक्तिके बाद अब देखना है कि उपलब्ध जैन तर्कग्रन्थों में अनुमानकी क्या परिभाषा की गयी है ? स्वामी समन्तभद्रने आप्तमीमांसामें 'अनुमेयत्व' हेतुसे सर्वज्ञकी सिद्धि की है। आगे अनेक स्थलोंपर 'स्वरूपादिचतुष्टयात्', 'विशेषणत्वात्' आदि अनेक हेतुओंको दिया है और उनसे अनेकांतात्मक वस्तुकी व्यवस्था तथा स्याद्वादकी स्थापना की है। उनके इन 'अनुमेयत्व' आदि हेतुओंके प्रयोगसे अवगत होता है कि उनके कालमें स्याद्वादन्याय जैन न्यायमें) विवादग्रस्त एवं अप्रत्यक्ष पदार्थोंकी सिद्धि अनुमानसे की जाने लगी थी। जिन उपादानोंसे अनुमान निष्पन्न एवं सम्पूर्ण होता है उन उपादानोंका उल्लेख भी उनके द्वारा इसमें बहुलतया हुआ है। उदाहरणार्थं हेतु, साध्य, प्रतिज्ञा, सधर्मा, अविनाभाव, सपक्ष, साधर्म्य, वैधर्म्य, दृष्टान्त जैसे अनुमानोपकरणोंका निर्देश इसमें किया गया है। पर परिभाषाग्रन्थ न होनेसे उनकी परिभाषाएँ उपलब्ध नहीं है। यही कारण है कि अनुमानकी परिभाषा इसमें दृष्टिगत नहीं होती। एक स्थलपर हेतु (नय) का लक्षण अवश्य निबद्ध है, जिसमें अन्यथानुपपत्तिविशिष्ट त्रिलक्षण

- १. वही, शशफा
- २. न्यायवा० १।१।५, पृष्ठ ४५।
- अनुवादक-विजयमृतिं, न्यायाव० का० ५, ए॰ठ ४९ ।
- ४. आप्तमी० का०५।
- ५. वही, का०१५।
- ६. वही, का० १७, १८।
- ७. वही० का० ११३।
- ८. वही, का० १६, १७, १८, १९, २६, २७, ७८, ८०, १०६ आदि ।
- सधर्मणैव साध्यस्य साधर्म्यादिविरोघतः ।
 स्याद्वादप्रविभक्तार्थ-विशेष-व्यंजको नयः ॥

⁻⁻⁻आ० मो० का० १०६।

हेतुको साध्यका प्रकाशक कहा है, केवल त्रिलक्षणको नहीं। अकलंक और विद्या-नन्द हारा प्रस्तुत उसके व्याख्यानोंसे भी यही अवगत होता है। आशय यह कि आप्तमीमांसाके इस सन्दर्भसे इतना ही जात होता है कि समन्तभद्रको अन्यथानुप-पन्नत्विविद्यष्ट त्रिलक्षण हेतुसे होनेत्रााला साध्यज्ञान अनुमान इष्ट रहा है।

सिद्धसेनने र स्पष्ट शब्दोंमें अनुमानलक्षण दिया है— साध्याविनाभुनो लिंगात् साध्यनिश्चायकं स्मृतम् । अनुमानं तदस्रान्तं प्रमाणस्वात् समक्षवत् ॥

साध्यके बिना न होनेवाले लिंगसे जो साध्यका निश्चायक ज्ञान होता है वह अनुमान है।

इस अनुमानलक्षणमें समन्तभद्रका हेतुलक्षणगत 'अविरोघतः' पद, जो अन्यथा-नुपपत्ति---अविनाभावका बोधक है, बीजरूपमें रहा हो तो आश्चर्य नहीं है।

अकलंकने न्यायविनिश्चय और लघीयस्त्रय दोनोंमें अनुमानकी परिभाषा अंकित की है। न्याय विनश्चयको अनुमान-परिभाषा निम्न प्रकार है—

साधनाःसाध्यावज्ञानमनुमानं तद्रस्यये । ४

साथन (हेतु) से जो साध्य (अनुमेय) का विशिष्ट (नियत) ज्ञान होता है वह अनुमान है।

अकलंकका यह अनुमान-लक्षण अत्यन्त सरल और सुगम है। परवर्ती विद्या-नन्द, माणिक्यनिन्द, वादिराज, प्रभाचन्द्र, हेमचन्द्र, धर्मभूषण प्रभृति तार्किकोंने इसीको अपनाया है। स्मरणीय है कि जो साधनसे साध्यका नियत ज्ञान होता है वह साधनगत अविनाभावके निश्चयके आधारपर ही होता है। जब तक साधन-के साध्याविनाभावका निश्चय न होगा तब तक उससे साध्यका निर्णय नहीं हो सकता।

- १. अत्र 'सपक्षणैत साध्यस्य साधम्यांत्' 'इत्यनेन हेतोस्त्रैळक्षण्यम्, 'अविरोघात्' इत्यन्यथा-नुपपत्ति च दशयता केवलस्य त्रिळक्षणस्यासाधनत्वमुक्तं तत्पुत्रत्वादिवत् । एकलक्षणस्य तु गमकत्वं 'नित्यत्वैकान्तपक्षेऽपि विक्रिया नोपपचते' इति बहुल्डमन्ययानुपपत्तेरेव समा-अयणात् ।
 - —अष्टरा० अष्टस० १ष्ठ २८६।
- २. वही, पृष्ठ २८६।
- ३. न्यायाव० का० ५।
- ४. म्या० वि० द्वि० मा० २।१।

यहां प्रश्न है कि इस अनुमान-परिभाषासे ऐसा प्रतीत होता है कि जैन परम्परामें साधनको ही अनुमानमें कारण माना गया है, साधनके ज्ञानको नहीं ? इसका समाधान यह है कि उक्त 'साधन' पदसे 'निश्चयपथप्राप्त साधन' अर्थ विवक्षित है, क्योंकि जिस धूमादि साधनका साध्याविनाभावित्वरूपसे निश्चण नहीं है वह साधन नहीं कहलाता। अन्यथा अज्ञायमान धूमादि लिंगसे सुप्त तथा अगृहीत धूमादि लिंग वालोंको भी विह्न आदिका ज्ञान हो जाएगा। अतः 'साधन' पदसे 'अविनाभाविरूपसे निर्णीत साधन' अर्थ अभिप्रेत है, केवल साधन नहीं। विवरणकारने भी उसका यही विवरण किया है। यथा—

साधनं साध्याविनाभाविनयमनिर्णयैकलक्षणं वक्ष्यमाणं लिंगम् ।3

साधन वह है जिसके साघ्याविनाभावरूप नियमका निश्चय है। इसीको लिंग (लीनमप्रत्यक्षमर्थं गमयति)—छिपे हुए अप्रत्यक्ष अर्थका अवगम कराने वाला भी कहते हैं।

अकलंकदेव स्वयं उक्त अर्थकी प्रकाशिका एक दूसरी अनुमान-परिभाषा लघी-यस्त्रयमें निम्न प्रकार करते हैं—

> लिंगास्साध्याविनामावाभिनिबोधैकलक्षणात् । लिंगिधीरनुमानं तत्फलं हानादिबुद्धयः ॥४

साध्यके बिना न होनेका जिसमें निश्चय हैं, ऐसे लिंगसे जो लिंगी (साध्य-अर्थ)का ज्ञान होता है उसे अनुमान कहते हैं। हान, उपादान और उपेक्षाका ज्ञान होना उसका फल है।

इस अनुमानलक्षणसे स्पष्ट है कि साध्यका गमक वही साधन अथवा लिंग हो सकता है जिसके अविनाभावका निश्चय है। यदि उसमें अविनाभावका निश्चय

- १. ननु भवतां मते साधनमेवानुमाने हेतुर्ने तु साधनशानं साधनात्साध्यविशानमनुमानिमिति ।
 - ---धर्मभूषण, न्या० द्वी० पृ० ६७।
- २. 'न, 'सामनात्' इत्यत्र निश्चयपयमाप्ताद्भूमादेरिति विवक्षणात् । अनिश्चयपयमाप्तस्य धूमादेः साधनत्वस्यवायटनात् । '''साधनाज्ज्ञायमानाद्भूमादेः साध्येऽग्न्यादी छिगिनि यदिज्ञानं तदनुमानम् । अज्ञायमानस्य तस्य साध्यज्ञानजनकृत्वे हि सुप्तादीनामगृह।तधू-मादीनामप्यग्न्यादिज्ञानात्पत्तिप्रसंगः ।
 - ---वही, पृ० ६७।
- ३. वादिराज, न्या० वि० वि० द्वि० भा० २।१, पृ० १।
- ४. लघीय० का० १२।

नहीं है तो वह साधन नहीं है। भले ही उसमें तीन रूप और पांच रूप भी विद्यमान हों। जैसे 'स इयामः तरपुत्रत्वात् इतरपुत्रवत्', 'बच्चं लोहलेक्यं पार्थवत्वात् काष्टवत्' इत्यादि हेतु तीन रूपों और पांच रूपोंसे सम्पन्न होने पर भी अविनाभावके अभावसे सद्धेतु नहीं हैं, अपितु हेत्वाभास हैं और इसीसे वे अपने साध्योंके गमक—अनुमापक नहीं हैं। इस सम्बन्धमें हम विशेष विचार हेतु-लक्षणके प्रसंगमें करेंगे।

विद्यानन्दने अकलंकदेवका अनुमानलक्षण आदृत किया है और विस्तार-पूर्वक उसका समर्थन किया है। यथा---

साधनात्साध्यविज्ञानमनुमानं विदुर्बुधाः।

"साध्याभावासम्भवनियमस्क्षणात् साधनादेव शक्याभिवेताप्रसिद्धत्वस्थ-णस्य साध्यस्यैव यद्विज्ञानं तदनुमानं आचार्या विदुः ।³—

तात्पर्य यह कि जिसका साध्यके अभावमें न होनेका नियम है ऐसे साधनसें होनेवाला जो शक्य, अभिप्रेत और अप्रसिद्धक्प साध्यका विज्ञान है उसे आचार्य (अकलङ्क) ने अनुमान कहा है।

विद्यानन्द अनुमानके इस लक्षणका समर्थन करते हुए एक महत्त्वपूर्ण युक्ति उपस्थित करते हैं। वे कहते हैं कि अनुमानके लिए उक्त प्रकारका साधन और उक्त प्रकारका साध्य दोनोंकी उल्स्थित आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। यदि उक्त प्रकारका साधन न हो तो केवल साध्यका ज्ञान अनुमान प्रतीत नहीं होता। इसी तरह उक्त प्रकारका साध्य न हो तो केवल उक्त प्रकारका साधनज्ञान भी अनुमान ज्ञात नहीं होता। आश्य यह कि अनुमानके मुख्य दो उपादान हैं—साधनज्ञान और साध्यज्ञान। इन दोनोंकी समग्रता होने पर हो अनुमान सम्पन्न होता है।

माणिक्यनिन्द अकलंकके उक्त अनुमानलक्षणको सूत्रका रूप देते हैं और उसे स्पष्ट करनेके लिए हेतुका भी लक्षण प्रस्तुत करते हैं। यथा—

साधनात्साध्यविज्ञानमनुमानम् । "साध्याविनाभावित्वेन निश्चितो हेतुः । ह

१. (क) साध्यामाव।सम्भवनियमनिश्चयमन्तरेण साधनत्वासम्भवात् ।

⁻⁻⁻विद्यानन्द, त० वळो० १।१३।२००, पृष्ठ २०६ ।

⁽ख) साध्याविनाभावित्वेन निश्चितो हेतुः।

⁻⁻⁻माणिक्यनन्दि, प० मु० ३।१५।

२. त० इलो० १।१३।१२०, पृष्ठ १९७।

३-४. वही, १।१३।१२० पृष्ठ १६७।

प. पo मुo श्र१४।

६. वही, श१५।

हेमचन्द्रने भी माणिक्यनन्दिकी तरह अकलंककी ही अनुमान-परिभाषा अक्षरशः स्वीकार की है और उसे उन्हींकी भौति सूत्ररूप प्रदान किया है।

धर्मभूषणने^२ अकलंकका न्यायविनिश्चयोक्त लक्षण प्रस्तुत करके उसका विश्वदीकरण किया है। इस विश्वदीकरणसे वह भ्रान्ति नहीं रहती जो 'साधन' पदसे साधनको ही जैन दर्शनमें अनुमानका कारण मानने और साधनज्ञानको न मानने सम्बन्धी होती है। तात्पर्य यह कि उन्होंने 'साधन' पदका 'निश्चयपथ प्राप्त साधन' अर्थ देकर उस भ्रान्तिको भी दूर किया है। इसके अतिरिक्त धर्म-भूषणने उद्योतकर द्वारा उपज्ञ तथा वाचस्पति आदि द्वारा समिथत 'लिंगपरा-मर्शोऽनुमानम्' ४ इस अनमान-परिभाषाकी समीक्षा भी उपस्थित की है। उनका कहना है कि यदि लिंगपरामर्श (लिंगज्ञान-लिंगदर्शन)को अनुमान माना जाय तो उससे साध्य (अनुमेय) का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि लिंगपरामर्शका अर्थ लिंगज्ञान है और वह केवल लिंग—साधन सम्बन्धी अज्ञानको ही दूर करनेमें सम<mark>र्थ</mark> है, साध्यके अज्ञानको नहीं । यथार्थमें 'वहनिज्याप्यधूमवानयं पर्वतः' इस प्रकारके, लिंगमें होने वाले व्याप्तिविशिष्ट तथा पक्षधर्मताके ज्ञानको परामर्श कहा गया है-- 'ज्यासिविशिष्टपक्षधर्मताज्ञानं परामर्शः ।' अतः परामर्श इतना ही बतला सकता है कि घुमादि लिंग अग्नि आदि साध्योंके सहचारी हैं और वे पर्वत आदि (पक्ष)में हैं। और इस तरह लिंगपरामर्श मात्र लिंगसम्बन्धी अज्ञान-का निराकरण करता है एवं लिंगके वैशिष्ठयका ज्ञान कराता है, अनुमेय-सम्बन्धी अज्ञानका निरास करता हुआ उसका ज्ञान करानेमें वह असमर्थ है। अतएव लिंगपरामर्श अनुमानकी सामग्री तो हो सकता है, पर स्वयं अनुमान नहीं। अनु-मानका अर्थ है अनुमेयसम्बन्धी अज्ञानकी निवृत्ति पूर्वक अनुमेयार्थका ज्ञान । इस-लिए साध्य-सम्बन्धी अज्ञानकी निवृत्तिरूप अनुमितिमें साधकतम करण तो साक्षात् साध्यज्ञान हो हो सकता है। अतः साध्यज्ञान ही अनुमान है, लिगपरामर्श नहीं। यहाँ इतना और स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जिस प्रकार धारणानामक अनुभव स्मतिमें. तात्कालिक अनुभव और स्मृति प्रत्यभिज्ञानमें, एवं साध्य तथा साधन विषयक स्मरण प्रत्यभिज्ञान और अनुभव तर्कमें कारण माने जाते हैं.

साधनात्साध्यविज्ञानम् अनुमानम् ।
 —प्र० मी० १।२:७, पृष्ठ ३८ ।

२. न्या० दी० पृ० ६५, ६७।

३. वही, पृष्ठ ६६।

४. न्यायवा० १।१।५, पृष्ठ ४५ ।

उसी प्रकार व्याप्तिस्मरण आदि सहित लिंगज्ञान (लिंगपरामर्श) अनुमानकी उत्पत्तिमें कारण है। १

यहाँ ज्ञातच्य है कि लिंगपरामर्शको अनुमानको परिभाषा माननेमें जो आपित्त धर्मभूषणने प्रदिशत को है वह उद्योतकरके भी ध्यानमें रही है अथवा उनके समक्ष भी प्रस्तुन की गयो जान पड़ती है। ये अतएव उन्होंने 'भवतु वाऽयमथों लेंगिकी प्रतिपित्तरनुमार्नामिति' अर्थात् 'लेंगिकी प्रतिपत्ति (लिंगोका ज्ञान) अनुमान है' कहकर साध्यज्ञानको अनुमान मान लिया है। जब उनसे कहा गया कि साध्यज्ञानको अनुमान मान लेने पर फलका अभाव हो जाएगा तो वे उत्तर देते हैं कि 'नहीं, हान, उपादान और उपेक्षाबुद्धियाँ उसका फल हैं। उद्योतकर यहाँ एक बड़ी महत्त्वपूर्ण बात और कहते हैं। यह कि सभी प्रमाण अपने विषयके प्रति भावसाधन हैं—'प्रमितिः प्रभाणम्' अर्थात् प्रमिति हो प्रमाण है और विषयान्तरके प्रति करण साधन हैं—'प्रमीयतेऽनेनेति' अर्थात् जिसके द्वारा अर्थ प्रमित हो उसे प्रमाण कहते हैं। इस प्रकार वे अनुमानकी उक्त साध्यज्ञानरूप परिभाषा भावसाधनमें स्वीकार करते हैं। धर्मभूषणने इसी महत्त्वपूर्ण तथ्यका उद्घाटन किया तथा साध्यज्ञान हो अनुमान है, इसका समर्थन किया।

इस प्रकार जैन अनुमानको परिभाषाका मूळ रूप स्वामी समन्तभद्रको 'सधमणैव साध्यस्य' इस आप्तमीमांसाकी कारिका (१०६)में निहित है और उसका विकसित रूप सिद्धसेनके न्यायावतार (का०५)से आरम्भ होकर अकल्लंककी उपर्युक्त लघीयस्त्रय (का० १२) और न्यायविनिश्चय (द्वि० भा० ११) गत दोनों परिभाषाओं परिसमाप्त है। लघीयस्त्रयको अनुमानपरिभाषा तो इतनी व्यवस्थित, युक्त और पूर्ण है कि उसमें किसी भी प्रकारके सुधार, संशोधन, परिवर्द्धन या परिष्कारकी भी गुंजायश नहीं है। अनुमानका प्रयोजकत्त्व क्या है और स्वरूप क्या है, ये दोनों बातें उसमें समाविष्ट हैं।

गौतमको 'तत्पूर्वकमनुमानम्'र, प्रशस्तपादको 'लिगदर्शनात् संजायमानं लेंगि-

१. धारणाख्याऽनुभवः स्मृतौ हेतुः । तादात्विकानुभवस्मृती प्रत्यभिशाने । स्मृतिप्रत्यभिशानानुभवाः साध्यसाधनविषयास्तर्को । तद्व ल्लिंगशानं न्याप्तिस्मरणादिसहकृतमनुमानो-त्यत्तौ निवन्धनमित्येतत्सुसंगतमेव ।

⁻⁻ न्यायदी० पृष्ठ ६६, ६७।

२. भवतु वाऽयमयों लैंगिको प्रतिपत्तिरनुमार्नामिति । ननु च फलाभावो दोष उक्तः ? न दोषः । हानोपादानोपेक्षाबुद्धीनां फलत्वात् ।

⁻⁻ न्यायवा० १।१।३, पृष्ठ २८, २६।

३. वही, शशास, पृ० २६ ।

४. न्या० स्० शश्राप्र।

कम्' और उद्योतकरकी लिंगपरामर्को इनुमानम्' परिभाषाओं हमें केवल कारणका निर्देश मिलता है, अनुमानके स्वरूपका नहीं। उद्योतकरकी एक अन्य परिभाषा 'लेंगिकी प्रतिपक्तिरनुमानम्'मं स्वरूपका हो उल्लेख है, कारणका उसमें कोई सूचन नहीं है। दिड्नागकी 'लिंगाद्यदर्शनम्' अनुमानपरिभाषामें यद्यपि कारण और स्वरूप दोनों की अभिन्यक्ति है, परन्तु उसमें लिंगको कारणके रूपमें सूचित किया है, लिगके ज्ञानको नहीं। किन्तु तथ्य यह है कि अज्ञायमान पूमादि लिंग अग्नि आदिके जनक नहीं है। अन्यथा जो पुरुष सोया हुआ है, अग्रहीतन्याप्तिक है उसे भी पर्वतमें धूमके सद्भावमात्रसे अनुमान हो जाना चाहिए। किन्तु ऐसा नहीं है। पर्वतमें अग्निका अनुमान उसी पुरुषको होता है जिसने पहले महानस आदिमें धूम-अग्निको एक साथ अनेकबार देखा और उनका अविनाभाव ग्रहण किया, फिर पर्वतके समीप पहुँच कर धूमको देखा, अग्नि और धूमकी व्याप्ति (अविनाभाव)का स्मरण किया और फिर पर्वतमें उनका अविनाभाव जाना तब उस पुरुषको 'पर्वतमें अग्नि है' ऐसा अनुमान होता है। केवल लिंगके सद्भावमात्रसे नहीं। अतः दिड्नागके उक्त अनुमानलक्षणमें 'लिंगात्'के स्थानमें 'लिंगान्कात्' पद होने पर ही वह पूर्ण अनुमानलक्षण हो सकता है।

अकलंकदेवका 'लिंगारसाध्याविनाभावाभिनिबांधे क्रेकक्षणात्। लिंगिधीरनु-मानं तरफलं हानादिबुद्धयः।।' यह अनुमानलक्षण उक्त दोषोंसे मुक्त है। इसमें अनुमानके साक्षात् कारणका भी प्रतिपादन है और उसका स्वरूप भी निर्दिष्ट है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें उन्होंने 'तत्फलं हानादिबुद्धयः' शब्दों द्वारा अनुमानके फलका भी निर्देश किया है। सम्भवतः इन्हों सब बातोंसे उत्तरवर्ती सभी जैन तार्किकोंने अकलंककी इस प्रतिष्ठित और पूर्ण अनुमान-परिभाषाको ही

- १. प्रज्ञा० मा० पृष्ठ ९६।
- २. न्यायवा० १।१।५, ५० ४५ ।
- ३. वही, १।१।३, पृष्ठ २८।
- ४. न्या० प्र० पृष्ठ ७।
- अज्ञायमानस्य तस्य (लिगस्य) साध्यज्ञानजनकत्वे हि सुप्तादीनामगृहोतधूमादीनामण्य-ग्न्यादिज्ञानोत्पत्तिमसंगः ।
 - --- न्या० दी०, पृष्ठ ६७।
- इ. अगृहीतव्याप्तेरिव गृहीतविस्मृतव्याप्तेरिव पु'सोऽनुमानानुदयेन व्याप्तिस्मृतेरप्यनु-मितिहेतुत्वात् । धूमदर्शनाच्वोद्बृद्धसंस्कारो व्याप्ति स्मरित । यो यो धूमवान् स सो-ऽग्निमान् यथा महानस इति । तेन धूमदर्शने जाते व्याप्तिस्मृतौ मूतायां यद्धूम्झानं तत् तृतीयं ''धूमवांश्चायम्'' इति । तदेवाग्निमनुम।पयित नान्यत् ।
 - -तर्कमा० पृ० ७८, ७९ ।
- ७. लबीय० का० १२।

अपने तर्कग्रन्थोंमें अपनाया है। विद्यानन्द जैसे तार्किकमूर्घन्यने तो '....अनुमानं विदुर्बुधाः' कह कर और 'आचार्यों' द्वारा उसे कथित बतला कर उसके महत्त्व-का भी स्थापन किया है।

(घ) अनुमानका क्षेत्र-विस्तार: अर्थापत्ति और अभावका अन्तर्भाव:

जैसा कि हम पहले निर्देश कर आये हैं कि परोक्ष प्रमाणके पाँच भेद है—
(१) स्मृति, (२) प्रत्यभिज्ञान, (३) तर्क, (४) अनृमान और (४) आगम । इनके अतिरिक्त अन्य प्रमाणान्तर जैन दर्शनमें अस्युपगत नहीं हैं।

विचारणीय है कि जिन उपमान, अर्थापित्त, अभाव, सम्भव, ऐतिह्य, निर्णय, प्रातिभ, आर्थ, सिद्धदर्शन और चेष्टाका उल्लेख करके उनके प्रमाण होने अथवा न होनेकी चर्चा अन्य दर्शनोंमें की गयी है उनके विषयमें जैन दर्शनका क्या दृष्टि-कोण है? उनका स्वीकृत प्रमाणोंमें अन्तर्भाव किया गया है या उन्हें अप्रमाण कहा गया है?

गौतमने प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्दके अतिरिक्त उपमानको भी चौथे प्रमाणके रूपमें स्वीकार किया है। मीमांसादर्शनके भाष्यकार शबरस्वामीने उक्त चार प्रमाणोंके साथ अर्थापत्ति और अभावका भी पाँचवें तथा छठे प्रमाणके रूपमें प्रतिपादन किया है। सम्भव आदिको किन्होंने प्रमाण माना है, इसका स्पष्ट निर्देश उपलब्ध न्याय एवं दर्शनके ग्रन्थोंमें नहीं मिलता। पर प्रशस्तपादने उनका उल्लेख-पूर्वक यथायोग्य अन्तर्भाव अवश्य दिखाया है।

प्रशस्तपादका मत कि चौबीस गुणों में जो बुद्धि है, जिसे उपलब्धि, ज्ञान और प्रत्यय नामों से कहा जाता है, वह अनेक प्रकारके अर्थों को जानने के कारण यद्यपि अनेक प्रकारकी है फिर भी उसे दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है—(१) अविद्या और (२) विद्या । अविद्या चार प्रकारकी है—(१) संशय, (२) विपर्यय (३) अनम्यवसाय और (४) स्वप्न । विद्या के भी चार भेद हैं —(१) प्रत्यक्ष, (२) लैंगिक, (३) स्मृति और (४) आर्ष। इनमें प्रत्यक्ष और लैंगिक ये दो

१. त० व्लो० १।१३, पृ० १६७ ।

२. न्या० सू० शशा३।

३. मी० द० मा० शशफ।

४. मरा० भा० पृ० १०६-१२९।

प्र. बहो, ए० ८३-९३।

६. वही पृष्ठ ९४।

७. वही, ५० ९८, ६६ ।

८. वही, पृ० १०६।

विद्याएँ प्रमाण हैं। पर स्मृति और आर्ष ये मात्र विद्याएँ (ज्ञान) हैं। वे न अति-रिक्त प्रमाण हैं और न उक्त दो प्रमाणों में अन्तर्भत हैं क्यों कि वे परिच्छेदकमात्र हैं, व्यवस्थापक नहीं । प्रशस्तपादने 'शब्दादीन।मप्यनमानेऽन्तर्भावः समान-विधित्वातं र कहकर शब्द, चेष्टा, उपमान, अर्थापत्ति, सम्भव तथा ऐतिहाका अनुमानमें अन्तर्भाव किया है। निर्णाय³ एक विशेषदर्शनसे उत्तपन्न अवधाणात्मक ज्ञान है जो कहीं प्रत्यक्षात्मक होता है और कहीं अनुमानात्मक । प्रत्यक्षात्मक निर्णय प्रत्यक्षप्रमाणमें और अनमानात्मक निर्णय अनमानमें अन्तर्भत है। आर्ष ४ आर्षज्ञानरूप है। इसीको प्रातिभ कहते है। यह ऋषिविशेषोंको होता है, जो आत्म-मनःसंयोग और धर्मविशेषसे ग्रन्थोंमें कथित अथवा अकथित धर्मादि अतीन्दिय पदोर्थोंको विषय करता है। यह अलौकिक प्रातिभ (आर्ष) है। लौकिकोंको भी यह कभी कदाचित होता है। उदाहरणार्थ 'कन्यका बर्वात इव: म आता ssगनतेति हृदयं मे कथयति' अर्थात कन्या कहती है कि कल मेरा भाई आएगा, ऐसा मेरा दिल बोल रहा है। सिद्धदर्शनको प्रशस्तपादने अलग ज्ञानान्तर तो नहीं माना, पर उसे प्रत्यक्ष और अनुमानके अन्तर्गत ही बतलाया है। कदाचित आर्पमें भी उसका अन्तर्भाव हो सकता है। इस प्रकार प्रशस्तपादने जानोंके अन्तर्भावका संक्षेपमें प्रतिपादन किया है।

गौतमने इ ऐतिहा. अर्थापत्ति, सम्भव और अभावका उल्लेख करके उनकी अतिरिक्त प्रमाणताकी मीमांसा करते हुए शब्दमें ऐतिहाका और अनुमानमें अर्था-पत्ति. सम्भव तथा अभाव इन तोनोंका अन्तर्भाव किया है।

जैन तार्किकोंने भी इन पर सूक्ष्म विचार किया है और उनकी पुष्कल चर्चा प्रस्तुत को है। जैनागमोंमें ज्ञान और उसके विभिन्न प्रकारोंका विस्तृत निरूपण उपलब्ध है। आहर्तदर्शनमें ज्ञानको आत्माका स्वपरावभासक असा-धारण गुण माना गया है और उसे उसका आत्मरूप (स्वभाव) स्वीकार किया है, संयोगज या समवायी नहीं । आवरणके न्यूनाधिक अभावसे वह मन्द, मन्दतर,

१. प्र० भा०, ५ष्ठ १२८, १२९।

२. वही, पृ० १०६-११२ ।

३. वहां, पृ० १२७, १२८।

४. वही, पृ० १२८, १२९।

५. वही, पृ० १२६।

६. न्यायसू० रारा१, र।

७. तत्र ज्ञानं तावदात्मनः स्वपरावभासकः असाधारणो गुणः। स च अभ्रपटलविनिर्मु क्तस्य भारवत ६व निरस्तसमस्तावरणस्य जीवस्य स्वभावभूतः केवलज्ञानन्यपदेशं लभते ।

⁻⁻⁻ यशोविजय, ज्ञानबि० प्र० ५ १।

मन्दतम, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम जैसे अवच्छेदक भेदोंको घारण करता है तथा आगमभाषामें मित, श्रुत, अविघ् मनःपर्यय और केवल पाँच मूल भेदों द्वारा व्यवहृत होता है। इनमें आदा चार ज्ञानोंके भी अनेक उपभेद हैं। पर 'केवल' एक रूप हं और पूर्ण है। उसमें अंश-भेद नहीं है। यह जीवन्मुक्तों (अहंतों) तथा पूर्ण मुक्तात्माओं (सिद्धों)के ही होता है। वैशेषिकोंके सिद्धदर्शनसे उसकी कुछ तुलना एवं पहचान की जा सकती है, सूक्ष्म, व्यवहित और दूरस्थ सभी पदार्थोंको यह युगपत् जानता है (तत्त्वज्ञानं प्रमाणं ते युगपत्सवमासनम् आ० मी० १०१) और निरावरण होनेके अनन्तर फिर नष्ट नहीं होता—सदा विद्यमान रहता है। इसीसे इसे अविनाशी, असीम, पूर्ण और अनन्त कहा गया है।

तर्क युगमें इन्हीं जानोंको परोक्ष और प्रत्यक्ष दो प्रमाणोंमें विभाजित किया है। मित और श्रुत ये दो इन्द्रियादि परापेक्ष होनेसे परोक्ष कहे गये हैं और शेष तीन इन्द्रियादिकी अपेक्षा न रखनेके कारण प्रत्यक्ष माने गये हैं। परोक्ष प्रमाणका क्षेत्र इतना व्यापक और विस्तृत है कि इसमें उन सभी जानोंका समावेश हो जाता है जिनमें इन्द्रिय और मनकी सहायता अपेक्षित है। ऐसे कुछ जानोंका उल्लेख 'मित स्मृतिः सज्ञा चिन्तामिनिबोध इन्यनर्थान्तरम्' सूत्र द्वारा आचार्य गृद्धिपच्छने किया है और 'इति' शब्दसे इसी प्रकारके अन्य जानोंके भी संग्रहकी उन्होंने सूचना की है। वे अन्य ज्ञान कौन है, इसका स्पष्ट निर्देश हमें आ० विद्यानन्दके विवेचनसे मिलता है। उन्होंने लिखा है कि सूत्रकारने 'इति' शब्दसे, जो प्रकारार्थक है, बुद्धि, मेधा, प्रज्ञा, प्रतिभा, अभाव, सम्भव, अर्थापत्ति और उपमानका संग्रह किया है। अर्थग्रहणकी जिसमें शक्ति है उसे बुद्धि कहते हैं। यह मित (अवग्रहादि अनुभवविशेष)का प्रकार है। अर्थात् वह अनुभवरूप मितज्ञानका एक भेद है। शब्दस्मरणकी शक्ति मेधा है। वह किन्हों-किन्हों महा-

१. त० सू० १।१३।

इति शब्दात्मकारार्थोद् बुद्धिमें च गृद्यते ।
 प्रशा च प्रतिभाऽभावः सम्भवोपमिती तथा ॥
 बुद्धिमेतेः प्रकारः स्थादर्थयहणशिक्तका ।
 मेथा स्मृतेः तथा शब्दस्मृतिशिक्तमंनिस्वनाम् ॥
 कहापोहात्मिका प्रज्ञा चिन्तायाः प्रतिभोपमा ।
 सादुःय पाधिके भावे सादुःये तदिशाषणे ॥
 प्रवर्तमाना केषांचिद् दृष्टा सादुःयसंविदः ।
 सज्ञायाः, सम्भवाषस्तु ठॅंगिकस्य तथागतेः ॥
 —त० इङो० १।१३।३, ५,६,७, पृष्ठ १८८।

मनाओं के उत्पन्न होती है और स्मरणसामान्यसे विशिष्ट होती है। यह स्मरणका प्रकार है। उहापोहरूप प्रज्ञा है। उसका चिन्ता (तर्क)में समावेश है। प्रसादगुण-से युक्त नवीन-नवीन अर्थों के ज्ञानको व्यक्त करनेवाली प्रतिभा भी चिन्ताका प्रकार है। सादृश्य-विशिष्ट वस्तुमें या वस्तु-विशिष्ट सादृश्यमें होने वाला सादृश्यज्ञानरूप उपमान संज्ञा (प्रत्यिभज्ञान, का प्रकार है। अर्थात् 'गोके सदृश गवय होता हं' इस वृद्धवाक्यका स्मरण कर अरण्यमें गवयको देखकर 'ऐसी हो गाय होती हं' ऐसा सदृशका ज्ञान होना अथवा इसका सादृश्य गायमें है, ऐसा सादृश्यका ज्ञान होना उपमान है। यह सादृश्यप्रत्यिभज्ञानसे भिन्न नहीं है।

इसी सन्दर्भमें विद्यानन्दने सम्भव, अर्थापत्ति, अभाव और कोई उपमानज्ञान-को लिंगजन्य होनेसे उन्हें लैंगिक (अनुमान)के अन्तर्गत प्रतिपादन किया है। हम पीछे प्रशस्तपादका उल्लेख कर आए हैं। उन्होंने भी इन चारों ज्ञानोंको लिंगजन्य बतला कर उनका अनुमानमें अन्तर्भाव किया है। अर्थापत्ति और अभाव अनुमानसे पृथक् नहीं हैं:

मीमांसक अर्थापत्तिको अनुमानसे पृथक प्रमाण माननेमें प्रधान युक्ति यह देते हैं कि अनुमानमें दृष्टान्तको अपेक्षा होती है और साध्यसाधनके अविनाभाव (ज्याप्ति)का निर्णय दृष्टान्तमें होता है। पर अर्थापत्तिमें दृष्टान्त अपेक्षित नहीं होता और न अन्यथानुष्पद्यमान तथा कल्पित अर्थके अविनाभावका निश्चय दृष्टान्तमें होता है, अपितु पक्षमें ही होता है। इसी प्रशार अनुमानमे बहिन्याप्ति दिखायी जाती है। परन्तु अर्थापत्तिमें केवल अन्तर्व्याप्तिको माना गया है। अतः अर्थापत्ति अनुमानसे पृथक प्रमाण है?

जैन तार्किकोंका मत है कि अर्थापत्ति और अनुपानका उक्त भेद वास्त-

दृष्टान्तनिरपेक्षत्वं छिगग्यापि निवेदितम् । तन्न मानान्तरं छिगादर्थापत्त्यादिवेदनम् ॥ सिद्धः साध्याविनामावो द्यर्थापत्तेः प्रभावकः ।

-तं को० १।१३।३५०, ३८६, पृष्ठ २१७।

- (स्त) ततो यथाऽविनाभावः प्रमाणास्तित्वसाधने । अदृष्टान्तेऽपि निर्णातस्तया स्यादन्यहेतुषु ॥ —वादीभसिंह, स्या• सि० ९।९, पृष्ट ३२।
- (ग) ननु लिंगस्य दृष्टान्तथिमिण प्रवृत्तप्रमाणवशात्सवीपसंहारेण स्वसाध्यनियतत्व-निश्चयः, अर्थापस्युत्त्यापकार्यस्य तु साध्यथिमिण्येव प्रवृत्तप्रमाणात्सवीपसंहारे-णादृष्टार्थीन्ययानुपप्यमानत्वनिश्चय शत्यनयोभेदः, नैत्वयुक्तम्, न हि लिंगं सपक्षा-नुगममात्रेण गमकम्, वज्रस्य लोहलेख्यत्वे पाथिवत्ववत्, श्यामत्वे तत्पुत्रत्ववद्या । कि तहिं? 'अन्तर्व्याप्तिवलेन' इति —।

-- प्रभाचन्द्र, प्रमेयक० मा० २।२, पृष्ठ १९४।

विक नहीं है। यथार्थमें अनुमानमें भी दृष्टान्त आवश्यक नहीं है। 'सर्वमने-कान्तात्मकं सत्त्वात प्रमेयत्वाद्वा'-सभी वस्तूएँ अनेकान्तस्वरूप हैं, क्योंकि वे सत् हैं अथवा प्रमेय हैं, अहैतवादिनोऽपि प्रमाणानि सन्ति इष्टानिष्ठसाधनदृष-णान्यथान्वपत्तेः'-अद्वेतवादीके भी प्रमाण हैं अन्यथा इष्टका साधन और अनिष्ट का दूषण नहीं बन सकेगा, इत्यादि अनुमानोंमें दृष्टान्त नहीं है और उनकी व्याप्तिका निर्णय पक्षमें ही होता है। अतः जिस तरह इन अनुमानोंमें दृष्टान्तके बिना भी पक्षमें ही अविनाभावका निर्णय हो जाता है उसी तरह अन्य हेतुओं में भी समझ लेना चाहिए। यहाँ कहा जा सकता है कि विना दुष्टानक साध्य-साधनके अविनाभावका निर्णय पक्षमें कैसे हो सकता है, क्योंकि वहां साध्य तो अज्ञात है और जब तक साध्य तथा साधन दोनोंका ज्ञान नहीं होगा तब तक उनके अविनाभावका निश्चय असम्भव है ? यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि दष्टान्तके विना भी उल्लिखित हेतुओंमें अविनाभावका निश्चय विपक्षमे बाधक प्रमाणके प्रदर्शन एवं तर्कसे होता है। यही दोनों समस्त अनुमानोंमें व्याप्ति-निश्चायक हैं। व्याप्तिनिश्चयके लिए यह आवश्यक नहीं कि साध्यका ज्ञान होने पर ही उसका निश्चय हो, क्योंकि व्याप्ति तो हेतूका स्वरूप हं रे और हेतूका ज्ञान हेतू प्रयागके समय हो जाता है। तात्पर्य यह कि दृष्टान्तके बिना भी केवल पक्ष-में अथवा पक्षके अभावमें भी विपक्षमें बाधक प्रमाणके बल तथा तर्कसे साध्य-साधनके अविनाभावकाः निर्णय हो जाता है । अतः दृष्टान्तका सदभाव-असदभाव अनुमान और अर्थापत्तिके पार्थक्यका प्रयोजक नहीं है।

बहिर्ग्याप्ति और अन्तर्ग्याप्ति भी अनुमान और अर्थापित्तिकी भेदक रेखाएँ नहीं हो सकतीं। यथार्थमें बहिर्ग्याप्ति अन्यभिचारिणी न्याप्ति नहीं है। 'स इयामः तरपुत्रस्वात् इतरतरपुत्रवत्' इत्यादि स्थलोंमें बहिर्ग्याप्तिके विद्यमान रहने पर भी

टुष्टान्तरिहते कस्मादिवनाभावनिर्णयः ।
अन्यत्र ज्ञातसम्बन्धसाध्यसाधनयोर्भवेत् ॥
पक्षे तिन्नर्णयो न स्यात्साध्यस्याप्रतिपत्तितः ।
साध्यसाधनिवत्तौ हि पक्षे तिन्नर्णयो भवेत् ॥
इति चेत्पक्ष एत्र स्यादिवनाभात्रनिर्णयः ।
विपक्षे वाधसामध्यत्तिर्काच्चास्य विनिञ्चयः ॥
—वादीभसिंह, स्याद्वादिस० ६।१०, १२, ११ ।

इति चेदविनाभावः साध्याज्ञानेऽपि गम्यते ।
 तस्य हेतोः स्वरूपत्वात्सामग्रीतोऽस्य निर्णयः ॥
 —वही, ९।१४ ।

अन्तर्व्याप्तिके अभावमें 'तरपुत्रस्व' आदि हेतु साघ्यके गमक नहीं है। वास्तवमें अन्तर्व्याप्तिके बलसे ही हेतुको जैनदर्शनमें गमक माना गया है। अतः अन्तर्व्याप्ति ही वास्तविक व्याप्ति है, बहिर्व्याप्ति नहीं और अन्तर्व्याप्तिसे विशिष्ट हेतु द्वारा उत्पन्न ज्ञानको हो अनुमान कहा गया है। अतएव अर्थापत्ति और अनुमानमें कोई भेद नहीं है—अनुमानमें हो उसका अन्तर्भाव है क्योंकि दोनोंका प्रयोजक तत्त्व एक अविनाभाव (अन्ययानुपपत्ति-अन्तर्व्याप्ति) हो है और उससे विशिष्ट—अविनाभावी लिंगसे ही दोनों उत्पन्न होते हैं। अन्ययानुपपद्यमान अर्थ और अविनाभावी लिंगमें तात्त्विक कोई अन्तर नहीं है। पक्षधर्मत्वसहिता अर्थापत्ति, प्रत्यक्षार्थापत्ति, अनुमानार्थापत्ति, उपमानार्थापत्ति, शब्दार्थापत्ति, अर्थापत्ति, प्रत्यक्षार्थापत्ति, अमावार्थापत्ति, उपमानार्थापत्ति, शब्दार्थापत्ति, अर्थापत्ति, विशेष्ठ अभावार्थापत्ति, अर्थापत्तिके भेद अविनाभावरूप एकलक्षणसे लक्षित होनेसे अनुमानका ही विस्तार है।

अभावको प्रमाणान्तर स्वीकार करने वाले भाट्ट मीमांसकोंका मत है कि यतः वस्तु भावाभावात्मक है, अतः उसके भावांशका ग्रहण तो प्रत्यक्षादि पांच भावप्रमाणोंसे हो सकता है। परन्तु उसके अभाशांशका परिज्ञान उनके द्वारा सम्भव नहीं है, क्योंकि प्रमेय भिन्न है। अतएव वहां प्रत्यक्षादि पांच प्रमाणोंका प्रवेश नहीं है वहां अभावको प्रमाण माना गया है। प्रत्यक्षसे जब हम घटरहित भृतलको देखते हैं और प्रतियोगी घटका स्मरण करते हैं तो 'यहां घड़ा नहीं है' इस प्रकारका इन्द्रियनिरपेक्ष मानसिक नास्तिताज्ञान होता है। यह नास्तितान ग्राही ज्ञान ही अभावप्रमाण है ?

जैन विचारकोंका मन्तव्य है कि जब वस्तु भावाभावात्मक है और भावांश अभावांशसे भिन्न नहीं है तो जो प्रमाण भावांशको जानेगा वहीं अभावाशको जान लेगा, उसे जाननेके लिए अलग प्रमाणकी आवश्यकता नहीं है। तथ्य है कि जब यह

१. किं च पक्षादिधर्मत्वेऽप्यन्तर्व्याप्तेतेरमावतः । तत्पुत्रत्वादिहेतृनां गमकत्वं न दृश्यते ॥ पक्षवर्मत्वहीनोऽपि गमकः कृत्तिकोदयः । अन्तर्व्याप्तेरतः सैव गमकत्वमसाधनी ॥ —स्या० सि०, ४।८२, ६३ ।

प्रमाणपंचकं यत्र वस्तुरूपे न जायते ।
 वस्तुसत्ताववाधार्यं तत्राभावप्रमाणता ॥
 गृहांत्वा वस्तुसद्भावं स्मृत्वा च प्रतियोगिनम् ।
 मानसं नास्तिताज्ञानं जायतेऽक्षानपेक्षया ॥
 न ताविदिन्द्रियेणेषा नास्तीत्युत्पाद्यते मितः ।
 भावांज्ञनैव सम्बन्धो योग्यत्वादिन्द्रियस्य हि ॥
 —कुमारिल, मी० इलो० अभाव० प० क्षो० १, २७, १८ ।

कहते हैं कि 'हम घटरहित भूतलको देखते हैं' तो भूतलके साथ उसके विशेषण-रूपसे घटरहिताको भी देखते हैं। यह असम्भव है कि दण्डवाले देवदत्तको देखें और दण्डको न देखें। यतः विशेषणके ज्ञानके बिना 'दण्डवाला देवदत्त' ऐसा विशिष्ट ज्ञान नहीं हो सकता । इसी प्रकार घटरहित भूतलको देखते समय उसके घटरहितता-विशेषणका ज्ञान हए बिना 'घटरहित भूतल' ऐसा विशिष्ट प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। अत: जब हम ऐसा जानते हैं या शब्दप्रयोग करते हैं कि 'घट-रहित भूतल हैं या 'भूतल घटरहित हैं तो अनिन्द्रिय प्रत्यक्ष (मानस प्रत्यक्ष) द्वारा ही घटाभावका ज्ञान होता है। किन्तु जब हम ऐसा जानते या ज्ञान करते हैं कि 'यहां घड़ा नहीं है, क्योंकि उपलब्ध नहीं होता', तो यह घटाभावज्ञान अनुप-लब्धिलिंगजनित अनुमान है। देस यह है कि अनेकबार भूतल पर घड़ा देखा था, परन्तु अमुक बार उसका दर्शन नहीं हुआ तो वहां स्वभावतः अकेले भूतलको देखने और भूतलसंसुष्ट घड़ेका स्मरण होने पर 'यहां घड़ा नहीं है, क्योंकि वह देखनेमें नहीं आता, यदि होता तो अवश्य दिखाई देता' इस प्रकारका ऊहापोह (तर्क) पूर्वक उत्पन्न यह लैंगिक (अनुमान) ज्ञान ही है, भले ही उसे मानस कहा जाए, क्योंकि अनुमान भी मानसज्ञानका एक प्रकार है। अतः अभावप्रमाण अनुमानसे अर्थान्तर नहीं है -- उसीमें उसका समावेश है। यही कारण है कि अनुमानके प्रधान अंग हेतुके भेद-प्रभेदोंमें प्रतिषेधसाधक उपलब्धि हेतु और विधि तथा प्रतिषेघसाधक अनुपलब्धि हेतुओंकी भी परिगणना की गयी है ³ और उनसे होने वाले अनुमेयार्थ-अभावके ज्ञानको अनुमान प्रतिपादन किया है। सम्भवका अनुमानमें अन्तर्भाव:

सम्भव प्रमाण भी अनुमानसे भिन्न नहीं है। यह एक प्रकारका सम्भाव-

३. परीक्षामुख ३।५४, ६७-८५ ।

वादीभसिंह, स्या० सि० १२।३, ५।

नात्मक ज्ञान है। जैसे 'सम्भवित सहस्रो शतम्' अर्थात् हजारमें सौ सम्भव हैं। अथवा दो सेर वस्तुको देखकर उसमें एक सेर वस्तुकी सम्भावना करना। यह ज्ञान अनुमानके अन्तर्गत आ जाता है, क्योंकि प्रत्यक्ष — सहस्र या दो सेरको देखकर परोक्ष — सौ या एक सेरका अनुमान किया जाता है। विद्यानन्दने इसका उल्लेख करके इसे अनुमानमें अन्तर्भूत किया है।

प्रातिभका अनुमानमें समावेश:

विद्यानन्दने द्रातिभज्ञानका भी निर्देश किया और उसका अनुमानमें समावेश किया है। जिस रत्नादिके प्रभाव एवं मूल्यादिको सामान्यजन न जान सकें, किन्तु अत्यन्त अभ्यासके कारण तद्विशेषज्ञ व्यक्ति उसके प्रभाव एवं मूल्यादिको तत्काल जान लें, ऐसे ज्ञानको प्रातिभ कहा गया है। यह ज्ञान अनुमान ही है, क्योंकि जिन हेतुओंसे यह होता है वे लिगसे भिन्न नहीं हैं। अतः यह लैंगिक ही है।

यहाँ उल्लेखनीय है कि विद्यानन्दसे पूर्व अकलंकने अभी तत्त्वार्थवार्तिकमें उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, सम्भव और अभावक उल्लेख-पूर्वक उपमान, शब्द और ऐतिह्यका श्रुतमें एवं अर्थापति, सम्भव और अभावका अनुमानमें अन्तर्भाव किया है। अकलंकको यहां एक विशेषता परिलक्षित होती है। उन्होंने अनुमानका भी श्रुतमें समावेश किया है। उनका मत है कि स्वप्रतिपत्तिकालमें वह अनधरश्रुत है और परप्रतिपादन (प्रतिपत्ति) कालमें अधरश्रुत। यहाँ अकलंकदेवने पट्खण्डागमकी परम्परानुसार अनुमानको श्रुत बतलाया है। हम पहले लिख चुके हैं कि आगममें एक अर्थसे दूसरे अर्थके जाननेको श्रुत कहा गया है। अनुमानमें भी एक अर्थ (धूमादिक)से दूसरे अर्थ (अन्त्यादिक)को प्रतिपत्ति की जाती है। अतः आगमको परम्पराको ध्यानमें रखकर ही अकलंकदेवने तत्त्वार्थवार्तिकमें अनुमानको श्रुत (अनक्षरश्रुत और अक्षरश्रुत)में अन्तर्भूत किया है। ध्यान रहे कि

त० इलो० वा० १।१३।३८८, ३५९, ५० २१७।

२. प्रातिभं च प्रमाणान्तरमत्यन्ताभ्यासादन्यजनावेद्यस्य रत्नादिप्रभावस्य झर्टित प्रतिपत्ते-दर्शनादित्यन्ये तान् प्रतीदसुच्यते...।

[—]वही, १।१३।३८८, पृष्ठ २१७।

इ. तत्त्वार्थवा० १।२०।१४, पृ० ७८।

४. 'यस्मादेतान्यनुमानादोनि श्रुते अन्तर्भवन्ति ... तदेतित्वतयमपि (अनुमानं) स्वप्रतिपत्ति-काले अनक्षरश्रुतं परप्रतिपादनकाले अक्षरश्रुतम् ।

⁻⁻⁻तत्त्वार्थवा० १।१३।१५, पृष्ठ ७८।

उन्होंने उपमान, अर्थापत्ति, सम्भव और अभावको भी स्वप्रतिपत्तिकालमें अन-क्षरश्रुत और परप्रतिपत्तिकालमे अक्षरश्रुत कहा है, क्योंकि इनके द्वारा भी दोनों प्रकारकी प्रतिपत्ति होती है।

पर विद्यानन्द^२ स्वप्रतिपतिकालमें होने वाले अनुमान—स्वार्थानुमानको तत्त्वार्थसूत्रकार आचार्य गृद्धिपच्छके अभिप्रायानुसार अभिनिबोधनामक विशिष्ट मितज्ञान बतलाते हैं, उसे वे श्रुत (अनक्षरश्रुत) नहीं कहते, क्योंकि वह शब्द-योजनारिहत होता है। किन्तु वे परार्थानुमान (परप्रतिपतिकालमें होनेवाले अनुमान) को हो अश्रोत्रमित और श्रोत्रमितजन्य अनक्षरश्रुत और अक्षरश्रुत दोनोंरूप प्रतिपादन करते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि विद्यानन्द परार्थानुमानको ही श्रुतके अन्तर्गत मानते है, स्वार्थानुमानको नहीं।

यहां अकलंक और विद्यानन्दके प्रतिपादनों एक सूक्ष्म अन्तर और दिखाई देता है। अकलंक स्वप्रतिपितकालमें होनेवाले अनुमान (स्वार्थानुमान) को अनस्पश्चुत और परप्रतिपितकालमें होनेवाले अनुमान (परार्थानुमान)को अक्षर-श्रुत कहते हैं। पितन्तु विद्यानन्द परार्थानुमानको हो अनक्षरश्चुत और अक्षरश्चुत दोनों रूप प्रकट करते हैं। इसका कारण यह प्रतीत होता है कि वे स्वार्थानुमानको शब्दयोजनारहित विशिष्टमितिज्ञान (अभिनिबोध-मितज्ञान) मानते हैं और अपनी इस मान्यताका आधार तत्त्वार्थसूत्रकारके 'मिति:स्मृतिः ''' आदि सूत्रमें आये 'अभिनिबोध' को, जो मितज्ञानका पर्याय है और जिसे तर्कका फल

- १. 'यथा गौस्तथा गवयः केवलं सास्नारहितः' इत्युपमानमि स्वपरमितपित्तविषयत्वाद-क्षरानक्षरश्रुते अन्तर्भवति । " ९तेषामप्यर्थापत्यादीनामनुक्तानामनुमानसमानत्वमिति पूर्ववत् श्रुतान्तमीवः।
 - —तत्त्वार्थवा० १।२०।१५, ५० ७८ ।
- २. तदेतत्साधनात् साध्यविद्यानमनुमानं स्वार्थमभिनिबोधळक्षणं विशिष्टमितिद्यानं साध्यं प्रत्य-भिमुखान्नियमितात्साधनादुपजातबोधस्य तर्कफळस्याभिनिबोध इति संद्याप्रतिपादनात् —স০ प० ए० ७६।
- ३. र्छिगजो बोधः शब्दयोजनारहितोऽभिनिबोध एवेति ।···सत्यं स्वार्थानुमानं तु विना यच्छब्दयोजनात्।'
 - —तत्त्वार्थश्लो० वा० १।१३।३८८, पृ० २१६ ।
- ४. परार्थमनुमानभनक्षरश्रुतज्ञानं अक्षरश्रुतज्ञानं च, तस्याश्रोत्रमतिपूर्वकस्य श्रोत्रमति-पूर्वकस्य च तथात्वोपपत्तेः।
 - -- Fo cy op ok 1
- प. तदेतित्त्रितयमि (अनुमानं) स्वप्नितपत्तिकाले अनक्षरश्रुतं परप्रितपादनकाले अक्षरश्रुतम् ।
 —त० वा० १।१३।१५, १० ७८ ।
- ६. प्र० प्र० ५६। तथा पिछले पृष्ठका फुटनोट।
- ७. तत्त्वायंस्० १।१३।

कहा जाता है, बतलाते है। कुछ भी हो, अनुमान चाहे मितज्ञान हो, चाहे श्रुतज्ञान। वह परोक्षप्रमाण तो है ही, और वह इतना व्यापक एवं विस्तृत क्षेत्रवाला
है कि उसमें अर्थापत्ति, सम्भव और अभावका अन्तर्भाव हो जाता है, जैसा कि
हम ऊपर देख चुके हैं। अकलंकने इतना विशेष और प्रतिपादन किया है कि ये
तीनों तथा उपमान स्वप्रतिपत्ति भी कराते हैं और परप्रोतेपत्ति भी। चेष्टा और
प्रातिभ भी लिगज होनेसे अनुमानमें ही अन्तर्भुक्त हैं। इस प्रकार हम देखते हैं
कि जैन अनुमानका क्षेत्र बहुत विस्तृत और विशाल है। नाना ज्ञानोंको एकत्र
लाने, जोड़ने और उन्हें 'अनुमान' जैसी व्यापक संज्ञा देनेवाली जो महत्त्वपूर्ण कड़ी
है वह है 'अन्यथान्षपन्नत्व' अर्थात् जो ज्ञान अन्यथानुपपन्नसाधनज्ञानजन्य हैं वे
सब अनुमान हैं। अन्यथानुपपन्नत्वका विचार आगे किया जाएगा।

१. साधनादुपजातबोधस्य तकंफळस्य …।—प्र० प० पृष्ठ ७६ ।

२. 'इदमन्तरेण इदमनुपपन्नम्' इसके विना यह नहीं होता—अग्निके विना धूम नहीं होता, इस प्रकारके अनुमान-प्रयोजक तत्त्वको 'अन्ययानुपपन्नत्व' कहा गया है।

प्रथम परिच्छेद

अनुमानमेद-विमर्श

पिछले अध्यायमें अनुमानके स्वरूपकी मीमांसा की गयी है। यहाँ उसके भेदोंपर विमर्श किया जायेगा।

वैशेषिक:

वैशेषिकसूत्रकारने लिङ्ग (हेतु) से उत्पन्न होनेवाले लैङ्गिक (अनुमान) के पाँच भेदोंका निर्देश किया है। वे ये हैं—१ कार्य, २ कारण, ३ संयोगि, ४ विरोधि और ५ समवायि। पर वस्तुतः ये लिङ्गिके भेद हैं। कारणमें कार्यका उपचार करके उन्हें लैङ्गिकके भेद कहा गया है। भाष्यकार प्रशस्तपादने अन्य दो प्रकारसे अनुमानके भेदोंका प्रतिपादन किया है। प्रथम प्रकारसे दृष्ट और सामान्यतोदृष्ट ये दो भेद हैं तथा हितीय प्रकारसे स्वनिश्चितार्थीनुमान और परार्थीनुमान ये दो हैं। द्वितीय प्रकारसे इन दो भेदोंको कल्पना भाष्यकारकी स्वोपज्ञ जान पड़ती हैं,

र. अस्येदं कार्यं कारणं संयोगि विरोधि समनायि चेति लैङ्गिकम्।

⁻वैशे० सू० ९।२।१।

२. (क) तत्तु दिविधं दृष्टं सामान्यतोदृष्टं च।

⁻⁻⁻ प्रश्ना० पृ० १०४।

⁽ख) अथवाऽग्निज्ञानमेव प्रमाणं प्रमितिरग्नौ गुणदोषमाध्यस्थ्य-दर्शनमित्येतत्स्वनिश्चि-तार्थमनुमानम् ।

पञ्चानयवेन वाक्येन स्वनिश्चितार्थपतिपादनं परार्थानुमानम् । पञ्चावयवेनैव वाक्येन संशियत-निपर्यस्तान्युरपन्नानां परेषां स्वनिश्चितार्थप्रतिपादनं परार्थानुमानं श्रेयम् ।

[—]वही, पु० १०६, ११३।

क्योंकि वह उनसे पूर्व दर्शन-ग्रन्थों जे उपलब्ध नहीं होती। जब लिङ्गसे लिङ्गी (अनुमेयार्थ) का ज्ञान स्वयं किया जाता है तब स्वनिध्चितार्थानुमान (स्वार्थानुमान) कहलाता है और जब स्वनिध्चित अनुमेयार्थका प्रतिपादन पञ्चावयव वाक्य द्वारा दूसरोंके लिए किया जाता है, जिन्हें अनुमेयमें सन्देह, भ्रान्ति या अनिश्चय है, तब वह परार्थानुमान कहा जाता है।

मोमांसा :

मीमांसादर्शनमें शबरस्वामी द्वारा प्रशस्तपादकी तरह अनुमानके द्वितीय प्रकारके भेद तो स्वीकृत नहीं हैं, किन्तु प्रथम प्रकारके भेद स्वीकृत हैं। इतना ही अन्तर है कि प्रशस्तपादके अनुमानके प्रथम भेदका नाम 'दृष्ट' है और शबर-स्वामीके अनुमानका आद्य भेद 'प्रत्यक्षतोदृष्टसम्बन्ध'। इसी तरह अनुमानके दूसरे भेदका नाम प्रशस्तपादने 'सामान्यतोदृष्ट' और शबरने 'सामान्यतोदृष्टसम्बन्ध' दिया है। दोनों लगभग समान ही हैं। सम्भव है दोनों दर्शनोंके इन अनुमानभेदोंके मूलमें एक ही विचारधारा रही हो या एकने दूसरेका कुछ परिवर्तनके साथ अनुसरण किया हो।

इन दोनों दर्शनोंके अनुमानके दूसरे भेदपर गौतमके न्यायसूत्रोकत तीसरे अनुमान 'सामान्यतांदृष्ट' का प्रभाव हो, तो आश्चर्य नहीं, क्योंकि न्यायसूत्रमें वह उनसे पहले उपलब्ध है।

न्याय :

अक्षपादने^२ अनुमानके तीन भेद प्रतिपादित किये हैं --- १. पूर्ववत्, २. द्येषवत् और सामान्यतोदृष्ट ।

न्यायभाष्यकारने ³ इन्हीं तीनका समर्थन किया है और उनकी दो व्याख्याएँ प्रस्तुत की हैं। न्यायवात्तिकारने ^४ न्यायमूत्र और न्यायभाष्यके समर्थनके अतिरिक्त अनुमानके केवलान्वयो, केवलव्यतिरेकी और अन्वयव्यतिरेकी ये तीन नयं भेद भी परिकल्पित किये हैं। 'त्रिविधम्'की व्याख्याक्ष्पमें उन्होंने सर्वप्रथम यही तीन भेद दिखाये हैं। इसके बाद अन्य व्याख्याएँ दी हैं। इन व्याख्याओंमें न्यायभाष्योक्त

- १. तत्तु द्विविधम् । प्रत्यक्षतोद्रष्टसम्बन्धं सामान्यतोद्वष्टसम्बन्धं च ।
 शा० भा० १।१।५, ५० ३६।
- २. अथ तत्पूर्वकं त्रिविधमनुमानं पूर्ववच्छेपवत्सामान्यतोदृष्टं च । ---न्या० स्० १/१/५ ।
- ३. न्या० भा० शश्य, पृ० २३।
- त्रितिधमिति । अन्त्रयो व्यक्तिरेको अन्त्यव्यक्तिरेको चेति । न्या० वा० १।१।५, ए० ४६ ।

दोनों त्याख्याओं को अपनाते हुए तीन व्याख्याएँ और प्रस्तुत की हैं और इस तरह उद्योतकरने 'त्रिविधम्' पदकी छह व्याख्याएँ उपस्थित की हैं। उन्होंने सूत्रोक्त 'च' शब्दसे चतुर्लक्षण और पञ्चलक्षण अनुमानोंका भी संग्रह करनेकी सूचना की है। साथ ही 'त्रिविधम्'को नियमार्थक (तीन हो हैं, ऐसा) मानकर अन्य विभिन्न अनुमानोंका पूर्ववत् आदि तोन अनुमानोंमें ही संग्रह करनेका संकेत किया है । तथा उन अनेक प्रकारके अनुमानों (३,५,१५,६० और अनन्त) का दिशाबोध कराया है । स्मरणीय है कि उद्योतकरने वीत और अवीतके भेदसे दो प्रकारके अनुमानोंका भी निर्देश किया है। वाचस्पितिमिश्रने न्यायभाष्य और न्यायवार्त्तिकका विश्वदीकरण किया है।

जयन्तभट्टने अवश्य एक नयी परम्परा स्थापित की है। न्यायमंजरीमें उन्होंने प्रशस्तपादोक्त स्वार्थ और परार्थ द्विविध अनुमानोंका कथन किया है, जिसका न्यायदर्शनमें अभीतक प्रवेश नहीं हो सका था। इसके बाद केशविमश्रने तो बहुत हो स्पष्टतया अनुमानके यही दो भेद वर्णित किये हैं। उन्होंने न पूर्ववत् आदि तीनका और न केवलान्वयी आदि तीनका निरूपण किया है। हाँ, केवलान्वयी आदिको हेतुभेदोंमें प्रदिशत किया है। वास्तवमें पूर्ववत् आदि और केवलान्वयी आदि हेतुभेद हो हैं। कारणमें कार्यका उपचार करके उन्हें अनुमान कहा गया जान पड़ता है। विश्वनाथने अनुमानके पूर्ववत् आदि भेद न कहकर उद्योतकरोप्त केवलान्वयो आदि त्रिविध भेदोंका प्रतिपादन किया है। गङ्गेश उपाध्यायने भी तत्त्वचिन्तामणिमें उद्योतकरका अनुगमन किया है और पूर्ववत् आदि न्यायसूत्रीय त्रिविध अनुमान-परम्पराको छोड़ दिया है। अन्नम्भट्टको तर्कसंग्रहमें

- १. चशब्दात् प्रत्यक्षागमाविरुद्धं चेत्येवं चतुरुक्षणं पञ्चलक्षणमनुमानमिति ।
 - ---वा० वा०, शशिप्र, पृ० ४६।
- २,३. अथवा त्रिविधामांत नियमार्थं अनेकधा भिन्नस्यानुमानस्य त्रिविधेन पूर्ववदादिना संग्रह इति नियमं दशयति ।
 - —बही, शशप, पृ० ४६ ।
- ४. वही, शशाइप, पृ० १२३-१२५।
- ५. न्या० मं० पृ० १३०-१३१।
- ६. तर्कभा० पृ० ७९-८०।
- श्रेविध्यमनुमानस्य केवलान्वियमेदतः ।
 त्रैविध्यमिति । अनुमानं हि त्रिविधं केवलान्विय-केवलव्यतिरेक्यन्वयव्यतिरेक्तिमेदात् ।
 —सि० मु० का० १४२, पृ० १२५ ।
- तचानुमानं त्रिविधं केवलान्वियकेवलव्यितरेक्यन्वयव्यितरेकिमेदात् ।
 —तस्विच जागदीशी, ए० ७९५ ।
- तर्कसं० पृ० ५७-५९।

जयन्तभट्ट और केशविमश्र द्वारा अनुसृत स्वार्थ-परार्थ द्विविघ भेदवाली अनुमान-परम्परा ही अपनायी गयी है, अन्य अनुमानभेद उसमें चित्त नहीं हैं। केवलान्वयी आदिको इन्होंने भी लिङ्गभेदोंमें परिगणित किया है।

लगता है कि न्यायदर्शनमें अनुमान-भेदोंके सम्बन्धमें एकवाक्यता नहीं रही। वाचस्पति तक तो न्यायसूत्रोक्त त्रिविध भेदवाली अनुमान-परम्परा मिलती है और उनके उत्तरकालमें या तो उद्योतकरकी केवलान्वयी आदि तीन भेदोत्राली या जयन्तभट्ट द्वारा स्वीकृत प्रशस्तपादोक्त स्वार्थ-परार्थ द्विविध भेदवाली परम्परा आदृत है। इस प्रकार न्यायदर्शनमें अनुमानभेदोंकी तीन परम्पराएँ उपलब्ध होती हैं जो समयक्रमसे प्रतिष्ठित हुई हैं। तीसरी परम्परापर तो स्पष्टतः वैशेषिकों और सम्भवतः वौद्धोंका प्रभाव परिलक्षित होता है।

सांख्य :

सांख्यदर्शनके प्राचीन ग्रन्थ सांख्यकारिकामी अनुमानके तीन भेद बतलाये हैं। परन्तु उनकी परिगणना नहीं की। अगली कारिकामें एक सामान्यतोदृष्ट अनुमानका अवश्य निर्देश किया और उससे अतीन्द्रिय पदार्थीकी सिद्धिका कथन किया है। पर युक्तिदीपिकाकार , माठरवृत्तिकार ओर तत्त्वकीमुदीकारने अपनी व्याख्याओं ने उन भेदोंको स्पष्ट किया है। वे भेद वही है जो न्यायमूत्रमें विणत हैं। वाचस्पतिने उद्योतकरकी तरह अनुमानके वीत और अवीत ये दो भेद भी प्रदिश्ति किये हैं। वीतको पूर्ववत् और सामान्यतोदृष्ट तथा अवीतको शेषवत् वतलाकर उन्होंने मांख्य और न्यायपरम्पराके अनुमानवैविध्यके साथ समन्वय भी किया है। उद्योतकरके संकेतानुसार वाचस्पतिने एक प्राचीन कारिकाके उद्धरणपूर्वक सांख्यदर्शनके सप्तविध अनुमानोंका भी उल्लेख किया है और 'इस्यिप

१० त्रिविधमनुमानमाख्यातम् ।
 —ईश्वरकृष्णः, सांख्यकार ५ ।

सामान्यतस्तु दृष्टादतीन्द्रियाणां प्रतीतिरनुमानात् ।
 वहां, का० ६ ।

३. यु० दी० पृ० ४३ ।

४. माठर, माठरवृ० का० ५।

प. तत्सामान्यतो लक्षितमनुमानं विशेषतस्त्रिविधम्—पृयंवत् शपवत् सामान्यताहृष्टं चेति ।
 —सां० त० को० का० प, पृ० ३० ।

६. तत्र प्रथमं तावत् द्विविधम्—वीतमवीतं च। ...तत्रावीतं शेषवत् । ...वीतं देधा—पूर्वेवत् सामान्यतादृष्टं च।

वहो, का० ५, पृ० ३०-३१।

७. न्यायवा० शश्य, पृ० ५७।

८. न्यायवा० ता० टो० १।१।५, पृ० १६५ ।

पराकृतं वेदितव्यम्' कहकर उनका निरास किया है। प्रभावन्द्रने भी उक्त सात अनुमानोंका सिववेचन समालोचन किया है। इससे प्रतीत होता है कि सांख्य-दर्शनमें सप्तविध अनुमानोंकी भी मान्यता रही है। पर यह सप्तविध अनुमानकी मान्यता सांख्यदर्शनके उपलब्ध ग्रन्थोंमें दृष्टिगोचर नहीं होती।

चरकशास्त्रमें ^२ भी न्यायसूत्र के अनुसार बिलकुल उन्हीं ना**र्मोसे अनुमानके** तीन भेद निर्दिष्ट हैं।

बौद्ध :

बौद्धदर्शनमें अनुमान-भेदोंकी दो परम्पराएँ उपलब्ध होती हैं। एक तो उपर्युक्त तीन भेदवाली न्यायसूत्रोक्त न्यायपरम्परा और दूसरी दो भेदवाली दूसरी वैशेषिकपरम्परा । पहली उपायहृदयमें में मिलती है और दूसरी दिङ्नागके प्रमाणसमुच्चयमें। ज्ञात होता है कि दिङ्नागसे पूर्व चौथी शती ईस्वो तक बौद्ध दर्शनमें न्यायपरम्पराका अनुसरण रहा है। दिङ्नागने उसे छोड़कर प्रशस्तपादोक्त स्वार्थपरार्थभेदद्वयवाली वैशेषिकपरम्पराको स्वीकार किया। विशेष यह कि उन्होंने इन दोनोंका निरूपण प्रमाणसमुच्चयके छह परिच्छेदोंमेंसे दूसरे और तीसरे दो परिच्छेदोंमें विस्तारपूर्वक किया है। उनके नाम भी स्वार्थानुमान परिच्छेद और परार्थानुमान परिच्छेद रखे हैं। दिङ्नागके बाद उनके शिष्य शंकरस्वामीने भी इन्हों दो भेदोंका प्रतिपादन किया है। न्यायप्रवेशमें उन्होंने साधनको परसंवित् और अनुमानको आत्मसंवित्के लिए कहकर 'साधन' पदसे परार्थानुमान और 'अनुमान' पदसे स्वार्थानमान लिया है। धर्मकीित' आदि उत्तरवर्ती बौद्धतार्किकोंने दिङ्नागका अनुसरण किया और उपायहृदयकी त्रिविध भेदवाली न्यायपरम्पराको छोड़ दिया है।

जैन तार्किकों द्वारा अनुमानभेद-समीक्षा:

प्रथम अध्यायमें अनुयोगद्वारविणत पूर्ववदादि त्रिविध अनुमानोंका उल्लेख तथा स्वरूपिववेचन किया जा चुका है। परन्तु अनुयोगसूत्रकी यह त्रिविध अनुमानभेद-परम्परा जैन तर्कग्रन्थोंमें अनुसृत नहीं हुई। इसका कारण यह जान पड़ता है कि इस त्रिविध अनुमानभेद-परम्पराको तर्कको कसौटीपर रखने (परीक्षण करने) एर वह सदोष (अन्यास और अतिन्यास) दिखायी पड़ी। अतएव

१. न्यायकुमु० च० ३।१४, पृ० ४६२ ।

२. चरकस्० २१, २२।

३. उ० ह० पृ० १३।

४. न्या० प्र० पृ० १।

५. न्या० बि० पृ० २१, ४६।

अनुमानभेद-विमर्शः ११३

उसका न केवरू परित्याग हुआ, अपितु वीतादि, मात्रामात्रिकादि और संगोगी आदि अनुमानभेदोंकी तरह उसकी समीक्षा भी की गयी है।

(क) अकलङ्कोक्त अनुमानभेद:-समीक्षा:

अकलङ्कृते । उक्त अनुमानोंके त्रैविष्य और चातुर्विष्य अथवा पाञ्चविष्य नियमों (पूर्ववत् आदि तीन प्रकारका ही अनुमान है, वीत आदि तीन तरहका ही अनु-मान है, संयोगी आदि चार या पाँच विघ ही अनुमान है) की समीक्षा करते हुए उन्हें अन्याप्त बतलाया है। 'अस्ति आत्मा प्रमाणतः उपलब्धेः', 'सर्वज्ञोऽस्ति सुनिश्चितासम्भवद्वाधकप्रमाणत्वात्, ' 'खरविषाणं नास्ति अनुपल्रह्येः' आदि समीचीन हेत् हैं, क्योंकि अपने साध्योंके साथ उनका अविनाभाव (व्याप्ति) है। पर ये हेतू न पूर्ववत् आदि तीनके अन्तर्गत आते हैं, न बीत आदि तीनमें अन्तर्भूत होते हैं और न संयोगी आदिमें इनका समावेश सम्भव है, क्योंकि उपलब्धि या अनुपलब्धि आत्मादिका कार्य या कारण आदि नहीं है। दूसरी बात यह है कि उक्त हेतुओं (पर्ववदादि) को पक्षधर्मत्वादि त्रिरूपता या पंचरूपताके आधारपर यदि गमक माना जाए तो 'सन्ति प्रमाणानि इष्टसाधनात', 'उदंष्यति शकटं कृत्ति-कोदयात्र' इत्यादि हेत् गमक नहीं हो सकेंगे, क्योंकि इनमें न पक्षधर्मत्वादि त्रिक-पता है और न पंचरूपता । केवल साध्य-साधनमें अन्तर्व्याप्ति (अन्यथानुपपत्ति) के सदभावसे ही उनमें गमकता मानी गयी है । ^३ अतः अकलंकदेवकः मन्तव्य है कि जो हेतु अन्यथानुपपन्नत्वसहिद (अपने साध्यके अभावमें न हाने वाले) है वे ही साध्यज्ञान (अनुमान) के जनक हैं और जो अन्यथानुपपन्नत्वरहित (अपने साध्य-के अभावमें भी रहने वाले) हैं वे हेतू नहीं, हेत्वाभास है और उनसे उत्पन्न होने वाला ज्ञान अनुमानाभास है। तात्पर्य यह कि पर्ववदादि अथवा वीतादि या संयोगी आदि हेतू तीन रूपों या पांच रूपोंसे सम्पन्न होने पर भी यदि अन्यथानुपपन्नत्व-रहित हैं तो वे हेत्वाभास हैं।स्पष्ट है कि 'स झ्यामस्तन्पुत्रस्वात् इतरतन्पुत्रवत्.' 'वज्रं लोहलेख्यं पार्थिवत्वात् धातुवत् ,' 'इमान्याम्रफलानि पक्वानि आम्रफलस्वात् प्रसिद्धान्त्रफलवत्, इत्यादि हेत् त्रिरूपता और पंचरूपतासे युक्त हैं, पर अपने साध्योंके

- एतेन पूर्ववद्वीत-संयाग्यादौ क्या गाता । तल्लक्षणपपञ्चश्च निपद्धन्योऽनया दिशा

 --स्यार्यवि० २।१७३, १७४ ।
- २. वादिराज, न्या० वि० वि० २।१७३, ५० २०३
- पक्षधर्मत्वहींनोऽपि गमकः कृत्तिकोदयः । अन्तव्याप्तिरतः सेव गमकत्वप्रसाधनी ॥
 - —वादीभसिंह, स्या० सि० ४।⊏३-८४ ।
- ४. उपातकर, न्या० वा० १।१।३५, ५० १२३ ।

साथ उनका अन्यथानुपपन्नत्व (ब्याप्ति) नहीं है। आशय यह कि यह नियम (ब्याप्ति) नहीं है कि उसका पुत्र होनेसे उस श्याम होना चाहिए, पार्थिव होनेसे वज्जको लोहलेख्य होना चाहिए और आग्रफल होने मात्रसे इन आमोंको पके होना चाहिए, क्योंकि उसका पृत्र होने पर भी वह (गर्भस्थ पृत्र) अध्याम सम्भव है, पार्थिव होनेपर भी वज्ज अलोहलेख्य होता है और आग्रफल होनेपर भी कुछ आग्रफल अपके (कच्चे) हो सकते हैं। अतएव ये हेनु हेन्वाभास है। अकलंकके इसी आश्यको ब्यक्त करते हुए उनके विवरणकार वादिराजने लिखा है—

अन्यथानुपपत्तिश्चेत् , पांचरूप्येण कि फलम् । विनापि तेन तन्मात्रात् हेतुभावावकरपनात् ॥ नान्यथानुपपत्तिश्चेत् पांचरूप्येण कि फलम् । सतापि व्यभिचारस्य तेनाशक्यनिराकृतेः ॥ अन्यथानुपपत्तिश्चेत् पांचरूप्येऽपि करुप्यते । पाड्रूप्यात पंचरूप्यतियमो नार्वतिष्ठते ॥ पांचरूप्यात्मिकैवेयं नान्यथानुपपन्नता । पक्षधमेन्वाद्यभावेऽपि चास्याः सस्वोपपादनात् ॥

निष्कर्ष यह कि अन्यथानुपपचत्वविशिष्ट हो एक हेतु अथवा अनुमान है । वह न विविध है और न चतुर्विध आदि । अतः अनुमानका प्रैविध्य और चातुर्विध्य उक्त प्रकारमे अव्याप्त एवं अतिव्याप्त है । अकलंकके इस विवेधनमे प्रतीत होता है कि अन्यथानुपपचत्वको अपेक्षामे हेतु एक ही प्रकारका है और तब अनुमान भी एक ही तरहका सम्भव है र । यही कारण है कि उन्होंने अध्यथानुपपचत्वके अभावमे हेत्वा-भास भी एक ही प्रकारका माना है । वह है अकिचित्कर । असिद्धादि तो उसीका विस्तार है ।

इस प्रकार अकलंकने पूर्ववत् आदि अनुमानोको मीमांसाका सूत्रवात किया, जिसका अनसरण प्रायः सभी उत्तरवर्ती जैन तार्किकोने किया है । फलनः विद्या-

नन्द⁹, वादिराज^२ प्रभाचन्द्र³ प्रभृति मनोषियोंने भो अपने तर्कग्रन्थोंमें उस मीमां-साको वितृत तथा पल्लवित किया है ।

(ख) विद्यानन्दकृत अनुमानभेद-मीमांसा :

विद्यानस्दकी मोमांमाकी दो बार्ते उल्लेखनीय हैं। एक पह कि उन्होंने न्याय-वार्तिकमें उल्लिखित एवं प्रतिपादित वीत और अवीत हेनुद्रयके अतिरिक्त वीताबीत नामके एक तीसरे हेनुका भी निर्देश किया है जो उन्हें किसी प्राचीन न्यायप्रत्यसे प्राप्त हुआ होगा, क्योंकि न्यायभाष्य, न्यायवार्तिक आदि न्याय-प्रत्योमें वह उपलब्ध नहीं होता। हाँ, जैन प्रत्थ न्यायविनिश्चयविवरणमें उसे वादिराजने अवश्य दिया है, जो या तो विद्यानस्देसे लिया गया है और या विद्यानस्दकी तरह उन्होंने भी उसी प्राचीन न्यायप्रत्थपरमें लिया है जो आज उपलब्ध नहीं है। विद्यानस्दि इसका स्वष्टप और उदाहरण भी दिया है। वे लिखते हैं कि बीतानुमान तो वह है जो स्वष्टपतः विधिष्टप अर्थका परिच्छेदक है। जैसे—शब्द अनित्य है, क्योंकि वह उत्पत्तिधर्म वाला है, जैसे पड़ा। अवीतानुमान वह है जो निपेधमुखसे अर्थका ज्ञापक है। यथा—यह जीवित सरीर आत्मशून्य नहीं है, क्योंकि उसमें प्राणादिके अभावका प्रसंग आएगा, जैसे घटादि। तथा वीताबीतानुमान वह है जो विधि और निपेध दोनों रूपसे अर्थकी परिच्छित्ति कराता है। यथा—यह पर्वत अग्निसहित है, निरिन्त नहीं है, क्योंकि धुम वाला है, अन्यथा धूमके अभावका प्रसंग आएगा। विद्यानस्द इनकी समीधामें एक ही बात कहते हैं। वह यह कि ये तीनों हेनु यि

१. त० इली० १.१३, प्रश्चित २०६ ।

२. स्थार्ग विरुचित्र, २.१७३, १७४, पृष्ठ २०१-२१०।

३. प्रभेयक्र० मा० ३।१५, पृष्ठ ३६२ ।

४. यदण्ययावाचि— उदाहरणमाधस्यांनाध्यमाधनं हेतृरित बीतळक्षणं छिगे तस्यक्षणेणाः यपंच्यळेदकार्यं च तथमं इति चचनातः । सध्या—अनित्यः शब्द अर्थात्तथमंकत्याद् घट-वर्धितः । उदाहरणयेषमणेवाध्यमाधनम् हेत्रित्यबीतळक्षणमः। । उदाहरणमाधम्यवै-धम्यभ्यां माध्यमाचनमनुमानमित बीताबीतळक्षणं स्वपक्षविधानेन परपक्षप्रतिपेपेन आर्थ-परिच्छेदहेतुत्वात् । * * * ।

[—]न० व्ला० १।१३।२०२, पृष्ट २०६ । तया ५० प० पृष्ट ७५ ।

प. न्या० वि० वि० २.१७३, पृष्ठ २०**८**।

६. तदेतदातादित्रयं यदि साध्यामावासम्मूष्णु तदाद्रस्ययानुपपत्तिश्रहादेय गमकत्यं न पुनर्वातादित्रयं नेपत्यस्ययानुपपत्तित्रग्रहेऽपि गमकत्यप्रसंगात् । यदि पुनरस्ययानुपपत्ति विरोधित्यस्य हेताहर्वे प्राप्य हेताहर्वे हिंदा देवता प्राप्य हरीतकी विरोधियोगे इति कस्यचित्रम् भाषितम् यातम् । हरीतक्यस्यव्यविरेकानुविधानादिशं चनस्य स्वदेशतीपयागिनी तदस्यस्य व्यतिरेकानुविधानाद्वादेयस्य स्वदेशतीपयागिनी तदस्यस्य व्यतिरेकानुविधानाद्वादेयस्य स्वदेशतीपयागिनी तदस्य व्यवदेशस्य स्वदेशतीप्यागिनी तदस्य व्यवदेशस्य स्वदेशस्य स्व स्वदेशस्य स्वदेशस

⁻⁻त० स्टोर १.१३,२०२, ५० २०६।

साध्यके अभावमें नहीं होते तो अन्यथानुष्पत्तिके बलसे ही उनमें गमकता माननी चाहिए, न कि बीतादिष्यता होनेंसे ही। अन्यथा अन्यथानुष्पत्तिके अभावमें भी उन्हें गमक मानना पड़ेगा। तात्पर्य यह कि 'बच्च लोहलेस्य है क्योंकि वह पाथिव है, जैसे अन्य मुवर्णादि धातुएं' यह बीत हेतु है। पर पाथिबत्वकी लोहलेस्यत्वके साथ व्याप्ति (अन्यथानुष्पत्ति) न होनेसे हेत्वाभास है। अतः कोई भी हेतु क्यों न हो, यदि वह अन्यथानुष्पन्न है तो साध्यका अवश्य अनुमापक होगा। इसलिए हेतुकी गमकताका प्रयोजक तत्त्व अन्यथानुष्पन्नत्व है, बीतत्व, अबीतत्व और बीताबीतत्व नहीं। यदि कहा जाए कि अन्यथानुष्पन्नत्व है, बीतत्व, अबीतत्व और बीताबीतत्व नहीं। यदि कहा जाए कि अन्यथानुष्पत्ति बीतादिष्यको प्राप्त करके ही हेतुका लक्षण है तो यह 'देवतां प्राप्य हरीतकी। बरेच्यते' अर्थात् 'देवताको पाकर हरीतकी विरेचन (पाचन) कराती हैं' कहावत चरितार्थ होती है। विरेचनका हरीतकी विरेचन अन्वय-व्यतिरेक होनेसे बह देवतोषयोगिनी होती है, देवताके साथ विरेचनका सीधा अन्वय-व्यतिरेक नहीं है, ऐसा माननेषर तो प्रकृतमें भी यही कहा जा सकता है, क्योंकि अन्यथानुष्पत्तिके होनेषर हेतु गमक होता है और उसके अभावमें वह गमक नहीं होता। अतः बीतादित्रयष्ट्य होनेसे हेतुमें गमकता नहीं है। इसके अतिरिक्त समस्त हेतुभेदोंका उस (वातादित्रय) मे संग्रह भी नहीं हो पाता है।

विद्यानन्दकी दूसरी उल्लेख्योग्य वात यह है कि वे पूर्ववत् आदि अनुमानोंके वैविद्यानियमको अध्याप । बनलाते हैं । वे कहते हैं कि जिस प्रकार (१) कारणसे कार्यका अनुमान प्वंवत् अनुमान है । यथा—ये मेघ वृष्टि करतेकी शक्तिमे सम्पन्न हैं, क्योंकि गम्भीर गजंना और चिरप्रभाव युक्त होकर छाये हुए हैं, जैसे अन्य वर्षने वाले मेघ । (२) कार्यस कारणका अनुमान शेपवत् अनुमान हैं । यथा—यहां अग्नि हं, क्योंकि धूम हें, जैसे रसोई घर । (३) जो न कार्य है और न कारण हैं उससे अनुभयात्मक (अकार्यकारण) का अनुमान सामान्यतोदृष्ट अनुमान हैं । यथा—इस फलका मधुर रस है, क्योंकि इसका रूप हैं, जैसे उसी तरहके अन्य फल । उसी प्रकार उभयात्मक (कारणकार्यरूप) हेतुसे उभयात्मक (कारणकार्यरूप) साध्यका ज्ञान (अनुमान) सम्भव है, क्योंकि जिनमें परस्पर उपकार्य-उपकारकभाव होता हैं उनमें अविनाभाव देखा जाता है। उदा-

१. उभयात्मनांऽपि वस्तुनो भावात् । यथैव हि कारणात्कार्थेऽनुमानम्—षुष्ट्युपादन-शक्तयोऽमी मेघा गम्भीरध्वानको चिरप्रभावको च सति समुन्नतकात् प्रसिद्धेर्वविथमेव-बांदिति । कार्यात्कारणे—बिह्दित्र धूमान्महानसर्वादिति । अकार्यकारणादनुभयात्मनि शानम्—मपुररसमिदं फमेवंविधस्पत्वात्तादृशान्यफछवदिति । तथेवीमयात्मकात् लगा-दुभयात्मके लिगिनि शानमविरुद्धम्, परस्परीपकार्योपकारकयोरिवनाभावदर्शनात् । यथा बोजांकुरसन्तानयो : । * * • ।²

[—]त० श्लो० १।१**३**।२०३, २**०४, पृष्ठ** २०७।

हरणके लिए हम वीजसन्तान और अंक्र्रसन्तानको लेसकते हैं। प्रकट है कि बीज-सन्तान अंकुरसन्तानके और अंकुरसंतान वीजसन्तानके अभावमें नहीं होता, तब उनमें परस्पर गम्यगमकभाव क्यों नहीं होगा ? अतः हम अनुमान कर सकते हैं कि 'यहां यववीजसन्तान है, क्योंकि यवांकुरसन्तान देखा जाता हैं। इसी प्रकार यह भी अनुमान किया जा सकता है कि 'यहां यवांकुरसन्तान है, क्योंकि यवबीज उपलब्ध होता है।' इस तरह कार्यकारणरूप चौथा अनुमान भी सिद्ध होता है। कोई वजह नहीं कि कारणानुमान, कार्यानुमान और अकार्यकारणानुमान ये तीन अनुमान तो माने जाएँ, पर कारणकार्योभयानुमान न माना जाए।

(ग) वादिराज द्वारा अभिहित अनुम।नभेद-समीक्षण :

यहां वादिराजकी भी दो विशेषताएं दृष्टव्य है। उनका कहना है कि अनुमान तीन या चार भेदोंमें ही सीमित नहीं है। अनेक हेतु ऐसे हैं जो न पूर्ववत् हैं, न रोपवत् और न सामान्यतांदृष्ट। उदाहरणार्थ 'विषम नुलाके छोरोंमें पाये जाने वाले नाम और उन्नाम परम्पर अधिनाभृत है, वयोंकि वे एक दूसरेके अभावमें उपपन्न नहीं होते' अथवा 'इस समान नुलामें उन्नाम (ऊंचाई) नहीं है, वयोंकि नाम (नीचाई) अनु लब्ध है। ये दोनों सहचर अनुपान सम्यक् अनुमान हैं। पर ये न पूर्ववत्में आते हैं, न रोपवत्में और न सामान्यतोदृष्ट्मं। अतः बैतिध्य का नियम नहीं बनता। इसके सिवाए तीन प्रकारका अनुमान कालव्यकी अपेक्षा नी प्रकारका और अब्युत्पन्न, सन्दिख एवं विषयं न प्रतिपादोंकी अपेक्षा सत्ताईस प्रकारका भी सम्भव है। यदि इन भेदोंकी अपेक्षा न कर केवल व्यापारभेदसे तीन अनुमान कहे जाएं तो उन व्यापारवयकों भी अपेक्षा न कर एक केवल अन्य-थानुपयित्तकों ही अपेक्षामें एक ही प्रकारका अनुमान मानना उचित है। अन्यया-नुपयित्तकों ही अपेक्षामें एक ही प्रकारका अनुमान मानना उचित है। अन्यया-नुपयित्तकों ही अपेक्षामें एक ही प्रकारका अनुमान मानना उचित है। अन्यया-नुपयित्तकों ही अपेक्षामें एक ही प्रकारका अनुमान मानना उचित है। अन्यया-नुपयित्तकों ही अपेक्षामें एक ही प्रकारका अनुमान मानना उचित है। अन्यया-नुपयित्तकों ही अपेक्षामें समा ही जाने है। किन्तु उनके अलावा उक्त प्रकारके महचर आदि अनुमान भी उमके अन्तगंत आ जाते है।

नापि तथा विविध्यांनयमः, उन्नामादिनिमपृष्येष्येन नवानन्तमायात् । पृष्येतामेव स्वय-मन्वर्यादीनां त्याख्यानात् ।

[—]न्यारु वर्षाव वर्षात्र**्ष** १५७३, **१४** २०८ ।

त्रिविवस्य सतः कार्र्सकापेक्षया नविवयत्वस्य नविवयत्यः । प्रमान्युपद्यसन्दिरश्विषयं-रतस्यवात्रायापेक्षया स्थानिकातिविवयत्वस्यापि सम्मयातः । तन्निवस्थनभेवसनपेक्ष्य स्थापा-रमात्रकृतेन भेवेन बंविष्यमुत्र्यतः इति चेत्, त्राध्यनपेक्ष्य अत्यथानुपपत्तित्वस्यनमेक-विषमेवः तद्धः वक्तत्व्यसः । विरत्यणः । वाध्यत्युत्पादनायः नवविष्यवस्थितिविध-त्वाभ्यामिषि सस्मवात् । तत्र वीताविभेदकक्त्यनमष्युपपत्रम् ।

[—]बही, २११७३, प्रष्ठ २०८।

वादिराजकी दूसरी विशेषता यह है कि उन्होंने वैशेषिक-सम्मत चतुर्विध या पंचिवध अनुमानकी भी समीक्षा की है। इस समीक्षामें उन्होंने वतलाया है कि अनेक हेतु ऐसे हैं जो न संयोगी है, न एकार्थसमवायी, न समवायी और न विरोधी। फिर भी वे गमक (अनुमानजनक) हैं। उदाहरणके लिए निम्न दो हेतु प्रस्तुत किये जा सकते हैं—

- (१) एक मुहूर्त्तके अन्तमें शकट नामक नक्षत्रका उदय होगा, क्योंकि अभी कृत्तिकाका उदय हो रहा है।
- (२) एक महर्त्त पहले भरणिका उदय हो चुका है, वयोंकि अब कृत्तिकाका उदय हो रहा है।

इनमें पहला पूर्वचर है और दूसरा उत्तरचर । ये दोनों हेतु उक्त चारोंमेंसे किसीमें भी अन्तर्भूत नहीं हो सकते—न संयोगीमें, न समवायीमें, न एकार्थसम-वायीमें और न विरोधीमें। ये केवल अन्ययानुपपत्तिके आधारमें ही अपने साध्योंके नियमतः साधक (अनुमापक) हैं। इन्हें अहेतु या हेन्वाभास भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वे साध्यके अभावमें नहीं होते। अतः वैद्योपिकोंका भी अनुमान-वातुर्विध्यनियम नहीं ठहरता। उन्हें उक्त चारके अतिरिक्त इन और इन जैसे अन्य हेतुओंकों भी मानना पड़ेगा।

(घ) प्रभाचन्द्रप्रतिपादित अनुमानभेद-आलोचना :

प्रभाचन्द्रने भी प्रमेयकमलमार्त्तण्ड^२ और न्यायकुमृदचन्द्रमें ³ उक्त अनुमान-भेदोंकी मीमांसा प्रस्तुत की है। विशेष यह कि इन्होंने वैशेषिकोंके पांच और सांस्थों-के सप्तविध अनुमानोंका भी उल्लेख करके उनकी आलोचना की है तथा कृत्तिकोद-यादि हेतुओंका उनमें अन्तर्भाव न हो सकनेसे उन्हें अव्यापक बतलाया है। ³ साथ ही अविनाभावके बलपर ही हेतुको अनुमानांग होनेका प्रतिपादन किया है। उनकी यह विचारणा बहुत सरल और तर्कपूर्ण है।

१. यथा संयोग्यादिभेदकल्पनर्भाप, तत्रापि प्रागुक्तहेतृनामनन्तर्भावात् । न हि दृश्तकोदयः शक्टोदयस्य संयोगी, कालन्यवभानेन परस्परमप्राप्तः । यद्यि संयोगन उदाहरणं तद्भवभानादेव नासी तस्य समवायी संयोगसमवायिनारिव एकार्यसमवायन्याप तस्यानन्तर्भावात् ।।।

⁻⁻⁻ न्या ः व व वि २।१७३, पृष्ठ २०८-२१०।

२. प्रव कार्यात सार्थ, पृष्ठ ३६०।

३. न्या० कुमु० ३।१४, पृ० ४६०-४६१।

४. न्या० कुमु०, पृ० ४६२।

अनुमानभेद-विमर्शः ११९

अनुमानभेद-समीक्षाका उपसंहार:

निष्कर्ष यह कि पूर्ववत् आदिरूपसे या वीतादिरूपसे अभिमत तीन अनुमानों, संयोगी आदिरूपसे या कारण आदिरूपसे स्वीकृत चार या पांच अनुमानों और मात्रामात्रिक आदिरूपसे अंगीकृत सात अनुमानोंकी संख्या अपूर्ण तथा अतिप्रसक्त है। पर साध्य और साधनमें अनिवार्यरूपसे आवश्यक अन्यथानुपपन्नत्व या अन्ययानुपपत्तिक आधारसे अनुमान-संख्या माननेमें न अपूर्णताका दोष आता है और न अतिप्रसक्ति, वयोंकि अन्यथानुपपन्नत्व एक ऐसा व्यापक एवं अव्यभिचारी आधार है, जिसमें सभी प्रकारके समीचीन हेतुओंका समावेश हो जाता है और असमीचीन हेतु (हेन्वाभास) उसके द्वारा निरस्त हो जाते हैं। अतः जैन ताकिकोंने इसीको हेनुका निर्दीप एवं प्रधान लक्षण वतलाया है, त्रैष्टप्य और पांचरूप्यको नहीं। पर अन्य ताकिक जितना वल त्रीष्टप्य और पांचरूप्यपर देते है उतना अविनाभावपर नहीं। यही जैन ताकिकों और अन्य ताकिकोंके अनुमान-सम्बन्धी चिन्तन एवं प्रतिपादनमें मौलिक अन्तर है।

स्वार्थ और परार्थ:

यद्यपि ऊपरेक विवेचनसे हम इस तथ्यपर पहुँचते हैं कि अनुमानके प्रधान अंग हेनुका प्रयोजक तत्त्व एकमात्र अन्यथानुष्यन्तत्व है और उसके एक होनेसे उससे आत्मलाभ करने वाला अनुमान भी एक हो प्रकारका सम्भव है, तथापि वह अन्यथानुष्यन्तत्व दोके डारा गृहीत होता है—(१)स्व और (२)पर। जब वह स्वके डारा गृहीत होता है तो उसके आधारसे होने वाला अनुमान उस (स्व) की साध्यप्रतिविन्तिके लिए होता है और वह स्वार्थानुमान कहा जाता है। स्वार्थानुमाता किसी पर्यक उपदेश (प्रतिज्ञादि प्रयोग) के बिना स्वयं ही निश्चित अविनाभावी साधनके ज्ञानसे साध्यका ज्ञान करता है। उदाहरणार्थ—जब वह धूमको देखकर अग्निका ज्ञान, रसको चखकर उसके सहचर रूपका ज्ञान या कृत्तिकाके उदयको देखकर एक मुहूर्स बाद होने वाले शकटके उदयका ज्ञान आदि करता है तब उसका वह ज्ञान स्वार्थानुमान कहलाता है। और जब वही स्वार्थानुमाता उक्त हेतुओं और साध्योंको बोलकर दूसरोंको उन साध्य-साधनोंकी ब्याप्ति (अन्यथानुप्पत्ति)

१,०. अस्यदं कारणं कार्यं ग्रहति सूत्रोपात्ता एव पंचहेतवो लैंगिकांगम् गत्त्वयं नेया-यिकाना(वेशेपिकाणा) मनुमानसंस्थानियमो न व्यवतिष्ठेत, तदसमीक्षितामिथानम्, तदितिष्कतानां कृत्तिकोदयादिहेतुनां तदंगत्वप्रतिपादनात् । अविनामाववशाद्धि हेतो-रनुमानांगत्वं न कारणादिरूपतामात्रेण, अस्याव्यापकत्वादिद्मसंगाच्च । अविनामा-वस्य नु सकलहेतुकलापव्यापित्वात्तदाभासेभ्यो व्यावृत्तत्वाच्च तद्दशादेव हेतोर्गमकत्वं प्रातपत्तव्यम् ।

ग्रहण कराता है तथा दूसरे उसके वचनोंको सुनकर व्याप्तिग्रहण करके उक्त हेनुओंस उक्त साध्योंका ज्ञान करते है तो दूसरोंका वह अनुमानज्ञान 'परार्थानुमान' कहा जाता है। और वे परार्थानुमाता कहे जाते हैं। अतः अनुमानके उपादानभूत हेनुका प्रयोजक तत्त्व अध्यथानुष्यन्तत्व स्व और पर दोके हारा गृहीत होने तथा दोनों अध्यथानुष्यन्तत्व-गृहीताओंको अनुमान होनेसे प्रदेशभेद, व्यक्तिभेद या प्रयोजनभेदको अपेक्षास अनुमानके अधिक से-अधिक दो प्रकार हो सकते हैं— (१) स्वार्थानुमान और (२) परार्थानुमान। सम्भवतः इन दो भेदोंको परिकल्पनाक सुलसे प्रशस्तपादो और दिङ्नागकी भी यहो दृष्टि रही है।

यद्यपि प्रशस्तपाद³ या दिङ्नाग अथवा न्यानप्रवेशकारने³ इन अनुमानभेदों-की परिगणना नहीं की, तथापि उनके द्वारा किया गया इन अनुमानोंका निरूपण स्पष्ट बतलाता है कि उन्हें ये दो भेद अभिश्रेत हैं।

जैन परस्परामे सबसे पहले इन दो भेदोंका प्रतिपादन सिद्धसेनने है किया जान पड़ता है। उन्होंने यद्यपि 'स्वार्थानुमान'का किल्लेख नहीं किया—केवल परार्थानुमानका निर्देश किया है और उसका उसी प्रकार स्वरूप बतलाया है जिस प्रकार प्रशस्तपादने प्रशस्तपादभाष्यमें और प्रमाणवार्तिकालंकारकारने प्रशस्तपादभाष्यमें और प्रमाणवार्तिकालंकारकारने प्रशस्तपादभाष्यमें और प्रमाणवार्तिकालंकारकारने परार्थानुमानका एक लक्षण और दिया है जो न्यायप्रवेशकारके परार्थानुमानलक्षणपर आधृत है। फिर भी सिद्धसेनने 'स्वनिश्चयवत्' पदके हारा स्वार्थानुमानका ग्रहण किया है। दूसरी

- १. प्रश्न भाव पुर १०६।
- २. वहा, ५० १०६, ११३।
- ३. न्या० म० प्रष्ठ २. ७।
- ४. स्वानश्चयवदन्येषां निश्चयोत्पादनं हुषै: ।
 परार्वं माननाख्यातं वात्र्यं तदुपचारतः ।
 —स्यायाव ० का० १० ।
- प. भश० भाव पूर्व १४३ ।

- ८. साध्याविनामुनी छिगात् साध्यनिश्चायकं स्मृतम् ।
 अनुमानं तदभ्रान्तं प्रमाणत्वात् समक्षवत् ॥
 चही, का० ५ ।

बात यह है कि उन्होंने परार्थानुमानके लक्षणसे पूर्व जो सामान्य अनुमानका लक्षण प्रस्तुत किया है वह स्वार्थानुमानका लक्षण है।

सिद्धिविनिश्चयमे अकलंकदेवने स्वार्थानुमान और परार्थानुमान दोनोंका उल्लेख किया है तथा दोनोंमे पक्ष-भेद बतलात हुए कहा है कि स्वार्थानुमानमें तो जिज्ञासाके विषयभूत विशेष (अग्नि आदि)ने विशिष्ट धर्मी (पर्वत आदि) पक्ष होता है। किन्तु परार्थानुमानमें जनवानेका इच्छाके विषयभूत विशेष (अग्नि आदि)से विशिष्ट धर्मी पक्ष होता है, क्योंकि स्विनिश्चयकी तरह दूसरोंको भी निश्चय करानेके लिए पक्षको स्वीकार करना आवश्यक है। तात्पर्य यह कि प्रतिपत्ताके भेदमे अनुमानके स्वार्थ और परार्थ भेद उन्हें भी अभिषेत हैं।

विद्यानस्य भी अनुमानके उक्त दो भेदोंका प्रतिपादन करते हैं। इतना विशेष है कि वे परार्थानुमानके भी दो भेदोंका निर्देश करते हैं—(१) अनक्षर- श्रुत और (२) अधरश्रव । तथा उन्हें क्रमणः अश्रोवमितज्ञान और श्रोवमितज्ञान और श्रोवमितज्ञानपूर्वक होनेके कारण परीक्ष श्रवणमाणमें अन्तर्भाव करते हैं। वादिराज कृत मुख्य और गीण अनुमानभेद:

वादिराजने े उक्त अनुमान-भेदोंस भिन्न दो अन्य भेदोंका प्रतिपादन किया है। वे हैं—(१) गीण और (२) मुख्य। इनमें गीण अनुमानके तीन भेद हैं—(१) स्मरण, (२) प्रत्यभिज्ञा और (३) तकं। स्मरण प्रत्यभिज्ञाका, प्रत्यभिज्ञा तकंका और तकं अनुमानका कारण होनेस तीनों गीण अनुमान हैं।

भिज्ञा तर्कका और तर्क अनुमानका कारण होनेस तीनों गीण अनुमान हैं। साध्याविनाभावी साध्यसे होनेवाला साध्यका ज्ञान मुख्यानुमान है। परन्तु वादि-राजकी इस द्वित्र अनुमान-मान्यताको उत्तरवर्ती किसी जैन तार्किकने नहीं अप-नाया और वह उन्हों तक सीमित रही है। इसका कारण यह प्रतीत होता है कि

१. स्वायोनुमाने जिशासितविशेषा पमी पक्षः । परार्थानुमाने पुनः जिञ्जापयिषितविशेषः स्वनिरुचयत्रदेखेषां निरुचयोत्पादनाय पक्षपरिग्रहात् ।

[—]सि० वि० वृ० ६.२, प्राठ ३७३।

२. भ०प० पृष्ठ ७६।

परार्थमनुभागमनअरश्रुनआर्ग अक्षरश्रुतआर्ग च तस्याश्रात्रमातपूर्वकस्य श्रोत्रमातपूर्वकस्य च नयावीपपत्तः ।

⁻⁻⁻वही, प्रष्ट ७६ ।

४. अनुमानं द्विष्यं गीणगृरूयांत्रकत्यात् । तत्र गीणमनुमानं विविधं — स्मरणं प्रत्यभिद्यां तकं-दचिति । तस्य चानुमानवं यथाप्येगुत्तरात्तरहेतुतयाऽसमानांनवस्थनत्वात् । "प्यं मुख्य-स्यापि । तः तांदितं चेत् , साथनाग्साध्ये विधानमेत्र, माथनं साध्याविनामाविनयमळक्षणं तस्मान्निद यथपयमाप्तात्त्वाध्यस्य सावयितुं शस्यस्यामांसद्धस्य यद्विद्यानं तदनुमानम् । प्रमा० नि० पृष्ठ ३३, ३६ ।

यदि स्मरणादिको अनुमानका कारण होनेसे अनुमान माना जाए तो प्रत्यक्षको भी। अनुमानका हेतु होनेसे अनुमान माना जाना चाहिए और इस तरह स्मरणादिकी तरह प्रत्यक्ष भी गौण अनुमान कहा जाएगा, जो किसो भी तार्किकको अभिमत नहीं है। सम्भवतः इसीसे उत्तरवर्ती तार्किकोंने वादिराजके इस अनुमानदैविध्यको स्वीकार नहीं किया।

माणिक्यनित्वने अनुमानके उक्त स्वार्थ और परार्थ भेदोंका विशद निरूपण किया है। उनके बाद तो सभी परवर्ती प्रभावन्द्र अनन्तवीर्य , देवसूरि , हेम-चन्द्र ने आदिन इसी द्विविध अनुमान-मान्यताको अनुमृत किया है। देवसूरि और हेमचन्द्रका यहाँ एक वैशिष्ठच परिलक्षित होता है। वह यह कि उन्होंने एक ही सूत्र द्वारा अनुमानके दो प्रकारोंकी सूचना और उन दोनों प्रकारोंका निर्देश किया है, माणिक्यनित्वकी तरह उन्होंने दो सूत्रोंकी रचना नहीं की। इन दोनों तार्किकों-की एक विशेषता और उल्लेख्य है। इन्होंने अनुमान-सामान्यके लक्षणके अतिरिक्त स्वर्थानुमानका अलग लक्षण प्रस्तुत किया है जो बहुत विशद और उचित है। माणिक्यनित्वने सिद्धसेनकी तरह सामान्यलक्षणको ही स्वार्थानुमानका लक्षण बताया है। ध्यातव्य है कि हेमचन्द्रका स्वार्थानुमान-लक्षण देवसूरिके स्वार्थानुमान-लक्षणसे भिन्न और निर्दोष है। हेमचन्द्रने 'स्वयं निर्णीत साध्याविनाभाववाले साधनसे होनेवाले साध्यज्ञानको स्वार्थानुमान' कहा है जो परार्थानुमानमें अतिव्यास नहीं है। पर देवसूरिने जो 'हेतुप्रहण और सम्बन्धस्मरणपूर्वक होनेवाले साध्य-

१. तदनुमानं देवा, स्वायेपराधंमेदात्, स्वाधंमुक्तलक्षणम्, पराधं तु तद्धपरामशिवच-नाज्जातम्, तद्वचनभापं तद्वेतुत्वात् ।

⁻⁻⁻प० मु० ३।४२, ५३, ५४, ५५, ५६ ।

२. प्रव का माव ३,५२-५६ ।

इ. प्र० र० मा० ३।४८-५२।

४. अनुमानं द्विप्रकारं स्वार्धं परार्थं चेति । तत्र हेतुग्रहणसबन्धरमरणकारणकं साध्यविद्यानं स्वार्थमिति । पक्षहेतुवचनारमकं परार्थमनुमानमुणचारादिति ।

⁻⁻⁻ प० न० त० ३।६, १०, २३।

प्र. तत दिधा स्वार्थ परार्थ च

स्वार्थं स्वानिश्चितसाध्याविनामावैक्रुक्षणात् साधनात् साध्यशानम् ।

⁻⁻ हेमचन्द्र, प्रमाणमी० १।२।८,६ ।

यथावतसाधनाभिधानजः परार्थम् । वचनमुपचारात् ।

⁻⁻वही, २।१।१,२।

६. स्वार्थमुक्तलक्षणम् ।

⁻परीक्षामु० ३।५४।

७. म० मी० शराष, पृ० ३९।

८. प० न० त० ३।१०।

ज्ञानको स्वार्थानुमान' बतलाया है वह परार्थानुमानमें अितव्यास है, क्योंकि हेतुका ग्रहण और सम्बन्धस्मरण परार्थानुमानमें भी रहते हैं, भले ही वे स्वार्थानुमाताके वचनोंसे हों। हेमचन्द्रकी यहाँ एक बात और स्मरणीय है। उन्होंने वचनात्मक परार्थानुमानको दो प्रकारका प्रतिपादन किया है—(१) तथोपपित्त और (२) अन्ययानुपपित्त। परन्तु माणिक्यनित्द , प्रभाचन्द्र, अनन्तवीर्य और देवसूरि प्रभृतिने वचनात्मक परार्थानुमानको दो प्रकारका न मानकर हेतुप्रयोगको दो प्रकारका कहा है जो सिद्धसेनके न्यायावतारके सर्वथा अनुरूप है। यथार्थमें हेतुका प्रयोग दो तरहसे किया जाता ई—एक तथापपित्तरूपसे और दूसरा अन्यथानुपपित्त रूपसे। यथा—

अग्निमानयं देशस्तथैव भूमवत्त्वोप ।त्ते:, भूमवत्त्वान्यथानुपपत्तेर्वा' ।

यह प्रदेश अग्नि वाला है, क्योंकि उसके होने पर ही धूम होता है अथवा अग्निके अभावमे धूम नहीं होता ।

यहां हेनुका ही प्रयोग दो तरहमे हुआ है, पक्षका प्रयोग तो एक ही प्रकारसे हैं। और परार्थानुमान (वचनात्मक) पक्ष तथा हेतु दोनोंके वचनको कहा गया है। देवभूरिने स्पष्ट शब्दोंमें हेनुप्रयोगको ही दो प्रकारका बतलाया है। उल्लेखनीय है कि उन्होंने दो स्वतन्त्र सूत्रों द्वारा उन (तथोपपित्त और अन्यथानुपपित्त दोनों) का स्थरूप भी प्रतिपादन किया है। सभो जैन तार्किक इस विषयमें एकमत है कि हेनुका चाहे तथोपपित्तरूपमें प्रयोग किया जाए और चाहे अन्यथानुपपित्त-

- तद् द्वेष । तथीपपत्यस्ययानुपपित्तमेदात् ।
 —प्रश्न भी० २।१.३,४, पृष्ठ ४४ ।
- २. र पुर्यन्नप्रयोगस्तु तथोपपत्त्याऽन्ययानुपपत्त्येत्र वा ः—प०
- ३. हेतुप्रयोगस्तथापपत्ति अन्यथान्पपत्तिस्यां द्विप्रकार धात
- ४. हतास्तथं पपस्या वा स्याप्त्रयोगीऽन्ययापि वा । द्विविधोऽन्यतरेणापि साध्यसिद्धिर्भवेदिति ॥ —न्यायाव० का० १७॥
- प. प० मु० अ१९५।
- ६. पक्षहेतुबचनात्मकं परार्थमनुमानमुपचारात् इति ।
 —देवसूरि, प्र० न० त० ३।२३ ।
- हेतुप्रयोगस्त्योपपत्त्यस्ययानुपपित्तस्यां द्विप्रकार इति ।
 —वर्हा, ३।२९ ।
- सत्येव साध्ये हेतोस्प्रपत्तिस्तयोपपत्तिरित ।
 असित साध्ये हेतोरनुपपत्तिरेवान्ययानुपपत्तिरित ।
 —वही, ३।३०, ३१ ।

रूपसे । ब्युत्पन्नीके लिए दोनीक प्रयोगकी आवश्यकता नहीं है, उनके लिए तो किमी एकका ही प्रयोग पर्याप्त है और वे उत्तने मात्रसे व्याप्ति-ग्रहण तथा साध्य-का ज्ञान कर छेते हैं । देवसूरिकी ^२ एक विशेषता और दिखाई देती है । <mark>वे जयन्त</mark> भट्टकी तरह श्राताके स्वार्थानुमान मानते हैं और वक्ताको परार्थानमानका प्रयोक्ता । उनका कहना है कि थोता बक्ताके बचनमावसे साध्यका ज्ञान नहीं करता और न बक्ता ही यह मानता है कि श्रोताने मेरे बचनोंसे साध्यका ज्ञान किया । किन्तू वक्ता मानता है कि मैं उने अनुमानसे बोध कराता हूँ तथा श्रोता भी यह सम-झता है कि मैंने साध्याविनाभावी साधनसे साध्यका ज्ञान किया। अतः वक्ताका अनमान श्रोताक साध्यज्ञानका कारण होनेसे परार्थ कहा जाता है और श्रोताका स्वार्थानमान । देवसूरिका यह विचार बुद्धिको स्पर्ध करता है । वास्तवमें अनुमान उसीको होता है जिसने व्याप्तिका ग्रहण कर रखा है। जिसने व्याप्तिका ग्रहण नहीं किया, उसे अनमान नहीं होता । अतः वक्ता पक्ष और हेतू वचन बोलकर प्रतिपाद्यको व्याप्ति ग्रहण कराता है व्याप्ति ग्रहणके बाद प्रतिपाद्य स्वयं साधनसे साध्यका ज्ञान कर लेता है। अत्यव उसका वह साध्यज्ञान स्वार्थानमान ही कहा जाएगा, परार्थानमान नहीं । परार्थानुमान तो वक्ताका पक्ष और हेनुवचन तथा उनसे उत्पन्न श्रांताका व्याप्तिज्ञान माना जाएगा, जो श्रोताके स्वार्थानुमानके कारण हैं। तात्पर्य यह कि श्रोताका साध्यज्ञान हर हालतमें स्वार्थानमान है, भले ही उसके इस स्वार्थानमानमें कारण पडनेमें वक्ताके पक्ष और हेतुवचनों तथा उनसे होने वाले श्रोताके व्याप्तिज्ञानको परार्थानमान कहा जाए।

प्रत्यक्ष परार्थ है : सिद्धसेन और देवसूरिका मत : उसकी मीमांसा :

सिद्धमेनने³ न्यायावतारमे अन्मानकी तरह प्रत्यक्षको भी परार्थ प्रतिपादन किया है। उनका कहना है कि प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों प्रसिद्ध अर्थका प्रकाशन करते हैं और दोनों हो परके प्रसिद्धार्थ-प्रकाशनके उपाय हैं। अतः दोनों परार्थ हैं। जब प्रत्यक्ष प्रतिपन्न अर्थका दूसरोंके लिए वचनहारा प्रतिपादन किया जाता है तो वह वचन भी ज्ञानमें कारण होनेसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। उनके इस विचारका

१. प० मु० ३,९६, ९७ : प० मा० २,१.६ ।

२. स्था० र० ३,२३. पू० ४४८, ४४६ ।

३ प्रत्यक्षेणानुमानन प्रास्माधप्रकाशनात् । परस्य तदपायत्वात परार्थत्वं द्वयागाप ॥ प्रत्यक्षप्रांतपन्नार्थप्रतिपाद च यदच :। प्रत्यक्षं प्रतिभासस्य नि'मत्तत्वात् तद्च्यते ॥

अनुसरण देवसूरिने भी किया है और उनकी कारिकाके उद्धरणपूर्वक उसका सम-थंन किया है। ये दो ही ऐसे तार्किक हैं जिन्होंने प्रत्यक्षको परार्थ बतलाया है। जैन या इतर परम्परामें, जहाँ तक हमे ज्ञात है, अन्य कियो तर्किकने प्रत्यक्षको परार्थ नहीं कहा।

तथ्य यह है कि चाहे प्रत्यक्षप्रतिपन्न अर्थको कहने वाला वचन हो और चाहे अनुमानप्रतिपन्न अर्थको । दोनों ही प्रकारके वचनोंको क्षेत्रेन्द्रिय हारा ग्रहण करना तो श्रोत्र-प्रत्यक्ष है । पर उन्हें मुनकर श्रोताको जो उनके आरा प्रतिपाद्य अर्थका ज्ञान होगा वह अर्थसे अर्थान्तरका ज्ञान होगे अनुमान कहा जाएगा, परार्थ प्रत्यक्ष नहीं । सच तो यह है कि प्रिष्पत्ति दो प्रकारको होती है—(१) स्वार्थ और (२) परार्थ । स्वार्थ प्रतिपत्तिका साधन ज्ञान (प्रत्यक्ष, स्मृति, प्रत्य-भिज्ञान, तर्क और स्वार्थानुमान) है तथा परार्थप्रतिपत्तिका उपाय एकमात्र शब्द है । अतः जिस प्रकार अनुमानगम्य अग्नि आदिको वतानेवाले धूमादि साधनका प्रतिपादक धूमादिवचन है उसी प्रकार प्रत्यक्षगम्य घटादिको कहने वाला घटादि वचन है और यह घटादिवचन धूमादिवचनकी तरह वचनात्मक परार्थानुमान है, परार्थ प्रत्यक्ष नहीं ।

अनुमानके स्वार्थ-पदार्थ भेदोंका मल्लिपेणने रे भी कथन किया है और उनके लक्षण देवसूरि जैस ही बतलाये हैं।

पन्द्रहवीं शताब्दीके अ।रम्भमें होनेवाले विश्वत तार्किक धर्मभूषणने न केवल उक्त स्वार्थ-परार्थ द्विविध अनुमान-भेदों तथा उनके लक्षणोंको हो कहा है, अपितु उनका विशद एवं विशेष वर्णन भी किया है। स्वार्थानुमानका स्पर्धाकरण करते हुए उन्होंने लिखा है—

परोपदेशमनपेक्ष्य स्वयमेव निश्चितात्वाक्तकांनुभूतव्यासिस्मरणसहकृताद्धू-मादे साधनादुत्पन्नं पर्वतादी धर्मिण्यग्न्यादेः साध्यस्य ज्ञानं स्वार्थानुमानिमत्यर्थः। यथा पर्वतोऽयमागनमान् भूमवस्वादिति।

अर्थात् प्रतिज्ञा और हेतुरूप परोपदेशकी अपेक्षा न करके स्वयं ही निश्चित तथा इससे पूर्व तर्क द्वारा गृहीत व्याप्तिके स्मरणसे सहकृत धूमादि साधनसे उत्पन्न हुए पर्वत आदि धर्मीमें अग्नि आदि साध्यके ज्ञानको स्वार्थानुमान कहते हैं। जैसे यह पर्वत अग्निवाला है, क्योंकि वह धूमवाला है।

८. प्रव नव तव ३.२६, १७।

अनुमानं द्विधा स्वार्यं परार्थं च । तत्रान्यथानुपपस्येकळक्षणहेतुब्रहणसम्बन्धस्मरणकार=
 णकं साध्यांवद्यानं स्वार्थम् । पक्षहेतुवचनात्मकं परार्थमनुमानसुपचारात् ।

⁻स्या० मं० पृष्ठ ३२२ ।

३, न्या॰ दी० पृष्ठ ७१, ३-२३।

यद्यपि स्वार्थानुमान ज्ञानात्मक है, वचनात्मक नहीं, फिर भी उसका स्वरूप बतानेके लिए कि स्वार्थानुमाता इस तरह अनुमान करता है, शब्द द्वारा उसका उल्लेख किया जाता है। जैसे 'यह घड़ा है' इस शब्द द्वारा घटप्रत्यक्षका निर्देश होता है।

स्वार्थानुमानके अङ्गः :

धर्मभूषणने इस स्वार्थानुमानके सम्पादक तीन अंगोंका भी विवेचन किया है। वे तीन अंग इस प्रकार हैं—धर्मी, साध्य और साधन। साधन तो गमकरूपसे अंग है, साध्य गम्यरूपसे और धर्मी दोनोंका आधाररूपसे। वास्तवमें आधारिवशेपमें ही अनुमेयकी सिद्धि करना अनुमानका प्रयोजन है। धर्ममात्र (अग्निसामान्य) की सिद्धि तो उसी समय हो जाती है जब 'जहां जहां धूम होता है वहां वहां अग्नि होती है' इस प्रकारसे तर्क द्वारा व्याप्ति गृहीत होती है। इन तीनों अंगोंमेंसे एक भी न हो तो स्वार्थानुमान सम्पन्न नहीं हो सकता। अतः तीनों आवश्यक है।

पक्ष और हेतुके भेदसे उन्होने उन्हामित स्वार्थानुमानके दो भी अंग वतलाये हैं। जब साध्य धर्मको धर्मीसे पृथक नहीं माना जाता तब साध्यधर्म विशिष्ट धर्मीको पक्ष कहा जाता है और उस स्थितिमें पक्ष तथा हेतु ये दो ही स्वार्थानुमानके अंग हैं। इन दोनों निरूपणोंमें उक्तिवैचित्र्यको छोड़कर और कोई भेद नहीं हं, यह स्वयं धर्मभूषणने रूस्पष्ट किया है।

धर्मीकी प्रसिद्धता :

घ्यान रहे कि धर्मी प्रसिद्ध होता है। हैं, उसकी प्रसिद्धि कहीं प्रत्यक्षादि प्रमाणसे होती है, जैसे अग्निको सिद्ध करनेमें पर्वत प्रत्यक्षप्रमाणसे सिद्ध है। कहीं विकल्प (प्रतीति) से सिद्ध मान लिया जाता है, जैसे अस्तित्व सिद्ध करनेमें सर्वज्ञ और नास्तित्व सिद्ध करनेमें खरविषाण विकल्पसिद्ध धर्मी है। और कहीं प्रमाण तथा विकल्प दोनोंसे धर्मी सिद्ध रहता है, जैसे अनित्यता सिद्ध करनेमें शब्द उभय-

१. न्या॰ दी०, ५० ७२, ३-२३।

२. वही, पृ० ७२, ३-२४।

३, ४. अथवा पक्षो हेतुरित्यंगद्रयं स्वार्थानुमानस्य, साध्यधर्मविश्वष्टस्य धर्मिणः पक्षत्वात् । तथा च स्वार्थानुमानस्य धर्मिसाध्यसाधनमेदात्त्राण्यंगानि । पक्षसाधनमेदादंगद्रयं चेति सिद्धम्, विवक्षावैचित्र्यात् । पूर्वत्र हि धर्मिधर्ममेदविबक्षा । उत्तरत्र तु तत्ससुदायांववक्षा । —न्या० दी० पृष्ठ ७२, ७३, ३-२५ ।

प. स एव धिमत्वेनाभिमतः प्रसिद्ध एव । तदुक्तमियुक्तैः—'प्रसिद्धो धर्मी' (परीक्षामु० ३-२७) इति ।

[—]वही, पृ० ७३, ३-२५।

६. वही, पृ० ७३, ३-२६।

सिद्ध धर्मी हैं। प्रकट है कि योग्य देशस्य और वर्तमानकालीन शब्द श्रावणप्रत्यक्षसे सिद्ध हैं तथा दूरस्य और अतीत एवं भावी शब्द विकल्पसिद्ध हैं। धर्मीकी प्रसि-द्धताका निरूपण जैन परम्परामें धर्मभुषणके सिवाय उनके पूर्व माणिक्यनन्दि, देवसूरि^२, हेसचन्द्र³ प्रभतिने भी किया है। उल्लेखनीय है कि न्यायप्रवेशकारने ४ धर्मीको प्रसिद्ध तो माना है, पर वे उसे प्रमाणसिद्ध ही स्वाकार करते प्रतीत होते हैं, विकल्पसिद्ध और प्रमाणविकल्पसिद्ध नहीं, क्योंकि उसे उन्होंने मात्र प्रत्यक्षा-द्यविरुद्ध कहा है, जिसका तात्पर्य है कि धर्मी प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे अविरोधी होना चाहिए । धर्मकीर्तिने तो विकल्पसिद्ध और प्रमाणविकल्पसिद्ध धर्मीकी मान्यतापर आक्षेप करके उनका निराकरण भी किया है। यह कहना कठिन है कि उनका आक्षेप किनपर है ? पर इतना निश्चित है कि धर्मकीर्तिके आक्षेपका सविस्तर उत्तर उनके उस आक्षेपप्रदर्शक पद्यके उद्धरणपूर्वक जैन तर्कग्रन्थोंमें ही उपलब्ध होता है। अतः सम्भव है कि उक्त तीन प्रकारके धर्मी (पक्ष)को माननेवाले जैन ताकिकोंपर ही उनका वह आक्षेप हो । देवमूरिने ' स्पष्टतया धर्मकीतिके आक्षेपका उत्तर देते हुए उनके उल्लेखपूर्वक कहा भी है कि धर्मकीर्तिको स्वयं विकल्पसिद्ध धर्मी मानना पड़ता है। अन्यथा 'प्रधानादि नहीं हैं, क्योंकि उनकी उपलब्धि नहीं होती' आदि प्रयोग वे कैस कर सर्केंगे, क्योंकि प्रधानादि उनकी दिष्टिमें प्रमाणसिक्त नहीं हैं। इसी तरह देवसूरिने विकल्पसिद्धि धर्मीको स्वीकार न करनेवाने नैया-यिकोंकी भी संयुक्तिक समीक्षा की है। तात्पर्य यह कि उक्त तीन प्रकारके धर्मी की मान्यता जैन तार्किकों द्वारा प्रस्तृत ज्ञात होती है और केवल प्रमाणसिद्ध धर्मी की मान्यता अन्य तार्किकोंकी ।

१. प० मु० ३।२७-३१।

२. प्रश्नाव तव अ१२०-२२।

३. प्रव मीव शाराह्य-१७।

४. तत्र पक्षः प्रसिद्धो धर्मा प्रसिद्धविशेषेण विशिष्टतयः स्वयं साध्यत्वेनेप्सितः । प्रत्यक्षाच-विरुद्ध इति वाक्यशेषः ।

⁻⁻⁻ न्या० प्र० प्रष्ठ १ ।

प. नासिद्धे भावधर्मोऽस्ति व्यभिचार्युभयाश्रय : ।
 धर्मो विश्वद्धाऽभावस्य सा सत्ता साध्यते कथम् ॥

⁻⁻⁻ प्रवा शाहर ।

६. प्र० र० मा० ३।२५। स्या० रत्ना० ३।२२ प्र० मी० १।२।१७।

ज च विकल्याद्धर्ममिसिद्धं नाभ्यशंसन् भवन्तः । न सन्ति मधानादयोऽनुपळक्येरित्यादि-प्रयोगाणां धर्मकीर्तिना स्वयं समर्थनात् ।

⁻स्या० र० ३।२२, पृ० ५४२।

धर्मभूषणने स्वार्थानुमानका प्रदर्शक एक महत्त्वपूर्ण एवं प्राचीन श्लोक उद्भृत किया है, जिसमें दृष्टाको स्वार्थानुमान होनेका उल्लेख है तथा 'साधनात' पदका 'दृश्यमानात्' (देखे गये) यह अर्थ देकर उन्होंने जो खास बात कही है वह यह कि अनुमानमें प्रयुक्त साधनको वर्तमानकालिक (दृश्यमान) होना चाहिए। इससे उस नव्यन्यायमतको समीक्षा प्रतीत होतो है, जिसमें भूत या भावि धूमादिसे भूत या भावि अग्नि आदिको सिद्धि अभिहित है। वास्तवमें जो साधन अनुभूय-मान है वहो अनुमानका प्रयोजक हो सकता है। किन्तु भूत या भावि साधनोंमें व्याप्ति गृहोत न हा सकनेसे वे अनुमानके प्रयोजक नहीं हो सकते। 'यह यज्ञशाला अग्निमती थी या होगी, क्योंकि भृतकालमें धूम था या भविष्यमें होगा' इस प्रकारके अनुमान जैन दर्शनमें मान्य नहीं है, क्योंकि ऐसे हेतुओंकी व्याप्तिका ग्रहण सम्भव नहीं है। व्याप्तिके ग्रहणके लिए साधनका वर्तमान कालमें होना आवश्यक है। साध्य भले ही भूत या भावि हो।

परार्थानुमानका स्वस्प बतलाते हुए धर्मभूषणने हिला है कि प्रतिज्ञा और हेतुरूप परोपदेशकी अपेक्षा लेकर श्रोताको जो साधनसे साध्य (अनुमेयार्थ)का ज्ञान उत्पन्न होता है वह परार्थानुमान है। यहाँ भी उनका 'श्रोता' पद उल्लेखनीय है, जिसके द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि श्रोताको परार्थानुमान होता है, स्वार्थानुमान नहीं। स्वार्थानुमान तो दृष्टाको होता है। मालूम होता है कि धर्मभूषणने यहां जयन्तभट्ट अरेर बादि देवसूरिके उस मतकी आलोचना की है जिसमें उक्त तार्किकोंन श्रोताके भी स्वार्थानुमान बतलाया है और वक्ताको परार्थानुमानका प्रयोक्ता कहा है। पर हम पहले इन दोनों तार्किकोंके मतपर विचार प्रकट करते हुए कह आये हैं कि वक्ता परार्थानुमानवचनप्रयोग द्वारा श्रोताको व्याप्तिज्ञान कराता है या वक्ताके उक्त प्रकारके वचनप्रयोगसे श्रोताको व्याप्तिज्ञान कराता है या वक्ताके उक्त प्रकारके वचनप्रयोगसे श्रोताको व्याप्तिज्ञान कराता है या वक्ताके उक्त प्रकारके वचनप्रयोगसे श्रोताको व्याप्तिज्ञान कराता है या वक्ताके उक्त प्रकारके वचनप्रयोगसे श्रोताको व्याप्तिज्ञान

- परोपदेशाभावेऽपि साधनात्साध्यबोधनम् । यद्द्रष्टुर्जायते स्वार्थमनुमानं तदुच्यते ॥ —न्या० दो० पृष्ठ ७५ ।
- २. •तदेवं परोपदेशानपेक्षिणः साधनाद् दृश्यमानाद्धर्भिनिष्ठतया साध्ये यदिशानं तत्स्वार्या-नुमान्मिति स्थितम् ।
 - **—व**हो, पृष्ठ ७४ ।
- अ. 'इयं यज्ञशाला विह्नमती भविष्यति भाविष्यमात् । इयं यज्ञशाला विह्नमत्यासीत् भूतधूमात् ।'
 —सि॰ मु॰ (टिप्प॰) पृष्ठ ५६ ।
- प्रतिशाहेतुरूपरोपदेशवशात् श्रोतुरूपन्नं साधनात्साध्यविद्यानं परार्यानुमानमित्यर्थः ।
 म्नया० दो० एष्ठ ७५ ।
- ५. न्या० मं० पृष्ठ १३०-१३१
- ६. स्या० र० २।२३. पुष्ठ ५४८, ५४६।

ज्ञान होता है। परन्तु व्याप्तिज्ञानके अनन्तर साधनसे साध्यका ज्ञान वह स्वयं करता है। अतः उसका साघ्यज्ञान स्वार्थानुमान हो है। हौं, श्रोताका व्याप्तिज्ञान उसके स्वार्थानुमानका कारण होनेसे परार्थ अनुमान कहा जा सकता है। तथा वक्ताके प्रतिज्ञा-हेतुरूप वचन भी श्रोताके व्याप्तिज्ञानके कारण होनेसे परार्थानुमान कहे जा सकते हैं।

परार्थानुमानके अंग और अवयव :

धर्मभूषणकी एक विशेषता और उल्लेख्य है। उन्होंने स्वार्थानुमानकी तरह परार्थानुमानके भी अंगोंका निर्देश किया है। अर्थात् परार्थानुमान भी स्वार्थानुमानकी भांति धर्मी, साध्य और साधन इन तीन अथवा पक्ष और हेतु इन दो अंगों से सम्पन्न होता है। यह ज्ञानात्मक परार्थानुमानके सम्बन्धमे उनका विवेचन है। पर वचनात्मक परार्थानुमान (परार्थानुमान-प्रयोजक-वाक्य) के उन्होंने दो अव-यव बतलाये है—(१) प्रतिज्ञा और (२) हेतु। और इनका समीक्षा पूर्वक प्रति-पादन किया है। इनपर हम आगे 'अवयव विमर्श' प्रकरण में विशेष विचार करेंगे।

इस प्रकार जैन तर्कग्रन्थोंमें अनुमानके स्वार्थ और परार्थ यही दो भेद अभिमत हैं।

तस्थैतस्य परार्थानुमानस्यांगसम्पत्तिः स्वार्थानुमानतत् ।
 —न्था० दी० पृष्ठ ७६ ।

परार्थानुमानप्रयोजकस्य च वाक्यस्य द्वावयवी, प्रतिका हेतुश्च ।
 —वही, एष्ठ ७६ ।

द्वितीय परिच्छेद

व्याप्ति-विमर्श

(क) व्याप्ति-स्वरूप:

अनुमानका मूलाधार व्याप्ति है। अतएव उसका यहाँ विशेषतया स्वरूप विवे-चित किया जाता है।

'व्याप्ति' (वि + आप्ति) का शाब्दिक अर्थ है विशेष प्राप्ति—विशेष सम्बन्ध । उस विशेष सम्बन्धका नाम व्याप्ति है जो न विच्छित्र होता है और न व्यभिचरित। प्रश्न है कि वह विशेष सम्बन्ध क्या है ? तर्कशास्त्रमें यह विशेष सम्बन्ध उन दो पदार्थीके नियत साहचर्यको कहा गया है जिनमें गम्यगमकभाव या साध्यसाधनभाव विवक्षित है। अथवा लिंग-लिंगी या साधन-साध्यमें गमक-गम्यभाव या साधन-साघ्यभावका प्रयोजक जो सम्बन्ध है वह विशेष सम्बन्ध है। यथा-विशिष्ट मेघ और वृष्टिका सम्बन्ध । सामान्यतया साहचर्य दो प्रकारका है-(१) अनियत और (२) नियत। अनियतका अर्थ है व्यभिचरित और नियतका अव्यभिचरित। विद्ध और धूमका सम्बन्ध अनियत सम्बन्ध है, क्योंकि कदाचित् विद्धिक रहते हुए भी धूम नहीं होता । जैसे अंगारे या कोयलेकी अग्नि । इस सम्बन्धमें एककी उप-स्थिति दूसरेके बिना भी सम्भव है। अतएव इस प्रकारका साहचर्य-सम्बन्ध अनि-यत या व्यभिचरित कहलाता है। यहाँ अनियम या व्यभिचारका अर्थ हा है एकके अभावमें दूसरेका सद्भाव । पर जिन दोका साहचर्यं नियत (अव्यभिचरित) होता है उनमें विशेष सम्बन्ध अर्थात् व्याप्ति मानी गयी है। पया-धम और विद्विका सम्बन्ध । जहाँ धूम होता है वहाँ विह्न अवश्य होती है, जैसे-पाकशाला । और जहाँ विह्न नहीं होती वहाँ घुम भी नहीं होता, जैसे - जलाशय। इस प्रकार घुम-की वृद्धिक साथ व्याप्ति है-- उस (वृद्धि) के होनेपर ही वह (धुम) होता है. न होनेपर नहीं होता । अतः धुम और विह्नका साहचर्य सम्बन्ध नियत एवं अव्यभि-चरित सम्बन्ध है। तात्पर्य यह कि जिस साधन और साध्यके साहचर्य सम्बन्धमें अनियम या व्यभिचार न पाया जाए उसे नियत एवं अव्यभिचरित सम्बन्ध कहा गया है और ऐसे सम्बन्धका नाम ही व्याप्ति है।

विचारणीय है कि प्राचीन न्यायग्रन्थोंमें व्याप्तिका स्वरूप क्या बतलाया है ?

१. यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्राग्निरिति साहचर्यनियमो व्याप्ति:।

-अन्नम्भट्ट, तर्कसं० पृष्ठ ५४ । केशव मिश्र, तर्कमा० पृष्ठ ७२ ।

क्याप्तिसमीक्षण-प्रकरणमें यह कहा जा चुका है कि गौतमके न्यायसूत्र, वात्स्यायन-के न्यायभाष्य और उद्योतकरके न्यायवार्तिकमें व्याप्तिको स्वीकार नहीं किया। अतः इन ग्रन्थोंमें व्याप्तिका स्वरूप उपलब्ध नहीं होता। बौद्ध तार्किक धर्मकीर्ति और उनके व्याख्याकार अर्चटने अवश्य उसका स्वरूप निर्दिष्ट किया है। उन्होंने बताया है कि व्यापकके होने पर हो व्याप्यका होना अथवा व्याप्यके होने पर व्यापकका होना ही हेतुकी व्याप्ति है। यहाँ व्यापक और व्याप्य दोनोंके धर्मको व्याप्ति कहा गया है। जब यह कहा जाता है कि व्यापकके होने पर हो व्याप्यका होना व्याप्ति है तब व्याप्य-धर्म व्याप्ति विवक्षित है। और जब यह प्रतिपादन किया जाता है कि व्याप्यके होने पर व्यापकका होना ही व्याप्ति है तब व्यापकका धर्म व्याप्ति अभिप्रेत है।

न्यायवात्तिकतात्पर्यटोकाकार वाचस्पतिने यद्यपि व्याप्तिको लक्ष्य मानकर उसका स्वक्ष्य नहीं दिया, क्योंकि उन्हें न्यायपरम्परानुसार व्याप्ति स्वीकार्य नहीं है, पर उन्होंने साध्यके साथ साधनका स्वाभाविक सम्बन्ध मानकर उसका जैसा विवेचन किया है वह व्याप्ति जैसा है। उदयनने उनके आशयका उद्घाटन व्याप्तिपरक किया है। वाचस्पतिने लिखा है कि कोई सम्बन्ध हो, वह जिसका स्वाभाविक एवं नियत है वही गमक और इतर सम्बन्धी गम्य होता है। और स्वाभाविकका अर्थ है कोई उपाधि न होना। जैसे धूमादिकका वह्नचादिके साथ स्वाभाविक सम्बन्ध है, क्योंकि उसमें कोई उपाधि नहीं है। पर वह्नचादिका घूमादिके साथ स्वाभाविक सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि वह्नचादि धूमादिकके बिना भी उपलब्ध है। अतः यहाँ आईन्धनादि उपाधिका अनुभव किया जाता है। तात्पर्य यह कि वाचस्पतिके अभिप्रायानुसार निरुपाधिक स्वाभाविक सम्बन्धका नाम व्याप्ति है। उदयनने वाचस्पतिका अनुसरण करते हुए स्पष्टतया स्वाभाना व्याप्ति है। उदयनने वाचस्पतिका अनुसरण करते हुए स्पष्टतया स्वाभाना

१. तस्य व्याप्तिर्हि व्यापकम्य तत्र भाव पत्र । व्याप्यस्य वा तत्रैव भाव: ।

[—]हेतुबि० १० ५३।

२. तस्य पक्षधर्मस्य सतो व्याप्तिः—यां व्यानोति यञ्च व्याप्यते तदुभयधर्मतया प्रताते : ।

—हेतुबि० टी० पृष्ठ १७-१८ ।

३. तस्माद्यो वा स वाऽन्तु सम्बन्धः, केवलं यस्यासी स्वाभाविको नियतः स एव गमको गम्यश्चेतरः सम्बन्धीति युज्यते।***।

⁻⁻ न्या० वा० ता० टी० शश्य, पृष्ठ १६५।

४. न्यायवा० ता० परि० १।१।५, पृ० ६७६।

प. तस्मादुपाधि प्रयत्नेनान्त्रिष्यन्तोऽनुपळभमाना नास्तीत्यवगम्य स्वामात्रिकत्वं सम्बन्धस्य निश्चिन्मः।

⁻⁻ त्या० वा० ता० टी० १।१।५, पृ० १६५ ।

६. ननु कोऽयं प्रतिबन्धो नाम । अनीपाधिकः सम्बन्ध इति ब्रूमः ।

⁻⁻⁻ किरणा० पृ० २६७ तथा ३००।

विकका अर्थ अनौपाधिक किया है और उपाधिके विशदीकरणके साथ उसके भेदों-का भी विवेचन किया है ।

वाचस्पित और उदयनके इस निरूपणसे अवगत होता है कि साघ्य-साधन या गम्य-गमकरूपसे अभिमत दो वस्तुओं में नियत सम्बन्धका कारण अनौपाधिकता है और अनियतसम्बन्धका कारण औपाधिकता (उपाधि)। उपाधि न होनेसे साधन साघ्यका नियमसे अनुमापक होता है और उपाधिके रहनेसे साधन साधन न रहकर साधनाभास हो जाता है और वह साघ्यका सम्यक् गमक नहीं होता। उदाहरणार्थ 'अयोगोलकं धूमवत् वह्नः' इस अनुमानमें आर्द्रेन्धनसंयोग उपाधि है। अतएव 'विह्नि' हेतु सोपाधिक होनेसे ज्याप्यत्वासिद्ध या ज्यभिचारो हेत्वाभास माना गया है। और इसलिए उससे यथार्थ अनुमिति सम्भव नहीं है। अतः साघ्य-साधनमें नियत सम्बन्धके निर्णायार्थ उसका उपाधिरहित होना आवश्यक है। (स्व) उपाधि:

यतः नियतसम्बन्ध—व्याप्तिका उपर्युक्त स्वरूप उपाधिघटित है, अतः उपाधिका विश्लेषण आवश्यक है। इसका अभिधेयार्थ है—'उप समीपवर्तिनि आद्धाित स्वकीयं रूपिनि उपाधिः' — जो समीपवर्ती वस्तुमें अपना रूप आरोपित करे वह उपाधि है। उदाहरणके लिए जपाकुसुमको लिया जा सकता है। यदि जपाकुसुमको स्वच्छ स्फटिकमणिके समीप रख दें तो उसकी लालिमा उसमें आरोपित हो जाती है। यतः यह लालिमा जपाकुसुमरूप उपाधिके संसर्गसे उसमें आयी है, अतः वह औपाधिक है, स्वाभाविक नहीं। इसी प्रकार विह्न हेतुसे धूमानुमान करनेमें धूमसामग्री (आर्द्रेन्धनसंयोग) उपाधि है, क्योंकि उसके संसर्गसे 'विह्नं में धूमव्याप्तिका आरोप (आधान) होता है। अतः 'विह्नं' हेतु आर्द्रेन्धनसंयोगरूप उपाधियुक्त होनेके कारण साध्यका गमक नहीं है।

उपाधिको उदयनकृत परिभाषाके अनुसार भो आर्द्रेन्धनसंयोग साध्यका व्यापक और साधनका अव्यापक होनेसे उपाधि है और उपाधिसहित होनेके कारण 'वह्नि' हेतु धूम-साध्यका साधक नहीं हैं। इसी तरह 'स इयामी मैत्री-

१. वही. पृ० २००, २०१।

२. हेत्वामासिवशेषप्रयोजकीभूनोऽर्थः (उपाधिः)। यद्वयभिचारित्वेन साधनस्य साध्यन्य-भिचारित्वं सः । उदयनाचार्यमते उपाधिपदं योगरूढम् । अत्र न्युत्पित्तः । उप समीपव-तिनि आदधाति संकामयति स्वीयं धर्ममित्युगिधः, इति । अव स्फिटिकर्छोहित्ये जपा-कुसुममुपाधिरित्यत्र लीहित्यसंकामकत्वम् । । ।

⁻भीमाचार्य, न्यायकोश पृष्ठ १७७, 'उपाधि' शब्द ।

३. साध्यव्यापकत्वे साधनाव्यापकत्वमिति ।

⁻⁻⁻ किरणाव० पृष्ठ ३०० ।

तनयस्वात्, इतरतनयवत् विद्यमान होनेसे मैत्रीतनयत्वहेतु अपने श्यामतासाध्य-का अनुमापक नहीं है।

उदयनके पश्चात् केशविमश्चर, अन्नम्भट्ट³, विश्वनाथ आदि अनेक नैयाियकोंने भी व्याप्ति और उपाधिपर चिन्तन एवं निबन्धन किया है। किन्तु सर्वािष्ठक विचार और लेखन गंगेश उपाध्याय (१२०० ई०)ने किया है। उन्होंने पूर्वपक्षमें प्रथमतः उन व्याप्तिलक्षणोंको प्रस्तुत करके उनकी समीक्षा की है, जो या तो अन्य तार्किकों द्वारा अभिमत हैं या उन्होंने स्वयं अपनी प्रतिभाक्ते बलपर उनकी समालोचनार्थ परिकल्पना की है। तदनन्तर सिद्धान्तपक्षके रूपमें अपना परिष्कृत व्याप्ति-लक्षण उपस्थित किया और उसमें सम्भाव्य दोपोंका परिहार करके उसे निर्दृष्ट सिद्ध किया है। ये सभी व्याप्तिलक्षण नव्यन्यायपद्धितसे चित्त हैं। इनपर रघुनाथ शिरोमणिने दीधित, मथुरानाथ तर्कवागीशने माथुरी, जगदीश तर्कालंकारने जागदीशो और गदाधर भट्टाचार्यने गादाधरो व्याख्याएं लिखकर उन्हें विस्तृत, जटिल और दुरवबोध बना दिया है। पर दुरवबोधके कारण उनका अध्ययन-अनुशोलन अवस्य नहीं हुआ, वह मिथिला और नवडोपसे बाहर आकर धीरे-धीरे महाराष्ट्र, मद्रास और काश्मीरमं होता हुआ प्रायः सारे भारतमें प्रसृत हो गया। धात्रोसे एक पोढ़ा पूर्व तक उक्त अध्ययनकी धारा बहतो रहो, परन्तु अब वह क्षीण होती जा रही है।

(ग) उपाधि-निरूपणका प्रयोजन:

प्रश्न है कि व्याप्ति-निरूपणके साथ उपाधि-निरूपणका प्रयोजन क्या है? इसका समाधान करते हुए गंगेश आदि तार्किकोंने कहा है कि यदि किसी अनुमानमें उपाधिका सद्भाव है तो स्पष्ट है कि हेतृ साध्यव्यभिचारी है, क्योंकि जो साध्यके

न च ज्यामादिषु मैत्रतनयादोनां स्वामाविकप्रातिबन्धमस्भवः, अन्नपानपरिणातिमेदस्यो-पाधेः स्थामताया मैत्रतनयसम्बन्धं प्रति विद्यमानत्वेन मैत्रतनयत्वस्थागमकत्वात् ।

⁻⁻ न्यायवा० ता० टी० १।१।५, पृष्ठ १६७।

२. तर्कमा० पृष्ठ ७२, ७४, ७६।

३. तर्कसं० पृष्ठ ७८-८२ तथा ६२।

४. सि० मु० पृ० ५३-७८ तथा १२२।

४. त० चि०, जागदो० ए० ७८-८२, ८६-=१, ९९-१२१, १७१, १७७, १७८, १८१, १८६, १६७, २०१, २०२, २०६, तया २०९-३६० ।

६. विश्वेश्वर सिद्धान्तशिरामणि, तर्कभाषा-भूमिका, पृष्ठ ४८।

ज्याहि-समन्याप्तस्य विषमन्याप्तस्य वा साध्यन्यापकस्य न्यभिचारेण साधनस्य साध्यन्य-भिचारः स्फुट एव, न्यापकन्यभिचारिणस्तद्वयाप्यन्यभिचारिनयमात् ।

⁻⁻ त० चि० द्याधिवाद, पृष्ठ ३४५।

व्यापकका व्यभिचारी होता है वह साघ्य (व्याप्य)का व्यभिचारी अवश्य होता है। उदाहरणार्थ 'धूमवत् वह्नेः' यहाँ आर्द्रेन्धनसंयोग उपाधि हैं। आर्द्रेन्धनसंयोग धूम (साघ्य)का व्यापक (समव्याप्त) है और विह्न (हेतु) आर्द्रेन्धनसंयोगका व्यभिचारी है—वह उसके अभाव (अयोगोलक आदि)में भी रहता है। अतः 'विह्न' हेतु 'धूम' साध्यके व्यापक (आर्द्रेन्धनसंयोग)का व्यभिचारी होनेसे धूम (साध्य-व्याप्य)का भी व्यभिचारी है। तात्पर्य यह कि उपाधिके सद्भावसे हेतुमें व्यभिचार और उपाधिके अभावसे उसमें अव्यभिचारका अनुमान होता है। अतः यदि किसी हेनुमें उपाधि उपलब्ध होती है तो उससे उस हेतुमें व्यभिचारका निश्चय होता है और व्यभिचारके निश्चयसे तज्जन्य अनुमान दूपित-अनुमान समझा जाता है और यदि उपाधि नहीं पायो जाती तो उसके अभावसे हेतुमें अव्यभिचारका का निर्णय किया जाता है और अव्यभिचारके निर्णयसे तदुत्पन्न अनुमान निर्दोष माना जाता है। अरही उपाधि-विचारका प्रयोजन है।

एक प्रश्न और है। वह यह कि उपाधिक सद्भाव और असद्भावका निर्णय कैसे हाता है? इस सम्बन्धमें वाचस्पितका मत है कि प्रयत्नसे उपाधिका अन्वेषण किया जाए। यदि अन्वेपण करने पर वह उपलब्ध न हो तो 'उपाधि नहीं है' ऐसा अवगत करके विवक्षित साधनके सम्बन्धकी स्वाभाविकता (अनौपाधिकता)का निश्चय कर सकते हैं। उदयन वाचस्पितके इस मन्तव्यको स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि प्रत्यक्ष-गम्य उपाधियोंका निराकरण तो योग्यानुपलब्धिसे हो जाता है और प्रमाणान्तरगम्य व्यापक-अव्यापक नित्य-अनित्य सम्भाव्य उपाधियोंका निरास परीक्षा (सर्वशाङ्का-निवर्सक तर्क) हारा होता है। यही कारण है कि उपाधिको न देखने पर विरोधि-प्रमाणके होने-न-होनेके निश्चयमे व्यग्न रहनेके कारण अनुमाता अनुमितिमें कुछ कालका विलम्ब कर देते हैं। अन्ततोगत्वा उपाधिक अनुपलम्भसे उसके अभावका

१. उदयन, किरणावलो, पृष्ठ ३०१।

२. व्यभिचारस्यानुमानमुपाधेस्तु प्रयोजनम् ।

⁻⁻ विश्वनाथ, सि० मु० का० १४०, पृ० १२३।

३. तस्मादुपाधाववर्यं व्यभिचारोऽनुपाधाववस्यमव्यभिचारः...

४. तस्मादुपाधि प्रयत्नेनान्त्रिष्यन्तोऽनुपलभमाना नास्तीत्यवगम्य स्वाभाविकत्वं सम्बन्धस्य निश्चिनुमः ।

⁻ न्यायवा० ता० टो० १।१।५, पृ० १६५ ।

प. प्रत्यक्षापलम्मास्तावद्योग्यानुपल्लब्धेरेव निरस्ताः । प्रमाणान्तरपरिदृष्टानामपि व्यापकानामुपाधित्वे वहेः सार्वित्रकत्वमसंगः अव्यापकानामपि नित्यानामुपाधित्वे।
पाधिमपश्यन्तो मुहूर्तमनुमितौ विलम्बामहे । ...।

⁻⁻ त्यायना० ता० परिशु० १।१।४, पृ० ६६२-९४ । तथा किरणा० पृ० ३०१ ।

निश्चय हो जाता है। यथा धमके स्वाभाविक सम्बन्धमें उपाधिके अनपलम्भसे उसके अभावका निश्चय किया जाता है। इसी प्रकार अन्यत्र भी दृष्टव्य है। उक्त स्पष्टीकरणके पश्चात भी एक शंका बनी रहती है, जिसकी ओर वर्द्धमानी-पाच्यायने संकेत किया है । वह यह कि उक्त प्रकारसे प्रत्यक्षगम्य उपाधियोंके अभावका निश्चय होने पर भी अतीन्द्रिय (अयोग्य) या शंकित उपाधियोंके अभावका निश्चय कैसे होगा? उदयनने र इसका भी समाधान प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं कि विपक्षवाधक तकंसे उक्त प्रकारकी उपाधियोंके अभावका भी निश्चय हो जाता हैं। इस सन्दर्भमें केशव मिश्रका असमाधान भी उल्लेखनीय है। उनका कहना है कि अतीन्द्रिय उपाधियोंकी आशंका नहीं हो सकती, क्योंकि उनके अतीन्द्रिय होनेसे वे उपाधि-आविष्कर्त्ताको ज्ञात नहीं हैं और अज्ञात स्थितिमें उनके सदभावको शंका निर्मल है । तात्पर्य यह कि प्रमाणसिद्ध उपाधिको आशंका की जानी चाहिए। ^४ अन्यथा भोजनादिमें भी विषादिके सदभावकी शंका रहने पर उनमें लौकिकोंकी प्रवित्त नहीं हो सकेगी । निष्कर्ष यह कि प्रमाणीपपन्न उपाधि-के निश्चयसे व्यभिचारका निश्चय और व्यभिचारके निश्चयसे विवक्षित साध्य-साधनमें व्याप्तिके अभावका निर्णय होता है। तथा उपाधिके अभावनिश्चयसे व्यभिचारके अभावनिश्चयका और व्यभिचारके अभावनिश्चयसे व्याप्तिका निश्चय होता है।

(घ) जैन दृष्टिकोण:

माणिक्यनन्दि^६ आदि जैन तार्किकोंने व्याप्तिका स्वरूप देते हुए लिखा है— 'इसके होने पर ही यह होता है, नहीं होने पर नहीं ही होता' यह व्याप्ति है। इसीको अविनाभाव अथवा अन्यथानुपर्यात्त भी कहते हैं। अतएव साधनको अवि-

- ईमानोपाध्याय, न्यायत्रा० तात्प० परि० न्यायनिबन्धप्रकाश्टी० पृ० ६९५ ।
- तर्कश्च मर्वशंकानिराकरणपटीयान् विराक्ति (विजयते)।
 उदयन, न्यायवा० ता० परि० १।१।४, पृ० ६९५, तथा किरणा० पृष्ठ ३०१।
- इ. अयोग्यस्य अंकितुमशक्यत्वात् । -- केशवामश्र, तर्कमा० पृ० ७६ ।
- ४. व्यभिचार एव प्रतिबन्धाभावः । उपायरेव व्यभिचारशंका, प्रमाणनिश्चित प्रवोषाधित्वेन शंकनीयः ---उदयन, न्यायवा० ता० परि० १।१,५, पृ० ६७६-७७, ।
- प. यथा चाप्रामाणिकोपाधिशंकया व्यमिचारित्वशंकयानुमानादिनिवृत्तिस्तथाऽप्रामाणिका-नथशंकयेत्र विशिष्टाहारमोजनादिनिवृत्तिः ।
 - त्रही, पृ०६७६, तया पृष्ठ६७५ ।
- इदमस्मिन् सत्येव भवत्यसति तु न भवत्येव ।
 यथाऽग्नावेव धूमग्तदभावे न भवत्येवति च ।
 —माणिक्यनन्दि, प० सु० ३।१२, १३ ।

नाभावी अथवा अन्ययानुपपन्न बतलाया गया है। इसका अर्थ हैं जो साधन साध्य-के अभावमें न हो, उसके होने पर ही हो वही गमक हैं और उसका साध्य गम्य। २ पर जो साधन साध्यके अभावमें उपलब्ध है वह उस साध्यका साधन नहीं और वह साध्य भी उस साधनका गम्य (विषय) नहीं --- दोनों ही क्रमशः साघनाभास तथा साघ्याभास हैं। 3 वस्तुतः इस अविनाभावके रहनेसे ही घम, अग्नि-का गमक होता है। अतः धूम साघन है और विद्ध साध्य। किन्तु 'अयोगोलक धूमवाला है, क्योंकि उसमें विह्न हैं इस अनुमानमें हेतुरूपसे प्रयुक्त विह्न धूमके अभावमें भी पायो जाती है। इस कारण वह धूमकी अविनाभाविनी न होनेसे वह उसकी गमक नहीं है। अत: वह साधनाभास है और धूम साधनाभासका विषय होनेसे साध्याभास । प्रत्यक्ष है कि अयोगोलकमें विद्व होने पर भी धूम नहीं होता। अतएव 'अग्नि अनुष्ण है, क्योंकि वह द्रव्य हैं इस अनुमानगत अनुष्णत्वसाध्य-की तरह उक्त अनुमानमें प्रयुक्त धूम-साध्य प्रत्यक्षविरुद्ध-साध्याभास है। तथा उसे सिद्ध करनेके लिए दत्त 'अग्नि' हेत् प्रत्यक्षबाधित नामक कालात्यापदिष्ट साधनाभास है । उसमें आर्द्रेन्धनसंयोगरूप उपाधिकी कल्पना करके उसके सद्भावसे अग्निमें व्यभिचारका निश्चय और व्यभिचारके निश्चयसे व्याप्तिके अभावका निश्चय जैन तार्किक नहीं करते। उनका मन्तव्य है कि उसमें मात्र परम्परा-परिश्रम और अन्योन्याश्रय है^४। यह देखना चाहिए कि विह्निका धुमके साथ अविनाभाव है या नहीं ? स्पष्ट है कि विद्धा अंगारे आदिमें धूमके बिना भी उपलब्ध होती है। अतः विह्नका धुमके साथ अविनाभाव नहीं है और अविनाभाव न होनेसे वह साध-नाभास है। इसी तरह 'गर्भस्थो मैत्रीतनयः स्यामो भवितुमहंति मैत्रीतनयस्वात्' यहाँ भी मैत्रीतनयत्वहेतुका श्यामत्वसाध्यके साथ अविनाभाव नहीं है और अवि-नाभावके न होनेसे मैत्रीतनयत्वहेतु हेत्वाभास है"। प्रकट है कि गर्भस्थ पुत्रको मैत्रीका पुत्र होनेसे स्याम होना चाहिए, यह अनिवार्य नहीं है, क्योंकि उसके गोरे

१. साध्याविनामावित्वेन निश्चितो हेतु :। -प० मु० ३।१५। साधनं प्रकृताभावेऽनुपपन्नं ततोऽपरे । -अकलंक, न्यायविनि० २।२६६ तथा प्रमाणसं० ३।२१। २. तत्रान्यत्रापि वाऽसिद्धं यद्विना यद्विहन्यते । तत्र तद्गमकं तेन साध्यधमीं च साधनम् ॥ -- न्यायवि० २।२२१। ३. वही, २।३४३, २।१७२।

४. धर्मभूषण, न्या० दी० पृ० ११०।

५, वही, पु० ६२।

होनेकी भी सम्भावना है। यथार्थमें मैत्रीतयत्वहेतुका स्यामत्त्वसाध्यके साथ न सहभावनियम है और न क्रमभावनियय, क्योंकि कोई यदि यह व्यभिचार-शंका करेर कि गर्भस्य पुत्रमें 'मैत्रीका पुत्रपन' तो हो, किन्तु 'कालापन' न हो, तो इस व्यभिचार-शंकाका निवर्तक ऐसा अनुकुल तर्क नहीं है कि 'यदि गर्भस्य पुत्रमें कालापन न हो तो उसमें 'मैत्रीका पुत्रपन' भी नहीं हो सकता, क्योंकि गर्भस्य मैत्रीपृत्रमें 'मैत्रीके पुत्रपन' के रहने पर भी कालापन सन्दिग्ध है। और विपक्षमें बाधकप्रमाणों - व्यभिचार-शंका निवर्त्तक अनुकुल तर्कोंके बलसे हेतू और साध्यमें व्याप्तिका निश्चय होता है और व्याप्तिके निश्चयसे सहभाव अथवा क्रमभावका निर्णय होता है। तथा सहभाव और क्रमभावनियम ही अविनाभाव हैं। अतः मैत्रीतनयत्वहेतुमें शाकपाकजन्यत्व उपाधिके सद्भावसे व्यभिचार और व्यभिचारसे व्याप्तिका अभाव नहीं है, अपितु व्यभिचारशंकानिवर्त्तक अनुकुल तर्कके न होनेसे ही उसमें व्याप्तिका अभाव है। यही दृष्टिकोण जैन तार्किकोंने सभी सद्-असद् अनु-मानोमें अपनाया है। तात्पर्य यह कि जैन तर्कशास्त्रमें हेत्की गमकता और अगम-कतामें प्रयोजक क्रमशः उसके साध्याविनाभावका निश्चय और साध्याविनाभावके अभावका निश्चय स्वीकृत है। तथा अविनाभावका निश्चय एकमात्र तर्कप्रतिष्ठित है. जैसा कि आगे विवेचित है।

(ङ) व्याप्ति-ग्रहण :

इस व्याप्तिके ग्रहण (निश्वय) का ऊहापोह वार्वाकके अतिरिक्त शेष सभी भारतीय विचारकोंने किया है। चार्वाक' व्याप्ति-ग्रहणको असम्भव बतलाकर अनुमानके प्रामाण्यका निषेध करता है और प्रत्यक्षको ही एकमात्र ज्ञानोपलिब्धका साधन मानता है। किन्तु अन्य समस्त अनुमानप्रमाणवादी अनुमानके आधारभूत व्याप्ति-ग्रहणको सम्भव बतलाते और उसके ग्रहण-प्रकारका प्रतिपादन करते हैं। यहाँ दार्शनिकोंके व्याप्तिग्रहणसम्बन्धी मतोंपर विचार किया जाता है।

- न हि मैत्रीतनयत्वस्य हेतुत्वाभिमतस्य श्यामत्वेन साध्यत्वाभिमतेन सहमावः क्रमभावो वा नियमोऽस्ति, येन मैत्रीतनयत्वं हेतुः श्यामत्यं साध्यं गमयेत् ।
 - —न्या० दो० पृष्ठ **९**२ ।
- २. बही, पृष्ठ ६३।
- ३. सहक्रमभावनियमोऽविनाभावः ।
 - ---माणिक्यनन्दि, प० मु० ३।१६ ।
- ४. सत्यप्यन्वयिवज्ञाने स तर्कपरिनिष्ठितः । अविनाभावसम्बन्धः साक्तत्येनावधार्यते ॥
 - -- अकलंक, न्या० वि० २।३२६।
- ५. मभाचन्द्र, म० क० मा० २।१, पृष्ठ १७७, द्वितीय संस्करण ।

(१) बौद्ध व्याप्ति-ग्रहण:

धर्मकीर्तिके अनुसार व्याप्ति दो सम्बन्धोंपर आधृत है—(१) तदुत्पत्ति और (२) तादातम्य।

जिन दो वस्तुओंमें कार्यकारणभाव होता है उनमें तदुत्पत्ति सम्बन्ध माना गया है। जैसे धूम और विह्ना। तथा जिन दोमें व्याप्यव्यापकभाव होता है उनमें तादात्म्य स्वीकार किया गया है। यथा सत्त्व और क्षणिकत्व अथवा शिशपात्व और वक्षत्व। इन दो सम्बन्धोंको छोडकर अन्य कोई सम्बन्ध या प्रमाण अविनाभावका नियामक (स्थापक) नहीं है। न ही दर्शन (अन्वय या प्रत्यक्ष) से उसकी स्थापना सम्भव है और न अदर्शन (व्यतिरेक या अप्रत्यक्ष-अनुपलम्भ) से । अर्चटने^२ धर्मकीर्तिके इस कथनका समर्थन करते हुए लिखा है कि तादात्म्य और तद्दल्पत्तिके साथ अविना-भाव और अविनाभावके साथ वे दोनों व्याप्त हैं। जिनमें न तादात्म्य है और न तदत्पत्ति उनमें अविनाभाव नहीं होता ।

परन्तु पूर्वचर, उत्तरचर, सहचर आदि कितने हो ऐसे हेतू हैं जिनमें न तादातम्य है और न तदुःपत्ति, फिर भी उनमें अविनाभाव रहता है तथा अविनाभाव रहनेसे उन्हें गमक स्वीकार किया गया है। उदाहरणार्थ³ 'इव: सिवताउदेता अद्यतन-सवित्रस्त्यात्', 'शकटं उदेष्यति कृत्तिकोदयात्', 'उद्गाद्भरणिः कृत्तिकोदयात्', 'रसममानकालं रूपं जातं रमात्', 'चन्द्रोदयो जातः समुद्रवृद्धः' इत्यादि हेत्ओंमे न तादातम्य है और न कार्यकारणभाव । पर अविनाभाव है और इसलिए वे गमक हैं। दे

- १. कार्यकारणभावादा स्वभावादा नियामकात्। अविनाभावनियमो दर्शनान्न नादर्शनात् ॥
 - --- प्रवाव १ ३०।
- २. तादात्म्यतदुत्पत्तिभ्यामविनाभावो न्याप्तः, तयोरतत्रावश्यंभावात् । तस्य च तयोरेव भावा-दतत्त्वभावस्यातदुत्वत्तेश्च (तदनायत्तत) या तदन्यभिचारिनयमाभावात ।
 - --है विव टी पृष्ठ ८।
- ३. चन्द्रादेर्जलचन्द्रादिमतिपत्तिस्तथानुमा ॥ न हि जलचन्द्रादे: चन्द्रादि: स्वभाव: कार्यं वा ! भविष्यत्मतिपद्येत ज्ञकटं कृत्तिकोदयात ।
 - श्व आदित्य उदेतेति ग्रहणं वा भविष्यति ॥
 - -- लघोय० का० १३, १४।
- ४. तदेतिस्मन् प्रतिबन्धनियमे कथं चन्द्रादेरवांग्मागदर्शनात् परमागोऽनुमीयेत १ नानयो : कार्यकारणभावः सहैव भावात् । न च तादात्म्यं, छक्षणभदात् । अछमन्ययानुपपत्तेरन-वद्यमनुमानम् ।
 - —सिद्धिवि० ६।२, पृष्ठ ३७३।

उल्लेखनीय है कि सर्वदर्शनसंग्रहकारने बौद्धोंके कार्यकारणभावनिष्चयके प्रकारका भी निर्देश किया है। वह प्रकार है 'पंचकारणी'। उन्होंने लिखा है कि बौद्ध नैयायिक पंचकारणी प्रक्रियाके द्वारा कार्यकारणभावका निश्चय करते हैं और कार्यकारणभावके निश्चयसे अविनाभावका निश्चय । यह प्रतिपादन धर्मकीर्तिका है, जिसे उन्होंने हेतुबिन्दुमें किया है। परन्तु धर्मकीर्ति और उनके टीकाकारोंने अविनाभावको कार्यकारणभाव और स्वभाव (तादात्म्य) इन दोमें ही नियन्त्रित कर उसके व्यापक स्वरूप एवं क्षेत्रको संकुचित बना दिया है, फलतः उक्त पूर्व-चरादि हेतुओं में व्याप्तिकी स्थापना नहीं हो सकती।

(२) वेदान्त व्याप्ति-स्थापना :

वेदान्त दर्शनमें ४ व्याप्तिका ग्रहण प्रत्यक्ष द्वारा माना गया है। उसका मत हैं कि साध्य-साधनके साहचर्यको ग्रहण करनेवाला प्रत्यक्ष भूयोदर्शन, व्यभिचारादर्शन आदि सहकारियोंसे सहकृत हो कर व्याप्तिका निश्चय करता है। जहां पूर्वसंस्कार प्रवल रहते हैं वहां व्याप्तिका निर्णय अनुमान और आगम द्वारा भी होता है। यथा—'ब्रह्माणो न हन्तव्यः', 'गोनं पादाःस्ट्रष्टव्याः' 'जैसे स्थलोंमें व्याप्तिका ग्रहण आगमद्वारा ही सम्भव है।

बौद्धों और वेदातिन्यों की व्याप्तिस्थापना में यह अन्तर है कि बौद्धों के ' अनुसार

१. तस्मात्तदुत्पत्तिनिश्चयेन।विनाभावो निश्चोयते । तदुत्पत्तिनिश्चयश्च कार्यहेत्वोः प्रत्यक्षोप-लम्मानुपलम्मपंचकिनवन्धनः । कार्यस्थोत्पत्तेः प्रागनुपलम्मः, कारणोपलम्मे सिन वप-लम्मः उपलब्धस्य पश्चात् कारणानुपलम्मादनुपलम्मं इति पंचकारण्या धूमधूमध्वजयोः कार्यकारणमावो निश्चीयते ।

⁻⁻⁻ माधवाचार्य, सर्वदर्शनसंग्रह बौद्धदर्श० पृष्ठ २०।

२. देवस्रि, स्याद्वादरत्नाकर ३।८, पृष्ठ ५१३, ५१४ भी दृष्टव्य है।

कायहेतौ कार्यकारणमाविमिद्धः यथेदमस्योपलम्मे उपलभ्यते उपलब्धिलक्षणमाप्तमनुपल-ब्धमुपलस्यते, सत्स्वध्यन्येषु हेतुषु अस्याभावे न भवतीति यश्तद्भावे भावस्तदभावेऽभावश्य प्रत्यक्षानुपलम्भसाधनः कार्यकारणभावः तस्य सिद्धिः ।

⁻⁻⁻हेतुर्वेबरु पृष्ठ ५४।

तेदान्तिनस्त्वादुः । प्रत्यक्षं न्याप्तिम्राहकम् । तथा च साहचर्यमाहिणः प्रत्यक्षस्य भूयो-दर्शनन्यभिचार।दर्शनोपाध्यभावनिश्चयाः सहकारिणः । एवमनुमानागम।विष न्याप्ति-म्राहको । तत्रागमेन न्याप्तिम्रहस्तु 'ब्राह्मणं। न हन्तन्यः', 'गोर्न पादाः स्पृष्टन्याः' इति । अत्र दृष्टान्नापेक्षा नास्ति ।

⁻⁻ न्यायकोश, पृ० ८३३ ।

 ⁽क) अथ प्रत्यक्षपृष्ठमाविविकल्पात् साकल्येन साध्यसाधनमावप्रतिपत्तेन प्रमाणान्तरं तद्यं मृग्यमित्यपरः ।

⁻⁻⁻ प्र० र० मा० २।२, पृष्ठ ५६।

⁽ ख) यस्यानुमानमन्तरेण सामान्यं न प्रतीयते तस्यायं दोषोऽस्मानःं तु शस्यक्षपृष्ठभावि-नापि विकल्पेन प्रकृतिविश्रमात् सामान्यं प्रतीयते ।

⁻⁻हेतुबिन्दुटी०, पृष्ठ २३, २४। तथा मनोरथ० पृष्ठ ७।

निर्विल्पक प्रत्यक्षके बाद होने वाला सविकल्पक व्याप्तिग्राहक है, जो उक्त दो सम्बन्धोंपर निर्भर है। पर वेदान्तदर्शनमें भूयोदर्शनादि सहक्रत निर्विकल्पक अनुभव व्याप्तिको ग्रहण करता है।

(३) सांख्य व्याप्ति-ग्रहण:

सांस्यदर्शदमें व्याप्तिग्रह प्रत्यक्ष द्वारा माना गया है। पर भाष्यकार विज्ञान-भिक्षु नियम (अव्यभिचार—व्याप्ति)का ग्रहण अनुकूल तर्क द्वारा भी प्रतिपादन करते हैं। तात्पर्य यह है कि साध्य और साधन दोनोंके अथवा केवल साधनके नियत साहचर्यका नाम व्याप्ति है और इस व्याप्तिका ग्रहण व्यभिचारशंकानिवर्त्तक अनुकूल तर्क सहकृत दर्शनसे होता है। अतएव व्याप्तिदर्शनके अनन्तर जो वृत्तिरूप साध्यज्ञान होता है उसे अनुमान कहा गया है।

(४) मीमांसा व्याप्ति-ग्रह:

प्रभाकरानुयायी शालिकानाथने अवयभिचारको व्याप्ति कह कर उसका ग्रहण असकुद्दर्शनसे बतलाया है। उनका अभिमत है कि जिस प्रमाणसे साधन सम्बन्ध-विशिष्ट गृहीत होता है उसी प्रमाणसे उस साधनका व्याप्ति-सम्बन्ध भी गृहीत हो जाता है। उसके ग्रहणके लिए प्रमाणान्तरकी अपेक्षा नहीं होती। उदाहरणार्थ 'यह धूम अग्नि सम्बद्ध है' ऐसा प्रत्यक्ष (असकुद्दर्शन)से ज्ञान होने पर उसकी सम्बन्धता (धूमनिष्ठ व्याप्तिसम्बन्ध) का भी ज्ञान उसीसे हो जाता है। अतः असकुद्दर्शन व्याप्तिग्राहक है।

भट्ट कूमारिलने ४ भाष्यकार शबरके अनुमानलक्षणगत 'सम्बन्धको' व्याप्ति

प्रबन्धदृशः प्रतिबद्धशानमनुमान्म् । प्रतिबन्धो च्याप्तिः । व्याप्तिदर्शनाद् व्यापकशानं वृक्तिरूपमनुमानं प्रमाणमिति ।

⁻⁻सां० द० म० भा० १-१००।

२. नियतभर्म त्राहित्यमुभयोरेकतरस्य वा व्याप्तिः। "तथा चोभयोः साध्यसाधनयोरेकतरस्य साधनमात्रस्य वा नियतः अव्यभिचरितो यः सहचारः स व्याप्ति "नियमश्चानुकूल-तर्केणं आह्य इति "।

⁻⁻ विज्ञानिभक्षु, वही ४।२९।

अन्यभिचारो हि न्याप्तिः । "यद्वस्तु येन प्रमाणेन सम्बन्धेविशिष्टं गृद्यते—यया
प्रत्यक्षेण धूमोऽग्निसम्बन्धविशिष्टः तस्य तेनैव प्रमाणन सम्बन्धे न्याप्यतापि गम्यते ।
"अन्यभिचारस्त्वसकुद्र्शनगम्यः ।

⁻⁻⁻ प्रविका शश्य, पृष्ठ ९४-९६।

४. सम्बन्धो न्याप्तिरिष्टाऽत्र जिगधर्मस्य लिगिना ।
न्याप्यस्य गमकत्वं च न्यापकं गम्यमिष्यते ॥
भूयोदर्शनगम्या च न्याप्तिः सामान्यधर्मयोः ।
हायते मेदहानेन क्वचिच्चापि विशेषयोः ।
—मी० ष्टां० १।१।५, अनु० परि०, पृष्ठ ३४८ ।

बतलाते हुए उसे भूयोदर्ननगम्य प्रतिपादन किया है। वे कहते हैं कि चाहे सम-व्याप्ति हो या विषमव्याप्ति, दोनोंमें व्याप्य ही गमक होता है और व्यापक ही गम्य, क्योंकि व्याप्यके ज्ञानसे व्यापकका ज्ञान अवश्य होता है। परन्तु व्यापकके ज्ञानसे व्याप्यका नहीं । अतः व्याप्यमें व्याप्यता (व्याप्ति) और व्यापकमें व्यापिता (व्यापकता) है। जब-जब धर्म्यन्तर (महानस)में धूम देखा गया तब-तब वहां विद्धि भी देखी गयी। इसलिए धर्म्यन्तर (सपक्ष) में हुआ धूम और विद्धिका अनेक-बारका सहदर्शन (भूयोदर्शन) ही धूम और विद्विमें व्याप्ति-सम्बन्धका निश्चय कराता है। विशेष यह कि कुमारिली उस व्याप्ति-सम्बन्धको केवल पूर्वदृष्ट महानसादिगत ही मानते तथा उसे ही अनुमानांग कहते हैं, सकलदेशकालगत नहीं। पार्थसारिय कुमारिलके आशयको व्यक्त करते हुए कहते हैं कि बहुत दर्शनोंसे धूम और विह्निके साहित्य (साहचर्य) का ज्ञान होने और उनमें व्यभि-चारका ज्ञान न होने पर महानसादिमें अग्निके साथ धूमकी व्याप्ति अवगत हो जाती है। किन्तु उसके पश्चात् जो ऐसा ज्ञान होता है कि 'जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, वह परोक्षरूप होनेसे आनुमानिक है। इससे प्रतीत होता है कि कुमारिल और उनके अनुवर्ती मोमांसक तार्किक व्याप्तिको केवल सपक्षगत मानते हैं, उसे सर्वोपसंहारवती नहीं। इसी कारण वे उसे प्रत्यक्ष (भूयोदर्शन) गम्य बतलाते हैं।

(५) वैशेषिक व्याप्ति-ग्रह:

वैशेषिकदर्त्रनमें सर्वप्रथम प्रशस्तपादने अन्वय और व्यतिरेक द्वारा व्याप्तिग्रह प्रतिपादन किया है। वे कुमारिलकी तरह व्याप्तिको केवल सपक्षगत नहीं मानते;

तेन धर्म्यन्तरेष्वेषा यस्य येनैव यादृशो ।
 देशं यावति काले वा व्याप्यता प्राङ्गिरूपिता ॥
 तस्य तावांत तादृक्त दृष्टो धर्म्यन्तरे पुनः ।
 व्याप्यांशा व्यापकांशस्य तथैव प्रतिपादकः ॥

[—]मी० क्ला० वा० १।१।५, अनुमानपरि० क्लो० १०, ११।

२. बहुभिस्तु दर्शनैर्बहुषु देशेषु धूमस्याग्निना साहित्यं गम्यते, तिश्मिश्चावगते व्यभिचारे चानवगते यथादृष्टेषु धूमस्याग्निना व्याप्तिरवगता भवति । ''तावतैव बहुशोऽवगताग्नि-साहित्यस्य धूमस्य पिरदृष्टेषु देशकालेषु बह्निनियमोऽवगतो भवति, तावदेवानुमानांगं, तदनन्तरं तु यत्र यत्र धूमः तत्र तत्राग्निरिति योऽवगमः सोऽप्यानुमानिक एव परोक्ष-रूपत्वात् तस्य तु प्रत्यक्षत्वं संविद्धिरूद्धं ।

⁻⁻⁻वहो, न्या० रत्ना० १।१।५, अनु० प० १०, ११, प्रष्ठ ३५०।

३. विधिस्तु यत्र धूमस्तर्त्राग्नरग्न्यभावे धूमोऽपि न भवतीति । एवं प्रसिद्धसमयस्या-सिन्दिग्धधूमदश्नेनात् साहचर्यानुस्मरणात्तदनन्तरमग्न्यध्यवसायो भवतीति । एवं सर्वेत्र देशकालाविनाभृतं इतरस्य लिगम् ।

⁻ मश् भा पृ १०२, १०३।

अपितु समस्त देश और समस्त कालानुयायी बतलाते हैं। उदाहरणार्थ 'जहां घूम होता है वहां अग्नि होती है और जहां अग्नि नहीं होती वहां घूम भी नहीं होता।' इस अन्वय-व्यितरेक प्रदर्शक उदाहरणसे प्रशस्तपादका अभिप्राय व्याप्तिको सर्वोप-संहारवती बतलानेका स्पष्ट ज्ञात होता है। अन्वयका अर्थ दर्शन और व्यितरेकका अर्थ अदर्शन हैं। इन दर्शन-अदर्शनसे व्याप्ति-निश्चय किया जाता है। प्रशस्त-पादभाष्यके टोकाकार उदयनका मत है कि साधन और साध्य दोनों सम्बन्धो हैं और दोनों महानसादिमें प्रत्यक्षसे अवगत हैं, अतः उनकी व्याप्ति (अविनाभाव सम्बन्ध) बाह्येन्द्रयजन्य-सिवकल्पकप्रत्यक्षग्राह्य ही है। संज्ञा और स्मरण उसके प्रकारान्तर भी सम्भव हैं। टिप्पणकारने मूयोदर्शनसहकृत अन्वय-व्यतरेकको व्याप्तिग्रहोपाय भूचित किया है।

(६) न्याय व्याप्तिग्रहः

न्यायादर्शनमें त्याप्तिग्रहणपर कुछ अधिक विस्तृत विचार मिलता है। गौतमने ^४ अनुमानका कारण प्रत्यक्ष वतलाया है। वात्स्यायन े उनके प्रत्यक्षपदसे लिंगलिंगीके सम्बन्धदर्शन तथा लिंगदर्शनका ग्रहण करते हैं। साथ ही सम्बद्ध लिंग-लिंगीके दर्शनसे उन्हें लिंगस्मृति अभीष्ट है और इस तरह वात्स्यायन स्मृति और लिंगदर्शन पूर्वक अप्रत्यक्ष अर्थका अनुमान मानते हैं। 'सम्बन्धदर्शन' पदसे उन्हें 'व्याप्तिदर्शन' विवक्षित जान पड़ता है। यदि ऐसा हो तो कहा जा सकता हैं कि उन्होंने व्याप्तिका ज्ञान प्रत्यक्षसे स्वीकार किया है। उद्योतकरने वात्स्यायनका ही समर्थन किया है। उनका वैशिष्ट्य है कि उन्होंने लिंगलिंगीसम्बन्धदर्शनको प्रथम प्रत्यक्ष, लिंग-

- १. उदयन, किरणाव० पृ० ३०१।
- २. कि पुनर्न्याप्तिग्रहणं भमाणं '''तस्माद् न्याप्तिः प्रत्यक्षयोस्सम्बन्धिनोर्वाह्योन्द्रयजन्यस-विकल्पक्रमाह्येव संज्ञास्मरणस्य चात्र प्रकारान्तरेणापि सम्भवातः''।
 - --- उदयन, वहीं, पृष्ठ ३०१, ३०२।
- विधिस्तिति । अविनाभावग्रहणपकारस्तित्यर्थः । अनेन भूयोदर्शनसहकृतावन्वयःयित-रेकावेव तद्ग्रहापाय इति स्चितम् ।
 - ---- दुण्डिराज शास्त्री, प्रज्ञा० भा० टि० पृष्ठ १०२।
- ४. गौतम अक्षपाद, न्यायस्० १।१।५।
- ५. 'तत्पूर्वकम्' इत्यनेन छिगछिगिनोः सम्बन्धदर्शनं छिगदर्शनं चाभिसम्बध्यते । छिग-छिगिनोः सम्बद्धयोर्दर्शनेन छिगस्पृतिरभिसम्बन्ध्यते । स्मृत्या छिगदर्शनेन चाप्रत्यक्षो-ऽर्थाऽनुभीयते ।
 - ---वात्स्यायन, न्यायभा० शाराप, पृष्ठ २१।
- ६. उद्योतर, न्यायवा० १।१।५, पृष्ठ ४४।
- ७. छिगछिगिसम्बन्धदर्शनमाद्यप्रत्यक्षं छिगदर्शनं द्वितीयम् ।तदिदं अन्तिमं प्रत्यक्षं पूर्वाभ्यां प्रत्यक्षाभ्यां स्मृत्या चातुगृद्यमाणं परामर्शरूपमतुमानं भवति ।
 - --- उद्योतकर, न्यायवा० १।१।५, पृष्ठ ४४।

दर्शनको द्वितीय प्रत्यक्ष, लिंगदर्शनके अनन्तर होने वाली स्मृति और स्मृतिके बाद होने वाले 'यह धूम है' इस प्रकारके ज्ञानको तृतीय (अन्तिम) प्रत्यक्ष कह कर उन्हें अनुमितिकी सामग्री वज्ञलाया है और उक्त दोनों प्रत्यक्षों तथा स्मृतिसे अनुगृहीत तृतीय लिंगदर्शनको, जिसे परामर्श कहा है, अनुमान प्रतिपादन किया है। यद्यपि उद्योतकरने प्रसंगतः कितपय अन्य अनुमानपिरभाषाओंको समीक्षा भी प्रस्तुत को है। पर व्याप्तिग्रहणपर कोई विशेष प्रकाश नहीं डाला। वाचस्पित मिश्रने अवदय व्याप्तिग्रहोपायपर चिन्तन किया है। साथ ही तदुत्पत्ति और तादात्म्यसे व्याप्तिकी स्थापना करने वाले बौढोंकी मीमांसा भी की है । साध्य-साधनके स्वाभाविक सम्बन्धपर बल देते हुए उन्होंने प्रतिपादन किया है कि जहाँ कोई उपाधि उपलब्ध नहीं होती वहां स्वाभाविक सम्बन्ध होता है ।

प्रश्न है कि इस स्वाभाविक सम्बन्धका ग्रहण होता कैसे है ? वाचस्पितका कि मत है कि जहां सम्बन्ध (साधन-साध्य) प्रत्यक्ष हैं वहां उनके सम्बन्धका ग्रहण प्रत्यक्ष होता है और जहां सम्बन्ध (साधन-साध्य) प्रत्यक्षा हितक प्रमाणोंसे विदित है वहां उनके स्वाभाविक सम्बन्धका निर्णय भूयोदर्शन सहकृत अन्य प्रमाणोंसे सम्पन्न होता है। उन अन्य प्रमाणोंमें मुख्य तर्क है। वह तर्क इस प्रकार है—'जो हेतु स्वभावतः अपने साध्यके साथ प्रतिबद्ध हैं वे यदि साध्यके विना हो जाएं तो वे स्वभावसे ही च्युत हो जाएंगे' इस प्रकारके तर्ककी सहायतासे जिनके साध्याभावमें रहनेका सन्देह निरस्त हो जाता है वे हेतु अपने साध्यके उपस्थापक (गमक)

 ⁽क) अपरं तु तुवते नान्तरीयकार्यदर्शनं तद्भिरोऽनुमानार्मातः (ख) प्रतेन ताङ्गीवनामाविधमोपदर्शनं हेतुरिति प्रत्युवतं । (ग) अपरे तु मन्यन्ते—अनुमेयेऽय तत्त्वये सद्भावा नास्तिताऽसतीत्यनुमानम् । । ।।

⁻⁻ उद्योतकर न्यायवा० १।१।५, पृष्ठ ५४, ५५ ।

२. अपि च रसादन्यद्रूपं रससमानकालमनुमिमतेऽनुमातारः, न चायनयोरिस्त कार्य-कारणभावः तादास्य्यं वा । अपि चायतनस्य सिवतुरुद्द्यस्य ग्रास्तनेन सिवतुरुद्द्येन चन्द्रोदयस्य च समानकालस्य समुद्रवृद्ध्या, मध्यनक्षवदृष्ट्या चःष्टमास्तमयादयस्य न कार्यकारणभावस्तादास्य्यं वा, अथ च दृष्टां गम्थगमकभावः ।

[—]न्यायवा॰ ता॰ टी॰ १।१.५, १ष्ठ १६१, १६२। तथा उदयन, न्यायवा॰ ता॰ टी॰ परिद्यु॰ १।१।५, पु॰ ६६७-६६९।

३. वही, पृ० १६५।

४. केन पुनः प्रमाणेन स्वाभाविकः सम्बन्धा गृद्धत । प्रत्यक्षसम्बन्धिपु प्रत्यक्षेण । ""एवं माना-न्तरविदितसम्बन्धिपु मानान्तराण्येव यद्यास्वं भूयोदर्शनसहायानि स्वाभाविकसम्बन्ध-ग्रहणे प्रमाणान्युन्नेतन्यानि । स्वभावतत्त्वच प्रतिबद्धा हेतवः स्वसाध्येन यदि साध्यमन्त-रेण भवेयुः, स्वभावादेव प्रच्यवेरिन्नातं तर्कसहाया निरस्तसाध्यव्यत्तिरेकवृत्तिसन्देहा यत्र दृष्टास्तत्र स्वसाध्यमुपस्यापयन्त्येव ।

⁻⁻⁻वहो, १ष्ठ १६६, १६७।

अवश्य होते हैं। तात्पर्य यह कि प्रत्यक्षसम्बन्धिस्यलमें भूयोदर्शनजन्य संस्कारसे युक्त इन्द्रिय ही धुमादिका अग्न्यादिके साथ स्वाभाविक सम्बन्ध ग्रहण कर लेती है। पर प्रमाणान्तरगम्य सम्बन्धियोंके स्वाभाविक सम्बन्धका निश्चय भूयोदर्शनसहकृत तर्क द्वारा होता है। उल्लेक्य है कि वाचस्पति र भयोदर्शनकी सुक्ष्म विशेषताओंको व्यक्त करनेके लिए उत्तमजातिके मणिका उदाहरण देते हए कहते हैं कि जिस प्रकार उत्तम जातिका मणि अपनी विभिन्न विशेषताओं के कारण विविध व्यव-हारोंका प्रयोजक एवं धारियताके भिन्न-भिन्न फलविशेषोंका सम्पादक अनुमित होता है और उसकी उन सूक्ष्म विशेषताओं का निर्णय जौहरी कर लेते हैं उसीप्रकार भयोदर्शनोंकी सूक्ष्म विशेषताएं भी परीक्षक-अनुमाताओं द्वारा विदित हो जाती हैं। सर्वप्रथम भयोदर्शन काकतालीयन्यायका निरास करता है। इसके अनन्तर धूम-गत सातत्य-उर्द्धवगत्यादिका विशेष ज्ञान करता है और उसके पश्चात उपाधि-शंकाको दूर करता है। वारसंख्याका उसमें नियम नहीं है। यह प्रतिपत्ताओंपर निर्भर है कि उन्हें कितने भयोदर्शन अपेक्षित हैं। क्योंकि वे कोमल, मध्य और तीव बुद्धिके भेदसे अनेक प्रकारके होते हैं। अतः भूयोदर्शनकी संख्या कम-बढ़ भी हो सकती है। तात्पर्यपरिशुद्धिमें उदयनने व वाचस्पतिके इस आशयका वैशद्येन उद-घाटन किया है। स्मरण रहे वाचस्पतिको स्वाभाविक सम्बन्धसे व्याप्ति अभिप्रेत है. जिसे उदयनने स्पष्ट किया है।

वर्द्धमानोपाध्यायने भृयोदर्शनकी मीमांसा करते हुए अपने पिता (गंगेश उपाध्याय) के मतानुसार व्यभिचारज्ञान-विरहसहकृत सहचारदर्शनको व्याप्ति-ग्राहक प्रतिपादन किया तथा सत्तर्कसे व्याप्तिप्रमा और तर्काभाससे व्याप्ति-अप्रमा-का वर्णन किया है। ' उन्होंने दर्कपर विशेष बल देते हुए यहां तक कहा है कि जो

१-२. तस्माद्शिजातर्माणभेदतत्त्ववद् भूयोदर्शनजन्तिसंस्कारसिंहतमिन्द्रियमेव धूमादोनां वह्यादिभिः स्वाभाविकसम्बन्धग्राहोति युक्तमुत्पश्यामः ।

⁻⁻⁻⁻⁻ यायबा० ता० टी० १।१।५ पृष्ठ १६७।

३. यद्या मणियेँयेँ विशेषेस्तत्तद्बन्यवहारिवषयो भवति धारियतुश्च तत्तत्मरुमेदसम्पादकश्ची-न्नीयते ते ते स् क्ष्मा विशेषाः परीक्षकैरुन्नोयन्ते भूयोदर्शनैस्तयात्रापीति । तथा हि प्रथम-तस्तावद्भूयोदर्शनं काकतारुगेयन्यायन्युदासाय । ततः : : सृदुमध्यातिमात्रबुद्धिमेदेन पुंसां विचित्रशाक्तिस्वाद् ।

⁻⁻ उदयन, न्यायबा० ता० परि० १।१।५, पृष्ठ ७०१,७०२ ।

४. वही, वर्द्धमान उपाध्याय, न्यायनिबन्धम० टी० पुष्ठ ६६६-७०२।

प्र. तथा च सत्तर्कात् व्याप्तिममा, तदमानादममेति न काचित् क्षतिः ।
 —वही, १।१।५, पृष्ठ ७०१ ।

६. येषांच तर्क विनेष सहचारदर्शनादेव व्याप्तिग्रहः तेषां पक्षेतरत्वग्रुपाधिः स्यादि-त्युक्तम् ।

⁻⁻⁻वही, पृष्ठ ७०१।

तर्कके बिना मात्र सहचारदर्शनसे हो व्याप्तिग्रह मानते हैं उनके अनुमानोंमें 'पक्षे-तरत्व' उपाधि होती है। जहां व्यभिचारज्ञानिवरहसहकृत सहचार दर्शन नहीं है वहां शब्द और अनुमानसे व्याप्तिग्रह होनेका भी उन्होंने उल्लेख किया है।

वर्डमान उपाध्यायके जिस प्रतिपादनका ऊपर उल्लेख किया गया है वह गंगेशने तत्त्वचिन्तामणिमें विस्तारपूर्वक दिया है। उन्होंने मीमांसाकादिद्वारा अभिमत भूयोदर्शनादि व्याप्तिग्रहोपायोंकी समीक्षा करते हुए भूयोदर्शनको संशायक और तर्कको अनवस्थाग्रस्त निरूपित किया है और उत्तरपक्षके रूपमें व्यभिचार-ज्ञानविरहसहकृत सहचारदर्शनको व्याप्तिग्राहक बतलाया है। उनका मत है कि व्यभिचारनिश्चय और व्यभिचारशंका दोनोंका अभाव कहों तो विपक्षवाधक तर्कसे और कहीं स्वयं ही सिद्ध होता है। जब तक व्यभिचारको आशंका रहती है तब तक तर्क अपेक्षित होता है। अतः तर्कको किसी सीमा तक व्याप्तिग्रहक माननेपर अनवस्थाका प्रसंग नहीं आता। इसी प्रकार जहां विरोधी प्रमाणके प्रदर्शनसे शंका हो अवतरित नहीं होती, वहां तर्कके बिना हो व्याप्तिग्रह हो जाता है।

विश्वनाथ³, केशव⁴, अन्तम्भट्ट⁴, प्रभृति नैयायिकोंने प्रायः गंगेशका **ही अनु**-सरण किया है। संक्षेपमें न्यायदर्शनमें व्याप्तिग्रहके निम्न साधन वर्णित हैं—

- (१) भूयः सहचारदर्शन
- (२) व्यभिचारज्ञानविरह
- १. इयं च मत्यक्षव्याप्तिग्रहसामयो तदमावेऽपि शन्दानुमानाम्यां न्याप्तिग्रहादिति संक्षेपः ।
 —वही, पृष्ठ ७०२ ।
- २. अत्राच्यते । व्यभिचार्शवरहसहकृतं सहचारदर्शनं व्याप्तिमाहकम् । द्वानं निरुचयः शंका च । सा च क्वचिदुपायिसन्देहात् क्वचिद्धशषादशनसाहतसाधारणधमदर्शनात् । तांद्व-रहरच क्वचिद्धप्रवाधकतकात्, क्वचित् स्वतः सिद्ध एव । तकस्य व्याप्तिमहमूलक-रवेनानवस्थेति चेत् । न । यावदाशंकं तकांनुसरणात् । यत्र च व्याप्तिन शंकीव नावत-रित तत्र तर्कं विनैव व्याप्तिमहः ।
 - -त० चि०, जागदोशी, न्याप्तिग्रहोपाय, पृ० ३७८।
- व्यभिचारस्याम्रहोऽपि सहचारमहस्तथा । हेतुर्व्याप्तिमहे, तर्कः क्वचिच्छंकानिवर्त्तकः ॥
 - —सि० मु० का० १३७, पृष्ठ १२१, १२२।
- ४. ः इति तर्कसहकारिणाऽनुपलम्भसनायेन प्रत्यक्षेणेयोपाध्यमावोऽवधार्यते । तथा च उपा-ध्यभावग्रहणजनितसंस्कारसहकृतेन साहचर्यग्राहिणा प्रत्यक्षेणेव धूमाग्न्योव्योप्तिरवधार्यते । —तर्कमा० अनु० एष्ठ ७६ ।
- ५. स्वयमेव मूबोदर्शनेन यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्राग्निरिति महानसादौ न्याप्ति गृहीत्वा पर्वत-समीपं गतः…।
 - --त० सं० प्रष्ठ ५८।

- (३) तर्क (विपक्षबाधक अथवा व्यभिचारशंकानिवर्त्तक प्रमाणप्रदर्शन)
- (४) अनुपलम्भ (व्यतिरेक)
- (५) भूयोदर्शनजनित संस्कार
- (६) सामान्यलक्षणा
- (७) शब्द और अनुमान

इनमें प्रथमके दो साधन प्रत्यक्ष-सम्बन्धी स्थलोंमें और शेष अन्यत्र व्यस्त या समस्त रूपमें यथायोग्य अपेक्षित हैं।

व्यासिग्रहके उपर्युक्त विवेचनसे हम इस निष्कर्ष एवं तथ्य पर पहुँचते हैं कि निःसन्देह सार्वित्रक और सार्विदक व्यासिक ग्रहणकी एक समस्या रही है और सम्भवतः इसीसे चार्वाक, जयराशिभट्ट, श्रीहर्ष आदिने अनुमानका प्रामाण्य स्वीकार नहीं किया। पर यह समस्या ऐसी नहीं है, जिसका समाधान न हो। हम ऊपर देख चुके हैं कि सभी अनुमान-प्रमाणवादी दार्शनिकोंने उसे सुलझानेका प्रयास किया है। प्रशस्तपादने अन्वय और व्यतिरेक द्वारा तथा धर्मकीतिने तादात्म्य एवं तदुत्पत्ति द्वारा व्यासिग्रहण प्रतिपादन किया है। अन्य सभी दार्शनिकोंने भूयो-दर्शन या सहचारदर्शनस्य प्रत्यक्षको व्यासिग्रहक बतलाया हैं। सास्यदर्शनमें विज्ञानिभक्षु और न्यायदर्शनमें वाचस्पति ये दो ऐसे तार्किक हैं जिन्होंने तर्कको भी व्यासिग्रहणकी सामग्रीमें सहायकरूपमें निविष्ट किया है। उनके बाद उदयनने उसका विशेष समर्थन किया है। वर्द्धमानोपाध्याय तो तर्कपर अधिक बल देते हुए यहां तक कहते हैं कि जो तर्कक बिना हो मात्र सहचारदर्शनसे व्यासिग्रह मानते हैं उनके अनुमानोंमें 'पक्षेतरत्व' उपाधिका होना अनिवार्य है, जिसका निवारण तर्कके बिना सम्भव नहीं है। पिछले सभी तार्किकोंने व्यासिग्रहकी सामग्रीमें तर्कको विशेष स्थान दे कर उसे आवश्यक रूपमें मान लिया है।

(च) जैन विचारकोंका मत:

जैन विचारकोंने आरम्भसे ही तर्कको व्याप्तिका निश्चायक प्रतिपादन किया है। जैनागमोंमें अनुमानको अव्यवहित^र पूर्ववर्ती सामग्रीके रूपमें 'चिन्ता' शब्दसे

- १. प्रभाचन्द्र, प्रमेयक० भा० २।१, पृष्ठ १७७।
- २. प्रशा भाव पृव १०२।
- ३. प्रमाणवा० श३०।
- ४. सांख्यद० प्र० भा० ५।२९।
- ५. न्यायवा० ता० टी० १।१५, पृष्ठ १६६, १६७।
- ६. किरणा० पृष्ठ ३०१।
- ७. न्यायबा० ता० टी० परिशु० न्यायनिब० म० १।१५, पृष्ठ ७०१।
- द. **षद्ख० पापा४१, तथा** त० स्० १।१३ ।

उसका निर्देश मिलता है। चिन्तन, ऊह, ऊहापोह और तर्क उसीके पर्याय हैं। अकलंकने चिन्तन और तर्कको, विद्यानन्द , माणिक्यनन्द , प्रभाचन्द्र , देव-सूरि, और हेमचन्द्र ने तर्क, ऊह तथा ऊहापोहको चिन्ताका पर्याय प्रतिपादन किया है। भारतीय तार्किकों जैन तार्किक अकलंक हो ऐसे प्रथम तार्किक प्रतीत होते हैं जिन्होंने तर्कका व्याप्तिग्राहकरूपमें सर्वप्रथम समर्थन किया और उसका सबलताके साथ प्रामाण्य स्थापित किया है। यद्यपि गौतम अक्षपादने तर्कको सोलह पदार्थों परिगणित किया है, पर उन्होंने उसे मात्र तत्त्वज्ञानार्थ माना है और उनके व्याख्याकार वात्स्यायन तथा उद्योतकरने उसे जिज्ञासात्कक, प्रमाणसहायक, प्रमाणानुग्राहक या संशय और निर्णयका मध्यवर्तो बतलाया है, उसे व्याप्तिग्राहक नहीं कहा। किन्तु अकलंकके बाद वाचस्पित, उदयन, वद्धमान आदि प्राचीन तथा नव्य नैयायिकों और विज्ञानभिक्षु आदि दार्शनिकोंने उसे भी व्याप्तिग्राहक सामग्रीमें स्थान दिया तथा व्याप्तिग्राहक एमे दृढ़तासे मान लिया है। पर उसे प्रमाण स्वीकार नहीं किया।

अकलंकने तर्कके प्रामाण्य, स्वरूप, विषय और क्षेत्रविस्तारका भी निर्धारण किया है। उन्होंने उसे प्रमाण सिद्ध करते हुए युक्तिपूर्वक कहा कि उसे प्रमाण न मानने पर उससे उत्पन्न होने वाले लैंगिक (अनुमान) का प्रामाण्य भी असन्दिग्ध एवं निरापद नहीं रह सकेगा। दूसरे, प्रत्यक्ष और अनुमानकी तरह वह भी संवादी है, अतः उसे अवस्य प्रमाण मानना चाहिए। तर्कका विरूप बतलाते हुए उन्होंने र

१. 'चिन्तनं चिन्ता।'

⁻⁻तत्त्वा० वा० १।१३, पृष्ठ ५८ ।

^{&#}x27;चिन्तायाः तर्कस्य।'

[—]लघो० स्वाप० वृ० राशर्र०, ए० ५ ।

२. त० छो० १।१३, ए० १८८, १९४, १६६।

३. प० मु॰ १।११, १६।

४. म० क० मा० १।११, १६।

प्र. प्रo न० त० ३१७ ।

६. म० मी० शशाप, ११।

७. न्या० वि० का० ३२९, ३३० । छघीय का० १०, ११, ४९ । प्र० सं० का० १२ ।

८. न्यायस्० १।१।४०।

६. न्या० भा० १.१.१। पृष्ठ ९, १.१।४०, पृ० ५४, ५५, ५६ ।

१०. न्या० वा० १।१।४०, पृ० १४१-१४२ ।

११. न्या० विनि० का० ३३०, ३३१, तथा छवी० का० ४९ और प्र० सं० स्वो० वृ० का० १२।

१२. सम्भवप्रत्ययस्तर्कः प्रत्यक्षानुपरुम्भतः । अन्यथासम्भवासिद्धेरनवस्थानुमानतः ॥

⁻⁻⁻ प्रभाण सं० का० १२, अक्लंक्य० ५० १००।

प्रतिपादन किया कि प्रत्यक्ष और अनुपलम्भ पूर्वक जो 'उसके बिना वह सम्भव नहीं इस प्रकारका सम्भव प्रत्यय (ज्ञान) होता है वह तर्क है। यहां 'प्रत्यक्ष' से उन्हें उपलम्भ (अन्वयज्ञान) अर्थ अभिप्रेत है तथा उपलम्भसे प्रत्यक्ष और अनु-मानादि प्रमाण विवक्षित हैं. क्योंकि प्रत्यक्षगम्य साध्य-साधनोंकी तरह अनमेयादि साध्य-साधनोंमें भी व्याप्ति होती है। सूर्यमें गतिशक्ति गतिमत्वहेतूसे और गति-मत्व देशाहेशान्तरप्राधिहेत्से अनुमित होता है । अकलंकके प्रत्यक्ष और अनुपलम्भ शब्द यद्यपि प्रशस्तपादके अन्वयं और व्यतिरेकके स्मारक हैं। पर उनमें अन्तर है। अकलंकके प्रत्यक्ष और अनपलम्भ शब्द ज्ञान-परक हैं और प्रशस्तपादके अन्वय और व्यतिरेक ज्ञेयसुचक। यतः जैन दर्शनमें ज्ञानको ही ज्ञानका कारण माना गया है, ज्ञेयको नहीं । अतः अनुमानका उत्पादक तर्क और तर्कके उत्पादक प्रत्यक्ष और अनुपलम्भ ज्ञानात्मक हैं। तथ्य यह कि व्याप्ति अविनाभाव (अर्थात साध्य के अभावम साधनका न होना और साध्यके सद्भावमें हो साधनका होना) रूप है और उसे तर्क ही ग्रहण कर सकता है, क्योंकि वह सर्वोपसंहारवती (अर्थात् जितना धुम है वह अन्य कालों और अन्य देशोंमें अग्निका ही कार्य है, अनग्निका नहीं, इस प्रकार सर्वदेश और सर्वकाल वर्तिनी) होती है। उसका ज्ञान प्रत्यक्ष द्वारा सम्भव नहीं है रे, कारणिक प्रत्यक्ष सन्निहित और वर्तमानको ही जानता है, असि हित एवं अवर्तमान (अतीत-अनागत) को नहीं । अनुमान द्वारा भी व्याप्ति ग्रहण असम्भव हैं, क्योंकि व्याप्तिज्ञान हुए बिना अनुमानकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । अन्य अनुमानसे व्याप्तिग्रहण मानने पर अनवस्था आती है । आगमादि प्रमाणोंका विषय भिन्न होनेसे उनके द्वारा भी व्याप्तिनिश्चय अशक्य है। अतः व्याप्तिज्ञानके लिए परोक्षात्मक तर्कको पृथक प्रमाण स्वीकार करना अनिवार्य है^ह।

१. सत्यय्यन्वयिविद्याने स तर्कपरिनिष्ठितः । अविनाभावसम्बन्धः साकल्येनावधार्यते ॥
सहदृष्टेश्च धर्मेस्तन्न विना तस्य सम्भवः । इति तर्कमपेक्षेत नियमेनैव लैंगिकम् ॥
तस्माद् वस्तुबलादेव प्रमाणं…ः।

[—]न्यायविनि० का० ३२६ ३३१, अ० प्र० **पृ**ष्ठ ७४।

२. अविकल्पिथिया लिग न किंचित्सम्प्रतीयते । नानुमानादिसिङ्कत्वात् प्रमाणान्तरमां जसम् ॥ न हि प्रत्यक्षं 'यावान् कश्चिङ्मः कालान्तरे देशान्तरे च पावकस्यैव कार्यं नार्यान्तरस्य' इतीयतो व्यापारान् कर्तुं समर्थं सिन्निहितविषयबलोत्पत्तेरिवचारकत्वात् । नाप्यनुमाना-न्तरम्, सर्वत्राविशेषात् । न हि साकल्येन लिगस्य लिगना व्याप्तेरिसिङ्गो क्वचित् किंचिदनुमानं नाम ।

⁻⁻⁻लघोय० स्वो० वृ० का० ११, १२, अ० प्र० पृष्ठ ५।

व्याप्तिं साध्येन हेतोः स्फुटयित न विना चिन्तयैकत्र दृष्टिः, साकल्येनैष तर्कोऽनिधगत-विषयः तत्कृतायँकदेशे ।
 छघीय० का० ४६, अ० प्र०।

अकलक्क्रके इस विवेचनसे स्पष्ट है कि प्रत्यक्ष और अनुपलम्भपूर्वक सर्वदेश और सर्वकालके उपसंहाररूप अविनाभाव (व्याप्ति) का निश्चय करनेवाला ज्ञान तर्क है और वह प्रमाण है। इसमें प्रत्यक्ष⁹, स्मरण और सादृश्यप्रत्यभिज्ञान परम्परा सहायक हैं।

तर्कका क्षेत्र व्यापक और विशाल है। प्रत्यक्ष जहां सिन्नहितको, अनुमान नियत देश-काल में विद्यमान अनुमेयको, उपमान सादृश्यको और आगम शब्दसंके-तादिपर निर्भारतको जानते हैं वहां तर्क सिन्नहित-असिन्नहित, नियत-अनियत देश-कालमें विद्यमान साध्य-साधनगत अविनाभावको विषय करता है। तात्पर्य यह कि तर्क केवल प्रत्यक्षके विषयभूत साध्य-साधनोंके अविनाभावको हो नहीं, अपितु अनुमेय एवं आगमगम्य साध्य-साधनोंके भी अविनाभावको उपलम्भ और अनुप-स्मभके आधारमे अवगत करता हैं।

परवर्ती विद्यानन्द, माणिक्यनन्दि, प्रभाचन्द्र, देवसूरि, हेमचन्द्र, धर्मभूषण प्रभृति सभी जैन तार्किकोंने अकलंकदेवका अनसरण करते हुए तर्क द्वारा ही व्याप्तिग्रह-णका कथन किया है। विद्यानन्द कहते हैं कि प्रतिपत्ता साध्य और साधनोंके व्याप्ति-सम्बन्धका जिस प्रत्यय (ज्ञान) द्वारा निश्चय करके अनुमानके लिए प्रवृत्त होता है वह तर्क है तथा व्याप्तिसम्बन्धम संवादी होनेसे वह प्रमाण है। यदि वह संवादी न हो ता तदुत्पन्न अनुमान भी संवादी नहीं हो सकता। यतः अनुमान संवादी है अतः व्याप्ति-सम्बन्धग्राही तर्क भी अवश्य संवादी है। यदि उसके सम्वादमें सन्देह किया जाए तो अनुमाताको निःशंक अनुमिति नहीं हो सकती। अगर कहा

- समक्षविकल्पानुस्मरणपरामशंसम्बन्धाभिनिवोधस्तकः प्रमाणम् ।
 प्रमाणस० स्वो० वृ० का० १२, अ० ग्र० पृष्ठ १०० ।
- तेनातोन्द्रियसाध्यसाधनगरागमानुमाननिश्चयानिश्चयद्देतुकसम्बन्धवाधस्यापि संग्रहाना-व्याप्तिः । यथा 'अस्त्यस्य प्राणिनो धर्मावशेषो विशिष्टसुखादिसद्भावान्यथानुपपत्तेः', इत्यादी, 'आदित्यस्य गमनशक्तिसम्बन्धोऽस्ति गतिमत्वान्यथानुपपत्तेः' इत्यादौ च । न खलु धर्मावशेषः प्रवचनादन्यतः प्रातपत्तुं शक्यः, नाप्यतोऽनुमानादन्यतः कुतिश्चत्प्रमाणा-दादित्यस्य *** इति ।
 - -- मभाचन्द्र, ममेयक० भा० ३।११, पृ० ३४८।
- ३. येन हि प्रत्ययेन प्रतिपत्ता साध्यसाधनार्थानां व्याप्त्या सम्बन्धं निश्चित्यानुमानाय प्रवर्त्तते स तर्कः सम्बन्धे संवादात्प्रमाणिमिति मन्यामद्येः । न हि तर्कस्यानुमानिवन्धने सम्बन्धे संवादाभावेऽनुमानस्य संवादः सम्भवो । अतर्कसंवादसन्देहे निःशंकानुमितिः कव ते । अध्यक्षानुपत्तकोऽप्रमाणिमिति चिन्न वै । अत्यक्षानुपत्तम्भाभ्यां सम्बन्धो देशतो गतः । साध्यसाधनयोस्तकोत्सामस्त्येनेति चिन्तितम् ॥ अमाणमृहः अमाणं तर्कः साध्यसाधनसम्बन्धानिवृत्तिरूपे साक्षात्स्वार्थनिश्चायने फले साधकृतमस्तर्कः ।

-विद्यानन्द्, तत्त्वार्यञ्जो० १।१३।८४-११९।

जाए कि गृहीतग्राही होनेसे वह प्रमाण नहीं है तो यह कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि विशेष परिच्छित्ति करनेके कारण वह अपूर्वार्थग्राही है। स्पष्ट है कि प्रत्यक्ष और अनुपलम्भ द्वारा साध्य और साधनका सम्बन्ध एकदेशसे ही जाना जाता है और तर्कसे वह सामस्त्येन अवगत किया जाता है। दूसरी बात यह है कि समारोप-व्यवच्छेदक होनेसे भी तर्क प्रमाण है। अतः साध्य और साधनके सम्बन्ध (अविनाभाव) विषयक अज्ञानको दूर करने रूप फलमें साधकतम होनेसे तर्क प्रमाण है।

माणिक्यनिदने अकलंक और विद्यानन्दका समर्थन करते हुए प्रतिपादित किया है कि ब्याप्तिका निश्चय तर्कस होता है जो उपलम्भ तथा अनुपलम्भपूर्वक होता है। उसका उन्होंने उदाहरण दिया है—जैसे अनलके होनेपर ही धूमका होना और अनलाभावमें धूमका न होना। इनकी विशेषता है कि इन्होने उस व्याप्तिसम्बन्ध — अविनाभावको सहभाव और क्रमभाव नियमरूप वतलाया है। सहचारियों (रूपसादिकों) और व्याप्य-व्यापकों (शिश्चपात्व-वृक्षत्वादिकों) में सहभावनियम होता है तथा पूर्वचर-उत्तरचरों और कार्यकारणोंमें क्रमभावनियम। प्रतीत होता है कि माणिक्यनिदने धर्मकीति द्वारा व्याप्तिस्थापकरूपमें प्रतिपादित तादात्म्य और तदुत्पत्ति सम्बन्धोंके स्थानमें सहभाव और क्रमभावनियमको स्थापना करके उनके उक्त सम्बन्धोंको अव्याप्त बतलाया है। प्रकट है कि रूपरसादि सहचरों और शक-दोदय-कृत्तिकोदयादि पूर्वोत्तरचरोंमें न तादात्म्य सम्भव है और न तदुत्पत्ति। पर उनमें अविनाभाव होनेस गम्यगमकभाव माना गया है। प्रभाचन्द्रने भी अपनी व्याख्या द्वारा उनके प्रतिपादनको सम्पृष्टि की है।

देवसूरिने व्याप्तिसम्बन्धको त्रिकालवर्ती बतलाते हुए कहा है कि उसका ग्रहण सिन्निहितग्राहो प्रत्यक्षसे और नियतदेशग्राहक अनुमानसे सम्भव नहीं है। उसका ज्ञान एकमात्र तर्क (ऊह ।से ही हो सकता है। उनका उदाहरण माणिक्यनिन्दिके ही समान है।

१. प० मु० ३।१९, ११, १२, १३, १६, १७, १८।

२. सहक्रमभाविनयमोऽिवनाभावः । सहचारिणोन्यांव्यव्यापकयोश्च सहभावः । पूर्वोत्तर-चारिणोः कार्यकारणयोश्च कमभावः ।

⁻प० मु० ३।१६, १७, १८।

३. प्रमेयक० मा० ३।१९, ११, १२, १३।

४. उपलम्मानुपलम्भसम्भवं त्रिकालोकलितसाध्यसाधनसम्बन्धावालम्बनीमदमस्मिन्सत्येव भवतीत्याकारं सवेदनमूहापरनामा तर्क इति । यथा यात्रान्कश्चिद्धमः स सर्वे वही सत्येव भवतीति ।

⁻⁻⁻ प्रव नव तव ३।७, ८ तथा इसकी टीका स्यादाव रव पृष्ट ४०४-५१५।

अनन्तवीर्यने प्रत्यक्ष और अनुमानकी तरह आगम, उपमान, अर्थापत्ति, अभाव अनपलम्भ, कारणानुपलम्भ, व्यापकानुपलम्भ और प्रत्यक्षफल ऊहापोहविकल्पसे व्याप्तिग्रहकी सम्भावनाओंको भी निरस्त करके तर्कको ही व्याप्तिग्राहक सिद्ध किया है। उनका मन्तव्य है कि आगम संकेतद्वारा वस्तुको, उपमान सादृश्यको, अर्थापत्ति अन्यथान्वपद्यमान अर्थको और अभाव अभावको विषय करता है । इनमें सार्वत्रिक और सार्वदिक व्याप्तिको कोई प्रहण नहीं करता । सबका विषय सर्वथा भिन्न-भिन्न है । अनपलम्भ उपलम्भको तरह प्रत्यक्षका विषय अथवा स्वयं प्रत्यक्ष है और कारणानुपलम्भ तथा व्यापकानुपलम्भ दोनों लिगरूप होनेसे तज्जनित ज्ञान अनुमान हैं और प्रत्यक्ष एवं अनुमान व्याप्तिग्रहमें असमर्थ हैं। ऊहापोहविकल्पको. जिसे वैशेषिक प्रत्यक्षका फल मानते हैं, प्रत्यक्ष या अनुमानके अन्तर्गत माननेपर उनके द्वारा व्याप्तिग्रह असम्भव है । अतः उसे प्रत्यक्ष और अनुमानसे पृथक प्रमाण मानना ही उचित है। प्रत्यक्षका फल होनेसे उसे अप्रमाण नहीं कहा जा सकता. क्योंकि वैशेषिकोंने स्वयं विशेषणज्ञानको सन्निकर्षका फल होनेपर भी विशेष्यज्ञान-रूप फलको उत्पन्न करनेके कारण प्रमाण स्वीकार किया है। उसी तरह ऊहापोह-विकल्प, जो तर्कसे भिन्न नहीं है, अनुमानज्ञानका कारण होनेसे प्रमाण माना जाना चाहिए।

हेमचन्द्रका र ऊहलक्षण और उसका व्याप्तिनिश्चायकत्व प्रतिपादन माणिक्य-निन्दकं प्रतिपादनसं शब्दशः मिलता है। हाँ, उन्होंने माणिक्यनिन्द और देवसूरिकी तरह उदाहरणका प्रदर्शन नहीं किया, किन्तु बौद्ध तार्किक धर्मकीति अभिहित एवं अर्चट हारा समिथित व्याप्ति-लक्षण अवश्य संगृहींत किया है। वे लिखते हैं कि व्याप्ति, व्याप्य और व्यापक दोनोंका धर्म है। जब व्यापक (गम्य)का धर्म व्याप्ति विविधित हो तब व्यापकका व्याप्यके होनेपर होना ही व्याप्ति है और जब व्याप्य (गमक) का धर्म व्याप्ति अभिप्रेत हो तब व्याप्यका व्यापकके होनेपर ही होना व्याप्ति हं। इस प्रकार हेमचन्द्रने व्याप्तिके दो रूप प्रदिश्ति किये हैं। प्रथम रूपमें अयोगव्यवच्छेदरूपसे व्याप्तिकी प्रतीति होती है और दूसरेमें अन्ययोगव्य-वच्छेदरूपसे। व्याप्तिके इन रूपोंको अन्य जैन तार्किकोंने प्रस्तुत नहीं किया।

१. प्र० रत्न० २-२, पृष्ठ ५७-६२।

२. हेमचन्द्र, प्रमाणमी० शराध, ६, १०।

३, ४. हेतुबिन्दुटी० पृ० १७, १८।

५. व्याप्तिच्योपकस्य व्याप्यं सति भाव एव व्याप्यस्य वा तत्रैव भावः । "पूर्वत्रायोगव्यव-च्छेदेनावधारणम्, उत्तरत्रान्ययोगव्यवच्छेदेनेति"।

⁻⁻ हेमचन्द्र, प्र० मी० १।२।६ तथा इसीकी व्याख्या।

पं॰ सुखलाल जी संघवोका मत है कि घर्मकी ति और अर्चटसे प्रभावित होकर ही हेमचन्द्रने यह निरूपण अपनाया है।

धर्मभूषणने भी व्याप्तिका प्रकाशक तर्कको ही माना है। उनका कहना है कि व्याप्ति सर्वोपसंहारवती होती है। अर्थात् 'जहां जहां घूम होता है वहां वहां अग्नि होती है' इस उदाहरणमें घूमके होने पर अनेकबार अग्निको उपलब्धि और अग्निके अभावमें धूमकी अनुपलब्धि पायो जानेपर 'सब जगह और सब कालमें धूमों अग्निका व्यभिचारी नहीं है—अग्निके होनेपर ही होता है और अग्निके अभाव में नहीं होता' इस प्रकारके सर्वदेश और सर्वकाल व्यापो व्यापारका नाम व्याप्ति है। उसका ग्रहण प्रत्यक्षादिसे सम्भव नहीं है। इन्द्रियप्रत्यक्ष नियत और वर्तमान ग्राही है। वह इतने लम्बे व्यापारको नहीं कर सकता। मानसप्रत्यक्ष यद्यपि उसे ग्रहण कर सकता है किन्तु वह ज्ञान विश्वदज्ञान है और उपर्युक्त सर्वोपसंहारी व्याप्तिज्ञान अविश्वद है। अतः उसे मानस प्रत्यक्ष भी नहीं कहा जा सकता। अनुमान द्वारा भी व्याप्ति ग्रहण नहीं हो सकता, वयोंकि अनुमानकी उत्पत्ति स्वयं व्याप्तिज्ञानके अधीन है। अतः स्मरण, प्रत्यभिज्ञान और अनेकों बारका हुआ प्रत्यक्ष ये तीनों मिलकर एक ऐसे ज्ञानको उत्पन्न करते हैं जो व्याप्तिके ग्रहण करनेमें समर्थ है और वह तर्क है।

योगिप्रत्यक्ष द्वारा वयाप्तिग्रहणकी बात इसलिए निरर्थक है, क्योंकि योगी तो प्रत्यक्षसं ही समस्त साध्य-साधनोंको जान लेता है, अतः उसे न व्याप्तिग्रहणकी आवश्यकता है और न अनुमानकी ही। व्याप्तिग्रहण और अनुमानकी आवश्यकता अल्पज्ञोंके लिए है। अतएव अल्पज्ञोंको व्याप्तिका अविशद किन्तु अविसंवादो ज्ञान करानेवाला तर्कप्रमाण ही है।

सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्तिसे ४ अग्नित्वेन समस्त अग्नियों और धूमत्वेन सकल धूमोंका ज्ञान हो सकता है, पर उनके व्याप्तिसम्बन्धका ज्ञान उससे सम्भव नहीं

- १. पं मुखलाल संबवी, म० मी० भाषाटि० पृष्ठ ७९।
- २. व्याप्तिशानं तर्कः । ...स च तर्कस्तां व्याप्तिं सक्तळदेशकाळोषसंहारेण विषयीकरोति...
 यत्र यत्र धूमक्तवं तत्र तत्राग्निमस्विर्मात...सर्वोपसंहारवती हि व्याप्तिः। ••• प्रत्यक्षस्य
 सित्रहितदेश एव धूमाग्निसम्बन्धप्रकाशनान्न व्याप्तिप्रकाशकत्वम् । ...अनुमानादिकं तु
 व्याप्तिग्रहणं प्रत्यसंभाव्यमेव ।
 - --- न्या० दी० पृ० ६२-६४।
- ३. (का) त० क्लो० शारे शारे ५६, प्रष्ठ १७९।
 - (ख) ममेयक० मा० ३।१३, ए० ३५१।
 - (ग) जैनदर्शन, पृष्ठ ३०७।
- ४. सि॰ मु॰ प्रत्यक्षखण्ड पृष्ठ ४९, तथा उक्त जैन दर्शन पृष्ठ ३०७, द्वि॰ संस्करण् ।

है। अतः साध्य-साधनव्यक्तियोंका ज्ञान सामान्यलक्षणा द्वारा हो जानेपर भी 'धूम विद्वित्याप्य है, देशान्तर-कालान्तरमें विद्विके बिना नहीं होता' इस प्रकारका ज्ञान चिन्ता अथवा तर्क या ऊह द्वारा ही सम्भव है और वह संवादी होनेसे प्रमाण है। प्रमाणके विषयका परिशोधक या प्रमाणानुग्राहक माननेपर भी उसे प्रमाण अवस्य मानना चाहिए, क्योंकि अप्रमाणसे न तो प्रमाणविषयका परिशोधन ही हो सकता है और न प्रमाणोंका अनुग्रह। अन्यथा संशयादिसे भी वह हो जाना चाहिए। निष्कर्ष

अनुमानप्रमाणके लिए आवश्यक साघ्य-साघनोंके अविनाभाव (व्याप्ति)का निश्चय जैन तार्किक जिस तर्क द्वारा स्वीकार करते हैं वह भारतीय वाङ्मयमें अपरिचित नहीं है। त्रमृग्वेदमें उह घातुसे उसका उल्लेख है। पाणिन व्याकर-णसूत्रमें भी ऊह घातुसे उसका निर्देश है। स्वयं तर्क शब्द कठोपनिषद् अपर रामायणके अतिरिक्त जैनागमों, पिटकों अपर दर्शनसूत्रों में उपलब्ध है। जैनागमों में उसके लिए 'चिन्ता और ऊहा 'शब्द भी आये हैं, उनका सामान्य अर्थ एक ही है और वह है विचारात्मक ज्ञानव्यापार। उसी अथवा कुछ भिन्न भावका द्योतक ऊह शब्द जीमनीयसूत्र और उसके शाबरभाष्य आदिमें भी पाया जाता है।

```
१. प्रमेयक० मा० ३।१३, ए० ३५२, ३५३।
२. ऋग्वेद २०।१३१।१०।
३. 'उपसर्गाद्धस्य ऊहतेः।'
   --पा० सू० ७।४।२३।
४. 'नैषा तर्कोण मितरपनेया ।'
   --कठो० सह।
५. रामायण ३।२५।१२।
६. 'तक्काजत्थन विज्जह।
   ---आचा० सू० १७०।
७. 'विहिंसा वितक्की।'
   ---मिज्झि । सन्वासवस् । २।६।
८. 'तर्काप्रतिष्ठानात् ।'
   --- ब्रह्मस्० २।१।११ ।
९. 'सण्णा सदी मदी चिंता चेदि।'
   - षट्टख० ५।५।४१ ।
   ईहा ऊहा अपोहा मग्गणा गर्नेसणा मीमांसा ।
    ---वही पापा३८।
१०. त्रिविधश्च छहः।
```

--शाबरभा० हाशार ।

न्यायसुत्रमें तर्कको एक स्वतन्त्र पदार्थके रूपमें माना गया है और उसके लक्षणके साथ ऊह शब्द भी प्रयक्त है। परन्तू उसे न्यायसूत्रकारने न प्रमाण माना है और न व्याप्तिग्राहक । वाचस्पतिने व अवश्य उसे व्याप्तिज्ञानमें बाधक होनेवाली व्यभि-चारशंकाको हटाकर व्याप्तिनिर्णयमें सहायता करनेवाला स्वीकार किया है, पर उसे प्रमाण उन्होंने भी नहीं माना। बौद्धतार्किक अभी तर्कात्मक विकल्पज्ञानको व्याप्ति-ज्ञानोपयोगी मानते हए भी उसे प्रमाण नहीं मानते । इस तरह तर्कको प्रमाणरूप माननेकी मीमांसकपरम्परा और अप्रमाणरूप स्वीकार करनेकी नैयायिक तथा बौद्ध परम्परा है।

जैन परम्परामें प्रमाणरूपसे माने जानेवाले मितज्ञानके एक भेदका नाम ऊहा है. जो वस्तृतः गुण-दोषविचारणात्मक ज्ञान-व्यापार ही है। उसके लिए चिन्ता, ईहा. अपोहा, मोमांसा, गवेषणा, मार्गणा और तर्क ये शब्द प्रयुक्त हुए हैं। अक-लंकने तक्को सर्वप्रथम व्याप्तिग्राहक प्रतिपादनकर उसका प्रामाण्य एवं स्पष्टतया स्थापित किया है। उनके पश्चात वाचस्पति आदि नैयायिकों और विज्ञानिभक्ष आदि दार्शनिकोंने उसे व्याप्ति-प्राहक सामग्रीमें स्थान देकर भी उसका प्रामाण्य स्वीकार नहीं किया। अकलंकका अनुसरण जैन परम्पराके परवर्ती सभी तार्किकोंने किया है। यों तो तत्त्वार्थसूत्रकार उसका परोक्ष प्रमाणके अन्तर्गत 'चिन्ता' पदके द्वारा प्रतिपादन कर चके थे। पर तार्किकरूपमें उसकी परोक्ष प्रमाणोंमें परिगणना सर्व-प्रथम अकलंकने की है। इस प्रकार जहाँ अन्य तार्किक व्याप्तिका ग्रहण मानसप्र-त्यक्ष, भयोदर्शन, व्यभिचाराग्रहसहित सहचारदर्शन, अन्वय-व्यतिरेक, सामान्यल-क्षणा और तादात्म्य-तद्त्पत्ति सम्बन्धोंसे मानते हैं वहाँ जैन तार्किक एकमात्र तर्कसे स्वीकार करते तथा संवादी होनेसे उसे प्रमाण वर्णित करते हैं।

१. न्या० सू० १।१।४० ।

२. न्यायबार तार टोर १।१।५, पृष्ठ १६६, १६७।

३. हेतुबि० टी० पृ० २४।

४. षट्ख० प्रापा३= ।

५. व्याप्ति साध्येन हेतोः स्फुटयति न विना चिन्तयैकत्र दृष्टिः, साकल्येनैष तर्कोऽनिधगतविषयः तत्कतार्थकदेशे ।

⁻⁻⁻ लघीय० का० ४९, अ० म०। तथा न्या० विनि० का० ३२६, ३०।

६. त० सू० शश्ह ।

७. (का) 'परोक्षं शेषविज्ञानं।

⁻⁻ लघीय० का० ३।

⁽ख) 'परोक्षं प्रत्यभिज्ञादि।'

प० सं० २, तथा छवीय० का० १०, २१, ६१।

ड ाप्ति-विमर्शः १५५

(छ) व्याप्ति-भेद :

समव्याप्ति-विषमव्याप्ति :

तर्कग्रन्थोंमें व्याप्तिके अनेक प्रकारसे भेद उपलब्ध होते हैं। कुमारिलके मीमां-साइलोकवार्तिकमें सम और विषमके भेदसे व्याप्तिके दो भेद मिलते हैं। जब व्याप्य व्यापकके देश और कालकी अपेक्षा सम देश-कालवृत्ति होता है तब उसे समत्याप्त और उसमें रहनेवालो व्याप्तिको समव्याप्ति कहा गया है अोर जब वह व्यापकके देश-कालसे न्यून देश-कालवृत्ति होता है तब उसे विषमव्याप्त तथा उसमें विद्यमान व्याप्तिको विषमव्याप्ति प्रतिपादित किया गया है । पर ध्यान रहे, व्यापक व्याप्यके सम और अधिक देश-कालवृत्ति होता है, व्याप्य नहीं; अतः व्याप्य तो व्यापकका गमक हो सकता है, पर व्यापक व्याप्यका नहीं। अतएव व्याप्यको ही गमक और व्यापकको ही गम्य माना गया है। व्याप्तिके इस द्विविध प्रकारका उल्लेख कुमा-रिलके पररतीं जयन्तभट्ट , उदयन अोर गंगेशने भी किया है।

अन्वयव्याप्ति-व्यतिरेकव्याप्ति :

अन्वयन्याप्ति और न्यतिरेकन्याप्तिके भेदसे भी न्याप्तिके दो भेद पाये जाते हैं। इन भेदोंका सर्वप्रथम संकेत प्रशस्तपादने किया है, जिसका स्पष्टीकरण एवं समर्थन उदयने किया है। जयन्तभट्ट गंगेश, भें, केशविमश्राभें, विश्वनाथ पंचा-

- १, २, ३. यो यस्य देशकालाभ्यां समा न्यूनोऽपि वा भवेत्। स न्याप्या न्यापकस्तस्य समो वाऽभ्यधिकोऽपि वा ॥ न्याप्यस्य गमकत्वं च न्यापकं गम्यांमध्यते । तेन न्याप्ये गृहीतेऽयों न्यापकस्तस्य गृह्यते । न ह्यान्यया भवत्येषा न्याप्यन्यापकता तयो: ॥ —मी० स्टा० अनुमा० परि० स्टो० ५, ४, ६ पृष्ठ ३४८ ।
- ४. न्यायमं पृ० १४०।
- प्र. न्यायत्रा० ता० परि० शक्षाप, पृष्ठ ७०५ ।
- ६. त० चि० उपाधिवाद पृ० ३१६, ३१७, ३१६, ३४५।
- ७. प्रश् भाष्य पृष्ठ १०२।
- ८. तदनेनान्त्रयव्यितिरेको एव भूयोदर्शनसहचारिणी तद्ग्रहापाय शति दांशतम् । अन्वय-व्यितिरेकाभ्या प्रथमदर्शने एव व्याप्तिर्श्वकते ।
 - —किरणा० पृ० २६५ ।
- व्याख्यातः प्रतिबन्धश्च व्यतिरेकान्त्रयात्मकः ।
 - -न्यायमं० पृ० १३६ ।
- १०. अन्त्रयव्याप्त्यभिधायकात्रयत्र ...व्यतिरेकव्याप्त्यभिधायकपद्र...।
 - —त० चि० पृष्ठ ७३५, ५=९-५६३।
- ११. तर्कभा० ए० ८०,८१।

नन और अन्नम्भट प्रभृति नैयायिकों द्वारा यही व्याप्ति-हैविष्य अधिक आदृत हुआ है। बौद्ध दार्शनिक धर्मकीर्त्ति, अर्चट आदिने भी इसी व्याप्तिहैविष्यका उल्लेख किया है । साध्य-साधनके भावात्मक रूपको अन्वयव्याप्ति और उनके अभावात्मक रूपको व्यतिरेकव्याप्ति कहा गया है। इन्हींको साधर्म्यव्याप्ति और वैधर्म्यव्याप्ति नामोंसे भो व्यवहृत किया गया है।

जैन तार्किकोंने इन्हें क्रमश: तथोपपत्ति और अन्ययानुपपत्ति संज्ञाओंसे प्रति-पादित किया है। साध्यके होने पर ही साधनका होना तथोपपत्ति है और साध्यके न होनेपर साधनका न होना अन्ययानुपपत्ति है। यथा—विद्धिके होनेपर ही धूमका होना और विद्धिके न होनेपर धूमका न होना। यथार्थमें उनके मतसे ये व्याप्तिके दो भेद नहीं हैं—व्याप्ति तो एक ही प्रकारको है। किन्तु उसका प्रदर्शन या प्रयोग दो तरहसे होता है—तथोपपत्तिरूपसे अथवा अन्ययानुपपत्तिरूपसे। यही कारण है कि इन दो प्रयागोंमेंसे अन्यतर प्रयोगको ही पर्याप्त माना गया है । माणिक्यनिद्धिक व्याप्तिके आधार सहभावी और क्रमभावी पदार्थ होनेसे व्याप्तिके सहभावित्यम और क्रमभावित्यमरूपसे द्वैविध्यका वर्णन किया है। इसका समर्थन अभिनवचारु-कीर्तिने भी किया है।

- १. द्वैविध्यं भवेद्व्याप्तरन्त्रयव्यतिरेकतः । अन्त्रयव्याप्तिरुक्तैत्र व्यतिरेकादशोच्यते ॥
 - —सि० मु० का० १४२, ए० १२५।
- २. यत्र धूमस्तत्राग्निर्थया महानसिन्त्यन्वयन्याप्तिः । यत्र विद्वर्नास्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति यथा हृद इति न्यतिरेकन्याप्तिः ।
 - ---तर्कसं० पृष्ठ ६२।
- ३. "अन्वयो व्यांतरेको वा उक्तः" वेदितव्य इति सम्बन्धः। अन्वयव्यांतरेकरूपत्वाद् व्याप्तेरिति भावः।
 - —हेर्तुबन्दु तथा उसकी टीका पृ०१६।
- ४. सत्येव साध्ये हितोरुपपत्तिस्तथोपपत्तिरिति । असित साध्ये हितोरनुपपत्तिरेवान्यथानु-पपत्तिरिति ।
 - —देवस्र, प्रमाणनयतत्त्वा० ३।३०, ३१।
- ५. व्युत्पन्नपयोगस्तु तथोपपत्त्याऽन्यथानुपपत्त्यैव वा ।
 - --माणिक्यनन्दि, परोक्षामु० ३।९४। हेमचन्द्र, प्रमाणमी० २।१।५६।
- ६. सहक्रममावनियमोऽविनाभावः।
 - —परीक्षामु० ३।१६।
- ७, प्रमेयरत्नालंकार ३।१६, ए० १०६।

व्याप्तिके उपर्युक्त भेदोंके अतिरिक्त जैन तर्कप्रन्थों में उसके तीन भेदोंका भी प्रतिपादन है। वे हैं—(१) बहिव्याप्ति, (२) सकलव्याप्ति और (३) अन्त-व्याप्ति। सपक्षमें साघ्यके साथ साधनकी व्याप्ति होना बहिव्याप्ति है और पक्ष तथा सपक्ष दोन में साध्यके साथ साधनकी व्याप्ति होना सकलव्याप्ति है। पक्ष-सपक्ष न हों अथवा उनमें हेतु न रहे—केवल साध्यके साथ साधनका अविनाभाव होना अन्तव्याप्ति है । इन त्रिविध व्याप्तियों में आद्य दोनों व्याप्तियों के न होनेपर भी मात्र अन्तव्याप्तिके बलसे जैन तार्किकोंने साधनको साध्यका गमक माना है । यदि अन्तव्याप्ति न हो तो अन्य दोनों व्याप्तियों निरर्थक हैं। 'स स्यामः तत्पुत्रत्वात्, इतरतत्पुत्रवत्' इस अनुमानमें बहिव्याप्ति और सकलव्याप्ति दोनों है, पर अन्तव्याप्ति न होनेसे 'तत्पुत्रत्व' हेतु 'स्यामत्व' साध्यका साधक नहीं है। इसी प्रकार 'उदेष्यित शकटं कृत्तिकोदयात्' इस अनुमानमें न बहिव्याप्ति है और न सकलव्याप्ति। किन्तु साधनको साध्यके साध्य अन्तव्याप्ति होनेसे 'कृत्तिकोदय' हेतु शकटोदयका गमक

- १. 'सा च त्रिया—बहिन्योप्तिः', साकल्यन्याप्तिः अन्तर्न्याप्तिश्चेति । … —प्रभाचन्द्र, प्रमेयक० मा० ३।१५, पृ० ३६४ । अकलंक, सिद्धिति० ५।१५, १६, प्रमाणसं० ३२, ३३, पृ० १०६ । देवसूरि, प्र० न० त० ३।३८, ३९ । यशोविजय, जैन तर्कभा० पृ० १२ ।
- २. (क) पक्षीकृत एव विषये साधनस्य साध्येन व्याप्तिरन्तव्याप्तिः, अन्यत्र तु बहिन्याप्ति-रिति । "विहः पक्षीकृताद्विषयादन्यत्र तु दृष्टान्त्यर्मिण तस्य तेन व्याप्तिर्वहि-व्याप्तिरभिषीयते ।
 - -देवस्रि, प्रमाणनयत० ३।३६।
 - (ख) पक्षे सपक्षे च सर्वत्र साध्यसाधनयोः व्याप्तिः सक्तरुव्याप्तिः ।
 ——सि० वि० टी० टिप्प० ४।१६, पृष्ठ ३४७ ।
 - (ग) पक्ष एव साधनस्य साध्येन न्याप्तिः अन्तर्न्याप्तिः ।
 —वही, पृ० ३४६ ।
- (क) अन्तर्व्याप्येव साध्यस्य सिद्धो बहिरुदाहृति:।
 व्यर्था स्यात्तदसद्भावेऽप्येवं न्यायिवदो विदुः॥
 —सिद्धसेन, न्यायाव०का० २०।
 - (ख) विनाशो भाव इति वा हेतुनैव प्रसिद्ध्यति । अन्तर्व्याप्तावसिद्धायां बहिन्याप्तिरसाधनम् । साकल्येन कथं व्याप्तिरन्तव्याप्त्या विना मवेत् । —अकलंक,सि० वि० ५।१५, १६, ए० ३४५-३४७। प्रमाणसं० ३२-३३ ।
 - (ग) अन्तर्व्याप्त्या हेतोः साध्यप्रत्यायने राक्तावराक्तो च बहिन्यांसरुद्धावनं व्यथम् इति —देवसूरि, प्र० न० त० ३।३८, पृ० ५६२ ।

है। अतएव सिद्धसेन⁹, अकलंक³, विद्यानन्द³, वादीर्भीसह⁸, देवसूरि⁹ आदि जैन विचारकोंने यथार्थमें अन्तर्व्याप्तिको ही व्याप्ति और उसे ही साघ्यसाधक माना है तथा अन्य दोनोंको उसके बिना न व्याप्ति कहा है और न उन्हें साघ्यका गमक ही बतलाया है। यशोविजयने^इ बहिव्याप्तिसे सहचारमात्रताका लाभ और अन्तर्व्याप्ति-को हेतुका अव्यभिचारि लक्षण बतलाते हुए भी व्याप्तिभेदको नहीं माना।

- १. न्यायाव० का० २०।
- २. सिद्धिवि० पारप, १६ तथा प्रमाणसं० का० ३२, ३३, ५० १०६।
- ३. त० वलो० १।१३।१४४-१४९, १७५, १८७।
- कं च पक्षादिधर्मत्वेऽप्यन्तर्न्याप्तेरमावतः ॥
 तत्पुत्रत्वादिहेत्नां गमकत्वं न दृश्यते ।
 पक्षधर्मत्वहोनोऽपि गमकः कृत्तिकोदयः ॥
 अन्तर्न्याप्तेरतः सैव गमकत्वप्रसाधनो ।
 तयोपपत्तिरैवेयमन्ययान्तपपन्नता ॥
 - सा च हेतोः स्वरूपं तत् शन्तन्यांप्तिश्च विद्धि नः ।
 - —स्या० सि० ४।८२-८४, ४।७८, ७६ ।
- प्र. प्र**० न० त० ३।३८, पृष्ठ ५**६२ ।
- ६. जैनतर्कमा० प्रष्ठ १२।

प्रथम परिच्छेद

अवयव-विमर्श

अवयवोंका विकासक्रम:

अनुमानके सर्वाङ्गीण विचारके हेतु अवयवोंका विवेचन आवश्यक है। जैन तर्कशात्रमें अनुमानके अवयवोंका सर्वप्रथम संकेत हमें आचार्य गृद्धिपच्छके तत्त्वार्थमूत्रमें मिलता है। गृद्धिपच्छने अनुमानका उल्लेख अनुमानशब्द द्वारा नहीं किया। न उन्होंने अवयवोंका निर्देश भी अवयवरूपमें किया है। पर उनके द्वारा सूत्रोंमें प्रतिपादित आत्माके ऊर्ध्वगमन-सिद्धान्तसे प्रतिज्ञा, हेतु और दृष्टान्त ये तीन अवयव फलित होते हैं। सूत्रकारने मुक्तजीवके ऊर्ध्वगमनकी सिद्धि तर्क-पुरस्सर करते हुए निम्न प्रकार लिखा है—

- (१) तदनन्तरम्ध्वं गच्छत्यालोकान्तात् ।
- (२) पूर्वप्रयोगादसङ्गत्वाह्नन्धच्छेदात्तथागतिपरिणामाच्च।
- (३) आविद्धकुळाळचकवद्व्यपगत्रेपाळाब्वदेरण्डबीजवदिग्निशिखावच्च।

इन मूत्रोंमें अर्ध्वगमनरूप प्रतिज्ञा (पक्ष), 'पूर्वप्रयोगात्', 'असङ्करवात्', 'बन्धच्छेदात्' और 'तथागतिपरिणामात्' ये चार हेतु तथा इन चार हेतुओं के समर्थनके लिए क्रमशः 'आविद्धकुळाळचकवत्', 'ब्यपगतळेपाळाब्बूवत्', 'प्रण्ढ-बीजवत्' और 'अग्निशिखावत्' ये चार दृष्टान्त प्रयुक्त हैं। इससे स्पष्ट है कि आचार्य गृद्धपिच्छने अनुमानके तीन अवयवोंका यहाँ संकेत किया है।

१. त० सू० १०।५. ६, ७।

हमारे उक्त कथनकी सम्पृष्टि पूज्यपादकी सर्वार्थिसिद्धिसे भी होती है। उसमें उक्त सूत्रोंकी व्याख्या देते हुए उन्होंने बताया है कि हेतुके कथन किये बिना ऊर्ध्वगमन (प्रतिज्ञा)का निश्चय नहीं हो सकता। तथा पुष्कल हेतुओं का प्रयोग होनेपर भी वे दृष्टान्तके समर्थन बिना अभिप्रेतार्थकी सिद्धि करनेमें असमर्थं हैं। अतएव सूत्रकारने प्रतिज्ञा (अर्ध्वगमन)को सिद्ध करनेके लिए हेतु और दृष्टान्त प्रतिपादित किये हैं।

पुज्यपादके उक्त व्याख्यानसे निम्नलिखित निष्कर्ष निःसृत होते हैं:--

- (१) गृद्धिपच्छने प्रतिज्ञा, हेतु और दृष्टान्तका शब्दिविषया कथन भले ही न किया हो, पर अपने अभिप्रेत अर्थको सिद्ध करनेके लिए उनका अर्थतः निर्देश अवश्य किया है।
- (२) पूज्यपादने सूत्रकारके कथनका समर्थन न्यायसरिणका अनुसरण करके किया है। अतः नामतः निर्देश न होनेपर भी सूत्रकार अवयवत्रयसे परिचित थे। यतः व्याख्याकार या भाष्यकार अपने युगके विचारोंके आलोकमें प्राचीन तथ्योंके स्पष्टीकरणके साथ नवीन तथ्योंको प्रस्तुत करता है। अतः प्रतिज्ञा, हेतु और दृष्टान्तके स्पष्टीकरणको हम पूज्यपादकी विचारधारा नहीं मान सकते। पूज्यपादने गृद्धपिच्छको मान्यताका हो स्फोटन कर उक्त अवयवत्रयको उनकी मान्यताको अंकित किया है।
- (३) गृद्धिपच्छके अवयवत्रयके संकेतको पूज्यपादने तर्क (अनुमान)का रूप दिया है। यही कारण है कि उन्होंने प्रतिज्ञा, हेतु और दृष्टान्त इन तीनके अौचित्यका समर्थन किया है।
- (४) जैन नैयायिकोंके अवयव-विचारका सूत्रपात संकेतरूपसे तत्त्वार्थसूत्र-में मिल जाता है। अतएव अवयवोंकी स्थापनाका मूल श्रेय जैन तर्कशास्त्रमें आ० गृद्धिपच्छको प्राप्त है।

ऐतिहासिक क्रमानुसार गृद्धिपच्छके अनन्तर स्वामी समन्तभद्रका स्थान आता है। समन्तभद्रने भी गृद्धिपच्छके समान उक्त अवयवत्रयका नामतः उल्लेख किये बिना अनुमेयकी सिद्धि प्रतिज्ञा, हेतु और दृष्टान्त इन तीनों अवयवोंसे को है। किन्तु समन्तभद्रकी विशेषता यह है कि उन्होंने अनुमेय-सिद्धि पुष्ट तर्कके आलोक-में की है। जहाँ आ० गृद्धिपच्छ चार-चार हेतु और चार-चार दृष्टान्त उपस्थित कर साध्यकी सिद्धि करते हैं वहाँ आ० समन्तभद्र एक पुष्ट प्रतिज्ञा और उसको

श. अनुपदिष्टहेतुकिमिदमूर्ष्वगमनं कथमध्यवसातुं शस्यमिति १ अशोच्यते—
 आह — हेत्वर्थः पुष्कलोऽपि दृष्टान्तसमर्थनमन्तरेणाभिमेतार्थसाधनाय नालमिति; उच्यते—
 —स० सि० १०।६, ७ को उत्थानिकाएँ।

सिद्धिके लिए एक-एक ही पुष्ट हेतु और दृष्टान्त प्रयुक्त करते हुए मिलते हैं। दूसरी विशेषता यह है कि समन्तभद्रने प्रतिज्ञा, हेतु वे और दृष्टान्त इन तीनों-का शब्दतः भी प्रयोग किया है, जो उनके ग्रन्थोंमें विशकलित उपलब्ध होते हैं। किन्तु गृद्ध पिच्छने उनका विशकलित प्रयोग भी नहीं किया।

दोनों आचार्योंकी प्रतिपादनशैलीका अध्ययन करनेपर निम्न लिखित तथ्य प्रस्फुटित होते हैं :—

- १. समन्तभद्रके समय तक तर्कशैंकी विकसित हो चुकी थी, अतः वे अपने अभिप्रेतकी सिद्धिके लिए उक्त तीनों अवयवोंका तो व्यवहार करते ही हैं, पर साधर्म्य और वैधर्म्य दृष्टान्तभेदोंका भी उपयोग करते हैं।
- २. न्यायसरणिसे अवयवोंका सूक्ष्म और विशद विचार समन्तभद्रसे आरम्भ होता है। समन्तभद्रने अविनाभाव, सधर्मा, साधर्म्य, वैधर्म्य, साध्य, साधन, प्रतिज्ञा, हेतु, अहेतु, प्रतिज्ञादोष, हेतुदोष जैसे तर्कशास्त्रीय शब्दोंका प्रयोग कर अवयवोपयोगी नया चिन्तन प्रस्तुत किया है। अतः स्पष्ट है कि गृद्धपिच्छने जिन अवयवोंका मात्र संकेत किया था उन्हें तर्क (अनुमान)का रूप समन्तभद्रने दिया है।
- ३. समन्तभद्र सर्वज्ञ, अनेकान्त और स्याद्वाद जैसे दार्शनिक प्रमेयोंको अनु-मानकी कसौटी पर रखकर उक्त तीन अवयवोंसे उन्हें सिद्ध करते हैं। पर गृद्ध-पिच्छने इन प्रमेयोंपर अनुमानसे कोई विचार नहीं किया।

हम यहाँ अपने कथनकी पृष्टिके लिए समन्तभद्रके उक्त अवयवत्रयके प्रदर्शक कुछ उद्धरण उदाहरणार्थ प्रस्तुत कर रहे हैं :—

- (क) सूक्ष्मान्तरितदूरार्थाः प्रत्यक्षाः कस्यविद्यथा । अनुमयावतोऽग्न्यादिरिति सर्वज्ञ-संस्थितिः ।।
- (ख) अस्तित्वं प्रतिषेध्येनाविनाभाव्येकधर्मिण । विशेषणत्वास्ताधम्यं यथा भेद-विवक्षया ॥
- (ग) नास्तित्वं प्रतिषेध्येनाविनाभन्येकधर्मिण । विशेषणस्वाद्वीधम्यं यथाऽभेद-विवक्षया ॥
- (घ) विधेय-प्रतिषेध्यात्मा विशेष्यः शब्दगोचरः । साध्यक्षमी यथा हेतुरहेतुरुचाप्यपेक्षया ॥४
- २., २. न साध्यं न च हेतुश्च प्रतिज्ञा-हेतुदोषतः।
 —आप्तमी० का० ८०। युक्त्यनु० का० ११, १३, ४४।
 ३. नयः स दृष्टान्तसमर्थनस्ते। "दृष्टान्तसिद्धाबुभयोर्विवादे"।
 —स्वयम्मू० अयोजिन० ५२, ५४।
 ४. आप्तमी० का० ५, १७, १८, १६।

इन चारों उद्धरणोंमें समन्तमद्रने गृद्धिपच्छसे अधिक विकसित अनुमानप्रणाली-को प्रस्तुत कर उसके तीन अवयवों (प्रितज्ञा, हेतु और दृष्टान्त) से अनुमेयकी सिद्धि की है। अतः प्रकट है कि उन्हें ये तीन अवयव मान्य रहे हैं। यह भी उल्लेखनोय है कि समन्तभद्रके उक्त प्रतिपादनपरस यह स्पष्ट नहीं होता कि उन्होंने उक्त तीन अवयवोंका प्रयोग किस प्रकारके प्रतिपाद्य (विनेय) की अपेक्षासे किया है—व्युत्पन्न या अव्युत्पन्न? प्रकरणके अध्ययनसे ज्ञात होता है कि उनका उक्त कथन प्रतिपाद्यसामान्यकी अपेक्षासे हुआ है। आ० गृद्धिपच्छका भी निरूपण अविशेष रूपसे ही हुआ है।

जैन न्यायके विकासक्रममें समन्तभद्रके पश्चात् न्यायावतारकार सिद्धसेनका महत्त्वपूर्ण योगदान है। सिद्धसेनने न्यायावतारमें पक्षादि वचनको परार्थानुमान कहकर उसके पक्ष, हेतु और दृष्टान्त इन तीन अवयवोंका स्पष्टतः निर्देश किया है तथा प्रत्येकका स्वरूप-विवेचन भी किया है। 'पक्षादि वचन' के प्रयोगसे संकेतित होता है कि न्यायावतारके पूर्व उक्त तीन अवयवोंको मान्यताकी पूर्णतया प्रतिष्टा हो चुकी थी। यतः 'आदि' शब्द द्वारा संगृह्यमाण तथ्योंका अध्याहार तभी किया जाता है जब वे सर्वमान्यरूपमें प्रसिद्ध एवं प्रचलित हो जाते हैं और वक्ता जिन्हें अभिप्रायमें रखता है। हम लोकमें देखते हैं कि जानेवाले व्यक्तियोंमें राम, श्याम आदिका कथन करने पर 'आदि' शब्द राम, श्यामके महत्त्वको तो प्रकट करता ही है, पर संगृह्यमाणोंको भी सामान्यतया प्रतिपादित करता है। अतएव यह निष्कर्ष निकालना दूरकी कड़ी मिलाना नहीं होगा कि सिद्धसेनने 'पक्षादि' शब्दके प्रयोगद्वारा त्रिरवयवकी प्रसिद्ध मान्यता एवं सर्वबोधगम्यताको व्यक्त किया है।

जैन तार्किकोंमें सिद्धसेन ही प्रथम तार्किक हैं, जिन्होंने उक्त तीन अवयवोंके निरूपणमें प्रतिज्ञाके स्थानमें 'पक्ष' शब्दका प्रयोग किया है। भारतीय तर्कशास्त्रके प्रकाशमें 'पक्ष' शब्दके इतिहासको देखनेसे ज्ञात होता है कि प्रतिज्ञाके स्थानमें 'पक्ष' का प्रयोग सर्वप्रथम दिङ्नाग या उनके शिष्य शंकरस्वामीने किया है। और सम्भवतः उनका अनुकरण सिद्धसेनने किया होगा।

सिद्धसेनके उक्त अवयवसम्बन्धी स्पष्ट प्रतिपादनसे उनका महत्त्व निम्न लिखित कारणोंसे बढ़ जाता है—

- साध्याविनाभुवो हेतोर्वचो यस्प्रतिपादकम् ।
 परार्थानुमानं तत् पक्षादिवचनात्मकम् ॥
- २, ३. पक्षादिवचनानि साधनम् । पक्षहेतुदृष्टान्तवचनैर्हि प्राश्निकानामप्रतीतोऽर्थः प्रति-पावते । प्रतान्येव त्रयोऽवयवा इत्युच्यन्ते ।

⁻⁻ न्या० म० पृ० १, २।

- १. उन्होंने इन अवयवोंका परिभाषाओं सहित विवेचन किया है, जो उनके पूर्व जैन तर्कशास्त्रमें उपलब्ध नहीं है।
- २ प्रतिज्ञाके स्थानमें उन्होंने पक्षको रखा है और जिससे निम्न दो नये तथ्य सामने आते हैं---
- (अ) गृद्धिपिच्छ, समन्तभद्र और पूज्यपाद द्वारा अर्थतः या शब्दतः प्रतिपादित प्रतिज्ञा प्रायः पक्षके पूरे अर्थका स्पष्टीकरण करनेमें असमर्थ है, अतः सिद्धसेनने उसके स्थानमें 'पक्ष' शब्दको देकर उसकी व्याख्याद्वारा प्रतिज्ञाका स्वीकरण निर्दिष्ट किया है।
- (आ) सिद्धान्तयुगमें प्रतिज्ञाशब्दका प्रयोग स्वयं सिद्धियोंकी स्वीकृतिके लिए भी होता था; अतः प्रतिज्ञासे सिद्धान्त और तर्क दोनों रूपोंका बोध किया जाता है। पर पक्षशब्दने स्वयं सिद्धियोंसे हटाकर तर्कके क्षेत्रमें विचारविनिमयको आबद्ध कर तर्कप्रणालीको पृष्ट किया एवं प्रश्रय दिया। सम्भवतः सिद्धसेनका प्रतिज्ञाके स्थानमें पक्षशब्दको रखनेका यही आशय रहा होगा।

प्रतिपाद्योंकी दृष्टिसे अवयव प्रयोगः

सिद्धसेन तक जैन चिन्तकोंने प्रतिपाद्यविशेषकी अपेक्षासे अवयवोंका विचार नहीं किया। केवल सामान्य प्राश्निकोंको लक्ष्यमें रखकर उनका प्रयोग किया है। किन्तु आगे चल कर प्रतिपाद्योंको दो वर्गोंमें विभक्त कर उनकी दृष्टिसे अवयवोंका प्रयोग स्वीकार किया गया है। प्रतिपाद्य दो प्रकारके हैं—(१) व्युत्पन्न और (२) अव्युत्पन्न। व्युत्पन्न वे हैं जो स्क्षेप या संकेतमें वस्तुस्वरूपको समझ सकते हैं और जिनके हृदयमें तर्कका प्रवेश है। अव्युत्पन्न वे प्रतिपाद्य हैं जो अल्पप्रज्ञ हैं, जिन्हें विस्तारसे समझाना आवश्यक होता है और जिनके हृदयमें तर्कका प्रवेश कम रहता है।

अकलक्कुदेवने अवयवोंको समीक्षा करते हुए पक्ष और हेतु इन दो ही अव-यवोंका समर्थन किया है। उनका अभिमत है कि कुछ अनुमान ऐसे भी हैं, जिनमें दृष्टान्त नहीं मिलता। पर वे उक्त दो अवयवोंके सद्भावसे समीचीन माने जाते हैं। वे पक्ष और हेतुकी समीक्षा न कर केवल दृष्टान्तकी मान्यताका आलोचन करते हुए कहते हैं कि दृष्टान्त सर्वत्र आवश्यक नहीं है। अन्यथा 'सभी पदार्थ क्षणिक हैं, क्योंकि वै सत् हैं इस अनुमानमें दृष्टान्तका अभाव होनेसे क्षणिकत्व सिद्ध नहीं हो सकेगा। अतएव अकलक्कुके विचारसे किन्हीं प्रतिपादोंके लिए या कहीं पक्ष

सर्वत्रेव न दृष्टान्तोऽनन्वयेनापि साधनात्।
 अन्यथा सर्वभावानामसिद्धोऽयं क्षणक्षयः॥
 —न्या० वि० का० ३८१, अकलक्ष्मय०।

और हेतु ये दो ही अवयव पर्याप्त हैं। दृष्टान्त किसी प्रतिपाद्यविशेष अथवा स्थल विशेषकी अपेक्षा ग्राह्य है, सर्वत्र नहीं।

आ० विद्यानन्दने प्रमाणपरीक्षा और पत्रपरीक्षामें कुमारनन्दि भट्टारकके वादन्यायके, जो आज अनुपलब्ध है, कुछ उद्धरण प्रस्तुत किये हैं, जिनमें बताया गया है कि परार्थानुमानके अवयवोंके प्रयोगकी व्यवस्था प्रतिपाद्योंके अनुसार की जानी चाहिए।

कुमारनित्वे अवयवव्यवस्थामें एक नया मोड़ उपस्थित किया । इस मोड़को हम विकासात्मक कह सकते हैं । उन्होंने अवयवोंके प्रयोगको 'प्रतिगद्यानुरोधतः' (प्रतिपाद्यानुसार) कह कर स्पष्टतया नयी दिशा प्रदान की है। लिखा है कि जिस प्रकार विद्वानोंने प्रतिपाद्योंके अनुरोधसे प्रतिज्ञाको कहा है उसी प्रकार उनको दृष्टिसे उन्होंने उदाहरणादिको भी बतलाया है । उ

विद्यानन्दने प्रायः कुमारनिन्दिके शब्दोंको ही दोहराते और उनके आशयको स्पष्ट करते हुए कहा है कि परानुग्रहप्रवृत्त आचार्योंने प्रयोगपरिपाटी प्रतिपाद्यों- के अनुसार स्वीकार की है। यथा—

- (क) प्रयोगपरिपाठ्याः प्रतिपाचानुरोधतः परानुब्रहप्रवृत्तैरभ्युपगमात् । ४
- (ख) बोध्यानुरोधमात्रात्त शेषावयवदर्शनात् ।"

विद्यानन्यके इस प्रतिपादनसे स्पष्ट है कि पक्ष और हेतु ये दो अवयव व्युत्पन्नों और शेष (दृष्टान्तादि) अवयव बोध्योंके अनुरोधसे प्रदर्शित हैं । तत्त्वार्थश्लोक-वार्त्तिकमें उन्होंनं सिन्दग्ध, विपर्यस्त और अव्युत्पन्न ये तीन प्रकारके बोध्य (प्रतिपाद्य) बतलाये हैं तथा उनके बोधार्थ सिन्दग्ध, विपर्यस्त और अव्युत्पन्न रूप साध्य (पक्ष) का प्रयोग निर्दिष्ट किया है । पत्रपरीक्षामें पत्रलक्षणके प्रसङ्गमें

- तथा चाभ्यधायि कुमारनिद्महारकै:— अन्यथानुपपत्येकलक्षणं लिंगमंग्यते । मयागपारपाटो तु मतिपाद्यानुराधतः ॥ —प० प० प० ७२ ।
- तथैब हि कुमारनन्दिभट्टारकैरिप स्ववादन्याये निर्गादतत्वात्तदाह—
 प्रतिपाद्यानुरोधेन प्रयोगेषु पुनर्यंथा । प्रतिशा प्राच्यते तज्ज्ञैस्तयादाहरणादिकम् ॥
 अन्ययानुपपत्येकछक्षणं लिंगमंग्यते । प्रयोगपरिपाटो तु प्रतिपाद्यानुरोधतः ॥
 —प० प० १० ३ ।
- ३. पत्रप० पृ० ३ तथा उपर्युक्त १ व २ नंबरका फुटनोट।
- ४. प्र० प० पृ० ७२ ।
- ५. प० प० पृ० १७।
- ६. त० स्रो० १।१३।३५३-३६१, पू० २१५।

विद्यानन्दने विशेष (व्युत्पन्न) प्रतिपाद्यकी अपेक्षासे पक्ष और हेतु इन दो अव-यवोंके प्रयोगका स्पष्ट निर्देश किया है ।

माणिक्यनित्द^२, प्रभाचन्द्र³, देवसूरि^४ और हेमचन्द्र¹ भी अकलक्ष्क्र और विद्या-नन्दका अनुगमन करते हैं। इन सभीने लिखा है कि साध्यधर्मके आधारका निर्णय और साधनके आश्ययका उद्घोषण करनेके लिए पक्षका प्रयोग आवश्यक है। उसके अभावमें व्युत्पन्नोंको भी साध्यधर्माधारमें सन्देह हो सकता है। अतः उसे दूर करनेके लिए पक्षका प्रयोग करना चाहिए। दूसरे, त्रिरूप हेनुको कह कर उसका समर्थन करने पर तो पक्षका स्वीकार अनिवार्य है, क्योंकि पक्षके बिना समर्थन—असिद्धादि दोष परिहार नहीं हो सकता। इसी प्रकार साध्यसिद्धिके लिए तथोपपत्ति अथवा अन्यथानुपपत्तिरूप हेनुका प्रयोग भी अत्यन्त आवश्यक है। उसके अभावमें अभिन्नेतको सिद्धि सम्भव नहीं। इस प्रकार पक्ष और हेनु ये दो ही परा-र्थानुमानके अवयव हैं। इन दोके द्वारा ही व्युत्पन्न प्रतिपाद्यको अनुमेयका ज्ञान हो सकता है।

उनके लिए दृष्टान्तादिकी अनावश्यकता बतलाते हुए माणिक्यनिन्दिने सयु-क्तिक प्रतिपादन किया है कि दृष्टान्त, उपनय और निगमन इन तीन अवयवोंका स्वीकार शास्त्र (वीतराग कथा) में ही है, वाद (विजिगीप कथा) में नहीं, क्योंकि वाद करने वाले व्युत्पन्न होते हैं और व्युत्पन्नोंको दृष्टान्तादिकी आवश्य-कता ही नहीं। वे कहते हैं कि दृष्टान्त न साध्यज्ञानके लिए आवश्यक है और न अविनाभावके निश्चयके लिए; क्योंकि साध्यका ज्ञान निश्चित साध्याविनःभावी हेतुके प्रयोगसे होता है और आवनाभावका निश्चय विपक्षमें वाधक रहनेसे होता है। दूसरी बात यह हं कि दृष्टान्त व्यक्तिरूप होता है और आवनाभाव (व्याप्ति)

साध्यधर्माविशिष्टस्य धर्मिणः साधनस्य च । वचः प्रयुज्यते पत्रे विशेषाश्रयतो यथा । साध्यानदेशसहितस्यैव हेताः प्रयोगाहित्वसमर्थनात् ।

⁻⁻⁻ qo qo qo q 1

२, ३. पतद्द्यमेवानुमानाङ्गं नोदाहरणम् ।

[—]प० मु० ३।३७। प्रमेयका० मा० ३।३७

४. पक्षहेतुवचनलक्षणमवयवद्भयमेव परमतिपत्तेरंगं न दृष्टान्तादिवचनम् ।

⁻⁻⁻ म० न० त० ३।२८।

५. एतात्रान् प्रेक्षप्रयोगः।

⁻प्रव मी० २।१।९, १० ५२।

६. साध्यधर्माधारसन्देहापनोदाय गम्यमानस्यापि पक्षस्य वचनम् । को वा त्रिधा हेतुमुक्तवा समर्थयमानो न पक्षयति ।

[—]पo मु० ३।३४, ३६। प्र० न० त० ३।२४, २५। प्र० मो० २।१।८।

७, ८. प० मु० शार्द, ३८, ३९, ४०, ४१, ४२, ४३, ४४।

सामान्यरूप । यदि दण्टान्तगत अविनाभावमें भी सन्देह हो जाये तो उसके निरा-करणके लिए दूसरे दृष्टान्तको और दूसरे दृष्टान्तमें तीसरे आदिकी अपेक्षा होगी, जिससे अनवस्था दोष आयेगा । व्याप्तिस्मरणके लिए भी उदाहरण आवश्यक नहीं है, क्योंकि व्याप्तिका स्मरण साच्याविनाभावी हेतूके प्रयोगसे ही हो जाता है। माणिक्यनिन्दिके व्याख्याकार चारुकीति कहते हैं कि उदाहरणका प्रयोग उल्टा साध्य-धर्मी (पक्ष) में साध्य और साधनके सद्भावको सन्दिग्ध बना देता है। परिहा कारण है कि उपनय और निगमनका प्रयोग उक्त सन्देहकी स्थितिको दूर करनेके लिए होता है । यदि कहा जाय^२ कि उपनय साधनके सन्देह और निगमन साध्यके सन्देहको निवृत्तिके लिए प्रयुक्त नहीं किये जाते, अपितू हेतुमे पक्षवृत्तिताका प्रति-पादन करनेके लिए उपनयको तथा अबाधितत्व और असत्प्रतिपक्षत्वका कथन करनेके लिए निगमनको कहा जाता है तो यह भी ठीक नहीं है, ³ यतः अविनाभावी हेतु और प्रत्यक्षाद्यविरुद्ध साध्यके प्रयोगसे ही हेतुमें पक्षवृतित्व, अबाधितत्व और अस-त्प्रतिपक्षत्व तीनोंका निश्चय हो जाता है । अतएव उपनय और निगमन अनुमान-के अंग नहीं हैं। फिर भी यदि उन्हें अनुमानांग माना जाय तो उससे युक्त यह है कि समर्थन अथवा हेत्रूप अनुमानके अवयवको हो कहना पर्याप्त है, क्योंकि साध्यसिद्धिमें उसका प्रयोग परमावश्यक है। स्पष्ट है कि जब तक असिद्धादि दोषोंका परिहार करके साध्यके साथ साधनका अविनाभावप्रदर्शनरूप समर्थन या अत्यन्त आवश्यक हेत्का प्रयोग नहीं किया जाएगा तबतक दृष्टान्तादि साध्यसिद्धिमें केवल अनपयांगी ही न रहेंगे, बल्कि निरर्थक भी होंगे। अतः व्युत्पन्न प्रतिपाद्यके लिए पक्ष और हेतू ये दो ही अवयव अनुमेयके ज्ञान । अनुमान) में आवश्यक हैं।

प्रभाचन्द्र, अनन्तवीर्य, देवसूरि, हेमचन्द्र और धर्मभूषण आदिने माणिक्यनन्दि-का ही समर्थन किया है। तुलनात्मक अवयव-विचार:

यहाँ तुलनात्मक अवयव-विचार प्रस्तुत किया जाता है, जो ज्ञातव्य है।

१. उदाहरणेन महानसे साध्यसाधननिश्चयजननेऽपि पक्षे तयोर्निश्चयाजननात्

⁻ चारुकीतिं, प्रमेयरत्ना० ३।४२ ।

२. नतु पक्षे हेतुसाध्ययोरसंशयनिरासार्थं नोपनयनिगमनयोः प्रयोगः । किन्तूपनयस्य हेती पक्षधर्मत्वप्रतिपादनार्थं निगमनस्य चाबाधितत्वासत्प्रतिपक्षत्वप्रतिपादनार्थं । अत एव तयोरप्यनुमानांगत्वमावश्यकम् ।

⁻⁻ बही, ३।४४ की उत्थानिका।

१. पक्षधर्मत्वस्य हेतुवाक्यादेव लाभात् । अवाधितत्वस्य हेतौ साध्यविशिष्टपक्षवृत्तित्वरूप-तयाऽसत्प्रितपक्षत्वस्य च साध्याभावय्याप्याभावविशिष्टपक्षवृत्तित्वरूपत्वेन तयोरिप प्रतिश्राहेतुभ्यामेव सिद्धेः ।

⁻⁻वहो, ३।४४, ५० ११६।

न्याय और वैशेषिक तार्किकोंने पंचावयवके प्रतिपादक वचनोंको परार्थानुमान स्वीकार किया है। पर ज्ञानको प्रमाण मानने वाले जैन और बौद्ध विचारकोंने वचनको उपचारसे परार्थानुमान कहा है। उनका अभिमत है कि वक्ताके स्वार्थानुमानके विषय (साध्य और साधन) को कहने वाले वचनोंसे श्रोता (प्रतिपाद्य) को जो अनुमेयार्थका ज्ञान होता है वह ज्ञानात्मक मुख्य परार्थानुमान है और उसके जनक वक्ताके वचन उसके कारण होनेसे उपचारतः परार्थानुमान हैं।

विचारणीय है कि वक्ताका कितना वचनसमूह प्रतिपाद्यके लिए अनुमेयकी प्रतिपत्तिमें आवश्यक है ? न्यायसूत्रकार अगैर उनके अनुसर्ता वात्स्यायन, उद्योत-कर, वाचस्पति, जयन्तभट्ट प्रभृति न्यायपरम्पराके तार्किकों तथा प्रशस्तपाद अश्वाद वैशेषिक विद्वानोंका मत है कि प्रतिज्ञा, हेतु उदाहरण , उपनय और निगमन ये पांच वाक्यावयव अनुमेय-प्रतिपत्तिमें आवश्यक हैं। इनमेसे एकका भी अभाव रहने पर अनुमान सम्पन्न नहीं हो सकता और न प्रतिपाद्यको अनुमेयको प्रतिपत्ति हो सकती है।

सांख्यविद्वान् युक्तिदीपिकाकारने पर्व उक्त पंचावयवोंमें जिज्ञासा, संशय, प्रयो-जन, शक्यप्राप्ति और संशयव्युदास इन पांच अवयवोंको और सिम्मलित करके

- १. परार्थं तु तदर्थपरामर्शिवचनाज्जातम् । तद्वचनमाप तद्वेतुत्वात् ।
 - ---माणिक्यर्नान्द्र, परी० मु० ३।५५, ५६ । पक्षहेत्वचनात्मकं परार्थमनुमानमुपचारादिति ।
 - -देवसूरि, प० न० त० ३।२३।
- २. धर्मकीर्ति, न्यायांव० तृ० परि० पृ० ४६ । तथा धर्मोत्तर, न्यायवि० टी० पृ० ४६ ।
- ३. प्रतिद्याहेतृद्राहरणोपनयनिगमनान्यवयवाः।
 - --न्यायस्० १।१।३२ ।
- ४. अवयवाः पुनः मतिशाऽपदेशनिदर्शनानुसन्धानमत्यामनायाः ।
 - --- प्रश्च भाव प्रव ११४।
- प, ६, ७, ८. प्रशस्तपादने हेतुके स्थानमें अपदेश, उदाहरणके लिए निदर्शन, उपनयकी जगह अनुसन्धान और निगमनके स्थानपर प्रत्याग्नाय नाम दिये हैं। पर अवयरोंकी पाँच संख्या तथा उनके अधर्मे प्रायः कोई अन्तर नहीं है।
- असत्यां प्रतिशायां अनाश्रया हेत्वादयो न प्रवर्तरन् । असित हेती कस्य साधनमावः
 प्रदर्श्वेतः निगमनाभावे चानभिन्यक्तसम्बन्धानामेकार्थेन प्रवर्त्तनं 'तथा' इति प्रति-पादनं कस्य ।
 - --वात्स्यायन, न्यायभा० १।१।३६, ५० ५३।
- १०. युक्तिदी० का० १ की भूमिका, पृ० ३ तथा का० ६, पृ० ४७-५१।

परार्थानुमानवावयके दशावयवोंका कथन किया है। परन्तु माठरने परार्थानुमान वाक्यके तीन (पक्ष, हेतु और दृष्टान्त) अवयव प्रतिपादित किये हैं। सांख्योंकी यही त्रिरवयवमान्यता दार्शनिकोंद्वारा अधिक मान्य और आलोच्य रही है।

वौद्ध विद्वान् दिङ्नागके शिष्य शंकरस्वामीका मत है कि पक्ष, हेतु और दृष्टान्त द्वारा प्राश्निकों के अप्रतीत अर्थका प्रतिपादन किया जाता है, अतः उक्त तीन ही साधनावयव हैं। घर्मकीर्ति इन तीन अवयवों में से पक्षको निकाल देते हैं और हेतु तथा दृष्टान्त इन दो अथवा मात्र हेतुको हो परार्थानुमान वाक्यका अव-यव मानते हैं।

मीमांसक तार्किक शालिकानाय, र नारायणभट्ट भे और पार्थसारिथने र उक्त तीन (प्रतिज्ञा, हेतु और दृष्टान्त) अवयव वर्णित किये हैं। नारायणभट्ट दृष्टान्त, उपनय और निगमन इस प्रकारसे भी तोन अवयव मानते हुए मिलते हैं।

जैसा कि हम देख चुके हैं, जैन चिन्तक प्रतिपाद्योंकी दृष्टिसे अवयवोंका विचार करते हैं। आरम्भमें प्रतिज्ञा, हेतु और दृष्टान्त इन तीन अवयवोंकी मान्यता होने पर भी उत्तरकालमें अकलङ्क, कुमारनन्दि, विद्यानन्द, माणिक्यनन्दि, प्रभाचन्द्र, देव-सूरि, हेमचन्द्र प्रभृति सभी तार्किकोंने प्रतिपाद्योंकी अपेक्षासे उनका प्रतिपादन किया है। किसी प्रतिपाद्यको दृष्टिसे दो, किसीको अपेक्षासे तीन, किसीके अनुसार चार और किसी अन्य प्रतिपाद्यके अनुरोधसे पाँच अवयव भी कहे जा सकते हैं।

```
१. पक्षहेतुदृष्टान्ता इति त्र्यवयत्रम् ।
—माठरवृ० का० ५ ।
```

२. पक्षहेतुरृष्टान्तवचनैर्हि प्राश्निकानामप्रतीतोऽर्थः प्रतिपाधते इति । एतान्येव त्रयोऽत-यवा इत्युच्यन्ते ।

⁻⁻⁻न्यायप्र० पृ० १, २।

इ. प्रमाणवा० १।१२८ तथा न्यायबि० तृ० परि० पृ० ६१ । हेतुबि० पृ० ५५ ।

४. ''तत्राबाधित" इति प्रतिज्ञा । "ज्ञातसम्बन्धनियमस्य" इत्यनेन दृष्टान्तवचनम् । "एक-देशदर्शनात्" इति हेत्वभिधानम् । तदेवं त्र्यवयवं साधनम् ।

⁻⁻⁻ प्रकरणपं० पृ० २२०।

प. तस्मात्त्रवत्रयवं ज्ञूमः पौनरुक्त्यासहा वयम् ।
 उदाहरणपर्यन्तं यद्वोदाहरणादिकम् ।

⁻⁻मानमेयो० पृ० ६४।

६. न्यायरत्ना० (मी० स्ठो० अनु० परि० स्ठो० ५३) पू० ३६१।

(१) प्रतिज्ञाः

प्रतिज्ञाका दूसरा पर्याय पक्ष अथवा धर्मी है। प्रतिज्ञा शब्दका निर्देश सर्वप्रथम गौतमने किया जान पड़ता है। पाँच अवयवों में उन्होंने उसे प्रथम स्थान दिया है। उसकी परिभाषा देते हुए लिखा है कि साध्यके निर्देशको प्रतिज्ञा कहते हैं। वात्स्यायनने उसकी व्याख्यामें इतना और स्पष्ट किया है कि प्रज्ञापनीय (साधनीय) धर्मसे विशिष्ट धर्मीका प्रतिपादक वचन प्रतिज्ञा है। जैसे— 'शब्द अनित्य है।'

प्रशस्तपादने भी अनुमानवाक्यके पंचावयवों में प्रथम अवयवका नाम प्रतिक्रा ही दिया है। पर उसकी परिभाषा गौतमकी प्रतिज्ञा-परिभाषासे विशिष्ट है। उसमें उन्होंने 'अविरोधो' पद और देकर उसके द्वारा प्रत्यक्षवाधित, अनुमान-बाधित आदि पौच बाधितोंको निरस्त करके प्रतिज्ञाको अबाधित प्रतिपादित किया है। साथ ही उसका विशदोकरण भी किया है। लिखा है 'कि प्रतिपि-

```
१, २, ३. (का) पक्षः मसिद्धो धर्मा।
      ---शंकरस्वामी, न्यायप्र० पृ० १।
       ( ख ) मज्ञापनीयेन धर्मेण धर्मिणो विशिष्टस्य परिग्रहवचनं प्रतिज्ञा।
      --वात्स्यायन, न्या० भा० पृ० ४८, १।१।३३ ।
       (ग) प्रतिपिपादथिषितधर्मविशिष्टस्य धर्मिणोऽपदेशविषयमापादथितुमुदेशमात्रं
             प्रतिशा ।
       --- मश्रा० भा० पूर्व ११४।
       ( घ ) साध्यं धर्म: क्वचित्तिविशिष्टो वा धर्मी । पक्ष इति यावत् । प्रसिद्धो धर्मी ।
       ---माणिक्यनिन्द, परी० मु० ३।२५, २६, २७।
४. ५. प्रतिज्ञाहेतृदाहरणोपनयनिगमनान्यवयवाः।
       ---अक्षपाद, न्यायस्० १।१।३२ ।
६. साध्यनिर्देश: प्रतिज्ञा ।
    --वही, शशाइस ।
७. न्यायमा० १।१:३३, पृ० ४८। तथा इसी पृष्ठका १, २, ३ नं० (ख) का फुटनोट।
 ८. अनुमेयोद्देशोऽविरोधी प्रतिशा।
     --- प्रज्ञा० मा० पृ० ११४।
```

९. अविरोधिग्रहणात् प्रत्यक्षानुमानाभ्युपगतस्वशास्त्रस्ववचनविरोधिनो निरस्ता भवन्ति ।

--- प्रज्ञा० मा० प्र०११५।

22

१०. इसी पृष्ठका १, २, ३ नं० (ग) का फुटनोट।

पादियिषित वर्मसे विशिष्ट धर्मीको हेतुका विषय प्रकट करनेके लिए उसका अभिधान करना प्रतिज्ञा है । वास्तवमें यदि वह हेतुका विषय विवक्षित न हो तो वह कोरी प्रतिज्ञा होगी, अनुमानका अवयवरूप प्रतिज्ञा नहीं ।

न्यायप्रवेशकारने प्रतिज्ञाके स्थानमें पक्ष शब्द दिया है। यह परिवर्तन उन्होंने क्यों किया, यह विचारणीय है, क्योंकि दोनोंका प्रयोग एक हो अर्थमें किया गया है। प्रतिज्ञाका अभिधेयार्थ स्वीकृत सिद्धान्त (कोटि) है और यही पक्षशब्दका है। पर विचार करनेपर उनमें सूक्ष्म अन्तर प्रतीत होता है। पक्षशब्द जहाँ अपने सखा सपक्ष और प्रतिद्वन्दी विपक्षको लिए हुए होता है वहाँ प्रतिज्ञाशब्दसे ऐसी कोई बात व्वनित नहीं होती। प्रतिज्ञा तर्कके निकट कम है और आगमके निकट अधिक। पर पक्ष तर्कके निकट अधिक है और आगमके निकट कम। और यह प्रकट है कि अनुमानका संवल तर्क हो है—उसीपर वह प्रतिष्ठित है। अतः अनुमान-विचारमें प्रतिज्ञाशब्दकी अपेक्षा पक्षशब्द अधिक अनुरूप है। सम्भवतः यही कारण है कि न्यायप्रवेशकारके पश्चात् पक्षशब्दका अधिक प्रयोग हुआ है । जैन और बौद्ध तर्कग्रन्थोंमें तो प्रायः यहो शब्द अधिक प्रयुक्त मिलता है।

इसकी परिभाषामं न्यायप्रवेशकारने कहा है कि धर्मविशिष्ट धर्मीका नाम पक्ष है, जो प्रसिद्धविशेषणसे विशिष्ट होनेके कारण प्रसिद्ध होता है, साध्यरूपसे इष्ट होता है और प्रत्यक्षादिसे अविरुद्ध । वृक्तिकारके अनुसार विशेषण (साध्यधर्म) की प्रसिद्धता सपक्षमें सद्भावकी अपेक्षा कही गयी है, साध्यधर्मी (पक्ष) में सत्त्वकी अपेक्षा नहीं, वहाँ तो वह असिद्ध हो होता है । वस्तुतः जो सर्वथा अप्रसिद्ध हो वह खपुष्पकी तरह साध्य हो भी नहीं सकता । यही अभिप्राय न्याय-प्रवेशकारका साध्यको प्रसिद्ध बतलानेका प्रतीत होता है । तात्पर्य यह कि जो प्रसिद्ध धर्मवाला हो, साध्य हो, अभिप्रेत हो और प्रत्यक्षाद्यविरुद्ध हो वह पक्ष है ।

पक्षः प्रसिद्धो धर्मी प्रसिद्धविशेषेण विशिष्टतयाः स्वयं साध्यत्वेनेप्सितः । प्रत्यक्षाद्यविरुद्ध इति वाक्यशेषः ।

-- याय प्र० प्र० १ ।

उद्योतकरसे लेकर नत्र्यनैयायिकों तक न्यायपरम्परामें पक्षशब्दके प्रयोगको बहुलता दृष्टिगोचर होतो है।

इह धर्मिणस्तावत्प्रसिद्धता युक्ता विशेषणस्य त्वनित्यत्वादेनं युज्यते । साध्यत्वात् ।
...नैतदेवम् । सम्यगर्यानवबोधात् । इह प्रसिद्धता विशेषणस्य न तस्मिन्नेव धर्मिणः
समाक्षीयते । किन्तु धर्म्यन्तरे घटादौ ।...

⁻⁻⁻न्यायम० वृ० पृ० १५।

षर्मकीर्तिने भी पक्षकी यही परिभाषा प्रस्तुत की है। यद्यपि वे पक्षप्रयोगको साधनावयव नहीं मानते और इसलिए उनके द्वारा उसकी परिभाषा नहीं होनी चाहिए। तथापि उनके व्याख्याकार धर्मोत्तरके अनुसार पक्षशब्दसे उन्हें साध्यार्थ विवक्षित है और चूंकि कोई असाध्यको साध्य तथा साध्यको असाध्य मानते हैं, अतः साध्यासाध्यका विवाद निरस्त करनेके लिए उन्होंने पक्षका लक्षण किया है।

जैन तर्कशास्त्रमें अधिकांशतः पक्षशब्द ही अम्युपगत है। प्रतिज्ञाशब्दका प्रयोग बहुत कम हुआ है। बल्कि कुछ तार्किकोंने उसकी समीक्षा की है। सिद्ध-सेन पक्षका लक्षण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि साध्यका स्वीकार पक्ष है, जो प्रत्यक्षादिसे निराकृत नहीं है और हेतुके विषयका प्रकाशक है। सिद्धसेनके इस पक्षलक्षणमें गौतम, प्रशस्तपाद, न्यायप्रवेशकार और धर्मकीर्तिके पक्षलक्षणोंका समावेश प्रतीत होता है। 'साध्याम्युपगमः' पदसे गौतमके 'साध्य-निर्देशः' पदका 'हेतोर्गोचरदीपकः' पदसे प्रशस्तपादके 'अपदेशविषय'का और 'प्रत्यक्षाद्यनिराकृतः' विशेषणसे प्रशस्तपादके 'अविरोधी', न्यायप्रवेशकारके 'प्रत्यक्षाद्यविषद्ध' तथा धर्मकीर्तिके 'अनिराकृत'का संग्रह किया गया है। यह उनकी संग्राहिणी प्रतिभाका द्योतक है, जो एक ही पद्यमें सबका सार समाविष्ट कर लिया है।

अकलंकदेवने माध्यको पक्ष कहा है। उनकी दृष्टिमें पक्ष और साध्य दो नहीं हैं। अतएव वे न्यायिविनिश्चय और प्रमाणसंग्रहमें पक्षसे अभिन्न साध्यका लक्षण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं — जो शक्य (अबाधित), अभिप्रेत और अप्रसिद्ध हो वह साध्य है। इससे विपरीत — अशक्य (बाधित) अनिभिन्नेत और प्रसिद्धको उन्होंने साध्याभास निरूपित किया है, क्योंकि उक्त प्रकारका साध्य साधनका विषय नहीं होता। अकलंकने न्यायप्रवेशकारकी तरह पक्षलक्षणमें प्रसिद्ध विशेषण स्वीकार नहीं किया, क्योंकि जब वह साध्य है तो वह अप्रसिद्ध होगा और यह अप्रसिद्धता साध्यधर्मीकी अपेक्षासे ही विविक्षित है, सपक्षकी अपेक्षासे उसकी प्रसिद्धता बतलाना निर्यंक है। वादीको अपेक्षासे अभिप्रेत, प्रतिवादीको दृष्टिसे अप्रसिद्ध और वादी तथा प्रतिवादी दोनोंको अपेक्षास उसे शक्य — प्रत्यक्षाद्यविषद्ध

३. विद्यानन्द, त० रहो० वा० १।१३।१५६; पृ० २०१।

क्षाच्याम्युपगमः पक्षः प्रत्यक्षाचनिराकृतः ।
 तत्प्रयोगोऽत्र कर्त्तन्यो हेतोर्गोचरदीपकः ॥
 न्यायाव० १४ ।

प. साध्यं शक्यमिम्रोतममितं ततोऽपरम् । साध्यामासं विरुद्धादि साधनाविषयत्वतः ॥
 —न्यायवि० २।१७२, प्रमाणसं० का० २०, पृ० १०२ ।

होना पर्याप्त है। यहाँ उल्लेखनीय है कि अकलंकने धर्मकीर्तिके उस मतकी मीमांसा भी की है जिसमें धर्मकीर्तिने धर्मीको उपचारसे पक्ष माना है। अकलंक-का कहना है कि धर्मीको उपचारसे पक्ष माननेपर उसका धर्म साध्य भी वास्तिवक सिद्ध न होगा—उपचरित सिद्ध होगा। इसके अतिरिक्त धर्मी (पक्ष) का धर्म होनेसे पक्षधर्म—हेतू भी उपचरित होगा।

विद्यानन्दने भी अकलकका समर्थन करते हुए उपचारसे धर्मोंको पक्ष मानने-के धर्मकीर्तिके मन्तव्यका समालोचन किया है। उन्होंने धर्म-धर्मीके समुदायको पक्ष कहनेके विचारकी भी समीक्षा की है और साध्यधर्मको पक्ष स्वीकार किया है। उनका मत है कि हेतुका अविनाभाव साध्य-धर्मके साथ ही है, इसलिए साध्य-धर्म ही अनुमेय (पक्ष) है।

माणिक्यनिन्दका विचार है कि व्याप्तिनिश्चयकालमें धर्म साध्य होता है और अनुमानप्रयोगकालमें धर्मविशिष्ट धर्मी। तथा धर्मीका नाम हो पक्ष है। वात्स्यायन कौर उद्योतकरने भी द्विविध साध्य (धर्मीविशिष्ट धर्म और धर्मविशिष्ट धर्मी) का तथा धर्मीतरने त्रिविध साध्य (हेतुलक्षणकालमें धर्मी, व्याप्तिनिश्चयकालमें धर्म और साध्यप्रतिपत्तिकालमें समुदाय) वा प्रतिपादन किया है।

प्रभाचन्द्र⁻, अनन्तवीर्यं , वादिराज , देवसूरि , हेमचन्द्र , धर्मभूषण है,

```
१. पक्षो धर्मीत्युपचारे तद्धर्मतापि न सिद्धा । 🗥 ।
```

- सिद्धिबि ६।२, पृ० ३७३।
- २. पक्षो धर्मी अवयवे समुदायोपचारात् ।
 - --हेतुबि० ए० ५२ तथा म० वा० स्ववृ० ए० १२, १।३।
- तथा च न धर्मधर्मिसमुदायः वक्षो, नापि तत्तद्धमी तद्धर्मत्वस्याविनामावस्वभावत्वामा-वात् । किं तर्हि, साध्य एव पक्ष इति प्रतिपत्तच्यं तद्धर्मत्वस्यैवाविनामावित्वनियमादि-त्युच्यते । साध्यः पक्षस्तु नः सिद्धस्तद्धमी हेतुरित्यिप ।
 - ---त० श्लो० बा० १।१३।१५९, १६०, पृष्ठ २०१। तथा पृ० २८१।
- ४. साध्यं धर्मः क्वचित्तद्विशिष्टो वा धर्मा । पक्ष इति यावत् ।
 - --परीक्षामु० ३।२५, २६।
- **५. न्यायमा०** १।१।३६, पृ० ४९ ।
- ६. न्यायवा० १।१।३६, ५० १३४ !
- ७. न्यायबि० टी० पृ० २४।
- ८, ६. प्रमेयकः मा० ३।२५, २६ । प्रमेयरः मा० ३।२१, २२, पृ० १५२ ।
- १०. प्रमाणनि० पृ० ६१।
- ११. प्र० न० त ३१४, २०।
- १२. सिषाधियिषितमसिद्धमबाध्यै साध्ये पक्षः ।
 - --- म० मी० शशाश्च, पृ० ४५।
- १इ. न्या० दी० पु० ७२ ।

यशोविजयौ, चारुकीति र प्रभृति तार्किकोंका प्रायः माणिक्यनिन्द जैसा ही मन्तव्य है। हेमचन्द्रने पक्षको साध्यका ही नामान्तर बतलाया है जो सिद्धसेन, अकलंक और विद्यानन्दके अनुरूप है। प्रभाचन्द्रके मतानुसार माणिक्यनिन्दकी तरह अनुमान-प्रयोगकालमें साध्य न अग्नि आदि धर्म होता है और न पर्वत आदि धर्मी। अपितु अग्नि आदि धर्मविशिष्ट पर्वत आदि धर्मी अनुमेय होता है और वही प्रतिपादकका प्रतिपाद्यके लिए पक्ष है। अतः साध्य (धर्मविशिष्ट धर्मी) को पक्ष कहनेमें कोई दोष नहीं है।

(२) हेतु:

अनुमेयको सिद्ध करनेके लिए साधन (लिङ्ग) के रूपमें जिस वाक्यावयवका प्रयोग किया जाता है वह हे हुँ कहलाता है। साधन और हेतुमें यद्यपि साधारण-तया कोई अन्तर नहीं है और इसलिए दोनोंका प्रयोग बहुधा पर्यायरूपमें मिलता है। पर उनमें वाच्य-वाचकका भेद है। साधन वाच्य है, क्योंकि वह कोई वस्तु रूप होता है। और हेनु वाचक है, यतः उसके द्वारा वह कही जाती है। अक्षपादने हेतुका लक्षण प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि उदाहरणके साधम्यं तथा वैधम्यं साध्यको सिद्ध करना हेतु है। उनके इस हेतुलक्षणसे हेतुका प्रयोग दो तरहका सिद्ध होता हैं—(१) साधम्यं और (२) वैधम्यं। वात्स्यायन और उद्योतकरने उनके इन दोनों प्रयोगोंकी सम्पृष्टि की है। इन तार्किकोंके मतानुसार हेतुमें साध्यके उदाहरणका साधम्यं तथा वैधम्यं दोनों अपेक्षित हैं। अर्थात् हेनुको साध्य (पक्ष) में तो रहना ही चाहिए, साधम्यं उदाहरण (सपक्ष) में साध्यके साथ विद्यमान और वैधम्यं उदाहरण। विपक्ष) में साध्यके साथ अविद्यमान भी होना

१. जैन तर्कभाव पृव १३।

२. प्रमे० रहनालं० शरप, २६।

३. 'पक्षः' इति साध्यस्यंत्र नामान्तरम् ।

[—]प्रव मीव १ २।१३, ५० ४५।

४. प्रतिनियतसाध्यधर्मविशेषणविशिष्टतया हि धमिणः साधयितुमिष्टत्वात् साध्यव्यपदेशाविरोधः। ...साध्यवमित्रशेषणविशिष्टतया हि र्घामणः साधयितुमिष्टस्य पक्षामिधाने दोषामावात् ।

⁻⁻⁻ प्रभाचन्द्र, प्रमेयक० मा० ३।२५, २६, ५० ३७१।

५. कणाउने हेतु, अपदेश, लिंग, शमाण और करण इन सबको हेतुका पर्याय बतलाया है। —वैशेष ९।२.४।

६. उदाहरणसाधम्यात्साध्यसाघनं हेतुः । तथा वैधर्म्यात् ।

⁻⁻ न्यायस्० १।१।३४, ३५ ।

७. न्यायमा० १।१।३४, ३५।

E. न्यायवा० शशाहर, ३५, ए० ११८-१३४।

चाहिए। इस प्रकारके हेतुस्वरूपके अवघारण (निश्चय) से हेत्वाभास निरस्त हो जाते हैं ।

काश्यप (कणाद) और उनके व्याख्याकार प्रशस्तपादका भी मत है कि जो अनुमेयके साथ सम्बद्ध है, अनुमेयसे अन्वित (साधम्य उदाहरण — सपक्ष) में प्रसिद्ध है और उसके अभाव (वैधम्य उदाहरण — विपक्ष) में नहीं रहता वह लिंग है। ऐसा त्रिष्टप लिंग अनुमेयका अनुमापक होता है। इससे विपरीत अलिंग (हेत्वाभास) है और वह अनुमेयकी सिद्धि नहीं कर सकता।

बौद्ध तार्किक न्यायप्रवेशकार 3 भी त्रिरूप हेतुके प्रयोगको ही अनुमेयका साधक बतलाते हैं। धर्मकीर्ति 4 , धर्मोत्तर 2 आदिने उसका समर्थन किया है।

उपर्युक्त अध्ययनम् अवगत होता है कि आरम्भमें त्रिरूपात्मक हेतुका प्रयोग अनुनेयप्रतिपक्तिके लिए आवश्यक माना जाता था। पर उत्तरकालमें न्यायपरम्परामें त्रिरूप हेतुके स्थानमें पंचरूप हेतुका प्रयोग अनिवार्य हो गया। उसका सर्वप्रथम प्रतिपादन वाचस्पति मिश्र्य और जयन्तभट्टने किया है। आगे तो प्रायः सभी परवर्ती न्यायपरम्पराके विद्वानोंने पंचरूप हेतुके प्रयोगका ही समर्थन किया है। किन्तु ध्यान रहे, वैशेषिक और बौद्ध त्रिरूप हेतुके प्रयोगको मान्यतापर आरम्भसे अन्त तक दृढ़ रहे हैं।

प्रश्न है कि जैन तार्किकोंने किस प्रकारके हेतुके प्रयोगको अनुमेयका गमक स्वीकार किया है ? जैन परम्परामें सबसे पहले समन्तभद्रने हेतुके स्वरूपका निर्देश

- १. तदेवं हेतुस्वरूपावधारणाद्धेत्वाभासा निराकृता भवन्ति ।
 - --- ह्यायत्रा०, १।१।३४, पृष्ठ ११६।
- २. यदनुमेथेनाथेन देशविशंषे कालविशषे वा सहचरितमनुमेथधर्मान्त्रिते चान्यत्र सर्व-स्मिन्नेकदेशे वा प्रसिद्धमनुमेथविषरीते च सर्विस्मन्प्रमाणतोऽसदेव तदप्रसिद्धार्थस्यानु-मापकं लिगं भवति।
 - --- प्रश् भा ० पू ० १००।
- ३. न्यायप० पृ० १।
- ४. न्यायबिन्दु ए० २२, २३ । हेतुबि० ए० ५२ ।
- ५. न्यायबि० टो० पृ० २२, २३।
- ६. तेन सूत्रस्थेन (चशब्देन) अवाधितत्वमसत्प्रतिपक्षत्वमिष रूपद्वयं समुच्चित्रमित्युक्तं भवति ।
 - --- न्यायवा० ता० टी० १।१।५, पृ० १७४ तथा १७१।
- ७. गम्यतेऽनेनेति लिंगम्, तच्च पंचलक्षणम् ः एतैः पंचिमर्लक्षणैरुपपन्नं लिंगमनुमापकं भवति ।
 - ---न्यायमं० पृ० १०१।
- च्यन, न्यायवा० ता० परि० १।१।५ । केशव, तर्कमा० पृ० ८६, ।

किया है। उन्होंने आप्तमीमांसामें न्यायसूत्रकारके मतसे सहमित प्रकट करते हुए हेतुको अविरोधो (साध्यके साथ ही रहनेवाला—साध्याभावके साथ न रहनेवाला अर्थात् अविनाभावी—अन्यथानुपपन्न) होना विशेष आवश्यक बतलाया है। उनके व्याख्याकार अकलंकदेवने उनका आश्य उद्धाटित करते हुए लिखा है कि 'सधर्मणैं साध्यस्य साध्य्यात्' इस वाक्यके द्वारा समन्तभद्रने हेतुको त्रिलक्षण सूचित किया है और 'अविशेधतः' पदसे अन्यथानुपपत्तिको दिखलाकर केवल त्रिलक्षणको अहेतु प्रतिपादन किया है। उदाहरणस्वरूप 'तरपुत्रत्व' आदि असद् हेतुओंको लिया जा सकता है, जिनमें त्रैकृप्य तो है, पर अन्यथानुपपत्ति न होनेसे वे गमक नहीं हैं। किन्तु अन्यथानुपपन्न हेतुओंमें उन्होंने गमकता स्वीकार को है। अतएव 'निष्यस्वै-कान्तपक्षेऽपि विक्रिया नोपपद्यते' (आप्तमी० का० ३७) इत्यादि स्थलोंमें अन्यथानुपपत्तिका ही समाश्रय लिया गया है। तात्पर्य यह कि समन्तभद्र त्रैकृष्यका निषेध तो नहीं करते। परन्तु हेतुके अविनाभावपर अधिक भार देते हैं।

पात्रस्वामी , सिद्धसेन , कुमारनिंद , अकलंक , विद्यानन्द , माणिक्य-निंद , प्रभाचन्द्र , वादिराज , अनन्तवीर्य , देवसूरि , शान्तिसूरि , हेम-चन्द्र , चर्मभूषण , यशोविजय अरेर चारुकीर्ति । आदिने मात्र अविनाभावी — अन्यथानुपपन्न हेतुके प्रयोगको हो अनुमेयका साधक माना है।

१. सधर्मणीव साध्यस्य साधर्म्यादविरोधतः।

⁻⁻आप्तमी० का० १०६।

२. उदाहरणसाधर्म्यात्साध्यसाधनं हेतुः । तथा वैधर्म्यात् ।---न्यायस्० १।१।३४, ३५ ।

३. अष्टरा० अष्टस० पृ० २८९ (आ० मी० का १०६ की विवृति)।

४. तत्त्रसं० पृ० ४०६ में उद्धृत पात्रस्त्रामीका 'अन्यथानुपपन्नत्व' पद्य ।

५. न्यायाव० का० २१।

६. पत्रपरी० में उद्भृत कुमारनन्दिका 'अन्यथानुपपत्त्येकलक्षणं' पद्य ।

७. न्या० वि० का० २६९, प० सं० का० २१, अका० प्र० पृष्ठ ६६ तथा १०२।

८. प्रव परी० पृ० ७०. ७१।

ह. परी० मु० ३।१५ ।

१०. प्रमेयक० मा० शाहप, पृ० ३५४।

११. न्या० वि० वि० २।१ पृ० २ । प्र० नि० पृ० ४२ ।

१२. प्रमेयर० मा० ३।११, पृ० १४१-१४३।

१३. प्रव नव तव ३।११, प्रव ५१७।

१४. न्यायाव० वा० ३।४३, ५० १०२।

१५. प्र० मी० राशारर।

१६. न्या० दो० पृ० ७६।

१७. जैनतर्कमा० ५० १२।

१८. प्रमेयरत्नालं० ३।१५, ५० १०३।

यह हेतुप्रयोग दो तरहसे किया जाता है — (१) तथोपपत्तिरूपसे और (२) अन्यथानुपप्तिरूपसे। तथोपप्तिका अर्थ है साध्यके होनेपर ही साधनका होना है; जैसे अग्निके होनेपर ही घूम होता है। और अन्यथानुपप्तिका आश्य है साध्यके अभावमें साधनका न होना हो ; यथा अग्निके अभावमें घूम नहीं हो होता। यद्यपि हेतुके ये दोनों प्रयोग साधम्यं और वैधम्यं अथवा अन्वय और व्यतिरेकके तुल्य हैं। किन्तु उनमें अन्तर है। साधम्यं और वैधम्यं अथवा अन्वय और व्यतिरेकके साथ एवकार नहीं रहता, अतः वे अनियत भी हो सकते हैं, पर तथोपप्ति और अन्यथानुपप्तिके साथ एवकार होनेसे उनमें अनियमकी सम्भावना नहीं है — दोनों नियतक्य होते हैं। दूसरे, ये दोनों ज्ञानात्मक हैं, जब कि साधम्यं और वैधम्यं अथवा अन्वय और व्यतिरेक ज्ञेयधमात्मक हैं। अतः जैन तार्किकोंने उन्हें स्वीकार न कर तथोपप्ति और अन्ययानुप्पत्तिको स्वीकार किया तथा इनमेंसे किसी एकका ही प्रयोग पर्याप्त माना है ।

(३) दृष्टान्तः

हम पोछे कह आये हैं कि जो प्रतिपाद्य व्युत्पन्न नहीं हैं, न वादाधिकारी हैं और न वादेच्छुक हैं, किन्तु तत्त्वलिप्सु हैं उन्हें अव्युत्पन्न, बाल अथवा मन्दमित कहा गया हैं । इनकी अपेक्षा अनुमेयकी प्रतिपत्तिके किए पक्ष, हेतु और दृष्टान्त ये तीन,

```
    व्युत्पन्नप्रयागस्तु तथोपपत्त्याऽन्ययानुपप्रत्येव वा । अभिनमानयं देशस्तथैव घूमवत्त्वो-
पपत्तेषु मवत्त्वान्ययानुपपत्तेर्वा ।
```

-परी० मु० शरप ।

हेतुमयोगस्तथोपपत्त्यन्यथानुपपत्तिम्यां द्विमकार इति ।

-- प्रव नव तव शरप, प्रव पप्प । न्यायात्रव काव १७। प्रव मीव राश्वार ।

२. सत्येव साध्ये हेतोरुपपत्तिस्तथोपपत्तिरिति।

---देवसूरि, प्र० न० त० ३।३०। त० २छो० १।१३।१७५।

३. असति साध्ये हेतोरनुपपत्तिरेवान्यथानुपपत्तिरिति।

—वही, ३।३१, ५० ५६०।

(ख) हेतोस्तथोपपत्त्या वा स्यात्प्रयोगोऽन्ययापिवा । द्विविधोऽन्यतरेणापि साध्यसिद्धिर्भवेदिति ॥

—सिद्धसेन,न्यायाव० का० १७, ।

(ग) नानयोस्तात्पर्ये मेदः । अतएव नोभयोः प्रयोगः ।

--हंमचन्द्र, म० मी० २।१।५, ६, पृष्ठ ५०।

५. बालानां त्वन्युत्पन्नमज्ञानाः।
प्रमेयक् । मा ३।४६ का उत्यानिकावाक्य, पृ० ३७६।
प्रमेयर० मा० ३।४२ का उत्यानिकावाक्य तथा उसकी व्याख्या।
मन्दमतींस्तु व्युत्पादियतुंः।

--देवसूरि, प्र० न० त० श४२, ए० ५६४,।

उपनयसहित चार और निगमन सहित पांच अवयवोंके प्रयोगोंको भी जैन तार्किकोंने प्रस्वीकार किया है। भद्रवाहु रे, देवसूरि अहेमचन्द्र ४, यशोविजय आदि तार्किकों
ने प्रतिज्ञाशुद्धि आदि दश अवयवोंके प्रयोगको भी मान्य किया है। यहां इन सबपर क्रमश: विचार किया जाता है।

दृष्टान्तके लिए उदाहरण और निदर्शन शब्दोंका भी प्रयोग किया गया है। न्यायसूत्रकारने दृष्टान्त और उदाहरण दोनों शब्द दिये हैं तथा दृष्टान्तके वचनको उदाहरणका स्वरूप बतलाया है। प्रशस्तपादने निदर्शन शब्द प्रयुक्त किया है। न्यायप्रवेशकारने दृष्टान्त शब्दको चुना है। धर्मकीर्तिने दृष्टान्तको साधनावयव न माननेसे उसका निर्देश केवल निरासार्थ किया है।

जैन तार्किकोंने दृष्टान्त, निदर्शन और उदाहरण तीनों शब्दोंका प्रयोग किया है। सिद्धसेनने^{५०} दृष्टान्त, अकलंकने^{५०} दृष्टान्त और निदर्शन तथा माणिक्य-नन्दिने^{५२} दृष्टान्त, निदर्शन और उदाहरण तीनोंको दिया है।

ध्यातव्य है कि न्यायदर्शनमें दृष्टान्तको उदाहरणसे पृथक् स्वतन्त्र पदार्थके रूपमें भो प्रतिपादित किया है और उसका कारण एवं विशेष प्रयोजन यह बतलाया गया है ⁹³

- १. प्रतिपाद्यानुरोधेन प्रयोगोपगमात् । यथैव हि करया चत्प्रितबेष्ट्यस्यानुरोधेन साधनवाक्ये सन्धाऽभिधीयते तथा दृष्टान्तादिकमिष । कुमारनान्दभट्टारकेरप्युक्तम्—
 प्रतिपाद्यानुरोधन प्रयोगेषु पुनर्यथा । प्रतिशा प्रोच्यतः तज्ञांस्तथोदाहरणादिकम् ॥
 —िवद्यानन्द, पत्रपरी० पृ० ३, माणिक्यनन्दि । देवस्रि, प्र० न० त० ३।४२ । हमचन्द्र, प्र० मी० २।११० । धर्मभूषण, न्या० दी० पृ० १०३ । यशोविजय, जैनतकेमा० पृ० १६ ।
- २. दशवै० नि० गा० ५०, १३७।
- ३. स्या० रत्ना० ३।४२, ५० ५६५ ।
- ४. प्रव मीव राशारव की स्वोव वृव पृव पर ।
- प्र. जैनतर्कमा० पृ० १६।
- ६. न्यायस्० १।१।३६।
- ७. मश० मा० पृ० ११४, १२२।
- ८. न्यायप्र० पृ० १।
- ह. तावतैवार्धमतीतिरिति न पृथग्दृष्टान्तो नाम ।।।
 ---त्या० बि० तृ०परि० पृष्ठ हरु।
- १०. न्यायाव० का० १८, १६।
- ११. अकलंकग्रन्थ० पृ० ८०, ४२, १०६, १२७।
- १२. परीक्षामु० ३।२७, ४०, ४७, ४८, ४६।
- १३. दृष्टान्तिविरोधेन हि प्रतिपाद्याः प्रतिषेद्धय्या भवन्ति, दृष्टान्तसमाधिना च स्वपक्षाः स्थापनीया भवन्तीति, अवयवेषु चोदाहरणाय कल्पत इति ।
 - --वात्स्यायन, न्यायभा० १/१/२५, पृ० ४३।

कि दृष्टान्त-विरोधसे प्रतिपक्षियोंको वादमें रोका जा सकता है तथा दृष्टान्तसमा-धानसे अपना पक्ष परिपुष्ट किया जाता है और अवयवोंमें उदाहरणकी कल्पना दृष्टान्तसे ही होती है।

गौतमने वृष्टान्तका स्वरूप प्रस्तुत करते हुए कहा है कि जिस अर्थमें लौकिक और परीक्षक दोनों सहमत हों वह दृष्टान्त है। इस दृष्टान्तका प्रदर्शन ही उदाहरण है । उदाहरणहारा उन दो धर्मोंमें साध्य-साधनभाव पुष्ट किया जाता है । जिनके अविनाभावी एकको साधन और दूसरेको साध्य बनाया जाता है। उदाहरणसे अव्युत्पन्न प्रतिपाद्यको सरलतासे अनुमेयका बोध हो जाता है। अक्षपादने दृष्टान्तके सामान्यलक्षणके अतिरिक्त एक-एक सूत्रमें साधम्योंक्त और वैधम्योंक्त उदाहरणका स्वरूप बताया है। इससे ज्ञात होता है कि उन्हें उदाहरणके दो भेद विवक्षित हैं—(१) साधम्यं और (२) वेधम्यं।

प्रशस्तपादने भी निदर्शनके दो भेदोंका निर्देश किया है और वे अक्षपाद जैसे ही हैं। न्यायप्रवेशकारने भो अक्षपादको तरह द्विविध दृष्टान्तोंका प्रतिपादन किया है।

जैन तार्किक सिद्धसेनने वृष्टान्तके उक्त दोनों भेद स्वीकार किये हैं। जहां साध्य और साधनमें व्याप्तिका निश्चय किया जाता है उसे साधम्यं दृष्टान्त तथा

- १. ठौकिकपरोक्षकाणा यस्मिन्नर्थे बुद्धिसाम्यं स दृष्टान्तः ।
 - ---न्यायस्० १।१।२५ ।
- २. साध्यसाधम्यात्तद्धर्मभावी दृष्टान्त उदाहरणम् ।
 - -- वही, १।१।३६।
- ३. उदाहियतेऽनेन धर्मयोः साध्यसाधनभाव इत्युदाहरणम् ।
 - --- नात्स्यायन, न्यायभा० १।१।३६, पृ० ५०।
- ४. न्यायस्० १।१।२५, १।१।३६, ३७।
- ५. द्विविधं निदर्शनं साधम्येण वैधम्येण च । तत्रानुमेयसामान्येन िलंगसामान्यस्यानुविधान-दर्शनं साधम्येनिदर्शनम् । तद्यया—यत् क्रियावत् तद् द्रव्यं दृष्टं यथा शर इति । अनु-मेयविषयेमये च िलंगस्यामावदर्शनं वैधम्येनिदर्शनम् । तद्यया—यदद्रव्यं तत् क्रियावत्र भवनि यथा सत्तेति ।
 - --- प्रश्ना० भा० पृ० १२२।
- ६. दृष्टान्तो द्विविधः । साधम्येण वैधम्येण च । तत्र साधम्येण तावत् । यत्र हेतोः सपक्ष स्वास्तित्वं स्थाप्यते । तद्यथा । यत्कृतकं तद्वित्यं दृष्टं यथा घटादिरिति । वैधम्येणापि । यत्र साध्याभावे हेतोरभाव स्व कथ्यते । तद्यथा । यित्रत्यं तदकृतकं दृष्टं यथाकांश-मिति ।
 - --- न्यायप्र० पृ० १,२।
- ७. न्यायाव० का० १८, १९।

है। तथा जहां साघ्यके न होने पर साधनका न होना स्यापित किया जाता है उसे वैधर्म्य दृष्टान्त बतलाया है। विशेष यह कि इसमें उन्होंने पूर्वगृहीत व्याप्तिसम्बन्ध के स्मरणकी अपेक्षा भी बतलायो है। साथ ही वे अन्तर्व्याप्तिसे ही साघ्य-सिद्धि होनेपर बल देते हैं और उसके अभावमें उदाहरणको व्यर्थ बतलाते हैं।

अकलंकका मत है कि दृष्टान्त अनुमेय-सिद्धिमें सर्वत्र आवश्यक नहीं है। उदाहरणार्थ समस्त पदार्थोंको क्षणिक सिद्ध करनेमें कोई दृष्टान्त प्राप्त नहीं होता, क्योंकि सभी पदार्थ पक्षान्तर्गत हो जानेसे सपक्षका अभाव है। अतः बिना अन्वयके भी मात्र अन्तर्व्यक्तिके सद्भावसे साध्य-सिद्धि सम्भव है। हौ, जहाँ दृष्टान्त मिलता है उसे दिया जा सकता है। अकलंकने दृष्टान्तका लक्षण प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि जहां साध्य और साधन धर्मका सम्बन्ध निर्णीत होता है वह दृष्टान्त है।

माणिक्यनित्ति भे भी दृष्टान्तके दो भेदोंका निरूपण किया है। अन्तर यह है कि उन्होंने साधम्य और वैधम्यके स्थानमें क्रमशः अन्वय और व्यतिरेक शब्द दिये हैं। जहाँ साध्यके साथ साधनकी व्याप्ति दिखाई जाए उस स्थानको अन्वयदृष्टान्त तथा जहाँ साध्यके अभावको दिखाकर साधनका अभाव दिखाया जाए उसे व्यतिरेक दृष्टान्त कहा है।

देवसूरि व्याप्तिस्मरणके आस्पद (महानसादि)को दृष्टान्त कहते हैं । माणि-क्यनन्दिने दृष्टान्तके सामान्यलक्षणका प्रतिपादक कोई सूत्र नहीं रचा । पर देवसूरि

- अन्तर्व्याप्त्यैव साध्यस्य सिद्धेर्वहिरुदाहृतिः ।
 व्यर्था स्यात् तदसद्भावेऽप्येवं न्यायविदो विदुः ॥
 —न्यायाव० का० २० ।
- २. सर्वत्रैव न दृष्टान्तोऽनन्वयेनापि साधनात् । अन्यथा सर्वमावानामसिद्धोऽयं क्षणक्षयः ॥ —न्यायवि० का० ३८१।
- सम्बन्धो यत्र निर्ज्ञातः साध्यसाधनधर्मयाः ।
 स दृष्टान्तः तदाभासाः साध्यादिनिकलादयः ॥
 —न्यायिन का० ३८० ।
- ४. दृष्टान्तो द्वेषा, अन्वयन्यितिरैकमेदात् । साध्यन्याप्तं साधनं यत्र प्रदर्श्यते सोऽन्वयदृष्टान्तः । साध्यामावे साधनामाना यत्र कथ्यते स न्यतिरैकदृष्टान्तः
 - —प० मु० ३।४७, ४८, ४६ ।
- **५. प्र**तिबन्धप्रतिपत्तेरास्पदं दृष्टान्त इति ।
 - --- प्रव न० त० ३।४३, ए० ५६७।

ने उसका प्रतिपादक सूत्र दिया है । इन्होंने दृष्टान्तके द्वैविष्यमें माणिक्यनिद्य को तरह अन्वय-व्यतिरेक शब्द न देकर सिद्धसेनको तरह साधर्म्य-वैधर्म्य शब्द प्रयुक्त किये हैं। हेमचन्द्रने इस सम्बन्धमें देवसूरिका अनुसरण किया है।

धमभूपणने र दृष्टान्तके सम्यक् वचनको उदाहरण और व्याप्तिके सम्प्रतिपत्ति-प्रदेशको दृष्टान्त कहा है। जहां वादी और प्रतिवादीकी बुद्धिसाम्यता (अविवाद) है उस स्थानको सम्प्रतिपत्ति-प्रदेश कहते हैं। जैसे रसोईशाला आदि अथवा तालाब आदि । क्योंकि वहाँ 'धुमादिकके होनेपर नियमसे अन्त्यादिक पाये जाते हैं और अग्न्यादिकके अभावमें नियमसे धुमादिक नहीं पाये जाते इस प्रकारकी सम्प्रति-पत्ति सम्भव है । रसोईशाला अर्दि अन्वय दृष्टान्त हैं, क्योंकि वहाँ साध्य और साधनके सद्भावरूप अन्वयबृद्धि होती है। और तालाब आदि व्यतिरेक-दृष्टान्त है, क्योंकि वहाँ साध्य और साघन दोनोंके अभावरूप व्यतिरेकका ज्ञान होता है। ये दोनों ही दृष्टान्त है, क्योंकि साध्य और साधन दोनोंरूप अन्त - अर्थात् धर्म जहां सद्भाव अथवा असद्भाव रूपमें देखे जाते हैं वह दृष्टान्त है, ऐसा दृष्टान्त शब्दका अर्थ उनमें निहित है। धर्मभूषण "एक विशेष बात और कहते हैं। वह यह कि दृष्टान्तका दष्टान्तरूपसे जो वचन-प्रयोग है वह उदाहरण है। केवल वचनका नाम उदाहरण नहीं है। इसके प्रयोगका वे निदर्शन इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं - जैसे, जो जो धुमवाला होता है वह वह अग्निवाला होता है, यथा रसोईघर, और जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ धुम भी नहीं है, जैसे तालाब, इस प्रकारके वचनके साथ ही दृष्टान्त-का दृष्टान्तरूपसे प्रतिपादन करना उदाहरण है।

१. प्र० न० त०, ३।४३, ५० ५६७।

२. स द्वेषा साधर्म्यता वैषम्यत्रव्वेति । यत्र साधनधर्मसत्तायामवर्श्य साध्यधर्मसत्ता प्रकाश्यते स साधर्म्यदृष्टान्त इति । यत्र तु साध्याभावे साधनस्यावस्यमभावः प्रदर्शते स वैषम्यदृ-ष्टान्तः ।

[—]बही, ३।४४, ४५, ४६, ए० ५६७, ५६८।

३. स व्याप्तिदर्शनभूमिः । स साधम्यवैधम्बाभ्यां देषा । साधनधर्ममयुक्तसाध्यधर्मयोगी साध-र्म्यदृष्टान्तः साध्यधर्मानवृत्तिशयुक्तसाधनधर्मानवृत्तियोगी वैधम्बदृष्टान्तः ।

⁻⁻⁻ प्रमाणमी० शारार०, २१, २२, २३, ४० ४८ i

५. न्यायदी० पृ० १०५।

यशोविजयने मन्दमित प्रतिपाद्योंके लिए दृष्टान्तादिका प्रयोग उपयुक्त माना है । पर उनका विवेचन नहीं किया ।

माणिक्यनिन्दिके व्याख्याकार अन्तिम जैन तार्किक चारुकीर्तिको गंगेश और उनके अनुवर्ती नव्य नैयायिकों द्वारा विकसित नव्यन्यायके चिन्तनका भी अवसर मिला है। अतः उन्होंने उससे लाभ उठाकर अन्वयि-उदाहरण और व्यितिरेकि उदाहरणके लक्षण नव्यन्यायको पद्धतिसे प्रस्तुत किये हैं । जैन परम्पराके लिए उनका यह नया आलोक है।

(४) उपनय:

उपनयका स्वरूप बतलाते हुए गौतमने लिखा है कि उदाहरणकी अपेक्षा रखते हुए 'वैसा ही यह है' या 'वैसा यह नहीं है' इस प्रकारसे साध्यका उपसंहार उपनय कहलाता है। वात्स्यायनने गौतमके इस कथनका विश्वदीकरण इस प्रकार किया है—जिस अनुमाताने साध्यके सादृष्ट्यसे युक्त उदाहरणमें स्थालो आदि द्रव्यको उत्पत्तिधर्मक होनेसे अनित्य देखा है वह 'शब्द उत्पत्तिधर्मक है' इस अनुमानमें साध्य—स्थालो आदि द्रव्यका भी उत्पत्तिधर्मक क्वें उपसंहार करता है। इसी तरह जिसने साध्यके वैसादृष्यमे युक्त उदाहरणमें आत्मा आदि द्रव्यको अनुपत्तिधर्मा होनेसे नित्य जाना है वह शब्दमें नित्यत्व न मिलनेपर अनुत्पत्तिधर्मकत्वके उपसंहार-प्रतिपेधसे उसमें उत्पत्तिधर्मकत्वका उपसंहार करता है। उपसंहारका अर्थ है दोहराना। जिस अनुमानावयवमें उदाहरणकी प्रसिद्धिपूर्वक हेतुविशिष्टत्वेन अनुमेयको दोहराया जाए वह उपनय है। वात्स्यायनने गौतमके आश्यानुसार उदाहरण तथा हेतुकी तरह उपनयके भी अन्वय और व्यतिरेकरूप दो भेदोंका निर्देश किया है। उद्योतकर आदि उत्तरवर्ती सभी नैयायिकोंने न्यायसूत्रकार और वात्स्यायनका समर्थन किया है।

- १. मन्दमतींस्तु व्युत्पादियतुं दृष्टान्तादिमयोगोऽप्युपयुज्यते । यसतु प्रतिबन्धम्राहिणः प्रमाणस्य न स्मरति, तं प्रति दृष्टान्तोऽपि ।
 - --- जैन तर्कभा० पृ० १६।
- अन्वयन्याप्तिविशिष्टहेत्वबिच्छन्नपर्वतिकोध्यक्तसाध्यप्रकारकवोधजनकत्वावयत्वमन्वय्युदाहरणस्य लक्षणम् । व्यितरेकिच्याप्तिविशिष्टसाधनाविच्छन्नविशेष्यकत्ताध्यप्रकारकवोधजनकावयवत्वं न्यतिरेकोदाहरणस्य लक्षणम् ।
 - प्रेमयरत्नार्लं० ३।४७, ४९, पृ० १२०, १२१।
- ३. उदाहरणापेक्षस्तथेत्युपसंहारो न तथेति वा साध्यस्योपनयः ।
 - --न्यायस्० १।१।३८।
- ४. न्यायमा० १।१।३८, ५० ५१ ।
- प. बहो, शशाइ८, प्र० पर ।

बौद्धोंने उपनयको स्वीकार नहीं किया। अतः उनके तर्कग्रन्थोंमें उसका विवे-चन नहीं है। पर हाँ, धर्मकीतिने हेतुका प्रयोग साधम्यं और वैधम्यं रूपसे द्विविध बतलाकर उसीके स्वरूपमें उदाहरण और उपनयको अन्तर्भूत कर लिया है। उनके हेतुका प्रयोग इस प्रकार होता है—'जो सत् है वह सब क्षणिक है। जैसे घटादिक। और सत् शब्द है। तथा क्षणिकता न होनेपर सत्त्व भी नहीं होता।' हेतुके इस प्रयोगमें स्पष्टतया उदाहरण और उपनयका प्रवेश है। पर धर्मकोति उन्हें हेतुका ही स्वरूप मानते हैं - जनहें पृथक् स्वीकार नहीं करते।

अनन्तवीर्यं और उनके अनुसर्ता हेमचन्द्रने ४ मीमांसकोंके नामसे चार अव-यवमान्यताका उल्लेख किया है, जिसमें उपनय सम्मिल्त है। इससे ज्ञात होता हैं कि मीमांसकोंने भी उपनयको माना है। परन्तु यह मान्यता मीमांसकतर्कग्रन्थोंमें उपलब्ध नहीं होती। सांख्यविद्वान् युक्तिदीपिकाकार भी अपने दशावयवोंमें उप-नयका कथन करते हुए पाये जाते हैं। किन्तु माठरने उपनयको स्वीकार नहीं किया। केवल पक्ष, हेतु और दृष्टान्तको उन्होंने अंगीकार किया है।

जैन परम्परामें गृद्धपिच्छ, समन्तभद्र और सिद्धसेनने उपनयका कोई निर्देश नहीं किया। अकलंक पात्र 'उपनयादिसमम्' शब्दों द्वारा उपनयका उल्लेख तो करते हैं, पर उसके स्वरूपादिका उन्होंने कोई कथन नहीं किया। इतना अवश्य है कि वे प्रतिपाद्यविशेषके लिए उसके प्रयोगका समर्थन करते जान पड़ते हैं। उपनयके स्वरूपका स्पष्ट प्रतिपादन माणिक्यनन्दिने किया है। वे कहते हैं कि पक्षमें हेतुके

- १. तस्य (हेतोः) द्विधा प्रयोगः । साधम्येंण एकः, वैधम्येंणापरः । यथा—यत् सत् तत् सर्वे क्षणिकम् । यदा घटादयः । संश्च शब्दः । तथा, क्षणिकत्वाभावे सत्त्वाभावः । सर्वोपसंहारेण व्याप्तिप्रदर्शनलक्षणौ साधम्येवैधम्येप्रयोगौ उक्तौ ।
 - —हेतुबि० ५० ५५।
- २. डा० महेन्द्रकुमार जैन, न्यायवि० प्रस्तावना पृष्ठ १५।
- ३. प्रमेयर० मा० ३।३२, ५० १६४।
- ४. प्र० मी० राश८, पृ० ५२।
- ५. साध्यदृष्टांतयोरेकिकियोपसंहार उपनयः।
 - —युक्तिदी० का ६, ५० ४८।
- ६. माठरवृ० का० ५।
- ७. सम्मोहव्यवच्छेदेन तत्त्वावधारणे स्वयं साक्षात्कृतेऽपि साधनवचने क्यंचिन्निश्चित्यःवाचकं उपनयादिसमम् ।
 - --- प्र० स० का० ५१, अक० ग्रंथ० ५० १११।
- तावत् प्रयोक्तव्यं यावता साध्यसाधनमधिकरणं प्रत्येति ।
 - -वही, स्वो० वृ० पृ० १११।
- ९. हेतोरूपसंहार उपनयः।
 - ---परीक्षामु० ३।५० ।

दहरानेका नाम उपनय है। प्रभाचन्द्रने उनके प्रतिपादनका बहुत सुन्दर व्याख्यान किया है। उन्होंने लिखा है कि जिसके द्वारा साध्यधर्मीमें साध्याविनाभाविरूपसे अर्थात पक्षधर्मरूपसे विशिष्ट हेतू उपर्वशित हो वह उपनय कहा जाता है। यथार्थ में चपनयवान्यके द्वारा दृष्टान्त सादृश्यसे हेतुमें साध्याविनाभावित्वरूप पक्षधर्म-ताकी पृष्टि की जाती है। अतएव उपनयको उपमान भी कहा गया है । इसका उदाहरण है-- 'उसी प्रकार यह धुमवाला है'। अनन्तवीर्यका अभी यही मत है। देवसूरि माणिक्यनिन्द और प्रभाचन्द्रका ही अनुगमन करते है। हेमचन्द्रने उप-नयके स्वरूपका प्रतिपादक सुत्र तो देवसूरि जैसा ही दिया है। पर उसकी वृत्तिमें उन्होंने इक्छ विशेषता व्यक्त की है। कहा है कि जिस पक्षधर्म-साधनकी दृष्टान्त-धर्मीमें व्याप्ति (साध्याविनाभाव) को जान लिया है उसका साध्यधर्मीमें उपसं-हार करना उपनय है और वह वचनरूप है। जैसे 'और धूमवाला यह है'। चारु-कीर्तिका े उपनयलक्षण नव्यन्यायके परिवेशमें ग्रथित होनेसे उल्लेखनीय है। ध्यान रहे न्यायपरम्परामें जहां साध्य (पक्ष) के उपसंहारको उपनय कहा है वहां जैन न्यायमें पक्षमें हेत्के उपसंहारको उपनय बतलाया गया है। वास्तवमें उपनयका प्रयोजन प्रयुक्त हेत्में साध्याविनाभावित्वकी सम्पुष्टि करना है। अतः पक्षनिष्ठत्वेन हेत्के पुनः अभिधानको उपनय कहा जाना युक्त है।

(५) निगमनः

परार्थानुमानका अन्तिम अवयव निगमन है। निगमनका स्वरूप देते हुए गौत-

उपनया हि साध्यात्रिनामातित्वेन विशिष्टो साध्यधर्मिण्युपनीयते येनोपदर्श्यते हेतुः सोऽभिधीयते ।

⁻⁻⁻ प्रमेयक० मा० ३।५०, पृ० ३७७।

२. उपनय उपमानम् , दृष्टान्तर्थामसाध्यर्थामणोः सादृश्यात् । ...

⁻⁻⁻ प्रमेयक० म० ३।३७, पृष्ठ ३७४।

३. हेतो: पक्षधर्मतयोपसंहार उपनय इति ।

⁻⁻ प्रमेयर० मा० श४६, पृ० १७२।

४. हेतोः साध्यधर्मिण्युपसंहरणसुपनयः इति । उपनीयते साध्याविनामावित्वेन विशिष्टो हेतुः साध्यधर्मिण्युपदश्यते येन स उपनय इति ब्युत्पत्तेः ।

⁻⁻⁻ प्रव न व त स्था र व ३।४७, पृ ५६९।

प्रिमिण साधनस्योपसंहार उपनयः ।

⁻⁻⁻ प्रव मी० २।१।१४, प्रव ५३।

६. दृष्टान्तर्थार्मणि विस्ततस्य साधनधर्मस्य साध्यधर्मिणि यः उपसंहारः स उपनयः उप-संह्रियतेऽनेनोपनीयतेऽनेनेति वचनरूपः, यथा धूमवांश्चायमिति ।

⁻⁻वही, राशिश्व, प्र० ५३।

७. म० रत्नालं० ३।५०, ५० १२१।

तने िलला है कि हेतुके कथनपूर्वक प्रतिज्ञाका पुनः अभिधान करना अर्थात् दुह-राना निगमन है। इसे वात्स्यायन र उदाहरणपूर्वक स्पष्ट करते हैं कि जिस प्रकार हेतुकथनके उपरान्त साधर्म्यप्रयुक्त अथवा वैधर्म्यप्रयुक्त उदाहरणका उपसंहार किया जाता है उसी प्रकार 'उत्पत्तिधर्मक होनेसे शब्द अनित्य है' इस तरह हेतुकथन-पर्वक प्रस्तावित पक्षको दूहराना निगमन कहलाता है। वे रै निगमन-साध्य अर्थको बतलानेके लिए साधम्यं और वैधम्यं प्रयुक्त अनुमानप्रयोजक वाक्योंके विश्लेषणके साथ कहते हैं -- 'शब्द अनित्य हैं' यह प्रतिज्ञा है, 'उत्पत्तिधर्मा होनेसे' यह हेतु है, 'उत्पत्तिधर्मा स्थाली आदि द्रव्य अनित्य होते हैं' यह उदाहरण है, 'वैसा ही यह शब्द हैं यह उपनय है, 'इसलिए उत्पत्तिधर्मा होनेसे शब्द अनित्य हैं यह निगमन है। यह तो साधम्यंत्रयुक्त अनुमानप्रयोजक वाक्यका उदाहरण है। वैधर्म्यप्रयुक्त वाक्यका उदाहरण इस प्रकार है- 'शब्द अनित्य है', 'क्योंकि वह उत्पत्ति धर्मा है', 'अनुत्पत्तिधर्मा आत्मादि द्रव्य नित्य देखा गया है', 'यह शब्द वैसा अनुत्पत्तिधर्मा नहीं हैं, 'इसलिए उत्पत्तिधर्मा होनेसे शब्द अनित्य हैं। तात्पर्य यह कि पंचावयववाक्यमें पांचों (प्रतिज्ञासे निगमनतक) अवयव मिलकर परस्पर सम्बद्ध रहते हुए ही अनुमेयकी प्रतिपत्ति कराते हैं। निगमनका काम है कि वह यह दिखाये कि पहले कहे गये चारों अवयववाक्य एकमात्र अनुमेयको प्रतिपत्ति कराने की सामर्थ्यसे सम्पन्न हैं । उद्योतकर अगेर वाचस्पति मिश्रने इपनय और निग-मनको अवयवान्तर स्वीकार न करनेवालोंकी मीमांसा करते हुए उन्हें पृथक अव-यव माननेकी आवश्यकताका प्रदर्शन किया है। उनका मत है कि दृष्टान्तगत धर्म-की अव्यभिचारिताको सिद्ध करके उसके द्वारा साध्यगत धर्मको तृल्यताका बोध करानेके लिए उपनयको और प्रतिज्ञात अर्थके प्रमाणों (चार अवयववाक्यों) से उपपन्न हो जानेपर साध्यविपरीतका प्रसंग निषेध करनेके लिए निगमनकी आव-

- १. हेत्वपदेशात्प्रतिशायाः पुनर्वचनं निगमनम् । —न्यायस्० १।१।३९ ।
- २. न्यायभाव शिशाहर, पृव ५२।
- र. न्यायमाठ रारास्ट, ग्रुठ पर
- ३. वही, १।१।३६, ५० ५२।
- ४. सर्वेषामेकार्थपतिपत्तौ सामर्थ्यपदर्शनं निगमनिमति ।
 - ---न्यायमा० १।१।३९, ५० ५३।
- प्रान्तगतस्य धर्मस्याव्यभिचारित्वे सिद्धे तेन साध्यगतस्य तुल्यधर्मता एवं चायं कृतकः
 इति ।

प्रतिज्ञाविषयस्यार्थस्याशेषप्रमाणोपपत्तौ साध्यविपरीतप्रसंगप्रतिषेषार्थं यत् पुनरिमधानं तत् निगमनिमिति ।

- ---न्यायवा० १।१।३८, ३६, पृ० १३७।
- ६. न्यायवा० ता० टी० १।१।३८, ३६, पृ० २६६-३०१।

ध्यकता एवं उपयोगिता है। वाचस्पिति कहते हैं कि प्रतिज्ञादि चार अवयवोंके द्वारा हेतुके केवल तीन अथवा दो रूपोंका प्रतिपादन होता है, अबाधितविषयत्व और असत्प्रतिपक्षत्वका नहीं और अविनाभाव पाँच अथवा चार रूपोंमें समाप्त होता है। अतः अबाधितविषयत्व तथा असत्प्रतिपक्षत्व इन दो रूपोंका संसूचन करनेके लिए निगमन आवश्यक है।

प्रशस्तपादने निगमन शब्दके स्थानमें 'प्रत्याम्नाय' शब्द रखा है और उसका स्वरूप प्रायः वही प्रस्तुत किया है जो न्यायपरम्परामें निगमनका है। पर ध्यान देनेपर उसमें कुछ वैशिष्ठच परिलक्षित होता है। उनका मन्तव्य है कि अनुमेय-रूपसे जिसका उद्देश्य किया गया है और जिसका निश्चय नहीं हुआ है, उसका दूसरों (प्रतिपाद्यों) को निश्चय करानेके लिए प्रतिज्ञाका पुनः अभिधान करना प्रत्याम्नाय है। जिन प्रतिपाद्योंने हेत्वादि चार अवयववाक्योंसे अनुमेय-प्रतिपत्तिकी शक्ति तो प्राप्त कर ली है, पर उसका निश्चय नहीं, उन्हें प्रत्याम्नायवाक्यसे ही अनुमेयका निश्चय कराया जाता है। इसके बिना अन्य सभी अथवा प्रत्येक अवयव अनुमेयका निश्चय नहीं करा सकते। अतः प्रत्याम्नायवाक्यके कहे जानेपर ही पंचावयवरूप परार्थानुमानवाक्य पूर्ण होता है और वही परार्थानुमितिमें सक्षम है।

बौद्ध और मीमांसक उपनयकी तरह निगमनको भी नहीं मानते। अतः उनके न्याय-प्रन्थोंमें उसका समर्थन न होकर निरास ही उपलब्ध होता है। धर्मकीर्तिने तो उपनय और निगमन दोनोंको असाधनांग कहकर उनके कहने पर असाधनांग निग्रहस्थान बतलाया है। सांख्यविद्वान् युक्तिदीपिकाकार निगमनको मानते हैं। पर माठर उसे स्वीकार नहीं करते।

जैन तर्कशास्त्रमें निगमनका स्पष्ट कथन माणिक्यनन्दिने आरम्भ किया है। उनके बाद देवसूरि, हेमचन्द्र आदिने भी उसका निरूपण किया है। माणिक्यनन्दिने उ

चतुर्भिः खल्ववयवैहेंतोस्त्रीणि रूपाणि देवा प्रतिपादिते न त्वबाधितविषयत्वासत्प्रति-पक्षत्वे । पंचसु वा चतुर्धुं वा रूपेषु हेतोरिवनाभावः परिसमाप्यते, तस्मादबाधितत्वास-त्प्रतिपक्षितत्वरूपद्वयसंस्चनाय निगमनम् ।

⁻⁻ न्या० ता०, १।१।३६, पृ० ३०१-३०२।

२. अनुमेयत्वेनोिह्छे चानिश्चिते च परेषां निश्चयापादनार्थं प्रतिशायाः पुनर्ववचनं प्रत्या-म्नायः । " न ह्येतिस्मन्नसति परेषामवयवानां समस्तानां व्यस्तानां वा तदर्थवाचकत्व-मस्ति । "तस्मात् पंचावयवेनैव "।

⁻⁻⁻⁻प्रश्न० भा० पृ० १२४-१२७।

३. प्रतिश्वायास्तु निगमनम् ।

⁻परीक्षामु० ३।५१।

प्रतिज्ञाके दुहरानेको निगमन कहा है। प्रभाचन्द्र उस वाक्यको निगमन बतलाते हैं जिसके द्वारा प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण और उपनय चारोंको साध्यरूप एक अर्थमें साधकरूपसे सम्बन्धित किया जाता है। अनन्तवीर्यको इन दोनों परिभाषाओं में कुछ कमी प्रतीत हुई है और जो युक्त भी है। वे उसमें 'पक्षधमंविशिष्टरूपसे' इतना विशेषण और जोड़ देना आवश्यक समझते हैं। अर्थात् उनकी दृष्टिसे साध्यधमंविशिष्टरूपसे प्रतिज्ञाका प्रदर्शन (दुहराना) निगमन है। जैसे 'धूमवाला होनेसे यह अग्निवाला है।' देवसूरि अगेर हेमचन्द्रका निगमन-स्वरूप माणिक्य-निश्चयरूप वचनको निगमन कहा है। चार्रकीर्तिने उपनयकी तरह निगमनका भी लक्षण नव्यपद्धितसे ग्रथित किया है।

ऐसा प्रतीत होता है कि अन्तिम दो अवयवों पर जैन तार्किकोंने उतना बल नहीं दिया जितना आरम्भके अवयवों पर दिया है। यही कारण है कि माणिक्य-नित्से पूर्व इनपर विवेचन प्राप्त नहीं होता। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पंचावयवकी मान्यता मुख्यतया नैयायिकों तथा वैशेषिकोंको है और वह वाद तथा शास्त्र क्षेत्रमें समान रूपसे स्वीकृत है। पर जैन विचारकोंने वादमें तीन या दो तथा शास्त्रमें तीन, चार और पाँच अवयवोंका समर्थन करके उन्हें दो (वाद तथा शास्त्र) क्षेत्रोंमें विभक्त किया है। अतएव अन्तिम दो या तीन अवयवोंको वादापेक्षया स्वीकार न करने पर भी शास्त्रकी अपेक्षासे उनका जैन तर्कग्रन्थोंमें स्वरूप निरूपित है।

(६-१०) पंच शुद्धियाँ :

भद्रबाहुने ९ उक्त प्रतिज्ञादि पाँच अवयवोंके अतिरिक्त उनकी पाँच शुद्धियाँ

१. प्रमेयक् मा० ३।५१, ५० ३७७।

२. प्रतिज्ञाया उपसंहारः साध्यधर्मविशिष्टत्वेन प्रदर्शनं निगमनम् ।

⁻⁻ प्रमेयर० मा० ३।४७, ५० १७३।

३. प्र० न० त० ३।४८, पृ० ५६९।

४. म० मो० २।१।१५, ५० ५३।

५. साधनानुवादपुरस्सरं साध्यनियमवचनं निगमनम् । तस्मादग्निमानेवेति ।

⁻⁻ न्या० दो० पृ० १११।

६. पक्षतात्रच्छेदकार्वाच्छन्नविशेष्यतानिरूपितहेतुशानन्याप्यत्वविशिष्टसाध्यतावच्छेदकाव-च्छिन्नप्रकारताशास्त्रिबोधजनकवाक्यत्वं निगमनत्वमित्यर्यः।

⁻⁻⁻ प्रमेबरत्नालं० ३।५१, ५० १२१।

७. प्रमेयर० मा० ३।४७, पृ० १७३।

८. परोक्षामु० ३।४६। प्र० न० त० ३।४२ ।

६. दशवै० नि० गा० ४९, ५०।

भी प्रतिपादित की हैं और इस प्रकार उन्होंने अधिक-से-अधिक दश अवयवोंका कथन किया है। वे इस प्रकार हैं:—१. प्रतिज्ञा, २. प्रतिज्ञाशुद्धि, ३. हेतु, ४. हेतुगुद्धि, ५. दृष्टान्त, ६. दृष्टान्तशुद्धि, ७. उपसंहार, ८. उपसंहारशुद्धि, ६. निगमन और १०. निगमनशुद्धि। देवसूरि, हेमचन्द्र², और यशोविजयने भी उक्त दशावयवोंका समर्थन किया है। इन तार्किकोंका मन्तन्य है कि जिस प्रतिपाद्यको प्रतिज्ञादि पंचावयवोंके स्वरूपमें शंका हो या उनमें पक्षाभासादि दोषोंकी सम्भावना हो तो उस प्रतिपाद्यको उनके परिहारके लिए उक्त प्रतिज्ञाशुद्धि आदि पाँच शुद्धियोंका भी प्रयोग किया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि भद्रबाहुने एक दूसरे प्रकारसे भी दशावयवोंका निरूपण किया है। उनके नाम हैं—१. प्रतिज्ञा, २. प्रतिज्ञाबिभक्ति, ३. हेतु, ४. हेतुविभक्ति, ५. विपक्ष, ६. विपक्ष-प्रतिषेष, ७. दृष्टान्त, ८. आशंका, ९. आशंकाप्रतिषेष और १०. निगमन। पर इन दश अवयवोंका देवसूरि आदि किसी भी उत्तरवर्ती जैन तार्किकने अनुगमन नहीं किया और न उनका उल्लेख किया है।

घ्यान रहे कि ये दोनों दशावयवोंकी मान्यताएँ श्वेताम्बर परम्परामें स्वीकृत हैं। दिगम्बर परम्पराके तार्किकोंने उन्हें प्रश्रय नहीं दिया। इसके कारण पर विचार करते हुए पं० सुखलालजी संघवीने लिखा है कि 'इस तफावतका कारण दिगम्बर परम्पराके द्वारा श्वेताम्बर आगम-साहित्यका परित्याग जान पड़ता है।' हमारा अध्ययन है कि दिगम्बर परम्पराके तार्किकोंने अपने तर्कग्रन्थोंमें न्याय और वैशेषिक परम्पराके पंचावयवों पर ही चिन्तन किया है, क्योंकि वे ही सबसे अधिक लोकप्रसिद्ध, चिनत और सामान्य थे। यही कारण है कि वात्स्यायन द्वारा समीक्षित और युक्तिदीपिकाकार द्वारा प्रतिपादित जिज्ञासादि दशावयवोंको भी उन्होंने कोई अनुकृल या प्रतिकृल चर्चा नहीं की। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार वात्स्यायनने पाँचों अवयवोंका प्रयोजन बतलाते हुए हेतु और उदाहरणकी परिशुद्धिका जिक्र किया है, जिसका आश्य यह है कि दृष्टान्तगत साघ्य-साघनधर्मोंमें साघ्यसाघनभाव व्यवस्थित हो जाने पर साघनभूत घर्मको हेतु बनानेसे वह अनुमेयका अव्यभिचारी होता है। तात्पर्य यह कि वात्स्यायनने निर्दोष हेतु और उदाहरणके प्रयोग द्वारा ही पक्षादि दोषपरिहार हो जानेका प्रतिपादन किया है।

१. प्र० न० त० स्या० रत्ना० १।४२, ५० ५६५ ।

२. प्र० मी० स्वो० वृ० २।१।१५, ए० ५३।

३. जैनतर्कमा० पृ० १६।

४. दशवै० नि० गा० १३७।

प. प्र० मी० <mark>मा० टि० पृष्ठ ९</mark>५ ।

६. न्या० मा० १।१।३९, ५० ५४।

उसी तरह दिगम्बर जैन तार्किकोंने मो पक्षादि दोषोंका परिहार साध्याविनाभावी हेतुके प्रयोग और प्रत्यक्षाद्यविरुद्ध पक्ष (साध्य) के प्रयोग द्वारा ही हो जानेसे उन्हें स्वीकार नहीं किया।

घ्यातव्य है कि हेमचन्द्रने स्वार्थानुमानके प्रकरणमें साधन, पक्ष और दृष्टान्त का तथा परार्थानुमानके निरूपणावसरपर प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमनका कथन किया है। प्रतीत होता है कि उनका यह प्रतिपादन ज्ञानात्मक स्वार्थानुमान एवं परार्थानुमानके अङ्गों और शब्दात्मक परार्थानुमानके अवयवोंके विभाजनकी दृष्टिसे हुआ है। पर माणिक्यनन्दि और उनके अनुगामी प्रभावन्द्र अनन्तवीर्य देवसूरि आदिने ऐसा पृथक निरूपण नहीं किया। उन्होंने मात्र सामान्य अनुमानके अवयवोंका कथन किया है, शब्दात्मक परार्थानुमानके पाँच अवयवोंका नहीं। इसे आचार्योंकी एक विवक्षाधीन निरूपण-पद्धित हो समझना चाहिए।

१. प्रव मीव शराश्व, १३, २०-२३, राशाश्य, १२, १३, १४, १५।

२. परोक्षागु० ३।३७।

३. प्रमेयक० मा० ३।३७, ३।५२ का उत्यानिका वाक्य ए० ३७७।

४. प्रमेयर० मा० ३।३३, पृ० १६५ तथा ३।४३, ४४, ४५, ४६, ४७ और ४८ की उत्यानि०।

५. म० न० त० ३।२८, ४३-४८।

द्वितीय परिच्छेद

हेतु-विमर्श

१. हेतु-स्वरूप :

अनुमानका प्रधान आधार-स्तम्भ हेतु है । उसके विना अनुमानको कल्पना ही नहीं को जा सकतो । अतएव अनुमानस्वरूप और अवयव-विमर्शके प्रसङ्गमें हेतुके प्रयोगका विचार करते हुए उसके स्वरूपपर भी यित्कंचित् लिखा गया है । यहाँ उसका कुछ विस्तारसे विचार प्रस्तुत है ।

साधारणतया आममान्यता है कि हेतुका स्वरूप त्रिलक्षण अथवा पंचलक्षण है। परन्तु अध्ययनसे अवगत होता है कि हेतुका स्वरूप त्रिलक्षण अथवा पंचलक्षण ही दार्शनिकोंने नहीं माना, अपितु एकलक्षण, द्विलक्षण, चतुर्लक्षण, षड्लक्षण और सप्तलक्षण भो उन्होंने स्वीकार किया है।

अक्षपादने उदाहरणसादृश्य तथा उदाहरणवैसादृश्यसे साध्यधर्मको सिद्ध करनेवाले साधनवचनको हेतु कहा है। इसका स्पष्टीकरण करते हुए वात्स्यायनने लिखा है कि साध्य (पक्ष) और साधर्म्य उदाहरण (सपक्ष) में धर्म (साधन) के सद्भाव तथा वैधर्म्य उदाहरण (विपक्ष) में उसके असद्भावका प्रतिसन्धान कर साध्यको सिद्ध करनेवाला साधनताका वचन हेतु है। जैसे—'शब्द अनित्य है' इस प्रतिज्ञाको सिद्ध करनेके लिए 'उत्पत्ति धर्मवाला होनेसे' ऐसे वचनका प्रयोग करना। जो उत्पत्तिधर्मवाला होता है वह अनित्य देखा गया है। जो उत्पन्न नहीं होता वह नित्य होता है—यथा आत्मादि द्रव्य। उद्योतकरने न्यायसूत्रकार और भाष्यकार दोनोंका विस्तारपूर्वक समर्थन किया है।

- १. उदाहरणसाधम्यात्साध्यसाधनं हेतुः । तथा वैधर्म्यात् ।
 - -- त्यायस्० १।१ ३४, ३५ ।
- २. साध्ये प्रतिसन्धाय धर्ममुदाहरणे च प्रतिसन्धाय तस्य साधनतावचनं हेतु : "उत्पत्ति-धर्मकृत्वात्' इति । उत्पत्तिधर्मकर्मनित्यं दृष्टमिति । उदाहरणवैधम्यांच्च साध्यसाधनं हेतुः । क्षयम् ? अनित्यः शब्दः उत्पत्तिधर्मकृत्वात्, अनुत्पत्तिधर्मकं नित्यम् यया आत्मादिद्रव्यम् ।
 - -- न्यायभा० १।१।३४, ३५; ५० ४८, ४९ ।
- इ. न्यायवा० १।१।३४, ३५; ५० ११८-१३४।

द्विलक्षण: त्रिलक्षण

अक्षपाद और उनके व्याख्याता वात्स्यायन तथा उद्योतकरके उपर्यक्त हेतूल-क्षण-विवेचनपर घ्यान देनेसे प्रतीत होता है कि उन्होंने हेत्को द्विलक्षण और त्रिल-क्षण स्वीकार किया है। उद्योतकर न्यायसूत्रकार और न्यायभाष्यकारके अभिप्राय-का उद्घाटन करते हुए कहते हैं कि प्रतिसन्धानका अर्थ है साध्यमें व्यापकत्व और उदाहरणमें सम्भव (सत्त्व)। और इस प्रकार हेत् दिलक्षण तथा त्रिलक्षण प्राप्त होता है। जब कहा जाता है कि उदाहरणके साथ ही साधर्म्य हो तो विपक्षको स्वीकार न करनेसे दिलक्षण हेतु कथित होता है। और जब विपक्षको अंगीकार किया जाता है तो यह फलित होता है कि उदाहरणके साथ ही साधम्य हो, अनुदाहरणके साथ नहीं। तात्पर्य यह कि हेतूको साध्य (पक्ष) में व्यापक, उदाहरण (सपक्ष) में विद्यमान और अनुदाहरण (विपक्ष) में अविद्यमान होना चाहिए। और इस प्रकार त्रिलक्षण हेत् अभिहित होता है। उद्योतकरने^२ एक अन्य स्थलपर भी सत्रकारके अनुमानसूत्रगत 'त्रिविधम्' का व्यख्यान्तर देते हुए लिङ्ग (हेतु) को प्रसिद्ध, सत् और असन्दिग्ध कहकर प्रसिद्धसे पक्षमें व्यापक, सत्से सजातीयमें रहनेवाला और असन्दिग्धसे सजातीयाविनाभावि (विपक्षव्यावृत्त) बतलाया है और इस तरह हेतुको त्रिलक्षण अथवा त्रिरूप प्रकट किया है। इससे जान पड़ता है कि न्याय-परम्परामें आरम्भमें हेतुको द्विलक्षण और त्रिलक्षण माना गया है।

प्रशस्तपादने ³ काश्यपकी दो कारिकाओंको उद्धृत किया है, जिनमें लिंग और अलिंगका स्वरूप देते हुए कहा गया है कि लिंग वह है जो अनुमेयसे सम्बद्ध है, अनुमेयसे अन्वितमें प्रसिद्ध है और अनुमेयाभावमें नहीं रहता है। ऐसा लिंग अनु-

- १ सोऽयं हेतुः साध्योदाहरणाभ्यां प्रतिसंहितः । िक पुनरस्य प्रतिसम्थानम् १ साध्ये व्याप-कत्वं उदाहरणे च सम्भवः । एवं द्विलक्षणिष्त्रलक्षणाश्च हेतुर्लभ्यते । उदाहरणेनैव साधम्यमित्येवं त्रुवताऽनभ्युपगतिवपक्षस्याप्युदाहरणेनैव साधम्यमिति द्विलक्षणोऽपि हेतुर्भवतीत्युक्तम् । यदा पुनविपक्षमम्युपैति तदाऽप्युदाहरणेनैव साधम्यं नानुदाहरणेनेति त्रिलक्षणो हेतुरित्युक्त भवति ।
 - --- त्यायवा० १।१।३४; पृ० ११६ ।
- २. अथवा त्रिविधमिति लिङ्गस्य प्रसिद्धसदसन्दिग्धतामाहः। प्रसिद्धमिति पक्षे व्यापकं, सदिति सजातोयेऽस्ति, असन्दिग्धमिति सजातोयाविनाभावि ।
 - -- न्यायबा० १।१।५, पृ० ४९ ।
- यदनुमेथेन सम्बद्धं प्रसिद्धं च तदन्विते । तद्भावे च नास्त्येव तिल्लंगमनुमापकम् । विपरीतमतो यत्स्यादेकेच द्वितयेन वा । विरुद्धासिद्धसिन्दिग्धमिलंगं काश्यपोऽज्ञवीत ॥

[—]मश० भा० पृ० १००।

मेयसे अनुमापक होता है। इससे विपरीत ऑलग (लिङ्गाभास) है। यहाँ 'अनुमेयसे सम्बद्धका पक्षधर्म, 'अनुमेयसे अन्वितमें प्रसिद्ध' का सपक्षमें विद्यमान और 'अनुमेयाभावमें नहीं रहता है' का विपक्षमें आविद्यमान अर्थ है। काश्यपके इस प्रतिपादनसे अवगत होता है कि उन्हें हेतु त्रिरूप अभिमत है। उद्योतकरने न्याय-वार्त्तिकमें एक स्थलपर 'काश्यपीयम्' शब्दोंके साथ कणादका संशयलक्षणवाला 'सामान्यप्रस्थात' आदि सूत्र उद्भृत किया है। उद्योतकरका यह उल्लेख यदि अभ्रान्त है तो यह कहनेमें कोई संकोच नहीं कि काश्यप कणादका ही नामान्तरथा, जिन्होंने वैशेषिकदर्शनका प्रणयन एवं प्रवर्त्तन किया है। और तब हेतुको त्रिरूप माननेका सिद्धान्त कणादका है और वह अक्षपादसे भी पूर्ववर्ती है, यह दृढ़तापूर्वक कहा जा सकता है। प्रशस्तपादने कणादका समर्थन करते हुए उसका विश्वदीकरण किया है।

सांख्य विद्वान माठरने भी हेतुको त्रिरूप बतलाया है।

बौद्ध तार्किक न्यायप्रवेशकारने भी हेतुको त्रिरूप प्रतिपादन किया, जिसका अनुसरण धर्मकीर्ति प्रभृति सभी बौद्ध विचारकोंने किया है।

इस प्रकार नैयायिकों, वैशेषिकों, सांख्यों और बौद्धों द्वारा हेतुका लक्षण त्रैरूप्य माना गया है। यद्यपि हेतुका त्रैरूप्य लक्षण बौद्धोंकी हो मान्यताके रूपमें प्रसिद्ध है, नैयायिकों, वैशेषिकों और सांख्योंको मान्यताके रूपमें नहीं। इसका कारण यह प्रतीत होता है कि त्रैरूप्य और हेतुके सम्बन्धमें जितना सूक्ष्म एवं विस्तृत विचार बौद्धतार्किकोंने किया तथा हेतुवार्तिक , हेतुबिन्दु जैसे तिद्धियक स्वतन्त्र प्रन्थोंका प्रणयन किया, उतना अन्य विद्वानोंने न विचार ही किया और न कोई उस विषयको स्वतंत्र कृतियोंका निर्माण किया; पर उपर्युक्त अनुशोलनसे प्रकट है कि हेतुके त्रैरूप्यस्वरूपकी मान्यता वैशेषिकों, आद्य नैयायिकों और संख्योंकी भी रही है और

१. न्यायवा० पृ० ९६।

२. वैशेषिकस्० २।२।१७।

यदनुमेयेनाथेंन···सहचिरतमनुमेथधर्मान्विते चान्यत्र···प्रसिद्धमनुमेयविपरीते चः
 प्रमाणतोऽसदेव तदप्रसिद्धार्थस्यानुमापकं लिगं भवतीति । · · ·

⁻⁻ प्रश्न भार पुर १००, १०१

४. साख्यका० माठरवृ० का० ५।

प. हेतुस्त्रिरूपः । किं पुनस्त्रैरूप्यम् ? पक्षधर्मत्वम्, सपक्षे सत्वम्, विपक्षे चासत्वमिति ।
 —न्य।यप० पृ० १ ।

६. न्यायबि० पृ० २२, २३ । हेतुबि० पृ० ५२ । तस्वसं० का० १३६२ आदि ।

७. न्यायवा० पृ० १२८ पर डल्लिखित ।

वह बौद्धोंकी अपेक्षा प्रायः प्राचीन है। बौद्धोंकी त्रिरूप हेतुकी मान्यता सम्भवतः वसुबन्धु और दिड्नागसे आरम्भ हुई हैं।

चतुर्लक्षण : पंचलक्षण :

नैयायिकोंको दिलक्षण और त्रिलक्षण हेतुकी दो मान्यताओंका ऊपर निर्देश किया गया है। उद्योतकर^२ और वाचस्पति मिश्रके³ उल्लेखोंसे ज्ञात होता है कि न्यायपरम्परामें चतुर्लक्षण और पंचलक्षण हेतुकी भी मान्यताएँ स्वीकृत हुई हैं। वाचस्पतिने स्पष्ट लिखा है कि दो हेतू (केवलान्वयी और केवलव्यतिरेकी) चतुर्लक्षण हैं तथा एक हेत् (अन्वयव्यतिरेकी) पंचलक्षण । जयन्तभट्टका मत है कि हेत् पंचलक्षण ही होता है, अपंचलक्षण नहीं। अतएव वे केवलान्वयीको हेत् ही नहीं मानते । शंकर मिश्रने हेतूकी गमकतामें जितने रूप प्रयोजक एवं उप-योगी हों उतने रूपोंको हेत्लक्षण स्वीकार किया है और इस तरह उन्होंने अन्वय-व्यक्तिरेको हेतुमें पांच और केवलान्वयी तथा केवलव्यितरेको हेतुओंमें चार ही रूप गमकतोपयोगी बतलाये हैं। उक्त पक्षधर्मत्व, सपक्षसत्त्व और विपक्षासत्त्वमें अबा-धितविषयत्वको मिलाकर चार तथा इन चारमें असत्प्रतिपक्षत्वको सम्मिलित करके पांच रूप स्वीकार किये गये हैं। जयन्तभट्टका मत है कि गौतमने पांच हेत्वाभासों का प्रतिपादन किया है, अतः उनके निरासार्थ हेत्के पांच रूप मान्य हैं । वैशे-षिक अोर बौद्धोंने भी हेतुके तीन रूपोंके स्वीकारका प्रयोजन अपने अभिमत तीन हेत्वाभासों (असिद्ध, विरुद्ध और सन्दिग्ध) का निराकरण बतलाया है। यहाँ वाचस्पति अोर जयन्तभट्टकी ५० एक नयी बात उल्लेखनीय है। उन्होंने जैन तार्किकों द्वारा अभिमत हेतुके एकलक्षण अविनाभावके महत्त्व एवं अनिवार्यताको

- १. वाचस्पतिमिश्र, न्यायवा० ता० टी० १।१।३५, पृ० २८९ । तथा पृ० १८९ ।
- २. चशब्दात् मत्यक्षागमाविरुद्धं चैत्येवं चतुर्रुक्षणं पंचलक्षणमनुमानमिति । —न्यायवा० १।१।५, पृ० ४६ ।
- ३. तत्र चतुर्रुक्षणं द्वयम् । एकं पंचलक्षणमिति । ---न्याय० ता० टो० १।१।५, ए० १७४ ।
- ४. केवलान्वयो हेतुर्नास्त्येव अपंचलक्षणस्य हेतुत्वाभावात् । ---न्यायकलि॰ पृ० ९७।
- ५. वैशेषि० उप० ए० ६७।
- ६. जयन्तमदृ, न्यायकळि० पृष्ठ० १४।
- ७. वैशेषि० सू० ३।१।१५। प्रश्न० मा० ए० १००।
- ८. न्यायम० पृ० ३ । प्रमाणवा० १।१७।
- ९. यद्यप्यविनाभावः पंचसु चतुर्षुं वा लिंगस्य समाप्यते इत्यविनाभावेनैव |सर्वाणि लिंग-रूपाणि संगृद्धन्ते, तद्यापीह प्रसिद्धसच्छब्दाभ्यां द्वयोः संग्रहे गोवलोवर्दन्यायेन तत्परित्यज्य विपक्षन्यतिरेकासत्प्रतिपक्षत्वावायितविषयत्वानि संगृह्णाति । —न्यायवा० ता० टी० १।१।५, ए० १७८ ।
- १०. पतेषु पंचलक्षणोषु अविनामावः समाप्यते । —न्यायक्ति० २ ।

स्वीकार कर उसे पंचलक्षणों समाप्त माना है। अर्थात् उसे पंचलक्षणरूप प्रकट किया है। वाचस्पति तो यह भी कहते हैं कि एक अविनाभावके द्वारा ही हेतुके पाँचों रूपोंका संग्रह हो जाता है। उनके इस कथनसे अविनाभावका महत्त्व स्पष्ट प्रतीत होता है। पर वे उसे तो त्याग देते हैं, किन्तु पंचलक्षण या चार रुक्षणवाली अपनी न्यायपरम्पराके मोहको नहीं छोड़ सके। इस अघ्ययनसे स्पष्ट है कि न्यायपरम्परामें हेतुस्वरूपकी दिलक्षण, त्रिलक्षण, चतुर्लक्षण और पंचलक्षण ये चार मान्यताएँ रही हैं। उनका कोई एक निश्चित पक्ष रहा हो, ऐसा ज्ञात नहीं होता। पर हां, पाँचरूप्य हेतुलक्षण उत्तरकालमें अधिक मान्य हुआ और उसीकी मीमांसा अन्य तार्किकोंने की है।

मीमांसक विद्वान् शालिकानाथने त्रिलक्षण हेनुका निर्देश किया है। पर उनके त्रिलक्षण अन्य दार्शनिकोंके त्रिलक्षणोंसे भिन्न हैं और वे इस प्रकार हैं — (१) नियतसम्बन्धकदर्शन, (२) सम्बन्धनियमस्मरण और (३) अबाधितविषयत्व। षड्लक्षण:

धर्मकीर्तिने हेतुबिन्दुमें नैयायिकों और मीमांसकोंकी किसी मान्यताके आधार-पर हेतुके षड्लक्षणका निर्देश किया है। इन षड्लक्षणोंमें—(१) पक्षधर्मत्व, (२) सपक्षसत्त्व, (३) विपक्षासत्त्व, (४) अबाधितविषयत्व, (५) विविध्व-तैकसंख्यत्व और (६) ज्ञातत्व ये छह रूप हैं। यद्यपि यह षड्लक्षण हेतुकी मान्यता न नैयायिकोंके यहाँ उपलब्ध होती है और न मीमांसकोंके यहाँ। फिर भी सम्भव है किसी नैयायिक और मीमांसकका हेतुको षड्लक्षण माननेका पक्ष रहा हो और उसीका उल्लेख धर्मकीर्ति तथा उनके टीकाकार अर्ज्यटने किया हो। हमारा विचार है कि प्राचीन नैयायिकोंने जो ज्ञायमान लिङ्गको और भाट्टमीमांसकोंने ज्ञातताको अनुभितिमें करण कहा है और जिसका उल्लेख करके समालोचन विश्वनाथ पंचा-ननने किया है, सम्भव है धर्मकीर्ति और अर्ज्यटने उसीका निर्देश किया है।

१. तस्मात्पूर्णमिदमनुमानकारणपरिगणनम् — नियतसम्बन्धैकदर्शनं सम्बन्धनिथमस्मरणं चाबाधकत्वं चाबाधितिधिषयत्वं चेति ।

⁻ प्रकरः पंचि० पृ० २१२।

२. (क) षड्लक्षणो हेतुरित्यपरे। त्रीणि चैतानि अवाधितविषयत्वं विवक्षितैकसंख्यत्वं ज्ञातत्वं च।

[—]हेतुबि० पृ० ६८।

⁽ ख) षड्लक्षणो हेतुरित्यपरे नैयायिकभीमासकादयो मन्यन्ते ...।

⁻⁻अर्चट, हेतुबि० टी० पृ० २०५।

३. (क) प्राचीनास्तु व्याप्यत्वेन शायमानं लिंगमनुमितिकरणमिति वदन्तिः ।

[—]सिद्धान्तमु० का० ६७, ५० ५०।

⁽ ख) भादाना मते शानमतीन्द्रियम् । शानजन्या शातता तया शानमनुमीयते । —नही, पृ० ११९ ।

सप्तलक्षण :

जैन तार्किक वादिराजने न्यायिविनिश्चयिवरणमें हेतुकी एक सप्तरुक्षण मान्यताका भी सूचन करके उसकी समोक्षा की है। उनके अनुसार सप्तरुक्षण इस प्रकार हैं—(१) अन्यथानुपपन्नत्व, (२) ज्ञातत्व, (३) अबाधितविषयत्व, (४) असत्प्रतिपक्षत्व और (४–७) पक्षधर्मत्वादि तीन। पर यह मान्यता किसकी है, यह उन्होंने नहीं बतलाया और न अन्य साधनोंसे ज्ञात हो सका।

जैन तार्किकों द्वारा स्वीकृत हेत्का एकलक्षण : अन्य लक्षण-समीक्षा :

जैन विचारकोंने हेतुका स्वरूप एकलक्षण स्वीकार किया है, जो अविनाभाव या अन्यथानुपपत्तिरूप है और जिसकी मीमांसा उद्योतकर (ई०६००) तथा शान्तरक्षित (ई०७०५-७६३) ने की है। उसका मूल स्वामी समन्तभद्रकी आसमीमांसागत 'अविशेधतः' पदमें सिन्नहित है। उनके व्याख्याकार अकलङ्क-देवने उसे 'एकलक्षण' हेतुका प्रतिपादक कहा है। विद्यानन्दने भी उसे हेतु-लक्षण-प्रकाशक बतलाया है।

समन्तभद्रके पश्चात् पात्रस्वामीनं स्पष्टतया हेतुका लक्षण एकमात्र 'अन्यथानु-पपन्नत्व' (अविनाभाव) प्रतिपादित किया और त्रैरूप्यकी समीक्षा की है, जिसका विस्तृत उद्धरण पात्रस्वामीके मतके रूपमें शान्तरक्षितने[®] तत्त्वसंग्रहमें उप-

- १. अन्ययानुपपन्नत्वादिभिश्चतुर्भिः पक्षधर्मत्वादिभिश्च सप्तस्रक्षणो हेतुरिति त्रयेणेति किम्
 --न्यायवि० वि० २।१५५. पृ० १७८-१८०।
- २. (क) एतेन तादृगविनाभाविधमींपदर्शनं हेतुरिति प्रत्युक्तम् ।
 - ---न्यायवा० शश्य, प्र० ५५ ।
 - (ख) तादृगविनाभाविधमौपदर्शन हेत्रित्यपरे ... तादृशा विना न भवति ।
 - --वही, शशास्त्र, पृ० १३१।
- ३. तत्त्वसं० का० १३६४-१३७६।
- ४. सधर्मणैव साध्यस्य साधम्यदिविरोधतः।
 - -अप्तमी० का० १०६।
- ५. सपक्षेणैव साध्यस्य साधम्यादित्यनेन हेतोश्त्रेलक्षण्यम्, अविरोधादित्यन्ययानुपपति च दर्शयता केवलस्य त्रिलक्षणस्यासाधनत्वमुक्तं तत्पुत्रत्वादिनत् । एकलक्ष्मणस्य तु गम-कृत्वं ः इति बहुलमन्ययानुपपत्तेरेव समाश्रयणात् ।
 - --अष्टश० अष्टस० पृ० २८६, आ० मी० का० १०६।
- ६. भगवन्तो हि हेत्लक्षणमेव प्रकाशयन्ति ।
 - --- अष्टस॰ पृ० २८६, आ० मी० का० १०६।
- **७. तस्वसं० का०** १३६४-१३७६।

लब्ध है। आचार्य अनन्तवीर्यके उल्लेखानुसार पात्रस्वामीने 'अन्यथानुपपन्नत्व' को हेतुलक्षण सिद्ध करने और त्रैरूप्यको निरस्त करनेके लिए 'श्रिलक्षणकद्यंन' नामक महत्त्वपूर्ण तर्कप्रन्थ रचा था, जो आज अनुपलब्ध है और जिसके अस्तित्व-का मात्र उल्लेख मिलता है। पात्रस्वामीके उक्त हेतुलक्षणको परवर्ती सिद्धसेन र, अकल्लक्ष्य के कुमारनन्दि , वीरसेन , विद्यानन्द आदि जैन तार्किकोंने अनुसृत एवं विस्तृत किया है।

पात्रस्त्रामीका मन्तव्य है कि जिसमें अन्यथानुपपन्नत्व (अन्यथा—साध्य-के अभावमें अनुपपक्तत्व—नहीं होना, अविनाभाव) है वह हेतु है, उसमें त्रैरूप्य रहे, चाहे न रहे, तथा जिसमें अन्यथानुपपन्नत्व नहीं है वह हेतु नहीं है उसमें त्रैरूप्य रहनेपर भी वह बेकार हैं। इन दोनों (अन्यथानुपन्नत्वके सद्भाव और असद्भाव) स्थलोंके यहाँ दो उदाहरण प्रस्तुत हैं—

- (१) एक मुहूर्त्तके बाद शकट नक्षत्रका उदय होगा, क्योंकि कृत्तिकाका उदय है। इस सद्-अनुमानमें कृत्तिकोदय हेनु रोहिणी नामक पक्षमें नहीं रहता, अतः पक्षधर्मत्व नहीं है। पर कृत्तिकोदयका शकटोदय साध्यके साथ अन्यथानुपपन्नत्व होनेके कारण वह गमक है और सद्धेतु है।
- (२) गर्मस्थ मैत्रोपुत्र श्याम होगा, क्योंकि वह मैत्रीका पुत्र है, अन्य पुत्रोंकी तरह। इस असद् अनुमानमें पक्षधर्मत्व, सपक्षसत्त्व और विपक्षासत्त्व तीनों हैं। परन्तु तत्पुत्रत्वका श्यामत्वके साथ अविनाभाव नहीं है और इसलिए तत्पुत्रत्व हेतु श्यामत्वका गमक नहीं है और न सखेतु है।

फलतः सर्वत्र हेतुओंमें अन्यथानुपपन्नत्वके सद्भावसे गमकता और असन्ह्रावसे अगमकता है। पात्रस्वामीके इस मतको यहां तत्त्वसंग्रहसे उद्भृत किया जाता है—

अन्यथेत्यादिना पात्रस्वामिमतमाशंकते— अन्यथानुपपन्नत्वे ननु दृष्टा सुद्देतुता । नासति त्र्यंशकस्यापि तस्मात्कलीवास्त्रिलक्षणाः ॥ अन्यथानुपपन्नत्वं यस्यासौ हेतुरिष्यते । पुकलक्षणकः सोऽर्थश्चनुर्लक्षणको न वा ॥

- १. अनन्तत्रीर्य, सिद्धिवि० ६।२, पृष्ठ ३७१-३७२ ।
- २. न्यायाव० का० २१।
- ३. न्यायवि० का २।१५४, १५५, पृ० १७७ ।
- ४. प्रमाणप० ए० ७२ में विद्यानन्दद्वारा उद्भृत कुमारनन्दिका 'अन्यथानुपपत्त्येकलक्षणं' -- वाक्य ।
- पट्ख० टी० घवला प्रापाप, प्र० २८० तथा पापा४३, प्र० २४५ ।
- ६. प्रमाणप० पृ० ७२। त० इलो० मा० शरशाश्व, पृ० २०५।

नान्यथानुपपन्नस्वं यत्र तत्र त्रयेण किस् । अन्यथानुपपन्नस्वं यत्र तत्र त्रयेण किस् ॥ तेनैकलक्षणो हेतुः प्राधान्याद् गमकोऽस्तु नः । पक्षधमस्वादिभिस्स्वन्यैः किं ब्यर्थैः परिकह्पितैः ॥

उत्थानिकावाक्य सहित इन कारिकाओंसे विदित है कि पात्रस्वामीने हेतुका लक्षण अन्यथानुपपन्नत्व माना है।

कमारनित्व भट्टारकने ने भी अन्यथानुपपत्तिरूप एकलक्षणको ही लिंगका स्वरूप स्वीकार किया है। सिद्धसेनने अन्यथानुपपन्नत्वको हेनुलक्षण माननेकी जैन तर्किकों-की प्रसिद्धिको बतलाते हुए उसे ही हेनुलक्षण अंगोकार किया है। विशेष यह कि उन्होंने हेनुको साध्याविनाभावी कहकर अविनाभावको अन्यथानुपपन्नत्वका पर्याय प्रकट किया है, जिसका उत्लेख समन्तभद्र पहले ही कर चुके थे। अकलंकने स्थम और विस्तृत विचारणाद्वारा पात्रस्वामीके उक्त हेनुलक्षणको पृष्ट किया है। न्यायविनिश्चय और प्रमाणसंग्रहमें 'प्रकृताभावेऽनुपपन्नं साधनं' अर्थात् जो साध्यके अभावमें न हो वह साधन है। और लघोयस्त्रयमें 'लिंगात्साध्याविनाभावाभिनिवोधेकलक्षणात्' अर्थात् साध्यके साथ जिसका अविनाभाव निश्चत है वह लिंग है, यह कह कर उन्होंने अन्यथानुपपन्नत्व अथवा अविनाभावको ही हेनुलक्षण समिष्यत किया है। न्यायविनिश्चयमें 'एक स्थलपर पात्रस्वामीको 'अन्यथा-

१. तत्त्वसं का० १३६४, १३६५, १३६६, १३७६, ५० ४०५-४०७।

२. अन्ययानुपपत्त्येकलक्षणं लिंगमंग्यते । — उद्धत, प्रमाणप० पृ० ७२ ।

३. अन्यथानुपपन्नत्वं हेतार्रक्षणमीरितम् ।

[—]न्यायाव० का० २२ ।

<sup>अ. साध्याविनासुवो हेतोः ।
—वहो, का० १३ ।
साध्याविनासुवो लिंगात् ।
—तहो, का० ५ ।</sup>

५. आप्तर्मा० का० १७, १८, ७५।

६. न्यायवि० का० ३२३।

७. न्यायवि० का० २६९, अकलंकप्र० ५० ६६ ।

प्रः प्रः सं का ० २१, अकलंक्य ० ५०२।

९. (क) लघीय० का० १२, अकलकम० १०५।

⁽ ख) साध्यार्थासम्भनामाविनयमनिष्ययैकलक्षणो हेतुः । —प्रमाणसं ० स्वो० वृ० का० २१, अक्लकंकप्र० १० १०२ ।

⁽ग) त्रिलक्षणयोगेऽपि प्रधानमेकलक्षणं तत्रैव साधनसामर्थ्यपरिनिष्टितेः। तदेव प्रतिबन्धः पूर्वेद्वीतसंयोग्यादिसक्लहेतुपतिष्ठापकम् ।

[—]अष्टरा० अष्ट्रस० पु० २८६, आ० मी० का० १०६ ।

१०, न्या० वि० का० ३२३ ।

नुपपन्नत्वं कारिकाको उसकी ३२३ वीं कारिकाके रूपमें प्रस्तुत करके उसे प्रन्य-का ही अंग बना लिया है। जहां अन्यथानुपन्नत्व नहीं है उन्हें वे हित्वाभास बत-लाते हैं और इस तरह परकित्पत स्वभावादि, वीतादि, संयोग्यादि और पूर्ववदादि हेतुओं को उन्होंने अन्यथानुपपन्नत्वके सद्भावमें हेतु और असद्भावमें हेत्वाभास घोषित किया है। तात्पर्य यह कि अकलंक भी अन्यथानुपपन्नत्व अथवा अविनाभावको हेतुका प्रधान और एकलक्षण मानते हैं। तथा त्रिलक्षणों को उसके बिना अनुपयोगी, व्यर्थ और अकिंवित्कर प्रतिपादन करते हैं।

धर्मकीर्तिने अभी यद्यपि अविनाभावको स्वीकार किया है, पर वे उसे उक्त पक्षधर्मत्वादि तीन रूपों तथा स्वभाव, कार्य और अनुपलब्धि इन तीन हेतुभेदों में ही सोमित प्रतिपादित करते हैं। अकलंकने उनके इस मतको आलोचना करते हुए कहा है कि कितने ही हेतु ऐसे हैं जिनमें न पक्षधर्मत्वादि है और न वे उक्त तीन हेतुओं के अन्तर्गत हैं। पर उनमें अविनाभाव पाया जाता है। यथा —

(१) मृहूत्तिन्तमें शकटका उदय होगा, क्योंकि कृत्तिकाका उदय है।

यहां कृत्तिकाका उदय हेतु पक्ष—शकटमें नहीं रहता, अतः उसमें पक्षधर्मत्व नहीं है। कोई सपक्ष न होनेसे सपक्षसत्त्व भी नहीं है। इसी प्रकार कृत्तिकाका उदय शकटोदयका न स्वभाव है और न कार्य। तथा उपलम्भरूप होनेसे उसके अनुपलम्भ होनेका प्रश्न ही नहीं उठता। अतः केवल अविनाभावके बलसे वह अपने उत्तरवर्ती शकटोदयका गमक है।

- (२) कल प्रातः सूर्यका उदय होगा, क्योंकि आज उसका उदय है। यहाँ आजका सूर्योदय कलके प्रातःकालीन सूर्यमें नहीं रहता, अतः पक्षधर्मत्व
- १. न्या० वि० का० ३४३, अकलंकप्र० ५० ७६।
- २. न्या० त्रि० का० ३७०, ३७१, ५० ७९।
- ३. हेतुबि० ५० ५४ ।
- ४. लघोय० का० १३, १४, न्यायवि० का० ३३८, ३३६।
- मिबब्यत् प्रतिपद्येत शकटं कृत्तिकोदयात् । श्व आदित्य उदेतेति ग्रहणं वा मिबध्यिति ॥
 —छघीय० का० १४ ।
- ६. शकटं रोहिणी धर्मी मुहूर्त्तान्ते मिवष्यदुदेष्यदिति साध्यधर्मः, कुतः ? कृतिकोदयादिति साधनम् । न खलु कृत्तिकोदयः शकटादयस्य कार्यं स्वभावा वा, केवलमावनाभाववलाद् गमयत्येव स्वोत्तरम् । —तथा श्वः मातः आदित्यः स्याः वदेता उदेष्यति अद्यादित्योद-यादिति प्रतिपयेत । तथा श्वो प्रहणं राहुस्पशों भविष्यति प्रवंविष्यक्षककांकादिति वा प्रतिपयेत सर्वत्राच्यभिचारात् ।

⁻अभयचन्द्रस्रि, लघोय० ता० वृ० ५० ३३।

नहीं है। इसीतरह वह प्रातःकालीन सूर्योदयका न स्वभाव है और न कार्य। मात्र अविनाभावके कारण वह गमक है।

(३) ग्रहण पड़ेगा, क्योंकि अमुक फल है।

यहाँ भी न पक्षधर्मत्वादि हैं और न स्वाभावादि हेतु । केवल हेतु स्वसाध्यका अविनाभावी होनेसे उसका अनुमापक है ।

अतः हेतुका त्रैरूप्य और त्रैविध्यका नियम निर्दोप नहीं है। पर अविनाभाव ऐसा व्यापक और अन्यभिचारी लक्षण है जो समस्त सद्धेतुओंमें पाया जाता है तथा असद्धेतुओंमें नहीं । इसके अतिरिक्त उसके द्वारा समस्त सद्धेतुओंका संग्रह भी हो जाता है। सम्भवतः इसीसे अकलंकदेवने पात्रस्वामीकी उक्त 'अन्यथानुपपन्नत्वं' कारिकाको अपनाकर 'अन्यथानुपपन्नत्व' को ही हेतूका अव्यभिचारी और प्रधान लक्षण कहा है। अपिची, 'समस्त पदार्थ क्षणिक हैं, क्योंकि वे सत हैं' इस अन-मानमें प्रयुक्त 'सत्त्व' हेतुको सपक्षसत्त्वके अभावमें भी गमक माना गया है। स्पष्ट है कि सबको पक्ष बना लेने पर सपक्षका अभाव होनेसे सपक्षसत्त्व नहीं है। अतएव अविनाभाव तादारम्य और तद्त्पत्ति सम्बन्धोंसे नियन्त्रित नहीं है, प्रत्युत वे अवि-नाभावसे नियन्त्रित हैं। अविनाभावका नियामक केवल सहभावनियम और क्रमभावनियम है^२। सहभावनियम कहीं तादात्म्यमूलक होता है और कहीं उसके बिना केवल सहभावमूलक । इसां तग्ह क्रमभावनियम कहीं कार्यकारणभाव (तद्-त्पत्ति) मूलक और कहीं मात्र क्रमभावमूलक होता है। उदाहरणार्थ पूर्वचर रे. उत्तरचर , सहचर आदि हेत् हैं, जिनमें न तादात्म्य है और न तद्त्वित्त । पर मात्र क्रमभावनियम रहनेसे पूर्वचर तथा उत्तरचर और सहभावनियम होनेसे सह-चर हेतू गमक हैं।

वीरसेनने भी हेतुको साध्याविनाभावी और अन्यथानुपपत्त्येकलक्षणसे युक्त

- १. न्यायवि० का० ३८१, अकलंकग्र० ५० ८०।
- २. परीक्षामु० ३।१६, १७, १८।
- ३,४. सिद्धिवि० ६।१६, छघोय० का० १४ ।
- ५. सिद्धिवि० ६।१५, न्यायवि० का० ३३८, ३६९ । अ० ग्र०, ५० ७५।
- ६. हेतुः साध्याविनामावि लिंगं अन्यथानुपपत्येकलक्षणोपलक्षितः ।
 - —षट्ख० टी० धव० पापाप०, पृ० २८७।

किंळक्खणं छिगं ? अण्णहाणुववत्तिळक्खणं । पक्षधर्मत्वं सपक्षे सत्त्वं विपक्षे चासत्त्विमिति एतेस्त्रिमिर्लक्षणेषपळक्षितं वस्तु किं न लिंगमिति चेत्, न, न्यभिचारात् । तद्यया-पक्का-न्यात्रफळान्येकशाखाप्रभवत्वादुपयुक्तात्रफळकत्ः स्त्यादोनि साधनानि त्रिळक्षणान्यिष न साध्यसिद्धये भवन्ति । विश्वमनेकान्तात्मकं सत्त्वात्, वर्दते समुद्रश्चन्द्रवृद्धयन्ययानु-पपत्तेः — राष्ट्रभंगः राष्ट्राधिपतेर्मरणं वा प्रतिमारोदनान्ययानुपपत्तेः इत्यादीनि साधनानि बतलाया है। तथा पक्षधर्मत्वादिको हेत्लक्षण माननेमें अतिब्याप्ति और अव्याप्ति दोनों दोष दिखाये हैं। जैसे--(१) ये आम्रफल पक्व हैं, क्योंकि एकशाखाप्रभव हैं, उपयुक्त आम्रफलको तरह। (२) वह स्याम है, क्योंकि उसका पुत्र है. अन्य पुत्रोंकी तरह। (३) वह भूमि समस्थल है, क्योंकि भूमि है, समस्थलक्पसे प्रसिद्ध भुभागकी तरह । (४) वज्र लोहलेख्य है, क्योंकि पार्थिव है, काष्ट्रकी तरह. इत्यादि हेत् त्रिलक्षण होनेपर भी अविनाभावके न होनेसे साध्यकी सिद्धि करनेमें समर्थ नहीं हैं। इसके विपरीत अनेक हेत् ऐसे हैं जो त्रिलक्षण नहीं हैं पर अन्य-थानुपपत्तिमात्रके सद्भावसे गमक हैं। यथा — (१) विश्व अनेकान्तात्मक है, क्योंकि वह सत्स्वरूप है। (२) समुद्र बढ़ता है, क्योंकि चन्द्रकी वृद्धि अन्यया नहीं हो सकती। (३) चन्द्रकान्तमणिसे जल झरता है, क्योंकि चन्द्रोदयकी उप-पत्ति अन्यया नहीं बन सकती । (४) रोहिणी उदित होगी. क्योंकि कृत्तिकाका उदय अन्यया नहीं हो सकता। (५) राजा मरनेवाला है, क्योंकि रात्रिमें इन्द्र-धनुषकी उत्पत्ति अन्यथा नहीं हो सकतो । (६) राष्ट्रका भंग या राष्ट्रपतिका मरण होगा, क्योंकि प्रतिमाका रुदन अन्यथा नहीं हो सकता । इत्यादि हेतुओंमें पक्षधर्मत्वादि त्रैरूप्य नहीं है फिर भी वे अन्यथानुपपन्नत्वमात्रके बलसे साध्यके साधक हैं। अतः 'इदमन्तरेण इदमनुषपन्नम्'-- 'इसके विना यह नहीं हो सकता' यही एक लक्षण लिंगका है। अपने इस निरूपणकी पृष्टिमें वीरसेनने पात्रस्वामीका पूर्वोक्त 'अन्यथानुपपन्नःवम्' आदि श्लोक भी प्रमाणरूपमें प्रस्तृत किया है।

विद्यानन्दकी विशेषता यह है कि उन्होंने अन्यथानुपपन्नत्व अथवा अविना-भावको हेतुलक्षण माननेके अतिरिक्त धर्मकीर्तिके उस त्रैरूप्यसमर्थनकी भी समीक्षा की है जिसमें धर्मकीर्तिने असिद्धके निरासके लिए पक्षधर्मत्व, विरुद्धके व्यवच्छेद-के लिए सपक्षसत्त्व और अनैकान्तिकके निराकरणके लिए विपक्षासत्त्वकी सार्थकता प्रदर्शित की है। विद्यानन्दका कहना है कि अकेले अन्यथानुपपत्तिके सद्भावसे ही उक्त तीनों दोषोंका परिहार हो जाता है । जो हेतु असिद्ध, विरुद्ध या अनैकान्तिक

अत्रिलक्षणान्यपि साध्यसिद्धये प्रभवन्ति । ततः इदमन्तरेण इदमनुपपन्नमितोदमेव लक्षणं लिंगस्येति ।

[—]षट्० धव०, पापा४३, पृ० २४प, २४६ ।

तत्र साधनं साध्याविनामाविनयमिनश्चयंकलक्षणं लक्षणान्तरस्य साधनामासेऽपि
मावात् । त्रिलक्षणस्य साधनस्य साधनस्यानुपपत्तेः, पंचादिलक्षणतत् ।

⁻⁻ प्रमाणप० पृ० ७०।

२. हेतोस्त्रिष्विप रूपेषु निर्णयस्तेन वर्णितः । असिद्धविपरीतार्थव्यभिचारिनिपक्षतः ॥

⁻⁻⁻ प्रमाणवा० १।१७ ।

३. प्रमाणप० पृ० ७२।

होगा उसमें अन्यथानुपपत्ति रहती ही नहीं—साध्यके होनेपर ही होनेवाले और साध्यके अभावमें न होनेवाले साधनमें ही वह पायी जाती है। सच तो यह है कि जो हेतु अन्यथा उपपन्न है या साध्याभावके साथ ही रहता है या साध्याभावमें भी विद्यमान रहता है वह अन्यथानुपपन्न —साध्यके होनेपर ही होनेवाला और साध्यके अभावमें न होनेवाला कैसे कहा जा सकता है। अतः एक अन्यथानुपपन्न त्वलक्षणसे ही जब उक्त तीनों दोषोंका परिहार सम्भव है तब उनके व्यवच्छेदके लिए हेतुके तीन लक्षणोंका मानना व्यर्थका विस्तार है।

इसी सन्दर्भमें विद्यानन्दने उद्योतकर, वाचस्पित और जयन्तभट्टद्वारा स्वीकृत हेतुके पाँच रूपोंकी भी मीमांसा करते हुए प्रतिपादन किया है कि अविनाभावि हेतुके प्रयोग और प्रत्यक्षाद्यविरुद्ध साध्यके निर्देशसे ही उक्त असिद्धादि तीन दोषोंके साथ बाधितविषय और सत्प्रतिपक्ष हेतुदोषोंका भी निरास हो जाता है। अतः उनके निराकरणके लिए पक्षव्यापकत्व, अन्वय, व्यतिरेक, अबाधितविषयत्व और असत्प्रतिपक्षत्व इन पाँच हेतुरूपोंको मानना व्यर्थ और अनावश्यक है। हाँ, उन्हें अविनाभावनियमका प्रपंच कहा जा सकता है। पर आवश्यक और उपयोगी एक-मात्र अविनाभाव ही है, जिसे उन्हें भी मानना पड़ता है। यथार्थमें जो हेतु बाधित-विषय या सत्प्रतिपक्ष होगा, उनमें अविनाभाव नहीं रह सकता। अतः यदि असाधारण लक्षण कहना है तो अन्यथानुपपन्नत्वको ही हेतुका असाधारण लक्षण स्वीकार करना उचित एवं न्याय्य है। विद्यानन्दने पात्रस्वामीके त्रैरूप्यखण्डनके अनुकरण पर पाँचरूप्यके खण्डनके लिए भी अधोलिखित कारिकाका निर्माण किया है—

अन्यथानुपपक्तस्वं रूपैः किं पंचिमः कृतम्। नान्यथानुपपक्तस्वं रूपैः किं पंचिमः कृतम्॥^२

जहाँ अन्यथानुपपन्नत्व है वहाँ पाँच रूपोंकी क्या आवश्यकता है ? और जहाँ अन्यथानुपपन्नत्व नहीं है वहाँ पाँच रूप रहकर भी क्या कर सकते हैं ? तात्पर्य यह कि अन्यथानुपपन्नत्वके अभावमें पाँच रूप अप्रयोजक हैं।

विद्यानन्दके उत्तरवर्ती वादिराज भी उनकी तरह पाँचरूप्य हेतुकी समीक्षा करते हुए अन्ययानुपपत्तिको ही हेतुका प्रधान रुक्षण प्रतिपादन करते हैं—

> अन्यथानुपपत्तिश्चेत् पाँचरूप्येण किं फलम् । विनाऽपि तेन तन्मात्रात् हेतुमावावकस्पनात् ॥ नान्यथानुपपत्तिश्चेत पाँचरूप्येण किं फलम् । सताऽपि व्यभिचारस्य तेनाशस्यनिराकृतेः ॥

१, प्रमाणप० पृ० ७२। २. वही, पृ० ७२।

भन्यथानुपपत्तिइचेत् पाँचरूप्येऽपि करूप्यते । षाड्रूप्यात् पंचरूप्यनियमो नावतिष्ठते ॥ पाँचरूप्यात्मिकैवेयं नान्यथानुपपन्नता । पक्षधमस्वाद्यमावेऽपि चास्याः सस्वोपपादनात् ॥

'सहस्रमें सौ' के न्यायानुसार उनकी त्रैरूप्य-समोक्षा इसी पाँचरूप्य-समीक्षामें आ जानेसे उसका पृथक् उल्लेख करना अनावश्यक है।

इसी परिश्रेक्ष्यमें वादीभसिंह का भी मन्तव्य उल्लेखनीय है। वे कहते हैं कि तथोपपत्ति ही अन्ययानुपपत्ति है। और उसे ही हम अन्तव्याप्ति मानते तथा हेतुका स्वरूप स्वीकार करते हैं। इस अन्तव्याप्तिके बलपर ही हेतु साध्यका गमक होता है, बहिव्याप्ति या सकलव्याप्तिरूप श्रेरूप्य या पांचादिरूप्यके बलपर नहीं। यही कारण है कि तत्पुत्रत्वादि हेतुओंमें पक्षधर्मत्वादि रहनेपर भी अन्तव्याप्तिके अभावसे उनमें गमकता नहीं है। और कृत्तिकोदय हेतु पक्षधर्मत्वरहित होनेपर भी अन्तव्याप्तिके रहनेसे अपने साध्य शकटोदयका प्रसाधक होता है। इसी तरह 'अद्वैतवादीके भी प्रमाण हैं, क्योंकि वह इष्टका साधन और अनिष्टका दूषण अन्यथा नहीं कर सकता' इस अनुमानमें हेतु पक्षमें नहीं रहता किर भी वह साध्यका अविनाभावी होनेसे गमक है। इस प्रकार वादीभित्रहने अन्यथानुपपत्तिको ही हेतुका स्वरूप प्रतिपादित किया तथा श्रेरूप्य एवं पांचरूप्य आदिको अव्याप्त और अतिव्याप्त बतलाया है।

माणिक्यनित्वका भी यही विचार है। जिसका साध्याविनाभाव निश्चित है उसे वे हेतु कहते हैं। और इस प्रकारका हेतु ही उनके मतसे साध्यका गमक होता है। उन्होंने अविनाभावका नियामक बौद्धोंको तरह तदुत्पत्ति और तादात्म्यको न बतला कर सहभाविनयम और क्रमभाविनयमको बतलाया है, क्योंकि जिनमें तदु-त्पत्ति या तादात्म्य नहीं है उनमें भी क्रमभाविनयम अथवा सहभाविनयमके रहने से अविनाभाव प्रतिष्ठित होता है और उसके बलपर हेतु साध्यका अनुमापक होता

१. न्यायवि० वि० २।१७४, ५० २१०।

२. तथोपपित्तरेनेयमन्ययानुपपन्नता । सा च हेतोः स्वरूपं तत् द्यान्तन्याप्तिश्च विद्धि नः ॥ —स्या० सि० ४-७८, ७९ ।

इ. कि च पक्षादिधर्मत्वेऽप्यन्तर्न्याप्तिरभावतः । तत्पुत्रत्नादिद्देतूनां गमकत्वं न दृश्यते ॥ पक्षधर्मत्वहीनोऽपि (गमकः कृत्तिको) दयः । अन्तर्न्याप्तिरतः सैव गमकत्वप्रसाधिनी ॥ पक्षधर्मत्व-वैकल्येऽप्यन्ययानुपपत्तिमान् । हेतुरेव, यथा सन्ति प्रमाणानोष्टसाधनात् ॥ — वहो, ४।८२, ८३, ८४, ८७, ८८ ।

४. साध्याविनामावित्वेन निश्चितो हेतुः ।

⁻प० मु० श्रेष ।

हैं। उदाहरणस्वरूप भरिण और कृत्तिकोदयमें न तदुत्पित्त सम्बन्ध है और न तादात्म्य। पर उनमें क्रमभाविनयमके होनेसे अविनाभाव है और उसके वशसे कृत्तिकोदय हेतु भरिणके उदयरूप साध्यका गमक होता है। इसी प्रकार रूप और रसमें तादात्म्य और तदुत्पित्त दोनों नहीं हैं। परन्तु उनमें सहभाविनयमके सद्भावसे अविनाभाव है तथा उसके बलसे रस रूपका या उन्नाम नामका और अविग्भाग परभागका अनुमापक है। माणिक्यनिन्दकी यह सहभाव और क्रमभाव नियमकी परिकल्पना इतनी संगत, निर्दोष और व्यापक है कि समस्त सद्धेतु इन दोनोंके द्वारा संग्रहीत एवं केन्द्रित हो जाते हैं और असद्धेतु निरस्त, जब कि तादाम्य और तदुत्पित्वारा पूर्वचर, उत्तरचर, सहचर आदि हेतुओंका संग्रह नहीं होता।

प्रभाचन्द्र^२, अनन्तवीर्य³, अभयदेव^४, देवसूरि⁴, हेमचन्द्र^६, घर्मभूषण⁹, यशो-विजय⁵, चारुकीर्ति⁸ आदि तार्किकोंने भी त्रैरूप्य और पांचरूप्यकी मीमांसा करते हुए अन्यथानुपपत्तिको ही हेतुका असाधारण एवं प्रधान लक्षण बतलाया है और उसीके द्वारा त्रिविध और पंचिबध आदि हेत्वाभासोंका निरास किया है। जब हेतुको अन्यथानुपपन्न कहा जाता है तो वह साध्यके साथ अवश्य सम्बद्ध रहेगा, उसके बिना वह उपपन्न नहीं होगा और न साध्याभावके साथ रहेगा। इस तरह असिद्ध, विरुद्ध और अनैकान्तिक इन तीन दोषोंका परिहार हो जाता है। तथा जब शक्य (अबाधित), इष्ट और अप्रसिद्ध साध्य⁹ का निर्देश किया जायगा, जो हेतुका विषय होता है, उससे विपरीत बाधित, अनिष्ट और प्रसिद्धरूप साध्या-

- सहक्रमभावनियमोऽिवनामातः ।
 सहचारिणोः न्याप्यन्यापक्रयोदच सहमातः ।
 पूर्वोत्तरचारिणोः कार्यकारणयोदच क्रमभावः ।
 —परीक्षामु० ३।१६, १७, १८ ।
- २. प्रमेयक० मा० १।१५।
- ३. प्रमेयर० मा० १।११। पृ० १४२-१४४।
- ४. सन्मति० टी०।
- **५. म० न०** त० ३।११, १२, १३ ।
- ६. म० मो० शशा,१०।
- ७. न्या॰ दी० पृ० ८३।
- ८. जैन तर्कमा० ए० १२।
- ९. ममेयरत्नालं० ३।१५ ।
- १०. साध्यं शक्यमभिन्नेतमप्रसिद्धं ततोऽपरम् । साध्याभासं विरुद्धादि साधनाविषयत्वतः । —अकलंक, न्या० वि० का० १७२ ।

भास नहीं, तो हेतु बाधितविषय केसे हो सकता है, जिसके निरासके लिए हेतुका अवाधितविषयत्व नामक चतुर्थं रूप कित्पत किया जाए। सच तो यह है कि अवि-नाभावी हेतुमें बाधाकी सम्भावना ही नहीं है, क्योंकि बाधा और अविनाभावमें विरोध है। प्रमाण-प्रसिद्ध अविनाभाववाले हेतुका समानवलशाली कोई प्रति-पक्षी हेतु भी सम्भव नहीं है, अतः हेतुका असत्प्रतिपक्षत्व नामका पांचवाँ रूप भी निर्यंक है।

हम ऊपर षड्लक्षण हेतुका निर्देश कर आये हैं। उनमें एक नया रूप ज्ञातत्व है, जिसका अर्थ है हेतुका ज्ञात होना। पर उसे पृथक् रूप मानना अनाव-वश्यक है, क्योंकि हेतु ज्ञात हो नहीं, अविनाभावी रूपसे निश्चित होकर हो साध्यका अनुमापक होता है, अनिर्णीत नहीं, यह तो हेतुके लिए आवश्यक और प्राथमिक शर्त है^र। इसी तरह विवक्षितैकसंख्यत्वका कथन भी, जो असत्प्रतिपक्षत्वरूप है, अनावश्यक है क्योंकि अविनाभावो हेतुके प्रतिपक्षी किसी द्वितीय हेतुकी सम्भावना हो नहीं है जो प्रकृत हेतुकी विवक्षित एकसंख्याका विघटन कर सके। है तात्पर्य यह कि विवक्षितैकसंख्यत्व असत्प्रतिपक्षत्वरूप है और वह उपर्युक्त प्रकारसे अना-वश्यक है।

कर्णकगोमिने र रोहिणोके उदयका अनुमान कराने वाले कृत्तिकोदय हेनुमें काल या आकाशको पक्ष बना कर पक्षधर्मत्व घटानेका प्रयास किया है। विद्याग्तिन्दने इसको मीमांसा करते हुए कहा है कि इस तरह परम्पराश्चित पक्षधर्मत्व सिद्ध करनेसे तो पृथिवीको पक्ष बना कर महानसगत धूमसे समुद्रमें भी अग्नि सिद्ध करनेमें वह पक्षधर्मत्वरहित नहीं होगा। व्यभिचारी हेनुओं में भी काल, आकाश और पृथिवी आदिकी अपेक्षा पक्षधर्मत्व घटाया जा सकेगा। और इस तरह कोई व्यभिचारी हेनु अपक्षधर्म न रहेगा।

उपर्युक्त अध्ययनसे प्रकट है कि जैन चिन्तकोंने द्विलक्षण, त्रिलक्षण, चतुर्लक्षण, पंचलक्षण, पड्लक्षणऔर सप्तलक्षणको अभ्याप्त तथा अतिभ्याप्त होनेसे उन्हें हेतुका स्वरूप स्वीकार नहीं किया। प्रत्युत उनकी विस्तृत समीक्षा को है। उन्होंने एक-

१. हेतुबि० पृ० ६८, हेतुबि० टी० पृ० २०६।

साध्याविनामावित्वेन निश्चितो हेतुः ।—परीक्षामु० ३।१५ ।

३. डा० महेन्द्रकुमार जैन, सिद्धिवि० प्र० भा० प्रस्ता० ए० ११६।

४. प्र० वा० स्ववृ० टी० प्० ११।

प. विद्यानन्द, प्र० परी० पृ० ७१। त० क्लो० मा० १।१३, पृ० २०१।

स्रक्षण अविनाभाव या अन्यथानुपपन्नत्वको ही हेतुका स्वरूप माना है। इसके रहने पर अन्य रूप हों या न हों वह हेतु है, न रहनेपर नहीं।

२. हेतू-मेद:

जैन तर्कशास्त्रमें हेतुके आरम्भमें कितने भेद स्वीकृत हैं और उत्तरकालमें उनमें कितना विकास हुआ है, इसपर विचार करनेसे पूर्व उचित होगा कि भारतीय दर्शनोंके हेतुभेदोंका सर्वेक्षण कर लिया जाय।

हेतुभेदोंका सर्वेक्षण:

कणादने वेशेषिकसूत्रमें हेतुके पांच भेद गिनाये हैं—(१) कार्य, (२ं) कारण, (३) संयोगी, (४) समवायी और (४) विरोधी। उनके व्याख्याकार प्रशस्तपाद इतना और संकेत करते हैं कि उक्त भेद निदर्शनमात्र हैं। अर्थात् 'पांच ही हैं' ऐसा अवधारण नहीं है, क्योंकि कई हेतु ऐसे हैं जो न कार्य हैं न कारण, न संयोगी न समवायी और न विरोधी। उदाहरणार्थ चन्द्रोदयसे व्यवहित समुद्रवृद्धि एवं कुमुद्दिवकाशका व शरत्कालीन जलप्रसादसे अगस्त्योदयका अनुमान होता है। पर ये हेतु न अहेतु (हेत्वाभास) हैं और न उक्त कार्यादि हेतुओं-मेंसे किसीमें अन्तर्भूत हैं। अतः प्रशस्तपाद कणादके 'अस्थेदं' इस सूत्रवचनको सम्बन्धमात्रका बोधक बतलाकर उसके द्वारा उक्त प्रकारके और भी हेतुओंक संग्रहकी सूचना करते हैं। तात्पर्य यह कि प्रशस्तपादके अभिप्रायानुसार वैशेषिक दर्शनमें पांचसे अधिक भी हेतु मान्य हैं। परन्तु प्रशस्तपादने यह नहीं बतलाया कि वे अमुक संज्ञक हेतु हैं। कणादने विरोधि लिङ्गके (१) अभूतभूत, (२) भूतअभूत और (३) भूतभूत इन तीन भेदोंका भी कथन किया है। शंकरमिश्रने अपस्कारमें इनका सोदाहरण विवेचन किया है।

- १. वादिराज, न्यायविक विक शरफ्य; पृत्र १७७-१८० तथा शर७४ पृत्र २१०।
- २. अस्येदं कार्यं कारणं संयोगि विरोधि समवायि चेति छैङ्गिकम् ।
 - --वैशे० स्० हाराह ।
- शः शास्त्रे कार्यादिग्रहणं निदर्शनार्थं कृतं नात्रधारणार्थम् । करमात् ? व्यतिरेकदर्शनात् । तद्यथा अध्वर्युरीश्रावयन् व्यवहितस्य हेतुर्लिङ्गम् चन्द्रोदयः समुद्रवृद्धेः कुमुदिवकाशस्य च शरिद जलप्रसादोऽगस्योदयस्येति । एवमादि, तत्सर्वमस्येदमिति सम्बन्धमात्रवचनात् सिद्धम् ।
 - -- प्रश् भा० पृ० १०४।
- वरोध्यमृतं भूतस्य । भृतमभूतस्य । भूतो भूतस्य ।
 चैशे० स्० ३।१।११, १२, १३ ।
- प. शंकरिमश्र, वैशे० स्० उपस्का० ३।१।११, १२, १३; ए० ८८-८६ ।

न्यायपरम्पराके प्रतिष्ठाता अक्षपादने कणादकथित उक्त पांच हेतुभेदोंको अङ्गीकार नहीं किया। उन्होंने हेतुके अन्य तीन भेद निर्दिष्ट किये हैं। वे ये हैं—
(१) पूर्ववत्, (२) शेषवत् और (३) सामान्यतोदृष्ट। इनमें प्रथम दो (पूर्ववत् और शेषवत्) वस्तुतः कणादके कार्य और कारणरूप ही हैं, केवल नामभेद है, अर्थभेद नहीं। सामान्यतोदृष्ट भी, जो अकार्यकारणरूप है, कहीं संयोगी, कहीं समवायो और कहीं विरोधीके रूपमें ग्रहण किया जा सकता है। वात्स्यायनने न्यायसूत्रकारके साधम्यं और वैधम्यं प्रयुक्त द्विविध हेतुप्रयोगकी अपेक्षासे हेतुके दो भेदोंका भी उल्लेख किया है—(१) साधम्यं हेतु और (२) वैधम्यं हेतु । यथार्थमें ये हेतुके भेद नहीं है, मात्र हेतुका प्रयोगद्वैविध्य है। उद्योतकरने अवश्य हेतुके ऐसे तीन भेदोंका कथन किया है जो नये हैं। वे इस प्रकार हैं—(१) केवलान्वयी, (२) केवलव्यतिरेकी और (३) अन्वयव्यतिरेकी। उद्योतकरने वीत और अवीतके भेदसे भी हेतुके दो भेदोंका निर्देश किया है।

ईश्वरकृष्ण कौर उनके व्याख्याकारों व न्यायसूत्रकारकी तरह ही हेतुके तीन भेदों का प्रतिपादन किया और उन्हों के स्वीकृत उनके नाम दिये हैं। विशेष यह कि युक्तिदीपिकाकारने उद्योतकरकी तरह हेतुके वीत और अवीत दैविष्यका भी कथन किया है। पर वह दैविष्य उन्होंने प्रयोगभेदसे सामान्यतोदृष्टका बतलाया है, सामान्य हेतुका नहीं। वाचस्पित मिश्रने साख्यतत्त्वकौमुदी में हेतु (अनुमान) के प्रथमतः वीत और अवीत दो भेद प्रदिश्ति किये और उसके बाद अवीतको शेषवत् तथा वीतको पूर्ववत् और सामान्यतोदृष्ट द्विषय निरूपित किया है। सांख्यदर्शनके इन हेतुभेदोंपर न्यायसूत्रकार और उद्योतकरका प्रभाव लक्षित होता है।

- १. न्यायस्० १।१।५ ।
- २. द्विविधस्य पुनर्हेतोद्विविधस्य चोदाहरणस्योपसंहारद्वेते च समानम् ः।
 - —न्यायभा० १।१:३९ का उत्थानिकावाक्य, पृ० ५१ ।
- ३. अन्वयो व्यतिरेकी अन्वयव्यतिरेको चेति ।

न्यायवा० १। १।५; पृ० ४६ ।

- ४. तावेतौ वीतावीतहेतू लक्षणाभ्यां पृथगिमहिताविति ।
 - ---वही, १।१।३५, ५० १२३।
- ५. सांख्यका०५।
- ६. युक्तिदी० सांख्यका० ५, ५० ३।
- ७. तस्य प्रयोगमात्रमेदाद् दैविध्यम् —वीतः अवीत इति ।
 - ---वही पृ० ४७।
- द्र. तत्र प्रथमं (प्रथमतः) तावत् द्विविधम्—वीतमनीतं । "तत्रावीतं शोषवत्"। वीतं द्वेषा पूर्ववत् सामान्यतादृष्टं च ।
 - —सां० त० कौ० का० ५, ए० ३०-३१।

धर्मकीर्तिने भी हेत्के तीन भेद बतलाये हैं। पर उनके तीन भेद उपर्युक्त भेदोंसे भिन्न हैं। वे हैं—(१) स्वभाव, (२) कार्य और (३) अनुपलन्धि। अनुपलब्यिक भी तीन भेदोंका उन्होंने व निर्देश किया है—(१) कारणानुपलब्धि, (२) व्यापकानुपलब्धि और (३) स्वभावानुपलब्धि । प्रमाणवार्तिकमें अनुपलब्धिके चार और न्यायबिन्द्रमें प्रयोगभेदसे उसके ग्यारह भी भेद कहे हैं 3। धर्मकीतिने कणाद स्वीकृत हेतुभेदोंमेंसे कार्य और विरोधी (अनुपलब्धि) ये दो अंगीकार किये हैं तथा कारण, संयोगी और समवायी ये तीन भेद छोड दिये हैं, क्योंकि संयोग और समवाय बौद्धदर्शनमें स्वीकृत नहीं हैं, अतः उनके माध्यमसे होनेवाले संयोगी और समवायो हेत् सम्भव नहीं हैं। कारणके सम्बन्धमें धर्मकीर्तिका मत है कि कारण कार्यका अवश्य अनमापक नहीं होता, क्योंकि यह आवश्यक नहीं कि कारण हीने पर कार्य अवश्य हो, पर कार्य बिना कारणके नहीं होता। अतः कार्य तो हेतु है, किन्तू कारण नहीं । उनके अनुपलब्धिक तीन भेदोंकी संख्या कणादके अम्युपगत विरोधिक तीन प्रकारोंको संख्याका स्मरण दिलाती हैं। घ्यान रहे, घर्मकीर्तिने उपर्युक्त तीन हेतुओं में स्वभाव और कार्यको विधिसाधक तथा अनुपल ब्धिको प्रति-षेघसाधक ही वर्णित किया है। धर्मोत्तर^६, अर्चट^७ आदि व्याख्याकारोंने उनका समर्थन किया है।

जैन परम्परामें हेत्रभेद:

जैन परमारामें षट्खण्डागममें श्रुतके पर्यायोंके अन्तर्गत 'हेदुवाद' (हेतुवाद) नाम आया है। पर उसमें हेतुके भेदोंको कोई चर्चा उपलब्ध नहीं होती।

- १, एतल्लक्षणो हेतुस्त्रिप्रकार एव । स्वभावः, कार्यम्, अनुपरुष्थिश्चेति ।
 —हेतुबि० पृ० ५४ । न्यायबि० पृ० २५ । प्रमाणवा० १।३,४,५ ।
- २. सेयमनुपलन्धिस्त्रिथा । सिद्धे कार्यकारणभावे सिद्धाभावस्य कारणस्यानुपलन्धिः, न्याप्य-न्यापकभावसिद्धौ सिद्धाभावस्य न्यापकस्यानुपन्धिः, स्वाभावानुपलन्धिः ।
 - —हेतुबि० पृ० ६८।
- ३. (क)—अनुपल्लब्धश्रुतुर्विधा ।
 - --- म० वा० श६।
 - (ख) सा च प्रयोगमेदादेकादशपकारा ।
 - -- स्यायबि० पृ० ३५।
- ४. न्यायबि० ५० ३५ ।
- प्तः अत्र द्वौ वस्तुसाधनौ । एकः प्रतिषेधहेतुः ।—तही, ए० २६ ।
- ६. वही, पृ० २५ । धर्मोत्तरटी० ।
- ७. हेतुबि० टो० ५४।
- ८. भूतबली-पुष्पदन्त, षट्खं० ५।५।५१ ।

व्याख्याकार वीरसेनने विवश्य 'हेतुवाद' पदकी व्याख्या करते हुए हेतुको दो प्रकारका कहा है—(१) साघनहेतु और (२) दूषणहेतु । स्थानाङ्गसूत्रनिर्दिष्ट हेतूभेद :

स्थानाङ्गसूत्रमे हेतुके चार प्रकारोंका निर्देश है। ये चार प्रकार दार्शिनिकोंके पूर्वोक्त हेतुभेदोंसे भिन्न हैं। इनके अध्ययनसे अवगत होता है कि यतः हेतु और साध्य दोनों अनुमानके प्रयोजक हैं और दोनों कहीं विधिरूप होते हैं, कहीं निषेध्य हम कहीं विधिनिषेधरूप और कहीं निषेधविधरूप। इन चारके अतिरिक्त अन्य राशि सम्भव नहीं है। अतः हेतुके उक्त प्रकारसे चार भेद मान्य हैं। साध्य और साधन दोनोंके विधि (सद्भाव) रूप होनेपर (१) विधि-विधि, दोनोंके निषेध (अभाव) रूप होनेपर (२) निषध-निषध, साध्यके विधिरूप और साधनके निषेधरूप होनेपर (३) विधि-निषेध तथा साध्यके निषेधरूप और साधनके विधिरूप होनेपर (३) विधि-निषेध तथा साध्यके निषेधरूप और साधनके विधिरूप होनेपर (४) निषेधविधि ये चार भेद फलित होते हैं। इन्हें और विश्वतासे निम्न प्रकार समझा जा सकता है—

- १. विधिविधि हेतुके जिस प्रकारमें हेतु और साध्य दोनों सद्भावरूप हों। जैसे—इस प्रदेशमें अग्नि है, क्योंकि धूम है। यहां साध्य (अग्नि) और साधन (धूम) दोनों सद्भावरूप हैं। इसे 'विधसाधकविधिरूप' हेतु कहा जा सकता है।
- २. निषेधनिषेध जिसमें साध्य और साधन दोनों असद्भावरूप हों। यथा — यहां धूम नहीं है क्योंकि अनलका अभाव है। यहां साध्य (धूम नहीं) और साधन (अनलका अभाव) दोनों असद्भावरूप हैं। इस हेतुको 'निषेधसाधक-निषेधरूप' नाम दिया जा सकता है।
- ३. विधिनिषेध जिसमें साघ्य सद्भावरूप हो और साधन असद्भावरूप। जैसे इस प्राणीमें रोगिवशेष है, क्योंकि उसकी स्वस्थ चेष्टा नहीं है। यहां साघ्य (रोगिवशेष) सद्भावरूप है और साधन (स्वस्थ चेष्टा नहीं) असद्भाव-रूप। इसे 'विधिसाधकनिषेधरूप' हेतु कह सकते हैं।
- ४. निषेधविधि जिसमें साध्य असद्भावरूप हो और साधन सद्भावरूप । यथा यहां शीतस्पर्श नहीं है, क्योंकि उष्णता है । यहां साध्य (शीतस्पर्श नहीं) असद्भावरूप है और हेतु (उष्णता) सद्भावरूप । इस हेतुको 'निषेधसाधकविधि-रूप' हेतुके नामसे व्यवहृत कर सकते हैं ।

इन हेतुभेदोंपर न कणादके हैतुभेदोंका प्रभाव लक्षित होता है, न अक्षपाद और न धर्मकीर्तिके। साथ ही इस वर्गीकरणमें जहां कार्य, कारण आदि सभी

१. षट्०, धवला टोका प्राप्राप्र१; पृ० २८०।

२. स्थाना० स्० पृ० ३०६-३१० तथा यहो 'जैन तर्कशास्त्रमें अनुमानविचार' पृ० २३ मी।

२०८ : जैन तक्शासमें अनुमान-विचार

प्रकारके हेतुओं का समावेश सम्भव है वहां यह अविदित रहता है कि विधिविधि आदि सामान्यरूपके सिवाय हेतुका विशेष (कार्य, कारण, व्याप्य आदि) रूप क्या है ? जब कि कणाद², अक्षपाद और धर्मकीर्तिके हेतुभेदिनरूपणमें विशेष रूप ही दिखायी देता है। अतः हेतुभेदों का यह वर्गीकरण अधिक प्राचीन हो तो आक्चर्य नहीं, क्योंकि सामान्य कल्पनाके बाद ही विशेष कल्पना होती है। यद्यपि कणादने विरोधी हेतुके जिन अभूतभूत, भूत अभूत और भूतभूत तीन भेदों का कथन किया तथा विद्यानन्दने वैशेषिकों की ओरसे अभूतअभूत नामक चौथे भेदकों भी कल्पना की है उनका इन हेतुभेदों के साथ कुछ साम्य हो सकता है। तब भी स्थानाङ्गसूत्रगत हेतुभेदों को परम्परा सामान्यरूप होनेसे प्राचीन तो है हो। अकलङ्क्षप्रतिपादित हेतुभेदों :

स्थानाङ्गसूत्रके उक्त हेतुभेदोंको विकसित करने और उन्हें जैन तर्कशास्त्रमें विशदतया निरूपित करनेका श्रोय भट्ट अकलङ्कदेवको प्राप्त है। अकलङ्कदेवने ³ हेतुके मुलमें दो भेद स्वीकार किये हैं--(१) उपलब्ध (विधिरूप) और (२) अनु-पलब्ध (निषेधरूप) । ये दोनों हेतू भी विधि और प्रतिवेध दोनों तरहके साध्योंको सिद्ध करनेसे दो-दो प्रकारके कहे गये हैं। उपलब्धिके सद्भावसाधक और सद्भाव-प्रतिषेधक तथा अनुपलब्धिके असद्भावसाधक और असद्भावप्रतिषेधक । इनमें सद्भा-वसाधक उपलब्धिक भी (१) स्वभाव (२) स्वभावकार्य, (३) स्वभावका-रण, (४) सहचर, (५) सहचरकार्य और (६) सहचरकारण ये छह अवान्तर भेद हैं। सिद्धिविनिश्चयके अनुसार उसके छह भेद यों दिये गये हैं---(१) स्वभाव, (२) कार्य, (३) कारण, (४) पूर्वचर, (५) उत्तरचर और (६) सहचर । इनमेंसे धर्मकीर्तिने केवल स्वभाव और कार्य ये दो ही हेतू माने हैं। कणादने कार्य और कारणको स्वीकार किया है। पूर्वचर, उत्तरचर और सह-चर इन तीन हेत्ओंको किसी अन्य तार्किकने स्वीकार किया हो, यह ज्ञात नहीं। किन्तु अकलंकने उनका स्पष्ट निर्देशके साथ प्रतिपादन किया है । अतः यह उनकी मौलिक देन कही जा सकती है। उन्होंने स्वभाव और कार्यके अतिरिक्त कारणहेत् तथा इन तीनोंको सयुक्तिक स्वतंत्र हेतू सिद्ध करके उनका निरूपण निम्न प्रकार किया है--

१. वैशे० स्० शारारर, १२, १३।

२. प्रमाणप० पृ० ७४।

इ. सत्प्रवृत्तिनिमित्तानि स्वसम्बन्धोपळब्धयः ॥
 तथा सद्व्यवहाराय स्वभावानुपळब्धयः । सद्वृत्तिप्रतिषेधाय तद्दिरुद्धोपळब्धयः ॥
 —प्रमाणसं० का २९,३० । तथा इनकी स्वोपशवृत्ति, अकळंकप्र० ए० १०४-१०५ ।
 ४. सि० वि० स्वो० दृ० ६।९, १५, १६ ।

- (१) कारणहेतु न्विक्षसे छायाका ज्ञान या चन्द्रसे जरुमें पड़नेवाले उसके प्रतिबिम्बका ज्ञान करना कारणहेतु है। यद्यपि यह तथ्य है कि कारण कार्यका अवश्य उत्पादक नहीं होता, किन्तु ऐसे कारणसे, जिसकी शक्तिमें कोई प्रतिबन्ध न हो और अन्य कारणोंकी विकलता न हो, कार्यका अनुमान हो तो उसे कौन रोक सकता है? अनुमाताकी अशक्ति या अज्ञानसे अनुमानको सदोष नहीं कहा जा सकता।
- (२) पूर्वचर जिन साध्य और साधनों नियमसे क्रमभाव तो है पर न तो परस्पर कार्यकारणभाव है और न स्वभावस्वभाववान् सम्बन्ध है उनमें पूर्व-भावीको हेतु और पश्चाद्भावीको साध्य बना कर अनुमान करना पूर्वचर हेतु है। जैसे—एक मुहुर्त्तके बाद शकटका उदय होगा, क्योंकि कृत्तिकाका उदय है।
- (३) उत्तरचर³—उक्त क्रमभावी साध्य-साधनों चं उत्तरभावीको हेतु और पूर्वभावीको साध्य बना कर अनुमान करना उत्तरचर है। यथा—एक मुहूर्त्त पहले भरणिका उदय हो चुका है, क्योंकि कृत्तिकाका उदय है। यहां 'कृति काका उदय' हेतु भरणिके अनन्तर होनेसे उत्तरचर है।
- (४) सहचर हेतु⁸—तराजूने एक पलड़ेको उठा हुआ देख कर दूसरे पलड़ेके नीचे झुकनेका अनुमान या चन्द्रमाके इस भागको देख कर उस भागके अस्तित्वका अनुमान सहचरहेतु जन्य है। इनमें परस्पर न तादात्म्य सम्बन्ध है, न तदुत्पत्ति, न संयोग, न समवाय और न एकार्थसमवाय, क्योंकि एक अपनी स्थितिमें दूसरेकी अपेक्षा नहीं करता, किन्तु दोनों एकसाथ होते हैं, अतः अविनाभाव अवस्य है।

इस अविनाभावके बलपर हो जैन न्यायशास्त्रमें जनत पूर्वचर आदि हेतुओं-को गमक माना है। और अविनाभावका नियामक केवल सहभाविनयम तथा क्रम-भाविनयमको स्वीकार किया है, तादात्म्य, तदुत्पत्ति, संयोग, समवाय और एकार्थ-समवायको नहीं, क्योंकि उनके रहने पर भी हेतु गमक नहीं होते और उनके न रहने पर भी मात्र सहभाविनयम और क्रमभाविनयमके वशसे वे गमक देखे जाते हैं।

- न हि वृक्षादिः छायादेः स्वमावः कार्यं वा । न चात्र विसंवादोऽस्ति । चन्द्रादर्जेलचन्द्रा-दिप्रतिपत्तिस्तयानुमा । न हि जलचन्द्रादेः चन्द्रादिः स्वमावः कार्यं वा ।
 - -- लघोय० स्त्रो० वृ० का० १२, १३ तथा सि० वि० स्त्रो० वृ० ६।६, १५।
- २. वही, का० १४ तथा सि० वि० स्वो० वृ० ६।१६ ।
- ३. छघीय० स्वो० वृ० का० १४ तथा सि० वि० स्वो० वृ० ६।१६।
- ४. सिब्रिवि० स्वो०वृ० ६।१४, ३, न्यायवि० २।३३८, प० सं० का० ३८, पृ० १०७ ।
- प. सिद्धिवि० स्ववृ० ६।३ ।छघीय० स्वो०वृ० का० १२, १३, १४ ।

जैसाकि उपर्युक्त उदाहरणोंसे विदित है। इसीसे जैन दर्शनमें हेतुका एकमात्र अविनाभाव ही सम्यक् लक्षण इष्ट है।

सद्भावप्रतिषेधक तीन उपलब्धियां अकलंकने इस इस प्रकार बतलायी हैं-

- (१) स्वभाविकरद्धोपलिब्ध—स्यथा—पदार्थ कूटस्य नहीं है, क्योंकि परिण-मनशील है। यहाँ हेतु सद्भावरूप है और साध्य निषेधरूप। तथा पदार्थका स्वभाव परिणमन करनेका है।
- (२) कार्यविरुद्धोपलब्धि यथा लक्षणविज्ञान प्रमाण नहीं है, क्योंकि विसंवाद है। यहाँ भी हेतु सद्भावरूप है और साघ्य निषेधरूप। विसंवाद अप्रमाणका कार्य है।
- (३) कारणविरुद्धोपलिष्य—यथा—यह परीक्षक नहीं है, क्योंकि सर्वथा अभावको स्वीकार करता है। अपरीक्षकताका कारण सर्वथा अभावका स्वीकार है।

अकलंकने व धर्मकीर्तिके इस कथनकी कि 'स्वभाव और कार्य हेतु भाव-साधक हैं तथा अनुपलिब्ध अभावसाधक' समीक्षा करके उपलिब्धरूप स्वभाव और कार्य दोनों हेतुओंको भाव तथा अभाव उभयका साधक तथा अनुपलिब्धको भी दोनोका साधक सिद्ध किया है। ऊपर हम उपलिब्धरूप हेतुको सद्भाव और असद्भाव दोनोंका साधक देख चुके हैं। आगे अनुपलिब्धको भी दोनों-का साधक देखेंगे। इसके प्रथम भेद असद्भावसाधक प्रतिषेधरूपके ६ भेद बत-लाये हैं। यथा—

- (१) स्वभावानुपलब्धि —क्षणिकैकान्त नहीं है, क्योंकि उपलब्ध नहीं होता ।
 - १. यथा स्वभाविक्रद्धोपलिष:—नाविचिल्तितात्मा भावः परिणामात् । "कार्यविरुद्धोप-लिष्य:—लक्षणविज्ञानं न ममाणं विसंवादात् प्रमाणान्तरापेक्षणे । कारणविरुद्धोप-लिष्य:—नास्य परीक्षाफलम् अभावैकान्तग्रहणात् ।
 - --- म० सं० स्ववृ० का० ३०, पृ० १०५, अकलंकप० ।
 - २. नानुपलन्धरेव अभावसाधनी...।
 - --- प्र० सं० का० ३०।
 - स्वभावानुपलन्धि व्यया न क्षणक्षयैकान्तोऽनुपलन्धः । व्यक्तांनुपलन्धः अत्र कार्याभावात् । कारणानुपलन्धः --अत्रैव कारणामावात् । स्वभावसहचरानु-पलन्धः --अत्र व्यापारव्याहारिवशेषाभावात् । सहचरकारणानुपलन्धः अत्रैव आहाराभावात् । । ।
 - --वही, स्ववृ० का० ३०, ५० १०५।

- (२) कार्यानुपलिबध—क्षणिकैकान्त नहीं है, क्योंकि उसका कोई कार्य उपलब्ध नहीं होता।
- (३) कारणानुपलब्धि—क्षणिकैकान्त नहीं है, क्योंकि कोई कारण नहीं है।
- (४) स्वभावसहचरानुपलब्धि—इसमें आत्मा नहीं है, क्योंकि रूपादि-विशेषका अभाव है।
- (५) सहचरकार्यानुपलब्धि इस प्राणीमें आत्मा नहीं है, क्योंकि व्यापार-व्याहारविशेषका अभाव है।
- (६) सहचरकारणानुपलिब्ध—इस शरीरमें आत्मा नहीं है, क्योंकि भोजन-का अभाव है।

अनुपलिब्धिके दूसरे भेद असद्भावप्रतिषेधक (सद्भावसाधक) प्रतिषेधक-रूप अनुपलिब्धिके कितते भेद उन्हें अभीष्ट हैं, इसका अकलंकने स्पष्ट निर्देश नहीं किया। पर उनके प्रतिपादनसे संकेत अवश्य मिलता है कि उसके भी उन्हें अनेक भेद अभिप्रेत हैं।

इस प्रकार अकलंकने सद्भावसाधक ६ और सद्भावप्रतिषेधक ३ इस तरह ९ उपलब्धियों तथा असद्भावसाधक ६ अनुपलब्धियोंका कण्ठतः वर्णन करके इनके और भी अवान्तर भेदोंका संकेत किया है। तथा उन्हें इन्हींमें अन्तर्भाव हो जानेका उल्लेख किया है।

विद्यानन्दोक्त हेत्र-भेदः

विद्यानन्दका हेतुभेदिन रूपण अकलंकके हेतुभेदिन रूपणका आभारी और उपजीव्य है। किन्तु विद्यानन्दकी निरूपणसरिण एवं समीक्षात्मक अनुशीलन अतिस्पष्ट और आकर्षक है। उन्होंने अन्यथानुपपत्तिरूप एकलक्षणसामान्यकी अपेक्षा हेतुको एक प्रकारका कह करके भी विशेषकी अपेक्षा अतिसंक्षेपमें विधिसाधन और निषेधसाधनके भेदसे द्विविध तथा संक्षेपमें कार्य, कारण और अकार्यकारणके रूपमें त्रिविध प्रतिपादन किया और अन्य प्रकारोंका इन्हीं में अन्तर्भाव होनेका निर्देश किया है। उनका विह्न विरूपण अधः प्रस्तुत है—

- तच्च साधनं एकलक्षणसामान्यादेकविधमि विशेषतोऽतिसंक्षेपाद्द्विवधं विधसाधनं निषेयसाधनं च । संक्षेपात्त्रिविधमिधीयते—कार्यं कारणस्य, कारणं कार्यस्य, अकार्य-कारणमकार्यकारणस्येति…।
 - —प्रमाणप० पृ० ७२ ।
- २. वही, पृ० ७२ से ७५ तथा त० व्लो० १।१३, पृ० २०८-२१४।

- (१) कार्यहेतु—यहाँ अग्नि है, क्योंकि घूम है। कार्यकार्य आदि परम्परा हेतुओंका इसीमें अन्तर्भाव किया गया है।
- (२) कारणहेतु—यहां छाया है, क्योंकि छत्र है। कारणकारण आदि परम्पराकारणहेतुओं का इसीमें अनुप्रवेश है। स्मरण रहे कि न तो केवल अविशिष्ट कारणको और न अन्तिम क्षण प्राप्त कारणको कारणहेतु कहा जाता है, जिससे प्रतिबन्धके सद्भाव और कारणान्तरकी विकलतासे वह व्यभिचारी हो तथा दूशरे क्षणमें कार्यके प्रत्यक्ष हो जानेसे अनुमान निरर्थक हो, किन्तु जो कार्यका अविनाभावी निर्णीत है तथा जिसकी सामर्थ्य किसी प्रतिबन्धकसे अवरुद्ध नहीं है और न वांछनीय सामग्रीकी विकलता है, ऐसे विशिष्ट कारणको हेतु माना गया है।
- (३) अकार्यकारण—इसके चार भेद हैं—१ व्याप्य, २ सहचर, ३ पूर्व-चर और ४ उत्तरचर।
- १. व्याप्य हेतु—जहाँ व्याप्यसे व्यापकका अनुमान होता है वह व्याप्यहेतु है। जैसे—समस्त पदार्थ अनेकान्तस्वरूप हैं, क्योंकि सत् हैं, अर्थात् वस्तु हैं।
- २. सहचर हेतु—जहाँ एक सहभावीसे दूसरे सहभावीका अनुमान किया जाता है वह सहचर है। जैसे—अग्निमें स्पर्श है, क्योंकि रूप है। स्पर्श रूपका न कार्य है न कारण, क्योंकि दोनों सर्वत्र सर्वदा समकालवृत्ति होनेसे सहचर प्रसिद्ध हैं। ध्यान रहे, वैशेषिकोंके संयोगी और एकार्यसमवायी हेतु विद्यानन्दके मतानुसार साध्यसमकालीन होनेसे सहचर हैं। जैसे समवायी कारणहेतु है, वह उससे पृथक नहीं है।
- ३. पूर्वचरहेतु- शकटका उदय होगा, क्योंकि कृत्तिकाका उदय है। पूर्व-पूर्वचरादि परम्परापूर्वचरहेतुओंका इसीमें समावेश है।
- ४. उत्तरचरहेतु—भरणिका उदय हो चुका है, क्योंकि क्रुत्तिकाका उदय है। उत्तरोत्तरचरादि परम्पराउत्तरचरहेतुओंका इसीके द्वारा संग्रह हो जाता है।
- ये छह (7 + 8 = 5) हेतु े विधिरूप साघ्यको सिद्ध करनेसे विधिसाधन (भूतभूत) हेतु कहे जाते हैं।

प्रतिषेधरूप साध्यको सिद्ध करनेवाले हेतु र तीन हैं।—(१) विरुद्धकार्य, (२) विरुद्धकारण और (३) विरुद्धकारण ।

- १. तदेतत्साध्यस्य विधी साधनं षड्विधमुक्तम् ।
 - —ममा**जाप॰ पृ**० ७३।
- २. प्रतिषेधे तु प्रतिषेध्यस्य विरुद्धं कार्यं विरुद्धं कारणं विरुद्धाकार्यं चेति
 -प्र० प० पृष्ठ ७३।

- (२) विरुद्धकार्यहेतु—यहां शीतस्पर्श नहीं हैं, क्योंकि धूम है। स्पष्ट है कि शीतस्पर्शसे विरुद्ध अनल है, उसका कार्य धूम है। उसके सद्भावसे शीतस्पर्शका अभाव सिद्ध होता है।
- (२) विरुद्धकारण—इस पुरुषके असत्य नहीं है, क्योंकि सम्यक्तान है। प्रकट है कि असत्यसे विरुद्ध सत्य है, उसका कारण सम्यक्तान है। रागद्धेषरहित यथार्थज्ञान सम्यक्तान है। वह उसके किसी यथार्थकथन आदिसे सिद्ध होता हुआ सत्यको सिद्ध करता है और वह भी सिद्ध होता हुआ असत्यका प्रतिषेध करता है।
- (३) विरुद्धाकार्यकारण—इसके चार भेद हैं—१. विरुद्धव्याप्य, २. विरुद्ध-सहचर, ३. विरुद्धपूर्वचर और ४. विरुद्धउत्तरचर।
- १. विरुद्धव्याप्य—यहाँ शीतस्पर्श नहीं है, क्योंकि उष्णता है । यहाँ निश्चय ही शीतस्पर्शसे विरुद्ध अग्नि है और उसका व्याप्य उष्णता है ।
- २. विरुद्धसहचर—इसके मिथ्याज्ञान नहीं है, क्योंकि सम्यग्दर्शन है। यहाँ मिथ्याज्ञानसे विरुद्ध सम्यग्ज्ञान है और उसका सहचर (सहभावी) सम्यग्दर्शन है।
- ३. विरुद्धपूर्वचर मुहूत्तान्तिमें शकटका उदय नहीं होगा, क्योंकि रेवतीका उदय है। यहाँ शकटोदयसे विरुद्ध अध्विनीका उदय है और उसका पूर्वचर रेव-तीका उदय है।
- ४—िबरुद्धोत्तरचर—एक महूर्त्त पूर्व भरिणका उदय नहीं हुआ, क्योंकि पुष्य-का उदय है। भरिणके उदयसे विरुद्ध पुनर्वसुका उदय है और उसका उत्तरचर पुष्यका उदय है।

ये छह[ी] साक्षात्प्रतिषेघ्यसे विरुद्ध कार्यादिहेतु विधिद्वारा प्रतिषेधको सिद्ध करनेके कारण प्रतिषेधसाधन (अभृतभृत)हेतु उक्त हैं।

परम्परासे होनेवाले कारणविरुद्धकार्य, व्यापकविरुद्धकार्य, कारणव्यापक विरुद्धकार्य, व्यापकविरुद्धकारण, व्यापकविरुद्धकारण, कारणविरुद्धकारण, व्यापकविरुद्धकारण, कारणव्यापकविरुद्धकारण और व्यापककारणविरुद्धकारण तथा कारणविरुद्धव्या-प्यादि और कारणविरुद्धसहचरादि हेतुओंका भी विद्यानन्दने संकेत किया है। वे इस प्रकार हैं—

 तान्यंतानि साक्षात्प्रतिषेध्यविरुद्धकार्यादीनि लिंगानि विधिद्वारेण प्रतिषेषसाधनानि षड-भिहितानि ।

२. परम्परया तु कारणविरुद्धकार्थं व्यापकविरुद्धकार्थं कारणव्यापकविरुद्धकार्यं व्यापक-कारणविरुद्धकार्यं अन्यस्थानि ।

⁻⁻वहो, पृ० ७३।

- १. कारणविरुद्धकार्य इसके शीतजनित रोमहर्षादिविशेष नहीं है, क्योंकि धूम है। प्रतिषेध्य रोमहर्शादिविशेषका कारण शीत है, उसका विरोधी अनल है, उसका कार्य धूम है।
- २. व्यापकविरुद्धकार्यं यहां शीतस्पर्शसामान्यसे व्याप्त शीतस्पर्शविशेष नहीं है, क्योंकि धूम है। निषेष्य शीतस्पर्शविशेषका व्यापक शीतस्पर्शसामान्य है, उसका विरोधी अनल है, उसका कार्य धूम है।
- ३. कारणव्यापकविरुद्धकार्य—यहां हिमत्वव्यास हिमविशेषजनितरोमहर्षा-दिविशेष नहीं है, क्योंकि धूम है। रोमहर्षादििशेषका कारण हिमविशेष हैं, उसका व्यापक हिमत्व है, उसका विरोधी अग्नि है, उसका कार्य धुम है।
- ४. व्यापककारणविरुद्धकार्य यहां शीतस्पर्शविशेषव्यापक शीतस्पर्शसा-मान्यके कारण हिमसे होनेवाला शीतस्पर्शविशेष नहीं है, क्योंकि धूम है। प्रतिषेघ्य शीतस्पर्शविशेषका व्यापक शीतस्पर्शसामान्य है, उसका कारण हिम है, उसका विरोधी अग्नि है, उसका कार्य धूम है।
- ५. कारणविरुद्धकारण—इसके मिथ्याचरण नहीं है, क्योंकि तत्त्वार्थोपदेशका ग्रहण है। मिथ्याचरणका कारण मिथ्याज्ञान है, उसका विरोधी तत्त्वज्ञान है, उसका कारण तत्वार्थोपदेशग्रहण है।
- ६. व्यापकविरुद्धकारण—इसके आत्मामें मिथ्याज्ञान नहीं है, क्योंकि तत्त्वा-थॉपदेशका ग्रहण है। मिथ्याज्ञानिवशेषका व्यापक मिथ्याज्ञानसामान्य है, उसका विरोधी सत्यज्ञान है, उसका कारण तत्त्वार्थोपदेशग्रहण है।
- ७. कारणव्यापकविरुद्धकारण—इसके मिथ्याचरण नहीं है, क्योंकि तत्त्वार्थो-पदेशका ग्रहण है । यहां मिथ्याचरणका कारण मिथ्याज्ञानविशेष है, उसका व्यापक मिथ्याज्ञानसामान्य है, उसका विरोधी तत्त्वज्ञान है, उसका कारण तत्त्वार्थोपदेश-ग्रहण है ।
- ८. व्यापककारणविरुद्धकारण—इसके मिथ्याचरणविशेष नहीं है, क्यों-कि तत्त्वार्थोप्रदेशका ग्रहण है। मिथ्याचरणविशेषका व्यापक मिथ्याचरणसामान्य है, उसका कारण मिथ्याज्ञान है, उसका विरोधी तत्त्वज्ञान है, उसका कारण तत्त्वार्थोपदेशग्रहण है।
- ९. कारणविरुद्धव्याप्यै—सर्वथैकान्तवादीके प्रशम, संवेग, अनुकम्पा और आस्तिक्य नहीं हैं, क्योंकि विपरीतिमिथ्यादर्शनिविशेष है। प्रशमादिका कारण सम्यग्दर्शन है, उसका विरोधी मिथ्यादर्शनसामान्य है, उससे व्याप्य विपरीत-मिथ्यादर्शनविशेष है।

१. प्र० प० पृष्ठ ७४।

- १०. व्यापकविरुद्धव्वाप्य—स्याद्वादीके विपरीतादिमिथ्यादर्शनविशेष नहीं हैं, क्योंकि सत्यज्ञानविशेष हैं। विपरीतादिमिथ्यादर्शनविशेषोंका व्यापक मिथ्या-दर्शनसामान्य है, उसका विरोधी तत्त्वज्ञानसामान्य है, उसका व्याप्य सत्यज्ञान-विशेष हैं।
- ११. कारणव्यापकविरुद्धव्याप्य—इसके प्रशम आदि नहीं हैं, क्योंकि मिध्या-ज्ञानविशेष है। प्रशम आदिका कारण सम्यग्दर्शनविशेष है, उसका व्यापक सम्य-ग्दर्शनसामान्य है, उसका विरोधी मिध्याज्ञानसामान्य है, उसका व्याप्य मिध्याज्ञान-विशेष है।
- १२. व्यापककारणविरुद्धव्याप्य—इसके तत्त्वज्ञानविशेष नहीं हैं, क्योंकि मिध्यार्थोपदेशका ग्रहण है। तत्त्वज्ञनविशेषोंका व्यापक तत्त्वज्ञानसामान्य है, उसका कारण तत्त्वार्थोपदेशग्रहण है, उसका विरोधी मिध्यार्थोपदेशग्रहणसामान्य है, उससे व्यास मिध्यार्थोपदेशग्रहणविशेष है।
- १३. कारणविरुद्धसहचरी—इसके प्रशम आदि नहीं है, क्योंकि मिथ्या-ज्ञान है। प्रशम आदिका कारण सम्यग्दर्शन है, उसका विरोधी मिथ्यादर्शन है, उसका सहचर मिथ्याज्ञान है।
- १४. व्यापकविरुद्धसहचर—इसके मिध्यादर्शनिवशेष नहीं हैं, क्योंकि सम्य-ग्ज्ञान है। मिध्यादर्शनिवशेषोंका व्यापक मिध्यादर्शनसामान्य है, उसका विरोधी तत्त्वार्थश्रद्धानरूप सम्यग्दर्शन है, उसका सहचर सम्यग्ज्ञान है।
- १५. कारणव्यापकविरुद्धसहचर—इसके प्रशम आदि नहीं हैं, क्योंकि मिथ्या-ज्ञान हैं। प्रशम आदिका कारण सम्यग्दर्शनिवशेष हैं, उनका व्यापक सम्यग्दर्शन-सामान्य है, उसका विरोधी मिथ्यादर्शन है, उसका सहचर मिथ्याज्ञान है।
- १६. व्यापककारणविरुद्धसहचर— इसके मिथ्यादर्शनविशेष नहीं है, क्योंकि सत्यज्ञान है। मिथ्यादर्शनविशेषोंका व्यापक मिथ्यादर्शन सामान्य है, उसका कारण दर्शनमोहोदय है, उसका विरोधी सम्यग्दर्शन है, उसका सहचर सम्यग्जान है।

इस प्रकार विद्यानन्दने^२ विरोधी ६ परम्पराविरोधी १६ कुल २२ <mark>साक्षात्</mark> विरोधी हेतुओंका विस्तृत कथन किया है।

उल्लेखनीय है कि कणादने विरोधी हेतुके अभूतभूत, भूतअभूत और भूतभूत तीन प्रकारोंका निर्देश किया है। पर विद्यानन्दने श्रम्भूत-अभूतनामक चौथे मेद

१. म० प० पृ० ७४।

२, ३. तदेतत्सामान्यतो विरोधिछिगं प्रपंचतो दार्विशतिप्रकारमपि मृतमभूतस्य गमकम-न्यद्यानुपपत्तिनियमनिश्चलक्षणस्वात्प्रतिपत्तन्यम् ।

⁻⁻ Yo Qo Qo ok I

२१६ : जैन तक्षाचमें अनुमान-विचार

सिंहत उसके चार मेदोंका उल्लेख करके उनके साथ समन्वय भी प्रदिश्ति किया है। उन्होंने बतलाया है कि उक्त २२ भेद अभूत-भूत (सद्भावप्रतिषेधक विधि-रूप प्रतिषेधसाधन) हेतुके हैं और वे एकमात्र अन्ययानुपपन्नत्विनयमिनश्चयके आधारपर गमक हैं। विधिसाधकविधिरूप हेतुके पूर्वोल्लिखित कार्यादि ६ भेद भूतभूतके प्रकार हैं। इस तरह विद्यानन्दने हेतुके प्रथम भेद विधिसाधन (उप-लिब्ध) के विधिसाधक और विधिप्रतिषेधक इन दो भेदों तथा उनके उक्त अवान्तर प्रकारोंको दिखाया है।

इसके अनन्तर हेतुके दूसरे भेद^२ प्रतिषेधसाधन (अनुपलब्धि) के भी अकल्लक्क्किती तरह विधिसाधक प्रतिषेधसाधन और प्रतिषेधसाधक प्रतिषेधसाधन इन दो भेदोंका कथन किया है। प्रथमको भूत-अभूत और द्वितीयको अभूत-अभूत कह कर पूर्ववत् कणादोक्त विरोधि लिंगके भेदोंके साथ समन्त्रय किया है। घ्यातच्य है कि जहां कणादने विरोधि लिंगके मात्र तीन भेदोंका निर्देश किया है वहां विद्यानन्दने उसके चार भेदोंका वर्णन किया है, जिनमें अभूत-अभूत नामक प्रकार नया है और जिसकी विद्यानन्दने ही परिकल्पन। की जान पड़ता है, जो युक्तियुक्त है।

विधिसाधक प्रतिषेषसाधन हेतु (भूत-अभूत) र-

जिन हेतुओं में साध्य सद्भाव (भूत) रूप और साधन निषेघ (अभूत) रूप हो उन्हें विधिसाधक प्रतिषेघ (भूत-अभूत) हेतु कहते हैं। यथा—

- १. इस प्राणीके न्याधिविशेष है, क्योंकि निरामय चेष्टा नहीं है। इस हेतु का नाम विरुद्धकार्यानुपलन्धि है।
- २. सर्वथा एकान्तवादका कथन करने वालोंके अज्ञानादि दोष हैं, क्योंकि उनके युक्ति और शास्त्रसे अविरोधी वचन नहीं हैं। इसे विरुद्धकारणानुपलब्धि कहते हैं,
- ३. इस मुनिके आप्तत्व है, क्योंकि विसंवादी नहीं है। इसका नाम विरुद्ध-स्वभावानुपलिष्य है।
- ४. इस तालफलकी पतनिक्रया हो चुकी है, क्योंकि डंठलके साथ संयोग नहीं है। यह विरुद्ध सहचरानुपलब्धि है।
 - १. म० प० पृष्ठ ७४।
 - २. तदित्यं विधिमुखेन विधायकं प्रतिषेधमुखेन प्रतिषेधकं च छिंगमभिषाय साम्प्रतं प्रति-षेषमुखेन विधायकं प्रतिषेषकं च साधनमिषीयते । तत्रामूतं मूतस्य विधायकं …।

१. वही, ए० ७४-७५।

विधिप्रतिषेधकप्रतिषेध साधनहेतु (अभूत-अभूत) ---

जिनमें साध्य निषेध (अभूत-अभाव) रूप हो और साधन भी निषेध (अभूत-अभाव) रूप हो उन्हें विधिप्रतिषेधक प्रतिषेध (अभूत-अभूत) हेतु कहते हैं। यथा---

- (१) इस शवशरीरमें बुद्धि नहीं है, क्योंकि चेष्टा, वार्तालाप, विशिष्टआकार-की उपलब्धि नहीं होती। यह विधिसाधक प्रतिषेधसाधन कार्यानुपलब्धि हेतु है।
- (२) इसके प्रशम आदि नहीं हैं, क्योंकि तत्त्वार्थश्रद्धान उपलब्ध नहीं होता। यह कारणानुपलिक्ध है।
 - (३) यहां शिशपा नहीं है, क्योंकि वृक्ष नहीं है। यह व्यापकानुपलिब्ध है।
- (४) इसके तत्त्वज्ञान नहीं है, क्योंकि सम्यग्दर्शन नहीं है। यह सहचरा-नुपलब्धि है।
- (५) एक मुहूर्त्तके अन्तमें शकटका उदय नहीं होगा, क्योंकि कृत्तिकाका उदय नहीं है। यह पूर्वचरानुपलब्दि है।
- (६) एक मुहूर्त्त पहले भरणिका उदय नहीं हुआ, क्योंकि कृत्तिकाका उदय अनुपलब्ध है। यह उत्तरचरानुपलब्धि है।

इसी प्रकार विद्यानन्दने र कारणकारणाद्यनुपलिब्य, व्यापकव्यापकानुपलिब्य आदि परम्पराप्रतिषेषसाधकप्रतिषेषसाधन हेतुओंका भी संकेत किया है। तथा इस समस्त निरूपणके अन्तमें अपने कथनकी सम्पुष्टिके लिए इन सब हेतुभेदोंके संग्राहक पूर्वाचार्योंके सात क्लोकोंको प्रस्तुत किया है। इसके अनन्तर उन्होंने विद्य

१. प्र० प्रष्ट ७४।

२. वही, पृ० ७४।

३. स्थात्कार्यं कारणं व्याप्यं प्राक्सहोत्तरचारि च। तल्लक्षणव्याप्तेमू तं मूतस्य साधकम्॥ विरुद्धकार्यादि साक्षादेवं।पवणितम् । षोढा लिंगं भूतमभूतस्य लिंगलक्षणयोगतः ॥२।। पारम्पर्यात् कार्यं स्यात् कारणं व्याप्यमेव च । सहचारि च निर्दिष्टं प्रत्येकं तच्चतुर्विधम् ॥३॥ कारणादिष्ठकार्यादिमेदेनोदाहतं यथा षोढशमेदं स्यात् द्वाविंशतिविधं ततः ॥४॥ शेयमन्यथानुपपत्तिमत् । समुदितं तथा मूतमभूतस्याप्यूद्यमन्यदोषोदृशम् ॥ ५॥ भूतस्यानेकथा बुधैः। भूतमुन्नीतं तथाऽभूतमभूतस्य यथायोग्यमुदाहरेत् ॥६॥ बहुध।प्येवमाख्यातं संक्षेपेण चतुर्विधम् । अतिसंक्षेपतो देधोपलम्मानुपलम्मभृत् ॥ ७॥ ---वही, ५० ७४-७५।

४. वही, पृ० ७५।

किल्पत स्वभावादि त्रिविघ, नैयायिकसम्मत पूर्ववदादि त्रिविघ, वैशेषिक स्वोकृतं संयोग्यादि पंचिवघ और सांख्याम्युपगत वीतादि त्रिविघ हेतुनियमकी समीक्षा करतं हुए कहा है कि जब हेतुभेदोंकी यह स्पष्ट स्थिति है तो उसे केवल त्रिविघ आदि बतलाना संगत प्रतीत नहीं होता। अतः हेतुका एकमात्र प्रयोजक अन्यथा-नुपपन्नत्विनयमिनश्चयको ही मानना चाहिए, जिसके द्वारा सभी प्रकारके हेतुओंका संग्रह सम्भव है, त्रिविघत्वादिनियमको नहीं।

माणिक्यनित्वको उल्लेखनीय विशेषता है कि उन्होंने अकलंक और विद्यानन्दके वाङ्मयका आलोडन करके उसमें विश्वकालित हेतुभेदोंको सुसम्बद्ध ढंगसे सुगम एवं सरल सुत्रोंमें निबद्ध किया है। उनका यह व्यवस्थित हेतुभेदिनबन्धन उत्तरवर्ती प्रभाचन्द्र, लघु अनन्तवीर्य, देवसूरि, हेमचन्द्र प्रभृति तार्किकोंके लिए पथप्रदर्शक तथा आधार सिद्ध हुआ है। यहाँ उसे न देनेपर एक न्यूनता रहेगी। अतः उसे दिया जाता है।

अकलंककी तरह माणिक्यनिन्दने भी आरम्भमें हेतुके मूल दो भेद स्वीकार किये हैं—(१) उपलब्धि और (२) अनुपलब्धि। तथा इन दोनोंको विधि और प्रतिषेध उभयका साधक बतलाया है। और इसलिए दोनोंके उन्होंने दो-दो भेद कहे हैं—उपलब्धिके (१) अविरुद्धोपलब्धि और (२) विरुद्धोपलब्धि तथा अनुपलब्धिके (१) अविरुद्धोपलब्धि और (२) विरुद्धोपलब्धि तथा अनुपलब्धिके एह भेद हैं—(१) व्याप्य, (२) कार्य, (३) कारण, (४) पूर्वचर, (५) उत्तरचर और (६) सहचर। विरुद्धोपलब्धिके भी अविरुद्धोपलब्धिकी तरह छह भेद हैं। वे ये हैं—(१) विरुद्धव्याप्य, (२) विरुद्धकार्य, (३) विरुद्धसहचर। इसी-प्रकार अनुपलब्धिके प्रथम भेद अविरुद्धरानुपलब्धि प्रतिषेधरूप साध्यको सिद्ध करनेकी अपेक्षा सात प्रकारको कही है—(१) अविरुद्धस्वमावानुपलब्धि, (२) व्यापकानुपलब्धि, (३) कार्यानुपलब्धि, (३) कार्यानुपलब्धि, (६) व्यापकानुपलब्धि, (६) उत्तरचरानुपलब्धि, (६) सहचरानुपलब्धि, (६) विरुद्धन्वचर। विरुद्धान्वचरानुपलब्धि, (६) कार्यानुपलब्धि, (६) विरुद्धन्वचर। विरुद्धान्वचरानुपलब्धि, (६) उत्तरचरानुपलब्धि, (६) सहचरानुपलब्धि। विरुद्धान्वचरानुपलब्धि, (६) उत्तरचरानुपलब्धि और (७) सहचरानुपलब्धि। विरुद्धान्वचरानुपलब्धि। विरुद्धानुपलब्धान्वचरानुपलब्धा

१. परीक्षामु० ३।५७-५८।

२. स हेतुर्देशा उपलब्ध्यनुपलिधमेरात् । उपलन्धिर्विधिमितिषेभयोरनुपलिध्यन् । अवि-रुद्धोलिब्धिर्विधौ षेढा न्याप्यकार्यकारणपूर्वोत्तरसहचरमेदात् ।

⁻प० मु० ३।५७-५६।

३. विरुद्धतदुपल्लिः प्रतिषेधे तथेति ।

⁻वही, ३।७१।

४. अविरुद्धानुपछिष्यः प्रतिषेषे सप्तथा स्वमावन्यापककार्यकारणपूर्वोत्तरसष्ट्चरानुपछम्म-मेदादिति ।

[—]वहो, ३।७⊏।

नुपलिब्ये विधिष्प साध्यको सिद्ध करनेमें तीन प्रकारकी कही गयी है—(१) विरुद्धकार्यानुपलिब्य, (२) विरुद्धकारणानुपलिब्य और (३) विरुद्धस्वभावानुपलिब्य । इस तरह माणिक्यनिन्दिने ६ + ६ + ७ + ३ = २२ हेतुभेदोंका सोदाहरण निरूपण किया है। विद्यानन्दकी तरह परम्पराहेतुओंकी भी उन्होंने सम्भावना करके उन्हें यथायोग्य उक्त हेतुओंमें ही अन्तर्भाव करनेका इंगित किया है। माणिक्यनिन्दिने अकलंककी भौति कारण, पूर्वचर, उत्तरचर और सहचर इन हेतुओंको पृथक माननेकी आवश्कताको भी सयुक्तिक बतलाया है।

प्रभाचन्द्रने प्रमेयकमलमार्त्तण्डमें और लघु अनन्तवीर्यने प्रमेयरत्नमालामें माणिक्यनन्दिके व्याख्याकार होनेसे उनका ही समर्थन एवं विशद व्याख्यान किया है।

देवसूरिने विधिसाधक तीन अनुपलिब्धयों स्थानमें पांच अनुपलिब्धयां बतायी हैं तथा निषेधसाधक विरुद्धोपलिब्धके छह भेदोंकी जगह सात भेद प्रतिपादित किये हैं। शेष निरूपण माणिक्यनिन्द जैसा हो है। विद्यानन्दको तरह विरुद्धो- पलिब्धके सोलह परम्पराहेतुओं का भी उन्होंने कि निरूपण किया और इस निरूपण को अभियुक्तों द्वारा अभिहित बतलाया है। इसके साथ ही अविरुद्धानुपलिब्धके प्रतिपादक सूत्रमें साक्षात् हेतु सात और उसकी ब्याख्यामें परम्पराहेतु ग्यारह कुल अठारह प्रकारों का भी कथन किया है। उनका यह प्रतिपादन विद्यानन्दकी प्रमाणपरीक्षा और तत्त्वार्थश्लोकवार्त्तिकका आभारी है।

वादिराजका^६ हेतुभेदविवेचन यद्यपि अकलंक और विद्यानन्दसे प्रभावित है किन्तु उनका वैशिष्ठ्य भी उसमें परिलक्षित होता है । उन्होंने संक्षेपमें

- १. विरुद्धानुपलम्बिः विधौ त्रेषा विरुद्धकार्यकारणस्वभावानुपलम्बिमेदात् ।
- —प० मु० ३।८६ । २. वही, ३।६०-६४ ।
- विरुद्धानुपलिध्यस्तु विधिमतोतौ पंचधित । विरुद्धोपलिध्यस्तु प्रतिपेधप्रतिषेधप्रिपत्तौ सप्तमकारेति ।
 - --- प० न० त० ३।९९, ७९।
- ४. परम्परया विरोधाश्रयणेन त्वनेकप्रकारा विरुद्धोपल्लिधः सम्भवन्ती स्वयमियुक्तै-रवगन्तव्याः इति पारम्पर्येणः वेडशपकारा ।
 - ---वही, स्या० रत्ना० ३।८८, पृ० ६०५ ।
- ५. इतीयमिविरुद्धानुपलिथः सप्तमकारा मितिषेधमित्वविष्क्ती सोदाहरणा स्वतः मितिषेध्यवस्तु-सम्बन्धिनां स्वमावकार्यादीनां साक्षादनुपलम्मद्वारेण मदिश्वता । परम्परया पुनरेवािष निपुणैर्निरूप्यमाणैकादशथा सम्पद्यते । ...तिदृश्यं सुत्रौक्तैः सप्तमिभेदैः सहामी मिलिता पकादशमेदा अविरुद्धानुपलम्बेरष्टादश संवृत्ता इति ।
 - ---वही, स्या० रत्ना० ३।६८, पृ० ६१३-६१५।
- ६. प्रमाणनि० पृ० ४२-५०।

विधिसाधन और प्रतिषेधसाधन दो भेद करके विधिसाधनके धर्मिसाधन और धर्मि-विशेषसाधन ये दो भेद बतलाये हैं तथा इन दोनोंके भी दो-दो भेद कहे हैं। प्रति-षेधसाधनको भी विधिरूप और प्रतिषेधरूप दो प्रकारका विणत करके दोनोंके अनेक भेदोंकी सूचना की है और उनके कतिपय उदाहरण दे कर उन्हें स्पष्ट किया है।

हेमचन्द्रने कणाद, घर्मकीर्ति और विद्यानन्दकी तरह हेतुभेदोंका वर्गीकरण किया है फिर भी उनसे भिन्नता यह है कि उनके वर्गीकरणमें कोई भी अनुपर्लब्ध विधिसाधकरूपसे वर्णित नहीं है किन्तु धर्मकीर्तिकी तरह मात्र निषेध-साधकरूपसे वर्णित है।

धर्मभूषणने 9 विद्यानन्दके वर्गीकरणको स्वीकार किया है। अन्तर इतना हो है कि धर्मभूषणने आरम्भमें हेतुके दो भेद और दोनोंको विधिसाधक तथा प्रतिषेध-साधक प्रतिपादित किया है। पर विधिसाधक विधिरूप हेतुके छह भेदोंका ही उन्होंने उदाहरणद्वारा प्रदर्शन किया है, अन्य भेदोंका नहीं और इस तरह $\xi + \xi + \zeta = \xi$ हेतुभेदोंका उन्होंने वर्णन किया है।

यशोविजयका वर्गीकरण विद्यानन्द, माणिक्यनिन्द, देवसूरि और धर्मभूषणके वर्गीकरणोंके आधारपर हुआ है। विशेषतया देवसूरि और धर्मभूषणका प्रभाव उसपर लक्षित होता है।

इस प्रकार जैन तार्किकोंका हेतुभेदनिरूपण अनेकविध एवं सूक्ष्म होता हुआ उनकी चिन्तनविशेषताको प्रकट करता है।

१. प्रमाणमी० १/२/१२, १० ४२।


२. वही, शशक्र, पृ० ४२-४५।


३. न्या० दो० ए० ९५-९९।

४. जैन तर्कभा० ५० १६-१८ ।

प्रतासिक्त को जिए—प्रव नव तव शायप्र-प्रय, शहद, ६६, ७७, शायद, द्वायद, द्वायद, द्वायद, द्वायद, द्वायद, द्वायद, व्यायद, व्यायद,

६. तुलना कीजिए, न्या० दी० ५० ९५, ६६, ९७, ९८।






विरुद्धव्याप्य (१) साक्षात् निषेषसाघन – २ + ४ = ६ (२) परम्पराः निषेषसाघन – १६

विरुद्धउत्तरबर


बिरुद्ध पूर्व चर


विरुद्धसहचर

- १. विधि साथन ६ २. मिषेष साधन २२
- ं ६ न २२ २८ कुल हेतु मेद ४. माणिक्यनन्दि (परीक्षामुख ३।५७–९०) के अनुसार



= ६ + ६ + ३ + ७ --- = २२ हेतुमेद





अध्याय : ५ :

प्रथम परिच्छेद

ऋनुमानामास-विमर्श

जैन तर्कग्रन्थोंमें अनुमान-सम्बन्धी दोषोंपर जो चिन्तन उपलब्ध है वह महत्त्व-पूर्ण, दिलचस्प और घ्यातव्य है। यहाँ उसपर विचार किया जाता है। समन्तभद्रद्वारा निर्दिष्ट अनुमान-दोष:

समन्तभद्रने अनुमानदोषोंपर यद्यपि स्वतन्त्रभावसे कुछ नहीं लिखा, तथापि एकान्तवादोंकी समीक्षाके सन्दर्भमें उन्होंने कितपय अनुमान-दोषोंका उल्लेख किया है। उनसे अवगत होता है कि समन्तभद्र उन दोषोंसे परिचित हो नहीं, उनके विशेष्ण थे। उदाहरणार्थ उनका यहाँ एक स्थल उपस्थित किया जाता है। विज्ञाना-दैतको समीक्षा करते हुए वे उसमें दोष-प्रदर्शन करते हैं। लिखते हैं कि 'विज्ञप्तिमात्रताको सिद्धियदि साध्य और साधनके ज्ञानसे की जाती है तो अद्वैतको स्थोकृति-के कारण न साध्य सम्भव है और न हेतु; अन्यथा प्रतिज्ञादोष और हेतुदोष प्राप्त होंगे। समन्तभद्रके इस दोषापादनसे स्पष्ट है कि वे प्रतिज्ञादोष और हेतुदोष जैसे अनुमान-दोषोंसे सुपरिचित थे और वे उन्हें मानते थे। तथा इन दोषोंद्वारा एकान्तवाद-साधक अनुमानोंको दूषित अनुमान (अनुमानाभास) बतलाते थे। अतः समन्तभद्रके उक्त प्रतिपादनपरसे इतना तो कहा हो जा सकता है कि उन्हें प्रतिज्ञादोष (प्रतिज्ञाभास—पक्षाभास) और हेतुदोष (हेत्वाभास) ये दो प्रकारके अनुमाना-

साध्यसाधनविद्यसेर्योद विद्यसिमात्रता।

 साध्यं न च हेतुश्य प्रतिद्याहेतुदोषतः ॥
 आप्तमी० का० ८०।

भास स्वीकृत हैं। साध्य-सिद्धिमें दृष्टान्तको भी अंग कहनेसे उसका दोष (दृष्टा-न्ताभास) भी उन्हें अभिप्रेत हो तो आश्चर्य नहीं। असिद्ध, विरुद्ध, व्यभिचार जैसे हेरवाभासोंका तो उन्होंने 'स्पष्ट उल्लेख किया है।

सिद्धसेननिरूपित अनुमानाभास:

सिद्धसेनको इस अनुमानाभासका स्पष्टतया विवेचक पाते हैं। यत: उन्होंने परार्थानुमानके पक्ष, हेतु और दृष्टान्त ये तीन अवयव स्वीकार किये हैं अत: उसके दोष भी उन्होंने तीन प्रकारके विणत किये हैं। वे ये हैं—(१) पक्षाभास, (२) हेत्वाभास और (३) दृष्टान्ताभास। पक्षाभासके सिद्ध और बाधित ये दो भेद करके बाधितके सिद्धसेनने अनेक अर्थात् चार भेद बतलाये हैं—(१) प्रत्यक्षवाधित, (२) लिङ्गवाधित, (३) लोकवाधित और (४) स्ववचनबाधित। हेत्वाभास उन्होंने तीन प्रकारके प्रतिपादित किये हैं—(१) असिद्ध, (२) विरुद्ध और (३) अनैकान्तिक। वैशेषिक और बौद्ध भी यही तीन हेत्वाभास मानते हैं और त्रैविष्यका उपपादन वे यों करते हैं कि यत: हेतु त्रिरूप है, अत: एकएक रूपके अभावमें उक्त तीन ही हेत्वाभास सम्भव हैं।

यहाँ प्रश्न हो सकता है कि हेतुका त्रैरूप्य लक्षण माननेके कारण उनके अभाव-में वैशेषिक और बौद्धोंका त्रिविध हेत्वाभास प्रतिपादन युक्त है। पर जैन तार्किकोंने एकमात्र अन्यथानुपपित्तको हो हेतुलक्षण स्वीकार किया है। स्वयं सिद्धसेनने 'अन्यथा-नुपपक्षत्वं हेतोर्लक्षणमारितम्' शब्दों द्वारा अन्यथानुपपन्नत्वको ही हेतुका लक्षण बतलाया है। अतः उनके अनुसार हेत्वाभास एक होना चाहिए, तीन नहीं? इसका उत्तर स्वयं सिद्धसेनने पुक्तिपुरस्सर यह दिया है कि चूंकि अन्यथानु-

- दृष्टान्तसिद्धानुभयोर्निवादे साध्यं प्रसिद्धयेत्र तु तादृगस्ति ।
 नयः स दृष्टान्तसमर्थनस्ते ।
 —स्वयम्मू० का ५५ तथा ५३ ।
- २. युक्त्य० का० १२, १८, २९।
- ३. न्यायाव० का० २१, २२, २३, २४, २५।
- प्रतिपाचस्य यः सिद्धः पक्षाभासोऽक्ष-छिङ्गतः ।
 छोक-स्ववचनाम्यां च बाधितोऽनेकथा मतः ॥
 —वही, का० २१ ।
- ५, ६. अन्ययानुपपन्नत्व हेतोर्लक्षणमीरितम् ।
 तदप्रतीति-सन्देह-विपयांसैस्तदाभता ॥
 असिद्धस्तवप्रतीतो यो योऽन्ययैवोपपचते ।
 विरुद्धो योऽन्ययाप्यत्र युक्तोऽनैकान्तिकः स तु ॥
 —वही, का० २२, २३ ।

११८ : बैन सर्कासमें अनुमान-विचार

प्पत्ति या अन्यथानुपपन्नत्वका अभाव तीन तरहसे होता है। या तो उसकी प्रतीति न हो, या उसमें सन्देह हो और या उसका विपर्यास हो। प्रतीति न होने पर हेतु असिद्ध, सन्देह होनेपर अनैकान्तिक और विपर्यास होनेपर विरुद्ध कहा जाता है। अतएव तीन हेत्वाभासोंका प्रतिपादन भी जैन परम्परामें सम्भव है।

सिद्धसेनने दृष्टान्तदोषोंको प्रथमतः दो वर्गोंमें विभक्त किया है--(१) साधर्म्यदृष्टान्तदोष और (२) वैधर्म्यदृष्टान्तदोष। तथा इन दोनोंको उन्होंने छह-छह प्रकारका बतलाया है। इनमें साघ्यविकल, साधनविकल और उभयविकल ये तीन साधाम्यदृष्टान्तदोष तथा साध्याव्यावृत्त, साधनाव्यावृत्त और उभयाव्यावृत्त ये तीन वैत्रम्यं दृष्टान्तदोष न्यायप्रवेश जैसे रे हैं। परन्तु सन्दिग्धसाध्य, सन्दिग्धसाधन भीर सन्दिग्धोभय ये तीन साधर्म्यदृष्टान्तदोव तथा सन्दिग्धसाध्यव्यावृत्ति, सन्दिग्धसाध-नग्यावृत्ति और सन्दिग्धोभयव्यावृत्ति ये तीन वैधम्यदृष्टान्तदोष धर्मकीर्तिकी उतरह कथित हैं। न्यायप्रवेशगत अनन्वय और विपरीतान्वय ये दो साधर्म्यदृष्टान्ताभास तचा अञ्यतिरेक और विपरीतव्यतिरेक ये दो वैधर्म्यदृष्टान्ताभास एवं धर्मकीर्ति स्वीकृत अप्रदर्शितान्वय और अप्रदर्शितव्यतिरेक ये दो साधर्म्य-वैधर्म्यदृष्टान्ताभास सिद्धसेनको मान्य नहीं हैं। इस सन्दर्भमें सिद्धिषगणोकी वितिरक्त दृष्टान्ताभास-समोक्षा दृष्टव्य है। सिद्धसेनने इन दृष्टान्तदोषोंको यद्यपि 'न्यायविदीशेताः' शब्दों द्वारा न्यायवेत्ता-प्रतिपादित कहा है फिर भी उनका अपना भी चिन्तन है। यही कारण है कि उन्होंने न तो न्यायप्रवेशकी तरह पांच-पांच और न घर्मकोर्तिकी तरह नी-नी साधम्यं-वैधम्यंदृष्टान्ताभास स्वीकार किये। ही, अपने अङ्गोकृत उक्त छह-छह वृष्टान्ताभासोंके चयनमें उन्होंने इन दोनोंसे मदद अवश्य ली है और उसकी सूचना 'स्थायविदीरिताः' कह कर की है।

अकलङ्कीय अनुमानदोषनिरूपण:

जैन न्यायमें अकलङ्क ऐसे सूक्ष्म एवं प्रतिभाशाली चिन्तक हैं, जिन्होंने अनुमाना-भासोंकी मान्यतामें नया चिन्तन प्रस्तुत किया है। अकलङ्कके पूर्व जैन दार्शनिक

साधर्येणात्र दृष्टान्तदावा न्यायिवदीरिताः । अपलक्षणहेतूत्याः साध्यादिविकलादयः ॥ वैधम्येणात्र दृष्टान्तदोवा न्यायविदीरिताः । साध्यसाधनयुग्मानामनिवृत्तेश्च संशयात् ॥ —न्यायाव • का० २४, २५ ।

२. न्यायम० पृ० ५-७।

इ. न्यायबि० पृ० ९४-१०१।

४. न्यायाव० टी० का० २४, प्• ५७।

अनुमानके तीन अवयवोंकी मान्यताके कारण तीन अनुमानाभास स्वीकार करते थे। पर अकलकुदेव अनुमानके मूलतः दो हो अवयव (अङ्ग) मानते हैं—(१) साघ्य और (२) साघ्य । तीसरा अवयव दृष्टान्त तो अल्पजोंकी दृष्टिसे अथवा किसी स्थलविशेषकी अपेक्षासे ही प्रतिपादित है। अतः दृष्टान्ताभास नामक तीसरे अनुमानाभासका निरूपण सार्वजनीन नहीं है। अकलकुकी उक्त मान्यतानुसार अनुमानाभास निम्न प्रकार हैं:—

साध्याभास:

अकलक्क्रुसे पूर्व प्रतिज्ञाभास या पक्षाभास नामका अनुमानाभास माना जाता था। पर अकलकुने उसके स्थानमें साध्याभास नाम रखा है। अकलकुको यह नामपरिवर्तन अथवा सुधार क्यों अभीष्ट हुआ ? पूर्व नामोंको ही उन्होंने क्यों नहीं रहने दिया? यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। हमारा विचार है कि अनुमानके प्रयो-जक तत्त्व मुख्यतया दो ही हैं--(१) जिसकी सिद्धि करना है अर्थात् साध्य और (२) जिससे उसको सिद्धि करना है अर्थात् साधन। अनुमानका लक्षण (साध-नारसाध्यविज्ञानमनुमानम्) भी इन दो हो तत्त्रोंपर आधारित माना गया है। अतः अनुमानके सन्दर्भमें साधनदोषोंकी तरह साध्यदोष (असाध्य या साध्याभास) ही विचारणीय हैं। जब अबाधित, अभिप्रेत और अप्रसिद्धको साध्य कहा जाता है^र तो बाघित, अनभिप्रेत और सिद्धको साध्याभास ही माना जायेगा^६, क्योंकि वह (बाधितादि साध्य) साधनका विषय नहीं होता । जो बाधित है वह सिद्ध नहीं किया जा सकता, अनिभन्नेतको सिद्ध करनेमें अतिप्रसङ्गदोष है और प्रसिद्धको सिद्ध करना निरर्थक है । अतः अकलङ्कदेवका उक्त संशोधन (नामपरिवर्तन) इस सूक्ष्म तथ्यका प्रकाशक जान पड़ता है। अतएव प्रतिज्ञाभास या पक्षाभास नामकी अपेक्षा अनुमानाभासके प्रथम भेदका नाम साध्याभास अधिक अनुरूप है। यों तो साध्यको अनुमेयको तरह पक्ष और साध्याभासको अनुमेयाभासको भौति पक्षाभास या प्रतिज्ञाभास भी कहा जा सकता है। पर सूक्ष्म विचारकी दृष्टिसे साध्याभास नाम ही उपयुक्त है।

अकलङ्कदेवने साध्य और साध्याभासकी जो परिभाषाएँ प्रस्तुत की हैं उनके अनुसार साध्याभासके मूल तीन भेद फलित होते हैं—(१) अशक्य (विरुद्ध—

- १. साधनात्साध्यविज्ञानमनुमानं तदत्यये।
 - --- न्यायवि**० का० १७०; अनुमान म**स्ताव (अकलं० प्र० ५२ ।
- २, ३. साध्यं शक्यमभिन्नेतममिसदं ततोऽपरम् । साध्यामासं विरुद्धादि साधनाविषयत्वतः ।।
 - —बही, का०१७२; अनु**०** म० अकः य०**ए**० ५३ ।
- ४. तदिविषयत्वं च निराकृतस्याशनयत्वादनभिमेतस्यातिमसंगात्मसिद्धस्य च वैयध्यात् । --वादिराज, न्यायवि०, वि० २।३, पु० २२५ ।

बाधित--- निराकृत), (२) अनिभिन्नेत और (३) प्रसिद्ध । पर सिद्ध सेन अनिभ-प्रेत भेद नहीं मानते, शेष सिद्ध और बाधित ये दो ही भेद स्वीकार करते हैं। किन्त् जब साध्यको वादीकी अपेक्षा अभिप्रेत-इष्ट होना भी आवश्यक है, अन्यया अनिष्ट भी साध्य हो जाएगा, तब अनिभन्नेत (अनिष्ट) को साध्याभासका एक प्रकार मानना ही चाहिए। उदाहरणार्थ शब्दकी अनित्यता असिद्ध और शक्य (अबाधित) होनेपर भी मीमांसकके लिए वह अनिष्ट है। अतः मीमांसककी अपेक्षा वह अनिष्ट साध्याभास है। तात्पर्य यह कि साध्याभासके लक्षणमें अनिभन्नेत विशे-षण वांछनीय है और तब साध्याभास द्विविध न होकर त्रिविध होगा। साध्या-भासके सम्बन्धमें अकलंकको सिद्धसेनसे दूसरी भिन्नता यह है कि अकलंकने बाधित साध्याभासके अवान्तर भेदोंका उल्लेख नहीं किया, जबकि सिद्धसेनने उसके चार भेदोंका निर्देश किया है, जैसा कि हम ऊपर देख चके हैं। हाँ, अकलंकके व्याख्या-कार वादिराजने भवश्य उनके 'विरुद्धादि' पदका व्याख्यान करते हए बाधित (विरुद्ध-निराकृत) के प्रत्यक्षनिराकृत, अनुमाननिराकृत और आगमनिराकृत ये तीन भेद वर्णित किये हैं। इनमें आदिके दो भेद सिद्धसेनके उपर्यक्त चार भेदोंमें भी पाये जाते हैं। पर 'आगमनिराकूत' नामका भेद उनमें नहीं है और वह नया है। वादिराजने सिद्धसेनके स्ववचनबाधित और लोकबाधित इन दो बाधितोंको यहाँ छोड़ दिया है। परन्तु अपनी स्वतन्त्र कृति प्रमाणनिर्णयमें उक्त तीनों बाधितोंके अतिरिक्त इन दोका भी उन्होंने कथन किया है और इस प्रकार पाँच बाधितोंका वहाँ निर्देश है।

साधनाभास:

जैन तार्किक हेतु (साधन)का केवल एक अन्यथानुपपन्नत्व—अन्यथानुपपत्ति रूप मानते हैं। अतः यद्यार्थमें उनका^ड हेत्वाभास (साधनाभास) भी उसके अभावमें एक होना चाहिए, एकसे अधिक नहीं? इसका समाधान यों तो सिद्धसेनने

१. विरुद्धादि । विविधं रुद्ध निराकृतं प्रत्यक्षादिना विरुद्धम् । अनेनाशक्यमुक्तम् । न हि प्रत्यक्षादिनिराकृतं शक्यं साधियतुम् । '''तत्र प्रत्यक्षनिराकृतं '''तद्वदेव चानुमानिराम् कृतं ''' एवमागमिनराकृतमपि ।

⁻⁻ न्यायवि० वि० २।३, पृ० १२।

२. तत्र प्रत्यक्षविरुदं · · अनुमानविरुदं · · · आगमविरुद्धं · · स्वत्रचनविरुद्धं · · · लोकविरुद्धं यद्या · · · ।

⁻⁻⁻ प्रमाणनिर्ण० पु० ६१-६२।

३. हेत्वाभासत्वमन्ययानुपपत्तिवैकत्यात् । तस्य चैकविधत्वात् तदामासानामप्येकविधत्वमेव माप्नोति, बहुविधत्वं चेष्यते तस्कर्यामिति चेत् ।

⁻⁻⁻ त्या० वि० वि० २।१९६, मृ० २२५ ।

किया ही है। पर अकलंकने बड़ी योग्यता और सूक्ष्मतासे उत्तर दिया है। बे कहते हैं कि जो साधन अन्यथानुपपन्न नहीं है वह साधनाभास है और वह वस्तुतः एक ही है और वह है ऑकिंचित्कर। विरुद्ध, असिद्ध और सिन्दग्ध ये उसीका विस्तार हैं। यतः अन्यथानुपपित्तका अभाव अनेक तरहसे होता है, अतः हेत्वाभास अनेक प्रकारका सम्भव है। अन्यथानुपपित्तका निश्चय न होनेपर असिद्ध, विपर्यय होनेपर विरुद्ध और सन्देह होनेपर सिन्दग्ध ये तीन हेत्वाभास कहे जा सकते हैं। अतएव जो हेतु त्रिलक्षणात्मक होनेपर भी अन्यथानुपपन्नत्वसे रहित हैं उन सबको अकलंक अकिंचित्कर हेत्वाभास मानते हैं।

- (क) साधनं प्रकृतामानेऽनुपपत्रं ततोऽपरे ।
 विरुद्धासिद्धसन्दिग्धा अकिंचित्करविस्तराः ॥
 —न्यायवि० १।१०१-१०२, पृ० १२७-१३० ।
 - (ख) अन्यथासम्भवाभावमेदात्स बहुधा स्मृतः । विरुद्धासिद्धसन्दिग्धैरकिचित्करविस्तरैः ॥
 - -वहो, २।१६७, ५० २२५ ।
 - (ग) अन्यायानुपपन्नत्वरहिता ये त्रिलक्षणाः ।
 अकिचित्कारकान् सर्वास्तान् वयं संगिरामहे ॥
 —वही, २।२०२, ५० २३२ ।
- २. प्र० मी० माषाटि० पृ० ९७।
- ३. न्या० म० ए० १६३-१६६ (प्रमेयप्रकरण**)**।

्यायकलिका (पृ०१५) में भी स्थिर रखा है। श्रीसंववीजोकी सम्भावनापर जब हमने अकलंकसे पूर्ववर्ती तार्किक ग्रन्थों भें 'अन्यथासिद्ध'का अन्वेषण किया तो उद्योतकरके न्यायवार्तिकमें 'अन्यथासिद्ध' हेत्वाभास मिल गया, जिसे उन्होंने असिद्धिके तीन भेदों में परिगणित किया है। वस्तुतः अन्यथासिद्ध एक प्रकारका अप्रयोजक या अर्किचित्कर हेत्वाभास ही है। जो हेतु निरर्थक हो—स्वीकृत साध्यको सिद्ध न कर सके उसे अन्यथासिद्ध अथवा अर्किचित्कर कहना चाहिए। अन्यथसिद्धत्व अन्यथानुपपन्नत्वके अभाव—अन्यथा-उपपन्नत्वके अतिरिक्त कुछ नहीं है। यही कारण है कि अकलंकदेवने अर्स्व अक्षण (त्रिक्त अथवा पंचरूपादि) सम्पन्न होने पर भी अन्यथानुपपन्नत्वरहित हेतुओंको अर्किचित्कर 'हेत्वाभासकी संज्ञा दो है। अतएव अकलंकने उद्योतकरके अन्यथासिद्धत्वके आधारपर अर्किचित्कर हेत्वाभासकी परिकल्पना की हो तो आक्चर्य नहीं। प्रमाणसंग्रहगत प्रतिपादनसे प्रतीत होता है कि वे अर्किचित्करको पृथक् हेत्वाभास भी मानते हैं, क्योंकि असिद्धादि अन्य तोन हेत्वाभासोंके लक्षणोंके साथ उसका भीस्वतन्त्र लक्षण दिया है।

इस हेत्वाभासके सम्बन्धमें डा॰ महेन्द्रकुमार जैनका मत है कि 'अकलंकदेव-का अभिप्राय अकि चित्करको स्वतन्त्र हेत्वाभास माननेके विषयमें सुदृढ नहीं मालूम होता । वे लिखते हैं कि सामान्यसे एक असिद्ध हेत्त्वाभास है । वही विरुद्ध, असिद्ध और सन्दिग्धके भेदसे अनेक प्रकारका हो जाता है । फिर लिखा है कि अन्ययानुपात्तिरहित जितने त्रिलक्षण हैं उन्हें अकि चित्कर कहना चाहिए । इससे ज्ञात होता है कि वे सामान्यसे हेत्वाभासोंकी असिद्ध या अकि चित्कर संज्ञा रखना चाहते हैं।'

इसमें सन्देह नहीं कि ऑकिंचित्करको स्वतन्त्र हेत्वाभास माननेकी अपेक्षा अकलंकदेवका अधिक झुकाव उसे सामान्य हेत्वाभास और विरुद्धादिको उसीका

१. अप्रयोजकत्वं च सर्वेहेत्वाभासानामनुगतं रूपम् । अनित्याः परमाणवोऽमूर्त्तत्वात् इति सर्वेळक्षणसन्पन्नोऽप्यमयोजक एव ।

⁻⁻⁻न्यायकः पृ०१५।

२. सोऽयमिसद्धस्त्रेथा भवति प्रज्ञापनीयधर्मसमानः, आश्रवासिद्धः, अन्यवासिद्धश्चेति ।
---या० वा० १।२।८, पृ० १७५ ।

३. अकिंचित्कारकान् सर्वास्तान् वयं संगिरामहे । ---न्या० वि० २/२०२, पृ० २३२ ।

४. स विरुद्धोऽन्यवाभावात् असिद्धः सर्ववात्स्यात् । व्यभिचारो विपक्षेऽपि सिद्धेऽकिचित्करोऽस्किः॥

[—] म॰ सं॰ ४८, ४९, अ० म० प्० १११। तया सि० वि० ६।३२, पू० ४२६।

५. मस्तावना ए० २०, न्या० वि० वि० दितीय भाग।

विस्तार बतलानेकी ओर है। पर उन्होंने सामान्यसे एक असिद्ध हेत्वाभास नहीं माना और न ही विरुद्ध, असिद्ध तथा सिन्दिग्धको उसका प्रकार कहा है। ज्ञात होता है कि डा॰ जैनको अलंकदेवके 'अन्यधासम्भवाभावभेदात् स बहुधा स्मृतः' इस वाक्यमें आये 'स' शब्दसे पूर्ववर्ती कारिकावाक्य 'असिद्धश्चाश्चष्टादाः शब्दानित्यत्वसाधने' में आगत 'असिद्ध' के ग्रहणका भ्रम हुआ है। यथार्थमें 'स' शब्दसे वहां सामान्य हेत्वाभासका ग्रहण अकलकदेवको विवक्षित है। उनके व्याख्याकार वादिराजने अभी 'स हेत्वाभासो बहुधा बहुप्रकारः स्मृतः मतः' इस प्रकारसे 'स' शब्दका सामान्य हेत्वाभास व्याख्यान किया है, असिद्ध नहीं। दूसरे, जब प्रकारोंमें भी 'असिद्ध' अभिहित है तब असिद्धका असिद्ध प्रकार कैसे सम्भव है? यह एक असंगति है। अतः अकलङ्कको विरुद्धादि अकिचित्कर नामक सामान्य हेत्वाभासके तो प्रकार अभिमत हैं, पर असिद्धके नहीं। उसे स्वतन्त्र हेत्वाभास माननेकी अपेक्षा चार हेत्वाभास स्वोकार कर अकलङ्कते उनका निम्न प्रकार विवेचन किया है—

- (१) असिद्ध र जो पक्षमें सर्वथा पाया ही न जाए अथवा जिसका साध्यके साथ अविनाभाव न हो वह असिद्ध है। जैसे शब्द अनित्य है, क्यों कि चाक्षुष है। यहां चाक्षुषत्व हेतु शब्दमें नहीं रहता, शब्द तो श्रावण है। अतः असिद्ध हैं।
- (२) विरुद्ध जो साध्यके अभावमें पाया जाए अथवा साध्याभावके साथ जिसका व्याप्ति हो वह विरुद्ध है। जैसे सब पदार्थ क्षणिक हैं, क्योंकि सत् हैं। यहाँ सत्त्व हेतु सर्वथा क्षणिकत्वसे विरुद्ध कथंचित् क्षणिकत्वके साथ व्याप्ति रखता है। अतः विरुद्ध है।

१. न्या० वि० वि० २।१९७।

२. वही, २।१९६ ।

अन्यथासम्भवाभावः अन्यथानुपपन्नत्वस्थाभावः तस्य मेद। नानात्वं तस्मात् स हेत्वाभासो
बहुधा बहुमकारः स्मृतो मत इति । कैः कृत्वा स बहुधेत्याह विरुद्धासिद्धसिन्दिग्धैरकिचित्करविस्तरैः ।

⁻⁻⁻वहो, २।१९७।

४. असिद्धः सर्वेद्यात्ययात् ।

[—]प्रव सैव काव ४८, एव १११। असिद्धरचाक्षुषत्वादिः शब्दानित्यत्वसाधने ।

⁻⁻ न्या० वि० २।१९६ ।

५. स विरुद्धोऽन्ययामावात् ।

[—]प्र० सं० का० ४८, ५० १११ । साध्यामानसम्भवनियमनिर्णयेकलक्षणो निरुद्धो हेत्नामासः । यद्या नित्यः शस्दः सस्तात् इति ।

⁻वहो, स्त्रो० हु० ४०, पु० १०७

- (३) सन्दिग्धे जो पक्ष और सपक्षकी तरह विपक्षमें भी रहे वह सन्दिग्ध अर्थात् अनैकान्तिक है। जैसे – वह सर्वज्ञ नहीं है, क्योंकि वक्ता है। वक्तृत्व हेतुके असर्वज्ञको तरह सर्वज्ञमें भी रहनेका सन्देह है। अतः वह सन्दिग्ध है।
- (४) अर्किचित्कर निज्ञासका साध्य सिद्ध हो, अथवा अन्यथानुपपित्तसे रहित जितने भी हेतु हों वे सब अर्किचित्कर हैं। जैसे—शब्द विनाशी हैं, क्योंकि कृतक है। अथवा यह अग्नि हैं, क्योंकि धूम है। कृतकत्व और धूम हेतु प्रत्यक्ष-सिद्ध विनाशित्व और अग्निको सिद्ध करनेसे अर्किचित्कर हैं।

अकलंकने धर्मकीति और अर्चट द्वारा उल्लिखित ज्ञातत्वरूपके अभावमें होने-वाले अज्ञात साधनाभासको असिद्धका एक भेद कहकर उसका असिद्धमें अन्तर्भाव किया है'। इसी प्रकार दिग्नागके विरुद्धान्यभिचारोका, जिसे उन्होंने अनैकान्तिकका एक भेद माना है, विरुद्धमें समावेश किया है। परस्परविरोधी दो हेतुओंका एक धर्मीमें प्रयोग होनेपर प्रथम हेतु विरुद्धान्यभिचारो कहा जाता है। यह नैयायिकोंके प्रकरणसम (सत्प्रतिपक्ष) हेत्वाभास जैसा है। दोनों हेतु संशयजनक होनेसे दोनोंका समुच्चयरूप यह विरुद्धान्यभिचारी अनैकान्तिक हेत्वाभास है"। धर्म-कीर्तिने इसे स्वीकार नहीं किया। उनका मत है कि जिस हेतुका त्रकृप्य प्रमाणसे प्रसिद्ध है, उसके विरोधी हेतुका अवसर ही नहीं है। प्रशस्तपादका मंतव्य है कि उक्त हेत्वाभास संशयहेतु नहीं है, क्योंकि संशयका कारण विषयद्वैतदर्शन है। किन्तु समानासमान जातीय दो धर्मीन तुस्य बल होनेसे परस्पर विरोध है और इस विरोधके कारण वे (दोनों हेतु) केवल एकपक्षीय निर्णयानुत्पादक हैं, न कि संशय-हेतु। दूसरे, वे तुत्यवल भी नहीं हैं, क्योंकि उनमेंसे एकका साध्य बाधित हो जाता

१. व्यामचारी विपक्षेऽपि । —म० सं० का ४८, पृ० १११ । अनिश्चितविपक्षवृत्तिरनैकान्तिकः । —बही, का० ४०, पृ० १०८ ।

२. सिद्धं ऽकिचित्करो हेतुः स्वयं साध्यन्यपेक्षया। — मन्सं का० ४४, पृ० ११०। सिद्धं ऽकिचित्करोऽखिलः। — वहो, का० ४८, पृ० १११।

३. साध्येऽपि कृतकत्वादिः अज्ञातः साधनामासः । तदसिद्धस्त्रभणेन अपरो हेत्वामासः ।
—प्र० स र स्वो० व० ४४, पृ० ११० ।

४. न्या० म० पृ० ४-५ ।

प्रमयोः संशयहेतुत्वाद् द्वावप्येतावेकोऽनैकान्तिकः समुदितावेव ।
 —स्या० प० प्र० प्र ।

६. न्या० वि० पृ ८६।

 [ं]न, संशयो विषयदैतदर्शनात् । "तुल्यब्ह्यवे च तयोः परस्परविरोधान्निर्णयानु-त्पादकत्वं स्यान्न तु संशयदेतुत्वम् । न च तयोस्तुल्यब्छत्वमस्ति अन्यतरस्यानुमेयोदेश-स्यागमवाधितत्वादयं तु विरुद्धमेद एव ।

⁻⁻⁻ प्रज्ञा० भा० पु० ११६।

है। अतः वह एक विषद्धका भेद है—प्रत्यक्षादिविषद्ध प्रतिज्ञाभासोंमेंसे कोई एक है। अकलंकका मत है कि जो हेतु विषद्धका अध्यभिचारी—विश्वसमें रहनेवाला है उसे विषद्ध हेत्वाभास होना चाहिए। इस तरह अकलंकने सामान्यरूपसे एक अकिचित्कर हेत्वाभास स्वीकार करके भी विशेषरूपसे उसके असिद्ध, विषद्ध और अनैकान्तिक ये तीन तथा अकिचित्कर सिह्त चार हेत्वाभासोंका कथन किया है। दृष्टान्तीभास:

अकलंकने प्रतिपाद्यविशेष अथवा स्थलविशेषकी आवश्यकताको घ्यानमें रखते हुए 'तदाभासाः साध्यादिविकलादयः' शब्दों द्वारा साध्यविकल आदि दृष्टान्ता-भासोंको भी सूचना को है। परन्तु उनकी इस संक्षिप्त सूचनापरसे यह जात करना दुष्कर है कि उन्हें उसके मूल और अवान्तर भेद कितने अभिष्रेत हैं। पर हाँ, उनके व्याख्याकार वादिराजके व्याख्यान (विवरण) से उनके आशयको जाना जा सकता है। वादिराजने धर्मकीर्तिको तरह उसके साधम्य और वैधम्य ये दो मूल भेद और उनके अवान्तर नौ-नौ प्रकार प्रदर्शित किये हैं। यथा—

१. साधर्म्यष्टान्ताभासः

- (१) साध्यविकल—शब्द नित्य है, क्योंकि अमूर्तिक है, कर्मको तरह। यहां कर्म दृष्टान्त साध्यविकल है, कारण कि वह नित्य नहीं है, अनित्य है। यह साध्यविकल साधर्म्यदृष्टान्ताभासका निदर्शन है।
- (२) साधनविकल-उक्त अनुमानमें परमाणुका दृष्टान्त देना साधनविकल साधम्यदृष्टान्ताभास है, क्योंकि परमाणु अमूर्तिक नहीं है, मूर्तिक है।
- (३) उभयितकल उपर्युक्त अनुमानमें ही घटका दृष्टान्त उभयिकल साधम्यदृष्टान्ताभास है, क्योंकि घटन नित्य है और न अमूर्तिक, वह अनित्य तथा मूर्त्तिक है।
- (४) सन्दिग्धसाध्य सुगत रागादिमान् हैं, क्योंकि उत्पन्न होते हैं, रथ्या-पुरुषकी तरह। यहां रथ्यापुरुषमें रागादिका निश्चय नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्षादिसे उनका निश्चय करना अशक्य है।
- (५) सन्दिग्धसाधन—यह मरणशील है, क्योंकि रागादिमान् है, रथ्या-पुरुषकी तरह । यहां रथ्यापुरुषमें रागादिका पूर्ववत् अनिश्चय है ।

१. विरुद्धान्यमिचारी स्यात् विरुद्धो बिदुषां पुन: ।
 —प्र० सं० का० ४७ तया का० ४४ की स्वा० वृ० पृ० ११०-१११ ।

२. न्या० वि० २।२११, पृ० २४०।

३. न्या० वि० २।२११, पृ० २४०-४१।

४. न्यायबि० पृ० ९४-१०२।

- (६) सन्दिरभो मय-यह असर्वज्ञ है, क्योंकि रागादिमान् है, रथ्यापुरुषकी तरह। यहां रथ्यापुरुषमें साध्य और साधन दोनोंका अनिश्चय है।
- (७) अनन्त्रय—यह रागादिमान् है, क्योंकि वक्ता है, रथ्यापुरुषकी तरह यहां रथ्यापुरुपमें रागादिका सद्भाव सिद्ध न होनेसे अन्वय असिद्ध हैं।
- (८) अप्रदर्शितान्वय—शब्द अनित्य है, क्योंकि कृतक है, घटको तरह।
 यहां 'जो जो कृतक होता है वह वह अनित्य होता है' ऐसा अन्वय
 प्रदर्शित नहीं है, क्योंकि कृतकताका ज्ञान होने पर भी अनित्यका ज्ञान
 शक्य नहीं है।
- (६) विपरीनान्वय—'जो अनित्य होता है वह कृतक होता है' ऐसा विप-रीत अन्वय प्रस्तुत करना विपरोतान्वय साधर्म्यदृष्टान्ताभास है। ये नौ साधर्म्यदृष्टान्ताभास हैं।

२. वैधर्म्यदृष्टान्ताभासः

- (१) साध्याञ्यावृत्त-शब्द नित्य है, क्योंकि अमूर्त है, जो नित्य नहीं होता वह अमूर्त भी नहीं होता, जैसे परमाणु । यहां परमाणुका दृष्टान्त साध्याव्यावृत्त वैधर्म्यदृष्टान्तभास हैं, कारण कि परमाणुओं में साधनको व्यावृत्ति होनेपर भी साध्य (नित्यत्व)को व्यावृत्ति नहीं है ।
- (२) साधनाव्यावृत्त उक्त अनुमानमें कमका दृष्टान्त साधनाव्यावृत्त है, क्योंकि उसमें साध्य (नित्यत्व) को व्यावृत्ति रहने पर भी साधन (अमूर्तत्व) की अव्यावृत्ति है।
- (३) उभयाव्यावृत्त उक्त अनुमानमें हो आकाशका दृष्टान्त उभयाव्या-वृत्त है, क्योंकि आकाशमें न साध्य (नित्यत्व) को व्यावृत्ति है — नित्यत्व रहता ही है और न अमूर्त्तत्वको व्यावृत्ति है — वह उसमें रहता ही है।
- (४) सन्दिग्धसाध्यव्यतिरेक सुगत सर्वज्ञ हैं, क्योंकि अनुपदेशादिप्रमाण-युक्ततत्त्वप्रवक्ता हैं, जो सर्वज्ञ नहीं वह उक्त प्रकारका प्रवक्ता नहीं, यथा वीथीपुरुष । यहां वीथीपुरुषमें सर्वज्ञत्वकी व्यावृत्ति अनि-हिचत है, कारण कि परके मनकी बातको जानना दुष्कर है ।
- (५) सन्दिग्धसाधनव्यतिरेक—शब्द अनित्य है क्योंकि सत् है, जो अनित्य नहीं होता वह सत् भी नहीं होता, जैसे गगन । गगनमें सत्त्वरूप साधनकी व्यावृत्ति सन्दिग्ध है, क्योंकि वह अदृश्य है ।
- १. वादिराज, न्या० वि० वि० २।२११, पु० २४१ । तुल्ला--न्यायवि० पु० ६७-१०१

- (६) सन्दिग्धोभयव्यतिरेक—हरिहरादि संसारी हैं, क्योंकि अज्ञानादि युक्त हैं। जो संसारी नहीं है वह अज्ञानादि दोष युक्त नहीं है, यथा बुद्ध। बुद्धमें संसारित्व साध्य और अज्ञानादियुक्तत्व साधन दोनों-की व्यावृत्ति अनिश्चित है।
- (७) अन्यतिरेक शन्द नित्य है, क्यों कि अमूर्त्त है, जो नित्य नहीं वह अमूर्त्त नहीं, यथा घड़ा। घड़ेमें साध्यकी न्यावृत्ति रहनेपर भी हेतु-की न्यावृत्ति तत्प्रयुक्त नहीं है, क्यों कि कर्म अनित्य होनेपर भी अमूर्त्त है।
- (८) अप्रदर्शितव्यतिरेक—शब्द अनित्य है, क्योंकि सत् है, आकाशको तरह । यहां वैधम्येण आकाशमें व्यतिरेक अप्रदर्शित है ।
- (९) विषरीतब्यतिरेक उक्त अनुमानमें ही 'जो सत् नहीं वह अनित्य भी नहीं, जैसे आकाश' यहां साधनकी व्यावृत्तिसे साध्यकी व्यावृत्ति दिखाई गयी है, जो विरुद्ध है।

इस तरह वादिराजने अकलंकके अभिप्रायका उद्घघाटन करते हुए नौ साधर्म्यदृष्टान्ताभास और नौ हो वैधर्म्यदृष्टान्ताभाग कुल अठारह दृष्टान्ताभासों-का निरूपण किया है।

उपर्युक्त अध्ययनसे विदित होता कि अकलंकके चिन्तनमें हमें साध्याभासके तीन भेदोंकी मान्यता, हैस्वाभाससामान्यका अकिचित्कर नामकरण और उसके तीन अथवा चार प्रकारोंको परिकल्पना तथा प्रतिपाद्यविशेषको अपेक्षा साध्यविकलादि दृष्टान्ताभासोंको स्वीकृति ये उपलब्धियाँ प्राप्त होती हैं। यह अवश्य है कि इन अनुमानदोषोंका प्रतिपादन उनके उपलब्ध न्यायवाङ्मयमें क्रमबद्ध और एकत्र उपलब्ध नहीं होता—अतिसंक्षेपमें ही उनपर प्रकाश प्राप्त होता है। सम्भव है अनुमानदोषोंका निरूपण उन्हें उतना अभीष्ट न हो जितना समीक्ष्य दार्शितक प्रमेयों (विषयों) को समीक्षा । सम्भवतः इसीसे अकलंकके न्यायवाङ्मयके तलदृष्टा माणिक्यनन्दिका ध्यान उधर गया और उन्होंने अपने परीक्षामुखमें आभासोंका प्रतिपादक एक स्वतन्त्र ही परिच्छेद निर्मित कर उसमें अनुमानाभासोंका क्रमबद्ध एवं एकत्र विशद और विस्तृत निरूपण किया है।

माणिक्यनन्दिद्वारा अनुमानाभास-प्रतिपादन :

यद्यपि जैन परम्परामें जैनन्यायपर जल्पनिर्णय, त्रिलक्षणकदर्थन, वादन्याय, न्यायविनिश्चय, सिद्धिविनिश्चय, प्रमाणसंग्रह जैसे महत्त्वपूर्ण अनेक प्रकरणग्रन्थ लिखे

१. ते इमे पूर्वस्चिता अष्टादशापि दृष्टान्ताभासाः।

⁻⁻ न्या विव विव १।२११, पुर २४१।

जा चुके थे, पर गौतमके न्यायसूत्र, दिङ्नागशिष्य शाक्करस्वामीके न्यायप्रवेश और धर्मकीर्तिके न्यायिवन्दुकी तरह जैनन्यायकी गद्यसूत्रोंमें निबद्ध करनेवाला कोई गद्यन्यायसूत्र ग्रन्थ नहीं रचा गया था। माणिक्यनन्दिने जैन न्यायको गद्यसूत्रोंमें निबद्ध करनेवाली अपनी महत्त्वपूर्ण कृति 'परीक्षासुख', जो जैन परम्पर।का प्रथम 'न्यायसूत्र' है और जिसे उनके टीकाकार अनन्तवीर्यने 'न्यायविद्या' एवं अकलंकके वचोम्भोधिका 'असृत' कहा है, लिखकर उक्त कमीको पूरा किया है।

इसके अन्तिम परिच्छेदमें माणिक्यनिन्दिने अनुमानाभास प्रकरणको आरम्भ करते हुए उसे चार वर्गोमें विभक्त किया है—(१) पक्षाभास, (२) हेत्वाभास, (३) दृष्टान्ताभास और (४) बालप्रयोगाभास । इनमें आद्य तीन तो सभी तार्किकोंके द्वारा चिंचत एवं निरूपित हैं। किन्तु अन्तिम चतुर्थ बालप्रयोगाभास का निरूपण हम स्पष्टतया माणिक्यनन्दिके परीक्षामुखमें पाते हैं।

(१) त्रिविध पक्षाभास

माणिवयनित्तने अकलंककी तरह इसके तीन भेद बतलाये हैं— (१) अनिष्ठ, (२) सिद्ध और (३) बाधित । बाधितके भी उन्होंने पांच प्रकार निर्दिष्ट किये हैं। ये वही हैं जिनका वादिराजने भी निर्देश किया है और जिनके विषयमें हम ऊपर प्रकाश डाल आए हैं। पर माणिवयनित्के उदाहरण इतने विशद और स्वाभाविक हैं कि अध्येता उनकी ओर स्वभावतः आकृष्ट होता है। यथा—

- (१) प्रस्यक्षवाधित है --- अग्नि अनुष्ण है, क्योंकि द्रव्य है, जलकी तरह, यहां अग्निकी अनुष्णता स्पार्शनप्रत्यक्षसे बाधित है।
- (२) अनुमानवाधित शब्द अपरिणामी है, क्योंकि कृतक है, घटकी तरह। यहां शब्द परिणमनशील है, क्योंकि वह किया जाता है, जैसे घट। इस अनुमानसे उपर्युक्त पक्ष बाधित है।
- अकलंकतचाम्मोधेरुद्धे येन धीमता । न्याविद्यामृतं तस्मै नमो माणिक्यनिद्दने ॥
 अकलंकतचाम्मोधेरुद्धे येन धीमता । न्याविद्यामृतं तस्मै नमो माणिक्यनिद्दने ॥
- २. इदमनुमानाभासम् । —परोक्षामु० ६।११ ।
- तत्रानिष्टादिः पक्षामासः । अनिष्टो मीमासकस्यानित्यः शब्दः । सिद्धः श्रावणः शब्दः ।
 बाधितः प्रत्यक्षानुमानागमठोकस्ववचनैः ।
 - --वहो, ६।१२-१५।
- ४. तत्र प्रत्यक्षवाधितो ययाऽनुष्णोऽग्निर्द्रग्यस्वाज्जलवत् ।
 - —परोक्षामु० ६।१६ ।
- अपियामो शब्दः कृतकत्वाद् घटवत् ।
 - --वही, ६।१७।

अनुमानामास-विमर्गः २३५

- (३) आगमवाधित घर्म परलोक में अमुखप्रद है, क्यों कि पुरुष द्वारा सम्पादित होता है, जैसे अधर्म । यहां पक्ष आगमवाधित है, क्यों कि आगम में धर्म सुखका और अधर्म दुखका देने नाला बतलाया गया है।
- (४) लोकबाधित मनुष्यके शिरका कपाल पिंबत्र होता है, क्योंकि वह प्राणीका अवयव है, जैसे शंख-शुक्ति । यहां पक्ष लोकबाधित है, क्योंकि लोकमें प्राणीका अवयव होते हुए भी अमुक अवयव पिंवत्र और अमुक अपवित्र माना गया है ।
- (५) स्ववचनबाधित ³ मेरी माता बन्ध्या है, क्योंकि पुरुषसंयोग होने पर भी गर्भ नहीं रहता, जैसे प्रसिद्धबन्ध्या । यहां पक्ष स्ववचनबाधित है, क्योंकि स्वयं मौजूद होते हुए भी माताको बन्ध्या कह रहा है ।

(२) चतुर्विध हेत्वाभास:

माणिक्यनिन्दने पूर्वसे प्रसिद्ध असिद्ध, विरुद्ध और अनैकान्तिक इन तीन हैत्वाभासों में अकलंकोक्त अकिचित्कर हैत्वाभासको भी सम्मिलित करके चार हैत्वाभासों का अकलंकको तरह ही वर्णन किया है। विशेष यह कि माणिक्यनिन्दने असिद्धके स्वरूपासिद्ध और सन्दिग्धासिद्ध ये दो भेद स्पष्ट प्रतिपादित किये हैं। अज्ञातासिद्धका भी उल्लेख करके उसका असिद्ध हेत्वाभासमें ही समावेश किया है और उसे सांख्यको अपेक्षा बतलाया हं। उदाहरणार्थ सांख्यके लिए 'शब्द परिणमनशोल है, क्योंकि वह कृतक है' इस प्रकार कृतकत्व हेतुसे शब्दको परिणमनशोल सिद्ध करना, अज्ञातासिद्ध है, क्योंकि सांख्यने कभी शब्दको कृतक नहीं जाना, वह तो उसकी अभिव्यक्ति जानता है। अनैकान्तिकके भी दो मेदों—(१) निश्चितविषक्षवृत्ति और (२) शंकितविषक्षवृत्तिका माणिक्यनन्दिने निर्देश करके उनका स्वरूप प्रतिपादन किया है।

प्रत्यासुखप्रदो धर्मः पुरुषाश्रितत्वादधर्मवत् ।
 —परो०, ६।१८।

२. शुचि नरशिरः कपालं प्राण्यंगत्वाच्छं बशुक्तिवत् ।

[—]वही. ६।१६।

माता मे बन्ध्या पुरुषसंयोगेऽत्यगर्भत्वात् प्रसिद्धबन्ध्यावत् ।
 —वहो, ६।२० ।

४. हेत्वामामा असिद्धविरुद्धानैकान्तिकार्किचित्कराः ।

⁻प० मु० ६।२१।

५. वही, ६।२२, २३, २४, २४, २६।

६, वही, ६।२७-२८।

७. वही, ६।३१-३३।

इनकी उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इन्होंने अकिचित्करके (१) सिद्ध और (२) बाधित ये दो भेद बतलाये हैं, जबिक अकलंकने अकिचित्करका एक 'सिद्ध' मात्र भेद बतलाया है और बाधितको साध्याभासों में ग्रहण किया है। यथार्थ में अकिचित्कर हेत्वाभास रेल्य लक्षणिवचारके समयमें हो होता है, वादके समय नहीं। वादके समय तो व्युत्पन्नके लिए किया गया प्रयोग पक्षमें दूषणप्रदर्शन द्वारा हो दूषित हो जाता है। तात्पर्य यह कि वादकालमें पक्षको पक्षाभास बता देनेके बाद अकिचित्कर हेत्वाभासका उद्भावन निरर्थक है। अतः मात्र लअण-विचारमें ही अकिचित्करका विचार किया जाता है।

(३) द्विविध दृष्टान्ताभास:

- (१) अन्वयद्द ष्टान्ताभास—माणिक्यनिन्दिने वृष्टान्ताभासोंका निरूपण करते हुए उन्हें दो भागोंमें विभक्त किया है—(१) अन्वयदृष्टान्ताभास और (२) व्यतिरेकदृष्टान्ताभास। इनमें अन्वयदृष्टान्ताभासके चार भेद हैं—(१) असिद्धसाध्य, (२) असिद्धसाध्य, (३) असिद्धोभय और (४) विपरी-तान्वय। इनमें आदिके तीन तो प्रशस्तपाद और दिङ्नाग कियत तथा चौषा दिग्नाग और धर्मकोर्ति प्रतिपादित हैं और जिन्हें हम वादिराज द्वारा उदाहृत पूर्वोक्त दृष्टान्ताभासोंमें भी देख चुके हैं। माणिक्यनिन्दिने प्रशस्तपाद, दिग्नाग और धर्मकीर्ति प्रतिपादित तथा वादिराज द्वारा अनुसृत शेष अन्वयदष्टान्ताभासों-को छोड दिया है।
- (२) ब्यतिरेकदृष्टान्ताभास अन्वयदृष्टान्ताभासोंकी तरह व्यतिरेकदृष्टान्ताभासके भी चार भेद हैं (१) असिद्धसाष्यव्यतिरेक, (२) असिद्धसाधनव्यतिरेक, (३) असिद्धोभयव्यतिरेक और (४) विपरीतव्यतिरेक । इनमें
 आद्य तोन प्रशस्तपाद और दिङ्नाग विणत तथा चतुर्थ दिग्नाग और धर्मकीर्ति
 अभिहित हैं और जिन्हें भी हम वादिराजके व्याख्यानमे ज्ञात कर चुके हैं। शेष
 उपर्युक्त ताकिकोंद्वारा स्वीकृत तथा वादिराजद्वारा प्रदर्शित व्यतिरेकदृष्टान्ताभासोंको भी माणिक्यनन्दिने स्वीकार नहीं किया।

(ई) चतुर्विघ बाल-प्रयोगाभास :

अवयव-विमर्श प्रकरणमें यह स्पष्ट कर आये हैं कि परार्थीनुमानका प्रयोग

- १. परी०, ६।३५-३= ।
- २. बहो० ६।३८।
- इष्टान्ताभासा अन्वयेऽसिद्धसाध्यसाधनोमयाः । अपौरुषेयः शन्दोऽमूर्तत्वादिन्द्रियसुख्यर-माणुष्ठयत् । त्रिपरोतान्वयश्च यदपौरुषेयं तदमूर्तम् । विद्युदादिनाऽतिप्रसंगात् ।
 —परी० सु० ६।४०-४३ ।
- ४. वही, ६।४१-४५।

अनुमानामास-विमर्श : २४१

क्युत्पन्न और अव्युत्पन्न प्रतिपाद्योंकी अपेक्षा दो प्रकारका है। अव्युत्पन्न प्रतिपाद्योंके प्रयोगको ही वाल-प्रयोग और उसके आभास (असत् प्रयोग)को बाल-प्रयोगभास कहा गया है। प्रकृतमें देखना है कि माणिक्यनन्दिने बालप्रयोगभासका क्या स्वरूप बतलाया है? बालप्रयोगके विवेचनके समय यह ज्ञात कर चुके हैं कि विभिन्न मन्दमित प्रतिपाद्योंके लिए जैन तार्किकोंने उतने अवयवोंका प्रयोग आवस्यक माना है जितनोंसे उन्हें प्रकृतार्थप्रतिपत्ति हो जाए। किसी मन्दमितके लिए पक्ष, हेतु और दृष्टान्त इन तीन अवयवोंको आवश्यकता होती है, किसीके लिए उपनयसहित चारोंको और किसी अन्यके लिए निगमनसहित पांचोंको। अतएव यद्यायोग्य प्रयोग बालप्रयोग और उससे अन्यथा - न्यून अथवा विपरोत प्रयोग बालप्रयोगभास है। और इस प्रकार बालप्रयोगभास चार प्रकारका सम्भव है—(१) द्वि-अवयवप्रयोगभास, (२) वि-अवयवप्रयोगभास, (३) चतुर-वयवप्रयोगभास और (४) विपरोतावयवप्रयोगभास।

- (१) द्वि-अवयवत्रयोगाभासः किसी मन्दमित प्रतिपाद्यके लिए पक्ष, हेतु और दृष्टान्त इन तीनका प्रयोग आवश्यक है, किन्तु उसके लिए केवल पक्ष और हेतु दोका ही प्रयोग करना द्वि-अवयवप्रयोगाभास नामका बालप्रयोगाभास है।
- (२) क्रि-अवयवप्रयोगाभास—चार प्रयोगोंसे समझने वाले प्रतिपाद्यके लिए तीनका ही प्रयोग करना त्रि-अवयवप्रयोगाभास है।
- (३) चतुरवयवप्रयोगाभाम—पांच अवयवप्रयोगोंसे साध्यार्थका ज्ञान करनेवाले बालके लिए चार अवयवका ही प्रयोग करना चतुरवयव-वालप्रयोगाभास है। जैसे ^२—'यह प्रदेश अग्निवाला है, क्योंकि घूमवाला है, जो धूमवाला होता है वह अग्निवाला होता है, यथा महानस, और धूमवाला यह है' इन चारका ही प्रयोग करना, निग-मनका नहीं।
- (४) विपरीतावयवप्रयोगाभास³ क्रमबद्ध अवयवोंका प्रयोग न कर विपरीत प्रयोग करना विपरीतावयवप्रयोगगाभास है। जैसे उपनय न कहकर

श. बालप्रयोगाभासः पंचावयवेषु कियदीनता ।
 —परी० मु० ६।४६ ।

२. अग्निमानयं देशो धूमवस्त्रात्, यदित्यं तदित्यं यदा महानतः, धूमवांश्चायमिति वा । —वहो, ६।४७-४८ ।

इ. तस्मादिग्नमान् धूमवांश्चायम् ।—परीक्षामु० ६।४९ ।

निगमनका प्रयोग करना । यथा—धूमवाला होनेसे अग्निवाला है (निगमने), और यह घुमवाला है (उपनय)।

माणिक्यनिन्दिने उक्त प्रकारके प्रयोगोंको बालप्रयोगाभास इसलिए बतलाया है क्योंकि जिस प्रतिपाद्यने अमुक संख्यक अवयवोंसे साध्यार्थप्रतिपित्तका संकेत ग्रहण कर रखा है उसके लिए उतने संख्यक अवयवोंका प्रयोग न कर कम प्रयोग अथवा क्रमभंग कर प्रयोग करनेसे उसे प्रकृतार्थको स्पष्टतासे प्रतिपत्ति नहीं हो सकती ।

प्रश्न है कि जब मन्दप्रज्ञोंके लिए कम-से-कम तीन और अधिक-से-अधिक पाँच अवयव अपेक्षणीय हैं तो उनके आभास भी कम-से-कम तीन और अधिक-से-अधिक शाँच होना चाहिए। किन्तु उपर्युक्त विवेचनमें पक्षाभास, हेग्बाभास और वृष्टान्ताभास इन तोन अवयवाभासोंका तो कथन उपलब्ध है, पर उपनया-भास और निगमनाभास इन दोका नहीं, यह विचारणीय है?

हमारा विचार है कि हेतुकी आवृक्तिको उपनय और प्रतिज्ञाके उपसंहारको निगमन कहा गया है। अतः हेतुदोषोंके अभिधानसे उपनयाभास और पक्षदोषोंके कथनसे निगमनाभास प्रतिपादित हो जाते हैं। दूसरे, बालप्रयोगाभासके अन्तर्गत जो चतुर्थ विपरीतावयवत्रयोगाभास अभिहित है उसका अर्थ उपनयाभास तथा निगमनाभास है, क्योंकि उपनयके स्थानमें उपनयका और निगमनके स्थानमें निगमनका प्रयोग न कर विपरीत अर्थात् निगमन और उपनयका उचितानुपूर्वीका उल्लंघन करके प्रयोग करना ही निगमनाभास तथा उपनयाभास हैं। जैसाकि चारकीतिके मन्तव्यसे प्रकट है। जैन तर्कप्रन्थोंमें उनका स्पष्ट प्रतिपादन स्रोजते हुए वह भी हमें देवसूरिके प्रमाणनयतत्त्वालोकालंकारमें उपलब्ध हो गया। देवसूरिने उक्त पक्षाभासादिके अतिरिक्त उपनयाभास और निगमनाभासका भी एकस्व सुन्नद्वारा स्वष्टप-निर्देश किया है।

देवसूरि-प्रतिपादित अनुमानाभास:

देवसूरिका भी अनुमानाभासप्रतिपादन उल्लेखनीय है। उन्होंने ४ पक्षा-

- १. सष्टत्या प्रकृतार्थपतिवत्तेरयोगात् ।
 - --परी० ६।५०।
- २. उपनयानन्तरं निगमनप्रयोगे कर्त्तन्ये निगमनानन्तरमुपनयप्रयोगोऽप्याभास एव उचितातु-पूर्विकत्वाभावादित्यर्थः ।
 - -- प्रमेयरत्नालं ० ६।४९, १० २००।
- ३. प्रव नव तव ६। ८१, ८२, पृष्ठ १२३६-१२४०।
- ४. पक्षामासादिससुरयं ज्ञानमनुमानामासमिति । न० त० ६।३७, पृ० १००७ ।

भासादिसे उत्पन्न ज्ञानको अनुमानाभास बतलाते हुए अकलंक और माणिक्यनन्दि-को तरह प्रथमतः त्रिविध पक्षाभासों तथा निराकृतपक्षाभासके प्रत्यक्षनिराकृत बादि पाँच भेदोंका ९ सत्रोंमें पर्व सुत्रोक्त 'आदि' शब्दसे स्मरणनिराकृतसाध्य-धर्मविशेषण और तर्कनिराकृतसाध्यधर्मविशेषण इन दोका व्याख्या (स्यादाद-रत्नाकर)में कथन किया है। इसके पश्चात सिद्धसेनकी तरह तीन हेत्वाभासों-का निरूपण किया है। इनकी विशेषता यह है कि इन्होंने उभयासिद्ध और अन्यतरासिद्ध दो असिद्धोंका सुत्रोंमें तथा अन्य स्वीकृत भागासिद्ध, स्वरूपासिद्ध, सन्दिग्धासिद्धः प्रतिज्ञार्थैकदेशासिद्धः, व्यधिकरणासिद्धः आदि असिद्धः भेदोंकी समीक्षा प्रस्तुत की है। इसी प्रकार पराभिमत आठ विरुद्धभेदोंकी भी मीमांसा करते हुए उन्हें पृथक स्वीकार नहीं किया। अनैकान्तिकके भी दो^६ ही भेद माने हैं। अठारह दृष्टान्ताभासोंका[े] निरूपण धर्मकीर्ति और वादिराजकी तरह है। इनकी जो अन्य उल्लेखयोग्य विशेषना है वह है दो उपनयाभासों और दो निगमना-भासोंका नया प्रतिपादन । इसके अतिरिक्त पक्षशृद्धचाभास आदि पाँच अन्य अव-यवाभासोंका भी संकेत किया है। ध्यातव्य है कि इन्होंने अकलंक और माण-क्यनन्दि स्वीकृत अर्किचित्कर हेत्वाभासकी समीक्षा की है। इनका " मन्तव्य है कि अन्ययानुपपत्तिका निश्चय न होनेपर असिद्ध, सन्देह होनेपर अनैकान्तिक और विपरीत ज्ञान होनेपर विरुद्ध ये तीन ही हैत्वाभास आवश्यक हैं. अर्किचित्कर नहीं ? किन्तू जहाँ साध्य सिद्ध (निश्चित, असन्दिग्ध और अविपरीत) है वहाँ उसे सिद्ध करनेके लिए यदि कोई प्रिक्षिवादी हेतू प्रयोग करे तो उस हेतूको नया कहा जाएगा ? अतः ऐसे स्थलपर उक्त प्रकारके हेतूको सिद्धमाधन अकिचित्कर ही कहना होगा । इसीसे अकलंकने 'सिद्धेऽ किंचित्करो हेत्: स्वयं साध्यव्यपे-क्षया' (प्र० सं० ४४), 'सिद्धेऽकिंचित्करोऽखिलः' (वही, ४८) जैसे प्रति-पादनों द्वारा अकिचित्कर हेत्वाभासको आवश्यकता प्रदर्शित की है।

१. प्रव नव तव ६।३८-४६।

२. वही, ६।४०।

३. वही, ६।४७।

४. वही, ६।४८-५१, तथा व्याख्या ।

५. वही० ६।५३, ५० १०२१।

६. वही, ६।५५

७. वही, ६।५८-८०।

E. वही, ६।८१, ८२ ।

६. वही, ६।५७, पृ० १२३०।

१०. वही, ६।५७, ५० १२३०।

हेमचन्द्रोक्त अनुमानाभास:

हेमचन्द्रने स्वार्थानुमान प्रकरणमें साध्यलक्षणके प्रसंगसे प्रत्यक्षबाधा आदि छह बाधाओं (पक्षाभासों) ा निर्देश किया है। इनमें पांच तो न्यायप्रवेशकार और माणिक्यनन्दि सम्मत हैं और अन्तिम प्रतीतिबाधा धर्मकीर्तिसम्मत। इन्होंने सिद्ध और अनिष्ट पक्षाभासोंको अस्वीकार तो नहीं किया, किन्तु उनका स्पष्ट प्रतिपादन भी नहीं किया। परार्थानुमान प्रकरणमें दिङ्नाग, सिद्धसेन और देव-सूरि स्वीकृत तीन हैत्वाभासोंका कथन किया है। असिद्धके स्वरूपासिद्ध और सिन्दिग्धासिद्ध दो भेद बतलाकर वादी, प्रतिवादी और उभयकी अपेक्षासे उक्त दोनों असिद्धोंके तीन-तीन भेद और भी निरूपित किये हैं। विशेष्यासिद्धादि पराभिमत असिद्धभेदोंका इन्होंमें अन्तर्भाव किया है। अन्य तार्किकों द्वारा स्वीकृत आठ विश्वसेदोंको उदाहृत करके उन्हें विश्वद्धलक्षण द्वारा हो संगृहीत किया है। हेमचन्द्रको विशेषता है कि इन्होंने धर्मकीर्तिको तरह ९-९ दृधन्ताभास न मान कर आठ-आठ माने हैं। अनन्वय और अव्यतिरेक दो दृधान्ताभास स्वोकार नहीं किये, प्रत्युत उनकी मीमांसा को है और उन्हें अप्रदिशतान्वय और अप्रदिशतान्वय सीर हैमचन्द्र मौन हैं।

अन्य जेन तार्किकोंका मन्तव्य :

१. धर्मभूषण—िपछले जैन तार्किक धर्मभूषण, चाहकीति और यशोविजयने भी अनुमानदोषोंपर चिन्तन किया है। धर्मभूषणने पक्षाभासोंका तो कोई पृथक् विचार नहीं किया। हौ, बाधितपक्षाभासके भेदोंका अर्किचित्कर हेत्वाभासके द्वितीय भेद बाधितविषयके अन्तर्गत कथन अवश्य किया है। माणिक्यनिन्द सम्मत चार हेत्वाभास बतलाये हैं। अर्किचित्करके सिद्धसाधन और बाधितविषय ये दो

१. प्रव मो० १। ग१४।

२. म० मी०, २।१।१६।

३. वही, २.१।१७, १८, १९।

४. 'अनेन येऽन्येरन्ये विरुद्धा उदाहृतास्तेऽपि सङ्गृहःताः

⁻बहो, २।१।२०।

५. साध्म्यवैधम्याभ्यामध्यावष्टौ दृष्टान्तामासाः ।

⁻⁻⁻वही, २.१.२२।

६. म० मी० २।१।२७, पृ० ५९।

७. न्या० दी० ५० ६६।

भेद करके बाधितविषयके प्रत्यक्षवाधित, अनुमानवाधित, आगमवाधित और स्व-वचनवाधित इन चारको उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया है तथा 'आदि,' शब्दसे और भी अकिंचित्कर भेदोंको स्वयं विचारनेका संकेत किया है। दृष्टान्ताभासोंके कथनका प्रकार उल्लेखनीय हैं। अदृष्टान्तके वचन और दृष्टान्तके अवचनको इन्होंने दृष्टान्ताभास कहा है तथा अन्वयदृष्टान्ताभास और व्यतिरेकदृष्टान्ताभास दोनोंके उक्त प्रकारसे दो-दो भेद प्रदर्शित किये हैं। उपनयाभास और निगमना-भासका इन्होंने भी निर्देश किया है। दोनोंका व्यत्यय (विपरीतक्रम)से कथन करना उपनयाभास तथा निगमनाभास है। बालप्रयोगाभासका इन्होंने प्रतिपादन नहीं किया।

२. चाहकीर्ति—चाहकीर्ति यद्यपि माणिक्यनित्वके व्याख्याकार होनेसे उनका हो अनुसरण करते हुए मिलते हैं फिर भो इनका अपना वैशिष्ट्य है। इन्होंने पक्षाभासादिकी परिभाषाएँ नव्यन्यायपद्धितसे प्रस्तुत की हैं जो वस्तुतः जैनतर्कपरम्पराके लिए अभिनव हैं। माणिक्यनित्वने पाँच प्रकारके हो बाधितपक्षाभासोंका कथन किया था, किन्तु देवसूरिने जहाँ इनमें स्मरणिनराकृतसाध्यधर्मित्रश्चेषण और तर्कनिराकृतसाध्यधर्मिवश्चेषण इन दो बाधितोंको सम्मिलित कर सात बाधितोंका वर्णन किया है वहाँ चाहकीर्तिने इनमें एक प्रत्यभिज्ञाबाधित और मिलाकर आठका प्रतिपादन किया है तथा माणिक्यनित्वके पंचविधत्वकथनको उपलक्षणपरक कहकर अपने अष्टविधत्वप्रतिपादनको सूत्रकारानुमत बतलाया है। इनकी अन्य विशेषता यह है कि इन्होंने नैयायिकोंके उस मतकी भी समीक्षा की है जिसमें प्रत्यक्षादिवाधिनस्थलमें बाध (कालात्ययापादिष्ट) हेत्बाभास माना गया है और अनुमानबाधितस्थलमें सत्प्रतिपक्ष। चाहकीर्तिका मत है कि अवाधितत्व पक्षका लक्षण है, अतः उससे रहित (बाधितत्व)को पक्षाभास कहना तो युक्त है, किन्तु हेत्वाभास नहीं, हेनुलक्षणके अभावमें ही हेत्वाभास मानना उचित है। अन्यथा हेत्वाभासस्थलमें भी पक्षाभासके स्वीकारका प्रसंग होनेसे हेत्वाभासका

१. एवमादयोऽप्यकिचित्करविशेषाः स्वयमुखाः ।

⁻⁻⁻ न्या० दी पृ० १०२।

२. वही, पृ० १०५, १०८।

३. अनयोर्व्यत्ययेन क्यनमनयोरामासः ।—त्र हो, पृ० ११२ ।

४. प्रमेयरत्नालं ०६।११ आदि ।

अत्र यद्यपि स्मृतिबाधितप्रत्यभिक्षावाधिततर्कं वाधितानापि सम्भवादवाधितस्याष्टविधत्वमेव
 युक्तं न तु पंचिवधत्वम् । "'तथापि पंचिवधत्वोक्तेरुपळक्षणपरत्वादष्टविधत्वमिप सृत्र कारानुमतमेवेति बोध्यम् ।

⁻ प्रमेयरत्नालं ० ६।२०, पु० १५१।

६. वही, ६।२० ५० १६२।

हो विलोप हो जाएगा। इसीप्रकार अनुमानवाधित स्थलमें सत्प्रतिपक्ष हेत्वाभास मानना भी उचित नहीं है, क्योंकि पक्षके दोषको पक्षाभास ही मानना युक्त है, हेत्वाभास नहीं। इनका एक वैशिष्ठ्य और है। इन्होंने उचितानुपूर्वीके अभाव-में उपनयाभास और निगमनाभासका भी निर्देश किया है।

3. यशांविजय—यशोविजयने पृथक् रूपसे पक्षाभासों और दृष्टान्ताभासों-का कथन नहीं किया, साध्यके लक्षण और दृष्टान्तप्रयोगके समर्थनमें उनका प्रतिपादनाभिप्राय प्रकट होता है। हेत्वाभासोंका उन्होंने स्पष्ट निरूपण किया है। और सिद्धसन तथा देवसूरिको तरह उन्हें त्रिविध बतलाया है। ऑकचित्कर-को चतुर्थ हेत्वाभास माननेक धर्मभूपणके मन्तव्यका समालोचन भी किया हैं। उनका कहना है कि सिद्धसाधन और बाधितविषय क्रमशः प्रतोत और निराकृत पक्षाभासभेदोंसे भिन्न नहीं हैं। और यह आवश्यक नहीं है कि जहाँ पक्षदोष हो वहाँ हेतुदोप भी अवश्य हो। अन्यथा वहाँ दृष्टान्तादि दोष भी अवश्य मानना पडेंगे।

किन्तु हम पहले कह आये हैं कि जहाँ साध्य सिद्ध है और उसे सिद्ध करने के लिए कोई हेतुका प्रयोग करता है तो उसका वह हेतु पक्षदोष के अलावा अिक चित्कर कहा जाएगा। यह नहीं कि पक्षदोष होनेपर हेतुदोष न हो—वह हो सकता है। जब विनेयों को व्युत्पादन कराना आवश्यक है तो उनके लिए लक्षणव्युत्पादनशास्त्रमें अिक चित्कर दोपका ज्ञान कराना ही चाहिए। हाँ, व्युत्पन्नों के प्रयोगकाल में उसकी आवश्यकता नहीं है। वहाँ तो पक्षदोषों का प्रदर्शन ही पर्याप्त है—उसोसे व्युत्पन्नप्रयोग दूषित हो जाता है। चास्की ति भी यही कहते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन तर्कग्रन्थोंमें जहाँ अनुमान और उसके परि-कर (अवयवादि) पर चिन्तन उपलब्ध है वहाँ उसके दोषोंपर भी विचार किया गया है।

१. प्रमेयरत्ना०, ६।४६, पृ० २००।

२. जैनत० भा० ए० १३. १६।

३. वही, पृ० १८।

४. अर्किनित्करास्यश्चतुर्योऽपि हेत्वामासमेदो धर्ममृष्णेनोदाहृतो न श्रद्धेयः । सिद्धसाधनो बाधितविषयश्चेति द्विविषस्याप्यप्रयोजकाह् वयस्य तस्य प्रतीत-निराक्ततास्यपद्मामास-मेदानितिरेवतत्वात् । न च यत्र पक्षदोषस्तत्रावश्यं हेतुदोषोऽपि वाच्यः, दृष्टान्तादि-दोष्स्याप्यवश्यं वाच्यत्वापत्तेः ।

⁻⁻ जैनत० भा० पृ० १६।

प. लक्षणन्युत्पादनकास्त्र एव असाविक्वित्वरलक्ष्मणो दोषो विनेयय्युत्पत्यर्थं न्युत्पाद्यते, न
तु न्युत्पन्नानां प्रयोगकाले ।

[—]प्रमेयरत्नालं ० ६।३९ ।

द्वितीय परिच्छेद

इतर परम्पराऋोंमें ऋनुमानाभास-विचार

जैन तर्कग्रन्थोंमें चिन्तित अनुमान-दोपोंके विमर्शके साथ यदि यहाँ अन्य पर-म्पराओंके तर्कग्रन्थोंमें प्रतिपादित अनुमानाभासकी चर्चा न की जाय तो एक न्यूनता होगी और अनुमानाभासकी आवश्यक जानकारी (तुलनात्मक अध्ययन)से वंचित रहेंगे। अतः वैशेषिक न्याय और बौद्ध परम्पराके न्यायग्रन्थोंमें बहुचित अनुमानाभासपर भी यहाँ विचार किया जाता हूं। इससे जहाँ अन्य तार्किकोकी अनुमानाभाससम्बन्धी उपलब्धियोंका अवगम होगा वहाँ जैन तार्किकोकी भी अनुमानाभासचिन्तन-विषयक अनेक विशेषताएँ ज्ञात हो सकेंगी।

वैशेषिक परम्परा :

कणादने अनुमानका व्यवहार अनुमानशब्दसे न करके 'लैक्किक' शब्दसे किया है और उन लिङ्गोंको गिनाया है जिनसे वह उत्पन्न होता है। इसका तात्पर्य है कि उनके मतानुसार 'लेक्किक' (अनुमान) को सामग्री मुख्यतया लिङ्ग है तथा लिङ्गाभास (अलिङ्ग) उसका अनरोधक। सम्भवतः इसीसे कणादने लिङ्गके विचारके साथ लिङ्गाभासका भी ऊटापोह किया है। पर प्रतिज्ञा और दृशन्त अनुमानके अङ्ग है, इसका उन्होंने निर्देश नहीं किया और इसी कारण प्रतिज्ञाभास तथा दृशन्ताभासका भी कथन नहीं किया। चूँकि लिङ्गको उन्होंने विख्य प्रतिपादन किया है, अतः उन ख्योंके अभावमें लिङ्गाभासको तीन प्रकारका वतलाया है—(१) अप्रसिद्ध, (२) असत् और (३) सन्दिष्ध।

कणादके भाष्यकार प्रशस्तपादने उक्त तीन लिङ्गाभासीके अतिरिक्त अन-घ्यवसित नामके चौथे लिङ्गाभासका भी उल्लेख किया है। किन्तु बादको उसे

अस्येदं कार्यं कारणं संयोगि विरोधि समनायि चेति लैक्किम् ।

⁻वैशे० स्० हारा१ ।

२. अप्रसिद्धोऽनपदेशोऽसन् सन्दिग्धश्चानपदेशः।

⁻वैशे० स्० ३।१।१५ ।

विषरोत्तमतो यत् स्यादेकेन द्विनयेन था ।
 विरुद्धासिद्धसन्दिग्धमिलङ्गं काश्यपोऽज्ञवीत् ॥
 —वही, प्रश्न भा० पृ० १०० पर उद्धृत पद्य तथा वही, ३।१।१५ ।

४. प्रश् मा० प्र ११६, १२०।

२४८ : जैन तकशासमें अनमान-विचार

असिद्धवर्गमें सम्मिलित कर लिया है। असिद्धके उन्होंने नार भेद बतलाये हैं--(१) उभयासिद्धः (२) अन्यतरासिद्धः, (३) तद्भावासिद्धं और (४) अनु-मेयासिद्ध । घ्यान रहे, प्रशस्तपादने इन असिद्धभेदों तथा विरुद्धादि हेत्वाभासोंका सोदाहरण कथन किया है। विशेष यह कि उन्होंने वैङ्गिककी सामग्री केवल लि इको ही नहीं, प्रतिज्ञादि पाँचों अवयवोंको बतलाया है तथा प्रत्येकका लक्षण देते हुए प्रतिज्ञाके लक्षणमें 'अविरोधि' पदका निवेश करके उसके द्वारा प्रत्यक्षविरोधी, अनुमानिवरोधो, आगमिवरोधी, स्वशास्त्रविरोधी और स्ववचनिवरोधी इन पाँच प्रतिज्ञाभासोंका निरास किया है। इससे ज्ञात होता है कि उन्हें प्रतिज्ञाभास भी लिङ्गाभासकी तरह अनुमानाभास मान्य है और उसके पाँच भेद इष्ट हैं। प्रशस्तपादसे पर्व प्रतिज्ञाभासोंका निरूपण उपलब्ध नहीं होता । प्रशस्तपादने १ दृष्टान्दाभासोंका भी, जिन्हें निदर्शनाभासके नामसे उल्लेखित किया गया है, निरूपण किया है और उनके मूलमें साधम्यंनिदर्शनाभास तथा वैधम्यंनिदर्शनाभास ये दो भेद बतलाये हैं। इन दोनोंके भी छह-छह भेद निम्न प्रकार निर्दिष्ट किये हैं---(१) लिंगासिद्ध, (२) अनुमेयासिद्धः (३) उभयासिद्धः (४) आश्रयासिद्धः (५) अननुगत और (६) विपरीतानगत ये छह साधम्यंनिदर्शनाभास तथा (१) लिंगाव्यावृत्त. (२) अनुमेयान्यावृत्त, (३) उभयान्यावृत्त, (४) आश्रयासिद्ध, (५) अन्यावृत्त और (६) विपरीतव्यावृत्त ये छह वैधर्म्यनिदर्शनाभास हैं। इस प्रकार प्रशस्त-पादने बारह निदर्शनाभासोंका कथन किया है। पर अन्तिम दो अवयवदोषों-अनुसन्धानाभास (उपनयाभास) और प्रत्याम्नायाभास (निगमनाभास) का कोई निर्देश नहीं किया ४, जो होना चाहिए था।

न्याय-परम्परा :

अक्षपादके अनुसार अनुमानको सामग्री पंचावयव हैं — उनसे ही अनुमान समग्र रूपमें आत्मलाभ करता है। अतः उनके मतानुसार अनुमानके दोष पाँच

१. महा० भा० पृ० ११६-१२१।

२. अविरोधिम्रहणात् प्रत्यक्षानुमानाभ्युपगतस्वज्ञास्त्रस्ववचनविरोधिनो निरस्ता भवन्ति । यथाऽनुष्णोऽग्निरिति प्रत्यक्षावरोधीःः।

⁻⁻⁻ प्रज्ञा० भा० ५० ११५।

३. अनेन निदर्शनाभासा निरस्ता भवन्ति । तष्याः छिङ्गानुमेयोभयाश्रयासिद्धाननुगत-विपरीतानुगताः साधर्म्यानिदर्शनाभासाः । । छिङ्गानुमेयोभयास्यावृत्ताश्रयासिद्धान्या-वृत्तविपरीतन्यावृत्ता वैधर्म्यानदर्शनाभासाः ।

⁻⁻वही, पु० १२२, १२३ ।

४. वही, १२३-१२७।

५. न्या० स्० शशाहर।

इतर परम्पराओं में अनुमानाभास-विचार : २४९

होना चाहिए—(१) प्रतिज्ञाभास, (२) हेत्वाभास, (३) उदाहरणाभास, (४) उपनयाभास और (५) निगमनाभास। परन्तु अक्षपादने इनमेंसे केवल हेत्वाभासोंका वर्णन किया है, प्रतिज्ञाभासादिका नहीं; यह चिन्त्य है ? विचार करनेपर प्रतीत होता है कि यदि प्रतिवादीके हेतुको हेत्वाभास प्रमाणित कर दिया जाए तो उसके द्वारा होनेवाली साध्य-सिद्धि प्रतिबन्धित हो जाती है और तब उसमें प्रतिज्ञादोष आदि दोपोंका उद्भावन निर्धक है। उद्योतकरने 'साध्य-निर्देशः प्रतिज्ञा' इस न्यायमूत्रकार-वचन द्वारा दिविध साध्यदोषों (सिद्ध और अनुपप्यमानसाधन—असाध्यों) की निवृत्ति बतलाकर प्रतिज्ञादोषोंका संकेत उसीके द्वारा सूचित किया है। इसी प्रकार उदाहरण आदिके प्रतिपादक सूत्रोंके द्वारा उदाहरणादिदोष भी निरस्त किये गये हैं। अतएव उनका भी पृथक् प्रतिपादन आवश्यक नहीं है।

प्रश्न हो सकता है कि फिर हेतुप्रतिपादक सूत्रद्वयसे हेतुदोषोंका निरा-करण सम्भव होनेसे हेत्वाभासोंका भी पृथक् कथन नहीं किया जाना चाहिए? इसका उत्तर यह है कि यथार्थमें हेत्प्रतिवादक मुत्रों द्वारा हेतुदोपोंका निरास हो जाता है फिर भी हेत्वाभासोंका जो पृथक् अभिधान किया गया है वह शास्त्रार्थमें प्रतिवादीको पराजित करनेके लिए उसी प्रकार आवश्यक एवं उपयोगी है जिस प्रकार छल, जाति और निष्रहस्थानोंका। अन्य दोषोंकी अपेक्षा हेत्वाभास बलवान् और प्रधान दोप हैं। अतः उनका वादीको पृथक् ज्ञान होना आवश्यक एवं अनि-वार्य है। अतएब अक्षपादन कणादकी तरह हेत्वाभासीका ही निष्पण किया है। भिन्नता इतनी ही है कि जहाँ कणादने तीन हेन्वाभास वर्णित किये हैं वहाँ अक्ष-पादने पाँच कहे हैं। इसका कारण यह है कि कणाद त्रिरूपिलगसे अनुमान मानते हैं और अक्षपाद पंचरूपलिंगसे । अतएव एक-एक रूपके अभावमें कणादको तीन और अक्षपादको पाँच हेत्वाभास इष्ट हैं। वे ये हैं^२—(१) सब्यभिचार, (२) विरुद्ध, (३) प्रकरणसम (सत्प्रतिपक्ष), (४) साध्यसम और (५) अतीतकाल (कालात्ययापदिष्ट--वाधितविषय) । वाचस्पति ^३ और जयन्तभट्टने ^४ भी एक एक रूपके अभावसे होनेवाले पाँच हेत्वाभासोंका ही समर्थन एवं उपपादन किया है। जयन्तभट्टने तो स्पष्टतया हेतुदीवोंके कथनसे ही पक्षदीवों तथा दृशन्तदीवोंके भी

असाध्यं च द्वेषा सिद्धमनुष्पयमानसाधनं च । तत्र साध्यानदेश इत्यनेन वचनेनोभयं निवत्यते सिद्धमनुष्पयमानसाधनं च ।

⁻⁻ न्यायवा० १।१।३३, पृ० ११०।

२. न्या० स्० शरा४।

३. न्यायवा० ता० १।२,४, ५० ३३० ।

४. न्यायक् ० पृ० १४। न्यायमं ० पृ० १३७।

कथनकी बात कही है। उन्होंने यहाँतक बल दिया है कि वास्तवमें वे सब हेतु दोष ही है, पक्षदोषों और दृष्टान्तदोषों का पृथक् वर्णन केवल प्रपंचमात्र है। एक-दूसरे स्थलपर भी वे उन्हें हेतुदोषों का अनुविधायो होने के कारण हेतुदोष हो बतलाते हैं और कहते हैं कि इसीसे सूत्रकारने हेत्वाभासों की तरह उनका पृथक् उपदेश नहीं किया। हमने उनका प्रदर्शन मात्र शिष्यहितके लिए किया है। उद्योतकरका मन्तव्य है कि साधकत्व हेतुका और असाधकत्व हेत्वाभासका विशेष धर्म है। तथा साधकत्वसे तात्पर्य समस्त लक्षणों का सद्भाव और असाधकत्वसे मतलब असमस्त लक्षणों का सद्भाव है। आशय यह कि उद्योतकर हेतुदोषों को ही साध्यसिद्धका प्रतिबन्धक मानते हैं, अन्य दोष तो उन्हों में समा जाते हैं और वे प्रतिज्ञादिलक्षणसूत्रों द्वारा निरस्त हो जाते हैं। उद्योतकरका हेत्वाभासमम्बन्धी विस्तृत निकृषण विशेष उल्लेखनीय है। उन्होंने हेतु और हेत्वाभासों के भेदों का प्रपंच १७६ बतलाया है और उन्हें कुछ उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करके सूत्रकार हेत्वाभास-पंचकमें हो संग्रहीत किया है। पुनः असिद्धके ३८४, २०३२ और अनन्त भेदों की भी सूचना करके अनैकान्तिक ६ और विरुद्धके ४ भेदों का भी उल्लेख किया है।

बौद्ध-परम्परा :

न्यायप्रवेशकारने यत: पक्ष, हेतु और दृष्टान्त ये तीन ही साधन (परार्थानु-मान) के अवयव स्वीकार किये हैं, अक्षपादकी तरह पांच या कणादकी तरह एक नहीं, अत: साधनदोष भो उन्होंने तीन प्रकारके प्रतिपादित किये हैं—(१) पक्षाभास, (२) हेत्वाभास और (३) दृष्टान्ताभास। उनका यह प्रतिपादन

- १. ये चैते प्रत्यक्षविरुद्धतादयः पक्षदोषाः, ये च वक्ष्यमाणाः साधनविकल्लादयो दृष्टान्त-दोषास्ते वस्तुरिथत्या सर्वे हेतुदोषा एव, प्रषंचमात्रं तु पक्षदृष्टान्तदोषवर्णनम् । —न्यायमं० प्र० १३३-१३४।
- २. पते च वस्तुवृत्तेन हेतुदोषा एव तदनुविधायित्वात, अत एव हेत्वामासवत्प्त्रकृता नापदिष्टाः, अस्माभिस्तु शिष्यहिताय प्रदर्शिता एव ।
 —वही. ए० १४० ।
- ३. साधकत्वासाधकत्वे तु विशेषः हेतोः साधकत्वं धर्मोऽसाधकत्वं हेत्वामासस्य । किं पुनस्तत् ? समस्तलक्षमणोपपात्तरसमस्तलक्षणोपपित्तरच ।
 - ---न्यायवा० शश्य, पु० १६३।
- ४. वही, शशक, पृ० १६४-१६९ ।
- पक्षहेतुरृष्टान्तवचनैहि प्राश्निकानामप्रतीतोऽर्यः प्रतिपाद्यते । ... एतान्येव त्रयोऽवयवा इत्युच्यन्ते ।
 - ---न्यायम० पृ० १-२।
- ६. वहा, पृ० २-७।

इतर परम्पराओंमें अनुमानामास-विचार : २५१

संगत प्रतीत होता है। यथार्थमें परार्थानुमानके जितने प्रयोजक तत्त्व स्वीकृत एवं प्रतिपादित किये जाएँ, उतने ही उसके अवरोधक दोषोंकी सम्भावना
होनेसे उन सभीका भी प्रतिपादन करना उचित है। यह युक्त नहीं कि साधनावयवोंको तो अमुक संस्थामें मान कर उनका प्रत्येकका विवेचन किया जाए और
उनके दोषोंकी संस्था उतनी ही सम्भाव्य होने पर उनका प्रतिपादन न किया
जाए। जैसा कि हम अक्षपादके प्रतिपादनमें इस न्यूनताको देख चुके हैं। हेत्वाभासोंके द्वारा ही पक्षाभासादि दोषोंके संग्रहको जयन्तभट्टको युक्ति बृद्धिको नहीं लगती।
अन्यथा अनुमानका प्रधान अंग हेतु होनेसे उसीका निरूपण किया जाना चाहिए
और अन्य अवयवोंका उसके द्वारा ही संग्रह कर लेना चाहिए। यद्यपि इस असंगितका परिहार करनेका प्रयास उन्होंने किया है पर उसमें उन्होंने कोई
अकाट्य एवं बलवान् युक्ति प्रस्तुत नहीं की। इस दृष्टिसे न्यायप्रवेशकारका
तीनों दोषोंका प्रतिपादन हम युक्ति और संगतिके निकट पाते हैं।

जो सिद्ध करनेके लिए इष्ट होनेपर भी प्रत्यक्षादिविष्द्ध हो वह पक्षाभास⁹ है। न्यायप्रवेशकारने^२ इसके नौ भेद प्रतिपादित किये हैं—(१) प्रत्यक्षविष्द्ध, (२) अनुमानविष्द्ध, (३) आगमविष्द्ध, (४) लोकविष्द्ध, (५) स्ववचनविष्द्ध, (६) अप्रसिद्धविशेष्ण, (७) अप्रसिद्धविशेष्य, (६) अप्रसिद्धनिया और (९) प्रसिद्धसम्बन्ध । इन्होंको प्रतिज्ञादोष (प्रतिज्ञाभास) कहते हैं। न्यायप्रवेशमे इनका उदाहरणों द्वारा वर्णन किया है। उल्लेखनीय है कि धर्मकी तिने प्रत्यक्ष-निराकृत, अनुमाननिराकृत, प्रतीतिनिराकृत, और स्वयचनिराकृत ये चार ही पक्षाभास स्वीकार किये हैं।

हेत्वाभास तीन है — (१) असिद्ध, (२) अनैकान्तिक और (३) विरुद्ध । यतः न्यायप्रवेशकारने कणादकी तरह हेतुको त्रिरूप माना है, अतः उन तीन रूपोंके अभावमें उसके तीन दोषोंका प्रतिपादन भी उन्होंने कणादकी तरह किया है । एक-एक रूप (पक्षधर्मत्व, सपक्षसत्त्व और विपक्षासत्त्व ,के अभावमं क्रमशः असिद्ध, विरुद्ध और अनैकान्तिक येतीन ही हेतु-दोप सम्भव हैं । असिद्ध चार प्रकारका है — (१) उभयासिद्ध, (२) अन्यतरासिद्ध, (३) सन्दिग्धासिद्ध और (४) आश्रयासिद्ध । प्रशस्तपादने भी ये चार भेद स्वीकार किये है, जैसा

१, २--न्यायम पृ० २-३।

३. वहो, पृ० ३।

४. न्या० वि० पृ० ६४-६६।

प. न्या**०** प्र० पृ० ३।

६. वहो, पृ० ३।

७. मश्रा मार् पृर् ११६-११७।

२५२ : जैन तकशासमें अनुमान-विचार

कि ऊपर कहा जा चुका है। अनैकन्तिकके छह मेद हैं—(१) साधारण, (२) असाधारण, (३) सपक्षंकदेशवृत्तिविपक्षव्यापी, (४) विपक्षंकदेशवृत्ति सपक्षव्यापी, (५) विपक्षंकदेशवृत्ति सपक्षव्यापी, (५) उभयपक्षंकदेशवृत्ति और (६) विरुद्धान्यभिचारी । उद्योतकरने विरुद्धाव्यभिचारीकी समीक्षा करके उसे अस्वीकार किया है। प्रतीत होता है कि इस विरुद्धाव्यभिचारीकी मान्यता न्यायप्रवेशकारसे भी पूर्ववर्ती है, क्योंकि उनके पूर्व प्रशस्तपादने भी उसकी मीमांसा की है और उसे अनध्यवसितमें अन्तर्भूत किया है। धर्मकीतिने भी इसे स्वीकार नहीं किया। जयन्तमट्टने भी इसे नहीं माना। विरुद्धके चार प्रकार हैं—(१) धर्मस्वरूपविपरीतसाधन, धर्मविशेषविपरीतसाधन, (३) धर्मस्वरूपविपरीतसाधन और (४) धर्मविशेषविपरीतसाधन। प्रशस्तपादने विरुद्धके भेदोंका कोई संकेत नहीं किया। पर उद्योतकरने अवश्य उसके चार भेदोंका निर्देश किया है। धर्मकीतिने केवल दो भेद स्वोकार किये हैं।

दृष्टान्ताभासके दो भेद अभिहित हैं " — (१) साधम्यं और (२) वैधम्यं। साधम्यं दृष्टान्ताभास पांच प्रकारका है — (१) साधनधर्मासिद्ध, (२) साध्य-धर्मासिद्ध, (३) उभयधर्मासिद्ध, (४) अनन्वय और (५) विपरीतान्वय। वैधम्यं दृष्टान्ताभासके भी पांच प्रकार हैं — (१) साध्याव्यावृत्त, (२) साधना-व्यावृत्त, (३) उभयाव्यावृत्त, (४) अव्यतिरेक और (५) विपरीतव्यतिरेक। प्रशस्तपादके पूर्वोवत विद्यानाभासों न्यायप्रवेशकारके दृष्टान्ताभासों अध्यासिद्ध नामक दो निदर्शनाभास अधिक हैं। अर्थात् न्यायप्रवेशमें जहां दश दृष्टान्ताभास विणत है वहां प्रशस्तपादभाष्यमें बारह अभिहित हैं। धर्मकीर्तिने "र

```
१. न्या० म० पृ० ३।
```

२. न्या० बा० १।२।४, पृ० १६६ ।

३. प्रश् भा० ५० ११८ :

४. न्यायबि० प्र०८६।

५. न्यायमं० पृ० १५५ ।

६. न्यायप्र० पृ० ५ ।

७. मश्र भार ५० ११७।

८. न्यायवा० १।२,४. प्० १६६।

९. न्यायबि० पृ० ७= ।

१०. न्यायम० पृ० ५-७ ।

११. मशा० भा० ए० १२३।

१२. साध्यसाधनधर्मोभयविकलास्तया सन्दिग्धसाध्यधर्मादयश्च । अनन्वयोऽप्रदर्शिता-न्वयश्च । तथा विपरीतान्वयः । इति साधर्म्येण । वैधर्म्येणापि अध्याद्यव्यतिरेकिषः । तथा सन्दिग्धसाध्यव्यतिरेकादयः । अव्यतिरेको यथा अप्रदर्शितव्यतिरेको अवेधर्मे-पापि विपरीतव्यतिरेको अन्यायवि० पृ० ९४-१०१ ।

नी साधम्यं और नौ हो वैधम्यं दृष्टान्ताभास कहे हैं। इनमें सन्दिग्धसाध्यान्वय, सिन्दिग्धोभयान्वय और अप्रदिश्तान्वय ये चार साधम्यं-दृष्टान्ताभास तथा सिन्दिग्धोभयान्वय और अप्रदिश्तान्वय ये चार साधम्यं-दृष्टान्ताभास तथा सिन्दिग्धोभयान्वयतिरेक, सिन्दिग्धोभय-व्यतिरेक और अप्रदिश्तिव्यितिरेक ये चार वैधम्यंदृष्टान्ताभास न्यायप्रवेशोक्त दृष्टान्ताभासोंसे भिन्न और नये हैं और धर्मकीति-उपज्ञ है, शेष दोनों दृष्टान्ताभासोंके पांच-पांच भेद न्यायप्रवेशोक्त ही हैं। नयायिक जयन्तभट्टने न्यायप्रवेशकी तरह उभयविध पांच-पांच दृष्टान्ताभासोंका निरूपण किया है। पर उनका यह निरूपण उनकी परम्पराके लिए सर्वधा अभिनव हे, क्योंकि उनके पूर्व न्यायपरम्परामें वह दृष्टिगोचर नहीं होता। जयन्तभट्टने रे स्वयं कहा है कि हेत्वाभासकी तरह सूत्रकारने उनका उपदेश नहीं किया, किन्तु हमने शिष्योंके हितार्थ प्रदर्शन किया है। जयन्तभट्टने साध्यविकल, साधनिवकल और उभयविकल इन तीन साधम्यं-दृष्टान्ताभासोंको वस्तुदोपकृत तथा अनन्वय और विपरीतान्वय इन दो को वक्ताके वचनदोपकृत वतलाया है। इसी प्रकार साध्याव्यावृत्त, साधनाव्यावृत्त और उभयाव्यावृत्त इन तीन वैशम्यंदृष्टान्ताभासोंको भी वस्तुदोपकृत तथा अव्यत्तिरेक और विपरीतव्यतिरेक इन दोको वक्ताके वचनदोपकृत तथा तथा है।

यद्यपि न्यायप्रवंशकारने उपर्युक्त पशाभागादिको साधनाभाग कहा है, अनुमानाभास नहीं, तथापि उन्हें साधनपदसे परार्थानुमान अभिप्रेत हैं और पक्ष हेनु तथा दृष्टान्त ये उसीके अवयव हैं। अतः साधनाभागमे परार्थानुमानाभास अर्थ ही न्यायप्रवेशकारको विविधात है। हां, स्वार्थानुमान, जिगे उन्होंने अनुमानशब्दसे उत्लेखित किया है, अवश्य मात्र लिगोपेक्ष है और इसीसे उसका लक्षण देते हुए कहा है कि 'लिंगाद्यदर्शनमनुमानम्'' लिगो जो अनुमेयका दर्शन होता है वह अनुमान है। तथा 'हेन्वाभायपूर्वकं ज्ञानमनुमानाभासम्'—हेन्वाभासपूर्वकं होनेवाला ज्ञान अनुमानाभास है। यहां भी अनुमानाभासमें न्यायप्रवेशकारको स्वार्थानुमानाभास इष्ट है। तात्पर्य यह है कि स्वार्थानुमानविचारमें मात्र हेत्वाभासोंका विचार प्रयोजक है। पर परार्थानुमानविचारमें हेत्वाभासोंके अतिरिक्त पक्षाभासों और दृष्टान्ताभामोंका भी विचार आवश्यक है, व्योंकि प्राहिनकोंको अप्रतीत अर्थका प्रतिपादन पक्ष, हेतु और दृष्टान्त इन तीनोंके वचनों द्वारा किया जाता है। अतएव उनको निर्दृष्टताका ज्ञान होनेके लिए उक्त तीनों दोषोंका

१. न्यायमं ० ५० १४०।

२,३ वही, ५० १४०।

४. एवां पक्षहेतुदृष्टान्तामासानां वचनानि साथनामासम् ।
 —न्यायम० १० ७ ।

५. वहा, पृ० ७।

कचन जरूरी है। दूसरी बात यह है कि जब अनुमानको आत्मप्रत्यायन और साधनको परप्रत्यायनका कारण कहा जाता है तो सुतरां अनुमानपदसे स्वार्थानु-मान और साधनपदसे परार्थानुमानका ग्रहण अभीष्ट है।

सांख्य, मीमांसा और वेदान्त दर्शनोंमें भी अनुमानदोषोंपर विचार उपलब्ध है, पर वह नहीं के बराबर है। अतएव उसपर यहाँ विमर्श नहीं किया—प्रथम अध्यायमें कुछ किया गया है।

उपसहार

पिछले अध्यायों में भारतीय तर्कशास्त्रमें निरूपित एवं विवेचित अनुमान तथा उसके घटकों के यथावश्यक तुलनात्मक अध्ययनके साथ जैन तर्कशास्त्रमें चिन्तित अनुमान एवं उसके परिकरका ऐतिहासिक तथा समीक्षात्मक विमर्श प्रस्तुत किया गया है। अब यहाँ जैन अनुमानकी उपलब्धियों का संक्षेपमें निर्देश किया जायेगा, जिससे भारतीय अनुमानको जैन तार्किकों की क्या देन है, उन्होंने उसमें क्या अभिवृद्धि या संशोधन किया है, यह समझनेमें सहायता मिलेगी।

अध्ययनसे अवगत होता है कि उपनिषद् कालमें अनुमानको आवश्यकता एवं प्रयोजनपर भार दिया जाने लगा था, उपनिषदोंमें 'आस्मा वाडरे दृष्टव्यः ओतस्यो मन्तन्यो निर्दिध्यास्तितन्यः' आदि वाक्योंद्वारा आत्माके श्रवणके साथ मननपर भी बल दिया गया है, जो उपपत्तियों (युक्तियों) के द्वारा किया जाता था। पद ससे स्पष्ट है कि उस कालमें अनुमानको भी श्रुतिकी तरह ज्ञानका एक साधन माना जाता था—उसके बिना दर्शन अपूर्ण रहता था। यह सच है कि अनुमानका 'अनुमान' शब्दसे व्यवहार होनेकी अपेक्षा 'वाकोवाक्यम्', 'आन्वोक्षिकी', 'तर्कनिवा', 'हेतुविद्या' जैसे शब्दों द्वारा अधिक होता था।

प्राचीन जैन वाङ्मयमें ज्ञानमीमांसा (ज्ञानमार्गणां) के अन्तर्गत अनुमानका 'हैनुवाद' राब्दसे निर्देश किया गया है और उसे श्रुतका एक पर्याय (नामान्तर) बतलाया गया है। तत्त्वार्थसूत्रकारने उसे 'अभिनिबांध' नामसे उल्लेखित किया है। तात्पर्य यह कि जैन दर्शनमें भी अनुमान अभिमत है तथा प्रत्यक्ष (सांव्यवहारिक और पारमाधिक ज्ञानों) की तरह उसे भी प्रमाण एवं अर्थनिश्चायक माना गया है। अन्तर केवल उनमें वैशद्य और अवैशद्यका है। प्रत्यक्ष विशद है और अनुमान अविशद (परोक्ष)।

अनुमानके लिए किन घटकोंकी आवश्यकता है, इसका आरम्भिक प्रतिपादन कणादने किया प्रतीत होता है। उन्होंने अनुमानका 'अनुमान' शब्दसे निर्देश न कर 'स्टैक्किक' शब्दसे किया है, जिससे ज्ञात होता है कि अनुमानका मुख्य घटक लिङ्क

१. बृहदारण्य० राष्ट्रार् ।

२. श्रोतव्यः श्रुतिवाक्योभ्यो मन्तन्यश्चोपपत्तिभः । मत्वा च सततं ध्येय पते दर्शनहेतवः॥

है। सम्भवतः इसी कारण उन्होंने मात्र लिङ्गों, लिङ्गरूपों और लिङ्गाभासोंका निरूपण किया है। उसके और भी कोई घटक हैं, इसका कणादने कोई उल्लेख नहीं किया। उनके भाष्यकार प्रशस्तपादने अवश्य प्रतिज्ञादि पाँच अवयवोंको उसका घटक प्रतिपादित किया है।

तर्कशास्त्रका निबद्धरूपमें स्पष्ट विकास अक्षपादके न्यायसूत्रमें उपलब्ध होता है। अक्षपादने अनुमानको 'अनुमान' शब्दसे ही उल्लेखित किया तथा उसकी कारणसामग्री, भेदों, अवयवों और हेत्वाभासोंका स्पष्ट विवेचन किया है। साथ ही अनुमानपरीक्षा, वाद, जल्प, वितण्डा, छल, जाति, निग्रहस्थान जैसे अनुमानसहायक तत्त्वोंका प्रतिपादन करके अनुमानको शास्त्रार्थोपयोगी और एक स्तर तक पहुँचा दिया है। वात्स्यायन, उद्योतकर, वाचस्पति, उदयन और गङ्गेशने उसे विशेष परिष्कृत किया तथा व्याप्ति, पक्षधमंता, परामर्श जैसे तदुपयोगी अभिनव तत्त्वोंको विविक्त करके उनका विस्तृत एवं सूक्ष्म निरूपण किया है। वस्तुतः अक्ष-पाद और उनके अनुवर्ती तार्किकोंने अनुमानको इतना परिष्कृत किया कि उनका दर्शन न्याय (तकं — अनुमान) दर्शनके नामसे ही विश्वत हो गया।

असंग, वसुबन्धु, दिङ्नाग, धर्मकीर्ति प्रभृति बौद्ध तार्किकोंने न्यायदर्शनकी समालोचनापूर्वक अपनी विशिष्ट और नयो मान्यताओं के आधारपर अनुमानका सूक्ष्म और प्रचुर चिन्तन प्रस्तुत किया है। इनके चिन्तनका अवश्यम्भावी परिणाम यह हुआ कि उत्तरकालीन समग्र भारतीय तर्कशास्त्र उससे प्रभावित हुआ और अनुमानकी विचारधारा पर्याप्त आगे बढ़नेके साथ सूक्ष्म-से-सूक्ष्म एवं जटिल होती गयी। वास्तवमें बौद्ध तार्किकोंके चिन्तनने तर्कमें आयी कुष्ठाको हटाकर और सभी प्रकार के परिवेशोंको दूर कर उन्मुक्तभावसे तत्त्वचिन्तनकी क्षमता प्रदान की। फलतः सभी दर्शनोंमें स्वीकृत अनुमानपर अधिक विचार हुआ और उसे महत्त्व मिला।

ईश्वरकृष्ण, युक्तिदीपिकाकार, माठर, विज्ञानिभक्षु आदि सांस्यविद्वानों, प्रभाकर, कुमारिल, पार्थसारिथ प्रभृति मोमांसकचिन्तकोंने भी अपने-अपने ढंगसे अनुमानका चिन्तन किया है। हमारा विचार है कि इन चिन्तकोंका चिन्तन-विषय प्रकृति-पुरुष और क्रियाकाण्ड होते हुए भी वे अनुमान-चिन्तनसे अछूते नहीं रहे। श्रुतिके अलावा अनुमानको भी इन्हें स्वीकार करना पड़ा और उसका कम-वढ़ विवेचन किया है।

जैन विचारक तो आरम्भसे हो अनुमानको मानते आये हैं। भले ही उसे 'अनुमान' नाम न देकर 'हेतुवाद' या 'अभिनिबोध' संज्ञासे उन्होंने उसका व्यवहार किया हो। तत्त्वज्ञान, स्वतत्त्वसिद्धि, परपक्षदूषणोद्भावनके लिए उसे स्वीकार करके उन्होंने उसका पर्याप्त विवेचन किया है। उनके चिन्तनमें जो विशेषताएँ उपलब्ध होती है उनमें कुछका उल्लेख यहाँ किया जाता है:—

अनुमानका परोक्षप्रमाणमें अन्तर्भाव:

अनुमान प्रमाणवादो सभी भारतीय तार्किकोंने अनुमानको स्वतन्त्र प्रमाण स्वीकार किया है। पर जैन तार्किकोंने उसे स्वतन्त्र प्रमाण नहीं माना। प्रमाणके उन्होंने मूलतः दो भेद माने हैं—(१) प्रत्यक्ष और (२) परोक्ष। हम पीछे इन दोनोंकी परिभाषाएँ अङ्कित कर आये हैं। उनके अनुसार अनुमान परोक्ष प्रमाणमें अन्तर्भूत है, क्योंकि वह अविशद ज्ञान है और उसके द्वारा अप्रत्यक्ष अर्थकी प्रतिपत्ति होती है। परोक्ष प्रमाणका क्षेत्र इतना व्यापक और विशाल है कि स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अर्थापत्ति, सम्भव, अभाव और शब्द जैसे अप्रत्यक्ष अर्थके परिच्छेदक अविशद ज्ञानोंका इसीमें समावेश है। तथा वैशद्य एवं अवैशद्यके आधार पर स्वोकृत प्रत्यक्ष और परोक्षके अतिरिक्त अन्य प्रमाण मान्य नहीं है। अर्थापत्ति अनुमानसे पृथक् नहीं:

प्राभाकर और भाट्ट मीमांसक अनुमानसे पृथक् अर्थापत्ति नामका स्वतन्त्र प्रमाण मानते हैं। उनका मन्तव्य है कि जहाँ अमुक अर्थ अमुक अर्थके विना न होता हुआ उसका परिकल्पक होता है वहाँ अर्थापत्ति प्रमाण माना जाता है। जैसे -- 'पीनोऽयं देवदत्तो दिवा न भुंकते' इस वाक्यमें उक्त 'पीनस्व' अर्थ 'भोजन' के बिना न होता हुआ 'रात्रिभोजन' की कल्पना करता है, क्योंकि दिवा भोजन-का निषेष वाक्यमें स्वयं घोषित है। इस प्रकारके अर्थका बोघ अनुमानसे न होकर अर्थापत्तिसे होता है। किन्तु जैन विचारक उसे अनुमानसे भिन्न स्वीकार नहीं करते । उनका कहना है कि अनुमान अन्यथानुपपन्न (अविनाभावी) हेतुसे उत्पन्न होता है और अर्घापत्ति अन्ययानुषपद्यमान अर्थसे । अन्ययानुषपन्न हेतु और अन्य-थानुपपद्यमान अर्थ दोनों एक हैं — उनमें कोई अन्तर नहीं है। अर्थात् दोनों ही व्याप्तिविशिष्ट होनेसे अभिन्न हैं। डा॰ देवराज भी यही बात प्रकट करते हुए कहते हैं कि 'एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तुका आक्षेप तभी हो सकता है जब दोनों-में ब्याप्यब्यापकभाव या ब्यासिसम्बन्ध हो।" देवदत्त मोटा है और दिनमें खाता नहीं है, यहाँ अर्थापत्ति द्वारा रात्रिभोजनकी कल्पनाकी जाती है। पर वास्तवमें मोटापन भोजनका अविनामावी होने तथा दिनमें भोजनका निषेध करनेसे वह देवदत्तके रात्रिभोजनका अनुमापक है। वह अनुमान इस प्रकार है--'देवदत्तः रात्री मुंक्ते, दिवाऽमोजित्वे सति पीनत्वान्यथानुपपत्तेः । यहाँ अन्यथानुपत्तिसे अन्तर्व्याप्ति विवक्षित है, बहिर्व्याप्ति या सकलव्याप्ति नहीं, क्योंकि ये दोनों व्याप्तियाँ अर्व्याभचरित नहीं हैं। अतः अर्थापत्ति और अनुमान दोनों व्याप्तिपूर्वक होनेसे एक ही हैं - पृथक्-पृथक् प्रमाण नहीं।

१. पूर्वी और पश्चिमी दर्शन, पृ० ७१

अनुमानका विशिष्ट स्वरूप:

न्यायसूत्रकार अक्षपादकी 'तरपूर्वकमनुमानन्', प्रशस्तपादकी 'िक इद्यां नास्संकायमानं लैक्किक्स् ' और उद्योतकरकी 'िलंगपरामर्योऽनुमानम्' परिभाषाओं में
केवल कारणका निर्देश है, अनुमानके स्वरूपका नहीं। उद्योतकरकी एक अन्य
परिभाषा 'लेंगिका प्रतिपत्तिरनुमानम्' में भी लिङ्गरूप कारणका उल्लेख है,
स्वरूपका नहीं। दिङ्नागशिष्य शङ्करस्वामोकी 'अनुमानं लिक गार्यदर्शनम्'
परिभाषामें यद्यपि कारण और स्वरूप दोनोंकी अभिन्यक्ति है, पर उसमें कारणके रूपमें लिङ्गको सूचित किया है, लिङ्गके ज्ञानको नहीं। तथ्य यह है कि अज्ञायमान धूमादि लिङ्ग अग्नि आदिके अनुमापक नहीं हैं। अन्यथा जो पुरुष सोया
हुआ है, मूच्छित है, अगृहोतन्याप्तिक है उसे भी पर्वतमें धूमके सद्भाव मात्रसे
अग्निका अनुमान हो जाना चाहिए, किन्तु ऐसा नहीं है। अतः शङ्करस्वामीके
उक्त अनुमानलक्षणमें 'लिंगात्' के स्थानमें 'लिंगदर्शनात्' पद होने पर ही वह
पूर्ण अनुमानलक्षण हो सकता है।

जैन तार्किक अकलङ्कदेवने जो अनुमानका स्वरूप प्रस्तुत किया हैं वह उक्त न्यूनताओंसे मुक्त है। उनका लक्षण है—

> किङ्गारसाध्याविनामावाभिनिबोधैकलक्षणात् । लिङ्गिधीरनुमानं तत्फलं हानादिनुद्धयः ॥

इसमें अनुमानके साक्षात्कारण--लिङ्गज्ञानका भी प्रतिपादन है और उसका स्वरूप भी 'लिङ्गिधीः' शब्दके द्वारा निर्दिष्ट है। अकलङ्कृते स्वरूपनिर्देशमें केवल 'भी:' या 'प्रतिपत्ति' नहीं कहा, किन्तु 'लिक्किभी:' कहा है, जिसका अर्थ है साध्य-का ज्ञान; और साध्यका ज्ञान होना ही अनुमान है। न्यायप्रवेशकार शङ्करस्वामी-ने साध्यका स्थानापन्न 'अर्थ' का अवश्य निर्देश किया है। पर उन्होंने कारणका निर्देश अपूर्ण किया है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। अकलङ्क के इस लक्षण-की एक विशेषता और भी है। वह यह कि उन्होंने 'तत्फलं हानादिवुद्धयः' शब्दों द्वारा अनुमानका फल भी निर्दिष्ट किया है। सम्भवतः इन्हीं सब बातोंसे उत्तरवर्ती सभी जैन तार्किकोंने अकलङ्क्षकी इस प्रतिष्ठित और पूर्ण अनुमान-परिभाषाको ही अपनाया । इस अनुमानलक्षणसे स्पष्ट है कि वही साधन अथवा लिङ्ग लिङ्गि (साध्य-अनुमेय) का गमक हो सकता है जिसके अविनाभावका निश्चय है। यदि उसमें अविनाभावका निश्चय नहीं है तो वह साधन नहीं है, भले ही उसमें तीन या पांच रूप भी विद्यमान हों। जैसे 'वज्र लोह लेख्य है, वयोंकि पार्थिव है, काष्ठ की तरह' इत्यादि हेत तीन रूपों और पाँच रूपोंसे सम्पन्न होने पर भी अविना-भावके अभावसे सद्धेत नहीं हैं, अपित हेत्वाभास हैं और इसीसे वे अपने साध्योंके बन्मापक नहीं माने जाते । इसी प्रकार 'एक मुहुर्त बाद शकटका उदय होगा.

क्यों कि कृत्तिकाका उदय हो रहा है', 'समुद्रमें वृद्धि होना चाहिए अथवा कुमुदों-का विकास होना चाहिए, क्यों कि चन्द्रका उदय है' आदि हेतुओं में पक्षधर्मत्व न होनेसे न त्रिरूपता है और न पंचरूपता। फिर भो अविनाभावके होनेसे कृत्तिका-का उदय शकटोदयका और चन्द्रका उदय समुद्रवृद्धि एवं कुमुद्रविकासका गमक है। हेतुका एकलक्षण (अन्यथानुपपन्नत्व) स्वरूप:

हैतुके स्वरूपका प्रतिपादन अक्षपादसे आरम्भ होता है, ऐसा अनुसन्धानसे प्रतीत होता है। उनका वह लक्षण साधम्यं और वैधम्यं दोनों दृष्टान्तोंपर आधारित है। अत एव नैयायिक चिन्तकोंने उसे दिलक्षण, त्रिलक्षण, चतुर्लक्षण और पंचलक्षण प्रतिपादित किया तथा उनको व्याख्याएँ को है। वैशेषिक, बौद्ध, सांख्य आदि विचारकोंने उसे मात्र त्रिलक्षण बतलाया है। कुछ तार्किकोंने षड्लक्षण और समलक्षण भी उसे कहा है, जैसा कि हम हेतुलक्षण प्रकरणमें पीछे देख आये हैं। पर जैन लेखकोंने अविनाभावको ही हेतुका प्रधान और एकलक्षण स्वीकार किया है तथा त्रै ल्प्य, पांचल्प्य आदिको अव्यास और आतव्यास बतलाया है, जैसाकि ऊपर अनुमानके स्वरूपमें प्रदिशत उदाहरणोंसे स्पष्ट है। इस अविनाभावको ही अन्यथानुपपन्नत्व अथवा अन्यथानुपपत्ति या अन्तर्व्याप्ति कहा है। स्मरण रहे कि यह अविनाभाव या अन्यथानुपपन्नत्व जैन लेखकोंको ही उपलब्धि है, जिसके उद्भावक आचार्य समन्तभद्र हैं, यह हम पीछे विस्तारक साथ कह आये हैं।

अनुमानका अङ्ग एकमात्र व्याप्तिः

न्याय, तैशेषिक, सांस्य, मीमांसक और बौद्ध सभीने पक्षधर्मता और व्याप्ति दोनोंको अनुमानका अङ्ग माना है। परन्तु जैन तार्किकोंने केवल व्यक्तिकां उसका अङ्ग बतलाया है। उनका मत है कि अनुमानमें पक्षधर्मता अनावश्यक है। 'उपिर वृष्टिरभून् अधोप्रान्थथानुपपत्तेः' आदि अनुमानोंमें हेतु पक्षधर्म नहीं है फिर भी व्याप्तिके वलके वह गमक है। 'स स्थामस्तन्धुत्रव्वादितरहर्षुत्रवत्' इत्यादि असद् अनुमानोंमें हेतु पक्षधर्म है किन्तु अविनाभाव न होनेसे वे अनुमापक नहीं हैं। अतः जैन चिन्तक अनुमानका अङ्ग एकमात्र व्याप्ति (अविनाभाव) को हो स्वीकार करते हैं, पक्षधर्मताको नहीं।

पूर्वंचर, उत्तरचर और सहचर हेनुओं की परिकल्पनाः

अकलङ्कदेवने कुछ ऐसे हेतुओंकी परिकल्पना की है जो उनसे पूर्व नहीं माने गये थे। उनमें मुरुयतया पूर्वेचर, उत्तरचर और सहचर ये तीन हेतु हैं। इन्हें किसी अन्य तार्किकने स्वीकार किया हो, यह ज्ञात नहीं। किन्तु अकलङ्कने इनकी आव-

श्यकता एवं अतिरिक्तताका स्पष्ट निर्देश करते हुए स्वरूप प्रतिपादन किया है। अतः यह उनकी देन कही जा सकती है।

प्रतिपाद्योंकी अपेक्षा अनुमान-प्रयोग:

अनुमानप्रयोगके सम्बन्धमें जहाँ अन्य भारतीय दर्शनों में व्युत्पन्न और अव्युत्पन्न प्रतिपादोंकी विवक्षा किये बिना अवयवोंका सामान्य कथन मिलता है वहाँ जैन विचारकोंने उनत प्रतिपादोंकी अपेक्षा उनका विशेष प्रतिपादन भी किया है। व्युत्पन्नोंके लिए उन्होंने पक्ष और हेनु ये दो अवयव आश्च्यक बतलाये हैं। उन्हें दृष्टान्त आवश्यक नहीं है। 'सर्व क्षणिकं सरवात' जैसे स्थलोंमें बौद्धोंने और 'सर्व-मभिषेयं प्रमेयस्वात' जैसे केवलान्वयिहेनुक अनुमानोंमें नैयायिकोंने भी दृष्टान्तको स्वीकार नहीं किया। अव्युत्पन्नोंके लिए उन्त दोनों अवयवोंके साथ दृष्टान्त, उपनय और निगमन इन तीन अवयवोंकी भी जैन चिन्तकोंने यथायोग्य आवश्यकता प्रतिपादित की है। इसे और स्पष्ट यों समझिए—

गृद्धिपच्छ, समन्तभद्र, पूज्यपाद और सिद्धसेनके प्रतिपादनोंसे अवगत होता है कि आरम्भमें प्रतिपाद्यसामान्यकी अपेक्षासे पक्ष, हेतु और दृष्टान्त इन तीन अवयवोंसे अभिप्रेतार्थ (साध्य) की सिद्धि की जाती थी। पर उत्तरकालमें अकल्क्क्क्क्का सङ्क्षेत पाकर कुमारनित्द और विद्यानन्दने प्रतिपाद्योंको ज्युत्पन्न और अज्युत्पन्न दो वर्गीमें विभक्त करके उनकी अपेक्षासे पृथक्-पृथक् अवयवोंका कथन किया। उनके बाद माणिक्यनन्दि,देवसूरि आदि परवर्ती जैन ग्रन्थकारोंने उनका समर्थन किया और स्पष्टतया ज्युत्पन्नोंके लिए पक्ष और हेतु ये दो तथा अज्युत्पन्नों के बोधार्थ उक्त दोके अतिरिक्त दृष्टान्त, उपनय और निगमन ये तीन सब मिलाकर पाँच अवयव निरूपित किये। भद्रबाहुने प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञाशुद्धि आदि दश अवयवोंका भी उपदेश दिया, जिसका अनुसरण देवसूरि, हेमचन्द्र और यशो-विजयने किया है।

व्याप्तिका ग्राहक एकमात्र तर्कः

अन्य भारतीय दर्शनोंमें भृयोदर्शन, सहचारदर्शन और व्यभिचारागृहको व्याप्तिग्राहक माना गया है। न्यायदर्शनमें वाचस्पित और सांस्यदर्शनमें विज्ञान-भिक्षु इन दो तार्किकोंने व्याप्तिग्रहकी उपर्युक्त सामग्रीमें तर्कको भी सिम्मिलित कर लिया। उनके बाद उदयन, गंगेश, वर्द्धमान प्रभृति तार्किकोंने भी उसे व्याप्ति-ग्राहक मान लिया। पर स्मरण रहे, जैन परस्परामें आरंभसे तर्कको, जिसे चिन्ता, ऊहा आदि शब्दोंसे व्यवहृत किया गया है, अनुमानकी एकमात्र सामग्रीके रूपमें प्रतिपादित किया है। अकलक्क ऐसे जैन तार्किक हैं जिन्होंने वाचस्पति और

विज्ञानिभक्षुसे पूर्व सर्व प्रथम तर्कको ब्याप्तिग्राहक समर्थित एवं सम्पुष्ट किया तथा सबलतासे उसका प्रामाण्य स्थापित किया। उनके पश्चात् सभीने उसे ब्याप्ति-ग्राहक स्वीकार कर लिया।

तथोपपत्ति और अन्यथानुपपत्ति :

यद्यपि बहिन्यामि, सकलन्यामि और अन्तर्न्यामिक भेदसे न्यामिक तीन भेदों, समन्यामि और विषमन्यामिक भेदसे उसके दो प्रकारों तथा अन्वयन्यामि और न्यतिरेक न्यामि इन दो भेदोंका वर्णन तर्कप्रन्थोंमें उपलब्ध होता है किन्तु तथोपपत्ति और अन्यथानुपपत्ति इन दो न्यामिप्रकारों (न्यामिप्रयोगों) का कथन केवल जैन तर्कप्रन्थोंमें पाया जाता है। इनपर घ्यान देनेपर जो विशेषता ज्ञात होतो है वह यह है कि अनुमान एक ज्ञान है उसका उपादान कारण ज्ञान हो होना चाहिए। तथोपपत्ति और अन्यथानुपपत्ति ये दोनों ज्ञानात्मक हैं, जब कि उपर्युक्त व्यामियौं ज्ञेयात्मक (विषयात्मक) हैं। दूसरी बात यह है कि उक्त न्यामियोंमें एक अन्तर्न्यामि हो ऐसी व्यामि है, जो हेनुकी गमकतामें प्रयोजक है, अन्य व्यामियौं अन्तर्न्यामिक बिना अन्याम और अतिन्याम हैं, अत एव वे साधक नहीं हैं। तथा यह अन्तर्न्यामि हो तथोपपत्ति और अन्यथानुपपत्तिकप है अथवा उनका विषय है। इन दोनोंमेंसे किसी एकका ही प्रयोग पर्याम है। इनका विशेष विवेचन तृतीय अध्यायमें किया गया है।

साध्याभास:

अकलक्क्कने अनुमानाभासोंके विवेचनमें पक्षाभास या प्रतिज्ञाभासके स्थानमें साघ्याभास शब्दका प्रयोग किया है। अकलक्क्क देस परिवर्तनके कारणपर सूक्ष्म घ्यान देनेपर अवगत हे ता है कि चूँ कि साधनका विषय (गम्य) साध्य होता है और साधनका अविनाभाव (व्याप्तिसम्बन्ध) साध्यके ही साथ होता है, पक्ष या प्रतिज्ञाके साथ नहीं, अतः साधनाभास (हेत्वाभास) का विषय साध्याभास होनेसे उसे ही साधनाभासोंकी तरह स्वीकार करना युक्त है। विद्यानन्दने अकलक्क्कको इस सूक्ष्म दृष्टिको परला और उनका सयुक्तिक समर्थन किया। यथार्थमें अनुमानके मुख्य प्रयोजक साधन और साध्य होनेसे तथा साधनका सीधा सम्बन्ध साध्यके साथ ही होनेसे साधनाभासकी भाँति साध्याभास ही विवेचनीय है। अकलक्क्कने शक्य, अभिप्रेत और असिद्धको साध्य तथा अशक्य, अनिभिप्रेत और सिद्धको साध्याभास प्रतिपादित किया है—(साध्यं शक्यमभिप्रेतमप्रसिद्धं ततोऽपरम् । साध्याभास विकद्धादि साधनाविषयस्वतः।

अकिञ्चित्कर हेत्वाभास:

हैत्वाभासोंके विवेचन-सन्दर्भमें सिद्धसेनने कणाद और न्यायप्रवेशकारक

तीन हेत्वाभासोंका कथन किया है, अक्षपादकी भौति उन्होंने पाँच हेत्वाभास स्वीकार नहीं किये। प्रश्न हो सकता है कि जैन तार्किक हेतुका एक (अविनाभाव-अन्यथानुपपन्नत्व) रूप मानते हैं, अतः उसके अभावमें उनका हेत्वाभास एक ही होना चाहिए। वैशेषिक, बौद्ध और सांख्य तो हेतुको त्रिरूप तथा नैयायिक पंचरूप स्वीकार करते हैं, अतः उनके अभावमें उनके अनुसार तीन और पाँच हेत्वाभास तो युक्त हैं। पर सिद्धसेनका हेन्वाभास-त्रैविच्य प्रतिपादन कैसे युक्त है ? इसका समाधान सिद्धसेन स्वयं करते हुए कहते हैं कि चूँकि अन्यथानुपपन्नत्वका अभाव तीन तरहसे होता है—कहीं उसकी प्रतीति न होने, कहीं उसमें सन्देह होने और कहीं उसका विपर्याप्त होनेसं; प्रतीति न होनेपर असिद्ध, सन्देह होनेपर अनैकान्तिक और विपर्याप्त होनेपर विरुद्ध ये तीन हेत्वाभास होते हैं।

अकलङ्क कहते हैं कि यथार्थमें हेत्वाभास एक ही है और वह है अिक ज्वितकर, जो अन्यथानुपपन्नत्वके अभावमें होता है। वास्तवमें अनुमानका उत्तथापक अविनाभावों हेतु ही है, अतः अविनाभाव (अन्यथानुपपन्नत्व) के अभावमें हेत्वाभासकी सृष्टि होती है। यतः हेतु एक अन्यथानुपपन्नरूप ही है, अतः उसके अभावमें मूलतः एक ही हेत्वाभास मान्य है और वह है अन्यथा उपपन्नत्व अर्थात् अिक ज्वित्वतकर। असिद्धादि उसीका विस्तार है। इस प्रकार अकलङ्क्षेत्रे द्वारा 'अिक ज्वित्वत्कर' नामके नये हेत्वाभासकी परिकल्पना उनकी अन्यतम उपलब्धि है।

बालप्रयोगाभासः

माणिक्यनिन्दिने आभासोंका विचार करते हुए अनुमानाभाससन्दर्भमें एक 'बालप्रयोगाभास' नामके नये अनुमानाभासकी चर्चा प्रस्तुत की है। इस प्रयोगाभासका तात्पर्य यह है कि जिस मन्दप्रज्ञको समझानेके लिए तीन अवयवोंको आवश्यकता है उसके लिए दो ही अवयवोंका प्रयोग करना, जिसे चारकी आवश्यकता है उसे तीन और जिसे पाँचकी जरूरत है उसे चारका ही प्रयोग करना अथवा विपरीत क्रमसे अवयवोंका कथन करना बालप्रयोगाभास है और इस तरह वे चार (दि-अवयवप्रयोगाभास, वि-अवयवप्रयोगाभास, चतुरवयवप्रयोगाभास और विपरीतावयवप्रयोगाभास) सम्भव हैं। माणिक्यनिन्दिसे पूर्व इनका कथन दृष्टिगोचर नहीं होता। अतः इनके पुरस्कर्ता माणिक्यनिन्द प्रतीत होते हैं। अनुमानमें अभिनिबोध-मितज्ञानरूपता और श्रुतरूपता:

जैन वाङ्मयमें अनुमानको अभिनिबोधमितिज्ञान और श्रुत दोनों निरूपित किया है। तत्त्वार्थसूत्रकारने उसे अभिनिबोध कहा है जो मितज्ञानके पर्यायों में पठित है। षट्खण्डागमकार भूतबलि-पुष्पदन्तने उसे 'हेतुबाद' नामसे व्यवहृत किया है और श्रुतके पर्यायनामों में गिनाया है। यद्यपि इन दोनों कथनों में कुछ विरोध-सा

उपसंहार : २६६

प्रतीत होगा। पर विद्यानन्दने इसे स्पष्ट करते हुए लिखा है कि तत्त्वार्थसूत्रकारने स्वार्थानुमानको अभिनिबोध कहा है, जो वचनात्मक नहीं है और षट्खण्डागमकार तथा उनके व्याख्याकार वीरसेनने परार्थानुमानको श्रुतरूप प्रतिपादित किया है, जो वचनात्मक होता है। विद्यानन्दका यह समन्वयात्मक सूक्ष्म चिन्तन जैन तर्क-शास्त्रमें एक नया विचार है जो विशेष उल्लेख्य है। इस उपलब्धिका सम्बन्ध विशेषतया जैन ज्ञानमीमांसाके साथ है।

इस तरह जैन चिन्तकोंकी अनुमानविषयमें अनेक उपलब्धियाँ हैं। उनका अनुमान-सम्बन्धी चिन्तन भारतीय तर्कशास्त्रके लिए कई नये तत्त्व देता है।

परिशिष्ट-१

सन्दर्भ-ग्रन्थ-सूची

१. अकलंक

सम्पादक-महेन्द्रकुमार जैन । न्यायविनिश्चय भाग १-२-भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, सन् १९५४ । सिद्धिविनिश्चय भाग १-२-भारतीय ज्ञानपीठ, काशी; सन् १६५९ । प्रमाणसंग्रह-अकलंकग्रन्थत्रयके अन्तर्गत, सिंधी जैन ग्रन्थमाला, अहमदाबाद, सन् १६३६ ।

लबीयस्त्रय-अकलंकग्रन्थत्रयके अन्तर्गत, सिघी जैन ग्रन्थमाला, अहमदाबाद, सन् १९३९।

अष्टर्शती (अष्टस०) – सेठ रामचन्द्र नाथारंग, बम्बई, सन् १९१८। तत्त्वार्थवार्तिक भाग १-२ – भारतीय ज्ञानपीठ काशी, सन् १९५३। अकलंकग्रन्थत्रय – सिंघी जैन ग्र०, अहमदाबाद, सन् १९४३।

२. अक्षपाद

न्यायसूत्र-चौखम्भा सं० सी०, वाराणसी, सन् १६१६।

३. अनन्तवीर्य

सिद्धिविनिश्चयटीका भाग १-२-भारतीय ज्ञानपीठ काशी, सन् १९५९।

- ४. अनन्तवीर्यं (लघु)
 - प्रमेयरत्नमाला-चौखम्भा, वाराणसी, वि॰ सं॰ २०२०।
- ५. अन्नम्भट्ट

तर्कसंग्रह-निर्णयसागर प्रेस, बंबई, सन् १९३३ तर्कसंग्रह-(न्यायबोधिनी) श्री हरिकृष्ण निबन्ध भवनम्, वाराणसी ।

- ६. अभयदेव सन्मतितर्कटीका—गुजरात विद्यापीठ, अहमदावाद ।
- ७. अर्च ट हेतुबिन्द्टीका-ओरियंटल इंस्टीटघूट, बड़ौदा, सन् १९४९ ।
- ८. ईश्वरकृष्ण सांस्यकारिका—चौसम्भा सं० सी०, वाराणसी, सन् १९१७। ३४

९. उदयन

न्यायवार्तिकतात्प० परि०—गव० सं० कालेज, कलकत्ता, सन् १९११ । न्यायकुसुमांजलि—चौखम्भा विद्याभवन, वाराणसी, सन् १९६२ । किरणावली—चौखम्भा विद्याभवन, वाराणसी, सन् १९१८ ।

१०. उद्योतकर

न्यायवार्त्तिक-चौखम्भा विद्याभवन, वाराणसी, सन् १९१६।

११. उमास्वाति

तत्त्वार्थिधगमभाष्य-रायचन्द्र जैन शास्त्रमाला, बंबई ।

१२. कणाद

वैशेषिकदर्शन-चौखम्भा सं० सी०, वाराणसी, सन् १६२३।

१३. कुमारिल

मीमांसाक्लोकवार्तिक-चौखम्भा सं० सी०, वाराणसी, सन् १८९८ ।

१४. केशविमश्र

तर्कभाषा-चौखम्भा सं० सी०, वाराणसी, सन् १९६३।

१५. कैलाशचन्द्र शास्त्री

जैन न्याय-भारतीय ज्ञानपीठ काशी, सन् १९६६।

१६. कौटिल्य

कौटिलीय अर्थशास्त्र-मैसूर यूनिवर्सिटी, मैसूर, सन् १९६१।

१७. गंगेश

तत्त्वचिन्तामणि–स्याद्वाद महाविद्यालय काशीमें विद्यमान प्रति ८१।सं० १०।

१८. गृद्धपिच्छ

तत्त्वार्थसूत्र-दि० जैन पुस्तकालय, सूरत, वो० नि० २४६७।

१९. चारुकीति

प्रमेयरत्नालंकार-मैसुर युनिवर्सिटी, मैसुर, सन् १९४८।

२०. जगदीश तर्कालंकार

दीधितिटीका-चौखम्भा सं० सी०, वाराणसी।

२१. जयन्तभट्ट

न्यायमंजरी-चौखम्भा सं० सी०, वाराणसी, सन् १९३४।

न्यायकलिका—गंगानाथ झा ।

२२. जैमिनि

मीमांसादर्शन-मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास, सन् १९३४।

२३. दलसुखभाई

अागमयुगका जैन दर्शन-सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा, सन् १९६६।

२४. द्वारिकादास (सं०)

न्यागभाष्य-(हिन्दी) भारतीय विद्याप्रकाशन, वाराणसी, सन् १९६६।

२५. दिड्नाग

प्रमाणसमुच्चय-(प्रत्यक्ष परिच्छेद) मैसूर यूनिवर्सिटी, मैसूर, सन् १६३०।

२६. दुर्वेकमिश्र

धर्मोत्तरप्रदोप-काशीप्रसाद जायसवाल अनुशीलन संस्था, फ्टना, सन् १९५४।

२७. देवराज

पूर्वी और पश्चिमी दर्शन-(द्वि० आवृत्ति) बुद्धिवादी प्रकाश गृह, लखनऊ।

२८. देवसूरि

प्रमाणनयतत्त्वालोक-आर्हतमत प्रभाकर कार्यालय, पूना, वी० नि० २४५३। स्याद्वादरत्नाकर-(प्रमाणनयतत्त्वालोकालंकार), आर्हतमत प्रभाकर कार्यालय, पूना, वी० नि० २४५३।

२९. धर्मकोत्ति

न्यायिबन्दु-(डि॰ आवृत्ति) चौत्वम्भा सं॰ सी॰, वाराणसी, सन् १९५४ । प्रमाणवात्तिक-किताबमहल, इलाहाबाद, सन् १९४३ । हेतुबिन्दु-ओरियंटल इन्स्टीटच्ट, बड़ौदा सन् १९४९ । वादन्याय-महावोधि सभा, सारनाथ ।

३०. धर्मभूषण

(सम्पादक—दरबारीलाल कोठिया) न्यायदोपिका-वीर सेवा मन्दिर, दिल्ली, सन १९४५ ।

३१. नरेन्द्रसेन

(सम्पादक—दरवारीलाल कोठिया) प्रमाणप्रमेयकल्का-भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, वी० नि० २४८७।

३२. नागार्जुन

उपायहृदय-प्री दिन्नाग बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स ऑन लाजिक फाँम चाइनीज सोर-सेजके अन्तर्गत, ओरि० इंस्टीट्यूट, बड़ौदा, सन् १९२९।

३३. नेमिचन्द्र

गोम्मटसार जीवकांड-रायचन्द्रशास्त्रमाला, बम्बई सन् १९२७ ।

३४. पाल स्टेनथल उदान

३५. पार्थसारिय

न्यायरत्नाकर (मी० इलो० व्या०)-चौलम्भा सं० सी० वाराणसी। शास्त्रदीपिका-निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, सन् १९२५।

३६. पुष्पदन्त-भूतवली षट्खण्डागम –(मूल हिन्दी सहित) ग्रन्थप्रकाशन समिति फलटन, सन् '६५ ।

३७. पूज्यपाद सर्वार्थसिद्धि–भारतीय ज्ञानपोठ काशी, सन् १९५५ ।

३८. प्रभ।कर बृहती–मद्रास यूनि० मद्रास, सन् १९३६ ।

३९. प्रज्ञाकर

वात्तिकालंकार-महाबोघि सभा, सारनाथ । प्रमाणवात्तिकभाष्य-काशोप्रसाद जा० अनुशीलन संस्था पटना, सं० २०१० ।

४० प्रभाचन्द्र
(सम्पादक—महेन्द्रकुमार)
प्रमेयकमलमार्तण्ड—(द्वि० सं०) निर्णयसागर प्रेस बम्बई, सन् १९४१ ।
न्यायकुमदचन्द्र –दि० जैन ग्रन्थमाला बम्बई, सन् १९४१ ।

४१. प्रशस्तपाद
प्रशस्तपादभाष्य-चौ० सं० सी० वाराणसी, सन् १९२३।

४२. बल्लभाचार्य न्यायलीलावती—चौ० सं० सी० वाराणसी, सन् १९२७।

४३ भगवानदास डॉ॰ दर्शनका प्रयोजन

४४. भद्रबाहु दशवैकालिकनिर्युक्ति–आगमोदय समिति, सूरत ।

४५. भीमाचार्यं न्यायकोश-(तृ० आ०) प्राच्य विद्यासंशोधन मन्दिर बम्बई, सन् १९२८ ।

४६. मथुरानाथ तर्कवागीश व्याप्तिपंचकम्-सत्यनामास्यमन्त्रास्य काशी, संवत् १९८२ । ४७. मनु

मनुस्मृति-चौ० सं० सी०, वाराणसी, सन् १९५२।

४८. मल्लिषेण

स्याद्वादमंजरी-भा॰ प्रा॰ संशोधन मन्दिर, पुना, सन् १९३३।

४९. महेन्द्रकुमार जैन

जैन दर्शन(द्वि० सं०)-वर्णी जैन ग्रन्थमाला वाराणसी, सन् १९६६।

५०. माधवाचार्य

सर्वदर्शनसंग्रह-आनन्दाश्रम मुद्रणालय, पूना, सन् १९२८।

५१. माणिक्यनन्दि

परीक्षामुख-पं० घनश्यामदास जैन स्या० म०, काशी, वी० सं० १९७२।

५२. मुनि कन्हैयालाल (सम्पादक)

मूलमुत्ताणि–शान्तिलाल बी० सेठ, व्यावर, वि० सं० २०१०। अनुयोगसूत्र–शान्तिलाल बी० सेठ, व्यावर, वि० सं० २०१०।

स्थानांगसूत्र-धनपतिसिंह, कलकत्ता ।

भगवतीसूत्र-धनपतिसिंह, कलकत्ता।

५३. यशोविजय

ज्ञानिबन्दुप्रकरण-सिघी जैन ग्र०, अहमदाबाद सन् १९४२। जैन तर्कभाषा-सिघी जैन ग्र०, अहमदाबाद, सन् १९३८।

५४. राय डेविड (सम्पादक)

ब्रह्मजालमुत्त

५५. लक्ष्मीसिंह

नीलकण्ठी (त॰ सं॰ टी॰)-निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, सन् १९३३।

५६. वाचस्पति

न्यायवार्तिकतात्प० टी०-चौखम्भा सं० सी०, वाराणसी, सन् १९२५ । सांख्यतत्त्वकौमुदी-चौखम्भा सं० सी०, वाराणसी, सन् १९१७ ।

५७. वर्द्धमानोपाध्याय

न्यायनिबन्धप्रकाश-गवर्नमेंट सं० कालेज, कलकत्ता, सन् १९११।

५८. वसुबन्धु

तर्कशास्त्र-ओरियंटल इंस्टीटचूट, बड़ौदा, सन् १९२९।

५९. वाल्मीक

रामायण-गीता प्रेस, गोरखपुर, वि० सं० २०१७।

६०, वादिराज

न्यायविनिश्चयवि० भाग १-२-भारतीय ज्ञानपीठ काशी, सन् १९५४। प्रमाणनिर्णय-मा० दि० जैन ग्र०, वम्बई, वि० सं० १९७४।

६१. वादीभसिंह

(सम्पादक — दरवारीलाल कोठिया) स्याद्वादसिद्ध – मा० दि० जैन ग्र०. बम्बई. सन १९५०।

६२. वासुदेव (सम्पादक)

ईशाद्यष्टोत्तरशतोपनिषद्-निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, सन् १९३२। (ब्रह्मबिन्दूपनिषद्, मैत्रायणी उपनिषद्, सूबालोपनिषद्)

६३. विद्यानन्द

तत्त्वार्थश्लोकवा०—सेठ रामचन्द्र नाथारंग, बम्बई, सन् १९१८। अष्टसहस्री—सेठ रामचन्द्र नाथारंग, बम्बई, सन् १९१५। प्रमाणपरीक्षा—सनातन जैन ग्र० कलकत्ता, सन् १९१४। पत्रपरीक्षा—सनातन जैन ग्र० कलकत्ता, सन् १९१३। युक्त्यनुशासनालंकार—मा० दि० जैन ग्रन्थमाला, बंबई।

६४. विज्ञानभिक्षु

सांख्यदर्शनभाष्य-चौखम्भा, वाराणसी, वि० सं० १९८५ ।

६५. वीरसेन

धवला-जैन साहित्योद्धारक फण्ड, भेलसा, ई० १६५५। जयधवला-जैन संघ, चौरासी, मथुरा, सन् १९४४।

६. व्यास

महाभारत-गीताप्रेस, गोरखपुर, वि० सं० २०१७।

६७. शबरस्वामी

मीमांसादर्शनभाष्य-मद्रास यूनि०, मद्रास, सन् १९३४।

६८. शान्तरक्षित

तत्त्वसंग्रह-जनरल लायब्रेरी, बड़ौदा, सन् १९२६।

६९. शान्तिसूरि

न्यायावतारवार्तिक०-भारतीय विद्याभवन, बंबई, वि० सं० २००४।

७०. शालिकानाथ

प्रकरणपंचिका-का० हि० विश्ववि०, सन् १९६५।

सन्दर्भ-प्रनथ-सूची : २०१

७१. शंकरिमश्र-वैशेषिकसत्रोपस्कार-चौलम्भा. वाराणसी. सन १९२३।

७२ शंकरस्वामी न्यायप्रवेश-ओरियंटल इंस्टी०, बड़ौदा, सन् १९२०।

७३. शंकराचार्य छान्दोग्योपनि०भाष्य-गीताप्रेस, गोरखपुर, वि० सं० २०१३ ।

७४. श्रुतसागर तत्त्वार्थवृत्ति-भारतीय ज्ञानगीठ, काशी, सन् १९४९ ।

७५. विश्वनाथ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली–गुजराती प्रेस, बम्बई, सन् १९२३ ।

७६. सतीशचन्द्र विद्याभूषण ए हिस्टरी आँफ इंडियन लाजिक-कलकत्ता यूनि●, कलकत्ता ।

७७. सदानन्द वेदान्तसार-चौलम्भा सं० सी० वाराणसी, सन् १९५९ ।

७८. समन्तभद्र
(सम्पादक-अनुवादक—जुगलिक्शोर मुख्तार)
आप्तमीमांसा-वीरसेवामिन्दरट्रस्ट, दिल्ली, सन् १९६७ ।
युक्त्यनुशासन-वीरसेवामिन्दर, दिल्ली, सन् १९५१ ।
स्वयग्भस्तोत्र-वीरसेवामिन्दर, दिल्ली, सन् १९५१ ।

७९. सिद्धसेन (सम्पादक—पं० सुखलाल संघवी) न्यायावतार–भारतीय विद्याभवन, बंबई, वि० सं २००५ । सन्मतिप्रकरण–ज्ञानोदय ट्रस्ट, अहमदाबाद, सन् १९६३ ।

८०. सिद्धिषिगणि न्यायावतारटीका-क्वे० जैन महासभा, बम्बई, वि० सं० १९८५ ।

८१. हरिभद्र षडदर्शनसमुच्चय-आत्मानन्दसभा, भावनगर ।

८२. हेमचन्द्र प्रमाणमीमांसा-सिंघी जैन ग्र०, अहमदाबाद, सन् १९३९ ।

८३. अज्ञातकर्तृक छान्दोग्योपनिषद्–गीता प्रेस, गोरखपुर ।

८४. अज्ञातकर्तृक ऋग्वेद

८५. अज्ञातकर्तृंक युक्तिदीपिका-कलकत्ता यूनिव० सं० सी०, कलकत्ता, सन् १९३८।

पत्र-पत्रिकाएँ

- (१) अनेकान्त-वीरसेवामन्दिर, दरियागंज, दिल्ली।
- (२) जैन-सिद्धान्त-भास्कर-जैन सिद्धान्त भवन, आरा।
- (३) दी जनरल ऑव दी विहार एण्ड उड़ीसा-रिसर्च सोसायटी, पटना ।
- (४) जैन एण्टिक्वेरी-जैन सिद्धान्त भवन, आरा।
- (५) दार्शनिक-राजस्थान यूनिवर्सिटी, जयपुर।
- (६) भारतीय विद्या-भारतीय विद्या भवन, बम्बई।

परिशिष्ट-२

नामानुक्रमणी

म

वक्लक्ट्र—८, ३१, ३७, ४१, ४७, ५२, ६५, ६६, ६७, ६९, ७३, ७७, ८०, ८१, ८५, ९२, ९३, ९४, ९५, ९६, १०६, १०६, ११३, ११४, १२१, १४७, १४८, १६३, १६५, १६८, १७१, १५८, १७३, १७५, १७६, १९५, १९६, १९५, १९६, १९५, १९६, २१८, २१८, २१८, २१८, २१८, २३८, २३३, २३४, २३५, २३८, २३६, २४०, २४३, २५८, २५८, २६०, २६१, २६२।

अक्षपाद—८, ९, ३५, ३७, १०९, १४७,१७३,१७८,१८९,१९०, २०५,२०७,२०८,२४८,२४९, २५०,२५६,२५८,२६२।

अर्चट—८, २२, ३६, ४०, १३१, १३८,१५१,१५२,१५६,१९३, २०६,२३४।

वर्षशास्त्र—६।

अनन्तवीर्य—३२,१२१,१२२,१५०, १६६,१७२,१७५,१८२,१८३, १८६,१८८,१९५,२०२,२१९। अन्तंमट्ट—१७,३९,६०,११०,१४५,

अनुयोगद्वारसूत्र—७, २०, २५, २८, २९, ४२, ४३, ८४, ११२। अनेकान्तजयपताका—३२। अभयदेव—३२, २०२। अष्टसहस्री—३२। असंग—२५६।

आ

आप्तमीमांसा—३१, ४७, ९१, ९२, ९६, १७५, १९४।

इ

इन्द्रभूति—२५।

इ

ईश्वरकृष्ण—२२, ४६, ६१, २०५, २५६।

उ

उदयन—८, १६, ३६, ३९, ४९, ६०, १३१, १३२, १३४, १३५, १४२, १४४, १४६, १४७, १५५, २५६, २६०।

उद्योतकर—८, १३, १४, १५, १६, २१, ३६, ३८, ३९, ४३, ४९, ६०, ९१, ९५, ९७, ११०, १११,१३१,१४२,१४३,१४७, १६७,१७२,१७३,१९०,१९१,

१९२, १९४, २००, २०५, २३२, २४९, २५०, २५२, २५६, २५८।

ऋग्वेद---३. १५३।

क

कठोपनिषद्—१५३। कणाद—९, १७, १८, ३५, ४१, ४२, ४९, ६०, ६९, १७४, १९१, २०४, २०५, २०६, २०८, २१६, २२०, २४७, २४९, २५०, ३५१।

कर्णकगोमि—२०३। काइयप—१८, ४९, १७४, १९०, १९१।

कुमारनन्दि—४१,१६४,१६८,१७५, १९५, १९६, २६०।

कुमारिलभट्ट—८, २२,४०,५०,६०, ६६, ६७, १४०, १४१, १५५, २५६।

केशविमश्र—१७, ३६,३९,४३,६०, ११०,१११,१३५,१४५,१५५। कौटिल्य—६.७।

ग

गंगेश—८, १०, १६, ३६, ३९, ११०, १४५, १५५, १८१, २५६, २६०। गदाघर—१७, ३९, १३३। गृद्धपिच्छ—३०, ६६, ७३, ७४, ७६, ८४, १००, १०५, १५६, १६२, १६३, १८३, २६०। गौतम—८, ९, १०, १९, २४, २५, ६६, ९८, ९६, ९६, १८, १६१, १६१, १४२, १६९,

१७८, १८१, १९२, २३८।

चरक—२८, ४२, ७०। चरकशास्त्र—११२। चारुकीत्ति—१५६,१६६,१७३,१७५, १८१,१८३,१८६,२०२,२४२, २४४,२४५,२४६।

हरू

छान्दोग्योपनिषद्—३, ४।

ज

जगदीश---१७, ३९, १३३।

जयन्तभट्ट — ८, १६, ३८, ३९, ४३, ४९, ६०, ११०, १११, १२४, १२८, १५५,१६७,१७४,१९२, २००,२३१,२४९,२५१,२५३।

ਕ

तर्कभाषा—१७।
तर्कपाद—२२।
तर्कसंग्रह—१७, ११०।
तत्त्वचिन्तामणि—१०,१६,३९,१०५,
११०, १४५।
तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक—३२,७७,२१९।
तत्त्वार्थसूत्र—२९, ७२,७६,७७,७८,
७९, ८४, १५९,१६०।

दलसुखमालवणिया — ७१ । दशवैकालिक — २९ ।

तत्त्वरौद्री--१०।

दिङ्नाग—८, १५, १८, २१, ४३, ६१, ६२, ९७, ११२, १२०, १६२, १६८, १९२, २३४, २३८, २४०, २४४, २५६, २५८।

देवेन्द्रबुद्धि-२२। देवराज-२५७।

ध

षर्मकीति—८,१५,२१,३६,४०,४३,
४७,५२,६२,६६,६८,११२,
१२७,१३१,१३८,१३९,१४६,
१५०,१५१,१५२,१५६,१६८,
१७१,१७२,१७४,१७७,१८२,
१८५,१९१,१९३,१९७,१९९,
२०६,२०७,२०८,२१०,२२०,
२४३,२४४,२५२,२५३,२५६।

धर्मोत्तर—८, २२, ३६, ४०, १७१, १७२, १७४, २०६।

धर्मभूषण— ३२, ४७, ६८, ६९, ७३, ९२, ९५, ९६, १२५, १२६, १२७,१२८,१२९,१४९,१६६, १७०,१७२,१७५,१८६,२०२, २२०, २४४, २४६। धवला—८१, ८५ ।

न

नारायणभट्ट—४७, १६८।
न्यायकलिका—१६।
न्यायकुमृदचन्द्र—३२, ११८।
न्यायावतार—३१, ५१, ९१, ९६,
१२२, १२४, १६२।
न्यायदोपिका—३२।
न्यायदार—२१।

न्यायप्रवेश—२०, २१,३५,४०,४६, ५०, ५१, ४२, ११२, २२८, २३८,२५३।

न्यायबिन्दु-२१,४७,५२,२०६,२३८। न्यायभाष्य--११,३७,५०,१०९, ११०,११५,१३१।

न्यायमंजरी—१६, ११०, २३१।
न्यायरत्नाकर—४७।
न्यायवात्तिक—१६, २१, ३८, ११०, ११५, १३१, २३२।
न्यायविनिश्चय—३१, ९२, ९५, ९६, १७१, १९६, २३७।
न्यायविनिश्चयविवरण—३२, ११५,

न्यायसूत्र-५, ८, ९, १०, १६, २०, २४, २८, २९, ३५, ३७, ४२, ४४, ४८, ४९, ५०, ६०, १०९, १११, १३१,१५४, २३८।

u

पक्षधरमिश्र—३९। पतंजिल—१०।

पत्रपरीक्षा---३२, १६४। प्रकरणपंचिका--२२, ४७। प्रज्ञाकर--८, २२। प्रभाचन्द्र--८, ३२, ४३, ६९, ९२, ११२. ११५.११८.१२१.१२२. १४७, १४९, १५०, १६५, १६६, १६८, १७२, १७३, १७४, १८३, १८६, १८८, २०२, २१८, २१९। प्रभाकर---२२, ६०, ६१, ६८, १४०, 288 1 प्रमागनयतत्त्वालोकालंकार-३२, २४२। प्रमाणपरीचा-३२,७९, १६४, २१९। प्रमाणमीमांसा--३२. ६५ । प्रमाणवात्तिक---२१, ४७, २०६। प्रमाणवात्तिकालंकार--१२०। प्रमाणसम्बच्य सवृत्ति---२१। प्रमाणसमुच्चय---२१, ११२। प्रमाणसंग्रह--३१,१७१,१९६,२३२, २३७ । प्रमेयकमलमार्ग्तड-३२, ११८, २१९। प्रमेयरत्नमाला--३२, २१९। प्रवचनसार--८४। प्रशस्तपाद---८, १७, १८, १९, २१, 80, 82, 83, 88, 88, 40, 48, 48, 48, 96, 99, 808. १०८, १०९, ११०, १११, ११२. १२०, १४१, १४२, १४६, १४८, १५५,१६७, १६९, १७१,१७४, १७७, १७८, १८५, १९०, १९१, **२**०४, २३४, २४०, २४७, २४८. २५१, २४२, २५६ । प्रशस्तपादभाष्य--१९, ३५, ३९, ४४,

५१, १२०, १४२, २५२।

परीक्षामुख——३२, २३७, २३८।
पात्रस्वामी——८, ४१, १७५, १९४,
१९४, १९६, २००।
पार्थसारथि——२२, ४७, ५०, १४१,
१६८, २५६।
पाणिनि— १५३।
पूज्यपाद——२९, ४०, ६३, ६४, ६५,
६६, ७३, ७४, १६०, १६३,
२६०।
पुष्पदन्त——८३, २६२।

बृहती—२२,४१। ब्रह्मजालसुत्त—४। ब्रह्मबिन्दूपनिषद्—३।

भ

भगवानदास—४।
भगवत्तीसूत्र—७, २५, ७०,७१, ७२,
८४।
भद्रवाहु—२६, ३०, ४६, ४८, १७७,
१८६, १८७, २६०।
भूतवल्रि—८३, २६२।

म

मनुस्मृति—७।
महाभारत—५।
महावीर—२५।
मथुरानाथ—१७, ३९, १३३।
महेन्द्रकुमार—२३२, २३३।
महेन्द्रकुमार—२३२, २३३।
माठर — ८,१५,४२,५१,१६८,१८२,

२४५, २६० । मैत्रायणी-उपनिषद ---४ ।

u

यशोविजय—३२, ४७, १५८, १७३, १७५, १७७, १८१, १८७, २०२, २२०, २४४, २४६, २६०। याज्ञवल्वय—५। युक्तिदीपिका—२०, ४५, ५१, १११। युक्त्यनुशासन—३१।

रघुनाथशिरोमणि—३९, १३३। रामायण—५, १५३।

रूपनारायण--९।

ल

लघोयस्त्रयः - ३१, ७७,९२, ९२,९६, १९६ ।

लघु अनन्तवीर्य---३२, २१८, २१९।

7

वर्द्धमान उपाध्याय—८, ३९, १३५, १४४,१४५,१४६,१४७,२६०। वसुबन्धु—८,१९२,२५६। वात्सायन—६,८,१०,११,११,१२, २९,३०,३३,३७,४८,४९,६०, ६५,९०,९१,१३१,१४२, १४७,१६७,१६९,१७२,१७३, १८१,१८४,१८७,१९०,२०४,

बाचस्पत्ति — ८, १५, २२, ३६, ३८, ३९,४३,४९,११०,१११,१३१, १३२,१३४,१४३,१४४,१४६, १४७,१५४,१६७,१७४,१८४, १८५,१९२,२००,२०५,२४९,

वादन्याय----२३७

वादिराज—३२, ९०, ९२, ११५, ११६, ११८,१२१,१७२,१७५, १९४,२००,२१९,२३०,२३३, २३५,२३७,२३८,२४३।

वादीभसिंह—३७, १५८, २०१। वासुदेव मिश्र—३९। वाल्मोकि—५।

विज्ञानभिक्षु—२२,१४०,१४६,**१**५४, २५६,२६०,२६१।

विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि—२२६।

विद्याभूषण-- ६। विनीतदेव -- २२। विश्वावस्— ५। विष्वनाथ--८, ३९,६०,११०,१४५, सतोशचन्द्र-६। १५५ । व्योमशिव--१९। व्याकरणसूत्र-१५३। बीरसेन - २३.७९.८०,८१,८२,८३, ८४. १९५, १९८, २०७, २६२। वैशेषिकसूत्र - ९, १७, ३५। হা सर्वदेव---४९। शंकरस्वामी-३६, ४०, ११२, १६८, २३८, २५८। शंकरमिश्र-४०, १६२, २०४। शबर-४२, ९८, १०६, १४०। इलोकवात्तिक--२२, ४०, १४५। शांकरभाष्य-४। शांतभद्र--२२। शांतरक्षित - ८, ४१, ६२, १९४। शाबरभाष्य-४०, ४१, १५३। शालिकानाथ---२२, ४७, ६१, १४०, १६८, १९३। शास्त्रदीपिका---२२। शास्त्रवार्ता समुच्चय-- ३२। शान्तिसूरि-१७५। श्रीकण्ठ---८। श्रोघर--१९। श्रीहर्ष---१४६। 2321 श्रुतसागर--७७, ७९, ८१। षटखण्डागम--७, २३,७१,८०,८२,

८३, ८४, ८५, १०५, २०६,

२६२ ।

स्थानाङ्गसूत्र--७. २३. ७०, ७१. ८४, २०७, २०८ । स्वयम्भस्तोत्र-३१। सन्मतितर्कटीका---३२। समन्तभद्र--८, २३, २९, ३१, ४०, ४७, ६२, ६३, ६५, ६७, ६८, ७३. ७४. ९१. ९२. ९६. १६०, १६१, १६२, १६३, १७४, १८२, १९४. १९६. २२६. २५९. २६०। सर्वार्थसिद्धि-६६। सांख्यकारिका---२८, ३१, ४२, १११। सांख्यदर्शन-४३, ५१, ६१, १११, ११२,१४०,१४६,२०५,२६०। सांस्यतत्त्वकौमुदी---२०५। सिद्धसेन-८, २९, ३७, ४१, ४७, ५२, ६२, ६५, ७१, ९२, ९६, १२०, १२१, ६२२, १२४, १५८, १६२, १६३, १७१, १ - ३, १७५, १७७, १७८, १८२, १९५, १९६, २२७, २२८, २३०, २४३, २४४, २४६, २६०, २६१, २६२। सिद्धिविनिश्चय---३१, ३२, १२१, २०८, २३७। सिद्धविगणि-- ९१ i सुखलाल संघवी--१५२, १८७, २३१, सुबालोपनिषद्--४। ह हरिभद्र---३२, ७१।

हेत्विन्दु---२१, १३९, १९१, १९३

हेत्रवात्तिक--१९१।

हेत्चक्रसमर्थन---२१।

हेमचन्द्र-८, ३२, ४७, ५२,६७, ६८, ६९, ७३, ९२, ९५, १२१,

१२२, १२७, १४७, १४९, १५१, १५२, १६५, १६६, १६८, १७२, १७३, १७५, १७७, १८०, १८२, १८३, १८५, १८६, १८७, १८८, २०२, २१८, २२०, २४४, २६०।

परिशिष्ट---३ प्रमुख दार्शनिक-ताकिक-पारिभाषिक शब्द-सूची

अकार्यंकारणानुमान--११७।

अकिञ्चित्कर----२३१, २३२, २३३, **२३४. २३४. २४०. २४३, २४४.** २४५, २६२। अतिव्याम — ११२,११४,१२३,२०१, २५९, २६१। अर्थापत्ति—३१, ६९, ७०, ७३, ७४, ९८, ९९, १००, १०१, १०२, १०३. १०५. १०६, १०७, १५०, २५७ । अर्थापत्तिपविका-१०३। अन्तर्गिति---३१, ३७, १५७, १५८, १७९, २०१, २५७, २५९, २६१ अन्यथानुपपत्ति—३१,८२,९१,१०२, १०३, ११३, ११४, ११६, ११८, अनुभृति — ६०, ६१। ११९, १२३, १३५, १५६, १६५, १७५, १७६, १९४, १९६, १९८,

१९९, २००, २०१, २०२, २११, २२७, २२८, २३०, २३१, २३२, २३४, २४३, २५७, २५९, २६१ अन्यवानुष्पन्नत्त्व — ३१, ५७, ९२, १०७, ११३, ११४, ११६, ११९, १२०, १३६, १९४, १९५, १९६, १९७, १९८, १९९, २००, २०४, २१६, २१८, २२७, २२८, २३०, २३१, २३२, ६५९, २६२ अन्यथानुपपद्यमान---१०१,१०३,१५१, २५७ । अन्वयव्याप्ति-११, १५५, १५६, २६१ अन्वयव्यतिरेकी-- '४, ५७, १०९, ११६, १९२, २०५। अनध्यवसाय--९८। बनुमान---३, ४, ५, ६, ७,८,९, १०. १२. १३. १४. १६. २५.

२६. २७, २८, २९, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३७, ३९, ५७, ५८, ६८, ६९, ७०, ७१, ७३. ७४. ७५. ७७. ७९, ८०, ८१, ८२, ८३, ८४, ८५, ८६, ८७, ८८, ८९, ९०, ९१, ९२, **९३, ९४, ९५, ९६, ९७, ९८,** ९९. १०१. १०२ १०४, १०५, १०८.१०९.११०.१११.११२. ११३,११४,११५,११६,११७, ११८. ११९. १२०. १२१, १२२, १२३,१२४,१२५,१२६,१२७, १२८, १२९, १३०, १३२, १३३, **१३४,१३७,१४०,१४६,१४७,** १४९, १५१, १५३, १५७, १५९, १६२, १६३, १७०, १८४, १८८, १८५, २०९, २२६, २२९, २३०, ₹₹७, ₹₹८, ₹४५, ₹४६, ₹४७, २४८, २५१, २५४, २५५, २५६, २५७, २५८, २५९, २६०, २६२, २६३।

अनुमानाभास——१३, ८७, ११३, २२६,२२७,२२८,२२९,२३७, २४२,२४३,२४४,२४७,२४८, २५३,२६२।

अनुमेय—१२, १३, १६, ३६, ९१, ९५, १२६, १४९, १६०, १६२, १६६, १६७, १७२, १७३, १७४, १७८, १७९, १८५, १९०, २४८, २५३, २४८ ।

अनुमेयार्थ---९१, ९५, १०४, १०९, १२८।

व्यनेकान्तात्मक--९१, १०२, १९९।

अनैकान्तिक —१९९, २०२, २२८, २३४. २३५, २४३, २५०, २५१, २५२. २६१ । अपूर्वार्थ---६१, ६६, ६७, ६८, ६९। अपोह--१५४। अबाधितत्व-१६६। अबाधितविषयत्व--१८५, १९३, १६४, २००, २०३। अभाव---३१, ६९, ७०, ८३, ८८, ९८. ९९. १००, १०३, १०४, १०५, १०६, १०७, १३५,१५०, २०१. २०७. २२७. २५७। अभावार्थापत्ति-१०३। अभिनिवोध---३०, ३१,७२,७६,७७, ७८, ७९, ८०, ८१, ८२, ८४, ८५, १०६, २५५, २५६, २५८, २६२. २६३ अव्यास-११२, ११४, २०१, २५९, 348 अवग्रह—१०० अविध-७१, ७२, ७४, ७६। अविधा--९८ व्यविनाभाव--१६, ३१, ३४, ३७,

दार्शनिक-तार्किक-पारिभाषिक शब्द-सूची: २८१

अविसंवादि—६२, ६६, ८६, ८८, ।
अवीत—१०९, १११, ११५, ११६,
२०५।
अवीतानुमान—११५।
असत्प्रतिपक्ष—२००, २०३, ।
असत्प्रतिपक्षत्व—१६६,१८५,१९२,।
असम्बायि—५९।
आगम—२३, २४, २९, ३३, ६८, ७०,
७१, ७२, ७३, ७४, ७५, ७६, ७७,
८४, ८५, १०१, १०५, १३९,
१४९,१५१,१८७, २३०, २३९,
२४५, २५१।
आत्मसंवित्—११२।

夏

इन्द्रियज्ञान—८३ । इन्द्रियव्यापार—८३ । ईहा—१५४ ।

ਢ

उत्तरचर—११८, १३८,१५०,१९८,
२०२,२०८,२०९,२१२,२१३,
२१८,२१९,२५९।
उदाहरण—९,११,१५,३०,३१,
७५,१६७,१७७,१७८,१८१,
१८२,१८४,१८५,१८८,१८९,
१९०,१९८,२०२,२२६,२३९,
२५९।
उपनय—९,१६६,१६७,१७७,१८१

१८२, १८३, १८४, १८५, १८६, १८८, २४१, २४२ ।

उपनयाभास—२४२, २४३, २४४, २४५,२४६,२४८,२४९। उपमान—६९, ७०, ७३, ७४, ७५, ९८, ९९, १००, १०१, १०५, १०६,१०७, १४९, १५०। उपादान—१०, १३, ३१, ५९, ६५, ९३। उपेक्षा—९३।

あ

उन्हा—७५, ९०, १४७, १५१, १५३, २६०। उन्हापोह—१०१, १०४, १३७, १४७। ए ऐतिह्य—१९, ६९, ९८, ९९, १०५,

क

कल्पनापोढ---६५। कार्य---२५. २६, २९, ५९, १०८, २०४, २०६, २०८, २१०, २११, २१४. २१६. २१८ । कार्यकारणरूप-८, ९१६, ११७। कार्यकारणभाव--५७, ८९, १३८, १३९, १९८। कार्यहेतू---८९, २१२ । कारकसाकत्य—६५। कारण--- २४, २६, २९, १०८, २०४, २०८. २१०. २११. २१४. २१६. 2861 कारणकार्यरूप--११६। कारणहैंत्—२०९, २१२। केवलज्ञान---७१, ७२, ७३, ७४, ७६ । केवलान्वयी---१४, १०९, ११०, १११ १९२, २०५। केवलव्यतिरेकी --- १४, १०९, १९२, 2041 क्षयोपशम--७४।

ग

गवेषणा---१५४।

चिन्ता---३०,३१,७२,७५,७६,८३, ९०, १००, १०१, १५३, १५४, २६० । चेष्टा---६९, ९८, ९९।

E3

छल---३०, २५६।

ज

जल्प---३०, २५६। ज्ञातत्व--१९३, १९४।

त

तर्क--१५, ५७, ६८, ७२, ७३, ७४, ७५, ७८, ८०, ९०, ९८, १२१, १२५. १३७. १४४. १४६. १४७. १४८. १४९. १५३, १५४, १५५, १५९, १६३, १७०, १७१, २५६, २६३।

तर्करसिक--८९। तथोपपत्ति - ३१, १२३, १५६, १७६, २०१, २६१।

दुष्ट---२३, १०९। दृष्टान्ताभास-३१, २४१, २४२, २४६ २४८, २५०, २५२, २५३।

नास्तिताज्ञान -- १०३। नास्तित्ताग्राहीज्ञान--१०३।

१८४, १६५, १८६, १८७, १८८, २४१, २४२। निगमनाभास-२४३, २४४, २४५, **२**४६, २४८, २४९ । निग्रहस्थान - ३०, २५६। निर्णय-६९, ९८, ९९। निदर्शनाभास---२४८, २५२। निर्विकल्पक-६५।

q

पच---२१, २९, ३१, ३४, ३५, ३६, ३७. १६५, १६८, १६९, १७१ १७२, १८२, १८८, १८९, २४६. २५०, २५७, २५८, २५९। पक्षवत्तित्व-१६६। पक्षधर्मता--- ९. १३, १६, १७, ३४. ३५, ३६, ३७, ३८, ३९, ४१, १८३, १५६। पक्षधर्मत्त्व--११३। परसंवेदी-६३। परार्थ---३१, ७८, ८५, ११०, १११,

परार्थानुमान--१०६, १०८, १०९, १२०, १२१, १२२, १२३, १२४, १२८, १२९, १६२, १६४, १६७. १६८, १८३,१८५,१८७,१८८, २४०, २४४, २५०, २५१, २५३. २५४, २६३।

१२९ ।

११२, ११९, १२२, १२४, १२५,

परार्थानुमानाभास---२५३। परार्थसंवित्त्--११२। परामर्श---१०, १३, १४३, २५६ २५७ । निगमन---९, १६६, १६७, १८३, परोक्ष---३, ३०, ३१, ३३, ५८, ७२,

७३, ७४, ७६, ७७, १००, १२१ १४१। परोक्षप्रमाण--१०७, १५४, २५७। पूर्वचर-११८, १३८, १५०, १९८, २०२. २०८. २०९. २१२. २१३. २१८, २१९, २४९। पूर्ववत-१४, २०, २५, २८, १०९, ११२, ११३, ११४,११७। प्रतिज्ञा- ९. १९, ३२, १२५, १२८, १२९, १६१, १६२, १६३, १६७, १६८, १६९, १७०, १७१, १८४, १८५, १८६, १८७, १८८, १८९, २२६, २४२, २४३, २४८, २४९, २५६, २६०। प्रतिज्ञाभास---२२९, २४७, २४८. २४९, २५१, २६१। प्रतिभा---१०० १०१ १०५ । प्रतिषेधसाधक---१०४। प्रतिपत्ति--१३, ९१, १६, ६७, १०६ १०७, १२१, १२५, १६७, १७४, १८४, १८५, २५७, २५८। प्रत्यक्ष---१२, ३०, ३३, ६५, ६७, ६९ ७०, ७१, ७२, ७३, ७४, ८५, ८६, ८७, ८८, ८९, ९०, ९८, १००. १०३. १०४. १२२. १२४ १२५, १२६, १२७, १३४, १३५ १३८, १३९, १४०, १४१, १४३ १४७, १४८, १५०, १५२, १६६ १७०, २२६, २३०, २३५, २४५.

२४८, २५१, २५७। प्रत्यक्षतोद्ष्यम्बन्ध--१०९। प्रत्यभिज्ञान---२५, २७, २९, ६८,७३ ७४, ७५, ७६, ७८, ८०, ९८

१०१, १२१, १२५, १५२, २५७। प्रमा-६०, ६३। प्रमाण--१, ३, १७, १८, ३०, ३१, ३२, ३७, ५८, ५६, ६०, ६१. ६२, ६५, ७३, ८६, ९६, ९८, ९९, १०१, १०२, १२१, १२६. १२७, १३६, १४०, १४३, १४५. १४७, १५०, १५३, १५४, १७१ १८४, २०३, २१९, २३२, २३७ २५७ ।

प्रमाणाभास--५८, ५६, ७१, ७२। प्रमेय---१०२। प्रामाण्य--६७, ८७, ८८, ८९, १३७, १४६, १४७, १५४। प्रातिभ-९८, ९९। प्रातिभज्ञान-१०५।

बद्धि--१००। बहिर्व्याप्ति-१५७, १५८, २०१।

8

मति—३०, ३१, ७१, ७२, ७३, ७४ ७६, ७७, ७८, ५०, ८१, ८२, ८३, ८४, ८५ 1 मतिज्ञान -- १०६। मनःपर्यय-७१, ७२, ७४, ७६। मार्गणा---१५४। मीमांसा-१५४। मुख्यानुमान-१२१। मेघा---१००।

यथार्थानुभव-६०। योग्यता—६२, ६३। स्र

लिंग—१०, १२, १३, ३५, ३७, ३९, ८३, ८९, ९२, ९२, ९३, ९७, १०३, १०५, १३०, १९३, २४८, २४९, २५३, २५६, २५६, २५६, १४३, २५८। लिङ्गपरामर्श—१०, १३, १६, ९१, ९५, ९६, ९७। लिङ्गास—१९०, २४७, २४८, २५६। लिङ्गालङ्गोसंबंघस्मृति—९१। लेङ्गालङ्गोसंबंघस्मृति—९१। लेङ्गालङ्गोसंबंघस्मृति—९१।

व

वार्ता-५। वाद---२०, ३०, २५६। विज्ञान---९४। वितण्डा---२०, ३०, २५६। विद्या---८५। विपक्षव्यावृत्त-१९०। विपक्षासत्त्व--१९२, १९३, १९५, १९९, २५१। विवक्षितैकसंख्यत्व--१९३, २०३। विरोधि-१०८। वीत-१०९, १११, ११३, ११५, ११६, २०५। वीतानुमान--११५। व्यतिरेकव्याप्ति-१५५, १५६। व्याप्ति-९, १०, १२, १५, १६, ३४, ३५, ३७, ३८, ३९, ४०, ७५, ८८, १०२, ११४, १२०, १२४, १२५, १२६, १२८, १२९, १३०,

१३१, १३५, १३७, १३९, १४०, १४१, १४४, १४५, १४६, १४७, १४८, १५०, १५२, १५४, १५५, १५६, १५७, १५८, १६६, १७८, १७९, २५७, २५९, २६०, २६१। व्याप्तिनिक्चय—९०, १०२, १४८, १५१। व्याप्तिस्मरण—७५, ९०, ९६।

হা হাহ্**ব—**-८, ९, ११, १९, ३३, ३५,

३६, ३८, ४१, ५०, ६९, ७१, ७७, ८१, ८२, ८५, ९१, १५१, १५३, १६२, १८१, १८४, २३४, २३६, २३७। शब्दार्थापत्ति—१०३। शेषवत्—८, १४, २०, २५, २७, २९, ११४, ११६, ११७। श्रुत—३०, ७१, ७२, ७४, ७६, ७७, ८१, ८२, ८३, ८४, ८५, १००, १०५, १०७, १२१।

स

सम्भव—३१, ६९, ९८, ९९, १००, १०४, १०५, १०६, १०७, ११७। संज्ञा—३०, ३१, ७३, ७५, ७६, ८३, १००। संयोगी—१०८, ११३, ११८, २०४, २०६। सत्प्रतिपक्ष—२००, २३४, २४६, २४९। सम्भिकर्य—६३, ६५। सपक्षसत्त्व—२१, ३६, १९२, १७३, १९७, १९८, १९८, १९८, १९८,

दाशैनिक-सार्किक-पारिभाषिक शब्द-सूची : १८५

सपस—३६, ३७, १७१, १७९, १८६ १९०, १९१, १९५, १९७, २५२। समवाय—६४, २०९। समवाय—१७, ५९, १०८, ११३, ११८, २०४, २०६, २१२। सहचर—११७, १३८, १९८, २०२, २०८, २०६, २११, २१२, २१३ २१५, २१६, २१९।

सविकल्पक - ६८।

साध्य---६, ११, १३, ३०, ३१, ३४, ३५, ३७, ७५, ७७, ६२, ८७, ९२, ६३, ९४, १०१, १०२, ११२, ११३, ११५, ११८, ११९ १२, १२४, १२६, १२८, १२९ १३१, १३२, १३४, १३६, १३७ १३९, १४३, १४८,१४९,१५१ १५३, १५६, १५७, १५८, १६१ १६५, १६९, १७०, १७१, १७२ १७३, १७६, १७८, १७९, १८० १८१, १८४, १८६, १८७, १८८ १८९, १९६, १९९, २००, २०१, २०२, २०३, २०७, २१९, २२८ २२९. २३५ २३७, २४० २४९, २४०,२४२, २४३, २५८ २६०। साध्यज्ञान---६२, ९६, ११३, १२३,

साध्यनिश्चय—९२। साध्यप्रतिपति—११९, १७२। साध्याविनाभाव—१३, ७५, ७७, ८२ ८३, ८८, ९२, ९३, ९४, ९७, १२१, १२४, १६५, १६६, १८३

१२४, १२९।

१८८, २०१, २५८।
साघ्याभास—१३६, १४३, २०२,
२२९, २३०, २४०, २६१।
साघ्यसाघनभाव—९, १३०, १८७।
साघन—३१, ३४, ३७, ७२, ७७, ७८
८२, ८३, ८५, ८७, ९२, ९३,
९४, १०१, १०२, ११९, १२६,
१२८, १२९, १३१, १३२, १३५
१३६, १३९, १४८, १४९, १५१
१६३, १५६, १५७, १५८, १६१
१६५, १७६, १७८, १७९, १८०
१८७, १८८, १८९, २०७, २०९
२११, २१५, २२८, २२९, २३५
२३६, २३७, १४०, २५०, २५१,

साधनाभास—१३२, १३६, २३०, २३१,२४३, २६१।

साधम्यव्याप्ति-१५६।

सामान्यतोदृष्ट---८, १२, १४, २८, १०८,१०९,१११,११६,११७, २०५।

स्मरण—१०१, १०३, १०४, १२१ १२२, २५९।

स्मृति—१२, ३०, ३१, ६८, ७२, ७३, ७४, ७५, ७६, ७८, ९६, ९९, १००, १०६, १२५, २५७।

स्वार्य—३१, ७७, ७८, ७९, ८०, ८१, ११०, १११, ११२, ११९, १२२ १२४ ।

स्वार्षानुमान—१०६, १०९, ११२, ११९, १२०, १२१, १२२, १२४ १२५, १२६, १२८, १२९, १६७ १८७, १८८, २६३।

स्वार्थानुमानाभास — २५३। स्वनिश्चयार्थानुमान — १०९, १०८। स्वसंवेदी — ६२, ६८। स्याद्वादन्याय — ९१।

ह

 १९२, १९३, १९४, १९४, १९६, १९७, १९८, १९९, २००, २०१, २०२, २०३, २०४, २०५, २०६, २०७, २०९, २१५, २१८, २१९, २२७, २४४, २४२, २४५, २४९, २५०, २५५, २५६, २५८, २५९,

हेत्वामास—९, १०, १६, ३०, ३१, ८७, ८८, ९४, ११३, ११४, ११६, ११८, ११९, १३१, १७४, १९२, १६७, २०२, २२७, २३१, २३२, २३३, २३४, २३५, २३८, २३९, २४०, २४२, २४३, २४४, २४५, २४६, २४८, २४९, २५०,

परिशिष्ट---४

प्रमुख जैनतर्कग्रन्थकार और उनकी तर्ककृतियाँ

गृद्धपिच्छ	तत्त्वार्थसूत्र	प्रकाशित
(वि०१-३ शती)	•	
समन्तभद्र	आप्तमीमांसा	प्रकाशित
(वि. सं. २-३ शती)	यु क्त्यनु शासन	"
	स्वयम्भूस्रोत्र	11
	जीवसिद्धि	पार्श्वनाथचरित में
		वादिराज द्वारा उल्लि खित
सिद्धसेन	सन्मतितर्क	प्रकाशित
(वि. ४-५ वीं शती)	कुछ द्वात्रिशतिकाएँ	प्रकाशित
देवनन्दि-पूज्यपाद	सारसंग्रह	धवला-टीकामें उल्लि खत
(वि,६ वीं शती)	सर्वार्थसिद्धि	भारतीय ज्ञानपीठ,वाराणसी
श्रीदत्त	जल्पनिर्णय	तत्त्वार्थंश्लोकवातिकमे
(वि.६वीं श.)		विद्यानन्द द्वारा उल्लि खत
सुमति	सन्मतितर्क-टोका	पार्श्वनाथचरितमें
(वि. ६ वीं श.)		वादिराज द्वारा उल्लिखित
	सुमतिसप्तक	मल्लिपेण प्रशस्तिमे निर्दिष्ट
(इन्हींका निर्देश शान्त	तरक्षितके तत <mark>्त्वसंग्रहमें 'सुमते</mark>	दिगम्बरस्य' के रूपमें है)
पात्रस्वामी (पात्र केशरी)	त्रिलक्षण कदर्थन	अनन्तवीयीचार्य द्वारा सिद्धि-
(वि.६वीं)		विनिश्चय टीकामें उल्लि खित
		और तत्त्वसंग्रहमें शान्त-
		रक्षितद्वारा आलोचि त
वादिसिंह		वादिराजके पार्व नाथचरित
(वि. ६-७ श.)		और जिनसेनके महापुराणमें
		स्मृत

यह सूची वर्णी घन्यमाला द्वार। प्रकाशित जैन दर्शन, भारतीय शानपीठद्वारा प्रकाशित जैन न्याय और वीरसेवामन्दिरसे प्रकाशित आप्तपरोक्षाके आधारसे दी गयी है।
 ३७

अकलक्कूदेव (वि. ७ वीं.) हरिभद्र (वि. ८ वींशती)	तत्त्वार्थवात्तिक सभाष्य	
कुमारसेन (वि. ७७०)	शास्त्रवार्तासमु च्च य न्यायप्रवेशटीका	देवचन्द लालभाई सूरत गायकबाड़ सीरिज बड़ौदा जिनसेनद्वारा 'महापुराणमें और विद्यानन्दद्वारा अष्ट- सहस्रीमें स्मृत
सिद्धसेन(न्यायावतारकार)		प्रकाशित
(वि.८ वीं श.)	कुछ द्वात्रिशतिकाएँ	**
कुमारनन्दि (वि. ८वीं श.)	वादन्याय	विद्यानन्दद्वारा प्रमाण- परीक्षामें उल्लिखित
वादीर्भासहे (वि.८वीं श.)	स्याद्वादसिद्धि नवपदार्थनिश्चय	मा० दि० जैन ग्रन्थमालासे प्रकाशित मूडविद्री भण्डार
अनन्तवोर्य (वृद्ध) (वि. ८-९ वीं शती)	सिद्धिविनिश्चयटीका	रविभद्रपादोपजीवि अनन्त- वीर्यद्वारा सिद्धिविनिश्चिय- टीकामें निर्दिष्ट
अनन्तवीर्य रविभद्रपादोपजीवि (वि.९वीं शती)	सिद्धिविनिश्चयटीका	भारतीय ज्ञानपोठ, वाराणसी

विशेषके लिए देखिए, मेरे द्वारा सम्पादित और माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला द्वारा प्रका-शित स्यादादासिद्धको प्रस्तावना ।

प्रमुख जैन तर्कप्रनथकार और उनकी तर्ककृतियाँ : २८९

(वि॰ ८३२-८९७) निर्दिष्ट तथा देवसूरि द्वारा स्याद्वादरत्नाकरमें उद्दृत तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक गांधी नाथारंग ग्रन्थमाला
•
तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक गांधी नाथारंग ग्रन्थमाला
अष्टसहस्री (आसमीमांसा- गांधी नाथारंग ग्रन्थमाला
अष्टशतीटीका)
आप्तपरीआ वीर सेवा मन्दिर, दिल्ली,
प्रमाणपरीक्षा सनातन जैन ग्रन्थमा ला
पत्रपरीचा ,,
युक्त्यनुशासनालंकार माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला
(युन्त्यनुशासनटीका)
सत्यशासनपरीक्षा भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी
श्रीपुरपार्श्वनाथस्तोत्र वीर सेवा मन्दिर, दिल्ली
अनन्तकीर्ति जीवसिद्धिटीका वादिराजके पार्श्वनाथ-
(वि. १०वों शती) चरितमें उल्लिखित
बृहत्सर्वज्ञसिद्धि माणिकचन्द्र जैन ग्रन्थमाला
लघुसर्वज्ञसिद्धि ,, ,,
देवसेन (वि०९९०) नयचक (प्राकृत) प्रकाशित
आलापपद्वति ्,,,
वसुनन्दि (वि. १०-११श.) आप्तमीमांसावृत्ति सनातन जैन ग्रन्थमाला काशी
माणिक्यनन्दि ^६ परीक्षामुख अनेक स्थानोंसे प्रकाशित
(वि. सं. १०५०-१११०)
सोमदेव स्याद्वादोपनिषद् दानपत्रमें उल्लिखित, जैन
साहित्य और इतिहास पृ० ८८
वादिराज (वि॰ १०८२) न्यायविनिश्चयविवरण भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी
प्रमाणनिर्णय माणिकचन्द्र जैन ग्रन्थमाला
प्रभाचन्द्र प्रमेयकमलमार्त्तण्ड निर्णयसागर प्रेस बम्बई
(वि.सं. १०६७-११३७) (परीक्षामुखटीका)
न्यायकुमुदचन्द्र माणणिकचन्द्र जैन प्रन्थमाला
(लघीयस्त्रटीका)

इसका विशेष परिचय मेरे द्वारा सम्पादित और वीरसैवामन्दिर-द्वारा प्रकाशित आप्त-परीक्षाकी मस्तावना देखें ।

२. विशेषके लिए देखें, आप्तपरीक्षाकी पस्तावना।

सिद्धि (वि. ११वीं श.)	न्यायावतारवृत्ति	रायचन्द्र शास्त्रमाला बम्बई
अभयदेव (वि. १०६७-	सन्मतितर्कटीका	गुजरात विद्यापीठ
११३७)		अहमदाबाद
अनन्तवीर्य	प्रमेयरत्नमाला	चौलम्बा संस्कृत सीरि ज
(वि०१२वीं शती)	(परोक्षामुखवृत्ति)	व।राणसी
शान्तिसूरि (वि. १२वीं दा.)	न्यायावतारवार्तिक सवृत्ति	सिंधी जैन ग्रन्थमाला बम्बई
देवसूरि	प्रमाणनयतत्त्वालोकालंकार	आर्हत प्रभाकर कार्यालय
(वि. ११४३-१२२६)		पूना
	स्याद्वादरत्नाकर	11 11
हेमचन्द्र	प्रमाणमीमांसा	सिंघी जैन ग्रन्थमाला बम्बई
(वि. ११४५-१२२९)	अन्ययोगव्यवच्छेद-	प्रकाशित
	द्वात्रिंशतिका वादानुशासन	अनुपलब्ध
	वेदांकुश	प्रकाशित
भावसेन त्रैविद्य	विश्वतत्त्वप्रकाश	जीवराज जैन ग्रन्थमाला,
(वि. १२-१३ शती)		सोलापुर
लघुसमन्तभद्र	अष्टसहस्री-टिप्पण	प्रकाशित
(वि. १३ वीं श.)		
आशाघर	प्रमेयरत्नाकर	आशाधर प्रशस्तिमें
(वि. १३ वीं शती)		उल्लिखत
शान्तिषेण	प्रमे य रत्नसार	जैन सिद्धान्तभवन आरा
(वि. १३ वीं शती)		(अप्रकाशित)
अभयचन्द्र (वि. १३वीं श.)	लघीयस्त्रयतात्पर्यवृत्त <u>ि</u>	माणिकचन्द्र जैन ग्रन <mark>्थमाला</mark>
रत्नप्रभसूरि	स्याद्वाररत्नाकरावतारिका	प्रकाशित
(वि. १३ वीं शती)		
मल्लिषेण	स्याद्वादमंजरी	रायचन्द्र जैन शास्त्रमाला
(वि. १४ वीं शती)		बम्बई
जिनदेव	कारण्यकलिका	न्यायदीपिकामें उल्लिखित
धर्मभूषण (वि. १५वीं श.)	न्यायदीपिका	वीर सेवा मन्दिर, दिल्ली
अजितसेन	- न्यायमणिदीपिका	जैन सिद्धान्तभवन आरा
	(प्रमेयरत्नमालाटीका)	(अप्रकाशित)
		,

 ⁽विशेषके लिए देखिए, मेरे द्वारा सम्पादित और वीरसेवामन्दिर दिल्ली-द्वारा प्रकाशित 'न्यायदीपिका' की प्रस्तावना ।

प्रमुख जैन तर्कप्रभ्यकार और उनकी तर्ककृतियाँ : २९१

शान्तिवर्णी प्रमेयकण्ठिका जैन सिद्धान्त भवन आरा (अप्रकाशित) नरेन्द्रसेन[े] (वि. १७८७) प्रमाणप्रमेयकलिका माणिकचन्द्र जैन ग्रन्थमाला चारकीर्ति (वि. १८वीं श.) प्रमेयरत्नालंकार मैसूर यूनिवसिटी, मैसूर अप्रकाशित अर्थ प्रकाशिका सप्तभङ्गीतरङ्गिणी प्रकाशित प्रमेयकमलमार्तण्डटिप्पण अप्रकाशित (अपूर्ण) यशोविजय (वि. १८वीं श.) अष्टसहस्रीविवरण प्रकाशित अनेकान्तव्यवस्था जैनतर्कभाषा सिंघी जैन ग्रन्थमाला सिंघी जैन ग्रन्थमाला ज्ञानबिन्द न्यायखण्डखाद्य प्रकाशित अनेकान्तप्रवेश न्यायालोक शास्त्रवार्तासमुच्चयटीका गुरुतत्त्वविनिश्चय

विशेषके लिए देखिए, भारतीय शानपीठ वाराणसो द्वारा मकाशित मेरी प्रमाणप्रमेथ-कलिकाकी मस्तावना ।

२. विशेषके छिए देखिए, मैसूर यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित प्रमेयरस्नालंकारकी प्रस्तावना ।

प्रनथ-संकेत सूची

अकलंकग्र० } अकलंकग्रन्थत्रय अष्टश०-अष्टशती अष्टस०-अष्टसहस्री आप्तमी०--आप्तमीमांसा उ० हु०-उपायहृदय अनुयो० सू०-अनुयोगसूत्र किरणा०-किरणावली गो० जी०-गोम्मटसार जीवकाण्ड जै० त० भा०-तैन तर्कभाषा तर्कसं० त०सं० } तर्कसंग्रह तत्त्वसं०-तत्त्वसंग्रह त॰ भा॰ } तर्कभाषा त० वा० हे तत्त्वार्थवार्तिक त० चि०-तत्त्वचिन्तामणि त० शा०-तर्कशास्त्र त० सू०-तत्त्वार्थसूत्र त० वृ०-तत्त्वार्थवृत्ति त॰ इलो॰ तत्त्वार्थइलो॰ } तत्त्वार्थइलोकवार्तिक त० भा०-तत्त्वार्थाधिगमभाष्य दशवै० नि०-दशवैकालिकनियुक्ति न्यायवि० } न्यायविनिश्चयविवरण न्यायिक } न्यायिकन्दु न्यायवा०-न्यायवात्तिक न्यायभा०-न्यायभाष्य

न्यायसू०-न्यायसूत्र न्यायमं ० - न्यायमं जरी न्यायर०--यायरत्नाकर न्यायवा० ता०-न्यायवार्तिकतात्पर्यटीका न्यायाव०-न्यायावतार न्यायकुसु ० —न्यायकुसुमांजलि न्यायकुमु० } न्यायकुमुदचन्द्र न्या॰ प्र॰ } न्यायप्रवेश न्या० को०-न्यायकोश न्यायक०--न्यायकलिका न्यायाव० वा-न्यायावतारवार्तिकवृत्ति न्या॰ दी॰ } न्यायदीपिका न्यायनिवर प्र०-न्यायनिबन्धप्रकाश न्या० वा० ता० परि-न्यायवार्तिक-,, तात्पर्यपरिशुद्धि प॰ मु॰ } परीक्षामुख प्रमाणप्रमेयक०-प्रमाणप्रमेयकलिका प्र० मं०-प्रमाणमंजरी प्र० नि०-प्रमाणनिर्णय प्रमाणसं ०-प्रमाणसंग्रह प्रशस्त ० भा ० } प्रशस्तपादभाष्य प्र० वा०-प्रमाणवातिक प्र• प॰ रमाणपरीक्षा प्रमेयक० मा०-प्रमेयकमलमार्तण्ड

प्रनथ-संकेत सूची : २९३

प्र. न. तं } प्रमानयत्त्वालोक
प्रमाणनयसत्त्वालोकालंकार
प्रमेयर० मा०-प्रमेयरत्नमाला
प्र० मी०-प्रमाणमोमांसा
प्रमेयरत्ना०-प्रमेयरत्नालंकार
भ० सू०-भगवती सूत्र
प० प० } पत्रपरीक्षा
पत्रप० }
मी० क्लो० वा०-मोमांसाश्लोकवातिक
मी० क्लो० वा०-मोमांसाश्लोकवातिक
मी० द०-मीमांसार्शन
मूलसु०-म्लसुत्ताण
युक्तिदी० } युक्तिशीपका
युक्त्यनु०-पुक्त्यनुशासन
वैशे० द०-वैशेषिकदर्शन
वैशेषिकसूत्रो० } वैशेपिकसूत्रोपस्कार
वैदान्तसा०-वेदान्तसार

सां० का०--सांख्यकारिका सां मा - सांख्यदर्शनभाष्य सां ० त० कौ०-सांक्यतत्वकौमुद शास्त्रदी०-शास्त्रदीपिका पट्खण्डा०-षट्खण्डागम स० सि०-सर्वार्थसिद्धि सि॰ वि॰-सिद्धिविनिश्चय सिद्धिवि० टी-सिद्धिविनिश्चथटीका स्वयम्भू०-स्वयम्भूस्तोत्र स्याद्वादर०-स्थादादरत्नाकर स्था० सि०-स्याद्वादसिद्धि सि॰ मु॰-सिद्धान्तमुक्तावली स्थानांगसू०-स्थानांगसूत्र सर्वद० सं०-सर्वदर्शनसंग्रह हेतुबि०-हेतुबिन्दु हेतुबि० टो०-हेतुबिन्दुटीका ज्ञानबि०-ज्ञानबिन्द्प्रकरण


संशोधन

भग्नुद	शुद	व ०	पंकि
पात्रल्वामी	पात्रस्वामी	L	L
न्यायमाष्य	न्यायभाष्य	११	3
····मुदाहणे· ·· ·	मुदाहरणे	११	२२
उपलबधि	उपलब्धि	१२	25
मिगपरामर्श	लिंगपरामर्श	१३	१३
चतुर्लक्षिण	चतुर्लक्षण	१४	१५
हेह	हेतु	१५	Ę
त्र्यवयन'''	त्र्यवयव''''	१५	१४
सागोपांग	सांगोपांग	१६	Ę
अन्तर्मूत	अन्तर्भूत	१६	१२
····समानाधिकरण्य····	समानाधिकरण	१७	२६
प्रभाबित	प्रभावित	१९	१५
उपायह् दय	उपायहृदयमें	२०	4
विशेषतथा	विशेषतया	२१	१०
प्रयाण-	प्रमाण-	२१	१२
धर्मकोति	धर्मकीर्ति	२१	२४
न्यायाबिन्दु	न्यायबिन्दु	२१	3 8
तर्कशास्व	तर्कशास्त्र	२३	9
स्नानांग	स्थानांग	२३	१ ३
घभंभूषण	घर्मभूष ण	۶۶	२४
शेशवत्	शेषवत्	२९	१
अभिभिनोघ	अभिनिबोघ	₹•	18
जाना	जान	٧٥	१८
पतिपादि त	प्रतिपादित	४३	१९
स्वर्धा	स्वार्था—	አ ጸ	२४
हो	ही	४ ४	२६
प्रत्यक्षिषरुद्ध	प्रत्यक्ष विरुद्ध	४६	१५
न्यान	न्याय—	५०	૭

संशोधन : २९५

अशुद्ध	য়ুৰ	ā0	पंक्ति
आश्रयसिद्ध	आश्रयासिद्ध	५२	8
पदार्थीं '	पदार्थीमें	48	25
प्रयाणों	प्रमाणों	90	२
कहलाहा	कहलाता	७५	१४
बौध	बोध	७८	१ ३
····तारद	····तरिद	७९	१२
गमयसि	गमयति	८२	4
पर्यायय—	पर्याय—	८५	१५
कमारनन्दि	कुमारनन्दि	१९६	U
न्यायप्रबेशकारक	न्यायप्रवेशकारको तरह	२५१	३२
सामहित	समाहित	ሪሂ	१५
हेतु	(हेतु)	८६	१५
वृक्षका	वृक्षकी	८६	₹ ६
सकता	सकती	८६	१ ६
अ ন্নি	अग्नि	८७	१७
लिंगनर्श ना त्	लिंगदर्श ना त्	९ ७	१४
अवधाणात्मक	अवधारणात्म क	९९	4
पदोर्थों .	पदार्थों	69	१९
····केवल पांच	····केवल इन पांच	१००	2
(प्रत्यभिज्ञान	(प्रत्यभिज्ञान)	१०१	4
अभाशांश	अभावांश	१०३	१४
तथ्त है	तथ्य यह है	ξο ′	२२
घटरहिता	घटरहितता	१०४	२
प्रतीयये	प्रतीयते	१०४	२६
स्वार्थानमान	स्वार्थानुमान	११२	१९
वितृत	विस्तृत	११५	?
पह	यह	११५	8
न्यानप्रवेश	न्याय प्रवेश—	१२०	9
प्रशस्तपादने ^६	प्रशस्तपादने ५	१२०	१५
प्रमाण ःकारने^७	प्रमाण […] कारने ^६	१२०	१५
सि द्ध सेनने ^८	सिद्धसे नने ^७	१२०	१६
दूसरी	दूसरी ^८	१२०	१८
स्घरूप	स्वरूप	१२३	१७

भग्जुद्	ગુ હ		ह ॰	पंक्ति
पदार्थ	परार्थ		१२५	१६
विबक्षा	विवक्षा		१२६	२८
विकल्पसिद्धि	विकल्पसिद्ध		१२७	१७
वतंमान ‴होता	वर्तमानः सोना		१२८	\$?
या अनुमान	या आगमगम्य हे	ाना		
आर्द्रन्धन	आर्द्रेन्धन —		१३४	٦ -
नियभे	नियमे		१३८	३०
····भदात्	भेदात् ू:		१३८	₹ १
वेदातिन्यों	वेदान्तियों—		389	१ ६
···दर्शद—	दर्शन —		१४०	4
····दर्त्रन 	दर्शन		१४१	१९
न्याया—	न्याय—		१४२	१२
····ऽर्थानुभीयते	····ऽर्थोन् मीयते		१४२	३०
मोमांसाकादि	मीमांसकादि		१४५	4
'चिन्ता	'चिन्ता'		१५३	१३
ऊ हा	'ऊह्।'		१५३	१३
विज्जइ	विजगइ'		१५३	२३
षट्टख०	पट्ख०		१५३	३०
सर्वेप्रथम व्याप्ति—	सर्वप्रथम		१५४	१२
एवं स्पष्टतया	एवं स्पष्टतया व्य	ाप्ति ग्राहक '''	•	
न्यायबा—	न्यायवा		१४४	२३
उदयने	उदय नने		१५५	१६
किए 🥕	क्षान्तरीक तेने		१७६	१६
शान्तरक्षितने			१९४	१५
उत्लेख	उल्लेख 🗎		१९६	११
दाशिनिकों	दार्शनिकों 🍾		200	8
विद्यानन्दने विरोधी''''	विद्यानन्दने सौ			
साक्षात् .	क्षात विरोधोः	ì	२१५	२५
न्यायविदो रताः	न्यायविदीरिताः		२२८	१६
३० (वांफर्मा)	३१ (बॉ.फूर्मी)	२४१	३ ३
व्यभिचारा गृह	व्यभिचाराप्रह		२६०	२५
सिलासिजम	सिलग्जिंज्म	प्राक्कथन	ષ	१०
अमुमान	अनुमान	प्रस्तुत-कृति	9	१०
वाराणी	वाराणसी	"	१०	२१
सिद्ध बाधित	सिद्ध बाधित	विषय-सूची	१८	१ २



विधिसाधक विधि साधन = ६ प्रतिषेघ साधक विधि साधन = २२